

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली



क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

1000
1000

भारतीय राजनीति और शासन

हमारे कुछ प्रमुख प्रकाशन

प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास डॉ० रागेय राघव

प्रागैतिहासिक भारत का भौगोलिक तथा सामाजिक

परिस्थितियों का विस्तृत चित्रण

मूल्य १२)

भारत का सांस्कृतिक इतिहास (सचित्र) हरिदत्त वेदालंकार

वैदिक युग से लेकर आज तक का भारतीय

संस्कृति का क्रमबद्ध इतिहास

मूल्य ६)

भारत का चित्रमय इतिहास महावीर अधिकारी

प्रागैतिहासिक काल से लेकर तालीकोट युद्ध तक

का क्रमबद्ध सचित्र इतिहास

मूल्य ६)

भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास गुरुमुख निहालसिंह

भारत के वैधानिक और राष्ट्रीय इतिहास

का शोधपूर्ण वर्णन

मूल्य १०)

राजवाड़ा (सचित्र)

देवेश दास

राजस्थान की कला, संस्कृति तथा ऐतिहासिक

गाथाओं का सजीव रोमांचकारी

सचित्र वर्णन

मूल्य ५)

भारतीय सांस्कृतिक दिग्विजय

हरिदत्त वेदालंकार

भारतीय संस्कृति के विस्तार का रोचक कथा

मूल्य १)

दुष्णी-परिक्रमा

सेठ गोबिन्ददास

विश्व के मुख्य देशों की यात्रा तथा

वहाँ का रोचक वर्णन

मूल्य १२)

नेपाल की कहानी

काशीप्रसाद श्रीवास्तव

नेपाल का प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक

तथा राजनैतिक सचित्र वर्णन

मूल्य ८)

आत्माराम एण्ड संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली-६

भारतीय राजनीति और शासन

[१८५८ से]

लेखक

के० आर० बम्वाल

एम० ए०, य० पी० ई० एस०

सहायक प्रोफेसर, राजनीति विभाग

डी० वी० एस० राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल

१९५५

आत्माराम एण्ड संस
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता

काश्मीरी गेट

दिल्ली-६

प्रकाशक

रामलाल पुरी

आत्माराम एण्ड संस

काश्मीरी गेट, दिल्ली-६

मूल्य अठारह रुपये अठारह आना

मुद्रक

रतिक प्रिन्टर्स

५, सन्त नगर

करीलबाग, नई दिल्ली

दो शब्द

पस्तुन पुस्तक मेरी *Indian Politics and Government*, जिसे भारतीय विश्वविद्यालयों के राज्य-विज्ञान के छात्रों के लिए लिखा गया था, का हिन्दी रूपान्तर है। इसका विषय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन और वैधानिक विकास का इतिहास है। मूल पुस्तक को तैयार करने में लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुसन्धान के अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रन्थकारों की महायत्ना से भी लाभ उठाया था, और उनके प्रति अपने ऋण को पादटिप्पणियों और अन्त में दी गई पुस्तक-सूची में स्वीकार किया था। भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्राम के विषय में निपट अवैयक्तिक दृष्टिकोण रखना असम्भवप्राय है, फिर भी लेखक ने इस संग्राम के विभिन्न चरणों, ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका सामना करने के हेतु अपनायी गई नीतियों और समय-समय पर भारत में किए वैधानिक मूधारों का सतुलित निरूपण और मूल्यांकन करने का यथासम्भव प्रयत्न किया था।

Indian Politics and Government का यह अनुवाद तैयार तो लगभग दो वर्ष पूर्व ही हो गया था, परन्तु कुछ अप्रत्याशित कठिनाइयों के परिणाम-स्वरूप इसके प्रकाशन में विलम्ब हुआ है। ऐसी दशा में दो-एक स्थानों पर संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है। आशा है यह त्रुटियाँ अगले संस्करण में दूर हो जायेंगी। यह अनुवाद मेरी धर्मपत्नी और गुरुभक्त शिष्य श्री विश्वप्रकाश के परिश्रम का फल है। श्री विश्वप्रकाश का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने अनुवाद के साथ मूल सामग्री में यत्र-तत्र महत्त्वपूर्ण परिवर्धन कर दिए हैं। अतएव आशा है कि यह पुस्तक छात्रों के लिए *Indian Politics and Government* से भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगी।

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ
१. विषय-प्रवेश	१
२ भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म	२७
३ उदार राष्ट्रीयता—कांग्रेस का प्रारम्भिक स्वरूप	५०
४ उग्र राष्ट्रीयता का विकास	७८
५ भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का प्रवेश	११३
६ मार्ले-मिटो-सुधार	१३३
७ प्रथम महायुद्ध के बीच भारतीय राजनीति	१४३
८ भारतीय शासन-सम्बन्धी एक्ट, १९१९	१६४
९ असहयोग आन्दोलन	२०९
१०. साइमन कमीशन से गोलमेज परिषद तक	२३८
११ १९३५ का भारत सरकार अधिनियम	२६७
१२. प्रान्तीय स्वायत्तता पर आचरण	२९७
१३ महायुद्ध और वैधानिक गतिरोध	३०४
१४. स्वतन्त्रता और विभाजन	३२४
१५. भारत का नया संविधान	३५३
१६ भारत का नया संविधान—क्रमशः	४०६
१७. देशी राज्य—उनका विलीनीकरण और लोकतन्त्रीकरण	४३१
१८ महात्मा गांधी और उनका सदेश	४३९
अनुक्रमणिका	४७९
सहायक ग्रन्थों की सूची	४८३

भारतीय राजनीति

और शासन

अध्याय १

विषय-प्रवेश

१. अंग्रेजों की भारत-विजय

१८४९ में पंजाब में मिक्स राज्य के अन्त के साथ ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापन और मगठन का कार्य भी पूरा हो गया। विदेशी शासन की छाया इस विस्तृत प्रायद्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसरित हो गई। वस्तुतः अंग्रेजों की भारत विजय एक मद, मद, अव्यवस्थित और अव्यवस्थित और खडश सम्पन्न प्रक्रिया थी। यह विजय केवल सामगिक विजय ही नहीं थी। भारत में अपने राज्य-विस्तार के लिए अंग्रेजों ने कई उपायों का प्रयोग किया। इनमें सबसे प्रभावशाली उपाय देशी नरेशों की पारस्परिक ईर्ष्या से लाभ उठाना था। इस चाल में अंग्रेज अपने विपक्षी फ्रांसीसियों से बाजी मार ले गये। पहले पहले उन्होंने दीवानी के रूप में भारतीय प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तत्पश्चात् दुहरे शासन का छद्मवेश उतार फेका और अन्त में वे स्वयं शासक ही बन बैठे। डज़्लैंड के अधिपति चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को १० पौंड प्रति वर्ष के पट्टे पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हवाले कर दिया। कम्पनी ने निजाम के शासनाधीन प्रदेश में ब्रिटिश सैन्यदल के प्रतिपालन हेतु बरार को निजाम से नकद वेतन के बदले में ले लिया। लॉर्ड डलहौजी की बेदखली की नीति भी बहुत से देशी राज्यों को ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत लाने में सफल हुई। पंजाब को तलवार की नोक के बल पर जीता गया। इस प्रकार, अंग्रेजों ने कूटनीति, सैनिक-विजय और अनैतिक उपायों का अवलम्बन लेकर भारत में अपने साम्राज्य का निर्माण किया।

खडशः सम्पन्न
प्रक्रिया

अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आये थे और यहाँ शासक बन कर रहे। कतिपय कहा करते हैं कि परिवर्तन आकस्मिक ही हो गया। माना कि भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना और विस्तार करते समय किसी ब्याज अंग्रेजों ने पूर्व निश्चित योजना के अनुसार काम नहीं हुआ। फिर भारत, मस्तिष्क की भी इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि सत्रहवीं शताब्दी की समाप्ति के पूर्व भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रधान सर जोशिया चाइल्ड ने "भारत में सदैव के लिए एक विशाल और सुदृढ़ अंग्रेजी राज्य की नींव डालने" का उद्देश्य अपने सम्मुख रक्खा था। लेकिन सर जोशुआ के उत्तराधिकारी इस नीति में महमत नहीं थे और उन्होंने साधारणतया साम्राज्य-स्थापन की नहीं, प्रत्युत वाणिज्य-विस्तार की ही नीति का पालन किया। १७४६ ई० में कर्नल जेम्स मिल्स नामक एक व्यक्ति ने बंगाल की विजय के लिये एक योजना तय्यार की थी। परन्तु चूँकि ब्रिटिश अधिकारी किसी किसी योजना के प्रति उदासीन थे, अतः उसने अपनी योजना आस्ट्रिया के सम्राट् के सम्मुख रक्खी। यह ठीक है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सचालको ने राज्य-विस्तार सम्बन्धी नीति का बहुधा विरोध भी किया, परन्तु फिर भी यह तर्क बिल्कुल निराधार है कि अंग्रेजों ने भारत, मस्तिष्क की अर्द्ध चेतन अवस्था में जीता। हो सकता है कि मुद्दर ब्रिटेन में स्थित कम्पनी के सचालको ने भारतीय प्रदेशों में सत्वर बढ़ने हुए अंग्रेजी प्रभुत्व का सदैव विचार या समर्थन न किया हो। लेकिन भारत में स्थित कम्पनी के कर्मचारी इस बात को भली भाँति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। ७ जून १७५९ को क्लाइव ने अर्ल ऑफ चैथम को भारत में "एक ऐसी सेना निरन्तर तय्यार रखने के सम्बन्ध में लिखा था जो प्रथम अवसर आते ही उनकी साम्राज्य-विस्तार विषयक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में सहायक हों सके।" अंग्रेजों ने देखा कि भारत में विद्यमान राजनीतिक अराजकता उन्हें साम्राज्यवादी लिप्सा-पूर्ति का अनुपम अवसर प्राप्त कर रही है और उन्होंने इस स्वर्ण अवसर से लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

२. विदेशी शासन के दोष—अवनति और असन्तोष

१५० वर्षों में अधिक के अपने सम्पूर्ण शासन-काल में अंग्रेज शासक भारतीय जनता को ब्रिटिश राज्य के तथाकथित वरदानों के मनमोहक वर्णनों के ऊपर ही बहनाते रहे। भारतीय इतिहास के ऊपर लिखी हुई ब्रिटिश राज्य के तथाकथित वरदान पाठ्य-गुस्तको में ब्रिटिश शासन-काल में भारत द्वारा की गई नैतिक एवं भौतिक उन्नति के आकर्षक विवरण पर्याप्त मात्रा में होते थे, लेकिन इस उन्नति के लिए भारत को

क्या मूल्य चुकाना पडा, इसका ऐसी अधिकांश पुस्तकों में उल्लेख मात्र भी नहीं किया जाता था। इस बात को तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिटिश राज्य ने भारत को रेल, टेलीफोन और टेलीग्राफ आदि सभ्यता के कतिपय बाह्य उपादान प्रदान किये लेकिन यहाँ यह भी स्मर्त्तव्य है कि जापान ने जो उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकाल तक सभ्यता की दौड़ में बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था, सभ्यता के समस्त उपकरणों को भारत की तुलना में कहीं अधिक शीघ्रता से प्राप्त कर लिया, और वह भी बिना किसी विदेशी शासन की आधीनता को स्वीकार किए। भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण जिसका अंग्रेजों को श्रेय दिया जाता है, राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं आर्थिक समृद्धि के मूल्य पर सम्पन्न हुआ। इसमें कोई मदेह नहीं कि पाश्चात्य शिक्षा ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में महयोग दिया, परन्तु अंग्रेजों ने उसका सूत्रपात परहित की भावना में प्रेरित होकर नहीं किया था। मत्र तो यह है कि भारत जैसे विशाल देश का शासन-संचालन करने में अंग्रेजों को असु-विधा होती थी, मध्यक् शासन-संचालन के लिए उन्हें मन्ने क्लर्कों की आवश्यकता थी। अंग्रेजी शिक्षा ने उनकी इस आवश्यकता को पर्याप्त मात्रा में पूरा किया। पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा ने पहले पहल शिक्षित भारतीयों की आँखों में तीव्र चकाचौध उत्पन्न की जिसके फलस्वरूप वे धीरे धीरे अपने धर्म, साहित्य और मस्कृति से विमुख होने गए। लेकिन यह चकाचौध कब तक बनी रह सकती थी? इसकी भी एक सीमा थी। जहाँ यह सीमा पार हुई शिक्षित भारतीयों को यह समझने देर न लगी कि विदेशी शासन में हमारा भयकर राष्ट्रीय पतन हुआ है।

राजनीतिक स्वाधीनता का अपहरण तो अंग्रेजों की भारत-विजय का एक ऐसा परिणाम था, जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था। लेकिन इस राजनीतिक पराधीनता के साथ ही साथ कुछ और भी नतीजे हुए जो यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई नहीं दिये परन्तु जिन्होंने भीतर ही भीतर भारत की आर्थिक समृद्धि की जड़े काट डाली तथा देश के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पतन का पथ प्रशस्त किया।

**भारत का आर्थिक,
राजनीतिक एवं
सांस्कृतिक दासत्व**

जब अंग्रेज भारत में आये, देश समृद्ध था। वस्तुतः भारत के धन और ऐश्वर्य ने ही अंग्रेजों को अपनी ओर आकृष्ट किया था। लेकिन अंग्रेजी राज्य की स्थापना देश के आर्थिक हास का कारण बन गई। भारत के श्रेष्ठ हस्त-कला-कौशल एवं उद्योग-धन्धे सभी कुछ धीरे धीरे चौपट होगये क्योंकि उन्हें विदेशी उद्योग धन्धों से अत्यन्त प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों में टक्कर लेनी पड़ी।

यातायात के साधनों के शीघ्र विकास ने अंग्रेजों को भारत वर्ष में अपनी शक्ति सबल करने में महायत्ना दी। इसी समय इङ्ग्लैंड से मशीनों की बनी वस्तुओं का भारत में आना और बिकना शुरू हो गया। इसका स्वाभाविक फल यह हुआ कि भारत की शिल्पकलाओं और घरेलू उद्योगधन्धों को अपार क्षति पहुँची। अंग्रेजों ने अवनति करने हुए भारतीय उद्योगधन्धों को तनिक भी सहारा नहीं दिया। उन्होंने तो भारतवर्ष को ब्रिटिश यन्त्रोद्योगों के वास्ते कच्चे माल का प्रदाता और अपने माल का ग्राहक बनाने की निर्धारित नीति का पूर्ण रूप से अनुसरण किया। ब्रिटिश सरकार की इस नीति ने भारत के विश्वविश्रुत जुलाहों के मुँह की रोटी छीनने के लिये लकाशायर और मेन्चेस्टर के विशाल यन्त्रोद्योगों का मार्ग निष्कटक कर दिया। इसरी कोई मध्य सरकार इस विनाश को रोक सकती थी। अंग्रेज सब कुछ थे, न थे, तो केवल भारत के हितैषी। इसका घातक परिणाम यह हुआ कि सहस्रो शिल्पियों की जीविका का अन्त हो गया और उन्हें कृषि का आश्रय लेना पड़ा। जब भूमि पर अधिक दबाव पड़ना प्रारम्भ हुआ, उसकी उर्वरा शक्ति जवाब देने लगी। ऐसी स्थिति में जनता दुःख-दैन्य में कराह उठी। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है ब्रिटिश राज्य के कारण भारत को न केवल राजनीतिक पराधीनता ही भोगनी पड़ी, प्रत्युत उसके पैरों में आर्थिक दासता की बेड़ियाँ भी पड़ गईं।

विदेशी शासन की छाया में भारत के आर्थिक और राजनीतिक पतन के साथ ही साथ, यहाँ के गाँवों में सहस्रो वर्षों से जो स्व-शासन चला आ रहा था, उसकी भी नीचे हिन गईं। भारतीय ग्रामों की पंचायती शासन-व्यवस्था में मुगल सम्राटों ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। उन्होंने अपनी मत्ता के प्रयोग को लगान-वसूली आर सेना की भरती तक ही सीमित रखवा था। लोक-प्रिय पंचायत अधिकारशत उन समस्त कार्यों को करने के लिये स्वतंत्र थी जिनका दैनिक जन-जीवन पर प्रभाव पड़ता था। अंग्रेजों ने भारतवर्ष में अपने पैर जमाते ही इस परम्परा को उलट दिया। वे दम में केन्द्रोन्मुखी शासन-पद्धति की स्थापना करने के लिये कटिबद्ध थे। धीरे धीरे ब्रिटिश शासन सम्पूर्ण देश में व्याप्त होगया और जमाने यहाँ की लोक-तन्त्रात्मक सन्ध्याओं का अन्त कर दिया। यह भारतीय जनता की राजनीतिक आत्म-निर्भरता पर निर्भर आघात था।

गोरे साम्राज्यवादियों के पीछे पीछे क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारत में पदार्पण किया। शासन का उनके शीघ्र पर वरद हस्त था। भारतीय जनता की बढ़ती हुई दरिद्रता और सामाजिक जीवन को खोखले करने वाले बुरे रीति-रिवाजों तथा व्यवहारों के कारण ईसाई धर्म को अपने प्रचार के लिये व्यापक क्षेत्र मिला। असहनीय दरिद्रता से मुक्ति एवं सामाजिक न्याय को पाने की लालसा से लोगों ने बहुत बड़ी

सख्या मे ईसाई धर्म की दीक्षा ग्रहण की। इस बात का पहले ही सकेत किया जा चुका है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को मानसिक एवं आध्यात्मिक दासता के पाश में आवद्ध करने के लिये देश में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली का सूत्रपात किया था। अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य के सौंदर्य तथा पाश्चात्य विचारों की प्राजलता ने भारत के शिक्षित वर्ग को मोह लिया। इस प्रकार, वे ही लोग जिनका देश के लिए सबसे अधिक महत्व था, डाक्टर पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में “विदेशी शासन के उपामक” बन गये। “उस समय जबकि किसान और कारीगर विदेशी शासन के जुए में अपनी अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे थे, राष्ट्र भौतिक, औद्योगिक, बौद्धिक और नैतिक रूप में दिवालिया हो रहा था, अंग्रेजियत के रंग में रंगे भारतीय नौकरियों तथा पदवृद्धि के लिये सघर्ष कर रहे थे। यह एक ऐसे दुर्बल एवं पुरुषत्वहीन राष्ट्र का चित्र था जो न केवल अपना बल ही अपितु आत्मविश्वास भी खो बैठा था और अब अत्यन्त अमहाय एवं दयनीय अवस्था में विदेशी शासकों की कृपाकोर का याचक था।”*

३. १८५७ का भारतीय विद्रोह

१८५७ का सिपाही विद्रोह भारत के राष्ट्रीय इतिहास की प्रथम महत्वपूर्ण घटना है। कतिपय यूरोपीय इतिहासकारों का दृष्टिकोण रहा है कि वह केवल उन थोड़े से असन्तुष्ट सिपाहियों का ही विद्रोह था जिन्हें कुछ अधिकारच्युत एवं प्रतिष्ठाहीन सामन्तों ने अपने स्वार्थ-साधन के लिये भड़का दिया था। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि विद्रोह उस स्वतन्त्रता-आन्दोलन से सर्वथा भिन्न था जिसका सूत्रपात १८५८ से कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् हुआ। विद्रोह के संगठन में शिथिलता थी एवं उसे जनता की वास्तविक तथा अनवरत सहायता भी नहीं मिली। इसके अतिरिक्त विद्रोह एक प्रजातांत्रिक और प्रगतिशील आन्दोलन होने की अपेक्षा एक प्रतिगामी आन्दोलन ही अधिक था। लेकिन फिर भी, वह भारत की स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध था, ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने का एक प्रचंड और गौरवपूर्ण प्रयास था। उसने विदेशी शासन के प्रति भारत की निष्क्रिय आधीनता के युग का अन्त कर दिया। इसके उपरांत राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का सघर्ष, यद्यपि अब उसका रूप दूसरा था, बराबर आगे बढ़ता गया और वह १५ अगस्त १९४७ तक जबकि भारत ने विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त की, जारी रहा।

सन सत्तावन का विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रभाव से उत्पन्न हुए भारतीय जनता के अतुल असन्तोष का आकस्मिक विस्फोट था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लोलुप

* डा. सीतारामय्या : “हिस्ट्री ऑफ दि नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, पृ ७०८।”

असन्तोष का प्रबन्ध विस्फोट नौकरो के दुष्टतापूर्ण कृत्यो, देश के निमंम आर्थिक शोषण और जनता की बढ़ती हुई दरिद्रता, क्रिश्चियन मिशनरियों के प्रचार एव पाश्चात्य सस्कृति के प्रसार ने भारत में व्यापक असन्तोष की भावना को उत्पन्न कर दिया था।

भारत से विदा लेते समय लॉर्ड डलहौसी का यह दृढ विश्वास था कि मैं अपने पीछे शात भारत को छोड़े जा रहा हू। लेकिन वास्तव मे उस समय भारत एक ऐसे ज्वालामुखी के तुल्य था जो अब फटने ही वाला था। मेना मे चरबी लगे कारतूसों के प्रयोग ने तो बारूद मे दियासलाई लगाने भर का काम किया। अबध, सतारा, बीदर और नागपुर के पदच्युत शासको तथा भासी की रानी वीरागना लक्ष्मीबाई ने उस घनीभूत असन्तोष को नेतृत्व एव दिशा प्रदान की।

मन् सत्तावन का विद्रोह अपने उद्देश्य मे सफल न हो सका। अंग्रेज उसका दमन करने मे सफल हुए, लेकिन विद्रोह को दबाने मे अंग्रेजो ने जिस निर्दय और प्रतिहिमात्मक नीति का आचरण किया, हिंसा का सामना करते समय जिस पशुता और बर्बरता को अपनाया, चारो ओर जिस भय और आतङ्क की सृष्टि की, वह उनके जातीय जीवन पर कलक का टीका है। गैरेट ने “एन इण्डियन कमेन्ट्री” मे उसका निम्नलिखित शब्दो मे वर्णन किया है, “अंग्रेजो ने अपने सहस्रो बन्दियों को बिना किन्ही अभियोग की सुनवाई के मौत के घाट उतार दिया, यह सभी भारतीयो की दृष्टि मे बर्बरता की चरम सीमा थी। मुसलमानो को मारने से पहले सूअर की खालों मे सी दिया जाता था, उनपर सूअर की चरबी मल दी जाती थी, फिर उनके शरीर जला दिये जाते थे और हिन्दुओ को बलपूर्वक धर्मभ्रष्ट किया जाता था। हजारो की सख्या मे स्त्री, पुरुष और बालको को न केवल दिल्ली मे प्रत्युत देहातो मे जा जा कर कत्ल किया गया। कुछ गाँवो को अपराधी घोषित कर दिया जाता था और उनके निवासियो को तलवार के घाट उतार दिया जाता था। जहाँ कही अंग्रेजी सेना पहुचती थी, वहाँ के निवासियो के प्राण सङ्कट मे पड जाते थे। उन्हें, चाहे उन्होने कोई अपराध किया हो अथवा नही, अग्नि की ज्वालाओ मे भस्मीभूत कर दिया जाता था।”

सन् सत्तावन के विद्रोह ने एव उस निर्दयता ने जिसके साथ उसका दमन हुआ, जातीय कटुता की भावना को विपुल मात्रा में उत्पन्न किया। भारत के इतिहास मे यह विद्रोह एक युगांतरकारी घटना है। इसके साथ **विद्रोह के परिणाम** भारत मे एक युग का अन्त और दूसरे युग का उदय होता है। विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश शासको एव भारतीय जनता के बीच न्यूनाधिक प्रेमपूर्ण सम्बन्ध बने हुए थे। विद्रोह ने उन प्रेमपूर्ण सम्बन्धो में

अज्ञानक ही आमूल परिवर्तन कर दिया। पहले अंग्रेज भारतीय जनता के साथ किमी सीमा तक स्नेहमय एव सद्भावनापूर्ण वातावरण में जीवन-यापन कर रहे थे, रङ्गभेद और जातीय अभिमान की अधिक भावना नहीं थी, यहाँ तक कि कभी कभी अन्तर्जातीय विवाह भी हो जाते थे, लेकिन विद्रोह ने इस सारी स्थिति को बिल्कुल ही बदल दिया।

विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश और अंग्ल-भारतीय समाज ने पृथक् छावनियों और नगर से बाहर स्थित सिविल लाइनों में रहना प्रारम्भ कर दिया। अब उनका भारतीयों के साथ सरकारी कामों के अतिरिक्त बहुत ही कम सम्पर्क रहने लगा। फलतः शासकों और शासितों के जातीय विद्वेष बीच भेद की खाई उत्पन्न होगई और जैसे जैसे दिन बीतते गये, उसका विस्तार होता गया। अंग्रेजों ने भारतीयों को नितान्त असम्य समझना प्रारम्भ कर दिया और उनके हृदय में इस विश्वास ने घर कर लिया कि भारतीय जनता को तो केवल शक्ति-प्रदर्शन के द्वारा अथवा डरा-धमका कर ही वश में किया जा सकता है। उन्होंने देशवासियों के प्रति जिस घोर घृणा और प्रचण्ड असन्तोष की भावना को प्रश्रय दिया, उसके सुदूर व्यापी परिणाम निकले।

भारतीय जनता के प्रति अविश्वास की भावना ने स्वयं को अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई "रक्त और लोहे की नीति" में व्यक्त किया। भारतीय अंग्रेजों के कोपभाजन बन गये और उनके स्वाभिमान पर पग पग पर आघात किया जाने लगा। अंग्रेजों की नादिरशाह एव मगोलो में तुलना रक्त और लोहे करते हुए गैरेट इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि नृशसता और की नीति निर्दयता में अंग्रेज इन दोनों में से किसी में कम नहीं थे। उसने लिखा है कि 'जैसे नादिरशाह ने दिल्ली को वीरान कर दिया था, वैसे ही अंग्रेजों ने दिल्ली को वीरान किया। मगोलो ने अपराधियों और निरपराधियों का बिना किसी भेदभाव के समान रूप से बध किया था और गाँवों में आग लगा कर अपनी बर्बर इच्छाओं की पूर्ति की थी। अंग्रेज भी इसी लकीर के फकीर बने।'* ब्रिटिश शासकों ने भारतीयों को जरा जरा सी बात के लिये, अणुमात्र अपराध होने पर भी भयकर दण्ड दिये। इसके विपरीत यदि कोई यूरोपीय किसी भारतीय के प्राण तक ले लेता, तब भी उसे बहुत हल्का दण्ड दिया जाता था। सक्षेप में महारानी विक्टोरिया की वह नीति जिसमें कहा गया था कि "प्रजा की प्रसन्नता में ही हमारा

* जी. एन. सिंह द्वारा उद्धृत. लैड मार्क्स इन इंडियन कास्टीयुथ शानल एंड नेशनल डेवलपमेंट, पृ. १०८।"

नीचे खड़े होने और विदेशी शासको के विरुद्ध शस्त्र उठाने का अक्षम्य अपराध किया था। एक जाति के तौर पर मुसलमान सरकारी अनुग्रह से हाथ धो बैठे। शासन ने मुसलमानों के प्रति तिरस्कार एवं हिन्दुओं के प्रति पक्षपात का भाव प्रदर्शित किया। यह भारत की दो विशिष्ट जातियों के बीच भेदभाव की सृष्टि करने और उन्हें जानबूझ कर एक दूसरे से अलग करने की नीति का स्पष्ट प्रमाण था। अंग्रेज लोग एक दूसरे को आपस में लडाकर अपनी स्थिति सुरक्षित कर लेने की कला में अत्यन्त निपुण थे। बाद में सर सय्यद अहमदख़ाँ जैसे उत्साही मुस्लिम नेता ही अपनी जाति के प्रति अंग्रेजों के अविश्वास-भाव को दूर करने में सफल हुए। आगे चलकर परिस्थिति ने पल्टा ख़ाया। जैसे जैसे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती गई, अंग्रेजों ने हिन्दुओं के प्रति विरक्ति एवं मुसलमानों के प्रति अनुरक्ति का भाव प्रदर्शित करना प्रारम्भ किया। ऐसा करने में अंग्रेजों का स्वार्थ यही था कि मुसलमानों को प्रोत्साहित करके, उन्हें कतिपय रियायतें देकर राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई तरंगिणी को रोकने के लिये दृढ़ चट्टान की तरह प्रयुक्त किया जाये।

४. विद्रोह के पश्चात् वैधानिक परिवर्तन

१८५७ के विद्रोह के सम्बन्ध में यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह किन्हीं वैधानिक कारणों का फल था, तथापि उसने भारत की शासन-प्रणाली में कई मौलिक परिवर्तन उपस्थित किये। विद्रोह के पूर्व भारतीय शासन का 'निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के हाथों में था। कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की स्थिति १८५३ के अधिनियम के फल स्वरूप परामर्शदात्री समिति के तुल्य ही रह गई थी। भारत में कार्यपालिका-शक्ति स-परिषद् गवर्नर-जनरल में निहित थी। प्रांतीय शासन स-परिषद् गवर्नरों के कन्धों पर था। संपूर्ण भारत के लिए विधि-निर्माण का कार्य स-परिषद् गवर्नर-जनरल अपने छ विधायी सदस्यों की सहायता से करता था। विधायी सदस्यों में से दो तो कलकत्ते के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा शेष चार सदस्य मद्रास 'बम्बई, बंगाल और आगरे की स्थानीय सरकारों द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी होते थे।

१८५७ के विद्रोह ने कम्पनी के शासन का अंत कर दिया। वैसे तो कम्पनी के शासन को विद्रोह के पूर्व भी वाछनीय नहीं समझा जाता था और ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे उसके हाथ से समस्त शक्तियाँ लेती जा रही थी।

कम्पनी के शासन का अन्त

विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह स्वर्ण अवसर प्रदान किया कि वह कम्पनी के शासन का अंत कर दे और भारत

का शासन-प्रबन्ध पूर्णरूप से अपने हाथ में ले ले। जॉन ब्राइट के शब्दों में १८५७ की घटनाओं के फलस्वरूप ब्रिटिश राष्ट्र की आत्मा “अदमनीय रूप से जाग उठी और उसने कपनी के तोड़ देने का निर्णय किया।”* फलतः १८५८ के भारत-सरकार-अधिनियम ने कम्पनी के शासन की अत्येष्टि कर भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया।

१८५८ का भारत-सरकार-अधिनियम भारत के वैधानिक इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम के साथ ही साथ भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त और दूसरा प्रारम्भ होता है। १८५८ के अधिनियम ने भारत के शासन को ईस्ट इण्डिया कपनी के हाथों में लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया और निश्चित किया कि भविष्य में भारत का शासन ‘हर मीजस्टी’ के नाम में चलेगा। अधिनियम ने कम्पनी की जल और थल सेना को ‘क्राउन’ के नियन्त्रण में ला दिया और निर्धारित किया कि उनका ‘कार्यक्षेत्र, उन्हीं प्रदेशों में, उन्हीं शर्तों पर और यथापूर्व वेतन, पेंशन, भत्ता तथा विशेषाधिकार के अनुसार होगा’ जैसा कि कपनी की सेवा में होता था।† अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अन्त कर दिया और उनके स्थान पर भारत-मन्त्री के एक नए पद का सृजन किया तथा उक्त दोनों निकायों की समस्त शक्तियाँ भारत-मन्त्री को हस्तांतरित की। भारत-मन्त्री ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का सदस्य था और मन्त्रिमण्डल के दूसरे सदस्यों की भाँति ही ससद् के प्रति उत्तरदायी था। वह ससद् की बैठकों में भाग लेता था और ससद् के सदस्य भारतीय प्रशासन के सम्बन्ध में उससे सब प्रकार के प्रश्न पूछ सकते थे। ससद् के सदस्यों को भारतीय प्रशासन के सम्बन्ध में अपनी इच्छानुसार विधेयक उपस्थित करने और उसके किसी पहलू को लेकर सत्तारूढ दल के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव तक लाने की अनुमति थी। भारतीय शासन के ‘निरीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण’ का दायित्व भारत-मन्त्री के कंधों पर था। भारत-मन्त्री का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ।

१८५८ का
भारत-सरकार-
अधिनियम-प्रमुख
उपबन्ध

१८५८ के अधिनियम ने भारत-मन्त्री की सहायता के लिये १५ सदस्यों की एक भारत-परिषद् (Indian Council) बनाई। १५ सदस्यों में से ७ को तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निर्वाचित करते थे और शेष ८ को ब्रिटिश ‘क्राउन’ नियुक्त करता था।

* कीथ द्वारा उद्धृत: “स्पीचेस आन इंडियन पार्लिसी, खंड १, पृ. ३२०।”

† कीथ: स्पीचेस आन इंडियन पार्लिसी, पृ. ३८०।”

परिषद् के आघे से अधिक सदस्यों के लिये यह आवश्यक था कि वे कम से कम दस वर्ष तक भारत में रह चुके हों और उन्हें अपने नए पद को सम्हालते समय अर्थात् परिषद् के सदस्य बनते समय भारत छोड़े दस वर्ष से अधिक समय न बीता हो। परिषद् के सदस्य सदाचारपर्यंत अपने पद पर स्थित रहते थे यद्यपि ससद् के दोनों सदनों की प्रार्थना पर उन्हें अपदस्थ किया जा सकता था। परिषद् के प्रत्येक सदस्य का वेतन १२००० पौंड प्रतिवर्ष था। यह वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। परिषद् का अध्यक्ष भारत-मंत्री था और उसे मताधिकार प्राप्त था। बराबर मत होने की स्थिति में वह अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता था। यदि परिषद् का बहुमत भारत-मंत्री के किसी प्रस्ताव से सहमत न होता तो भारत-मंत्री परिषद् की सम्मति का उल्लंघन कर सकता था। लेकिन ऐसा करते समय उसे कारणों का निर्देश करना पड़ता था। भारतीय राजस्व के अनुदान और विनियोग के सम्बन्ध में भारत-मंत्री के लिये परिषद् के बहुमत का निर्णय स्वीकार करना आवश्यक था। भारत के विभिन्न अधिकारियों के नाम-निर्देशन, अथवा पद-नियुक्ति के अनुग्रहाधिकार के विभाजन और वितरण सम्बंधी विनियम बनाने में भी भारत-मंत्री परिषद् के बहुमत का निर्णय मानने के लिये बाध्य था। इसके अतिरिक्त क्रय, विक्रय मौदा करने और भारत-मरकार की सम्पूर्ण सम्पत्ति के मामलों में भी परिषद् के बहुमत की ही चालती थी। भारत-मंत्री को गवर्नर जनरल से गुप्त पत्र-व्यवहार करने की अनुमति थी। भारत-मंत्री के लिये यह आवश्यक नहीं था कि वह अपने गुप्त पत्र-व्यवहार को परिषद् के सामने रखे।

१८५८ के अधिनियम की एक विशेषता यह थी कि उसने पद-नियुक्ति के अनुग्रहाधिकार को 'क्लाउन', स-परिषद् भारत-मंत्री और भारतीय अधिकारियों के बीच बाँट दिया। अधिनियम ने निश्चित किया कि वे समस्त नियुक्तियाँ और पदोन्नति जो इस समय भारत-स्थित अधिकारियों के हाथों में हैं, भविष्य में भी उन्हीं के हाथों में बनी रहेगी। सिविल सर्विस की नियुक्तियाँ प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा होगी। इन परीक्षाओं के नियम लोक-सेवा-आयोगको की सहायता से स-परिषद् भारत-मंत्री बनायेगा। अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण उपबन्ध यह था कि उसने भारत-मंत्री के लिये प्रति वर्ष ससद् के दोनों सदनों के समक्ष भारत की नैतिक और भौतिक प्रगति का लेखा उपस्थित करना अनिवार्य कर दिया। अधिनियम ने यह भी निश्चित किया कि भारत का राजस्व ब्रिटिश ससद् के दोनों सदनों की स्वीकृति के बिना भारताय सीमाओं के बाहर किन्हीं सैनिक कार्यों के लिये प्रयुक्त नहीं होगा। अंशतः, १८५८ के अधिनियम ने स-परिषद् भारत-मंत्री को एक सयुक्त निकाय घोषित किया जो इंग्लैंड और भारत में अभियोग का वादी अथवा प्रतिवादी हो सकता था।

चाहे यह बात, देखने में विरोधाभास ही क्यों न लगती हो, फिर भी बहुत कुछ सत्य है कि जहाँ ब्रिटिश ससद् न भारत के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया, उसने भारत के ऊपर नियंत्रण रखना बंद सा कर दिया। इसका कारण यह है कि पहले भारत का नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में था। यह बात ससद् के लिए एक चुनौती के तुल्य थी और उसे अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिये प्रेरित करती थी। विद्रोह के पश्चात् बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अंत हो गया और भारतीय प्रशासन की सम्पूर्णा शक्ति भारत-मन्त्री के हाथों में आ गई। भारत-मन्त्री ससद् के प्रति उत्तरदायी था। इसलिए, अब ससद् जो कुछ पाना चाहती थी, वह उसे मिल गया। ऐसी स्थिति में उसने भारतीय शासन के ऊपर निरन्तर नियंत्रण रखने और उसकी आलोचना करने में ढील डाल दी। भारतीय प्रशासन के प्रति ससद् की उपेक्षा-नीति का दूसरा कारण यह था कि जिन व्यक्तियों को भारत-मन्त्री के पद पर नियुक्त किया जाता था, वे पर्याप्त योग्य होते थे। चूँकि वे भारत के सुचारु शासन-संचालन के लिए ससद् के प्रति उत्तरदायी थे, अतः वे अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन अधिक से अधिक प्रवीण ढङ्ग से करने का प्रयास करते थे। इसके अतिरिक्त १८५७ से १९१५ तक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अपने देश की समस्याओं में ही अत्यधिक व्यस्त रहे। उनके पास इतना अवकाश नहीं था कि वे भारत जैसे विस्तृत प्रायद्वीप की जटिल समस्याओं का गम्भीरतापूर्वक अनुशीलन कर सकें। पुनश्च, भारतीय सिविल सर्विस में इङ्गलैंड के चुने हुए सुशिक्षित और सुयोग्य व्यक्ति भाग लेते थे। स्वभावतः ब्रिटिश जनता का इन व्यक्तियों के ऊपर विश्वास था और वह उनके कार्यों में टाँग अडाना व्यर्थ समझने लगी।

१८५८ के
अधिनियम
की समीक्षा

यद्यपि भारत का शासन कम्पनी के हाथों से 'क्राउन' के हाथों में जाना एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, परन्तु सर एच एस कनिंघम के शब्दों में यह परिवर्तन 'सारभूत होने की अपेक्षा उपचारिक ही अधिक था'। इसी मत की पुष्टि करते हुए रैमजे म्योर ने लिखा है कि 'भारतीय साम्राज्य के 'क्राउन' के हाथों में स्थानान्तरण ने, जितना प्रतीत होता है, उसकी अपेक्षा काफी कम परिवर्तन किया।' १८५७ के पूर्व भी भारतीय शासन से सम्बद्ध सपूर्ण वास्तविक शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के, जो ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का एक सदस्य था, हाथों में आ गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में कोई विशेष शक्ति नहीं रही थी। उसका काम तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को परामर्श देना भर रह गया था। हाँ, यह बात अवश्य है कि उसके हाथों में पहल करने की यथेष्ट शक्ति थी। १८५३ के अधिनियम ने उसकी,

स्थिति और भी दुर्बल करदी थी। उसको नियुक्तियों के अनुग्रहाधिकार से वञ्चित कर दिया गया था। उसकी सदस्य-संख्या २४ से घटा कर १८ ही रहने दी गई थी। इन १८ डायरेक्टरों में से भी ६ को 'क्लाउन' नियुक्त करता था। १८५३ के पूर्व संसद् ने जितने भी चार्टर-अधिनियम पास किये थे उनका कार्यकाल २० वर्ष ही रहता था। १८५३ के अधिनियम ने कंपनी के चार्टर को २० वर्ष के लिये सशोधित नहीं किया था। उसने केवल यही कहा कि कंपनी 'क्लाउन' की ओर से उस समय तक, जब तक संसद् कोई अन्य व्यवस्था न करे, भारतीय प्रदेशों पर धरोहर के रूप में शासन कर सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि १८५३ के अधिनियम ने भारतीय शासन को कंपनी के हाथों से लेकर 'क्लाउन' के हाथों में सौंप देने का पथ प्रशस्त कर दिया था। १८५८ के अधिनियम ने तो पूर्वकाल से ही प्रारम्भ की गई प्रक्रिया को पूर्णभर किया। १८५८ के पश्चात् भारत-मन्त्री ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष तथा भारत-परिषद् ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का स्थान ग्रहण किया।

'क्लाउन' द्वारा भारतीय सत्ता के ग्रहण के ममाचार में भारतीय जनता को महारानी विक्टोरिया की घोषणा ने परिचित कराया। इस सबन्ध में लॉर्ड कैनिंग ने जो 'क्लाउन' की ओर में भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर महारानी विक्टोरिया जनरल नियुक्त हुए थे, पहली नवम्बर १८५८को इलाहाबादमें की एक शानदार दरबार किया और उसमें महारानी विक्टोरिया घोषणा के घोषणा-पत्र को स्वयं पढ़कर सुनाया। यह घोषणापत्र 'मदयता, उदारता और धार्मिक सहिष्णुता' की भावनाओं से परिपूर्ण था। इसमें देशी नरेशों को यह विश्वास दिलाया गया था कि 'क्लाउन' उनके स्वत्वों एवं अधिकारों की रक्षा करेगा। घोषणा-पत्र ने भारत-स्थित अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे जनता के धार्मिक मामलों में रचमात्र भी हस्तक्षेप न करें और उसे पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने दें। घोषणा-पत्र ने यह भी निर्धारित किया था कि भारत के लिये विधि-निर्माण करते समय देश के रीति रिवाजों, परम्पराओं और लोकाचारों का निरन्तर ध्यान रक्खा जायेगा। उसमें यह भी विश्वास दिलाया गया था कि 'हर मैजिस्ट्री' की भारतीय प्रजा को ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों की प्रजाओं के समकक्ष ही मान्यता प्राप्त होगी। घोषणा-पत्र ने समस्त भारतीयों को बिना किसी भेद-भाव और पक्षपात के योग्यतानुसार शासन के उच्च से उच्च पद देने और समान अधिकार व अवसर प्रदान करने का वचन दिया। घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया था कि विद्रोहियों के साथ दया का व्यवहार किया जाएगा और ईस्ट इण्डिया कंपनी के समय की समस्त सन्धियाँ जारी रहेगी। घोषणा-पत्र के अंत में भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया था कि ब्रिटिश सरकार उनकी भौतिक तथा नैतिक उन्नति करने में कुछ उठा न रक्षेगी।

महारानी विक्टोरिया के उक्त घोषणा-पत्र का भारत के राष्ट्रीय और वैधानिक विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। यह घोषणा-पत्र प्रायः ६० वर्षों—१९१७ तक ब्रिटिश सरकार की भारत-विषयक नीति का मूल आधार बना रहा। उसने उन समस्त सिद्धांतों को निश्चित किया जिनके अनुसार भारत का शासन-प्रबन्ध होने को था। यद्यपि उसके कतिपय महत्त्वपूर्ण उपबन्धों पर आचरण नहीं हुआ, फिर भी वह पर्याप्त दीर्घकाल तक भारत में ब्रिटिश नीति का आदर्श माना जाता रहा।

घोषणा-पत्र
का
महत्त्व

१८५८ के भारत-सरकार-अधिनियम ने गृह-सरकार की रूपरेखा में ही परिवर्तन किया था। उसने भारतीय शासन-तन्त्र को यथावत् रहने दिया था। युग की परिस्थिति को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक था कि भारतीय शासन-तन्त्रों में भी परिवर्तन किये जायें। १८५७ के विद्रोह का मुख्य कारण शासकों और आमियों के बीच सम्पर्क का अभाव था। चूँकि गवर्नर जनरल की परिषद् में भारतीय सदस्यों को कोई स्थान नहीं दिया गया था, अतः सरकार के पास ऐसा कोई उपाय नहीं था जिससे वह भारतीय जनमत के सबन्ध में ज्ञान प्राप्त कर सके। सर बटिल फेयर जैसे दूरदर्शी विचारकों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि शासकों और शासितों के बीच बढ़ती हुई भेद की खाई को अविलंब पाटा जायें। उन्होंने इसी वस्तु को विद्रोह का मूल हेतु ठहराया था। उनका कहना था कि हमारे पास विद्रोह अथवा क्रांति के अतिरिक्त यह ज्ञात करने के कि हमारे कानून एवं हमारा शासन जनता के मनोनुकूल है अथवा नहीं, अत्यल्प साधन हैं। सर सय्यद अहमद खान ने भी सरकार को यही परामर्श दिया था। १८६१ के अधिनियम ने इस त्रुटि को सबसे पहली बार दूर किया। १८५३ के अधिनियम ने जिस व्यवस्थापिका-सभा की स्थापना की थी, उसके अन्दर कई दोष थे। पहला दोष तो यह था कि विधि-निर्माण के कार्य से गैर-सरकारी व्यक्ति, चाहे वे यूरोपीय हों अथवा भारतीय—बिल्कुल पृथक् रखे गये थे। दूसरा दोष यह था कि व्यवस्थापिका-सभा के पास बर्बई और मद्रास प्रभृति दूसरे प्रांतों के लिये आवश्यक कानून बनाने के सबन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। इन प्रांतों के प्रतिनिधियों को यह शिकायत रहती थी कि बंगाल के प्रतिनिधियों की अधिक संख्या होने के कारण हमारी एक नहीं चल पाती। तीसरा दोष यह था कि व्यवस्थापिका-सभा ने कई ऐसे काम अपने हाथ में ले रखे थे जिन्हें तत्कालीन शासन-व्यवस्था की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता था। वह कार्यपालिका के कामों पर तरह तरह

१८६१ का
भारत-परिषद्-
अधिनियम—
पृष्ठभूमि

की आपत्ति करने लगी थी और उसका यह आग्रह था कि गुप्त राजपत्रों को भी उसके सामने रक्खा जाये। व्यवस्थापिका-सभा की यह प्रवृत्ति कार्यपालिका के लिये बड़ी असुविधाजनक थी। फलतः गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने १८६० में भारत-मन्त्री लॉर्ड चार्ल्स वुड को इन सारी कठिनाइयों और आवश्यकताओं के सबन्ध में एक जोरदार पत्र लिखा। ६ जून १८६१ को सर चार्ल्स वुड ने भारत-परिषद्-अधिनियम कॉमन-सभा (House of Commons) के सामने प्रस्तुत किया।

१८६१ के भारत-परिषद्-अधिनियम ने पहला काम तो यह किया कि गवर्नर-जनरल की कार्यपालिका-परिषद् में एक और-पाँचवा-सदस्य बढ़ाया। यह सदस्य कानूनी पेशे में सबन्ध रखता था। अधिनियम ने दूसरी बात यह की कि गवर्नर-जनरल को परिषद् का कार्य प्रमुख उपबन्ध सुचारु रूप से चलाने के लिये नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया। गवर्नर-जनरल अपनी अनुपस्थिति में परिषद् की बैठकों का सभापतित्व करने के लिए परिषद् में से ही किसी एक सदस्य को मनोनीत कर सकता था। अधिनियम ने गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी थी कि वह भारत में विभाग-व्यवस्था चला सकता है अर्थात् अपनी कार्यपालिका-परिषद् के प्रत्येक सदस्य को शासन का कोई एक महत्वपूर्ण विभाग सौंप सकता है। विभाग-व्यवस्था का मूल सिद्धांत यह था कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग को छोटे छोटे प्रश्नों का स्वयं ही निर्णय करे और बड़े बड़े प्रश्नों का अन्य विभागाध्यक्षों से विचार-विनिमय करके तथा गवर्नर जनरल से परामर्श लेकर निर्णय करे। १८६१ के अधिनियम ने तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया कि उसने विधि और विनियम बनाने के लिये गवर्नर जनरल की परिषद् का विस्तार किया। अधिनियम ने निश्चित किया कि परिषद् में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम ६ और अधिक से अधिक १२ रहनी चाहिए। यह आवश्यक था कि इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य गैर-सरकारी हों। अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष था। परिषद् के कार्य और अधिकार विधि और विनियम बनाने तक ही सीमित थे। उसे कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। परिषद् के ऊपर अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए थे। सार्वजनिक ऋण और राजस्व, धर्म और सेना आदि विषयों से सबन्ध रखने वाले प्रस्ताव गवर्नर जनरल की पूर्व-स्वीकृति के बिना उपस्थित नहीं किये जा सकते थे। गवर्नर-जनरल परिषद् द्वारा पास किये गए किसी भी कानून पर न केवल विशेषाधिकार का ही प्रयोग कर सकता था, प्रत्युत उसे आपात-काल में अध्यादेश निकालने की भी शक्ति थी। गवर्नर-जनरल के अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता था जो कि परिषद् द्वारा पास किये गये किसी कानून का।

अधिनियम ने प्रातीय विधि-निर्माण के लिये प्रत्येक प्रेसीडेन्सी के गवर्नर को यह अधिकार दिया था कि वह अपनी परिषद् में एक तो प्रेसीडेन्सी के महाधिवक्ता को तथा कम से कम चार और अधिक से अधिक आठ अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। परिषद् का कार्य विद्युद्ध रूप से विधायी था। प्रातीय परिषद् द्वारा पास किए गए प्रत्येक कानून पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक थी। अतः, १८६१ के अधिनियम ने गवर्नर जनरल को विधान-कार्य के लिए नए प्रांत बनाने और उनके लिए उप-गवर्नर नियुक्त करने का भी अधिकार दिया। अधिनियम ने गवर्नर जनरल को यह भी शक्ति दी कि यदि वह चाहे तो किसी प्रेसीडेन्सी, प्रांत या प्रदेश को विभाजित कर सकता है, अथवा उसकी सीमाएँ घटा-बढ़ा सकता है।

श्री जी एन. सिंह के शब्दों में "भारत के वैधानिक इतिहास में १८६१ के भारतीय परिषद्-अधिनियम का महत्व दो मुख्य कारणों से है। पहला कारण तो यह है कि उसने गवर्नर जनरल को विधान के कार्य में भारतीयों को साथ लेने का अधिकार दिया। दूसरा कारण यह है कि १८६१ के उसने बम्बई और मद्रास की सरकार को फिर से विधान- अधिनियम की समीक्षा कार्य का अधिकार दिया और अन्य प्रांतों में भी वैसी ही विधान परिषदें बनाने की व्यवस्था की। इस प्रकार विधान की उस नीति का आरम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप अंत में प्रांतों को सन् १९३७ में लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई।"* इसमें कोई सन्देह नहीं कि १८६१ का भारतीय परिषद् अधिनियम भारत के वैधानिक इतिहास में एक महान् सीमा-चिह्न से कम महत्व नहीं रखता। बाद में भारत में जो भी वैधानिक परिवर्तन हुए, उन सबका मूल आधार यही अधिनियम था। यद्यपि अधिनियम ने यह तो स्पष्ट नहीं कहा कि केन्द्रीय और प्रातीय विधान-परिषदों को सम्मिलित किया जाये। उसमें तो 'गैर सरकारी' शब्द का ही प्रयोग था। लेकिन व्यवहार में इसका अभिप्राय यही समझा गया कि विधि-निर्माण के कार्य में भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

१८६१ के अधिनियम की उक्त विशेषताओं का विवेचन करते समय हमें उसकी कुछ त्रुटियों को भी न भूलना चाहिए। इस अधिनियम की एक बड़ी त्रुटि यह थी कि इसके आधीन निर्मित विधान-परिषदें कार्यपालिका के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखती थीं। उनके ऊपर प्रतिबन्ध इतने लगे हुए थे कि उनका सारा महत्व दिखावटी ही भावूम पड़ता था। इसके अतिरिक्त जहाँ तक परिषदों में गैर सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रश्न था, सरकार जनता के नेताओं को नहीं, प्रत्युत देशी नरेशों या

*. जी. एन. सिंह:—“भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास” पृ. ८७

पुराने कुलीन परिवारों के मददगारों के मददगारों को ही नियुक्त करती थी। ये लोग भारतीय जनमत का प्रतिनिधित्व करने में मवंधा असमर्थ थे। प्रिमिपल श्री राम शर्मा के अनुसार “सरकार का यह विचार नहीं था कि वे कानून-निर्माण में कोई कारगर भाग ले। वे तो कानून-निर्माण की प्रक्रिया के साक्षी भर ही थे।”* सक्षेप में १८६१ के भारतीय परिषद्-अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारत में नौकरशाही जैसे तैसे कर के अपना कार्य चलाती रहे।

५. भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म-काल १८७६-१८८४

भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के उद्भव एवं विकास के अध्ययन में १८७६ से १८८४ तक के समय की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लार्ड लिटन एवं लार्ड रिपन के इस शासन-काल को भारतीय राष्ट्रीयता के जन्मकाल के नाम से ठीक ही सम्बोधित किया जाता है। हम देख चुके हैं कि विद्रोह के पश्चात् सरकार द्वारा प्रयुक्त अविश्वास एवं दमन की नीति, देगवामियों को आपस में लड़ाने के साम्राज्यवादी दावपेच और जनता के बढ़ते हुए दारिद्र्य आदि तथ्य भारतीयों को विदेशी शासन के दोषों का समुचित परिज्ञान करा रहे थे। यद्यपि भारतीयों ने अभी तक ब्रिटिश शासन का विरोध स्पष्ट एवं सगठित रूप से तो नहीं किया था परंतु उनके हृदय में विदेशी राज्य के प्रति विरक्ति की भावना दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ती जाती थी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उस समय राष्ट्रीयता का अवतरण होने के लिए भूमि तय्यार हो रही थी। ब्रिटिश इण्डियन एग्सोसियेशनऑफ बंगाल, मद्रास नेटिव एग्सोसियेशन, ईस्ट इण्डियन एग्सोसियेशन, बाम्बे प्रेसीडेन्सी एग्सोसियेशन और पूना सार्वजनिक सभा आदि राजनीतिक मस्थाएँ भारत के राजनीतिक रगमच पर पहले से ही प्रकट हो चुकी थी तथा शासन सुधार सम्बन्धी आन्दोलन करने में समग्न थी। तथापि, इन सस्थाओं का एक निर्धारित क्षेत्र था। राष्ट्रीय अभ्युदय, एवं राजनीतिक स्वाधीनता के किसी सागोपाग प्रोग्राम का उनके पास अभाव था। लार्ड लिटन के शासनकाल में कतिपय ऐसे अन्याय एवं दमन के कार्य किए गए जिनके फलस्वरूप जन माधारण और शिक्षित भारतीयों, दोनों के हृदयों में समान रूप से, विदेशी शासन के प्रति रोष की वह भावना जागृत हो गई जिसने १८८५ में राष्ट्रीय महासभा (Indian National Congress) के सस्थापन का मार्ग साफ़ कर दिया।

लिटन डिज़रैली की विचारधारा का साम्राज्यवादी था एवं राजकीय शक्ति-सामर्थ्य के प्रदर्शन में उसकी दृढ़ आस्था थी। राजनीतिक दूरदर्शिता का उसमें

*. श्री राम शर्मा.—“ए कास्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया” पृ. ६६

अभाव था और भारतीय जनता की भावनाओं एवं उच्चा-काक्षाओं के प्रति उसके हृदय में तनिक भी सहानुभूति नहीं देहली दरबार थी। उसके शासन काल में महारानी विक्टोरिया की नई उपाधि, कैसरे-हिन्द, भारत साम्राज्ञी, की घोषणा करने के लिए १८७७ में शानदार देहली दरबार किया गया। इसी दरबार में ब्रिटिश नौकरशाही, भारतीय नरेशों, सामन्ती मुखियों और अन्य राजभक्तों ने भाग लिया, परन्तु यह 'व्ययसाध्य एवं विराट प्रदर्शन' अत्यन्त अनुपयुक्त अवसर पर किया गया। उस समय दक्षिणी भारत में भयकर दुर्भिक्ष पड़ रहा था। देहली दरबार के आयोजन में धन को पानी की तरह बहाया गया जब कि असख्य मानव प्राणों की रक्षा के लिए उसकी महती आवश्यकता थी। कलकत्ते के एक तत्कालीन पत्रकार ने इसका 'जबकि रोम जल रहा था, नीरो सारंगी बजाने में तल्लीन था' कह कर उल्लेख किया था। भारतीयों के मन में यह उपेक्षावृत्ति काटे की तरह चुभ गई। इन्होंने उनके हृदय में अदम्य प्रभावशाली, विरोध की वेगवती धारा को उत्पन्न किया।

लार्ड लिटन के सैनिक अभियानों की वजह से जनता की कठिनाइयाँ और भी बढ़ गईं। काबुल के ऊपर एक अवाञ्छनीय आक्रमण किया गया जिसके फलस्वरूप अफगान युद्ध हुआ और सैनिक व्यय में आगातीत वृद्धि हो गई। रूसी आक्रमण के काल्पनिक भय के निवारणार्थ सेना अफगान युद्ध और को अनावश्यक रूप से बढ़ा देना तथा वैज्ञानिक सीमान्त की सैनिक व्यय स्थापना के प्रयास बहुत ही खर्चीले प्रयोग थे, जो परोक्षरूप से जनता की कठिनाइयाँ बढ़ाने के उत्तरदायी थे। देहली दरबार, आक्रामक अफगान युद्धों और काल्पनिक रूसी 'हैवे' से बचने के लिए की गई चौकसियों ने भारतीयों के समक्ष इस कटु सत्य को प्रत्यक्ष कर दिया कि उनके शासक जनसाधारण की आपदाएँ दूर करने की अपेक्षा अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए अधिक कृत सकल्प हैं।

लार्ड लिटन का शासनकाल भारतीय शस्त्र विधेयक जैसे काले कानून को पास करने के लिए भी कुख्यात है। इस विधेयक के द्वारा भारतीयों को बिना आज्ञा के शस्त्र रखने अथवा धारण करने से वंचित कर दिया गया।

जिस चीज से भारतीयों को मर्यान्तक वेदना पहुँची, वह भारतीय शस्त्र केवल 'निरीह एवं असहाय जनता का निशस्त्रीकरण करना विधेयक ही नहीं, अपितु इस दिशा में यूरोपीयों और भारतीयों के बीच बर्ता गया भेदभाव था। भारतीयों के लिए तो शस्त्रों का रखना अथवा धारण करना अपराध माना गया, लेकिन यूरोपीयों, यूरेशियनों, एंग्लोइण्डियनों तथा अन्यान्य

विदेशियों के ऊपर ऐसा कोई अकुश नहीं लगाया गया। यह भेदभाव भारत के स्वाभिमान के ऊपर भयंकर आघात था। सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी के शब्दों में “शस्त्र विधेयक ने हमारे ललाट पर जातीय हीनता की छाप लगा दी।” भारतीय अपने ही देश में द्वितीय श्रेणी के नागरिक बना दिए गए।

लॉर्ड लिटन के शासनकाल का तीसरा प्रतिगामी कार्य १८७८ का बर्निक्युलर-प्रेस विधेयक था। विद्रोह के पश्चात् भारतीय प्रेस ने बड़ी शीघ्रता से उन्नति की थी। १८६४ में लगभग ६४४ पत्र प्रकाशित हो रहे थे, उनमें ४०० से अधिक देशी भाषाओं के पत्र थे। देशी बर्निक्युलर प्रेस विधेयक भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पत्र लॉर्ड लिटन की दमन नीति का तीव्र शब्दों में विरोध करते थे। उनके लेखों और आलोचनाओं में जनता का रोष व्यक्त होता था। वे राष्ट्रीय चेतना के विकास में एव जनता के क्रोध को तीव्रता देने में सहायता पहुँचा रहे थे। बर्निक्युलर प्रेस के नित्यप्रति बढ़ते हुए प्रभाव को देख कर नौकरशाही के सिर में दर्द होने लगा। लॉर्ड लिटन ने भारत-मन्त्री को ‘देशी प्रेस के इस बढ़ते हुए प्रभाव के सम्बन्ध में, जो अब प्रत्यक्ष विद्रोह का सूचक था, लिखा। वायसराय इस बात को अच्युत तरह समझता था कि समाचार-पत्रों की स्वाधीनता और विदेशी शासन का साथ साथ निभ सकना असंभव है। परिणामतः बर्निक्युलर प्रेस-विधेयक अथवा ‘गलाघोट कानून—जैसा कि वह उस समय विख्यात था—अति शीघ्रता से, भारतीय व्यवस्था-पिका-सभा द्वारा, एक ही बैठक में पास किया गया। यह भारतीय पत्रों की स्वाधीनता पर प्रत्यक्ष आक्रमण था। इस विधेयक के द्वारा जिलाधीशों के हाथों में यह अधिकार आ गया कि वे समाचार-पत्रों के मुद्रकों और प्रकाशकों से जमानते माग सकते हैं और उनसे ऐसे किसी समाचार के, जो शासन के प्रति अरुचि या जातियों के बीच कटुता की भावना को उत्पन्न करे, प्रकाशित न करने की प्रतिज्ञा करवा सकते हैं। कानून भंग करने पर यह जमानत जब्त की जा सकती थी और इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। बर्निक्युलर प्रेस-विधेयक इतना घातक था कि भारत-परिषद् के एक सदस्य सर एरस्काइन पेरी ने भी उसको ‘अदूरदर्शी, असामयिक और भारत की भावी उन्नति के लिए घातक’ बताया था। इस ‘गलाघोट’ कानून ने और उस सकुचितता ने जिसके साथ वह कार्यान्वित किया गया, विरोध का एक तूफान खड़ा कर दिया। सारे देश में असंतोष की एक लहर दौड़ गई। भारत के लोक-नेताओं ने इस विधेयक के विरोध में एक देशव्यापी आन्दोलन खड़ा किया। पाँच वर्षों के अविराम प्रयत्नों के पश्चात् १८८२ में यह विधेयक रद्द हुआ। इस विधेयक के निर्माण ने भारतीयों को पराधीनता के पाश

से अवगत करा दिया और उनके हृदय में राष्ट्रीय जागरण की ज्योति प्रज्वलित की।

लॉर्ड लिटन ने कपास की बनी वस्तुओं पर मे आयात-कर हटा कर भी भारतीयों के हृदय में अंग्रेजी शासन के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न की। भारत में पहली कपास टैक्सटाइल मिल १८५१ में चालू हुई थी और प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी धीरे धीरे उन्नति कर रही कपास आयात-कर थी। लकाशायर और मैचेस्टर के व्यापारियों ने इसका विरोध किया। क्योंकि भारतीय टैक्सटाइल उद्योग के विकास को उन्होंने अपने एकाधिकार के लिए एक चुनौती समझा, उन्होंने गृह-सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह भारत-सरकार को, बाहर में आये हुए कपास के कपड़े पर लगाए गए ५ प्रतिशत कर को उठा देने के लिए विवश करे। भारत-मन्त्री ने इस थोथी दलील के आधार पर कि 'इस कर से भारतीय व्यापारियों को अनुचित प्रोत्साहन मिलता है, आयात-कर उठा देने के लिए गवर्नर जनरल को लिखा। लॉर्ड लिटन के पूर्ववर्ती लॉर्ड नार्थब्रुक ऐसा करने के लिए सहमत नहीं हुए क्योंकि उनके विचार में यह भारत के लिए अहितकर था। इसके विपरीत लॉर्ड लिटन ब्रिटिश सौदागरों के हाथों का खिलौना बन गया। उमने आयात-कर को उठा दिया और यह पग उठाते समय अपनी कार्यपालिका-परिषद् के बहुमत की भी परवाह नहीं की। यद्यपि भारतीय व्यापारियों ने देश के अविकसित कपास उद्योग के ऊपर किए गए इस धानक प्रहार का प्राणपण से विरोध किया, परन्तु उसका कोई फल नहीं निकला। उन्होंने इंग्लैण्ड की कॉमन-सभा के समीप भी इस सम्बन्ध में एक आवेदन-पत्र भेजा परन्तु उससे भी कुछ नहीं बन सका।

लॉर्ड लिटन के प्रतिगामी शासन ने भारतीयों के हृदय में उमड़ती हुई राष्ट्रीय जागरण की भावना को बल प्रदान किया और इस बात के लिए आवश्यक वातावरण तय्यार कर दिया कि देश के विभिन्न भागों में काम करती हुई देशनिष्ठ सस्थाएँ सामूहिक कदम उठाने इंडियन एसोसिएशन के लिए एकता के सूत्र में गुम्फित हो जायें। सुरेन्द्र नाथ १८७५ बेंनर्जी १८७५ में 'इंडियन एसोसियेशन' का सगठन कर चुके थे। लॉर्ड लिटन के कठोर कानूनों और न्यायहीन कार्यों ने उन्हें १८७७ में उत्तरी भारत और उसके एक वर्ष पश्चात् १८७८ में दक्षिण भारत का भ्रमण करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने आकर्षक व्यक्तित्व एवं भाषण-पटुता के द्वारा विभिन्न प्रांतों को 'समान कष्टों तथा समान व्यय' के आधार पर एक दूसरे के अनि निकट ला दिया। सुरेन्द्रनाथ के गतिशील नेतृत्व एवं एकता के सद्प्रयत्नों ने इंडियन एसोसिये-

शन को 'अखिल भारतीय आन्दोलन का केन्द्र' बनाने में सफलता प्राप्त की। एसोसियेशन का ध्येय भारतवर्ष में एक प्रभावशाली लोकमत तथा 'तत्कालीन महत् जन-आन्दोलनों में जनसाधारण का संगठन, तय्यार करना था। इसके अतिरिक्त एसोसियेशन ने अपने सामने भारतवर्ष की विभिन्न जातियों के बीच सामान्य राजनीतिक हितों और आकांक्षाओं के आधार पर एकता स्थापित करने और हिन्दू-मुसलमानों के बीच समवाय, प्रेम एवं बन्धुत्व की भावना को विकसित करने का भी आदर्श रक्खा था।

इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने की अवस्था में जो कमी कर दी गई थी, उमने इंडियन एम्प्लोयमेंट को एक अखिल भारतीय आन्दोलन खड़ा करने का अवसर प्रदान किया। आई सी एस की परीक्षा में बैठने की अवस्था २१ वर्ष में घटा कर १८ वर्ष कर देने का स्पष्ट आशय उममें भारतीय नवयुवकों की सफलता को जानबूझ कर अमभव कर देना था। इस शिक्षित समाज में जो अमन्तोप उत्पन्न हुआ, उमें उम्मी प्रश्न पर केन्द्रीभूत करने में इंडियन एम्प्लोयमेंट ने सफलता प्राप्त की। इंग्लैण्ड की कॉमन-सभा (House of Commons) के पाम सम्पूर्ण देश की ओर में एक स्मृतिपत्र भेजा गया और अत में, जिस उत्साह के साथ आन्दोलन का संगठन किया गया था, उसके फलस्वरूप वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ। इंडियन सिविल सर्विस में बैठने की अवस्था दुबारा १९ वर्ष से बढ़ाकर २१ वर्ष की कर दी गई।

इन्वर्ट बिल सम्बन्धी वाद विवाद ने जो लार्ड लिटन के अनुवर्ती लार्ड रिफन के उदार शासनकाल में उठ खड़ा हुआथा, भारत के राष्ट्रीय जागरण को और भी उत्तेजना दी। लार्ड रिफन के दृष्टिकोण, चरित्र एवं व्यवहार में आकाश पाताल का अन्तर था। लार्ड रिफन अत्यन्त सहृदय एवं उदारगण्य वायसराय थे। इंग्लैण्ड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी शासन की स्थापना हो चुकने के पश्चात् वह भारतवर्ष में आये थे। भारतीयों की भावनाओं के प्रति उनके हृदय में आदर का भाव था। वर्नाक्युलर प्रेस विषयक रद्द करके उन्होंने भारतीयों को सान्त्वना देने का प्रयास किया। उन्होंने अफगानिस्तान से ऐसी शर्तों पर सन्धि की जिससे कि ब्रिटिश सरकार के सम्मान में वृद्धि हुई। परिणामतः सेना के व्यय में अपने आप कमी हो गई। उन्होंने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया और १८८२ में अपनी सुविख्यात रिपोर्ट लिखी। इस प्रकार लार्ड रिफन की नीति जनहित की भावनाओं से प्रेरित थी। इस लिए भारत के शिक्षित समाज में वे अत्यन्त लोकप्रिय हो गए। 'हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक अंग्रेजी भाषाभाषी परिवार में उनका नाम अत्यन्त आदर के साथ स्मरण किया जाने लगा।'

स्वाभाविक रूप से, लार्ड रिपन के उक्त मुधार, जहाँ भारतीयों के सर्वथा मनोनुकूल थे, भारत में रहने वाले यूरोपीयों की दृष्टि में वे काटे की तरह खटकते थे। रिपन यूरोपीय समाज के कोपभाजन बन गए। १८८३ में सर इल्बर्ट कोर्टनी ने भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में **इल्बर्ट बिल** एक बिल उपस्थित किया जिसका उद्देश्य यह था कि भारतीय एव यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच विद्यमान भेदभाव को हटा दिया जाये। इसमें पूर्व भारतीय न्यायाधीशों को, चाहे वे कितने ही ऊँचे पदों पर क्यों न प्रतिष्ठित हों, किसी यूरोपीय के विरुद्ध अभियोग सुनने का अधिकार नहीं था।

अपने मौलिक रूप में इल्बर्ट बिल ने सभी जिलाधीशों एव मेगन जजों को यूरोपीय अपराधियों के अभियोगों के निर्णय करने का अधिकार प्रदान किया। इस बिल में किसी को हानि पहुँचाने वाली कोई बात नहीं थी। किन्तु भारत स्थित यूरोपीय समाज इसे सहन न कर सका। लार्ड रिपन ने भारतीयों के सम्बन्ध में जो उदार नीति अपनाई थी, यूरोपीय समाज उसमें बहुत ही मूट हो गया और इल्बर्ट बिलने तो उसके रोषानल में घृत का काम किया। यह बिल उनको अपने विशेषाधिकारों पर कठाराघात प्रतीत हुआ और उन्होंने इसके विरोध में प्रचंड आन्दोलन खड़ा कर दिया। यूरोपीयों ने अपने हितों के रक्षणार्थ एक सुरक्षा-मध का निर्माण किया और यथेष्ट धन एकत्रित करके इल्बर्ट बिल के खिलाफ 'जिहाद' शुरू कर दिया। यह आन्दोलन जिसे कि उन्माद की भी अवस्था में चलाया गया था, आगे चल कर शिश्रुता की सीमाएँ भी उल्लंघन कर गया। यूरोपीयों ने यह भय प्रकट किया कि भारतीय इस सुविधा से अनुचित लाभ उठाएँगे। लार्ड रिपन के ऊपर व्यग्रागणों की वर्षा होने लगी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सोचा कि गुप्त रूप में, लार्ड रिपन को, सरकारी भवन से उडाकर इंग्लैण्ड रवाना कर दिया जाय। कई बार लार्ड रिपन का निरादर किया गया और उनकी दावतों का बहिष्कार किया गया।

यह झगडा लगातार कई महीनों तक चलना रहा जब कहीं जाकर समझौता हुआ। १८८४ के तृतीय विधेयक के अनुसार भारतीय जिलाधीशों और मेगन जजों को यूरोपीयों के मुकदमों सुनने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी गई कि यूरोपीय **समझौता** अपराधियों को यह माग करने का अधिकार होगा कि मुकदमा ज्यूरी की सहायता से सुना जाय और ज्यूरी के आधे सदस्य यूरोपीय अथवा अमरीकन हों। सर जॉन स्ट्रैची के शब्दों में "इससे यूरोपीयों को भारत में एक ऐसी सुविधा मिल गई जो एक अंग्रेज को अपने देश में कदापि प्राप्त नहीं हो सकती थी।"*

* सर जॉन स्ट्रैची — "इन्डिया, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेस" पृ. १११

इल्बर्ट बिल सम्बन्धी वाद-विवाद ने भारतीय जन-आन्दोलन के विकास पर भारी प्रभाव डाला। इसने भारतीयों की आँखें खोल दी। अत्यन्त मर्यादात्मक वेदना के साथ उन्होंने अनुभव किया कि पराधीनता का अभिशाप कैसा कठोर होता है? “विदेशी शासकों ने हमें किस प्रकार से प्रभाव पद दलित किया है और इस हीन अवस्था में डाल रक्खा है” यह बात उनके मामले बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि अपनी जातीय श्रेष्ठता के अभिमानी, सकीर्ण मनोवृत्ति वाले शासक वर्ग से न्याय की आशा करना मृग मरीचिका से अधिक कुछ नहीं है। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के शब्दों में “कोई भी स्वाभिमानी भारतीय इस बात को सहन नहीं कर सकता था। उनके लिये जो इसकी महत्ता समझते थे, यह देशभक्ति का आवाहन था।” इल्बर्ट बिल की हलचल ने भारतीयों को एक पाठ पढ़ाया और वह यह कि अपने देश में भी बराबरी का दर्जा पाने के लिये उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इस सारी हलचल के फल स्वरूप भारतीयों को न केवल जातीय राष्ट्रीय सम्मेलन भेदभाव एवं राजनीतिक पराधीनता के विरुद्ध एक अश्विन (Indian National Conference) १८८३ में सघर्ष की ही आवश्यकता का भान हुआ अपितु यह भी ज्ञान हो गया कि इस संघर्ष की रूपरेखा क्या हो। यूरोपीयों ने इल्बर्ट बिल के संशोधन में मनोवाञ्छित सफलता प्राप्त की थी, इससे यह स्पष्ट हो गया कि विदेशी शासन का सफल विरोध तभी संभव है जब कि कोई देशव्यापी संगठन ऐसे कामों को अपने हाथों में ले ले और उसे जनता का सक्रिय सहयोग मिल सके। समय की यह पुकार व्यर्थ नहीं गई। इल्बर्ट बिल के सम्बन्ध में यूरोपीयों का जो दृष्टिकोण रहा था, उसे भारतीय नेताओं ने विस्मृत नहीं किया। दिसम्बर १८८३ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के पथप्रदर्शन में प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन कलकत्ते में तीन दिन होता रहा। इसमें, विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन अपार उत्साह के वातावरण में सम्पन्न हुआ और उससे भारत की उदीयमान राष्ट्रियता का अच्छी तरह से परिचय मिलताथा। १८८५ में बम्बई में राष्ट्रीय महासभा (Indian National Congress) की स्थापना हुई। वास्तव में उक्त सम्मेलन को राष्ट्रीय महासभा का अग्रवा, पथप्रदर्शक अथवा निर्माता कहना उचित होगा। सम्मेलन ने अपने को राष्ट्रीय महासभा में विलीन कर दिया। ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका तात्पर्य यही है कि १८७६ से १८८४ तक के ८ वर्षों का, भारत के राष्ट्रीय इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल की घटनाओं ने ही उस संघर्ष की नींव डाली जिसका अन्त भारत में ब्रिटिश राज के अन्त के साथ हुआ।

सारांश

अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर धीरे धीरे बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के साथ काम करते हुए आधिकार किया था। १८५२ तक सम्पूर्ण देश ईस्ट इंडिया कम्पनी के आधीन हो गया। यह बात बिल्कुल गलत है कि भारत में, अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का निर्माण, मस्तिष्क की अर्द्ध चेतन अवस्था में किया। १८ वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा अत्यन्त अव्यवस्थित एवं शोचनीय थी, अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया, और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त की।

ब्रिटिश राज्य की स्थापना से भारत की आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अवनति हुई। प्रतिगामी ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप देश के पुराने उद्योग धन्धे चौपट हो गए और जनता दरिद्रता के दल दल में फस गई। केन्द्रित शासन की स्थापना के कारण पचायतों नष्ट हो गई। ईसाई पादरियों के धर्म प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने भारत को सांस्कृतिक दासता की बेड़ियों में जकड़ दिया।

सन ५७ का विद्रोह ब्रिटिश शासन की बुराइयों के कारण जनता में बढ़ते हुए असन्तोष का भयंकर विस्फोट था। भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता का यह प्रथम युद्ध असफल हुआ और अंग्रेजों ने अत्यन्त निष्ठुरता पूर्वक इसका दमन किया। विद्रोह के पश्चात् अंग्रेजों ने अविश्वास तथा 'फूट डालो और राज करो' की नीति का आश्रय लिया जिसका फल यह हुआ कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच भेद की खाई बढ़ती चली गई।

१८५७ के विद्रोह के पश्चात् भारत की शासन-प्रणाली में कई मौलिक परिवर्तन हुए। १८५८ के भारत सरकार अधिनियम ने भारत में कम्पनी के शासन की अत्येष्टि कर भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया। अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अंत कर दिया और उनके स्थान पर भारत-मंत्री के एक नए पद का सृजन किया। भारत-मंत्री ब्रिटिश मन्त्रीमंडल का सदस्य होता था। अधिनियम ने भारत-मंत्री की सहायता के लिए १५ सदस्यों की एक भारत-परिषद् बनाई। कतिपय आलोचकों के अनुसार भारतीय शासन का 'क्लाउन' के हाथों में जाना एक उपचारिक परिवर्तन मात्र था। नयी व्यवस्था का प्रारम्भ महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा के साथ हुआ। घोषणा में कहा गया था कि देशी नरेशों के अधिकारों की रक्षा की जायगी, विद्रोहियों के साथ दयाका व्यवहार होगा और सभी धर्मों व जातियों के लोगों को बिना किसी पक्षपात के योग्यतानुसार सरकारी पदों पर नियुक्त किया जायेगा।

जहाँ १८५८ के अधिनियम ने केवल गृह-सरकार की रूपरेखा में ही परिवर्तन किया था, १८६१ के भारतीय परिषद् अधिनियम ने भारतीय शासन में भी कतिपय सुधार किए। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यपालिका-परिषद् में एक पाँचवा विधि-सदस्य और बढ़ाया। अधिनियम ने केन्द्र में गवर्नर जनरल को और प्रांतों में गवर्नरों को यह अधिकार दिया कि वे कानून-निर्माण के कार्य में भारतीयों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। फिर भी, १८६१ के अधिनियम के आधीन निर्मित भारतीय व्यवस्थापिका-सभाओं को कई कठोर प्रतिबंधों के आधीन काम करना पड़ता था।

भारत के राष्ट्रीय इतिहास में लार्ड रिपन और लार्ड लिटन का शासन-काल अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति, व्यय-साध्य दिल्ली दरबार, अफगान-युद्ध, इल्बर्ट बिल सम्बन्धी वाद-विवाद, शस्त्र-विधेयक समाचार-पत्रों की स्वाधीनता का अपहरण, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने की अवस्था में कमी कर देना, आदि ऐसी बातें थीं जिन्होंने भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति व्यापक असंतोष की उम्र भावना को उत्पन्न किया जिसके फलस्वरूप १८८५ में कांग्रेस की नींव पड़ी।

अध्याय २

भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म

६. भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन के उदय के कारण

भारत में राजनीतिक चेतना के मन्द जागरण ने १८८५ में राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के रूप में मूल आकार धारण कर लिया। यह स्मरणीय है कि कांग्रेस, जो देशभक्ति का आकर्षण केन्द्र और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-संघर्ष की अग्रणी बन गई उसका जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। मत्र तो यह है कि वह उन्नीसवीं शताब्दी के राष्ट्रीय नवजागरण का ही एक भाग थी। इसमें कोई मन्देह नहीं कि वह उस अपार आर्थिक और राजनीतिक अमनोप की अभिव्यक्ति थी जो ब्रिटिश शासन के अन्यायों के कारण पनप रहा था। इसके साथ ही साथ वह उन राष्ट्रवादी शक्तियों की सश्लेषण थी जो पहले से ही धार्मिक-सामाजिक सुधार-क्षेत्र में सक्रिय थीं। बंगाल में रामगोपाल घोष, मुरेन्द्रनाथ बेनर्जी और आनन्दमोहन बोस ने, बम्बई में दादाभाई नौरोजी और जगन्नाथगकर सेठ ने, मद्रास में जी मुन्नम्मय्य अय्यर और महाराष्ट्र में राव बहादुर के एल नेल्कर तथा एस एच चिप्लोन्कर ने राष्ट्रीयता के बीज वपन के लिए भूमि अच्छी तरह तय्यार कर दी थी। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को यूरोप के राष्ट्रीय आन्दोलनों से प्रभृत प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रचण्ड लहर उठी थी जिसके फलस्वरूप विश्व खलित जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ तथा यूनान और बेल्जियम को विदेशी शासन से मुक्ति मिली। मध्यकालीन अघोषित की दशा से जापान के अभूतपूर्व आकस्मिक उत्कर्ष ने भी भारत की राष्ट्रीयता को पर्याप्त प्रभावित किया। संक्षेपतः भारत का राष्ट्रवादी आन्दोलन कई शक्तियों और कारणों के संयोग का परिणाम था। नीचे हम उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों पर विचार करते हैं।

बहुत से कारणों
का परिणाम

यद्यपि भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन का स्वरूप प्रतिगामी ही था, फिर भी उसने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान कर, जो उसके पास पहले कभी नहीं थी, भारतीय राष्ट्रीयता के विकास को प्रोत्साहन दिया। वस्तुतः

भारत का राजनीतिक एकीकरण भारतवर्ष में, विसेट स्मिथ के शब्दों में, "रक्त, रग, भाषा, वेष, रीतिरिवाज और सम्प्रदाय आदि की असंख्य विभिन्नताएं रहते हुए भी एक मौलिक एकता रही है।"

भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष सदैव एक इकाई का रहा है।

इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता है जो विदेशियों के अविराम आक्रमणों के बावजूद सदैव अक्षुण्ण रही है। जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही लिखा है कि सम्पूर्ण प्रायद्वीप के निवासियों की मानसिक पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण और विचारधारा में आश्चर्यजनक समानता रही है। "शकराचार्य द्वारा निर्धारित प्रमुख तीर्थ भारत के चार कोनों पर विराजमान थे। उत्तर में हिमालय के नीचे बद्रीनाथ, दक्षिण में कन्या कुमारी के समीप रामेश्वरम्, पश्चिम में अरब समुद्र की ओर आँख गडाए हुए द्वारका और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के जल से अठखेलिया करती हुई पुरी। विभिन्न धर्मों के अनुयाइयों के बीच सौहार्द विद्यमान था। भारत ही उनकी पुण्यभूमि थी।"* भारतवर्ष में इस्लाम का प्रवेश इस एकता को छिन्न भिन्न करता हुआ मालूम होता था, लेकिन भारतीय सस्कृति में दूसरी सस्कृतियों को मिलाने और अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की जो भावना रही है, उसने यहाँ भी सश्लेषण का मार्ग लिया। यह तो अंग्रेजों की "फूट डालो और राज करो" नीति का परिणाम रहा है कि भारत की सश्लेषण शक्ति नष्ट हो गई और भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सदैव ही एक रहने वाले देश का अंग भग हुआ।

यह स्वीकार करना ही पड़ता है कि ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। अशोक और अकबर जैसे महान् शासकों को भी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने में पूरी सफलता नहीं मिली। भारत का जो कुछ एकीकरण वे कर सके, वह अल्प-जीवी रहा। इसका एक तो कारण यह है कि जनता में राजनीतिक एकता की उत्कट आकांक्षा नहीं थी। दूसरे आवागमन के आधुनिक साधन भी उस समय उपलब्ध नहीं थे। भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय अंग्रेजों को ही प्राप्त है।† वे सम्पूर्ण देश को एक दृढ केन्द्रित शासन व्यवस्था के अंतर्गत लाने में सफल हुये। उन्होंने भारतवर्ष को वह राजनीतिक सत्ता प्रदान की जिसके आदेशों का देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पालन किया जाने लगा। अंग्रेजों की इस सफलता का कारण यातायात के साधनों का

* जवाहरलाल नेहरू : 'यूनिटी आफ इंडिया,' पृ० १६।

† सुब्रह्मण्यं येयर ने राष्ट्रीय महासभा के प्रथम अधिवेशन में भाषण देते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य की कि देश के इतिहास में जनता के बीच एकता की भावना के दर्शन का (राष्ट्रीय अस्तित्व के अर्थ में) यह सर्वप्रथम अवसर है" चर्चा की थी।

विकास है। यह तो स्पष्ट ही है कि अंग्रेजों ने भारत में प्रशासनिक एकता अपने साम्राज्य के हितार्थ स्थापित की। आवागमन के आधुनिक साधनों का सूत्रपात करने में उनका ही स्वार्थ निहित था। ऐसा हो^३ पर इस देश का आर्थिक शोषण वे और भी सुगमतापूर्वक कर सकते थे। परन्तु इसका परिणाम सर्वथा उनके मनोनुकूल नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता “सामान्य आधीनता की एकता थी, लेकिन उसने सामान्य राष्ट्रीयता की एकता को जन्म दिया”।* अखंड और स्वतंत्र भारत का विचार राजनीतिक एकीकरण का अनिवार्य परिणाम था। उसने लोगों के दिमागों में घर कर लिया। इस समय एकता का विचार कहीं ऊपर से नहीं लादा गया था, वह स्वतः प्रेरित था। इस विचार ने प्रत्येक देशभक्त भारतीय को नई प्रेरणा एवं स्फूर्ति प्रदान की और राष्ट्रीय स्वातंत्र्य समर को आगे बढ़ाया। आगे चलकर एकता की इस बढ़ती हुई भावना ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया। अब उन्होंने इस एकता को भग करने की चेष्टा की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की उन्मुक्त शक्ति को रोकने के लिए “देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के सतुलन” का सिद्धान्त प्रयुक्त किया तथा धार्मिक और साम्प्रदायिक वैमनस्य के बीज बोये। अपनी इस चेष्टा में अंग्रेजों को कुछ सफलता भी मिली, परन्तु राष्ट्रीयता की वेगवती मन्दाकिनी जो एक बार वह निकली उसे न अंग्रेजों की कूटनीति ही और न उनका दमन ही रोकने में सफल हो सका।

भारतीय राष्ट्रीयता के जन्म और विकास में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने भी बड़ी सहायता दी। अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप भारतवर्ष का पश्चिम के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ जिसके सुदूरव्यापी परिणाम हुए, सुशिक्षित भारतीय अंग्रेजी भाषा और साहित्य के सौन्दर्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता के अमृत का आपानक पान किया। शिक्षित भारतीयों ने इटली की राष्ट्रीयता के मन्त्रद्रष्टा मैजिनी, फ्रांसीसी राज्यक्रांति के प्रशस्ता रूसो और वाल्टेयर, व्यक्तिगत स्वाधीनता उदारवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अप्रदूत थॉमस पेन, लॉकबर्क, मैकाले और मिल, आदि लेखकों की रचनाओं का अत्यन्त मनोयोग पूर्वक अनुशीलन किया। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रीय आन्दोलन हुए, उनसे भारतीय नवयुवकों को बड़ी प्रेरणा मिली। इन राष्ट्रीय आन्दोलनों का ही यह फल था कि

पाश्चात्य शिक्षा
और संस्कृति

* “हिन्दुस्तान की राजनीतिक एकता गौण रूप से साम्राज्य की वृद्धि के घुसाकर न्याय से प्राप्त हुई थी। बाद में जब यह एकता राष्ट्रीयता के साथ मिल गई और विदेशी राज्य को चुनौती देने लगी तो हमारे सामने फूट डालने और साम्प्रदायिकता को जान बूझ कर बढ़ाए जाने के दृश्य आने लगे जो हमारी भावी उन्नति के मार्ग में जबरदस्त रोड़े बने।” जवाहर लाल नेहरू : “अटोबाइ आफो;” पृ. ४३७

तुर्की से यूनान को और हालैण्ड से वेल्जियम को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अपने देश की अधोगति देखकर भारतीय युवकों का हृदय ग्लानि से भर गया। दादाभाई नौरोजी के अनुसार जो राष्ट्रीय महामत्सा की नींव डालने वालों में से एक थे, पाश्चात्य शिक्षा भारत के राष्ट्रीय जागरण में एक विशिष्ट स्थान रखती है। "हमें एक नूतन प्रकार मिला है और उमने बताया है कि राजा प्रजा के लिए होता है प्रजा राजा के लिए नहीं।" संक्षेपतः पाश्चात्य विचार धारा और साहित्य के संसर्ग ने भारत की बुद्धिजीवियों के समक्ष नवीन आदर्शों की सृष्टि की, उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम की भावना उत्पन्न की।

वस्तुतः भारत में ब्रिटिश शासन ने पाश्चात्य शिक्षा का सूत्रपात किया उन्नत अथवा परहित की भावना में प्रेरित होकर नहीं किया था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ ऐसे भी व्युत्पन्न अंग्रेज थे जिनका अंग्रेजी भाषा और संस्कृति की अन्तर्वर्ती श्रेष्ठता में दृढ़ विश्वास था और वे सोचते थे कि भारत की उन्नति अंग्रेजी रीतियों को अपनाने पर ही संभव है। राजा राम मोहनराय जैसे कुछ देश भक्तों का भी यही विचार था कि जिस अधोगति में भारत पड़ा हुआ है, उससे छूटकारा पाने के लिए पाश्चात्य संस्कृति का संपर्क अतीव आवश्यक है। परन्तु भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने के पीछे सर्वथा अनपेक्षित उद्देश्य नहीं थे। अंग्रेजों को उस समय मन्ते क्लर्कों की आवश्यकता थी, वे शिक्षित भारतीयों को, विदेशी शासन के प्रति राज-भक्त और भूतकालीन संस्कृति तथा धर्म के प्रति विमुख करना चाहते थे। ब्रिटिश शासन की इन ऐपगामों को ही यह परिणाम था कि यहाँ पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया गया। भारतीय जनता के 'अंग्रेजीकरण' के साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को मुटुट करना ही विदेशी शासन का प्रमुख उद्देश्य था। अधिकांश अंग्रेज मोस्ट्रट्ट एलफिस्टन के इस विचार से सहमत थे कि 'अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से भारतीय ब्रिटिश शासन को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे।' स्पष्ट रूप से यह आशा की गई थी कि 'शिक्षा-प्रसूत संस्कार जनता को ब्रिटिश शासन से मन्तुष्ट कर देंगे और उसके हृदय में विदेशी शासन के प्रति अनुरक्ति का भाव उत्पन्न हो जायगा। मोस्ट्रट्ट एलफिस्टन के अनुसार भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा एक राजनीतिक आवश्यकता थी। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना अत्यन्त मदिग्ध और अनिश्चित वानावरण में हुई थी, शासक और शासितों के बीच बहुत भेदभाव था। इन कारणों से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति सर्वथा सुरक्षित नहीं थी। उसकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय यही हो सकता था कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार द्वारा स्वतंत्र विचार-शक्ति को कुन्ठित कर दिया जाय। ट्रेवेलियन ने १८३८ में लिखा था कि अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के लिए हितकर होगा।

लेकिन वह यह भूल गया कि अंग्रेजी साहित्य स्वतंत्रता की उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण है और इस द्वारा राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा।*

पाश्चात्य शिक्षा का सुन्नपात करने में अंग्रेजों का ध्येय भारत में अपने साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करना था, लेकिन उसने इन जड़ों को उखाड़ने में सहायता दी। भारतीयों को अपने विदेशी शासकों के प्रति राजभक्तिका पाठ पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी शिक्षा ने उन्हें स्वतंत्रता और स्वशासन का पाठ पढ़ाया। 'शिक्षितभारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैंड के स्वातंत्र्य संग्रामों के सम्बन्ध में पढ़ा। उन्होंने ऐसे लेखकों की रचनाओं का अनुशीलन किया, जिन्होंने व्यक्ति गूत और राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांतों का प्रचार किया है। ये शिक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और बौद्धिक नेता हो गए।'† यह स्मरणीय है कि सुरेन्द्रनाथ बेंजर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोखले तथा भारत की राष्ट्रीयता के अन्यान्य ज्योति बाहक अंग्रेजी शिक्षा की ही देन थे। मैकाले ने कहा था कि उन दिन को जब योरोपीय ज्ञान में निष्णात भारतीय योरोपीय सस्थाओं की मांग करेंगे, मैं "ब्रिटिश इतिहास का सर्वाधिक गौरव पूर्ण दिवस" समझूंगा। मैकाले का यह स्वप्न बहुत शीघ्र सार्थक हो गया, इतना शीघ्र जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की होगी।

अंग्रेजी भाषा से भारत की राष्ट्रीयता को प्रभूत बल प्राप्त हुआ। प्रांतीय सीमाओं से ऊपर उठकर उसने अखिल भारतीय भाषा का रूप धारण कर लिया। शिक्षित भारतीयों की लोक भाषा (Lingua Franca) के रूप में वह देश के विभिन्न भागों के निवासियों के बीच विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन गई। इसने उन्हें एक मंच पर मिलाने, सामान्य समस्याओं पर विचार करने और कार्य की सामान्य योजना के निर्माण का पथ प्रशस्त किया। दूसरे शब्दों में अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक दृढ़ता और राष्ट्रीयता के अभ्युत्थान में महत्वपूर्ण भाग लिया है।

अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से भारत में पत्रकारिता का जन्म और प्रांतीय भाषाओं के साहित्यों का विकास हुआ। विद्रोह के पश्चात् भारतीय समाचार पत्रों की आशातीत वृद्धि हुई। जब राष्ट्रीय महासभा का जन्म भी नहीं हुआ था, और भारतीयों के पास कोई सामान्य मंच भारतीय प्रेस और नहीं था, समाचारपत्रों ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास बनारसियुलर साहित्य में बहुत सहायता दी। उन्होंने जनता की शिकायतों को

* ओ मेल (सम्पादित) : "माडन इंडिया एंड दि वेस्ट, पृ-६५८-६९।"

† ए. आर. देसाई : "सोशल बैकग्राउन्ड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म" पृ. २६०।

निर्भीक भाषा में व्यक्त किया और वे सरकारी कामों की तीक्ष्ण आलोचना करने से पीछे नहीं हटे। भारतीय प्रेसों ने अंग्रेजी और देशी भाषाओं, दोनों में राष्ट्रीयता के शिशु-पादप का सिंचन किया और एंग्लोइंडियन समाचार पत्रों का मुँह तोड़ उत्तर दिया।

भारतीय प्रेस के जन्मदाता राजा राम मोहन राय ने १८२१ में 'सम्वाद-कौमुदी' का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसका दृष्टिकोण प्रगतिशील एवं राष्ट्रवादी था। इसके एक ही वर्ष बाद फार्देन जी मुञ्जंबान ने उदार राष्ट्रीय पत्र बाम्बे समाचार निकालना शुरू किया। १८३१ में, भारतीय पुनर्जागरण के अप्रदूत राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्नकुमार टैगोर द्वारा सस्थापित 'बगदूत' का प्रकाशन शुरू हुआ। गुजराती 'रास्तगुफतार' की स्थापना १८५१ में हुई थी और कुछ काल तक उसका संपादन दादाभाई नौरोजी ने किया। १८५७ के विद्रोह के पश्चात् तो भारतीय समाचार पत्रों ने विद्युत्गति से उन्नति की। एंग्लो इंडियन 'टाइम्स ऑफ इंडिया' (१८६५) 'मद्रास मेल' (१८६८) 'स्टेट्समैन' (१८७५) और लाहौर के 'सिविल एंड मिलिटरी गजट' (१८७६) आदि पत्र शासक वर्ग के प्रवक्ता थे। इन पत्रों की चुनौती का उत्तर देने के लिए इसी युग में 'अमृत बाजार पत्रिका' (१८६८) 'ट्रिब्यून' (८७७) और 'पायनियर' (१८७९) का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। उन्होंने राष्ट्रीयता के आदर्श को ग्रहण किया।

भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में समाचार पत्र-पत्रिकाओं का काफी हाथ रहा है। उन्होंने जनता को जागरण का संदेश दिया है और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया है। राष्ट्रीय आंदोलन समाचार पत्र पत्रिकाओं का कितना ऋणी रहा है यह इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि "राजा राममोहन राय से लेकर, केशव चन्द्र सेन, गोखले, तिलक, फिरोजशाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, सी० वाई० चिंतामणि महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू तक सार्वजनिक नेताओं की एक विशिष्ट परम्परा रही है जिन्होंने अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए प्रेस का उपयोग किया है और अब भी कर रहे हैं।"*

इस समय देशी भाषाओं में जिस साहित्य का सृजन हुआ, उसने भी राष्ट्रीयता की वेगवती धारा को शक्ति प्रदान की। बंगाल में बकिमचंद्र जैसे साहित्यकारों ने राष्ट्रीयता की ज्वाला को प्रदीप्त रखा। उनका 'आनंदमठ' तो प्राधुनिक बंगीय राष्ट्रीयता का 'गीता' बन गया। उसने नवयुवकों को बहुत प्रभावित किया और "बंगाल में क्रान्तिकारी राष्ट्रीयवाद की पाठ्य पुस्तक का काम किया।"† 'वदेमातरम्' जो रवींद्र के 'जन गन गन' के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय गीत है, बकिम की रचना

* मार्सेटा बर्न्स : "दि इंडियन प्रेस" पृ. १६।

† जी. एन. सिंह. "लैंडमार्क्स इन इन्डियन नेशनल इंड कंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट" पृ. ११७।

है। बहुत से भारतीय यूरोपीय अधिभूत नील के बगीचों में काम करते थे। वहाँ उनको जिन भुसीबतों का सामना करना पड़ता था, 'नीलदर्पण' नामक एक बंगाली नाटक में उनका सफल चित्रण किया गया। इस नाटक को पढ़ कर देशभक्त भारतीयों की भावनाओं को उत्तेजना मिली। राष्ट्रवादी आदर्शों का प्रसार करने में, बंगाल में, प्रेस, थियेटर और गुप्त क्रांतिकारी समितियाँ विशेष रूप से सक्रिय थीं। गंगीबालडी और मैजिनी के जीवन चरित्रों का अनुवाद किया गया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के ध्येय को 'स्वप्न में हस्तगत भारत का इतिहास' (History of India gained in a Dream) जैसे शब्दों में घोषित किया गया।*

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद की वेगवती धारा को उस युग के सुधार-आंदोलनों ने अपूर्व बल प्रदान किया। शताब्दियों तक विदेशियों के पराधीनता पाश में फसे रहने के कारण हिंदू अपने सांस्कृतिक वैभव को भूल चुके थे। भारत में ब्रिटिश राज्य धार्मिक पुनर्जागरण की स्थापना के साथ साथ ईसाई धर्म का भी आगमन और राष्ट्रीयता हुआ और वह हिंदू धर्म के अस्तित्व तक को चुनौती देता प्रतीत होने लगा। यह स्पष्ट था कि उम समय हिंदू धर्म शून्य होने विनाश की ओर बढ़ रहा था और उसकी रक्षा तभी हो सकती थी जब कि वह अपनी सामाजिक कुरीतियों को दूर कर देता। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पश्चिमी ज्ञान के आलोक से आखे खुलने पर तथा पराधीनता की पीड़ा अनुभव करने पर दूरदर्शी भारतीयों ने अपने देश की दुरवस्था देखी। उन्हें उसमें सजोधन की आवश्यकता जान पड़ी। इसी के परिणाम आधुनिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे। इन धार्मिक सुधार आंदोलनों ने देश में जिस पुनर्जागरण का सृजन किया वह भारत की विकासोन्मुख राष्ट्रीयता का एक अविभाज्य अंग तथा उसके लिये अपार शक्ति का स्रोत बन गया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इन धर्म-सुधार आंदोलनों का विशेष महत्व है। भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के उद्भव में इन सुधार-आंदोलनों का निर्णायक हाथ रहा है। नीचे हम सर्वाधिक महत्व पूर्ण सुधार-आंदोलनों तथा भारतीय जनता के राष्ट्रीय जागरण पर पड़ा उनके प्रभाव का विवेचन करेंगे।

ब्रह्मसमाज के प्रवर्तक राजा राममोहन राय (१७७२—१८३३) गत शताब्दी के अप्रगण्य सुधारकों में से थे। डा. पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में "उनका दर्शन बड़ा विस्तृत और दृष्टि-विदु व्यापक था"। † उन्होंने

* हस्त कोहन : "द हिस्ट्री आफ नेशनलिज्म इन दी ईस्ट" पृ ३६०

† डा. पट्टाभि सीतारामय्या . "दि हिस्ट्री आफ दी कांग्रेस, पृ. १७"।

ब्रह्मसमाज और २० अगस्त १८२८ को ब्रह्मसमाज की स्थापना की।
राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित थे :—(१) ईश्वर एक है। वह ससार का स्रष्टा, पालक और रक्षक है। उसकी शक्ति, प्रज्ञा, प्रेम, न्याय और पवित्रता अपरिमित है। (२) जीवात्मा अमर है। उसमें असीम उन्नति करने की क्षमता है और वह अपने कर्मों के लिए भगवान के सामने उत्तरदायी है। (३) आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना, भगवान का आश्रय और उसके अस्तित्वकी अनुभूति आवश्यक है। (४) किसी भी बनाई हुई वस्तु को ईश्वर समझ कर नहीं पूजना चाहिए, न किसी पुस्तक या पुरुष को निश्चित अथवा मोक्ष का एकमात्र साधन मानना चाहिए।

राजा राममोहन राय के प्रभावशाली नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने चतुर्मुखी उन्नति की। उनकी मृत्यु के पश्चात् महर्षि देवेन्द्रनाथ और केशव चंद्रसेन ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों के दृष्टिकोण में अंतर था, फलतः ब्रह्मसमाज के दो भेद हो गए—आदिसमाज और साधारण समाज। आदि समाज के नेता महर्षि देवेन्द्रनाथ थे। इसकी विचार धारा कुछ सकुचित और पुराण-पथी थी। साधारण समाज अधिक आधुनिक और सुधारवादी था।

ब्रह्मसमाज ने हिंदू धर्म की सराहनीय सेवाएं की। उसने हिंदूधर्म की मौलिक पवित्रता व श्रद्धा का उद्घाटन किया, अधविश्वासो और बहुदेववाद की निंदा की तथा बाल-विवाह, सती-प्रथा और विधवाओं की दुर्दशा जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में हाथबटाया।

उन्नीसवीं शताब्दी का दूसरा महत्वपूर्ण सुधार-आंदोलन आर्यसमाज था। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद का जन्म काठियावाड़ के एक छोटे से गाँव में १८२४ में हुआ था। वे २१ वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की भाँति घर छोड़ कर निकल गए और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पिपासा की शांति के लिए बन-बन स्राक छानी। १८६० में दयानंद जी को मथुरा में स्वामी विरजानंद के दर्शन हुए। विरजानंद जी ने उन्हें वेदों का सम्यक् अध्ययन कराया और प्रेरणा दी कि वे ससार में वैदिक धर्म का प्रचार करें। गुरु से विदा लेकर दयानंद जी ने भारत का भ्रमण किया और जनता को वैदिक धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने १८७५ में बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की।

आर्यसमाज हिंदू धर्म के अतीत गौरव की पुनःस्थापना के लिये प्रयत्नशील आंदोलन था। उसका मूल सिद्धांत था "वेद सब सत्यविद्याओं की पुस्तक हैं। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब धर्मों का परम धर्म है"। आर्यसमाज और

ब्रह्मसमाज के धार्मिक पहलुओं में अंतर है। आर्यसमाज में समन्वय की उस भावना का जो ब्रह्मसमाज की एक प्रमुख विशेषता थी, अभाव था।

स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात् सर्वश्री लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी, लाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा हंसराज आदि महानुभावों ने आर्यसमाज के आंदोलन को शक्तिशाली बनाया। शिक्षा के प्रश्न पर आर्यसमाज में कालिज तथा गुरुकुल नामक दो दल हो गये। कालिज दल ने डी. ए. वी. कालिज की स्थापना करके शिक्षा का प्रसार तथा वैदिक सिद्धांतों का प्रचार किया। गुरुकुल दल के नेता स्वामी श्रद्धानंद ने १९०२ में हरिद्वार के पास गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। आर्यसमाज ने शिक्षा, हिन्दी-प्रचार, दलितोद्धार, जातिभेद के उच्छेदन, लोक-सेवा तथा राष्ट्रीय जागृति के कार्यों में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लिया।

आर्यसमाज के दो परस्पर विरोधी पहलू रहे हैं—एक प्रगतिशील। वेदों की निर्भ्रांतता पर अत्यधिक बल, व्यक्तिगत निर्णय की उपेक्षा, अन्ध धर्मों के प्रति निषेधात्मक तथा कतिपय अर्थों में प्रतिकूल दृष्टिकोण ने उसको सार्व-जनीन अथवा सच्चा राष्ट्रीय धर्म नहीं बनने दिया। लेकिन दूसरी ओर जहाँ आर्यसमाज ने ब्राह्मणों की प्रभुता, भूतिपूजा और बहुदेववाद विषयक अंधविश्वासों का विरोध किया है, नारी जाति के अस्मित्युत्थान और शिक्षा-प्रसार के लिए प्रयास किया है, वह एक प्रगतिशील आंदोलन रहा है। आर्यसमाज राष्ट्रीय जागरण का वैतालिक था। एक समय राजनीतिक दृष्टि से आर्यसमाज सरकार की दृष्टि में क्रांतिकारी आंदोलन था और उसके दमन का प्रभूत प्रयास किया गया। सर वैंलेन्टाइन चिरोल ने उसे भारत में ब्रिटिश प्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया था।*

श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म १८३४ में हुगली परगने के एक अकिंचन ब्राह्मण कुल में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनका धर्मप्रेम असाधारण था। उनका विश्वास था कि परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कठोर साधना की और भक्ति का जीवन जिताया। श्री रामकृष्ण का विचार था कि सब धर्म सच्चे हैं और वे ईश्वर तक पहुँचाने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं।

रामकृष्ण मिशन
और
विवेकानन्द

श्री रामकृष्ण के शिष्यों में नरेन्द्रनाथ (स्वामी विवेकानंद) बहुत प्रसिद्ध हैं। गुरु की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और वे ६ वर्ष तक तिब्बत में बौद्ध धर्म के अध्ययनार्थ भ्रमण करते रहे। १८९३ के सितम्बर मास में शिकागो के धर्म-सम्मेलन में सम्मिलित होकर उन्होंने अपना वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक भाषण दिया जिससे

* हंस कोहन : '५ सिद्धी आरु नेरानसिम्म इन दि ईस्ट' पृ. ९८।

अमरीका को भारत के धार्मिक महत्व का पहली बार पूरा ज्ञान हुआ। अमरीका और इंग्लैंड में हिंदू धर्म का प्रचार करने के बाद वे भारत वापिस लौटे। विवेकानंद ने अपने गुरुदेव की शिक्षा के प्रचार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।

विवेकानंद महान् धार्मिक नेता ही नहीं थे, वे महान् राष्ट्र-निर्माता भी थे।¹ यद्यपि उन्होंने राजनीति में पदार्पण नहीं किया, परन्तु उनकी रचनाओं में उत्कट देशभक्ति का स्वर सुनाई पड़ता है। वे पश्चिम के स्वतंत्र्य और जनतंत्र के साथ पूर्व के अध्यात्मवाद का संयोग करना चाहते थे।²

भारत के धार्मिक तथा राजनीतिक नवजागरण को थियोसोफी से, जो कि एक विश्व-आन्दोलन था, विपुल सहायता मिली। थियोसोफी की स्थापना मैडम ब्लैवेट्स्की तथा कर्नल अल्काट ने १८७५ ई में अमरीका में की थी।

वे १८७९ में भारत आये और उन्होंने मद्रास के निकट **थियोसोफी** अड्यार में अपना केन्द्र बनाया। भारत में इस आन्दोलन को व्यापक बनाने का श्रेय श्रीमती एनीबीमेट को है।

थियोसोफी आन्दोलन ने हिंदू धर्म की प्राचीन रूढ़ियों और विश्वासों का प्रबल समर्थन किया। इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय आदर्शों और परम्पराओं को पुनरुज्जीवित करना था। श्रीमती बीसेट के प्रयत्न से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनारस में 'हिन्दू सेट्रल स्कूल' की स्थापना हुई जिसने आगे चल कर हिन्दू विश्वविद्यालय का रूप धारण किया। थियोसोफी आन्दोलन ने हिंदू धर्म की बड़ी सेवाएँ की हैं। उसने सब धर्मों में सद्भाव बढ़ाने के लिए सहिष्णुता का प्रचार किया और हमें अपनी सभ्यता पर गर्व करना सिखाया।

भारतीय नवजागरण के प्रभाव से मुसलमान भी अछूते नहीं बचे और उनमें भी सुधार की भावना जागृत हुई। सैयद अहमद बरेलवी ने अरब के वहाबी आन्दोलन का सन्देश भारत में प्रसारित किया। उन्होंने ईश्वर की एकता पर पुनर्बार बल दिया और कहा कि कुरान की **मुसलमानों के** व्याख्या करने का सबको अधिकार है। वहाबी आन्दोलन **धार्मिक आन्दोलन** की भावना अत्यंत कट्टर और प्रतिक्रियावादी थी।

मुस्लिम समाज-सुधारकों में सर सैयद अहमदखॉ का नाम शीर्ष स्थानीय है। उन्होंने 'अलीगढ़ आन्दोलन' चलाया और मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा व सस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश दिया। वे पर्दा-प्रथा के विरोधी और स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने १८७५ में मुहम्मदन एग्लो-ओरिएण्टल कालिज की नींव डाली जिसने बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय का रूप धारण किया।

उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आन्दोलनों ने राष्ट्रीय जागृति के कार्य में अपूर्व योग दिया। विदेशी शासन में भारत तीव्र गति से सांस्कृतिक अघ-पतन की ओर बढ़ रहा था। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार-आन्दोलनों ने इस पतनोन्मुख प्रवृत्ति को रोका। सदियों से परतंत्रता की चक्की में पिसते-पिसते भारतवासियों में जो मानसिक और आध्यात्मिक दुर्बलता आ गई थी, सुधार-आन्दोलनों ने उन्हें इस दुर्बलता से उबारा।

सुधार-आन्दोलनों ने भारत की कूरीतियों को दूर किया। जनता के अघ-विश्वासों को तोड़ा और उसमें जाच-पड़ताल करने की भावना भर दी। इन आन्दोलनों ने हमें बताया कि हमारे धर्म में कौन सी बातें अच्छी हैं, जिन्हें हम स्वीकार करें और कौन सी बातें बुरी हैं, जिन्हें हम त्यागें। यह धार्मिक सुधार आन्दोलनों का ही फल था कि भारत अघ-विश्वासों के घने कुहरे में बहुत कुछ बाहर निकला और उसने प्रत्येक वस्तु को तर्क, विज्ञान और बिबेक के प्रकाश में देखना प्रारम्भ किया।

प्रायः ममस्त धर्म-सुधार-आन्दोलनों ने भारत के अतीत वैभव का चित्र उपस्थित किया। भारतीय जनता ने जब इस चित्र से अपनी वर्तमान स्थिति का मिलान किया तो उसे अपार वेदना हुई। कहाँ तो भूतकाल का जगद्गुरु भारतवर्ष और कहाँ वर्तमान काल का पराधीन, निर्धन और अशिक्षित भारतवर्ष। स्वभावतः धार्मिक आन्दोलनों ने भारतीय जनता के अन्तस्तल में अपनी वर्तमान दुरवस्था से छुटकारा पाने की अदम्य लालसा उत्पन्न कर दी। इस प्रकार धर्म-सुधार-आन्दोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना को धार्मिक क्षेत्र में व्यक्त किया।

यह स्मर्तव्य है कि राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द प्रभृति सुधारक उच्चकोटि के राष्ट्रवादी थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को देशभक्ति का पुनीत पाठ पढ़ावा। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा गया है। यद्यपि वे ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे, फिर भी वे उन अन्यायों से अवगत थे जिनसे भारतवर्ष पीड़ित था। दयानन्द जी का तो राष्ट्रप्रेम असन्दिग्ध है। उन्होंने अपने सर्व श्रेष्ठ ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' में लिखा है "कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मतमत्तान्तर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपातशून्य प्रजा पर माता-पिता के समान छुपा न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।" स्वामी विवेकानन्द का हृदय जहाँ वेदान्त की शिक्षाओं से आप्लावित था वहाँ उनके हृदय में देशभक्ति की उत्ताल तरंगों भी हिलोरे लेती रहती थी। नवयुवकों के लिए उनका संदेश था, "मेरे तरण मित्रो! बलवान् बनो! तुम्हारे लिए मेरी यही सलाह है। तुम

भगवद्गीता के स्वाध्याय की अपेक्षा फुटबाल खेलकर कहीं अधिक सुगमता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। जब तुम्हारी रंगें और पट्टे अधिक दृढ़ होंगे, तो तुम भगवद्गीता के उपदेशों पर अधिक अच्छी तरह चल सकोगे। गीता का उपदेश कायरों को नहीं प्रत्युत अर्जुन को दिया गया था, जो बड़ा शूरवीर, पराक्रमी और क्षत्रिय-शिरोमणि था।”

शुरू में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी केवल मात्र वारिण्य सस्था ही थी; विदेशों के कुछ सामान लाती और उसे भारत के वस्त्र, दस्तकारियों तथा अन्यान्य विलास की चीजों से बदल लेती, तब भारतीय उद्योगों को बड़ा **आर्थिक कारण** बल मिला और कारीगरी की चीजों में भारत निर्यात वारिण्य बहुत बढ़ गया। लेकिन उस समय हालत बिल्कुल बदल गई जब कि इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप शिल्पकारों का एक नया वर्ग तय्यार हो गया। इंग्लैण्ड में, सारी राजनीतिक शक्ति का आ जाना भारत की कलाओं और दस्तकारियों के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। गाडगिल के शब्दों में इस आर्थिक सक्रमण में, सभवतः एकमात्र नाटकीय घटना (भारत में) पुरानी दस्तकारियों का पतन है। वास्तव में इन दस्तकारियों का आमूल विनाश आकस्मिक ढंग से हो गया।* भारतवर्ष से जिन बस्तियों का इंग्लैण्ड में आयात होता था, उन पर भारी कर लगा दिए गए। जिससे यहाँ का निर्यात व्यापार नष्टप्राय हो गया। इसी समय भारत के कर्मियों को निर्दय दमन का सामना करना पडा। सरकार ने, भारत में स्वतंत्र वारिण्य की भी छूट दे दी परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन के यत्र उद्योगों से तय्यार की हुई सस्ती चीजों की प्रतियोगिता में भारतवर्ष के छोटे-मोटे उद्योग घन्धे बिल्कुल नहीं ठहर सके। रेल और सवाहनसाधनों की उन्नति ने विदेशियों को भारत के सम्पूर्ण बाजार का शोषण करने और दस्तकारियों के पतन में सहायता दी।

विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश सरकार की बराबर यह कोशिश रही कि भारत इंग्लैण्ड के उद्योगपतियों के हितार्थ कच्चे माल का पूरक और तय्यार माल का ग्राहक बना रहे। इसके लिए उसने यहाँ के उद्योग घन्धों के विरुद्ध विभेद की नीति अपनाई। इसी समय भारत में आधुनिक उद्योग-घन्धे विकसित होने लगे, लेकिन उनके संरक्षण का कोई उपाय नहीं किया गया चेष्टा यह की गई कि उनका उत्कर्ष न हो सके। लार्ड लिटन के प्रतिगामी शासन-काल में कपास से ही आयात कर

* डी.आर. गाडगिल: "दि इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम्स, पृ. ६।

उठालेना इसका उदाहरण है। भारत की पुरानी दस्तकारियों पर ब्रिटिशराज का जो प्रभाव पड़ा, डा० पट्टाभि सीतारामय्या ने उसका सविस्तार वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है “पुरातन-कला कौशल, दस्तकारियाँ नष्ट कर दी गईं। खद्दर, जो ईस्ट इंडिया द्वारा जहाजों में भर भर कर बाहर भेजा जाता था, और जिसके बदले में गांव के जुलाहे, छीपी, धोबी और व्यापारी आदि को पर्याप्त धन मिलता था, लकाशायत के कपड़े के आयात के साथ समाप्त होने लगा। लकाशायर से आने वाले कपड़े का मूल्य १८०३ में तीन लाख था, १८२९ में उन्तीस लाख हुआ और १९२९ में बढ़ते बढ़ते बहत्तर करोड़ तक जा पहुँचा।” * जब भारत में बाहर से यत्र निर्मित सस्ता सामान आने लगा, सहस्रो कर्मियों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा। “बीस लाख जुलाहे अपने कटुम्ब के लोगो को मिलाकर जिनकी सख्या एक करोड़ तक पहुँचती थी जीविका से वंचित हो गए। इसके साथ ही साथ तीन करोड़ सूत कातने वाले जिनकी वजह से बीस लाख करघे चलते थे, अपनी रोजी से हाथ धो बैठे। इस प्रकार चार करोड़ व्यक्तियों की रोजी जाती रही। अन्यान्य शिल्प जीवियों का भी यही हाल हुआ। नगरों में कूड़ा हटाने वाली गाड़ी के लिए मोटर टायरो के आयात ने बढ़ई की रोटी छीन ली। बमिघम और एन्टवर्प से आने वाले तार, बुन्टी, कब्जे, अर्गला, ताले और तालियों आदि के कारण लोहार की आय मारी गई। जूते भी बाहर से ही आने लगे, फलतः चमार की जीविका का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। रोगन और चीनी के सामान की वजह से कुम्हार अपनी जीविका खो बैठा।” † अग्रजों ने भारत की पुरानी दस्तकारियों का अंत करने के साथ ही साथ बहा के माल तय्यार करने के नए उद्योग-धन्धों को भी मसल डालने की कोशिश की। ‡

* पट्टाभि सीतारामय्या हिस्ट्री ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. पृ. ५।

† ‘उपर्युक्त पुस्तक’ पृ. ५-६।

‡ ब्रिटेन ने भारतवर्ष के साथ कपास-बस्तियों का जो वार्णज्य किया, उसके इतिहास को ‘इंग्लैंड की ओर से भारतवर्ष के प्रति किए गए अन्याय का एक ज्वलत उदाहरण’ बताते हुए हारोस बिन्सन ने लिखा है. ‘यदि इस प्रकार के निषेध कर और व्यवधान न लगे होते, तो मैनेस्टर और पैन्से के कारखाने शुरू में ही बन्द हो जाते और फिर वाष्प की शक्ति से भी उन्हें चालित करना कठिन हो जाता। भारतीय शिल्प के बलिदान के बल पर उनका निर्माण हुआ। यदि भारत स्वतंत्र होता, तो वह प्रतिकार करता। उसे आत्म रक्षा के इस साधन से वंचित रक्खा गया। वह विदेशियों की दया का मुखापेक्षी रहा। बिना किसी प्रकार का कर चुकाए विदेशी माल का यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक आयात किया गया। विदेशी व्यापारी ने अपने इस प्रतिपक्षी को पछाड़ने और बाद में उसका गला-बोट देने के लिए राजनीतिक अन्याय का आश्रय लिया जिसके सम्मुख बराबरी की मर्यादा पर वह बिल्कुल नहीं ठहर सकता था।’ जे. एस. मिल द्वारा उद्धृत: ‘प्रिसेडेंटिव गवर्नमेंट’, पृ. ३८५।

भारतीय कर्मियों की विपुल बेकारी और शिल्पकलाओं के हास के कारण नगरो की जन सख्या कम हो गई, लोग शहरो को छोड़ छोड़ कर गाँवो मे जा बसे और जीविकोपार्जन के लिए उन्होने कृषि की शरण ली।

कृषि पर प्रभाव ज़मीन पर बढ़ते हुए दबाव, अंग्रेजो की भूमि सम्बन्धी नीति, ज़मींदारी प्रथा, और भारतीय कृषि की परम्परागत दुर्बलताओ मे खेती को बडा धक्का पहुँचा। फलतः चारो ओर दरिद्रता प्रसरित हो गई और लोगो के रहन सहन का स्तर नीचे गिर गया। इपने स्वाभाविक रूप से असन्तोष को जन्म दिया। यह स्पष्ट रूप मे दिखने लगा कि भारत की दुर्दान्त आर्थिक समस्या, गरीबी को उस काल पर्यत नही सुलझाया जा सकता, जब तक कि भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति नही पा लेता।

तिर्थनता और असंतोष जनता की बढ़ती हुई गरीबी के कारण जो बेचैनी फैल रही थी उसको भारत के उदीयमान ओर जुआजी (Bourgeoisie) और मध्यवर्गीय शिक्षित जनो के असंतोष से भी बल मिला। भारतीय व्यापारी यह अच्छी तरह व्यापारियो और शिक्षित समझ गये कि देश की औद्योगिक उन्नति मे ब्रिटिश राज भारतीयों में असन्तोष बहुत बडी बाधा है। ऊची सरकारी नौकरियों के दरवाजे अपने लिए बंद देख कर शिक्षित भारतीयो की भी क्रोधामित भडक उठी। विद्रोह के पश्चात् महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणापत्र में जो आशाएँ दिलाई थी उनको निर्मूल होना देख कर उन्हें और भी परेशानी हुई। वस्तुतः प्राई० सी० एम० १ परीक्षा मे बैठने की अवस्था मे कमी कर देने का आशय यही था कि भारतीय सामान सम्बन्धी किनी भी महत्वपूर्ण पद को न पा सकें। ऐसे कृत्यों का किस प्रकार देशव्यापी विरोध हुआ, इसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। यह स्मरणगौर है कि शिक्षित मध्य-वर्ग का असन्तोष जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की गेद को हिलने डुलने रक्खा, कुछ तो आर्थिक था और कुछ राजनीतिक। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय व्यवसायियो ने भी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-सघर्ष मे सहयोग दिया। अधिकतर उन्होने पदों के पीछे से काम किया, परन्तु उनका प्रभाव बहुत था। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी "चीजो का बहिष्कार करो" नारे मे उनका बहुत बडा हाथ रहा। दूसरे शब्दो मे यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापारी वर्ग के आर्थिक स्वार्थ निहित थे।

भारतवर्ष के प्रशासनिक एकीकरण, आवागमन के आधुनिक साधनो की उन्नति और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रसार ने राष्ट्रीय चेतना और एकता के लिये सहायक

वातावरण तय्यार कर दिया। भारतीय जनता की बढ़ती हुई गरीबी ने असतोष में वृद्धि की और इस तरह राजनीतिक एकीकरण राष्ट्रीयता की ज्वाला को भड़का दिया।* परन्तु भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवाह को सबसे अधिक शक्ति राजनीतिक कारणों से ही प्राप्त हुई।

इन सब राजनीतिक कारणों में सबसे अधिक शक्तिशाली "जातीय द्वेष" था। कोई भी पराधीन जाति विदेशी प्रभुता को सदैव सहन नहीं कर सकती। कभी न कभी, जल्दी अथवा देर में उसके प्रति असतोष उत्पन्न हो ही जाता है। भारतवर्ष में विदेशी शासन ने अत्यन्त उद्धत भाव में आचरण किया, अतः उसके प्रति असतोष की भावना शीघ्र ही जाग्रत होगई। अंग्रेज भारतीयों को अपने से हीन नस्ल का, 'आधे बनमानुष और आधे हब्शी' समझकर घृणा की दृष्टि में देखते थे। इस प्रकार के दृष्टिकोण से भारतीयों के बीच अनिवार्य रूप से ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का विस्तार हुआ। दमनी वजह से भारतीयों और उनके राने शासकों के बीच बहुत चौड़ी खाई उत्पन्न हो गई। चूंकि सभी उच्च सरकारी नौकरियों पर यूरोपीयों की ही नियुक्ति होती थी, उसने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं में और भी वृद्धि हुई। इस जातीय भेदभाव और भारतीय प्रतिभा के निरस्कार का शिक्षित भारतीयों ने प्रचंड रूप में विरोध किया। गैंगे ने ठीक ही कहा है कि भारतीय राष्ट्रीयता के उदय में जातीय भेदभाव एक प्रधान कारण था।

अंग्रेजों ने जिन अविद्याम और दमन की नीति पर आचरण किया, उसके कारण असतोष और प्रचंड हो उठा। लार्ड लिटन के भ्रातृसमय शासनकाल में जो प्रतिक्रियावादी काम किये गए, उन्होंने असतोष के ज्वालामुखी को उस स्थिति तक पहुँचा दिया कि बम उमके फटने की ही देर रह गई थी। मूर्खतापूर्ण अफगान युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा। जबकि देश भयंकर दुर्भिक्ष के पत्रों में जकड़ा हुआ था, जनता की कठिनाइयों की संस्था उपेक्षा कर लार्ड लिटन ने शानदार दिल्ली दरबार का आयोजन किया। उसने निरपराध भारतीयों के लिये हथियार रखना अवैध कर दिया जब कि यूरोपीयों के ऊपर ऐसा कोई अकुश नहीं लगाया। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाकर उसने आलोचना के स्वर को बंद करने की चेष्टा की। इन सब कामों की वजह से 'जनता के असतोष का पुञ्जीभूत ज्वाल

* ह्यूक आर्गुअर्गल ने जा लार्ड नार्थब्रुक के शासन-काल में भारत के राजसंज्ञी भी थे, भारत की दरिद्रता का निम्न शब्दों में बखूब किया है - 'आमीण भारतवर्ष की विराल जनसंख्या में जिस दयनीय दरिद्रता और जीवन निर्वाह के निम्न स्तर के दर्शन होते हैं, पाश्चात्य सप्तर में उसका उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा'।

बढ़ता ही चला गया।* सर विलियम वैडरबर्न के शब्दों में 'रूसी पुलिस के दमन की विधियों से संयुक्त इन सभी प्रतिगामी कामों के कारण लार्ड लिटन के शासनकाल में भारत क्रांतिकारी विस्फोट के अतीव समीप पहुँच गया था। मिस्टर ह्यूम का थोड़ा भी बिलम्ब अत्यंत घातक सिद्ध होता। लार्ड रिपन ने बिगड़ी हुई स्थिति को सम्हालने का भरसक प्रयास किया, परन्तु इल्बर्ट बिल को लेकर यूरोपीयों ने विरोध का जो तूफान खड़ा कर दिया, उससे सब किया कराया मिट्टी में मिल गया। जब भारतीयों को यह समझते देर न लगी कि यदि वे विदेशी शासन से टक्कर लेना चाहते हैं, उसके दमन और शोषण से छुटकारा पाने के आकांक्षी हैं, तो उन्हें सगठन के सूत्र में बंध जाना पड़ेगा। यह स्मरणीय है कि राष्ट्रीय महासभा का जन्म इल्बर्ट बिल सबंधी बाद विवाद समाप्त होने के पूर्व ही होगया था।

७. भारतीय राष्ट्रीयता, ब्रिटिश शासन की देन।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों का उक्त विश्लेषण यह सुस्पष्ट कर देता है कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश शासन की स्वाभाविक यद्यपि अयाचित परिणाम थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दो
 ब्रिटिश शासन के परिणाम थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दो
 द्विविध रूप परस्पर विरोधी पहलू थे। उसे कुछ अंशों में तो क्रांतिकारी
 क्रांतिकारी और प्रतिगामी और कुछ अंशों में घोर प्रतिगामी कहा जा सकता है।
 स्वतंत्रता और न्यायप्राप्ति के लिए जो राष्ट्रीय संघर्ष खेड़ा
 गया उसके उदय और विकास में ब्रिटिश शासन का भी
 निर्विवाद श्रेय रहा है। हम यह लिख चुके हैं कि भारत के इतिहास में प्रथम बार
 अंग्रेजों में ही उसे राजनीतिक एकता प्रदान की। इसके अभाव में राजनीतिक
 घेतना असंभव हो जाती। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का सूत्रपात करके, अंग्रेजों ने भारतीय
 राष्ट्रीयता की शक्ति-सामर्थ्य में वृद्धि की। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत के बुद्धिजीवी वर्ग
 को पश्चिम की ओर उन्मुख कर दिया, जहाँ से शिक्षित भारतीयों ने व्यक्तिगत
 स्वाधीनता और राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के क्रांतिकारी सिद्धांत सीखे और अपने संघर्ष में
 उन्हें हस्तगत करने के लिए महती प्रेरणा भी प्राप्त की। यह सच है कि अंग्रेजों ने
 जानबूझ कर भारतीय राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन नहीं दिया। देश का राजनीतिक
 एकीकरण और पश्चात्य शिक्षा पद्धति का सूत्रपात करने में उनका ध्येय यही था कि
 वहाँ वे अपने साम्राज्य की जड़ों को सुदृढ़ कर सकें; परन्तु इन सब कामों का परिणाम
 उनकी भाशाओं से भिन्न हुआ।

* ए. आर. देसाई: 'सोशल बैंक आउंड आरु इंडियन नेशनलिज्म' पृ. २-६।

यदि ब्रिटिश शासन के प्रगतिशील पहलू ने भारतवर्ष में राष्ट्रीय भावना के उद्भव के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया तो उसके प्रतिगामी पहलू ने भारतीय राष्ट्रीयता को उग्रता प्रदान की। यदि वास्तव में ब्रिटिश शासन उदार और व्युत्पन्न राज्य-क्रम (Enlightened despotism) रहा होता, तो वह असतोष ही उत्पन्न नहीं होता जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की इच्छा को जन्म दिया। यह तो सर्व-विदित है ही कि प्रारम्भ में राष्ट्रीय महासभा राजभक्त भारतीयों और अ-भारतीयों की सस्था थी जिनकी मांगे बहुत नरम थी। यदि अंग्रेजों ने तनिक बुद्धि चातुर्य और दूरदर्शिता से काम लिया होता, तो वे भारतवर्ष पर और अधिक समय तक शासन कर सकते थे और इसमें उन्हें जनता की सहमति भी मिल जाती। परन्तु उनके पास इन दोनों ही वस्तुओं का अभाव था। साम्राज्यवाद की तो कुछ प्रकृति ही ऐसी है कि वह न तो उदार ही होता है और न व्युत्पन्न ही। भारतीय परम्परा से ही सरल और शांत स्वभाव के रहे हैं। पर अपने जातीय दर्प के कारण अंग्रेज उनके घृणाभाजन बन गये। अंग्रेजों के अधाधुध आर्थिक शोषण ने भारतीय मस्तिष्क को असन्तुष्ट और अशांत कर दिया। भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवाह के आदि कारण अंग्रेज स्वयं ही थे, उन्होंने उसे नियंत्रित करने के लिए दमन के साधनों का प्रयोग किया। परन्तु राष्ट्रीयता का यह अजस्र प्रवाह उनके रोके नहीं रुका। भारतीय राष्ट्रवादी विदेशी शासन का समूल उच्छेदन करने के लिए बद्ध परिकर हो गये।

८. राष्ट्रीय महासभा का जन्म ।

हम देख चुके हैं कि, राष्ट्रीय महासभा (इंडियन नेशनल कांग्रेस- जिसे सुविधा के विचार से कांग्रेस ही कहेंगे) आर्थिक और राजनीतिक कारणों के संयोग और 'राजनीतिक दासत्व की अनुभूति' का परिणाम थी।

“साथ ही वह राष्ट्रीय पुनस्तथान का प्रतिपादन करने वाली सस्था भी थी।”* इसकी स्थापना का विचार एलेस एलेन आँक्टेवियन ह्यूम
एलेन आँक्टेवियन ह्यूम
आँक्टेवियन ह्यूम के मस्तिष्क में आया, जो एक अवकाश प्राप्त सिविलियन थे। वैसे इसके लिए भूमि पहले से ही तैयार की जा चुकी थी। देश के विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय सगठनों की नींव पड़ चुकी थी। ये संगठन राजनीतिक रूप से सक्रिय भी थे। सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी को राष्ट्रीय सम्मेलन (Indian National Conference) की स्थापना करने में सफलता मिल चुकी थी। परन्तु कांग्रेस ने इन सब सहायक नदियों को अपने में मिलाकर शीघ्र ही एक महान तरंगिणी का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार की एक सस्था का विचार वायु मंडल में व्याप्त

* पट्टाभि सीतारामप्पा : 'दी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस' पृ. १७ ।

था, कांग्रेस ने एक अखिल भारतीय सस्था की उस आवश्यकता को पूर्ण किया जिसका अनुभव सभी देशभक्तों को हो रहा था।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की स्थापना का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति के मस्तिष्क में उदित हुआ। सामान्यतः ह्यूम को ही इस सस्था का जन्मदाता समझा जाता है। देश के अन्दर बढ़ते हुए असन्तोष के स्तरों को पहचान कर तथा यह सोचकर कि यह असन्तोष कहीं क्रान्ति का रूप धारण न करले उन्होंने १ मार्च १८८३ ई० को कलकत्ता विश्व विद्यालय के ग्रजुएटों के नाम एक पत्र लिखा, जो अत्यंत हृदयस्पर्शी था। इसमें उन्होंने ५० ऐसे निस्वार्थ और निर्भय आदमियों की मांग की थी जो इस मित्रता पर कि "आत्म बलिदान और निस्वार्थता सुख और स्वातन्त्र्य के अचूक पथप्रदर्शक हैं" काम करने के लिए तय्यार हो। ह्यूम ने अपनी योजना के सम्बन्ध में नये वायसराय लार्ड डफरिन (Lord Dufferin) से वार्तालाप किया। लार्ड डफरिन ने उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और योजना के क्षेत्र को बड़ा दिया। उमेशचन्द्र बनर्जी के अनुसार ह्यूम के मस्तिष्क में सबसे पहले यह विचार आया था कि "भारत के प्रधान राजनीतिज्ञ साल में एक बार एकत्र होकर सामाजिक विषयों पर चर्चा कर लिया करें।" वह यह नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीति रहे क्योंकि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य भागों में राजनीतिक मडल थे ही। लार्ड डफरिन ने ह्यूम साहब के विचार को राजनीतिक दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस सस्था को "इंग्लैण्ड की तरह यहाँ सरकार के विरोध का काम करना चाहिए।"* उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि "यहाँ के राजनीतिज्ञ प्रतिवर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया करें कि शासन में क्या क्या त्रुटियाँ हैं और उस में क्या सुधार किए जायें।"† ह्यूम ने अपनी योजना में वायसराय के निर्देशों के अनुसार मुधार किया और वे इंग्लैण्ड पहुँचे। इंग्लैण्ड में उन्होंने वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों, लार्ड रिपन, डलहौजी, जॉन ब्राइट और मि० स्लेग, आदि से विचार विनिमय किया। भारत लौटने से पूर्व उन्होंने इंडियन पार्लामेन्टरी कमेटी का मगठन किया जिसका उद्देश्य पार्लामेंट के सदस्यों से यह प्रतिज्ञा करवाना था कि वे भारत के मामलों में दिलचस्पी लेंगे।

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सबब में यह निश्चित किया गया था कि वह पूना में, २५ से २८ दिसंबर, (१८८५) तक होगा। लेकिन पूना में हैजा शुरू हो जाने

* डॉ० सी. वेनर्जी: इंडोइन्डियन डू इंडियन पालिटिक्स.

† 'वही'

के कारण उक्त निश्चय में परिवर्तन करना पडा। यह ठीक समझा गया कि काँग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हो। २८ दिसम्बर १८८५ को दिन के १२ बजे गोकुलदास तेजपाल सस्कृत कॉलेज के भवन में काँग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। इस प्रकार काँग्रेस का जन्म हुआ जिसे 'देशी पार्लमेंट का प्रॉक्यूर' समझा गया। काँग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रमुख प्रतिनिधि, वायसराय, की स्वीकृति और आशीर्वाद से हुई थी। निर्णय यह हुआ था कि सरकारी अफसर इसके कार्य-क्रम में भाग नहीं लेगे, परन्तु यदि वे चाहें तो निरीक्षकों के तौर पर उसके अधिवेशन में उपस्थित हो सकते हैं। कूपलंड ने लिखा है 'भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने को आशीर्वाद दिया'।* काँग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के शत्रु के रूप में नहीं, अपितु मित्र के रूप में हुआ था। यह तो बाद के कटु अनुभवों का प्रतिफल था कि राष्ट्रीय शक्तियों ने अहिंसात्मक आंदोलन का संगठन करके ब्रिटिश शासकों को भारत छोड़ने के लिये लाचार कर दिया।

६. क्या काँग्रेस का मन्तव्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था ?

श्री ए. ओ. ह्यूम तथा उनके सहयोगियों के काँग्रेस का संगठन करने में क्या वास्तविक उद्देश्य थे, इस सबंध में विद्वान् एकमत नहीं हैं। (शुरू में सख्या का नाम इंडियन नेशनल यूनियन निर्धारित किया गया था) सबसे अधिक लोकप्रिय मत लाला लाजपतराय का है, जिसका उन्होंने अपनी पुस्तक 'यंग इंडिया' (Young India) में उल्लेख किया है। उनके अनुसार 'काँग्रेस का सत्वर उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था'। सर विलियम वेडरबर्न (Sir William Wedderburn) का जो काँग्रेस के प्रारम्भिक नेताओं और ह्यूम के घनिष्ठतम सहयोगियों में से एक थे, भी यही मत था।

लाला लाजपत राय के उक्त मत की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि ह्यूम साहब को आशा थी कि काँग्रेस के द्वारा तत्कालीन असतोष का पता लगाया जा सकता है। यह असतोष उस समय दिन प्रतिदिन प्रचंड होता जा रहा था। ह्यूम को सभास्य खतरे का भान था। जिन कारणों का हम विश्लेषण कर चुके हैं, उनकी वजह से उस समय भारत द्वितीय क्रांति के मुख पर खड़ा प्रतीत होता था। लार्ड लिटन के दमनकारी शासन को

काँग्रेस: व्यापक असंतोष के लिए अभयदीय (Safety Valve)

* कूपलैंड: 'दी इंडियन प्रॉब्लेम' १८३३-१९३५, पृ. २३।

समाप्ति पर "भारत क्रांति के अतीव समीप पहुँच चुका था।" भारतीय जनता की दयनीय दरिद्रता और शिक्षित नवयुवकों का घोर असंतोष इस बात के स्पष्ट चिह्न थे कि क्रांति का ज्वालामुखी अब विस्फोट करने वाला था। दक्षिण के कृषक विद्रोह ने और बंगाल के उग्र क्रांतिकारियों की गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार को आगामी खतरे के प्रति सजग कर दिया। ह्यूम को विश्वसनीय सूत्रों से इस बात के कि "राजनीतिक अशांति अन्दर ही अन्दर बढ़ रही है" अकाट्य प्रमाण प्राप्त हो गए थे। इसलिए ह्यूम को ठीक मौके पर सूझी और उन्होंने इस काम में हाथ डाला। जनता के असंतोष रूपी क्रांति विस्फोट को रोकने के लिये एक अभय-दीप (Safety Valve) का निर्माण किया जो कि कांग्रेस थी। सर विलियम वेडर बर्न (Sir William Wedderburn) ने लिखा है कि मि० ह्यूम ने एक बार कहा था "भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय दीप की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभय दीप दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती।"*

यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने मि० ह्यूम और उन ब्रिटिश अधिकारियों की आशाओं को जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में योग दिया था पूर्ण किया। वह शिक्षित भारतीयों की बेचैनी का आकर्षण केन्द्र बन गई। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के मंच से इस बेचैनी और असंतोष को वैधानिक रूप में व्यक्त किया जाने लगा और इस प्रकार आतंकवाद की गति रुकी। "कांग्रेस राष्ट्रीय असंतोष को व्यक्त करने का शांतिमय साधन बन गई। उसकी १८८९ की रिपोर्ट में व्यक्त किये गए निम्न विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 'कांग्रेस आंदोलन की यह विशेष महत्ता है कि उसने भारत में फँसी हुई छोटी मोटी क्रांतिकारी संस्थाओं को दबा दिया और सारे राजनीतिक असंतोष मृदु उपायों द्वारा व्यक्त करने का साधन उपस्थित किया।'

कांग्रेस की स्थापना के मूल में ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षण की भावना भी विद्यमान थी; यह तथ्य सर्वथा अवहेलनीय नहीं है। इसमें सम्पूर्ण सत्य न हो, परंतु आंशिक सत्य अवश्य है। परंतु इस सिद्धांत में एक दुर्बलता है, जिसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यह राष्ट्रीय संगठन को मिथ्या ढग से प्रकट करता है। इससे यह धारणा उत्पन्न हो सकती है कि भारतीय राष्ट्रीयता की शक्तियों का धमन करने के लिये ही प्रतिक्रियावादियों द्वारा कांग्रेस की

कांग्रेस ने ह्यूम की आशाओं को पूर्ण किया

सिद्धान्त की दुर्बलता

स्थापना की गई थी। यह सत्य से कोसो दूर है। इसमें कोई सदेह नहीं कि कांग्रेस के संस्थापकों के हृदय में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा का भाव भी था, वे किसी हिंसात्मक आंदोलन द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के उच्छेदन को रोकना चाहते थे। परंतु किसी भी रूप में कांग्रेस का यह उद्देश्य कदापि नहीं था कि भारत की नव जागृत राष्ट्रियता को धक्का पहुँचे। इसका वास्तविक ध्येय यह था कि राष्ट्रीय आंदोलन का विकास वैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढङ्ग से हो। आतंकवाद और हिंसात्मक उपायों के अवलम्बन को निन्दनीय समझा गया था। हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पोषक और विश्वस्त अनुचर नहीं थे। ऐसा समझना न्याय से मुख मोडना होगा। वस्तुतः वे अत्यंत उच्चमन व्यक्ति थे। उदारवादी विचारधारा में उनकी दृढ़ आस्था थी। वे भारत में ब्रिटिश शासन को जनतांत्रिक रूप से काम करते हुए देखना चाहते थे। लाला लाजपतराय ने स्वयं लिखा है। 'वे स्वतंत्रता के पुजारी थे.....और इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि कोई भी शासन चाहे वह देशी हो अथवा विदेशी, बिना किसी दबाव के, जनता की मांगों को पूरा नहीं करता'।* कलकत्ता विश्वविद्यालय के ग्रेजुएटों के नाम लिखे गये अपने पत्र में उन्होंने 'देश हित के लिये कन्वे पर रक्बे हुए जुए को' उतारने का स्पष्ट आवाहन किया था।

यह साधारण सर्वथा आतिपूर्ण है कि कांग्रेस का जन्म ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए हुआ था और उसके मूल में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के स्वार्थ निहित थे। इसमें कोई सदेह नहीं कि ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके जन्म के अवसर पर प्रसन्नता प्रकट की थी, कांग्रेस का जन्म केवल कहना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना में उनका भी ब्रिटिश साम्राज्य के यत्किंचित हाथ था; परंतु उसके संबंध में अपना मत-रक्षणार्थ ही नहीं परिवर्तन करने में भी उन्हें देर न लगी। शीघ्र ही हुआ था उसके खतरे का उन्हें भान हो गया। वे तुरंत ही उसके विरोधी हो गए। उन्हीं लार्ड डफरिन ने, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था, अब उसे 'सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग' कह कर पुकारा। सर बैलेन्टाइन शारोल ने कांग्रेस के प्रति शासन की नूतन प्रतिक्रिया को इन शब्दों में संक्षिप्त रूप से व्यक्त किया 'कांग्रेस भारत की केवल घातांश जनसंख्या का ही प्रति-निधित्व करती है'। उन्होंने कांग्रेस को साम्प्रदायिक हिंदू नेताओं की प्रवक्ता बताया। वस्तुस्थिति यह है कि 'कांग्रेस शुद्ध राष्ट्रीय और स्वदेशी आंदोलन के रूप में अवतरित हुई। इस प्रकार की देशव्यापी संस्था के लिए भारत की प्रादेशिक राजनीतिक संस्थाओं ने पहले से ही भूमि तय्यार करली थी; किंतु इसे एक सार्वजनिक राष्ट्रीय

संस्था का रूप देने का श्रेय श्री सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी को है जिन्होंने १८८३ में इसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकट किया था। जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हो रहा था; राष्ट्रीय सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ते में हो रहा था'।* भारतवर्ष के महान् देशभक्त दादाभाई नौरोजी, उमेशचन्द्र बेनर्जी, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, दिन्ना वाचा, एव बदरुद्दीन तैय्यब जी प्रभृति जन प्रारम्भ में ही कांग्रेस में प्रविष्ट हो गए। इमने स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस साम्राज्यवाद की पृष्ठपोषक मात्र नहीं थी।

सारांश

मूलरूप से तो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक था, परन्तु उसकी जड़ें आर्थिक, सांस्कृतिक, जातीय और राजनीतिक आदि विभिन्न कारणों में निहित हैं। आवागमन के साधनों की उन्नति, भारत के राजनीतिक एकीकरण और सामान्य आधीनता की भावना ने जनता को राष्ट्रीयता के मूत्र में पिरो दिया। अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क से नवोदित भारतीय राष्ट्रीयता को अपूर्व बल प्राप्त हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीयों का प्रशस्य मानसिक विकास हुआ। उनके हृदयों में व्यक्तिगत स्वाधीनता और राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की उन्नति और प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यिक विकास ने राष्ट्रीय आन्दोलनों को नूतन शक्ति प्रदान की। उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलनों ने भी राष्ट्रीय आंदोलनों पर विस्मयकारी प्रभाव डाला। पुरातन शिल्पकलाओं के ह्रास, कृषि की अधोगति और जनता बढ़ती हुई दरिद्रता ने व्यापक असन्तोष को जन्म दिया था। जातीय विद्वेष की भावना और अविश्वास तथा दमन की नीति के कारण भारतीय ब्रिटिश शासन से बहुत रुष्ट हो गए। शिक्षित भारतीयों में अंग्रेजों की इस नीति से कि उन्होंने वायदे तो बहुत किये, पर उन पर आचरण नहीं किया, असन्तोष की प्रचंड लहर दौड़ गई। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने ही किया। भारत वर्ष के उदीयमान बोरजुआजी वर्ग ने (Bourgeoisie) राष्ट्रीय आंदोलन को हार्दिक सहयोग प्रदान किया क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगधन्धों की प्रगति में बाधाएं पहुंचाईं।

भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की उत्पत्ति थी। उसे क्रांतिकारी और प्रतिगामी, दोनों प्रकार की शक्तियों से बल प्राप्त हुआ।

* जी. एन. सिंह : 'लैंडमार्क्स इन इंडियन कांस्टीट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, पृ. १२२।

क्या कांग्रेस का मन्तव्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था ? ४९

कांग्रेस की स्थापना जो राष्ट्रीय आंदोलन का आकर्षण केन्द्र बन गई, १८८५ में हुई थी। इस सस्था की स्थापना का विचार एलेन आँक्टैवियन ह्यूम के मस्तिष्क में उदित हुआ था। ह्यूम एक अवकाश प्राप्त सिविलियन थे और उन्हें इस खतरे का भान हुआ कि भारतीय जनता का असन्तोष एक क्रान्तिकारी विस्फोट के अतीव समीप पहुँच गया है। वे ब्रिटिश साम्राज्य की इस प्रकार के विद्रोह से रक्षा करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आलम्बन यत्र समझना भूल है।

अध्याय ३

उदार राष्ट्रीयता—काँग्रेस का प्रारम्भिक स्वरूप

१०. काँग्रेस, 'देश में एक शक्ति'

वास्तव में काँग्रेस का इतिहास ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। वह सस्था जिसने बासठ वर्षों के अविराम और कठिन संघर्ष के उपरांत स्वतंत्रता प्राप्त की, प्रारम्भ में अत्यन्त नरम थी। इसके प्रथम अधिवेशन में जो १८८५ के अन्त में बम्बई में हुआ था, ७२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्होंने "अपने आपको प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया था।" परन्तु काँग्रेस की शक्ति प्रतिदिन बढ़ती ही गई। दूसरे अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या ४३६, तीसरे में ६०७ और चौथे में १२४८ तक जा पहुँची। "जिस प्रकार एक बड़ी नदी का मूल एक छोटे से सोते में होता है उसी प्रकार महान् सस्थाओं का प्रारम्भ भी बहुत मामूली होता है। जीवन की शुरुआत में वे बड़ी तेज़ी के साथ दौड़ती हैं, परन्तु ज्यो ज्यो व्यापक होती जाती हैं, त्यो त्यो उनकी गति मन्द किन्तु स्थिर होती जाती है। ज्यो ज्यो वे आगे बढ़ती हैं, त्यो त्यो उनमें सहायक नदियाँ मिलती जाती हैं और वे उसको अधिकाधिक सम्पन्न बनाती जाती हैं। यही उदाहरण हमारी काँग्रेस पर भी लागू होता है।" * अपने जन्म के कुछ ही वर्षों के भीतर काँग्रेस ने एक अखिल भारतीय सङ्गठन का रूप धारण कर लिया। प० मदन मोहन मालवीय के शब्दों में भारत ने 'अत में अपनी आवाज़ को इस महान् काँग्रेस में पाया'। सर हैनरी कॉटन ने, जिन्होंने काँग्रेस के जन्मकाल से ही उसके विकास का निरीक्षण किया था, उसको लक्ष्य करके कहा कि इसके नेता 'देश में एक शक्ति बन गये हैं जिनकी आवाज़ देश के एक कोने से दूसरे कोने तक निनादित होती है'।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को तीन विशिष्ट अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहली अवस्था १८८५ से १९०५ तक की है। २० वर्षों के

* 'पद्मिनी सीतारामबा : दी हिस्ट्री ऑफ़ काँग्रेस' पृ. २६।

इस काल में उदार अथवा नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता रही। यही इस काल की विशेषता है। इस युग में कांग्रेस किसी भी प्रकार एक क्रांतिकारी सस्था नहीं थी। इस काल में कांग्रेस ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी राजभक्ति की बातों को बार बार दुहराती रही और उसने आशा की थी कि अङ्गरेजों से यह प्रार्थना करने पर कि 'वे अपनी परम्पराओं और भावनाओं के प्रति सच्चे बनें' वह भारत की राजनीतिक प्रगति पाने में सफल होगी। कांग्रेस के इस काल की सबसे बड़ी सफलता १८९२ का इण्डियन काउन्सिल एक्ट है। दूसरा काल (१९०६-१९१८) उग्र राष्ट्रीयता की प्रधानता का युग है। इस काल में कांग्रेस की बागडोर उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में रही। उन्होंने देखा कि हाथ जोड़कर या प्रार्थनायें करके तो भारत के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती; ब्रिटिश सरकार वायदे तो बहुत करती है, लेकिन उनपर आचरण नहीं करती। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के राजनीतिक साध्यों की प्राप्ति के लिये कठोर और क्रांतिकारी उपायों का अवलम्बन ग्रहण करना पड़ेगा। १९०७ में कांग्रेस दो पक्षों में विभाजित हो गई और वे दोनों १९१५ तक अलग अलग काम करते रहे। १९१५ में उनमें पुनः एक्य स्थापित हो गया। इस काल में ब्रिटिश शासकों की प्रेरणा से मुस्लिम पृथक्त्व की भावना भी बहुत बढ़ गई। कांग्रेस-इतिहास का तीसरा युग, जिसे गांधी-युग के नाम से सम्बोधित किया जा सकता है, प्रथम विश्व महायुद्ध के अनन्तर प्रारम्भ होता है। यह युग उस समय से प्रारम्भ होता है जब कि दक्षिणी अफ्रीका से वापिस आने के पश्चात् महात्मा गांधी ने भारत की राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ किया। उनके गतिशील नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये सत्य और अहिंसा के शस्त्रों से संघर्ष किया। १९१८ में नरम दल के लोग कांग्रेस से बाहर निकल गये और उन्होंने 'आल इंडिया लिबरल फेडरेशन' का संज्ञान किया। इस युग में हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव की पराकाष्ठा होगई, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन किया और अंत में अश्रुतपूर्व एवं अदृष्टपूर्व रक्तपात, बलात्कार तथा बर्बरता के बीच भारत का विभाजन हुआ।

११. कांग्रेस का प्रारम्भिक स्वरूप और कार्यक्षेत्र

कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ही उसके सार्वजनिक स्वरूप को व्यक्त करता है। ए० ओ० ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न और सर हेनरी कॉटन जैसे कतिपय उदार अंग्रेजों के साथ ही साथ भारत की सभी जातियों के देशभक्त उसके सदस्य थे।

एक राष्ट्रीय संगठन

काँग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेशचन्द्र बेनर्जी भारतीय क्रिश्चियन थे, दूसरे दादाभाई नौरोजी पारसी थे, तीसरे बदरुद्दीन तय्यब जी मुसलमान थे और चौथे तथा पाँचवे अध्यक्ष जॉर्ज यूल और सर विलियम वेडरबर्न अंग्रेज थे। आरम्भ से ही काँग्रेस का दृष्टिकोण एव आदर्श विशुद्धतः राष्ट्रीय रहा है। दूसरी गोलमेज परिषद् के अवसर पर निम्न शब्दों में गाँधी जी ने काँग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप पर विशेष बल दिया था : 'सच्चे अर्थों में यह (काँग्रेस) राष्ट्रीय है। यह किसी विशेष जाति, वर्ग अथवा हित की प्रतिनिधि नहीं है। यह समस्त भारतीय हितों और सब वर्गों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है। मेरे लिये यह बताना सब से अधिक प्रसन्नता की बात है कि उसकी उपज आरम्भ में एक अंग्रेज के मस्तिष्क में हुई। एलेन ओक्टेवियन ह्यूम को काँग्रेस के पिता के रूप में हम जानते हैं। दो महान् पारसियों ने—फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी ने—जिन्हे सारा भारत 'बृद्ध पितामह' कहने में हर्ष अनुभव करता है, इसका पोषण किया। आरम्भ में ही काँग्रेस में मुसलमान, ईसाई, एंग्लोइंडियन आदि शामिल थे, बल्कि मुझे यो कहना चाहिए कि इसमें सब धर्मों, सम्प्रदायों और हितों का पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था'।

वैसे तो उक्त कथनानुसार काँग्रेस का स्वरूप सदैव ही राष्ट्रीय रहा है, परन्तु शुरू शुरू में अपनी सबसे पहली अवस्था में उसको जन सङ्गठन मान लेना भूल होगी।

काँग्रेस का सामाजिक आधार

यद्यपि वह देश के सभी वर्गों की कठिनाइयों को मुखरित करती थी और राजनीतिक उत्कर्ष के लिये उनके हृदय की उद्दाम लालसा को भी व्यक्त करती थी; परन्तु मुख्यतः वह बुद्धिजीवियों, शिक्षितों और उच्च मध्य वर्गों तथा व्यापारी बोरजुआजी का ही प्रतिनिधित्व करती थी। काँग्रेस के प्रारम्भिक अधिवेशनों में वकीलों, शिक्षा विशारदों, पत्रकारों, चिकित्सकों तथा व्यापारियों की ही सख्या अधिक रहती थी। काँग्रेस के कार्यक्षेत्र एव स्वरूप के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारम्भ में वह क्रांतिकारी सङ्गठन नहीं था। उस समय उसकी बागडोर पूरी तरह से नरम राष्ट्रवादियों के हाथों में थी। अंग्रेजों की न्याय भावना में उनकी दृढ़ आस्था थी।

प्रारम्भ में काँग्रेस क्रांतिकारी संस्था नहीं थी

उनका प्रमुख ध्येय यही था कि भारतीय शासन का प्रजातन्त्रीकरण हो तथा विधान सभाओं में भारतीय प्रतिनिधियों की सख्या बढ़ जाय। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उन्होंने किसी प्रकार के उग्र साधनों का अवलम्बन नहीं लिया, अपितु सार्वजनिक भाषणों, प्रचार, प्रदर्शनों, आवेदनों तथा प्रतिनिधिमंडलों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया।

१२. प्रारम्भिक कांग्रेस के कार्य का संक्षिप्त सिंहावलोकन

प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस के प्रोग्राम और क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण हमें यह समझाने में सहायता देगा कि उदार राष्ट्रवादियों के क्या ध्येय थे; उनकी क्या कार्य पद्धति थी और उनके नेतृत्व में इस संस्था का क्या दृष्टिकोण रहा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। उसके अध्यक्ष उमेशचन्द्र बेनर्जी थे और मंत्री ए० ओ० ह्यूम। इस अधिवेशन ने भारत की कई सुप्रसिद्ध विभूतियों, दादाभाई नौरोजी, फिरोज़शाह मेहता, दीनशा एदलजी वाचा, काशीनाथ त्र्यंबक तैलंग, नारायण गणेश चन्दावरकर, पी० आनन्दाचालू, वी० राघवाचार्य और एस० मुन्नह्मण्य आदि का संगम उपस्थित कर दिया। इस अधिवेशन में कई सरकारी अफसर भी उपस्थित थे जिनमें सर विलियम वेडरबर्न और श्री रानाडे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रानाडे ने तो खुले अधिवेशन के विचार-विमर्शों में भी भाग लिया था। सभापति श्री उमेशचन्द्र बेनर्जी ने कांग्रेस की गुस्ता की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाते हुए उसके उद्देश्यों को इस तरह बतलाया :—

“(क) साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से काम करने वालों की आपस में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना।

(ख) समस्त देश-प्रेमियों के अन्दर प्रत्यक्ष मैत्री व्यवहार के द्वारा वषा, धर्म और प्रात सम्बन्धी तमाम पूर्व दूषित सकारों को मिटाना और राष्ट्रीय ऐक्य की उन तमाम भावनाओं का, जो लार्ड रिपन के त्रि-स्मरणीय शासन काल में उद्भूत हुई, पोषण और परिवर्धन करना।

(ग) महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में अच्छी तरह चर्चा होने के अनन्तर, प्राप्त परिपक्व सम्मतियों का प्रामाणिक संग्रह करना।

(घ) उन तरीकों और दिशाओं का निर्णय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देशहित के कार्य करें।”

कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में नौ प्रस्ताव पास किए गए थे। प्रथम प्रस्ताव में भारत के शासन कार्य के निरीक्षणार्थ एक रॉयल कमीशन बैठाने की मांग की गई। दूसरे में इंडिया कौन्सिल को तोड़ देने की राय दी गई। तीसरे प्रस्ताव के द्वारा धारासभा की कमियों की ओर सकेत किया गया; जिनमें अब तक नामजद सदस्य ही थे। प्रस्ताव में नामजद सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित सदस्यों के रखने, युक्त्वाद् और पंजाब में कौंसिलें कायम की जाने और कामनसभा में स्थायी समिति की

स्थापना करने की मांग की गई-इस आशय से कि कौंसिलो में बहुमत से जो विरोध हों उन पर उसमें विचार किया जाय। चौथे के द्वारा यह निवेदन किया गया कि आई० सी० एस० की परीक्षा इगलैण्ड और भारत में एक साथ हो और परीक्षास्थियों की अवस्था में वृद्धि कर दी जाय। पाचवें एव छठे का सम्बन्ध सैनिक व्यय से था। सातवें में अपर बर्मा को मिला लेने तथा उसे भारत में सम्मिलित कर लेने की नीति का विरोध किया गया था। आठवें के द्वारा यह आदेश किया गया कि ये प्रस्ताव राजनीतिक सभाओं में भेज दिए जायें। अंतिम प्रस्ताव में अगले अधिवेशन का स्थान कलकत्ता और ता० २८ दिसम्बर नियत हुई। विभिन्न वक्ताओं ने अपने भाषणों में ब्रिटिश राज के वरदानों का गुणगान किया, अंग्रेजों की न्याय भावना में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और ब्रिटिश सिंहासन के प्रति अपनी राजभक्ति की उत्साह-पूर्ण घोषणा की।

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। इसके अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। इस बार प्रतिनिधि "सार्बजनिक सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे।" सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी और पंडित मदनमोहन मालवीय ने इसी वर्ष कांग्रेस १८८६ में प्रवेश किया। दूसरे अधिवेशन में विधान-सभाओं के सुधार की मांग को दुहराया गया और कहा गया कि उनमें ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित होने चाहिए; तथापि कांग्रेस में "अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत मान लिया गया। कहा गया कि प्रांतीय कौंसिलो के सदस्यों का चुनाव तो म्युनिसिपल और लोकलबोर्डों, व्यापारसंघों तथा विश्वविद्यालयों के द्वारा हो और सर्वोच्च केंद्रीय कौंसिल का चुनाव (Supreme Central Council) प्रांतीय कौंसिलो के द्वारा हो।" देश के विधान मंडलो में जनता के प्रतिनिधियों को भी स्थान मिलना चाहिए, इस मांग का समर्थन करते हुए एक डेलीगेट ने स्वीकार किया "हम राष्ट्रीय शासन की छत्रछाया में नहीं, अपितु विदेशी नौकरशाही की आधीनता में रहते हैं।" आगामी कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव बार बार दुहराया गया, फलतः १८९२ का "इंडियन कौंसिल्स एक्ट" पास हो गया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर देना चाहिए।

कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन १८८७ में बदरहीन तय्यबजी की अध्यक्षता में हुआ। यह कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में अन्य कई प्रस्तावों के साथ साथ एक प्रस्ताव यह भी पास किया गया कि भारतीयों को शिक्षा देने के लिए सैनिक विद्यालयों की भी स्थापना होनी चाहिए। एक नए सदस्य अर्डले नोर्टन

(Eardley Norton) ने कांग्रेस के ऊपर लगाए गए इस दोषारोप का कि वह एक राजद्रोही संस्था है, इस अधिवेशन में मुह तोड़ उत्तर दिया।*

१८८८ का वर्ष इसलिये विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि ब्रिटिश नौकरशाही को कांग्रेस के प्रति मुस्लिम विरोध का संगठन करने में सफलता मिल गई। इसी वर्ष सर सय्यद अहमद खा ने एंग्लो मुस्लिम डिफेन्स एसोसियेशन की नीव डाली और इस दिशा में भारतीय मुसलमानों को निश्चित नेतृत्व प्रदान किया कि वे कांग्रेस को अपना सहयोग न दें। इस विरोध का उस समय कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, जो हुआ वह भी नाममात्र को और इस वर्ष के कांग्रेस अधिवेशन को जो कलकत्ते के एक व्यापारी जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ था, पूर्ववर्ती अधिवेशनों की अपेक्षा कहीं अधिक सफलता प्राप्त हुई। गोपालकृष्ण गोखले ने इसी वर्ष कांग्रेस में प्रवेश किया। इस अधिवेशन में पास किये गये प्रस्तावों में एक यह प्रस्ताव भी था जिसमें सरकार की भूमिकर सम्बन्धी नीति में सुधार करने की मांग की गई थी।

१८८८ और

१८८९

१८९२ के इंडियन कॉन्सिल एक्ट पास हो जाने के बाद कांग्रेस की मांगों में सर्वाधिक महत्व इस मांग को दिया गया कि आई० सी० एस० की परीक्षा भारत और इंग्लैण्ड में साथ साथ हुआ करे। कांग्रेस हलचल के फलस्वरूप भारतीयों की इस मांग के समर्थन में इंग्लैण्ड की कॉमन-सभा ने एक प्रस्ताव पास किया, परन्तु इंग्लैण्ड और भारत, दोनों ही जगह अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को क्रियात्मक स्वरूप नहीं दिया। १८९३ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, दूसरी बार, दादाभाई नौरोजी ने की जो कि इस बीच में इंग्लैण्ड की कॉमन-सभा के भी सदस्य चुन लिए गये थे। कांग्रेस-अधिवेशन का अध्यक्ष प्रहरण करने के लिए दादाभाई नौरोजी जब भारत आए, उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया जो कि सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी के शब्दों में “नरेशो और नृपतियों की भी ईर्ष्या का विषय है परन्तु उनकी पहुँच के बाहर है।” कांग्रेस

१८९३

* उसने कहा ‘सज्जनों’ यदि अत्याचार का विरोध करना राजद्रोह हो, यदि यह कहना कि जनता का अपने देश के शासन में अधिकाधिक हाथ रहना चाहिए, राजद्रोह हो, यदि वर्ग अत्याचार का विरोध करना, दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना, अन्यायों का मुकाबला करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का समर्थन करना और उत्तरोत्तर किन्तु सदैव विकासशील सुधार के सामान्य अधिकार को प्रमाणित करना राजद्रोह हो, तो मैं निस्संदेह राजद्रोही हूँ और मुझे राजद्रोही कहलाते समय अपूर्व प्रसन्नता होती है जब मैं आज अपने चारों ओर वृत्तमान राजद्रोहियों की गौरवपूर्ण पंक्ति में स्वयं को भी सम्मिलित पाता हूँ। सी. बाई चिन्तामण्य द्वारा उद्धृत : ‘इण्डियन पालिटिक्स सिन्स म्युटिनी, पृष्ठ ४३।

ने बेगार और रसदप्रथा के उन्मूलन की माँग की। इसके अलावा उसने ब्रिटिश भारत में तय्यार होने वाले सूती माल पर कर लगाए जाने का विरोध किया जो लंकाशायर के व्यवसाइयो के हित-सरक्षयार्थ भारत के बढ़ते हुये कपास उद्योग को नष्ट कर देने के लिए जानबूझ कर लगा दिया गया था। इस प्रकार कांग्रेस ने प्रारम्भ से ही भारत के व्यावसायिक और औद्योगिक-दोनों प्रकार के बोरजुआजी के हितों की रक्षा की है लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय जनता का दारिद्र्य-पक्ष से समुद्धार किया जाय, इस आवश्यकता की ओर से भी उसने अपनी आँखें नहीं मूँदी। आगामी कुछ वर्षों में कांग्रेस ने इस बात के लिए कोशिश की कि प्रवासी भारतीयों की दशा में सुधार हो, प्रेस पर से प्रतिबन्ध हट जाएँ और भारतीय कृषक जिस ऋण के भार से सदैव दबा रहता है, उससे उसे मुक्ति प्राप्त हो। इसके अलावा उसने सरकार से १८९८ के राजद्रोह विधेयक (Sedition Act of 1898) तथा १९०४ के सरकारी रहस्य विधेयक (Official Secrets Act of 1904) जैसे दमनकारी कानूनों के हटा लेने की बारम्बार बिनती की। १९०५ तक कांग्रेस समतल पथ पर दौड़ती रही। सार्वजनिक महत्ता का ऐसा कोई भी विषय नहीं जिसने उसका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट न किया हो और विभिन्न विषयों पर पास किये गए प्रस्तावों में वक्त-विचार आन्दोलन के नेताओं की राजनीतिक बुद्धिमत्ता के साक्षी थे।”*

१३. उदार राष्ट्रवादियों की मनोवृत्ति और कार्य पद्धति।

इसमें कोई सदेह नहीं कि उदार राष्ट्रवादी जिन्होंने राजनीतिक उत्कर्ष के लिए लड़े गए सघर्ष के प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस का सूत्र संचालन किया, उच्च कोटि के देशभक्त थे। परन्तु उनके समय और सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि कुछ ऐसी ब्रिटिश शासन की सीमाएँ थी जिनका उल्लंघन उनके लिए शक्य नहीं था। प्रशंसा और राजभक्ति यह स्थिति सर्वथा स्वाभाविक भी थी। उनमें से अधिकांश उच्चवर्गीय थे और पाश्चात्य शिक्षा का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। यदि उस समय ब्रिटिश शासन का प्रचंड विरोध किया भी जाता तो प्रारम्भ से ही उसका दमन किया गया होता। अतएव हमें यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता कि राष्ट्रीय सघर्ष के प्रभात काल में भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश शासन के उत्कट प्रशंसक थे; परन्तु यह भी समझ लेना भ्रम होगा कि उन्हें ब्रिटिश शासन की त्रुटियों और दुर्बलताओं का कोई ज्ञान नहीं था। ब्रिटिश राज के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था। क्या ब्रिटिश शासन ने भारत का राजनीतिक एकीकरण नहीं किया था, उसे केवल मात्र भौगोलिक नाम से बढ कर कुछ

*. सी. वाई. चिन्तामणि:—‘वही’ पृष्ठ ४६

वस्तु नहीं बनाया था और उसमें राष्ट्रीय चेतना का संचार नहीं किया था ? वे ब्रिटिश-सम्बन्ध को भारत के लिए लाभकर समझते थे। वे अंग्रेजों की इस बात के लिए जी खोल कर सराहना करते थे कि उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के संपर्क से भारत के सामाजिक जीवन को समृद्ध किया था, नूतन राष्ट्रीयता की बाहक अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था और पाश्चात्य विचारधारा और साहित्य के ससर्ग से स्वाधीनता तथा प्रजातंत्र के प्रति भारतीय नवयुवकों में प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न किया था। सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी कहा करते थे कि 'इंग्लैण्ड हमारा पथप्रदर्शक है।' ब्रिटिश शासन के सूत्रपात को एक ऐसा दैवी वरदान समझा गया जो भारत को मध्य युगीन अधोगति की दशा से ऊपर उठाकर राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए ही अवतीर्ण हुआ था।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उदार राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना से प्रेरित रहते थे। इस प्रकार के दृष्टिकोण का स्पष्ट परिचय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही मिलता था जो महारानी विक्टोरिया की जय जय कार के साथ समाप्त हुआ था। ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति की घोषणाएँ करने में नरम राष्ट्रवादियों को किसी प्रकार के सकोच अथवा हीनता के भाव का अनुभव नहीं होता था। उस समय दादाभाई नौरोजी अपने सहयोगियों की सामान्य भावना को ही व्यक्त कर रहे थे जब कि उन्होंने यह घोषणा की कि "आओ, हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा कर दें कि हम आचूड़ राजभक्त हैं।"

सरकार भी प्रारम्भिक भारतीय राष्ट्रवादियों की मैत्री एवं भक्तिभावना से अपरिचित नहीं थी। क्योंकि 'वह उनके साथ रियायते करके जब जब भारतीयों को ऊँचे पद अथवा स्थान देने का अवसर आया, तब तब उन्हीं (राष्ट्रवादियों) को उसके लिये चुनकर यही सिद्ध करती रही है'।* सरकार ने, उनमें से कइयों को नाइटहुड और प्रतिष्ठा की अन्य उपाधियाँ प्रदान कीं। गोपालकृष्ण गोखले को सी. आई. ई. की उपाधि प्रदान की गई। कुछ को विधान सभा का सदस्य नामजद किया गया, कुछ कार्यकारिणी के सदस्य चुन लिये गए और कुछ हाई कोर्ट के जज बना दिये गए। वस्तुतः जिन कांग्रेस नेताओं को इन उपाधियों अथवा पदों के लिए चुना गया था, वे अपनी योग्यता के आधार पर इनके उचित अधिकारी भी थे, उन लोगों को पदलोलुप मानना किसी भी प्रकार तर्कसंगत नहीं है। यह तो उनकी प्रतिभाओं के प्रति श्रद्धाजलि ही है कि 'सरकार को भी यदि योग्य भारतीयों की आवश्यकता हुई तो इसकी पूर्ति के लिये उसे भी कांग्रेसियों का ही आसरा तकना पड़ता था'। दूसरे शब्दों

* पट्टाभि सीतारामय्या : 'दी हिस्ट्री आफ् कांग्रेस', पृ. १०२।

में सरकार की इन रियायतों से यह सिद्ध होता था कि कांग्रेस ने सप्रतिभ भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में अपनी ओर आकृष्ट कर रखा था।

ब्रिटिश सरकार की न्याय प्रियता में उदार कांग्रेसियों की अटल श्रद्धा थी; इसी कारण उसके प्रति उनके हृदय में प्रशंसा और राजभक्ति की भावना उद्भूत हुई थी। कांग्रेस के बारहवें अधिवेशन (१८९६) के अध्यक्ष-
अंग्रेजों की पद से भाषण करते हुए मुहम्मद रहीमतुल्ला सयानी
न्यायप्रियता में ने कहा 'अंग्रेजों से बढकर ईमानदार और शक्ति सम्पन्न
विश्वास जाति इस सूर्य के तने कही नहीं है।' हमारे कांग्रेसी बुजुर्ग समझते थे कि अंग्रेज तो बड़े प्रजातंत्र बादी हैं, उनकी तो परम्परा ही ऐसी रही है, वे भारत में प्रजातांत्रिक सस्थाओं के विकास का स्वागत करेंगे। क्या यह सत्य नहीं था कि अंग्रेजों ने उन परिस्थितियों का निर्माण किया जो राष्ट्रीय जागरण के लिए, जिसकी कि कांग्रेस प्रतीक थी, आवश्यकता थी? १८९३ में अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष सरदार दयालसिंह मजीठिया ने कांग्रेस के विषय में कहा था कि 'यह भारत में ब्रिटिश शासन की कीर्ति का कलश है।' इसी प्रकार के विचार कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पद से स्वागत-भाषण देते हुए सर टी० माधवराव ने व्यक्त किये थे; 'कांग्रेस ब्रिटिश शासन का सर्वोच्च यश शिखर और ब्रिटिश जाति का कीर्ति मुकुट है।' यह बात नहीं थी कि कांग्रेस के उदार नेताओं को ब्रिटिश नौकरशाही की गलतियों का भान नहीं था। वे उसकी त्रुटियों और गलतियों को अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी उनका यह विश्वास था कि यदि भारत की समस्या को स्पष्ट और प्रबलता-पूर्वक ब्रिटेन की ससद् तथा जनता के सम्मुख रख दिया जाय तो वह माँग करेगी कि भारत की परिस्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। यह आशा की जाती थी जैसा कि सर फिरोज शाह मेहता ने १८९० में कहा था 'मुझे इस बात में कोई सदेह नहीं है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अंत में जाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे।' विश्वास की इस स्थिति में शुरू के भारतीय राष्ट्रवादी पथप्रदर्शन और प्रेरणा के लिए अंग्रेजों की ही ओर ताकते थे। सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी के निम्न शब्द उदार राष्ट्रवादियों की मनोवृत्ति को भली भाँति स्पष्ट कर देते हैं। 'अंग्रेजों के न्याय, बुद्धि और दयाभावना में हमारी हठ आस्था है। ससार की महानतम प्रतिनिधि सभा, ससदों की जननी ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रति हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है। अंग्रेजों ने सर्वत्र प्रतिनिधि आदर्श पर ही शासन की रचना की है।'

इस बात को उदार राष्ट्रवादियों ने गुप्त नहीं रखा कि कांग्रेस आंदोलन का अन्त्य स्वशासन को प्राप्त करना है। यद्यपि उन्होंने अपनी अधिकांश शक्ति और

ध्यान को शासन के कभी इस और कभी उस पहलू में सुधार करवाने के आंदोलन में ही लगाया था; फिर भी वे उस भविष्य की कल्पना कर सकते थे जबकि भारतीयों के हाथों में अपने भाग्य निर्माण का अधिकार आ जायगा। १८८६ के कलकत्ता अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने कहा था, 'स्वशासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है। प्रकृति ने अपनी पुस्तक में स्वयं अपने हाथों से यह सर्वोपरि व्यवस्था लिख रखी है। पृथ्वेक राष्ट्र अपने भाग्य का आप ही निर्माता होना चाहिए।' * दादा भाई नौरोजी ने 'यूनाइटेड किंगडम अथवा उपनिवेशों के जैसे स्वशासन या स्वराज्य' का जिक्र किया था। स्वशासन अथवा स्वराज्य से प्रारम्भिक कांग्रेसियों का आशय पूर्ण स्वाधीनता नहीं था जिसको १९२९ में कांग्रेस ने अपने ध्येय की भाँति ग्रहण किया। वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य से सब सम्बन्ध विच्छेद कर लेने का विचार तो उदारवादियों के मस्तिष्क में कभी आया ही नहीं था। सम्भवतः उन्होंने यह कभी सोचा भी नहीं था कि औपनिवेशिक स्वराज्य किसे कहते हैं। प्रारम्भिक कांग्रेस का उद्देश्य भारत में प्रतिनिधिक सस्थाओं की स्थापना करना था।

उदार राष्ट्रवादियों की विचारधारा और माँगें

वास्तव में उदारवादी राजनीतिज्ञ इस बात को भली भाँति जानते थे कि प्रतिनिधिक शासन के समीप वे केवल एक ही छलाँग में नहीं पहुँच सकते, इसलिये उन्होंने सरकार से भी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की थी कि वह उन्हें तुरत ही प्रतिनिधि-शासन प्रदान कर दे। व्यवस्थित विकास में ही उनका विश्वास था। क्रमबद्धता ही उनके दर्शन की विधायक थी। हथेली पर सरसो जमाने की नीति के वे कायल नहीं थे। उस समय के कांग्रेसी नेताओं की माँगें यही होती थी कि सरकारी नौकरियों का दरवाजा भारतीयों के लिए बंद नहीं होना चाहिये जिससे कि वे ऊँचे पदों के योग्य बन सकें, धारा सभाओं में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहियें और उन्हें प्रश्न करने तथा बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार मिलना चाहिये, सैनिक व्यय में कमी की जाय, कर कम हो, न्याय और शासन विभाग अलग अलग हो और नौकरियों के लिये भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाएँ ली जायें, प्रांत और केंद्र की कार्य कारिणियों और भारत मंत्री की कौंसिल में भारतीयों को भी स्थान मिलना चाहिये तथा भारतवर्ष को ब्रिटिश ससद् में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिले। सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कांग्रेस ने नमक कर में कमी करने की प्रार्थना की, सूती माल पर जगाये उत्पत्ति कर को अन्यायपूर्ण बताया। सरकारी नौकरियों और विश्व विद्यालयों

* पनी बीसेंट : 'हाऊ इंडिया रॉट फार फ्रीडम,' पृ. २६।

के पुनर्गठन, ग्रामोद्योगों के पुनरुद्धार और खेती सम्बन्धी ऋणबद्धता से किसानों को छुटकारा मिले, इस बात के लिये भी कांग्रेस प्रयत्नशील रही ।

उदार राष्ट्रवादियों के साधन भी उनकी विचारधारा के सर्वथा अनुरूप थे । वे इस बात में यकीन नहीं करते थे कि भारत और ब्रिटेन के हित एक दूसरे के विरोधी हैं और दोनों में 'बेर केर का सग' है । पहले से उनके साधन स्थापित की हुई व्यवस्था में आकस्मिक आमूल परिवर्तन करना भी उनके विश्वास की सीमाओं से बाहर की बात थी । इसलिए स्वभावतः आंदोलन के सभी क्रान्तिकारी साधनों को उन्होंने वर्जित कर रखा था । हिंसा के प्रति उनके हृदय में घोर घृणा की भावना थी । तीन चीजों का उन्होंने कड़ा निषेध कर रखा था, 'विद्रोह, विदेशी आक्रमण की सहायता करना और अपराध को आश्रय देना', ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के अनुकूल ही उन्होंने वैधानिक आंदोलन की टेकनीक को अपनाया । उन्होंने ऐसी पूंज्य योजना अथवा साधन का अत्यंत सतर्कता पूर्वक बहिष्कार किया जिसके लिये उन्हें शका थी कि ब्रिटिश सरकार उसका विरोध करेगी । वे सरकार का कोपभाजन नहीं बनना चाहते थे । यहाँ तक कि दमन और अन्याय के कानूनों का सामना करना, उन्हें ललकारना भी उनके प्रोग्राम में नहीं था । चूँकि अंग्रेजों की न्यायपियता में उनकी आस्था थी इसलिए उन्होंने सरकारी अधिकारियों के ध्यान को, सार्वजनिक भाषणों, स्मृति-पत्रों, पुस्तावों, आवेदन पत्रों तथा शिष्टमंडलों द्वारा जनता की उचित माँगों और कठिनाइयों की ओर आकृष्ट करना ही यथेष्ट समझा । कांग्रेस ने ब्रिटिश जनता और ससद् के सामने भारत की समस्या को ठीक ठीक उपस्थित करने के इरादे से कई शिष्टमंडल भेजे । इन साधनों के द्वारा नरम राजनीतियों ने भारतीय जनता को ऊपर उठाने और शिक्षित करने की कोशिश की और कोशिश की कि अंग्रेज भारतवासियों की न्याययुक्त माँगों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझें । ब्रिटिश जनता को यह सम्यक् परिज्ञान कराने के लिये कि भारत में राजनीतिक सुधारों की महती आवश्यकता है, कांग्रेस ने १८८९ में एक ब्रिटिश समिति की स्थापना की और उसके संचालन के लिए पैंतालीस हजार रुपये की स्वीकृति भी दी । चार वर्षों के उपरांत कॉमन-सभा में जनमत को भारत के राजनीतिक विकास के पक्ष में सगठित करने के लिये सर विलियम वेडरबर्न ने भारतीय ससदीय समिति (Indian Parliamentary Committee) की रचना की । उस जमाने के राष्ट्रवादियों के इन तरीकों को कभी कभी 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' कहकर वर्णित किया जाता है । यह वर्णन कुछ अप्रिय अवश्य है, पर गलत नहीं है । वे

सरकार के पास, रियायतों और सुधारों के लिये, अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर जाने में, यकीन रखते थे। उनका आवेदनो और प्रार्थनाओं में कितना भरोसा था; वे इन पर कितना बल देते थे, आवेदन और प्रार्थनाएँ यह पं० मदनमोहन मालवीय के निम्न शब्दों से स्पष्ट है जो उन्होंने कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में कहे थे 'यद्यपि अपने प्रयत्नों में अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है, फिर भी हमें सरकार के समीप पुन जाना चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि वह हमारी माँगों, 'अथवा हमारी प्रार्थनाओं' पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करे।' *

१४. उदार राष्ट्रीयता का मूल्यांकन

कांग्रेस के शुरु के दिनों में उदार राष्ट्रवादियों ने जो काम किया; आजकल उसके महत्व को कम समझा जाता है। कभी कभी तो लोग उसे अत्यंत हेय दृष्टि से देखते हैं। इसमें कोई सदेह नहीं कि उनमें कुछ त्रुटियाँ स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य उदार राष्ट्रवादियों का क्या वास्तविक आधार था अथवा उसकी क्या पृष्ठभूमि थी इस बात को उदारवादी नेता नहीं समझ सके। यह उनका मिथ्या अनुमान था कि दोनों देशों के हित परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश शासन के 'वरदानों' के पूति पूषसा और कृतज्ञता की धारणा भ्रातिजन्य थी। वे इस कटु शब्द को हृदयङ्गम करने में असफल हुए थे कि भारत, ब्रिटिश पूञ्जीवाद के लाभार्थ अंग्रेजों का एक शोषित आर्थिक उपनिवेश था और इसलिए इंग्लैंड के लिए यह सर्वथा स्वाभाविक ही था कि वह भारत के आर्थिक और औद्योगिक अम्युत्थान में बाधाएँ उपस्थित करे और उसे अपने यहाँ के उद्योगों के लिये कच्चे माल का स्रोत तथा तय्यार माल के लिये एक मंडी बनाए रखे। यदि भारत में बड़े बड़े सुधार कर दिये जाते, यदि जनता को अपने भाग्य निर्माण का अधिकार दे दिया जाता, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति यदि भारत निवासियों को अपने देश का पूबध अपने आप करने की स्वतंत्रता दे दी जाती, तो ब्रिटेन अनिश्चित काल निध्या धारणा तक भारत को आर्थिक दासता के पाशों में निबद्ध नहीं रख सकता था। यह एक स्पष्ट सी बात थी, जिसे उदार राष्ट्रवादी नहीं समझ सके। अंग्रेजों की न्याय भावना पर उनका विश्वास बना रहा। वे अपने इस विश्वास से कभी नहीं डिगे कि अंग्रेज एक जनतत्रपिय जाति है, भारत में धीरे धीरे जनतत्र की

* एनी बीसेट : 'वही', पृ. ४५।

हम किसी पूर्व अध्याय में उद्धृत कर चुके हैं। कांग्रेस की स्थापना के अवसर पर बायसराय लार्ड डफरिन ने उसके शीश पर अपना वरदहस्त रक्खा था और द्वितीय अधिवेशन में प्रतिनिधियों का स्वागत भी किया था। मद्रास के गवर्नर लार्ड कोनेमारा ने भी कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में (१८८७) उसी प्रकार के सौजन्यमय व्यवहार का परिचय दिया था और स्वागत-समिति की, सरकारी कोषागार से रसदादि दिलवा कर सहायता की थी।*

किन्तु कुछ ही समय के पश्चात् कांग्रेस के प्रति सरकार के रुख में आमूल परिवर्तन हो गया। यद्यपि कांग्रेसी नेताओं ने अपने व्यक्तिगत सम्बन्ध शासन के साथ अच्छे ही बनाए रखे परन्तु सरकारी अधिकारी कांग्रेस को सन्देह और शका की दृष्टि से देखने लगे। लार्ड डफरिन ने ह्यूम साहब को परामर्श दिया था कि वे कांग्रेस का क्षेत्र सामाजिक न रख कर राजनीतिक भी बनावें। किन्तु वही लार्ड डफरिन कांग्रेस के शत्रु हो गए और उसे राजद्रोही सत्था कहने लगे। कुछ प्रांतीय गवर्नर तो कांग्रेस के उग्र विरोधी थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत के (यू० पी०) गवर्नर सर ओकलैण्ड काल्विन की सम्मति में यह आंदोलन केवल समय से पूर्व ही नहीं था अपितु खतरनाक भी था। १८८७ में एक सज्जन अपने जिलाधीश की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे जिसके अपराध स्वरूप उनसे २०,००० रु० की जमानत मांगी गई। कांग्रेस के प्रति सरकार का कड़ा रुख उस गश्ती पत्र से अच्छी तरह प्रकट होता है जिसको बंगाल सरकार ने सब मंत्रियों एवं सब विभागों के प्रमुख अफसरों के पास भेजा था। इसमें उन्हें हिदायत दी गई थी कि “भारत सरकार की आज्ञा के अनुसार ऐसी सभाओं में दर्शक रूप में भी सरकारी अफसरों का जाना ठीक नहीं है और ऐसी सभाओं की कार्रवाई में भाग लेने की सख्त मनाई की जाती है” १८९७ में ‘राजद्रोहात्मक’ भाषणों और कार्रवाइयों पर अकुश रखने के विचार से ‘इंडियन पीनल कोड’ में दफ्तर १२४ (अ) तथा दफ्तर १५३ (अ) और जोड़ दी गई। प्रेस पर बहुत से प्रतिबन्ध लगा दिए गए और १८९८ में गुप्त प्रेस समितियों की स्थापना हुई। देशवासियों को आपस में लड़ाने की पूर्व-परिचित नीति का अब राजनीतिक क्षेत्र में खुल कर प्रयोग किया गया; और कांग्रेस के विरुद्ध मुसलमानों को सगठित करने के प्रयास किए गए। विद्रोह के पूर्व और बाद में भारतीय मुसलमान अग्रजों के विशेष कोप-भाजन रहे थे; परन्तु अब जैसे जैसे कांग्रेस की लोकप्रियता और शक्ति में वृद्धि होती गई; सरकार मुसलमानों के प्रति अपने रुख में परिवर्तन करती गई। मुसलमानों को विशेष सुविधाएं देकर, उन्हें अपनी विशेष

* सी. बार्ड. चिन्तामण्य : इण्डियन पालिटिक्स सिन्स न्युटिनी, पृ. २६।

मागे रखने का प्रोत्साहन देकर- नौकर शाही ने भारतवर्ष की दो प्रमुख जातियों के मध्य भेद की खाई को खोदने की कोशिश की। अविराम गति से बढ़ती हुई राष्ट्रीय एकता की भावना पर कुठाराघात करके ब्रिटिश सरकार ने शुरू शुरू में ही राष्ट्रीय आंदोलन को कुचल डालने का प्रयास किया। इस सम्बन्ध में कि मुसलमान “कुछ शठ पदाधिकारियों द्वारा जिनका कि फूट डालो और राज्य करो की नीति में विश्वास था प्रयुक्त किए जा रहे थे” हमारे पास ए० ओ० ह्यूम की साक्षी विद्यमान है।* कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (१८८८) में बोख रजा हुसैन ने घडल्ले के साथ कहा, कि “मुसलमान नहीं बल्कि उनके मालिक-सरकारी हुक्काम-हैं जो कि कांग्रेस के विरुद्ध हैं।” †

प्रारंभिक भारतीय देशभक्त

१६. सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी

आधुनिक बंगाल के निर्माता और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रयोताओं में अग्रगण्य सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी भारत के प्रतिष्ठा भाजन व्यक्तियों में एक उच्च स्थान के अधिकारी हैं। वे उन व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में अत्यन्त शीघ्र सफलता प्राप्त कर ली थी। सन् १८७१ में वे सिलहट के असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुए। दो ही वर्ष के अन्दर सरकारी आचरण में कुछ दोष पाये जाने के कारण उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बाद में दो लैफ्टिनेंट गवर्नरों ने इस बात को स्वीकार किया था कि सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी का नौकरी से हटाया जाना सर्वथा अन्यायपूर्ण था। परन्तु यह, छद्मवेश में वरदान ही सिद्ध हुआ। सी० वाई० चिन्तामणि ने ठीक ही लिखा है “शासन की हानि देश का लाभ बन गई।” ‡ आई० सी० एस० से हटने के पश्चात् सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने स्वयं को राष्ट्रीय अभ्युदय के कार्य में ही प्राणपण से निरत कर दिया। कुछ समय तक उन्होंने विद्यासागर कालिज में, जो उस समय मैट्रोपोलिटन इस्टीट्यूट के नाम से विख्यात था लैक्चरर के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने रिपन कॉलेज की नीव डाली और उसमें अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में कई वर्षों तक काम किया। तत्पश्चात् वे पत्रकार बने। इन्होंने ‘बंगाली’ पत्र का सम्पादकत्व ग्रहण किया। इस पत्र के जन्म दाता उमेशचन्द्र बेनर्जी थे। सरकार की तीक्ष्ण आलोचना करने के फलस्वरूप उन्हें १८८३ में दो मास के कारावास का दंड मिला।

* डा. पट्टाभि सीतारामय्या : ‘दि हिस्ट्री आफ दी कांग्रेस’, पृ. १०८।

† ‘वही’, पृष्ठ ११०।

‡ ‘सी. वाई. चिन्तामणि : इण्डियन पालिटिक्स सिन्स दी म्युटिनी’, पृ. ७१-७२।

१८७६ में सुरेंद्रनाथ बेनर्जी ने इंडियन एसोसियेशन की स्थापना की जिसका मुख्य ध्येय आई० सी० एस० की परीक्षा में बैठने की अवस्था को २१ वर्ष से घटा कर १९ वर्ष कर देने के विरुद्ध आंदोलन करना था। उन्होंने सम्पूर्ण देश का भ्रमण किया और शिक्षित भारतीयों में एक हलचल सी उत्पन्न कर दी। इस आंदोलन के पक्ष में जनमत का संगठन करने में वे सफल हुए। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की नींव डालने में सहायता दी जिसने कि शीघ्र ही राष्ट्रीय संगठन का रूप धारण कर लिया। कांग्रेस की स्थापना के दो वर्ष पूर्व राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना करने में सुरेंद्रनाथ का बहुत बड़ा हाथ था। राष्ट्रीय सम्मेलन प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन और कांग्रेस का अग्रवर्ती था। १८८६ में सुरेंद्रनाथ बेनर्जी तथा राष्ट्रीय सम्मेलन के अधिकांश नेताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया। राष्ट्रीय सम्मेलन ने भी स्वयं को कांग्रेस में विलीन कर दिया। १९१७ तक सुरेंद्रनाथ बेनर्जी कांग्रेस के अत्यन्त प्रभावशाली नेता रहे। इसके पश्चात् उग्र राष्ट्रीयता के अग्रगण्य के कारण उन्होंने कांग्रेस से हाथ खींच लिया। वे कांग्रेस के दो बार, (१८९५ और १९०३ में) सभापति बनाये गये। उन्होंने ब्रिटिश जनता और संसद के सम्मुख भारतीय समस्या को स्पष्ट करने के लिये इंग्लैंड जाने वाले कई शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया था। १९०५ में जब बंगाल का विभाजन किया गया सुरेंद्रनाथ बेनर्जी ने उसके विरुद्ध आंदोलन करने में प्रमुख भाग लिया था। वे भारत के उन सबसे पहले देश-भक्तों में से थे, जिन्हें पुलिस के डंडे खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

सुरेंद्रनाथ बेनर्जी अत्यन्त प्रभावशाली वक्ता थे। एक अंग्रेज ने तो यहाँ तक कहा था कि सार्वजनिक वक्ताओं में ग्लैंडस्टन के अलावा उनसे बढकर और कोई नहीं था। डा० पट्टाभि सीतारामैया के शब्दों में "भाषा-प्रभुत्व, रचना-नैपुण्य, कल्पना प्रवणता, उच्च भावुकता, वीरोचिते हुकार-इन गुणों में आपकी वृत्त कला को पराजित करना कठिन है। आज भी कोई आपकी समता तो क्या आपकी निकटता को भी नहीं प्राप्त कर सकता।"* मैकॉले की तरह सुरेंद्रनाथ की भी विलक्षण स्मरण-शक्ति थी। दोनों ही अवसरों पर जब कि उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण दिए थे, बिना किसी मुद्रित प्रति की सहायता के, और जिनमें एक शब्द की भी गलती नहीं थी, तो वह उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति का परिचायक था।†

सुरेंद्रनाथ बेनर्जी दृष्टिकोण और कार्य पद्धति, दोनों में ही नरम राष्ट्रवादी थे। मैजिनी के ग्रंथों द्वारा प्रभावित होने पर भी उन्होंने उसके क्रांतिकारी कार्यक्रम को नहीं अपनाया। अंग्रेजी सभ्यता और सस्थाओं के प्रति उनके हृदय में बहुत अनुराग

* पट्टाभि सीतारामैया : दि हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, पृ. १६७।

† सी. आई. चिन्तामणि: इंडियन पालिटिक्स सिन्स दि म्युटिनी, पृ. ७२।

था। एक अवसर पर उन्होंने कहा था “अंग्रेजी सम्यता संसार में सर्वोच्च है। यह इंग्लैण्ड और भारत की अखण्ड एकता का चिन्ह है। यह सम्यता भारतवासियों के प्रति अपूर्व आशीर्वादों तथा प्रसादों से परिपूर्ण है और अंग्रेजों के सुनाम को अपूर्व ख्याति दिलाने वाली है।” उनको आशा थी कि अंग्रेजों और भारतीयों का यह सम्पर्क अविभक्त रहेगा तथा “भारत, समय आने पर, चरित्र में अंग्रेजी, और संस्थाओं में अंग्रेजी, स्वतंत्र राज्यों के महान् सघ में, अपना स्थान पा लेगा।” इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति सुरेंद्रनाथ की विचारधारा का केन्द्र-विन्दु था। उन्होंने कहा ‘राजनीतिक कर्तव्यों के उच्च क्षेत्र में इंग्लैण्ड हमारा राजनीतिक पथ-दर्शक और नैतिक गुरु है।’ कांग्रेस के १८ वें अधिवेशन में उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के स्थायित्व के लिए प्रार्थना की। लेकिन वे भारत में ब्रिटिश नौकरशाही की गम्भीर त्रुटियों से भी अन्धरी तरह से परिचित थे और उन्होंने उनके निवारण का भी यथाशक्ति प्रयत्न किया। तो भी उनका आदर्श “ब्रिटिश सम्पर्क के प्रति अटल राजभक्ति के साथ काम करना था क्योंकि उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन का अवरोध करना नहीं, अपितु उसके आधार का विस्तार करना, उसकी चेतना को उदार बनाना, उसके चरित्र की प्रतिष्ठा-वृद्धि तथा उसे राष्ट्र के प्रेम की अपरिवर्तनीय आधार-शिला पर स्थित करना था।

१७. दादा भाई नौरोजी

भारत के पितामह, दादाभाई नौरोजी जिनकी स्मृति भारतवासियों के प्रेम मन्दिर में विराजित है, हमारे प्रारम्भिक राष्ट्र-निर्माताओं में मूर्धन्य थे। तीस वर्ष की आयु में उन्होंने स्वयं को सार्वजनिक सेवा के लिये समर्पित कर दिया। -‘भारत का सार्व-जनिक जीवन बौद्धिक दिग्गजों और निःस्वार्थ देश भक्तों की आकाश-गंगा से अलकृत रहा है, परन्तु हमारे समय में दादाभाई नौरोजी के समकक्ष कोई दूसरा नहीं हुआ।’* उन्होंने भारतवर्ष में तीस सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने इंग्लैण्ड में “इंडिया सोसाइटी” और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी” नामक संस्थाएँ स्थापित की। उन्होंने अपनी जीवनवृत्ति को प्रोफेसर के रूप में प्रारम्भ किया था परन्तु वे शीघ्र ही राजनीति की ओर झुड़ गये। वे एक सुविख्यात पत्रकार थे और उन्होंने बम्बई में प्रथम समाचार पत्र की स्थापना की थी।

कांग्रेस के साथ दादा भाई नौरोजी का सम्पर्क उसके जन्मकाल से ही रहा था। और बीस वर्ष से अधिक काल तक यह सम्पर्क बना रहा। पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में दादा भाई नौरोजी, ‘कांग्रेस की शुरुआत से लेकर अपने जीवन पर्यन्त उसकी

* सी. आई. चिन्तामणि : ‘इंडियन पालिटिक्स सिन्स दी म्यूटिनी’ पृष्ठ २०।

सेवा करते रहे और उन्होंने कांग्रेस को सर्वसाधारण की शासन सम्बन्धी शिकायतें दूर कराने का प्रयत्न करने वाली जन सभा से बढाते-बढाते स्वराज्य प्राप्ति (कलकत्ता १९०६) के निश्चित उद्देश्य से काम करने वाली राष्ट्रपरिषद् पर पहुँचा दिया।* १८८६, १८९३ और १९०६ में क्रमशः तीन बार वे कांग्रेस के सभापति निर्वाचित किये गये। दादाभाई नौरोजी का चरित्र अत्यन्त हृदय था। अपने परिचितों को वे 'प्रशंसा, ईर्ष्या और निराशा' से परिपूर्ण कर देते थे। यदि किसी से कोई भूल हो जाती, तो वे क्रुद्ध नहीं होते थे, उनका व्यवहार बड़ा सदय बना रहता था। उनका, कभी, कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं रहा। चिंतामणि ने लिखा है, 'उनसे अधिक सज्जन पुरुषों का मैंने कभी दर्शन नहीं किया। उनकी तो उपस्थितिमात्र ही श्रद्धा का सञ्चार

* टिप्पणियाँ:—यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि दादा भाई नौरोजी और उनके समकालीन दूसरे नरम राष्ट्रवादियों की स्वराज्य अथवा स्वशासन सम्बन्धी मान्यता उस स्वतन्त्रता से भिन्न थी जिसे कि भारत ने १५ अगस्त, १९४७ को प्राप्त किया। उन्हें इस बात की कल्पना नहीं थी कि भारत निकट भविष्य में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है। उनकी अकांक्षा यह थी कि भारत धीरे धीरे औपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) की दिशा में प्रगति करे। १९०६ के कांग्रेस अधिवेशन में जो स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव पास हुआ, वह इस प्रकार है—

"इस कांग्रेस की राय है कि स्वराज्य प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेशों में जो शासन प्रणाली है, वही भारतवर्ष में भी चलाई जाय और उसके लिए नीचे लिखे सुधार तुरन्त किये जाय।

(क) जो परीक्षाएँ केवल इंग्लैंड में होती हैं, वे भारतवर्ष और इंग्लैंड में साथ साथ हो तथा भारतवर्ष में ऊँची नौकरियों पर जितनी नियुक्तियाँ होती हैं वे सब केवल प्रतिस्पर्द्धी-परीक्षा द्वारा हो।

(ख) भारतमन्त्री की कौंसिल, वायसराय और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की कार्यकारिणियों में भारतीय प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में हो।

(ग) भारतीय और प्रांतीय कौंसिलें बढाई जाय, उनमें जनता के अधिक और वास्तविक प्रतिनिधि रहे और उन्हें देश के आर्थिक एवं शासन-सम्बन्धी कार्यों में अधिक अधिकार रहे।

(घ) स्थानीय और म्युनिसिपल बोर्डों के अधिकार बढाये जाय और उनपर सरकारी नियंत्रण उससे अधिक न हो जितना ऐसी संस्थाओं पर इंग्लैंड में लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का रहता है।"

करती हैं। गोखले ने लिखा था 'यदि कभी मनुष्य में दिव्यता का वास रहा, तो वह दादा भाई नौरोजी में'। अधिकांश प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों की तरह दादाभाई नौरोजी का भी अंग्रेजों की 'स्वाभाविक न्यायप्रियता और युक्तियुक्त व्यवहार' में दृढ़ विश्वास था और यह विश्वास मृत्युपर्यन्त अविचल बना रहा। उनको इस बात में सन्देह लेश-मात्र भी नहीं था कि भारत अपने राजनीतिक ध्येय को शांतिपूर्ण दवाब के उपायो और ब्रिटिश जनमत के शिक्षण द्वारा प्राप्त कर सकता था। उन्होंने घोषणा की थी 'हम भारतीय एक बात में यकीन करते हैं और वह यह कि यद्यपि जॉन बुल तनिक मन्दबुद्धि है लेकिन यदि एक बार उसे कोई बात समझा दी जाय कि वह अच्छी और उचित है तो आप उसके कार्यरूप में परिणत किए जाने के प्रति विश्वस्त हो सकते हैं'। सार्वजनिक वक्ता के रूप में दादा भाई नौरोजी की आवाज और भाषा बड़ी नरम रहती थी, परन्तु बाद के वर्षों में अंग्रेजों की प्रतिगामी नीति ने उन्हें कठोर भाषा का प्रयोग करने के लिये विवश कर दिया। १९०६ में जब दादाभाई कलकत्ते के कांग्रेस अधिवेशन के सभापति हुए, सारा देश, बंगविच्छेद के कारण 'मानो एक खौलते हुए कड़ाव में था'। बंगाल असतोष से उबल रहा था। सरकार ने लोकप्रिय आंदोलन को विशेष कानूनो (आर्डिनंसो) फौज और ताजीरी पुलिस की तैनाती, व्यापक गिरफ्तारियों और अन्धाधुन्ध लाठी प्रहारों द्वारा कुचल डालने का प्रयास किया। इस जन आंदोलन और नौकरशाही दमन के अवसर पर, वह व्यक्ति दादाभाई नौरोजी ही थे जिन्होंने 'स्वराज्य' को कांग्रेस का ध्येय घोषित किया।

१८. गोपालकृष्ण गोखले

गोपालकृष्ण गोखले महाराष्ट्र के एक वीर पुत्र और भारत के महानतम राष्ट्रवादी नेताओं में से थे। उनका जन्म १८६६ में कोल्हापुर में हुआ था। उनका मस्तिक समुन्नत था और हृदय सुविशाल; इन गुणों के कारण उन्होंने अपने जीवन में बड़ी शीघ्रता से उन्नति की। १८ वर्ष की वय में प्रोफेसर, २२ वर्ष की वय में बंबई विधान परिषद के सदस्य और ३९ वर्ष की वय में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। अपनी तरुणावस्था में ही उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र देवता के चरणों में समर्पित कर दिया था। 'नंगे भूखे, भुंरियो पडे हुए, ठिठुरते और सिकुडते हुए, सुबह से शाम तक दो रोटियों के लिए खेत में कड़ा श्रम करने वाले, छुपचाप धीरज के साथ न जाने कितना सहने वाले, अपने मालिकों के पास जिनकी आवाज जरा भी नहीं पहुँचती, और ईश्वर तथा मनुष्यों के द्वारा जो कुछ भी बोझ उनकी पीठ पर लाद दिया जाता है उसे बिना चीन्चपड़ किए सदा सहने के लिए लिए तय्यार किसानों के लिए" गोखले के हृदय में प्रेम का स्थान था। गोखले ने निर्धन और शोषित कृषक वर्ग के हितार्थ

एक मन होकर, एकनिष्ठा से काम किया। गोखले ने नमक कर का खंडन किया था जिसके लिए बाद में महात्मा गान्धी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह कर तो गरीबी पर लगा हुआ कर है क्योंकि इससे तीन पाई वाली नमक की टोकरी की कीमत पाँच आने हो जाती है। "पाँच गावों में से चार गाँव बिना किसी पाठशाला के हैं और बच्चों का विकास अज्ञान में ही होता है," यह उन्होंने घोषणा की। गोखले इस अशिक्षा के लिए सरकार को ही उत्तरदायी ठहराते थे।

१८८९ में गोखले ने कांग्रेस में प्रवेश किया और वे शीघ्र ही अग्रिम पक्ति में आ विराजे। जब वे कांग्रेस के २१ वें अधिवेशन (१९०५) के सभापति चुने गये, इस गौरवपूर्ण पद पर पहुँचने वाले, व्यक्तियों में उनकी अवस्था सबसे कम थी। सूरत विच्छेद (१९०७) के पश्चात् उन्होंने कांग्रेस के कामों में महत्वपूर्ण भाग लिया। वास्तव में वे तिलक के प्रतिकूल नरम दल के नेता और कई वर्षों तक कांग्रेस के कर्णधार का काम करते रहे। मुख्यतः यह उनके ही विरोध का परिणाम था जिससे कि उनके जीवन काल में गरम दल और नरम दल के बीच मेल होने के सारे प्रयास निष्फल हुए। भारतवर्ष के प्रतिनिधि के रूप में गोखले कई बार इंग्लैंड गए और वहाँ के कई सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रशंसा भाजन बने। सी० बाई० चिंतामणि ने 'दि नेशन' पत्र के सम्पादक श्री मैसिंघम को यह कहते हुए उद्धृत किया है कि इंग्लैंड में गोखले के समकक्ष कोई राजनीतिज्ञ नहीं था। १८८८ में गोखले बम्बई विधान परिषद् के सदस्य हो गए। बाद में उन्होंने भारतीय विधान परिषद् (Indian Legislative Council) में प्रवेश किया और कई वर्षों तक उसके प्रभावशाली सदस्य बने रहे।

१९०५ में गोखले ने भारत-सेवक समिति नामक संस्था स्थापित की जो इनकी देश को सबसे बड़ी देन है। संस्था का उद्देश्य "ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को शिक्षित करना था जो 'अत्यल्प पारिश्रमिक पर मातृभूमि की सेवार्थ, कठोर अनुशासन के पालनार्थ, साम्राज्य के प्रति राजभक्ति के लिए वचन बद्ध हों।" समिति के विधान की प्रस्तावना में गोखले ने लिखा था, "अब हमारे देशवासियों को काफ़ी संख्या में आगे आ जाना चाहिए और देशहित के कार्य में स्वयं को उसी भावना से समर्पित कर देना चाहिए जिस भावना से कि धार्मिक कृत्य किया जाता है। सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिकतामय होना चाहिए। देश प्रेम हृदय को इस प्रकार आप्यायित कर दे, कि उसके सामने अन्यान्य सभी वस्तुएं अत्यन्त हेय मालूम पड़ने लें।" वे दक्षिण अफ्रीका भी गये थे और उन्होंने कुछ समय तक महात्मा गाँधी के साथ काम भी किया था। गाँधीजी के सत्याग्रह-धर्म के वे प्रशंसक हो गये थे।

गोखले के चरित्र में कई दुर्लभ गुण थे। अपनी स्पष्ट सत्यवादिता और बौद्धिक साहस के लिए वे विख्यात थे। वे अपनी राय को उस समय तक कभी प्रकट नहीं

करते थे, जब तक उसकी सच्चाई में उनका पूर्ण विश्वास न हो जाता था, जब वे एक बार कोई राय कायम कर लेते थे अथवा किसी आदर्श को अपना लेते थे, तब न तो आलोचना और न बदनामी ही उन्हें अपने निर्धारित पथ से विमुख कर पाती थी। वे एक निःस्वार्थ

गोखले का चरित्र
और उनकी
विचार धारा

देशभक्त थे, जिनके हृदय में कदापि कोई हीन विचार नहीं आया। यद्यपि उनका व्यवहार कभी कभी रूखा प्रतीत होता था; फिर भी उनका व्यक्तित्व आकर्षक था जो हृदय में उनके प्रति न केवल आदर अपितु प्रेमभाव का भी संचार करता था। यद्यपि उनके आदर्श बहुत ऊंचे थे, परन्तु यथार्थ को भी वे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। वस्तुतः वे व्यावहारिक आदर्शवादी थे। वे एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो स्पृहणीय आदर्श और ऐसे आदर्श के बीच, जो स्पृहणीय हो परन्तु साथ ही साथ प्राप्तव्य भी हो, भेद समझ सकते थे। लार्ड मॉर्ले के कथनानुसार इनका मस्तिष्क राजनीतिज्ञ का मस्तिष्क था और इनमें शासक के उत्तरदायित्व की भावना थी। मैकि-यावेली (Machiavelli) की भाँति वे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी साधन को ठीक न समझते थे, वरन् जीवन के प्रत्येक कार्य को नैतिकता के आधार पर रखते थे। लार्ड कर्जन ने उनको एक बार लिखा था, "ईश्वर ने आपको असाधारण योग्यताओं से आभूषित किया है और आपने उन योग्यताओं को देश के हितार्थ प्रयुक्त किया है।"

गोखले का उग्र राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं था। वे नरम राष्ट्रीयता के अनुयायी थे। अंग्रेजों ने भारतवर्ष को जो सरक्षणता प्रदान की, इसके वे प्रशंसक थे। ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्त पूर्ण सहयोग और भारत की नीति का वे समर्थन किया करते थे। सामान्यतः गोखले जनता और सरकार के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। "वे जनता की आकांक्षाएं वायसराय तक पहुँचाते थे और सरकार की कठिनाइयाँ कांग्रेस तक।" स्वभावतः इसके कारण इनकी स्थिति कभी कभी विषम हो जाती थी। उनके सहयोगी उनको बहुत नरम समझते थे और सरकार इनके ऊपर उग्र होने का दोषारोप करती थी। तथापि अपनी सारी नरमी के बावजूद भी गोखले दादाभाई नौरोजी अथवा फीरोजशाह मेहता की अपेक्षा कहीं अधिक निर्भीक वक्ता और नौकरशाही के कठोर आलोचक थे। पट्टाभि सीतारामैया के अनुसार "उनमें कडी से कडी बात को भी मधुर भाषा में कहने का बड़ा गुण था।"* परन्तु यदि वे आलोचना में कोमल शब्दावली का प्रयोग करते थे, उनके अर्थ में संदेह की गुंजायश नहीं रहती थी। जब लार्ड कर्जन के प्रतिगामी कार्यों ने अंग्रेजों की नेकनीयती में उनके सारे विश्वास को नष्ट कर दिया, तब उनकी भाषा भी कुछ

* पट्टाभिय सीतारामय्याः दी बिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, पृ. १४८।

कठोर हो गई। उन्होंने अपने स्वभाव के विरुद्ध तनिक बिगड कर यह कहा था "तो अब मैं इतना ही कह सकता हू कि लोक-हित के लिए नौकरशाही से किसी तरह के सहयोग की तमाम आशाओं को नमस्कार।" अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में गोखले का सरकार के ऊपर से विश्वास हटने लगा था और वे शिकायते करने लगे थे कि नौकरशाही स्पष्टतः स्वार्थसाधु और खुल्लम-खुल्ला राष्ट्रीय आकाशाओं के विरुद्ध होती जा रही है।" इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि १९०५ के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके कि वे अध्यक्ष थे, उन्होंने स्व-शासन के ध्येय पर समुचित प्रकाश डाला, उसकी सुविस्तृत व्याख्या की, राजनीतिक शास्त्र के रूप में बहिष्कार का समर्थन किया और कहा कि इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब कि अन्य कोई चारा न रह गया हो।

१६. युग के अन्य राष्ट्रवादी

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में भारत में कई असाधारण सार्वजनिक व्यक्ति हुए। जिनका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, उनके अलावा., उमेशचन्द्र बेनर्जी, दीनशा एदल जी वाचा, फिरोजशाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, न्यायाधीश रानाडे, आनन्दमोहन बोस, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर और सी० विजय राघवाचार्य आदि नक्षत्रों से देश भक्तों की आकाश गंगा अल कृत थी। वैसे तो बाल गंगाधर तिलक भी इसी युग में हुए, परन्तु उनमें और नरम राष्ट्रीयता के उपासकों में अन्तर था। उनके कर्तृत्व और चरित्र का हम अगले अध्याय में वर्णन करेंगे।

उमेशचन्द्र बेनर्जी का यहाँ पर उल्लेख करना केवल इसलिए ही आवश्यक नहीं है कि वे कांग्रेस की नींव डालने वालों में से थे और उन्होंने कांग्रेस के प्रथम-अध्यक्ष-

उमेशचन्द्र

बेनर्जी

पद को सुशोभित किया था अपितु सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी की भाँति कांग्रेस की स्थापना करने में उन्होंने भी कठिन प्रिश्रम किया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षपद से दिया-गया उनका भाषण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। डाक्टर

पट्टाभि सीतारामैया के शब्दों में "यदि प्रामाणिक रूप से जानना हो कि कांग्रेस का प्रारम्भिक उद्देश्य क्या था, तो उसके प्रथम अधिवेशन के सभापति उमेशचन्द्र बेनर्जी के भाषण की ओर ही निगाह दौडानी पड़ेगी" दीनशा एदल जी वाचा कांग्रेस के

दीनशा एदल

जी वाचा

सर्वाधिक आदरणीय बुजुर्गों में से थे। पच्चीस वर्षों से अधिक काल तक वे कांग्रेस की राजनीति में अग्रिम भाग लेते रहे। वैसे वे बहुत ही नरम थे और सरकार उनपर विश्वास करती थी, लेकिन फिर भी वे 'कांग्रेस के फॉयर

बाड' के नाम से विख्यात हो गए थे। शासन की ओर से उन्हें 'नाइटहुड' की उपाधि प्रदान की गई थी और वे भारतीय विधान परिषद (Indian Legislative Council) के लिए नामजद किए गए थे। फ़िरोज़शाह मेहता महान पारसी 'त्रिदेव' में से एक थे—दूसरे दादाभाई नौरोजी और तीसरे दीनशा एदलजी वाचा थे जिन्होंने, प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस की सेवा की और फ़िरोज़शाह मेहता उसे शक्तिशाली बनाया। १९१५ में अपनी मृत्युपर्यन्त वे सार्वजनिक कार्य कर्त्ता रहे और उन्होंने अपने देश की प्रभूत सेवा की। अपनी रचनात्मक राजनीतिक मेधा के लिए वे सुविख्यात थे और उन्होंने बम्बई काँग्रेसियन बंबई विधान परिषद तथा वायसराय की परिषद के सदस्य के रूप में विशेष यश अर्जित किया। उन्होंने कांग्रेस के छठे अधिवेशन (१८९०) का सभापतित्व किया था और अपने भाषण में लार्ड सेल्सबरी के इस विचार का खडन किया कि प्रतिनिधि-शासन, पूर्वी परंपराओं अथवा पूर्व के निवासियों की मन स्थिति के अनुरूप नहीं है और अपनी बात की पुष्टि में मि० चिसहाम अन्स्टे (Chisohm Anstey) का यह उद्धरण पेश किया कि "स्थानिक-स्वराज्य का जनक तो पूर्व ही है, क्योंकि स्वशासन का अधिक से अधिक विस्तृत जो अर्थ हो सकता है, उस रूप में वह प्रारम्भ से ही यहाँ मौजूद रहा है"। अन्यान्य नरम राष्ट्रवादियों की तरह "अँग्रेजों शिक्षा तथा सस्कृति के प्राणवान् और उर्वर सिद्धान्तों में" फ़िरोज़शाह मेहता की भी असीम आस्था थी। वे "समयानुकूल राजनीतिज्ञता दिखाने की प्रार्थना और वह भी नम्रता और सयम के साथ" करने के विश्वासी थे। इस विषय में उन्हें तनिक भी सदेह नहीं था कि "अत में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हमारी पुकार को अवश्य सुनेंगे"। नरमदल और गरम दल के बीच सूरत विच्छेद के पश्चात् मेहता धीरे धीरे कांग्रेस से ओझल हो गए और १९१० में उन्होंने द्वारा कांग्रेस के सभापति का आसन ग्रहण करने से इन्कार कर दिया।

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महादेव गोविंद रानाडे का नाम भी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। बहुत बारीकी से उत्तरें तब तो उन्हें कांग्रेसी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे बम्बई सरकार के न्याय-विभाग के उच्चा **महादेव गोविन्द** -धिकारी थे लेकिन यदि वे कांग्रेस के रगमंच पर दिखाई **रानाडे** नहीं देते थे या बहुत कम देते थे, तो वर्षों तक पीछे से कांग्रेस का सूत्र संचालन करने-वाली शक्ति वे बने रहे थे। अपने युग के वे महानतम भारतीय विचारक थे और कांग्रेस आंदोलन के नेताओं पर उन्होंने अक्षुण्ण प्रभाव डाला था। गोखले उनके बहुत से शिष्यों में से एक थे। वे अविश्वात उस्ताही सामाजिक कार्यकर्त्ता और "भारतीय अर्थ शास्त्र पर निबंध" (Essays in Indian Economics) और "मराठों का उत्कर्ष" The Rise of the Maharashtra Power) जैसी स्मरणीय पुस्तकों के लेखक थे जो कि अब भी अपने

विषयों पर 'क्लासिक्स' मानी जाती हैं। बबरुद्दीन तैयब जी का भी उल्लेख करना आवश्यक है। वे कांग्रेस में प्रवेश करने वाले सर्व प्रथम बबरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम थे। कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन (१८८७) का उन्होंने सभापतित्व किया था। बम्बई हाई कोर्ट के जज होने पर वे कई वर्षों तक कांग्रेस से अलग रहे लेकिन १९०४ में कांग्रेस में पुनः लौट आए और इसके दो वर्ष बाद तक, अपनी मृत्युपर्यंत, अत्यन्त उत्साह पूर्वक काम करते रहे।

२०. १८६२ का इंडियन कौंसिल्स एक्ट

१८३३ में मैकॉले ने आशा व्यक्त की थी कि एक दिन वह आयेगा जब भारतीय "यूरोपीय सस्थाओं" की माग करेंगे। मैकॉले ने तो "किसी भावी युग" की भाषा में बात की थी, परन्तु वह दिन इतनी शीघ्र आ पहुँचा, जिसका मैकॉले को स्वप्न में भी भान न रहा होगा। कांग्रेस का एक कर्तृत्व कांग्रेस की स्थापना १८८५ में हुई थी और उसने अपने प्रथम अधिवेशन में ही, "यूरोपीय सस्थाओं" की माग की। सरकार के तत्कालीन रवैये के प्रति उसने घोर असतोष प्रगट किया, १८६२ के एक्ट के अंतर्गत विधान परिषदों के सुधार और विस्तार की तथा संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) और पंजाब के लिए परिषदों को स्थापित करने की माग की। एक प्रस्ताव द्वारा प्रांतीय और केन्द्रीय परिषदों में "अधिक निर्वाचित सदस्यों के प्रवेश" की मांग की गई। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किये गए थे, उनमें कहा गया था:—

- (१) परिषदों के कम से कम आधे सदस्य निर्वाचित होने चाहिए।
- (२) परिषदों को 'बजट समेत सभी आर्थिक प्रश्नों के विवेचन का अधिकार होना चाहिए।'
- (३) 'सुरक्षा की सीमाओं में रहते हुए' परिषद् के सदस्यों को 'शासन-सम्बन्धी सभी मामलों में प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए।'

इन मांगों को लेकर कांग्रेस ने दो शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजे। इन शिष्ट मंडलों को भेजने में कांग्रेस का उद्देश्य यह था कि वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को इस बात का विश्वास दिलायें कि भारत में प्रतिनिधि शासन के ध्येय की ओर पग बढ़ाने की गम्भीर आवश्यकता है। १८९२ का एक्ट, स्पष्टतः इन प्रयासों का ही परिणाम था।

भारतीय शासन में प्रतिनिधित्व के सूत्रपात की ओर प्रथम पग १८६१ के इंडियन कौंसिल एक्ट के अंतर्गत ही उठा लिया गया था। इस एक्ट के अनुसार

कानून बनाने के लिये गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और गवर्नर जनरल को कम से कम छह तथा अधिक से अधिक बारह सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार मिला। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि मनोनीत सदस्यों में कम से कम आधे गैर सरकारी होंगे। इसी एक्ट में प्रांतों में भी विधान परिषदों के संस्थापन की बात कही गई थी जिनमें कम से कम चार और अधिक से अधिक आठ मनोनीत सदस्यों को प्रवेश करने का अधिकार दिया गया था। इनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। इस एक्ट के अंतर्गत निर्मित विधान परिषदों को विधान परिषद् कहना उचित नहीं मालूम पड़ता; वस्तुतः वे तो दरबार थीं। इसमें भारतीय जनता को अपने प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार नहीं दिया गया था। वस्तुतः अधिकांश निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य यूरोपीय ही होते थे। इसके अलावा परिषदों के अधिकार बड़े परिमित थे। उन्हें न तो बजट पर ही बहस करने का और न शासन सम्बंधी मामलों में कार्यकारिणी से प्रश्न करने का अधिकार था।

प्रतिनिधित्व का
श्रीगणेश

भारतीय शासन विधान सम्बंधी एक्टों में १८६१ के एक्ट के पश्चात् १८९२ का ही एक्ट महत्व का है। इस एक्ट के अनुसार (१) भारतीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। भारतीय विधान परिषद में गवर्नर जनरल की कौंसिल के अतिरिक्त, कम से कम दस और अधिक से अधिक बीस सदस्य बढ़ाये जा सकते थे और प्रांतीय विधान परिषदों में कम से कम आठ और अधिक से अधिक बीस (२) गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि वे परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात करें—यद्यपि निर्वाचन शब्द का प्रयोग सब अथवा कुछ अतिरिक्त सदस्यों के चुनने के लिए नहीं हुआ था। वस्तुतः यह निश्चित किया गया कि कुछ गैर सरकारी स्थान तो नाम निर्देशन (Nomination) द्वारा ही पूर्ण किये जाते रहे और शेष स्थानों की पूर्ति उन नामजद किए गए व्यक्तियों में से कुछ को चुनकर की जाय जिनकी सिफारिश म्युनिसिपल कमेटियाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कॉर्पोरेशन, विश्व विद्यालय अथवा व्यापारिक मंडल आदि करें। (३) कौंसिल के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, यद्यपि वे उस पर वोट देने के अधिकार से वंचित रखे गये। जनहित के मामलों में उन्हें प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं दिया गया।

१८६२ के एक्ट
के उपबंध

एक्ट ने कुछ रियायतें तो की परंतु वे बहुत अपूर्ण और अपर्याप्त थीं। परिषदों के आकार की वृद्धि 'क्षुद्र और तुच्छ थी'। १८९२ के अपने अधिवेशन में कांग्रेस ने

एक्ट की आलोचना

इस बात की शिकायत की कि 'स्वतः इस एक्ट के द्वारा लोगों को परिषदों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया गया है।' नई परिषदों को सरकार की आर्थिक नीति पर तो सामान्य ढंग से बहस करने का अधिकार दिया गया परंतु उन्हें बजट पर मतदान का अथवा सशोधन उपस्थित करने का अधिकार नहीं दिया गया। सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु वे पूरक प्रश्न (Supplementary questions) करने के अधिकार से वंचित रखे गये।

सारांश

१८८५ में स्थापित कांग्रेस ने प्रभाव और लोकप्रियता में शीघ्र उन्नति की तथा वह 'देश में एक शक्ति' बन गई। प्रारम्भ से ही उसका दृष्टिकोण और स्वरूप विशुद्ध राष्ट्रीय था और उसने देश के सभी हितों, वर्गों, जातियों और धर्मों का प्रतिनिधित्व किया।

अपनी पहली अवस्था में कांग्रेस एक क्रांतिकारी नहीं, अपितु सुधारवादी सगठन था। इस पर उदार अथवा नरम राष्ट्रवादियों का एकछत्र प्रभुत्व था जिनका ब्रिटिश जनता की जन्म-जात न्याय प्रियता तथा प्रजातांत्रिक भावनाओं में असीम विश्वास था। ब्रिटिशराज से भारत को जो लाभ हुए, उनकी वे प्रशंसा करते थे, और ब्रिटिश राज के प्रति राजभक्ति की घोषणाएँ करना' शर्तें लेना उनका स्वभाव था। इसमें कोई सदेह नहीं कि भारत में नौकरशाही के वे आलोचक थे परंतु उनका विश्वास था कि वैधानिक उपायों से, सहयोग की नीति द्वारा ही भारतवर्ष धीरे धीरे स्वशासन (ब्रिटिश शासन के अंतर्गत) के लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जायगा और सब अव्यवस्था एवं अशांति ठीक होजायगी। 'प्रार्थनाओं और आवेदनों' के प्रोग्राम में ही उनकी दृढ़ आस्था थी, जिसे कि बाद में 'राजनीतिक भिक्षावृत्ति' के नाम से अभिहित किया गया।

यह नरम राष्ट्रवादियों का भ्रम था कि उन्होंने भारत और इंग्लैंड के हितों को परस्पर सम्बद्ध समझा। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में विशुद्ध वैधानिकवाद की दुर्बलता का अनुभव करने में वे असफल सिद्ध हुए। परंतु उनका कार्य भी निष्प्रयोजन नहीं था। वे भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माता थे और उन्होंने उसे अपूर्व बल प्रदान किया। सार्वजनिक भाषणों और सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर विचार विमर्श के द्वारा उन्होंने जनता को राजनीतिक शिक्षा दी। इसके अलावा १८९२ का इंडियन कौंसिल्स एक्ट नरम राष्ट्रवादियों के उद्योगों का ही फल था।

कांग्रेस की स्थापना शासको के सहयोग से हुई थी, परंतु ब्रिटिश अधिकारियों को शीघ्र ही कांग्रेस की मार्गें और आलोचनाएँ अस्वीकार और असह्य प्रतीत होने लगीं। परिणामतः उन्होंने उसकी उन्नति में रोड़े अटकाने शुरू किए। लार्ड डफरिन तक भी, जिन्होंने कि कांग्रेस की स्थापना में योग दिया था, अब उसके विरुद्ध हो गये और उन्होंने उसे भारतीयों के 'अतिसूक्ष्म अल्प मत' (Microscopic Minority) का प्रतिनिधित्व करने वाली 'राजद्रोहात्मक' सस्था बताया। फिर भी सरकार ने कांग्रेस को असंतुष्ट रखना उचित न समझा, उसे राजी करने की कोशिश की और १८९२ का एक्ट उसकी उक्त नीति का फल था।

अध्याय ४

उग्र राष्ट्रीयता का विकास

२१. भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में नूतन प्रवृत्तियाँ

१८९२ के तुरन्त बाद ही, जब कि नया इंडियन कौंसिल्स एक्ट पास किया गया था, भारत ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नूतन प्राणधारा का विकास देखा। इसने ब्रिटिश शासन के प्रति उग्र विरोध का स्वरूप धारण किया। यद्यपि कांग्रेस पर प्रभुत्व तो उदार दल का ही बना रहा, परन्तु सगठन के अंतर्गत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में एक नूतन शक्ति का आविर्भाव हुआ। इसके कुछ समय पश्चात् बंगाल के राष्ट्रीय नक्षत्रमंडल में भी विपिन चन्द्र पाण्डे और भरविंद घोष जैसे नेता चमके जिन्होंने कि भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में नवीन जीवन धारा का संचार किया। महाराष्ट्र और बंगाल के इन नेताओं ने कांग्रेस आंदोलन की रागिनी में नया स्वर भरा, उसे नयी गति और नयी दिशा प्रदान की वे उग्रवादी (Extremists) के नाम से विख्यात थे क्योंकि उनका दृष्टिकोण क्रांतिकारी था और वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सक्रिय प्रतिकार पर बल देते थे। उदारवादियों से उनका मत भेद न केवल भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति अपने दृष्टिकोण के ही सम्बन्ध में था, अपितु भारत के राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे जिन साधनों का समर्थन करते थे, उनकी दृष्टि से भी दोनों में मतभेद था। उदारवादी, जैसा कि हम पूर्व ही देख चुके हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपनी राजभक्ति की स्पष्ट घोषणा करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में ब्रिटिश-नौकरशाही के वे आलोचक थे परन्तु अग्रज जाति की तथाकथित उदात्त लोकतंत्रात्मक भावनाओं में उनकी अचल-अटल श्रद्धा थी। फलतः वे विश्वास करते थे कि अग्रजों की छत्रछाया में भारत राजनीतिक उन्नति और आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है और भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विस्तृत वैधानिक उपायों का ही प्रयोग करना चाहिए। उग्रवादी ब्रिटिश शासन

उग्रवादी

(Extremists)

उग्रवादी और

उदारवादियों

की तुलना

का खुल्लम-खुल्ला विरोध करते थे, उसे प्रतिगामी बनाते थे, देश की आर्थिक अवनति व सांस्कृतिक अघोषिता का उत्तरदायित्व उसके सिर मढ़ते थे। राजनीतिक भिक्षण-वृत्ति की नीति में उनकी बहुत कम आस्था थी। अंग्रेजों की कृपाकोर पर निर्भर रहने के बजाय, वे चाहते थे कि, भारतीय अपनी शक्ति पर ही भरोसा करें। उन्होंने स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया और कहा कि इस लक्ष्य को राजभक्ति के पारितोषिक के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सहकार्यता के प्रतिकूल अवज्ञा की नीति का प्रचार किया। उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान करने और कष्ट सहने के लिए भारतीय जनता का आवाहन किया। उग्र और उदार दल के विरोध पर तिलक का कहना था “राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। उदार दल सोचता है कि वे समझाने से प्राप्त हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि वे तीव्र दबाव से ही प्राप्त हो सकते हैं।”

१८९२ के सुधारों के बाद के वर्षों ने उग्र राष्ट्रीयता की एक अन्य धारा आतंकवादियों (Terrorists) का जन्म देखा। उग्रवादी उदारवादियों के विशुद्ध वैधानिकवाद (constitutionalism) का खंडन करते थे परंतु उन्होंने हिंसा के प्रयोग का कदापि समर्थन नहीं किया। वे राजनीतिक आंदोलन व शांतिपूर्ण विरोध में भरोसा रखते थे। परंतु आतंकवादी उग्र प्रकृति के राष्ट्रवादी थे। उन्होंने हिंसा का आश्रय ग्रहण किया। वे भारत की सम्पूर्ण साम्राज्यवादी व्यवस्था को कत्लो और डकेतियों आदि के प्रोग्राम द्वारा अस्तव्यस्त करने की आशा रखते थे। राष्ट्रवादी आंदोलन के एक भाग के रूप में हम आतंकवाद के अनुक्रम का इस अध्याय के अंत में अध्ययन करेंगे।

आतंकवादी
(Terrorists)

२२. उग्रवाद के प्रादुर्भाव के कारण

भारतीय राष्ट्रवादियों में क्रांतिकारी भावना के विकास के प्रमुखतम कारणों में से एक ब्रिटेन नौकरशाही की असहाय प्रतिगामी नीति के प्रति बढ़ता हुआ असंतोष था। १८९२ का ‘इंडियन काउंसिल्स एक्ट’ (Indian Councils Act) उदारवादियों तक को संतुष्ट करने में असफल हुआ था। सरकार राष्ट्रीय आकांक्षाओं को कुचलने की नीति का कठोरता पूर्वक अंधाधुन्ध अनुकरण करती रही। १८९२ में गोखले को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि वे अधिकारियों को यह चेतावनी दे दें कि सरकार की जो प्रतिगामी नीति है, उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। १८९७ में सरकार

नौकरशाही
कुशासन और
इमान

ने तिलक को गिरफ्तार किया और राजद्रोह के अपराध में उन्हें १८ मास के लिए कठोर कारावास का दण्ड दिया। दक्षिण के सुप्रसिद्ध और प्रभावशाली जमीदार— नटु-बंघुओं को देश निकाला दे दिया गया और उनकी सम्पत्ति जब्त करली गई, उनके ऊपर सदेह यह किया गया था कि वे प्रात के राजनीतिक आंदोलन से सम्बद्ध हैं। इन्होंने और इस प्रकार के दूसरे क्रूरता पूर्ण कृत्यों ने सम्पूर्ण देश में क्रोध तथा प्रतिशोध की लहर फैला दी। रमेशचन्द्र दत्त के शब्दों में 'ब्रिटिश शासकों की न्याय और सम-दृष्टि-भावना में भारतीय जनता का जो विश्वास था वह ऐसा हिल गया, जैसा कि पहले कभी नहीं'।

बीसवीं शताब्दि के प्रथम दशक में उग्र राष्ट्रीयता के विकास का एक सहायक कारण अकाल और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव भी था। शासकों ने उनके निवारण करने के प्रयासों में जिस उदासीनता और सुस्ती का परिचय दिया, उससे सम्पूर्ण भारतीय जनता सरकार के प्रति अतीव रूष्ट हो गई। १८९६-९७ में दक्षिण में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। इससे जनता को अकथनीय कष्टों का सामना करना पड़ा और जन-जीवन की अपार हानि हुई। अकाल से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने जिस मदगति से काम किया और लगान क्षमा कर देने के सम्बंध में जो शिथिलता दिखाई, उसके कारण जनता ने बहुत से ऐसे कष्टों के लिए, जिनका निवारण किया जा सकता था, सरकार को ही दोषी ठहराया। १८९९-१९०० में पुन. वर्षा न हुई व एक और अकाल पड़ा जो पहले अकाल की अपेक्षा कहीं अधिक भीषणतर था। १८९७-९८ में पूना में प्लेग बड़े जोरो से फैली। एक तो लोग अकाल के मारे ही परेशान थे, प्लेग ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि १,७,३००० व्यक्ति इस बीमारी के कारण काल कवलित हो गये। परंतु यह तो सरकारी रिपोर्ट की बात है, जब कि यथार्थतः इससे कहीं बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें कोई सदेह नहीं कि इस संकट का सामना करने में अधिकारियों ने अपनी ओर से कुछ उठा न रक्खा, परंतु इस बीमारी को दूर करने के साधनों में सरकार ने जनसाधारण की धार्मिक धारणाओं का कोई ध्यान न रक्खा, इनके प्रयोग में बड़ी कठोरता से काम लिया और इस प्रकार से जनता के धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाई। जनता बड़ी असंतुष्ट हुई। पूना की प्लेग कमेटी के सभापति मि. रैन्ड से, जिन्होंने कि प्लेग-विरोधी उपादानों के लागू करने में ब्रिटिश सैनिक दस्तों को नियुक्त किया था, जन साधारण विशेष रूप से क्रुद्ध था। इस बात का समाचार-पत्रों और भाषणों के द्वारा तीव्र विरोध किया गया। एक दिन मि. रैन्ड और एक सैनिक अधिकारी

लैफ्टिनेंट आयरस्टेंट को गोली से मार दिया गया। इससे सारे भारत में सनसनी फैल गई। सरकार ने कठोर दमन नीति से काम लिया। फलतः जनता में और भी असंतोष बढ़ा।

ग्राम तौर पर भारत में यह अनुभव किया जाता था कि जनता को जिन कष्टों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे ब्रिटिश शासन की भारत के सत्रध में अपनाई गयी उस आर्थिक नीति के अनिवार्य परिणाम हैं जिसमें कि भारत के हितों की अपेक्षा इंग्लैंड के हितों को ही आर्थिक असंतोष अधिक प्रधानता दी जाती है। इसका स्वाभाविक फल यह हुआ कि जनता के हृदय में तीव्र से तीव्रतर ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ जागृत हुईं। दादाभाई नौरोजी, रमेशचंद्रदत्त, दीनशा एदलजी वाचा आदि की रचनाओं ने यह सिद्ध किया कि भारत की बढ़ती हुई गरीबी का एकमात्र कारण विदेशी शासन की वह नीति है जिसके फलस्वरूप देश का धन खिंच कर विलायत में पहुँचा जा रहा है। उन्होंने "हमारी राष्ट्रीयता को आर्थिक व राजनीतिक नींव" प्रदान करने में सहायता दी। भारतवर्ष के विकासोन्मुख व्यापारीवर्ग को देश की औद्योगिक उन्नति की वेदी पर बलि किया जा रहा था, इससे भारत की निर्धनता में वृद्धि न होती तो और क्या होता? कपास की बनी चीजों पर पहले ५% आयात कर था, वह घटाकर ३.५ ही कर दिया गया। भारतवर्ष में तय्यार किए गये कपास के कपड़ों आदि पर तथाकथित 'तुल्यभूत अतःशुल्क' (Counter-Vailing Excise duty) लागू कर दिया गया। सब कृत्य प्रगट रूप से सरकार के साम्राज्यवादी शोषण की नीति का परिचय देते थे।

सुशिक्षित मध्यवर्गीय का शासन के उच्च पदों से निष्कासन कर दिया गया, अतः उनके हृदयों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विरोध भाव की चिंगारी सुलग रही थी। लार्ड कर्जन के शासनकाल में इस चिंगारी ने और भी तीव्र रूप धारण किया। १९०४ में लार्ड कर्जन ने घोषणा की 'उच्च सरकारी पदों पर केवल अंग्रेजों की ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए।' उन्हे इतने से ही सतोष नहीं हुआ, उन्होंने यह कह कर कि आनुवंशिकता, शिक्षा, योग्यता और कार्यक्षमता आदि की दृष्टि से शासन के उत्तरदायित्व का भार वहन करने के लिए भारतीयों की अपेक्षा अंग्रेज अधिक उपयुक्त हैं, कटे पर नमक छिड़का। लार्ड कर्जन की यह दर्पोक्ति भारत के जातीय अभिमान के ऊपर पाद-प्रहार के तुल्य थी, देशभक्त भारतीयों के लिए यह सर्वथा असहनीय थी और १८५८ में महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा की थी, उसके बिल्कुल प्रतिकूल थी। कोई आश्चर्य नहीं कि नवयुवकों ने बहुत बड़ी संख्या में इस चुनौती

को स्वीकार करने और स्वयं को भारतीय भूमि से ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंक देने के महत्वार्थ में सलग्न कर देने का दृढ़ निश्चय किया। उग्र राष्ट्रीयता की नूतन चेतना को उन धार्मिक पुनरुत्थान के आदर्शों से भी प्रभूत प्रेरणा मिली जिन्होंने कि उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भारतीय जन-जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। विवेकानन्द, रामतीर्थ, दयानन्द और एनीबेसेट की शिक्षाओं ने उग्र राष्ट्रीयता के नेताओं के ऊपर गम्भीर प्रभाव डाला। उग्रवादियों में धार्मिक उत्साह विशेष रूप से था, वे भारत और उसकी जनता के पश्चिमीकरण के घोर विरोधी थे। विपिन चन्द्र पाल, बाल-गंगाधर तिलक और लाला लाजपतराय आदि की उग्र राष्ट्रीयता हिन्दू धर्म की कट्टरता पर आश्रित थी। धार्मिक पुनरुत्थान को उस समय के सांस्कृतिक नवजागरण से अप्रतिहत वेग प्राप्त हुआ। बकितचन्द्र चटर्जी, रवीन्द्र नाथ टैगोर, तिलक तथा अन्यान्य सामर्थ्यवान् विचारकों की रचनाओं ने भारतीयों को अपने देश पर और उसकी संस्कृति पर अभिमान करना सिखाया। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय तरंगिणी को नूतन पवाह से आवेष्टित कर दिया। पश्चात्य संस्कृति का प्रवेश, प्रचार और प्रसार भारतीय जनता के हृदय में हीन-भाव का संचरण कर सकता है, अतः उसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता में उनकी अपार निष्ठा थी और भारत के उच्च मनःशिखर के सम्मुख वे पश्चिम को एक बच्चे के समान ही समझते थे। वे चाहते थे कि भारतीय अपने देश के अतीत गौरव से प्रेरणा ग्रहण करें। राष्ट्रीयता और धार्मिक पुनरुद्धार का गठबन्धन पूर्णतः प्रगतिशील विकास नहीं था और हिन्दू संस्कृति पर दिया गया जोर भी खतरे से खाली नहीं था। परन्तु इतना असदिग्ध भाव से कहा जा सकता है कि इसने जनता को एक नवीन चेतना अथवा पुरुषोचित आत्म-निर्भरता और विदेशी शासन के प्रतिकार करने का, कष्ट सहने का और यदि आवश्यकता हो तो उत्सर्ग करने का दृढ़ निश्चय प्रदान किया।

लार्ड कर्जन के प्रतिगामी शासन ने भारत में सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न किया। उन्होंने जिस साम्राज्यवादी नीति का आश्रय लिया, उससे रूष्ट होकर नव-युवक बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिश शासन के तीव्र विरोधी हो गये। कर्जन तेज तर्रार प्रकृति के व्यक्ति थे और वे अपने कुछ श्रेष्ठ प्रशासनिक सुधारों के लिए याद किये जाते हैं। परन्तु भारत में उनका शासनकाल सतत भारत विरोधी नीति से परिपूर्ण था। कर्जन सिर से पैर तक कट्टर साम्राज्यवादी थे, भारतीयों के प्रति उनके हृदय में तीव्र अविश्वास की भावना थी और वे भारत में

धार्मिक पुनरुत्थान
और सांस्कृतिक
नवजागरण

कर्जन का प्रतिगामी
शासन

ब्रिटिश नौकरशाही के पावो को अधिक से अधिक मजबूत करना चाहते थे। वे शासन में यत्रतुल्य कुशलता का सवरण करना चाहते थे। अपने इस लक्ष्य को सिद्ध करने के अर्थ को उन्होंने केन्द्रीकरण की नीति को अति तक पहुँचा दिया और समस्त महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज पदाधिकारियों की नियुक्ति की। कृषि, शिक्षा, सफाई और सिंचाई आदि विषय प्रान्तीय सरकारों के नियंत्रण में थे, कर्जन ने उनका केन्द्रीकरण करके और बहुत से विशेषज्ञों की नियुक्ति के द्वारा शासन में एकरूपता लाने का प्रयत्न किया। इसके अलावा वे नम्बर एक के नौकरशाह थे, वे कुशलता को सरकारी नियंत्रण का पर्याय मानते थे। उनका पहला प्रहार स्थानीय स्व-शासन की सस्थाओं के उपर हुआ। वे सस्थाएँ लार्ड रिपन के पश्चात् से अत्यन्त तीव्र गति से उन्नति कर रही थी। लार्ड रिपन ने यह आशा व्यक्त की थी कि स्थानीय स्व-शासन की सस्थाएँ भारतीयों को अपने देश का शासन आप करने की कला में महत्वपूर्ण शिक्षण प्रदान करेगी। इसके प्रतिकूल कर्जन ने यह अनुभव किया कि भारतीयों को इस प्रकार की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे लोक-उपक्रम (Popular Initiative) को अनुत्साहित करने और स्थानीय सस्थाओं के नौकरशाहीकरण में भरोसा रखते थे। कलकत्ता कार्पोरेशन एक्ट (Calcutta Corporation Act of 1899) के द्वारा उनकी सरकार ने स्थानीय स्वराज्य के विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया। कार्पोरेशन के सदस्यों की संख्या ५० से घटा कर २५ कर दी गई। इस परिवर्तन का कारण, सरकारी नीति के अनुसार यह था कि कार्पोरेशन के सदस्य व्यर्थ के वाद विवाद में लगे रहते थे और काम करने में आवश्यकता से अधिक विलम्ब लगता था। जनताके दृष्टिकोण से यह एक्ट कार्पोरेशन को सरकारी प्रभाव में रखने के लिए पास किया गया था और उसका उद्देश्य यह था कि भारतीय कर देनेवालों का रूपया अंग्रेज मनोनीत सदस्य मनमानी ढंग से खर्च कर सकें और कार्पोरेशन की नौकरियों में यूरोपियन व यूरेशियन कर्मचारी भर दिये जायें। लार्ड कर्जन ने कुशलता और प्रबोध चास्ता के नाम में विश्वविद्यालयों का भी 'सरकारीकरण' किया, अर्थात् उन्हें भी सरकारी नियंत्रण में लेने की चेष्टा की। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट के द्वारा लार्ड कर्जन ने सीनेट के सदस्यों की संख्या को कम कर दिया, सिडीकेट और दूसरी प्रबोध-समितियों के संगठन में सशोधन किये, किसी कॉलेज की विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में रक्खा और कॉलेजों के सरकारी निरीक्षण की व्यवस्था की। इस एक्ट ने विश्वविद्यालयों की अधिकार स्वतंत्रता का, स्वायत्तता का अग्रहरण कर लिया और उन्हें कठोर नौकरशाही नियंत्रण में ला पटका।

कलकत्ता कार्पोरेशन

एक्ट, १८९९

भारतीय विश्वविद्यालय

एक्ट, १९०४

फ्रेजर के अनुसार इस कृत्य ने देश के अन्दर शक्तिशाली विरोध को जन्म दिया और शिक्षित भारतीयों को अनुभव हुआ कि "वॉयसराय का अभिप्राय विश्वविद्यालय प्रणाली पर एक प्रहार करने का है।"*

कर्जन की सैनिक नीति भी सतोषप्रद न थी, उनकी सीमान्तनीति, तिब्बत और फारस की खाड़ी के सैनिक अभियान और भारतीय सैनिक दस्तों को चीन भेजना आदि कार्य ऐसे थे, जिनका कि भारतीय जनता ने विरोध किया क्योंकि इनका ध्येय भारतीय घनागार के मूल्य पर ब्रिटिश-साम्राज्य का विस्तार करना था। लार्ड कर्जन के शासन-काल के छठे वर्ष अर्थात् सन् १९०४ में सरकारी गुप्त समितियों का कानून पास हुआ। लार्ड कर्जन के शासनकाल का यह कृत्य भी (Official Secrets Act) देशभक्त भारतीयों की भावनाओं पर एक कुठाराघात था। सरकारी गुप्त समितियों १८८९ और १८९८ के प्रारम्भिक "सरकारी गुप्त का कानून, १९०४ समितियों के कानूनों" ने शासन के हाथों में जो अधिकार प्रदान किये थे इसने उनमें और वृद्धि कर दी। इसके द्वारा सैनिक गुप्त बातोंके अतिरिक्त, सरकार की सार्वजनिक गुप्त बातों का भी प्रकाशन बडनीय निर्धारित हुआ और पत्रकारों की वे आलोचनाएँ भी अपराधी बतलाई गयीं जिनके कारण सरकार के प्रति सदेह या घृणा उत्पन्न होती हो। मिस्टर नेविन्सन (Nevinson) के कथनानुसार इस विधेयक के फलस्वरूप भारतीय पत्र और पत्रकार केवल वे ही बातें प्रकाशित कर सकते थे जिनको सरकार पसन्द करे। १८९८ के कानून में राजद्रोह की जो परिभाषा की गई थी, १९०४ के कानून ने उस परिभाषा में और अधिक विस्तार उत्पन्न किया।

भारतीय जनता के प्रति अपने अभिमानी और घृणामूलक दृष्टिकोण द्वारा कर्जन ने रोष का तूफान खड़ा कर दिया और ब्रिटिश विरोधी भावनाओं में वृद्धि की। उन्होंने भारतीयों के प्रति अपने अविश्वास को अत्यन्त कर्जन का अभिमान उद्धत भाषा में व्यक्त किया और खुल्लम खुल्ला इस बात की घोषणा की कि शासन के उत्तरदायित्वों के लिए भारतीय सर्वथा अनुपयुक्त हैं। सन् १९०५ में लार्ड कर्जन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत भाषण में हिन्दू और मुसलमानों के चरित्र पर भयंकर आक्षेप किये और इस बात पर जोर दिया कि पाश्चात्य देशों के नैतिक आचरण में सत्य का विशेष स्थान है और, पौरात्य देशों के नैतिक

* 'रोनाल्ड शे' लाइफ ऑफ लार्ड कर्जन . खंड २, पृ. ३३२, गुरुमुख निहाल सिंह द्वारा लैड-

आचरण में सत्य के स्थान पर मक्कारी और कूटनीतिज्ञता का प्रचार है। उनके विचारानुसार भारतीय साहित्य में भी इसी आचरण की प्रतिष्ठा है। प्राच्य देशों पर इस प्रकार का दोषारोपण नीतिमत्ता के विरुद्ध था, विशेषकर उस भाषण में जिसे उन्होंने विश्व विद्यालय के कुलपति के पद से दिया था। भाषण के विरोध में समस्त देश में सार्वजनिक सभाएं की गईं। कर्जन ने भारतीयों के गर्व और आत्म सम्मान को पैरो तले रौंदा और यह घोषणा करके कि 'भारतीय राष्ट्र' नामक कोई वस्तु नहीं है असीम रोष को जन्म दिया। कांग्रेस के प्रति अपने विरोध भाव को छिपाने की उन्होंने कोई परवाह नहीं की और आशा प्रकट की कि उसका शीघ्र ही अन्त हो जायगा।

लार्ड कर्जन के उक्त सभी कृत्यों से भारतीय जनता के हृदय में क्रोध का दावानल सुलग रहा था और असन्तोष के बादल बड़ी तीव्र गति से घुमड़ रहे थे। परन्तु जिस चीज से तूफान उमड़ा, वह बंगाल का विभाजन था और इसको लार्ड कर्जन की सबसे बड़ी मूर्खता के नाम से बंगाल का विभाजन पुकारा गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि, सरकारी १९०५

पक्ष में जो यह बताया गया कि बंगाल का प्रान्त बहुत बड़ा हो गया है, सुशासन की दृष्टि से उसका दो भागों में बाँटा जाना आवश्यक है, इस कथन में कुछ सत्यता अवश्य थी। उस समय बंगाल में, उड़ीसा व विहार भी शामिल थे और सब मिलाकर कुल प्रान्त की आबादी ८ करोड़ थी। यदि केवल मात्र सुशासन की ही दृष्टि से प्रान्त का विभाजन किया होता, तो औचित्यपूर्ण ठहराया जा सकता था, परन्तु कर्जन का वास्तविक उद्देश्य यह न होकर कुछ और था। कर्जन भाषा के आधार पर भी प्रान्त के विभाजन की आकांक्षा न रखते थे। लार्ड कर्जन की स्कीम के अनुसार बंगाल दो हिस्सों में बटा हुआ था, असली बंगाल जिसकी आबादी ५ करोड़ ४० लाख थी और जिसमें बंगाली भाषा भाषी जनो की संख्या केवल १ करोड़ ८० लाख थी तथा पूर्वी बंगाल व आसाम जिसकी आबादी ३ करोड़ १० लाख थी और जिसमें २ करोड़ ५० लाख बंगाली बसते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत था (उनकी जनसंख्या १ करोड़ ८० लाख थी)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बंगाल का विभाजन करने में कर्जन का प्रमुख उद्देश्य एक मुस्लिम-बहुल प्रान्त का निर्माण करना था। स्वभावतः बंगाल की जनता ने विभाजन को "बंगाली राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई दृढ़ता के ऊपर एक सूक्ष्म आक्रमण" * समझा। वस्तुतः कर्जन देशवासियों को आपस में लड़ाने की, उनमें फूट डालने की पुरानी नीति पर ही आचरण कर रहे थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन एक मार्क्स इन इंडियन कोंस्टीट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट में उद्धृत।

बंद था, जो बंगाल को दिया गया, इस अपराध पर कि उसने राष्ट्रीय आन्दोलन में बढ़ कर भाग लिया था। ए. सी. मजुमदार के अनुसार मुसलमानों की एक बहुत बड़ी सभा में कर्जन ने इस बातकी स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि बंगाल का "विभाजन करने में उसका लक्ष्य शासन में ही सहूलियत उत्पन्न करना नहीं था, अपितु एक मुस्लिम प्रांत का निर्माण करना था जहा कि इस्लाम प्रबल हो।" बंगाल ने इसको अपनी बेइ-कजती समझा, उसका मान भंग किया गया था, और उसके साथ धूर्तता का व्यवहार किया गया था। न केवल बंगाल में ही अपितु आसेतु हिमाचल सारे देश में सनसनी फैल गई। लार्ड कर्जन के इस दुष्कृत्य का सर्वत्र ही प्रचंड रूप से विरोध किया गया। जनता के व्यापक विरोध का ही यह फल था कि १९११ में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया।

भारतीयों के साथ केवल भारत वर्ष में ही दुर्व्यवहार होता हो, यह बात न थी, अंग्रेजी उपनिवेशों में उनके साथ और भी अधिक अभद्र व्यवहार किया जाता था, उनकी अवस्था और भी अधिक शोचनीय थी। नैटाल, उपनिवेशों में भारतीयों ट्रांसवाल और दक्षिणी अफ्रीका के दूसरे उपनिवेशों में के साथ दुर्व्यवहार उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था, वह अवर्णनीय है। नाना प्रकार के कठोर और अमानवीय प्रतिबन्धों के बीच उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ता था।" नैटाल में वे मताधिकार से वंचित थे। उन्हें पोल टैक्स देना पड़ता और निर्धारित स्थानों में रहना पड़ता था। वे सड़क की पटरियों पर न चल सकते थे, रेल के डिब्बों में अंग्रेजों के साथ न बैठ सकते थे और निर्धारित काल के पश्चात् अपने घर के बाहर न निकल सकते थे। विदेशों में भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, उसका कारण क्या था? देश भक्त भारतीयों को इस प्रश्न का यही उत्तर ज्ञात होता था कि चूकि भारत पराधीनता के पाश में धाबद्ध है, इसलिए विदेशों में उसकी सन्तति को अनादर, अपमान व लाछन सहने के लिए विवश होना पड़ता है। दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिस धीरतापूर्णा आंदोलन का संचालन किया गया, भारत में उसकी भूरिशः प्रशंसा हुई। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश विरोधी भावनाएं भी तीव्र से तीव्रतर होती गईं।

जिन तत्त्वों ने भारतीय राष्ट्रीयता को उग्रता प्रदान की उनमें कतिपय महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी था। गोरी जातियों की अजेयता और भारतीयों की असहायता के विचार सन् १८९४ में इटली अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के अबीसीनिया से और सन् १९०५ में रूस के जापान द्वारा पराजित होने से सर्वथा दूर हो गए। मिस्र, ईरान

और टर्की आदि सभी एशियाई राष्ट्र अपनी आलस्यमयी और तन्त्रामयी निन्द्रा को त्याग कर अगड़ाई ले रहे थे, इन सभी देशों में स्वतन्त्रता आंदोलनों का जोर था, भारत इनसे कैसे अछूता रह सकता था ? जापान ने रूस को पराजित कर सम्पूर्ण एशिया के ललाट को उन्नत कर दिया। जापान की गौरवपूर्ण विजय का कारण यही ठहराया गया कि वहाँ के निवासी उग्र रूप से राष्ट्रवादी हैं। भारत वर्ष के राष्ट्रवादियों को इन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने एक नूतन आशा और नूतन निश्चय प्रदान किया। भारतीयों के हृदय में जिस आत्महीनता की भावना ने घर कर रक्खा था, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगी और उसके स्थान पर विदेशी शासन का विध्वंस करने की भावना बलवती होती गई।

हमने ऊपर जिन बातों का उल्लेख किया है, उनसे न केवल ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का ही तीव्र बल प्राप्त हुआ अपितु उन्होंने उदार प्रतिपादित उपायों में भी अविश्वास उत्पन्न कर दिया। तिलक, विपिन, चन्द्रपाल और लाजपतराय जैसे नये नेताओं ने अनुभव किया कि उदारवादियों के उपायों अब उदारवादियों द्वारा प्रतिपादित नीति के अवलम्बन में विद्वानों की कमी करने से कोई लाभ नहीं, ब्रिटिश जनता की लोकतन्त्रात्मक भावनाओं पर ही भरोसा किये रहने से भारत अपना राष्ट्रीय लक्ष्य को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता, यदि हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ब्रिटिश नौकरशाही को राजभक्तिपूर्ण सहयोग देने की नीति का परित्याग करके, अपने पैरों पर अपने आप खड़ा होकर, विदेशी साम्राज्यवाद का प्राणपण से प्रतिकार करने के लिये बद्धपरिंकर हो जाना चाहिये। रियायतों के लिये याचना करने की अपेक्षा राजनीतिक अधिकारों के लिये ताल ठोक कर सप्राप्त करने की तत्परता उग्र राष्ट्रीयता का विधायक तत्व था।

२३—महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता

उग्र राष्ट्रीयता सर्वप्रथम महाराष्ट्र में उद्भूत हुई और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के रूप में उसने एक श्रेष्ठ नेता प्राप्त किया। तिलक असन्दिग्ध रूप से “देशभक्तों के हियहार” थे। उनकी विलक्षण बुद्धि, अप्रतिहत इच्छा शक्ति और देश-सेवा की वेदी पर किए गये उनके अभूतपूर्व बलिदानों ने उन्हें पहले महाराष्ट्र का और बाद में सम्पूर्ण भारत का क्षत्र-रहित सम्राट बना दिया था। अपनी गहन विद्वत्ता और अटल-अचल धर्म निष्ठा के लिये तिलक सुविख्यात

लोकमान्य बाल
गंगाधर तिलक
का कार्य

थे। पाश्चात्य दृष्टिकोण एव संस्कृति के प्रति उनके हृदय में घोर विरक्ति थी। १८८० में उन्होंने "केसरी" (मराठी में, साप्ताहिक) और "मराठा" (अंग्रेजी साप्ताहिक) का प्रकाशन प्रारम्भ किया। राष्ट्रीयता की नूतन ज्योति को विकीर्ण करने में ये समाचार पत्र बहुत सहायक सिद्ध हुए। सन् १८८१ में कोल्हापुर राज्य के तत्कालीन कुप्रबंध के सम्बन्ध में, मराठा और केसरी में कुछ लेख निकले थे, जिनके मूल लेखक तिलक या उनके सहयोगी आगरकर में से कोई न था। उनके कारण उक्त पत्रों के सम्पादक होने के नाते तिलक और आगरकर दोनों को १०१ दिन के कारावास का दण्ड मिला। उस कारावास ने जनता की आंखों में तिलक और उनके पत्रों का सम्मान बहुत बढ़ा दिया।

तिलक १८८९ में कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उस समय उदारवादियों ने ही कांग्रेस पर प्रभुत्व जमा रक्खा था। तिलक उदारवादियों की नीति से सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी शक्तियों को महाराष्ट्र के राष्ट्रीय आन्दोलन को सुसंगठित करने में लगाया। उन्होंने महाराष्ट्र के नवयुवकों में, आत्म निर्भरता, आत्म बलिदान और आत्म-विश्वास की भावना को जागृत करने के विचार में गोबध-विरोधी समितियों, अखाडों, और लाठी-क्लबों की स्थापना की, वे चाहते थे कि भारतीय जो स्वतंत्रता प्राप्त करें, वह किसी की कृपागौर के बल पर नहीं, अपितु अपनी ही सामर्थ्य के दूते पर। उन्होंने स्वयं भी अपार कष्ट सहें और अपने अनुयायियों का प्रेम प्राप्त किया। यह भी स्मरनीय है कि तिलक के विरोधी उनकी कठोर और दृढ़ प्रकृति के कारण उनसे बहुत खार खाते थे। १८९३ में उन्होंने गणपति उत्सव को

गणपति-उत्सव

संगठित किया। ऐसा करने में उनका लक्ष्य राजनीतिक भी उतना ही था, जितना कि धार्मिक। नवयुवकों को धार्मिक और देशभक्ति पूर्ण प्राणवाही जीवनधारा में आप्लावित करने व उन्हें साहस, उत्साह एव अनुशासनपूर्वक मिल जुल कर कार्य करने की शिक्षा देने के साधन के रूप में इस उत्सव का उपयोग किया गया। उत्सव को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिली। १८९५ में तिलक ने शिवा जी उत्सव प्रारम्भ

शिवा जी-उत्सव

किया। इस महान् वीर की स्मृति को पुन प्रतिष्ठापित करने की योजना में जिसने कि महाराष्ट्र को मुगल शासन की आधीनता से मुक्त कर स्वतंत्रता के स्वर्णिम प्रभाव में ला खड़ा किया था, स्पष्ट रूप से राजनीतिक उद्देश्य था। यह देश के नवयुवकों के लिये एक प्रत्यक्ष आवाहन था कि वे शिवा जी महाराज के उदाहरण को अपने सामने रखें, उस पर आचरण करें और ब्रिटिश शासन के बन्धन से भारत को मुक्ति दिलाए। भाषण, लाठी-प्रदर्शन जलूस, कथाएँ और संगीत-दल इन उत्सवों के अनिवार्य साज-बाज थे और स्वयं तिलक

के ही अनुसार उन्होंने न केवल जनता के अन्तस्तल में धार्मिक उत्साह ही जाग्रत किया, अपितु उसमें राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और उन दिनों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनके प्रति जनता के अन्तस्तल में अभिह्वित उत्पन्न की।

इस प्रकार एक तो महाराष्ट्र पहले से ही क्रान्तिकारी और उग्र राष्ट्रीयता का गढ़ बना हुआ था, कि तभी दुर्भिक्ष और प्लेग जैसी प्राकृतिक आपत्तियों ने जनता को धर दबाया। सरकार ने जनता के कष्टों के प्रति

उदासीनता का परिचय दिया, और यदि उसने इस व्यापक रैंड और आयर्स्ट की रोग-प्लेग के निवारण में कुछ साधनों का प्रयोग भी किया, हत्या व तिलक की तो उसमें बहुत कठोरता बरती। यह एक प्रकार से कारावास-यात्रा

जनता के क्रोधानल पर घृत छिड़क देने का काम हुआ। १८६७ चापेकर बन्धुद्वय जैसे क्रान्तिकारियों ने अंग्रेजों के प्रति जनता के रोषानल को अधिकाधिक तीव्र किया, उमें हिंसा के लिए और "पृथ्वी को अपने शत्रुओं के जीवन रक्त से रजित कर देने के लिए" उकसाया। इस प्रकार के विध्वसात्मक भावनाओं में परिपूर्णा वातावरण में मि० रैंड और लैफ्टिनेंट आयर्स्ट के बध की घटनाएँ घटित हुईं। इस सम्बन्ध में दामोदर और बालकृष्ण चापेकर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें प्राण-दण्ड हुआ। तिलक का इस जघन्य कृत्य से किसी प्रकार का भी कोई सम्बन्ध नहीं था, उन्होंने वस्तुतः "केसरी" में इसका खडन भी किया था। परन्तु अंग्रेजी समाचार पत्रों ने तिलक के विरोध में एक तूफान खड़ा कर दिया और इस आधार पर कि एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देने के लिए जिनमें आतंकवाद के कृत्यों को प्रोत्साहन दिया, तिलक ही उत्तरदायी हैं, उनके ऊपर अभियोग चलाने की मांग की। २७ जुलाई १८९७ को राजद्रोह के अपराध पर तिलक गिरफ्तार किये गये। एक नवयुवक अंग्रेज न्यायाधीश (जस्टिस स्ट्रैची) ने उनके अभियोग की सुनवाई की। जज ने पक्षपात शून्यता का कोई बहाना भी नहीं बनाया और तिलक को १८ मास के कठोर कारावास का दण्ड दिया। तिलक के साथ होने वाले इस अन्याय ने न केवल महाराष्ट्र को ही, अपितु सारे भारत को और भी अधिक उग्र कर दिया।

तिलक ने इस बात की बारम्बार चेष्टा की थी कि कांग्रेस "राजनीतिक भिक्षा-वृत्ति" वाली दुर्लभ नीति को त्याग कर किसी सशक्त और सुदृढ नीति को अपनाए परन्तु चू कि उस समय उदारवादियों का कांग्रेस पर प्रभुत्व था, अतः उन्हें अपने प्रयत्नों में सफलता प्राप्त न हो सकी। तिलक और दूसरे उग्र राष्ट्रवादियों एवं उदार-वादियों के मध्य जो मतभेद था, वह इतना तीव्र हो गया, कि १९०७ में कांग्रेस के सूरत-अधिवेशन के अवसर पर

तिलक और
सूरत की फूट
१९०७

दोनो में फूट पड़ गई। इसके बाद वे १९१५ तक, जब तक कि दोनो इलो में पुनर्रंज्य स्थापित न हो गया, कांग्रेस के बाहर ही रह कर कार्य करते रहे। जब कि बंगाल और दूसरे स्थानो में बगभग विरोधी आंदोलन उग्रता की चरम सीमा पर पहुँच रहा था, जून १९०८ में तिलक को राजद्रोह के अपराध में पुनः पकड़ लिया गया, क्योंकि “केसरी” के देशका दुर्द्वै और ये उपाय टिकाऊ नहीं हैं, आदि कुछ लेख आपत्तिजनक समझे गये। इस बार तिलक को ६ वर्ष का कारावास-दण्ड दिया गया और उन्हें माँडले भेजा गया *। माँडले जेल में तिलक ने अपने दो सुप्रसिद्ध ग्रंथरत्नो ‘दि आर्किटिक होम ऑफ दि वेदाज’ एवं “गीता-रहस्य” की रचना की। इन दोनो ही ग्रंथ रत्नो से तिलक के सुविस्तृत ज्ञान, ऐतिहासिक शोध-गाम्भीर्य, विचारोत्कृष्टता का परिचय मिलता है।

तिलक, सरकार की आँखों में काटे की तरह खटकते थे, वे बार-बार उसके कोप-भाजन बने, उनके ऊपर असह्य आपदाएँ आईं, परन्तु वे अपने निश्चय पर सदैव अडिग रहे। अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति उनके हृदय में जो भक्ति-भाव था, कठिनाइया उसे डिगाने में असमर्थ सिद्ध हुई। तिलक ने ही देश के स्वातंत्र्य योद्धाओं को यह अविस्मरणीय नारा दिया, “स्वतंत्रता मेरा जन्म-सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा।” होम-रूल आंदोलन के काल में जब कि उन्होंने श्रीमती एनीबेसेट के साथ कंधे से कंधा मिला कर कार्य किया, वे भारत के प्रमुखतम नेता थे।

तिलक एड़ी से चोटी तक राष्ट्रवादी थे। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में उनके विराट व्यक्तित्व ने भारत के सम्पूर्ण राजनीतिक नभो-मंडल को आच्छादित कर

टिप्पणी—तिलक के प्रति होने वाले इस अन्याय ने जनता को बहुत अधिक मात्रा में विक्षुब्ध कर दिया था। पुलिस के लाख प्रबन्ध होने के बावजूद कई स्थानों पर दंगे हो गये। सर बेलेन्टाइन शिरोल ने लिखा है—“अभियोग के बाद कई बड़े दंगे हुये। कभी-कभी तो इन दंगों ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। कई बार तो यूरोपियनों को अपनी पिस्तौल व सैनिक दस्तों को आत्म-रक्षार्थ भीड़ पर गोली चलानी पड़ती थी.....। दंगों की गुरुता से इस बात का पता चलता था कि न केवल उच्चवर्गीय लोगों के ही ऊपर अपितु समाज के निम्न वर्गों के ऊपर भी तिलक का कितना जोरदार असर था।”

रखा था। वे एक जन्मजात योद्धा एव आदर्शभूत मराठे थे। तिलक का यदि कोई एकमात्र जीवन ध्येय था तो यही कि "इस महादेश की सुषुप्त आत्मा को अपनी गहरी नीद में से जगाकर पुनः उसके जर्जरीभूत कलेवर में उस प्राणवाही जीवन धारा का संचार किया जाय, जिसके प्रताप से किसी समय उसके अतीत का भवन निर्माण हुआ था।"* अपने राजनीतिक विचारों और कार्योंके लिये तिलक ने जितने कष्ट सहे, उतने उनके समकालीन अन्य किसी राजनीतिज्ञ ने नहीं। उनका दृष्टिकोण धार्मिक था, और प्राचीन भारतीय सस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उस सबका वे हार्दिक समर्थन करते थे। भारत के पश्चिमीकरण से उन्हें घृणा थी और प्राचीनकाल में भारत जिस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित था, उससे उसको पदच्युत करने का उत्तरदायित्व वे अग्रजों के सिर मढ़ते थे। तिलक को हम आधुनिक भारत का कृष्ण अथवा कौटिल्य कह सकते हैं। उनमें सगठन करने की अपूर्व क्षमता थी। वे साध्य वस्तु के सम्मुख साधनों को गौरव समझते थे। उन्होंने अपने इस विश्वास को गीता की शिक्षाओं पर आधारित किया था। उनका कथन था कि "यदि हमारे शिक्षक और निकट से निकट सम्बन्धी भी अन्याय का पक्ष ग्रहण करें, तो उनका भी बध कर देने में दोष नहीं है। बशर्ते कि हम यह कार्य अनामकत भाव से करें।" तथापि तिलक ने हिंसा का प्रतिपादन कदापि नहीं किया क्योंकि वे इस बात का अनुभव करते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में हिंसा सफल नहीं हो सकती थी। तिलक के विचारों और उनके राजनीतिक साधनों ने उन्हें क्रान्तिकारी काँग्रेसियों का हियहार बना दिया। सी. वाई. चिन्तामणि के अनुसार माटेय (Montagu) ने एक बार कहा था "भारत में केवल एक ही अकृत्रिम उग्र राष्ट्रवादी था, और वे थे तिलक"।* तिलक उदारवादियों के इस विचार से सहमत नहीं थे कि भारत अपने लक्ष्य को "स्मरण-पत्रों व प्रार्थनाओं द्वारा प्राप्त कर सकता है। उनकी यह मान्यता थी कि यदि भारत अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए सतत संघर्ष करते रहने की आवश्यकता है। उदारवादी वाणी के चाहे कितने भी घनी हों परन्तु उनमें से अधिकांश जन वैयक्तिक त्याग करने से पीछे भागते थे। तिलक में यह बात न थी। वे बड़े से बड़ा वैयक्तिक त्याग करने को प्रस्तुत थे। उन्होंने तीन बार कारावास की यात्रा की और अपने लिए शहादत का ताज हासिल किया *।

* कृष्ण बल्लभ द्विवेदी, 'भारत-निर्माता' भाग दो, पृ० ६२।

* सी. वाई. चिन्तामणि, इ इंडियन पोलिटिक्स सिन्स दि स्युटिनी, पृ, ११७

* जी. एन. सिंह — लैंडमार्क्स इन इंडियन कास्टीट्यूशनल एण्ड नेशनल डेवलपमेंट, पृ० १५७।

तिलक और गोखले का तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्त मनोरंजक है। दोनों ही महाराष्ट्र के यशस्वी सुपुत्र थे। परन्तु दोनों की विचार धारा और दृष्टिकोण में आकाश पाताल का अन्तर था। गांधी जी पर इन दोनों तिलक और गोखले का तुलनात्मक अध्ययन नेताओं की जो छाप पड़ी-वह स्मरण रखने योग्य है। “तिलक उन्हें हिमालय की तरह उच्च परन्तु अगम्य दिखाई पड़े, परन्तु गोखले गंगा की पवित्र धारा के सहस्र प्रतीत हुए जिसमें कि वे आसानी से गोता लगा सकते थे।”

पट्टाभि सीता रामय्या ने दोनों के अंतर को निम्न शब्दों में अत्यन्त हृदयग्राही ढंग से स्पष्ट किया है। ‘यदि हम स्थूल भाषा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि गोखले ‘नरम’ थे और तिलक ‘गरम’। गोखले चाहते थे कि वर्तमान विधान में सुधार कर दिया जाय, परन्तु तिलक उसके पुनर्निर्माण के पक्षपाती थे। गोखले को नौकरशाही के साथ काम करना पड़ता था, तो तिलक की नौकरशाही से भिडन्त रहती थी। गोखले कहते थे—जहाँ सम्भव हो, महयोग करो, जहाँ आवश्यक हो विरोध करो। तिलक का झुकाव अडगा-नीति की तरफ था। गोखले शासन और उसके सुधार की ओर मुख्य ध्यान देते थे, तिलक राष्ट्र और उसके निर्णाय को सबसे मुख्य समझते थे। गोखले का आदर्श था प्रेम और सेवा, तिलक का आदर्श था सेवा और कष्ट-सहन। गोखले विदेशियों को जीतने का उपाय करते थे, तिलक उनको हटाना चाहते थे। गोखले दूसरे की सहायता पर आधार रखते थे, तिलक स्वावलम्बन पर। गोखले उच्चवर्ग और बुद्धि जीवियों की तरफ देखते थे, तिलक सर्वसाधारण और करोड़ों की ओर। गोखले का अखाडा था कौंसिल-भवन-तो तिलक की अदालत थी गाव की चौपाल। गोखले अंग्रेजी में लिखते थे, परन्तु तिलक मराठी में। गोखले का उद्देश्य था स्व-शासन, जिनके योग्य लोग अपने को अंग्रेजों की कसौटियों पर कस कर बनावें, किन्तु तिलक का उद्देश्य था ‘स्वराज्य’ जो कि प्रत्येक भारतवासी का जन्म सिद्ध अधिकार है और जिसे वह विदेशियों की सहायता या बाधा की परवाह न करते हुए प्राप्त करना चाहते थे।*’

राजनीतिक नेतृत्व एव राष्ट्र-मुक्ति-आंदोलन के देन की दृष्टि से लोकमान्य तिलक की महात्मा गांधी के साथ तुलना भी अत्यन्त समीचीन एव रोचक है। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी दोनों ही अपने अपने तिलक और गांधी-एक युग की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवादी विभक्तिया थीं। दोनों ही तुलना नेताओं के व्यक्तित्व अपने अपने काल में स्वतंत्रता-संग्राम के जीवित प्रतीक थे। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भारत के

* पट्टाभि सीता रामय्या: दि हिस्ट्री ऑफ दि काम्रेस, पृ० १६६।

राजनीतिक रंगमंच पर महात्मा गांधी का जिस प्रकार एकच्छत्र आधिपत्य रहा, प्रायः उसी प्रकार प्रथम महायुद्ध के पूर्व लोकमान्य तिलक भारतीय लोक-मत के मुकुट-रहित सम्राट थे। लोकमान्य तिलक जन्मजात योद्धा थे। राजनीति में उनके आदर्श श्रीकृष्ण, कौटिल्य, शिवाजी और पेशवा थे। उनकी 'जैसे को तैसा' नीति में आस्था थी। वे साधुजनों को राजनीति के लिए अनुपयुक्त मानते थे। भारत में ब्रिटिश शासन के कृष्ण-पक्ष को उन्होंने खूब अच्छी तरह समझा था। उनका अंग्रेजों की न्यायपरायणता में बिल्कुल विश्वास नहीं था। वे कहा करत थे कि हमें स्वराज्य अंग्रेजों से दान के रूप में नहीं मिल सकता, प्रत्युत स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए हमें विदेशी शासकों से डट कर सघर्ष करना है। वे राजनीति में साध्य और साधन के अभेद को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मत था कि यदि हमारे आदर्श श्रेष्ठ हैं तो हम उनको हस्तगत करने के लिए चाहे जैसे साधनों का प्रयोग कर सकत हैं। यद्यपि तिलक का व्यक्तिगत जीवन गांधी जी के जीवन की भांति ही निर्मल और निष्कलक था, फिर भी उनके लिए राष्ट्र-हित की वेदी पर सत्य का बलिदान करना कोई बड़ी बात नहीं थी।

गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा और कार्यपद्धति इससे भिन्न थी। वे स्वभाव में राजनीतिज्ञ नहीं, प्रत्युत धार्मिक पुरुष थे। राजनीति में तो उन्हें आवश्यकतावश आना पडा था।* राजनीतिक जीवन के प्रारम्भिक काल में गांधी जी का भी उदारवादी नेताओं की भांति अंग्रेजों की न्याय-परायणता में अटल विश्वास था। यद्यपि बाद में उन्होंने भी ब्रिटिश शासन के कृष्ण स्वरूप को तिलक के समान ही हृदयगम कर लिया था। बाद में, तिलक की भांति गांधी जी भी यह कहने लगे थे कि हमें स्वराज्य दान के रूप में नहीं मिल सकता, उसे प्राप्त करने के लिए हमें सघर्ष करना होगा यद्यपि वह सघर्ष अहिंसात्मक होना चाहिए। तिलक के विपरीत गांधी जी साध्य और साधन के बीच कोई विभाजक-रेखा नहीं मानते थे। उनका मत था कि हमें श्रेष्ठ साधनों का प्रयोग करना चाहिए। गांधी जी का साध्य और साधन के प्रश्न पर इतना प्रबल आग्रह रहता था कि यद्यपि उनकी देश-निष्ठा में किसी को रचमात्र भी संदेह नहीं हो सकता, वे यह कहते नहीं थकते थे कि मेरी दृष्टि में सत्य का स्थान देश भक्ति से ऊपर है।

गांधी जी और तिलक-दोनों के ही हृदय में भारतीय सस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा थी। परन्तु उनकी सस्कृति विषयक मान्यताओं में थोड़ी भिन्नता है। तिलक कट्टर हिंदू थे। उनकी कट्टरता इतनी बढी हुई थी कि वे हिंदू धर्म के नाम पर

* रोम्यो रोला : महात्मा गांधी, पृ० २३।

बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी सह लेते थे। उनका हिंदू धर्म आक्रामक हिंदू धर्म था। गांधी जी के साथ यह बात नहीं थी। उनके धार्मिक विश्वासों में पुराण-प्रियता अथवा अंध-विश्वासो के लिए कोई स्थान नहीं था। उनका जीवन सर्व-धर्म-समन्वय का जीता-जागता उदाहरण था। तिलक महान् गणितज्ञ थे। उनका 'सख्या' में अधिक विश्वास था। गांधी जी सख्या के उतर्न कायल नहीं थे। यदि वे किसी बात को ठीक समझते थे तो फिर इस बात की परवाह नहीं करते थे कि कोई उनके साथ है या नहीं। वे अकेले ही अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार काम करने के लिए तयार हो जाते थे क्योंकि अंतरात्मा सम्बन्धी मामलों में बहुमत के लिए स्थान नहीं है *।' बहुमत के निर्णय पर सीमित रूप से व्यवहार हो सकता है, अर्थात् तफसीली मामलों में व्यक्ति को बहुमत की बात माननी चाहिए। किन्तु बहुमतका निर्णय चाहे जिस प्रकार हो, उसे मान लेना दासता है। 'बहुमत का यह अर्थ नहीं कि वह एक व्यक्ति की भी राय को, यदि वह ठीक है, दबा दे। एकव्यक्ति की राय को यदि वह ठीक है, बहुमतों की राय की अपेक्षा अधिक महत्त्व देना चाहिए।*'

कतिपय आधारभूत मतभेदों के होते हुए भी तिलक और गांधी दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के अप्रतिहत सेनानी थे। दोनों ने ही अपने प्रचंड व्यक्तित्व से राष्ट्रीय आंदोलन को नूतन गति और नूतन दिशा दी। तिलक के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन केवल कुछ अंग्रेजी पढ़े-लिखे आभिजात्य लोगों तक ही सीमित था। तिलक की राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे बड़ी देन यह है कि वे अपने साथ मध्यम वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन में खींच लाये और इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। गांधी जी ने तिलक के काम को और आगे बढ़ाया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को न केवल जन-आंदोलन ही प्रत्युत क्रांतिकारी आंदोलन भी बना दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का सदेश देश के एक-एक कोने में एक-एक किसान और एक-एक मजदूर के कानों में पहुँच गया। यह भारत का दुर्भाग्य ही मानना चाहिये कि जैसे ही महात्मा गांधी ने भारत की सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया, तिलक गो-लोकवासी हो गये।

२४. बंगाल में उग्र राष्ट्रीयता

जैसे तो भारत में जब से राष्ट्रीयता की लहर उठी, बंगाल उसका गढ़ रहा था, परन्तु लार्ड कर्जन के शासनकाल में उग्र राष्ट्रीयता की ओर उसका झुकाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा। कर्जन के भारत विरोधी विचारों और दमनमूलक कृत्यों

* अंग दृष्टिदया, भा० १, पृ० ८६०।

* डा. जी. पन. धावन द्वारा उद्धृत: सर्वोदय तत्त्वदर्शन, पृ० १२३।

ने जनता के असतोष की अग्नि को अधिकाधिक प्रज्वलित किया। कर्जन के शासन-काल के अन्तिम दिनों में, गोखले के अनुसार जनता "सतत सन्ताप की परिस्थिति में थी।" श्रीमती एनीबेसेंट ने भी उग्र राष्ट्रीयता के जागरण के लिए कर्जन को ही उत्तरदायी ठहराया था। उन्होंने लिखा था, "कर्जन द्वारा बोए गये बीजों का अजगर के दांतों की फसल के रूप में पकना अवश्यम्भावी था।"* बंगाल के विभाजन ने जनता के क्रोध को एक दम से भड़का दिया। बग-भग को राष्ट्रीय एकता के ऊपर एक भयंकर कुठाराघात समझा गया। सरकार के इस दुष्कृत्य के विरोध में जो तूफान उत्पन्न हुआ, वह तब तक शान्त न हो सका, जब तक कि १९११ में बग-भग को रद्द न कर दिया गया।

लार्ड कर्जन ने बंगाल का जो विभाजन किया था, उसके पीछे एक कूटनीति काम कर रही थी। बंगाल-विभाजन का उद्देश्य बंगाली जनता की राजनीतिक दृढता और राष्ट्रीयता की नूतन प्राणधारा को अवरुद्ध कर देना था। बंगाल के विभाजन के मूल में सरकार की असली मशा क्या है, बंगाली राष्ट्रवादियों ने इसको अच्छी तरह से जान लिया था। वे इस बात को भी भाति समझ गये थे कि प्रान्त को दो भागों में विभाजित करके सरकार हिन्दू और मुसलमानों में फूट डालना चाहती है। कूटनीतिज्ञ कर्जन ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था कि भारतवर्ष में साम्प्रदायिक भेदभाव के बीज बो देना ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। नूतन निमित्त पूर्वी बंगाल और आसाम प्रान्त के गवर्नर सर बैम्पफाइल्ड फुलर के आचरण और नीति ने बंगाल विभाजन के वास्तविक उद्देश्य के सम्बन्ध में बचे खुचे सन्देहों का भी निराकरण कर दिया। उन्होंने हिन्दुओं के प्रति विरोध और मुसलमानों के प्रति पक्षपात की खुल्लमखुल्ला नीति अपनाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कह कर कि हिन्दू और मुसलमान मेरी दो पत्नियाँ हैं जिनमें मुसलमान मुझे अधिक प्रिय हैं, राष्ट्रीय भावनाओं को अधिकाधिक उत्तेजना प्रदान की विभाजन की योजना को १९ जुलाई, १९०५ को घोषित किया गया और जनमत के सभी वर्गों के विरोध किये जाने के दावजूद भी १६ अक्टूबर १९०५ को उसे क्रियाचित्त कर दिया गया। वह दिन सम्पूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय शोक का दिन माना गया। बहुत से लोगो ने उस दिन उपवास रक्खा। बंगाल-विभाजन के विरोध में सारे देश में सार्वजनिक सभाएँ की गईं और जलूस निकाले गये। प्रत्येक कठ से 'बदे मातरम्' का स्वर सुनाई देता था और गली गली इस ध्वनि से गुन्जरित हो उठती थी। रक्षा-बन्धन उस दिन के प्रोग्राम में शामिल था। यह जनता के इस दृढ़ निश्चय का प्रतीक था कि जब

विभाजन-विरोधी
ग्रान्दोलन

* एनीबेसेंट: 'हाऊ इंडिया रॉट कार फ्रीडम,' पृ. २६।

तक खंडित प्रान्त को अखंड नहीं कर दिया जाता, संग्राम निरन्तर चालू रहेगा। जिन उग्र राष्ट्रवादियों ने बंगाल-विभाजन-विरोधी अन्दोलन का नेतृत्व किया उनमें विपिन-चन्द्रपाल, अरविन्द घोष, उनके भाई विरेन्द्रघोष व अश्विनी कुमार दत्त आदि व्यक्ति प्रमुख थे। विपिन चन्द्र पाल ने

विपिन चन्द्र पाल

१८८७ में कांग्रेस में प्रवेश किया था और वे राष्ट्रीय

लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उदारवादियों द्वारा प्रतिपादित साधनों से सहमत नहीं थे। वे एक शक्तिशाली वक्ता एवं पत्रकार थे। बंगाली नवयुवकों के ऊपर उनका व्यापक प्रभाव था। उनकी कलम में जबर्दस्त शक्ति थी। वे अपने आप द्वारा संपादित 'न्यू इंडिया' और अरविन्द घोष द्वारा सम्पादित 'बंदेमातरम्' में अपनी रचनायें प्रकाशित किया करते थे। उनकी रचनाओं से उग्र राष्ट्रवादियों को अपूर्व प्रेरणा प्राप्त होती थी। जनसाधारण के ऊपर उनका जो गुरु-गम्भीर प्रभाव था उसके कारण सरकार उनसे डरती थी और उन्हें नापसंद करती थी। १९०७ में उन्हें मद्रास प्रेसीडेन्सी छोड़ देने के लिए विवश किया गया। इसका कारण यह था कि अधिकारियों ने उनके भाषणों को बहुत ही उत्तेजक एवं आपत्ति-जनक समझा। विपिन चन्द्र पाल अपने उग्र राष्ट्रवादी विचारों के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य के आदर्श को अव्यावहार्य मानते थे। अरविन्द घोष के साथ कधे से कधा मिला कर पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय का वे प्रचार करते थे। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलनों के पीछे वे एक महान् शक्ति थे। भारतीय राष्ट्रीयता के अन्दोलन में उन्होंने अपार कष्ट सहे। वे स्वावलम्बन के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेके पक्ष में थे। सन् १९०७ में उन्हें अरविन्द घोष के अभियोग में गवाही न देने के कारण छः मास कारावास भी भुगतना पड़ा। अरविन्द घोष का राजनीतिक जीवन (१८७२-१९५०) अपनी

संक्षिप्तता में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अरविन्द

अरविन्द घोष

ने राजनीतिक जीवन में बहुत ही थोड़े वर्ष कार्य किया था,

परन्तु जो भी कार्य किया, उसके लिए इनका नाम भारत

के राष्ट्रीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। अरविन्द उच्च से उच्च कोटि के राष्ट्रवादी थे परन्तु उनका भुकाव उग्रता की ओर अधिक था। "वे राजनीति के आकाश में एक चमकते उल्का के समान प्रकटे और लुप्त हो गए।" * राष्ट्रीयता उनके लिए एक आध्यात्मिक मिशन और धार्मिक कर्तव्य था। कतिपय आतंकवादी कृत्यों के साथ सम्बद्ध होने के आरोप पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। परन्तु जिस आरोप पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था, वह सच्चा साबित नहीं हुआ, और इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया। इसके पूर्व ही कि अधिकारी पुनः अपने पजे में उन्हें जकड़ सके, उन्होंने ब्रिटिश भारत को त्याग कर पाडीचेरी में आश्रय

* जी. एन. सिंह: लैंडमार्क्स इन इंडियन कास्टीट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट पृ १५२

ग्रहण किया। वहा पहुच कर श्री अरविन्द ने राजनीति से सन्यास ले लिया, एक योगाश्रम की स्थापना की और स्वयं को आध्यात्मिक साधना में लवलीन कर दिया।

राष्ट्रवाद की नूतन प्राणधारा ने बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलनो में अभि-
व्यक्ति प्राप्त की। इन दोनों आन्दोलनो को बंगाल-विभाजन के विरोध में प्रारम्भ
किया गया था। इन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध भारत के

राष्ट्रीय सघर्ष में एक नए अध्याय की सृष्टि की। विपिन बहिष्कार और स्वदेशी
चन्द्रपाल और सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी जैसे नेताओ ने दोनों आन्दोलन
बंगालो का दौरा किया, बड़ी बड़ी सभाओ मे भाषण

दिए और जनता से यह प्रतिज्ञा करवाई "ईश्वर को साक्षी देकर और भात्री पीड़ितो
की उपस्थिति मे खडे होकर हम यह गुरु-गम्भीर शपथ लेते है कि जहा तक व्याव-
हारिक होगा, हम घर की बनी चीजो का प्रयोग करेंगे और विदेशी वस्तुओ के उप-
योग का बहिष्कार करेंगे।" बहिष्कार और स्वदेशी के जुडवा प्रोग्राम को धार्मिक
उत्साह के साथ आगे बढ़ाया गया। ये आंदोलन अपने प्रमुख उद्देश्य मे राष्ट्रीयता की
भावनाओ को उत्तेजित करने में यथेष्ट रूप से सफल हुए। उन्होने नवयुवको को अपनी
ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया। स्कूलो और कालिजो के विद्यार्थी इन आन्दोलनो
से सर्वाधिक प्रभावित हुए। उन्होने बड़ी बड़ी सभाए की, खूब जोशीले भाषण दिए,
बदेमातरम गाया, राष्ट्रीय नारे लगाये, विदेशी वस्त्रो की दुकानो पर धरने दिए और
स्थान स्थान पर विदेशी वस्त्रो की होली जलाई।

इस आंदोलन का दमन करने में सरकार ने भी अपनी ओर से कुछ उठा न
रक्खा। राष्ट्रीय नेताओ और लेखको की गिरफ्तारी उन दिनों एक आम बात हो
गई। १९०८ में लाला लाजपतराय, लोकमान्य तिलक और
विपिन चन्द्रपाल जैसे नेताओ को १८१८ के रेगुलेशन के सरकार की
अन्तर्गत, जिसे कि "कानून-रहित कानून" के नाम से दमन-नीति
सम्बोधित किया गया, निर्वासन दे दिया। नवयुवक और

विद्यार्थी नौकरशाही निर्दयता के विशेष भाजन थे। शिक्षा सस्थाओ के प्रधानो को इस
बात की धमकी दी गई कि यदि उन्होंने विद्यार्थियो को सरकार विरोधी हलचलो में
भाग लेने से नही रोका, तो उनको जो सरकार की ओर से सहायता मिलती है, उसे
बन्द कर दिया जायगा, व विव्व-विद्यालयो से उनका जो सम्बन्ध है उसे तोड दिया
जायगा। पूर्वी बंगाल में नौकरशाही दमन चक्र बहुत तीव्र गति से घूमा। वहां की
सार्वजनिक गलियो में बदेमातरम् का गान भी गैर कानूनी घोषित किया गया। अप्रैल
१९०६ मे, बंगाल प्रान्तीय काँग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को बल-प्रयोग द्वारा तितर
बितर कर दिया गया और प्रतिनिधियो को पुलिस के द्वारा मारा गया। परन्तु ज्यो
ज्यो सरकार का दमन तीव्र होता गया, राष्ट्रीय योद्धाओ के उत्साह में वृद्धि हुई। सर-

कार ने अपनी दमन-नीति द्वारा उतने शहीदों को नष्ट नहीं किया, जितनों को कि उसने उत्पन्न किया। यह आन्दोलन अपनी तीव्र गति से न केवल बंगाल में ही, अपितु सारे देश में उस समय तक चलता रहा, जब तक कि १९११ में उसे अपने उद्देश्य में सफलता न मिल गई अर्थात् बंगाल का विभाजन रद्द न कर दिया गया। बंगाल विभाजन के अन्त की घोषणा १२ दिसम्बर १९११ को दिल्ली में होने वाले राज्याभिषेक महोत्सव के अवसर पर स्वयं सम्राट जार्ज पंचम ने की। उसी समय भारत की राजधानी भी कलकत्ते से हटा कर दिल्ली को ले जाई गई। नूतन व्यवस्था के अनुसार बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर को बंगाल से अलग कर दिया गया। यद्यपि ऐसे लोग थे, जिन्हें ये बातें पसंद न थी, परन्तु फिर भी बंगाल में और सारे देश में, कर्जन की शरारतपूर्ण योजना की विफलता पर ग्राम खुशियाँ मनाई गईं।

२५. लाला लाजपतराय

भारत में उग्र राष्ट्रीयता के विकास का विवरण लाला लाजपतराय के बारे में कुछ शब्द कहे बिना तो अधूरा ही रह जाता है। वे न केवल एक निस्वार्थ देशभक्त ही थे, अपितु उच्चकोटि के परोपकारी, शिक्षा-शास्त्री, धार्मिक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वे आर्य समाज के प्रमुखतम स्तम्भों में से एक थे और डी० ए० बी० कॉलेज लाहौर की स्थापना करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया था। कांग्रेस के अन्दर ही 'राष्ट्रीय दल' की स्थापना करने में उन्होंने विपिन चन्द्रपाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम किया था। 'लाल-बाल-पाल' की त्रिमूर्ति उन दिनों राष्ट्रीय भारत में अत्यन्त लोकप्रिय थी। लाजपतराय ने कांग्रेस में १८८८ में प्रवेश किया था और वे शीघ्र ही अपने समय के सुविख्यात सार्वजनिक कार्यकर्ता हो गये। वे उच्चकोटि के सार्वजनिक वक्ता थे। सी० बाई० चिन्तामणि ने उनके बारे में लिखा है "मे सार्वजनिक वक्ता के रूप में लॉयड जार्ज और लाजपतराय का एक साथ स्मरण करता हूँ। जनता के रोष को जाग्रत कर देवे की दोनों में समान क्षमता थी।"* अपने देश के राष्ट्रीय आदर्श के प्रति लाला लाजपतराय में जो निर्भीक भक्तिभाव था, उसने उन्हें 'पंजाब-केसरी' बना दिया। १९२० में वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

१९०५ में एक शिशुमडल को लेकर, लाला लाजपतराय भी गोखले के साथ

* 'सी. बाई. चिन्तामणि : इण्डियन पालिटिक्स सिन्स दी म्युटिनी', पृ. ११८।

इङ्गलैंड गये, परन्तु वहाँ पहुँच कर उन्हें बड़ी निराशा हुई। वहाँ से आने पर बनारस अधिवेशन (दिसम्बर १९०५) के डेलीगेटों को उन्होंने साफ-साफ बता दिया कि यदि भारत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने पैरो के ऊपर ही खड़ा होना पड़ेगा। अपने उग्र क्रान्तिवाद के कारण उन्हें असंख्य कष्ट सहने पड़े। १९०८ में तिलक के साथ ही साथ उन्हें भी निर्वासित किया गया। जब वे छूटे तो सी० आई० डी० कुत्तो के समान उनके पीछे लगे रहते थे, फलतः अपने ही देश में उनका जीवन दूभर हो गया। युद्धकाल के बीच वे अमेरिका और इंगलैंड में रहे। मॉटिंग-वेम्सफोर्ड सुधारों के पास होने के पश्चात् उन्होंने 'स्वराज्य-दल' के कौंसिल-प्रवेश-प्रोग्राम का समर्थन किया। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा प्रारम्भ किये गये असहयोग आंदोलन को कदापि हार्दिक अनुमोदन नहीं किया। पट्टाभि सीतारामय्या के शब्दों में, लाजपतराय 'एक योद्धा थे, सत्याग्रही नहीं।'* साइमन-कमीशन विरोधी आंदोलन में भी उन्होंने खुलकर हिस्सा लिया था। सन् १९२८ में ही, साइमन कमीशन के प्रति विरोध प्रदर्शन के समय एक गोरे सार्जेंट की लाठी के छाती पर हुये घातक प्रहार से, उसके कुछ ही दिनों उपरान्त मृत्यु हो गई। जिस दिन कि उन पर यह लाठी प्रहार हुआ था, उसी दिन सभ्या के समय एक सभा में भाषण देते हुये उन्होंने कहा था "मेरे ऊपर किया गया लाठी का एक-एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगा।"

२६. उग्र राष्ट्रवादियों के सिद्धांत और साधन

जैसा कि हम देख चुके हैं उग्र राष्ट्रीयता उदारवादी अथवा नरम कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध भी उतना ही बड़ा विद्रोह था, जितना कि स्वयं साम्राज्यवाद के विरुद्ध। उदारवादियों के प्रतिकूल उग्रवादियों का यह विश्वास था कि भारत और इंगलैंड के हितों में "बैर-केर" का सम्बन्ध है और ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के साथ चाहे कितना भी सहयोग क्यों न किया जाय, उसके द्वारा भारत अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। विपिन-चन्द्रपाल का यह मत था कि ब्रिटेन के आर्थिक हितों की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक था कि भारत पर उसका अंकुश निरन्तर बना रहे। उनके मत से युद्ध के बिना स्वतंत्रता प्राप्त होना असम्भव था। सम्भवतः तिलक ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि स्वराज्य को राष्ट्रीय संघर्ष का लक्ष्य बतलाया, परन्तु उनके स्वराज्य की मान्यता दादाभाई नौरोजी के "स्वराज्य" अथवा गोखले द्वारा घोषित स्वायत्त शासन की धारणा से बहुत भिन्न नहीं

उदारवादी नेतृत्व
के विरुद्ध
विद्रोह

उग्रवादियों का
राजनीतिक
लक्ष्य

*डा. पट्टाभि सीतारामय्या : 'दि हिस्ट्री आफ दी कांग्रेस,' पृ. १७३।

थी। नेविन्सन ने तिलक को यह कहते हुये उद्धृत किया है— 'अपने उद्देश्य के कारण नहीं, वरन् उसे प्राप्त करने के उपायों के कारण हमें उग्रवादियों की उपाधि मिली है। निश्चिततः यहा एक बहुत ही छोटा दल है जो ब्रिटिश शासन के तात्कालिक और समूल उन्मूलन की बात करता है। वह हमसे सम्बद्ध नहीं, वह अभी बहुत दूर है।'* इस दिशा में बंगाली उग्रवादी कही अधिक क्रान्तिकारी थे। वे ब्रिटिश शासन का सुधार करना नहीं, उसका अन्त करना चाहते थे। सर हेनरी कॉटन के अनुसार वे भारत वर्ष में सब प्रकार से मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन-प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। विपिन चन्द्रपाल का औपनिवेशिक स्वराज्य में कतई विश्वास नहीं था क्योंकि उनके मत से औपनिवेशिक स्वराज्य उनके अपने स्वराज्य के आदर्श से भी कही अधिक अव्यावहारिक था। वे ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध तोड़ देने की कल्पना करते थे यद्यपि उनका यह विचार अवश्य था कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद शायद भारत के लिये इंग्लैंड का मित्र बन कर रहना सम्भव हो सकता है।

अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये उग्रवादी जिन उपायो और साधनो का समर्थन करते थे, उनकी दृष्टि से उनमें और उदारवादियों में आकाश पाताल का अन्तर था। उदारवादी ब्रिटिश जनता की लोकतन्त्रात्मक प्रवृत्तियों में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि विशुद्ध वैधानिकवाद का आश्रय लेकर भारत को स्वतंत्र किया जा सकता है। उग्रवादी इन सब बातों को आत्म-प्रवचना के अतिरिक्त कुछ न समझते थे। उग्रवादियों का तर्क था कि भारत जैसे पराधीन राष्ट्र में वैधानिक आंदोलन के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का स्वप्न देखना अपने आप को धोखा देना है। वैधानिक आंदोलन इंग्लैंड में सफल हो सकता है क्योंकि वहा का शासन लोक-शासन है, वह जनता द्वारा नियन्त्रित है और अन्ततोगत्वा वहा की जनता के प्रति उत्तरदायी भी होता है। भारत में वैधानिक आंदोलन कैसे सफल होगा ? यहां का शासन विदेशी है, स्वेच्छाचारी है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं ? जनता चाहे कितना भी गुल गपाड क्यों न मचाये, उसके कानो में जूँ भी नहीं रहेगी। तिलक ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करने का निषेध किया। उन्होंने कहा कि विदेशी शासन एक अभिशाप है और नौकरशाही की नींव को हिलाने के लिये

आत्म-निर्भर व स्वतन्त्र कार्य करने की आवश्यकता है।

**उग्रवादियों के
उपाय**

विपिन चन्द्रपाल का मत था कि स्वराज्य स्वावलम्बन के द्वारा ही प्राप्तव्य है।* उग्र राष्ट्रवादी उदारवादियों द्वारा प्रतिपादित निवेदनो, प्रार्थनाओ, स्मरण पत्रो और प्रति-

टिप्पणी—विपिन चन्द्रपाल कहा करते थे कि हमें अपनी राष्ट्रीय शक्तियों

* नेविन्सन दि न्यू स्टिपिट इन इण्डिया, पृष्ठ ७२।

निधि मण्डलो की नीति में अणुमात्र भी विश्वास न करते थे, वस्तुतः वे उसे “राज-नीतिक भिक्षावृत्ति” के नाम से पुकारते थे। कांग्रेस के बनारस-अधिवेशन (१९०५) के अवसर पर लाला लाजपत राय ने कहा था “एफ अग्रेज को भिखारी से बड़ी घृणा और विरक्ति होती है। मेरा बिचार है कि भिखारी है ही इस योग्य कि उससे घृणा की जाय। इसलिये हमारा कर्तव्य है हम अग्रेजो को दिखा दें कि अब हम भिखारी नहीं हैं।” तिलक ने उग्रवादी दृष्टिकोण को निम्न शब्दों में व्यक्त किया “हमारा आदर्श दया याचना नहीं, आत्म-निर्भरता है।” शासकों के साथ राजभक्तिपूर्ण सह-योग करने के बजाय उग्रवादियों ने निष्क्रिय-प्रतिरोध (Passive Resistance) का विद्यात्मक प्रोग्राम राष्ट्र के सम्मुख रखा। बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन ब्रिटिश शासन के प्रति निर्भीक विरोध की नूतन प्राण धारा के प्रतीक थे। वैसे तो बहिष्कार आन्दोलन की मुख्य प्रवृत्ति विदेशी वस्तुओं के ही विरुद्ध निर्दिष्ट थी, परन्तु उसमें सरकार के साथ असहयोग, और **बहिष्कार, स्वदेशी** सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठाओं तथा उपाधियों का **और राष्ट्रीय-शिक्षा** बहिष्कार भी शामिल था। उग्रवादी नेता दृढतापूर्वक स्वदेशी में विश्वास करते थे और जन-साधारण में उसका प्रचार करने के उद्देश्य से उन्होंने देशव्यापी आन्दोलन का सगठन किया था। लाजपत राय इसको स्वदेश की मुक्ति का मार्ग समझते थे। उनकी मान्यता थी कि बहिष्कार विदेशी शासन की प्रतिष्ठा के ऊपर एक सीधा आघात है। इसके अलावा उनका यह भी विचार था कि “दुकानदारों की जाति को नैतिकता के ऊपर आश्रित तर्कों की अपेक्षा व्यापार में घाटा होने की बात अधिक प्रभावित कर सकती है।”

बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलनों को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। कलकत्ते

के एक एंग्लो-इंडियन समाचार पत्र -‘दि इग्लिसमैन’ ने लिखा था “यह बिल्कुल सत्य है कि कलकत्ते के गोदामों में कपडा इतना भरा हुआ है, कि वह बेचा नहीं जा सकता। बहुत सी मारवाड़ी फर्मे विल्कुल नष्ट हो गई हैं और कई बड़ी से बड़ी यूरोपीय-निर्यात-दुकानों को या तो बन्द कर देना पडा है अथवा उनका व्यापार बहुत ही मन्द गति पर आ गया है। बहिष्कार के रूप में राज के शत्रुओं ने देश में ब्रिटिश

का सगठन इस प्रकार से करना चाहिए कि जिससे “कोई भी वह शक्ति जो हमारे विरुद्ध खड़ी हो, हमारी इच्छा के सम्मुख झुकने को विवश हो जाय।” पुनः उनका कथन था कि “यदि सरकार मेरे पास आ कर कहे कि स्वराज्य ले लो तो मैं उपहार के लिये धन्यवाद देते हुए उससे कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की सामर्थ्य मेरे हाथों में नहीं है।”

हितों पर कूठाराघात करने का एक अत्यन्त प्रभावशाली शस्त्र पा लिया है ।”* इसके साथ ही साथ आन्दोलन ने भारतीय उद्योग को अपूर्व बल प्रदान किया और कपडा बुनने के उद्योग को सहायता देने के लिये एक राष्ट्रीय-कोष सगठित किया गया । केवल एक ही सार्वजनिक सभा में सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी को तुरन्त की तुरन्त ७०,००० रु० एकत्रित करने में सफलता मिली ।* बहिष्कार और स्वदेशी का जुड़वा आन्दोलन राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है । यह आन्दोलन असहयोग आन्दोलन का अग्रदूत था जिसको कि बाद में महात्मा गांधी ने शुरू किया था । इसने सिद्ध किया कि राजनीतिक दृष्टि से भारत चैतन्य हो चुका है । बहिष्कार और स्वदेशी ने राष्ट्रीयता आन्दोलन को सचमुच एक जन-आन्दोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन जनता की सक्रिय सहायता पर आश्रित थे । लाला

लाजपत राय से इस आन्दोलन की महत्ता की निम्न शब्दों में व्याख्या की: “हम सरकारी भवनों से अपने मुखों को हटा कर जनता की भोपड़ियों की ओर फेरना चाहते हैं । जहाँ तक सरकार से अपील करने का सम्बन्ध है, अपनी मुखों को हम बन्द करना चाहते हैं और उन्हें अपनी जनता से एक नई अपील करने के लिये खोलना चाहते हैं । यही बहिष्कार आन्दोलन का मनो-विज्ञान है, यही उसकी नैतिकता और आध्यात्मिक महत्ता है ।* स्वदेशी आन्दोलन ने यह दिखा दिया कि उग्रवादियों के पास एक विध्यात्मक और रचनात्मक प्रोग्राम है । इतने से ही उग्रवादियों ने सन्तोष नहीं माना । उन्होंने देखा कि शासन द्वारा नियंत्रित शिक्षा-प्रणाली के विषाक्त वातावरण में पल कर भारतीय नवयुवकों का मस्तिष्क अधिकाधिक दास्तामय होता जा रहा है । भारतीय नवयुवकों को अंग्रेजी शिक्षा के इस कुप्रभाव से बचाने के लिये उन्होंने शिक्षा की एक ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली को योजनान्वित किया जो कि राष्ट्र के द्वारा नियंत्रित हो, देश के हितों के अनुकूल हो और नवयुवकों में राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विकास करें ।

वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों के उग्रराष्ट्रवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह धार्मिक भावना के साथ समन्वित था । अरविन्द ने घोषणा की “राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर के पास से आता है ।” उग्रवादी नेताओं के मस्तिष्कों पर हिन्दूधर्म के पुनस्तथान की गहरी छाप थी । “उग्रवादी नेताओं ने हिन्दुओं के वैदिक अतीत, चन्द्रगुप्त और

* ए-आर-देसाई द्वारा उद्धृत: सोशल बैंकग्रान्ड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पृ० ३०७ ।

* जी. एच. सिंह : लैंडमार्क्स इन इंडियन कास्टीयम शानल पंड नेशनल डेवलपमेंट, पृ. १६२ ।

* * बुच द्वारा उद्धृत: राज ऑफ इंडियन मिलिटेंट नेशनल लिज्म पृ. १४ ६ ।

अशोक के स्वर्णिम युगों, राणा प्रताप एवं शिवाजी के वीरतापूर्ण कृत्यों तथा सन् १८५७ की नेत्री भासी की रानी लक्ष्मीबाई के देश प्रेम की स्मृति को पुनः ताजा किया।”* यह हम पहले ही देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में तिलक ने, जो कि पारश्चात्य सभ्यता के विरोधी थे और भारत की गौरवमयी सस्कृति से प्रेरणा ग्रहण करना चाहते थे, शिवाजी और गणपति महोत्सवों का पुनरुद्धार किया। विपिन चन्द्रपाल राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण को शक्ति-पूजा के प्राचीन आदर्श का ही पुनर्जागरण समझते थे। उन्होंने लिखा “दुर्गा, काली, जगद्धात्री-भवानी आदि हिंदू शक्ति-पूजकों द्वारा प्रयुक्त सभी प्रतीकों ने नूतन आशय ग्रहण किया है। उन सभी पुरातन और परम्परागत देवी देवताओं को जो आधुनिक मस्तिष्क पर अपना प्रभाव खो चुके थे, अब भारतवर्ष की आत्मा और मस्तिष्क पर एक नूतन ऐतिहासिक राष्ट्रीय निर्वाचन सहित, पुनर्प्रतिस्थापित किया गया है।”* अरविन्द के मत से “हमारे सभी आंदोलनों में स्वतंत्रता ही जीवन का ध्येय है और हिन्दूधर्म ही हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है।”

हिन्दूधर्म और विचार-दर्शन पर यह जो विशेष बल दिया गया, उसे सर्वथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता। उसमें कई त्रुटियाँ थीं। जहाँ इसने हिन्दुओं में देशप्रेम की प्राणधारा का संचार किया, वहाँ इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति मुसलमानों में उदासीनता ला दी। सरकारी कर्मचारियों ने मुसलमानों के खूब कान भरे, उनसे कहा कि यह जो ब्रिटिश-शासन-विरोधी आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, इसका उद्देश्य हिन्दू राज्य की स्थापना करना है। मुस्लिम जनता विदेशी नौकरशाही के इस बहकावे में आ गई, वह राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति बहुत कुछ निरपेक्ष सी रही। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उग्र राष्ट्रीयता ‘सामाजिक रूप में निश्चितत प्रतिक्रियावादी’ थी।

२७. उग्र राष्ट्रीयता और कांग्रेस

वैसे तो उग्र राष्ट्रीयता कांग्रेस-आन्दोलन के एक अविभाज्य अंग के ही रूप में उद्भावित हुई थी, परन्तु उग्रवादियों का इस सगठन में था अल्पमत ही या तथापि वे, राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने में समर्थ हुये। वे राष्ट्रीय आन्दोलन की वेगवती धारा में इसने राष्ट्रीय आंदोलन मध्यमवर्गों को समाविष्ट करने में कृतकृत्य हुये और का क्षेत्र उन्होंने जनसाधारण के बीच राष्ट्रीय चेतना का प्रचार विस्तृत किया

* ए. आर. देसाई. सोशल बैकग्राउंड ऑफ इण्डियन नेशनलिज्म, पृ० ३००।

* जी. एन. सिंह द्वारा उद्धृत: वही, पृ. १६५-१६६।

करने में सहायता दी। विपिन चन्द्रपाल-बालगंगाधर तिलक और लाला लाजपतराय एक-एक नूतन अर्थ में लोकनायक थे - १९०८ में तिलक को गिरफ्तार करने और उनके साथ किये गये अन्याय ने जनता को इतना विक्षुब्ध कर दिया था कि कई जगह दंगे हो गये। बम्बई की मिलों के मजदूरों ने सरकार के इस कार्य के विरोध में एक व्यापक हड़ताल की। लेनिन ने इस हड़ताल को भारत के श्रमिकवर्ग की पहली राजनीतिक कार्यवाही बताया था। कांग्रेस के अन्दर रह कर उग्रवादियों ने इस बात की चेष्टा की कि सगठन ब्रिटिश शासन के प्रति अपने रुख में परिवर्तन करे, कुछ उग्र रूप धारण करे और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति सक्रिय विरोध की व आत्म-निर्भरता की नीति अपनावे। कांग्रेस के अन्दर कोई क्रांति लाने में तो वे असफल सिद्ध हुये परन्तु बनारस अधिवेशन (१९०५) के अवसर पर उन्होंने अपने अविराम प्रयत्नों के फल-स्वरूप कांग्रेस की बहिष्कार और स्वदेशी का प्रोग्राम स्वीकार करने के हित तय्यार कर लिया। यहा तक कि गोखले ने भी स्वदेशी के बारे में एक उत्साहपूर्ण वक्तृता दे डाली। उन्होंने कहा, "मातृभूमि के प्रति भक्ति-भाव जो कि स्वदेशी में उच्चतम रूप से सुप्रतिष्ठित है, एक प्रभाव है—इतना गुरुगम्भीर और इतना उत्तेजक कि इसका विचारमात्र ही स्फुरण कर देता है और इसका यथार्थ सस्पर्श व्यक्ति के मन शिखर को उच्च में उच्च कर देता है।" २२ वीं कांग्रेस (कलकत्ता १९०६) ने बहिष्कार और स्वदेशी के अपने अनुमोदन को

स्वराज्य

दुहराया और सभापति दादाभाई नौरोजी ने "उपनिवेशों के तुल्य स्व-शासन अथवा स्वराज्य" को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह उग्रवादियों के ही दबाव का फल-था परन्तु उदारवादी नेता स्वतंत्रतार्थ सक्रिय सघर्ष का नेतृत्व करने को प्रस्तुत नहीं थे। वे "वर्तमान शासन-व्यवस्था में सतत सुधार" के द्वारा वैधानिक उपायों से स्व-शासन के आदर्श को प्राप्त करने के अपने पूर्व-विश्वास पर अडिग रहे। इसके प्रतिकूल उग्रवादी ब्रिटिश शासन के समूल उच्छेदन का प्रतिपादन करते थे, वे केवल शासन सम्बन्धी सुधारों में ही सन्तुष्ट नहीं थे। कांग्रेस के इन दोनों पक्षों के बीच में राजनीतिक आदर्श को प्राप्त करने के उपायों के सम्बन्ध में जो मतभेद था, वह बराबर बढ़ता ही चला गया। वैसे तो १९०६ में ही कांग्रेस के अन्दर फूट पड़ जाती, परन्तु वह तो दादा भाई नौरोजी की प्रतिष्ठा और चतुरता का फल था कि उस अवसर पर जैसे तैसे करके यह बला टल गई। परन्तु दूसरे वर्ष यह मतभेद पराकाष्ठा पर पहुँच गया।

उग्रवादी १९०७ के कांग्रेस अधिवेशन (सूरत) का सभापति तिलक को बनाना चाहते थे, परन्तु उदारवादी जिनका कि कांग्रेस में बहुमत था; इस प्रस्ताव के विरुद्ध

थे। उन्होंने अपने बहुमत का प्रयोग कर अपने मनोनीत डा० रास बिहारी घोष को कांग्रेस का सभापति बनाने में सफलता प्राप्त की। उग्रवादियों को यह प्रबल आशंका थी कि उनके विरोधी बहिष्कार और स्वदेशी पर पास किये

सुरत-विच्छेद
(१९०७)

गए पहले वर्ष के प्रस्तावों को मुलायम करना चाहते हैं। दोनों ही पक्षों में उग्रता की वृद्धि होती गई और समझौते के सारे प्रयास निष्फल हुए। अधिवेशन बड़े गुलगपाड़े के वातावरण में प्रारम्भ हुआ। अधिवेशन के दूसरे दिन की सारी कार्यवाही पुलिस की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। परन्तु सभापति अभी अपने भाषण को ठीक से शुरू भी नहीं कर पाये थे कि प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि ने अपना झूठा उठा कर फेंका, जो सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी को झूठा हुआ सर फ़िरोजशाह मेहता को लगा। फिर क्या था, मानों एक युद्ध प्रारम्भ हो गया-कुर्सिया फेंकी गई और डण्डे चलने लगे, जिससे कांग्रेस उस दिन के लिए खतम हो गई। पुलिस को बल प्रयोग के द्वारा पंडाल खाली कराना पड़ा। इसके बाद नरम दल के नेता जमा हुए, उन्होंने एक पृथक् 'कन्वेंशन' का निर्माण किया, और कांग्रेस का एक ऐसा नूतन विधान बनाया कि उग्रदल के लोग उस सगठन में आ ही न सकें। फलतः उग्र दल के लोग कांग्रेस से बाहर निकल गए और वे इस सगठन के अन्दर तब तक शामिल नहीं हुए जब तक कि १९१६ में दोनों दलों के बीच पुनः मेल स्थापित न हो गया।

२८ उग्र राष्ट्रीयता और शासन.

उदारवादी कांग्रेसियों के प्रति तो शासन किसी प्रकार की अनिच्छुक सहिष्णुता प्रदर्शित करता रहा परन्तु उग्रवाद की कड़वी गोली को निगलना उसके लिए दुःसाध्य था। उग्र राष्ट्रवादी सतत सपीडन के भाजन थे। क्रांति-कारियों का दमन करने में जो नीति रूस की सरकार ने उग्र राष्ट्रवादियों का संपी-अपनाई थी अर्थात् जिन पर क्रांतिकारी होने का अग्रगुमात्र इन और दमनमूलक भी सन्देह होता, उन्हें गाड़ियों में भर भर कर साइबेरिया के कानूनों का निर्माण बर्फ़ीले मैदानों में भेज दिया जाता था, करीब करीब वही नीति भारत में उग्र राष्ट्रवादियों का दमन करने में ब्रिटिश शासन ने अपनाई।

शासन ने कितने ही देशभक्तों को देशनिर्वासन का दंड दिया और ऐसा करने में जनता की भावनाओं का कोई ध्यान नहीं रक्खा। नौकरशाही ने इस बात का पक्का निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो सके उग्र राष्ट्रीयता को फौलादी पंजे से कुचल देना है। इसी आदर्श को अपने सामने रखते हुए सरकार ने अपने दमन-शास्त्रागार को

कोई नूतन कानूनो का निर्माण कर परिपूर्ण किया। जैसे कि हम पहले ही कही चुके हैं तिलक के प्रथम कारावास के पश्चात् इन्डियन पीनल कोड में १२४ अ और १५३ अ धाराएं जोड़ी गईं। जब कि बंगाल विभाजन-विरोधी आन्दोलन तूल पकड़ रहा था और देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी हलचलों का जोर बढ़ता जा रहा था, सरकार की ओर से एक से एक बढ़कर दमनमूलक कानूनो का निर्माण भी जोर शोर से होने लगा। एक विशेष अपराध-अधिनियम (Crimes Act) ने अधिकारियों को यह शक्ति दी कि वे जिन राजनीतिक मगठनों को राजद्रोहात्मक प्रवृत्तियों का सन्देशास्पद समझे उन पर प्रतिबन्ध लगा दें। इन्हे राजनीतिक अपराधियों की संक्षिप्त सुनवाई (Summary Trials) करने का भी अधिकार दिया गया। १९०७ में लार्ड मिंटो ने सभाओं के नियम के अध्यादेश को सार्वजनिक सभाएं करने के अधिकार का व्यतिक्रम करते हुए घोषित किया। १९१० का प्रेस विधेयक भी एक ऐसा दृष्टतापूर्ण कृत्य था जिसने कि स्वतंत्र और स्वस्थ प्रेस के विकास-मार्ग को अवरोध कर दिया।

तथापि सरकार इस बात को जानती थी कि राष्ट्रीय आन्दोलन केवलमात्र दमन से ही नहीं कुचला जा सकता। जब से यह अनुभव किया कि उग्रवादियों से किसी प्रकार भी मेल नहीं किया जा सकता तो मुस्लिम साम्प्रदायवादियों और उदार राष्ट्रवादियों को अपनी ओर मॉर्ले-मिंटो सुधार करके अपना इष्ट-साधन करता चाहा। १९०९ के इन्डियन कॉंसिल्स एक्ट को जो कि मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से अधिक प्रख्यात है पास करके उसने इस आदर्श की पूर्ति की। उदारवादियों ने स्वशासन की ओर एक दूसरे पग के रूप में इन सुधारों का स्वागत किया। परन्तु इन तथाकथित सुधारों ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात करके राष्ट्रीय संघर्ष को जटिल कर दिया। इस प्रकार नौकरशाही ने एक ही ढेले से दो पक्षी मारने की कोशिश की। उसने उदारवादियों को अपनी ओर करके उग्रवादियों को अपनी ओर राष्ट्रीय आन्दोलन के क्षेत्र में मुस्लिम साम्प्रदायिकता को उसके विरोध में खड़ा करके उसे दुर्बल करने की चेष्टा की।

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर एक दृष्टि

२९. क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रकृति और साधन-प्रणाली

प्रस्तुत अध्याय के प्रारम्भ में हम भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद अथवा आतंकवादी आन्दोलन की वृद्धि पर एक सरसरी निगाह डाल चुके हैं। आतंकवादी

उग्र राष्ट्रवाद का ही एक पहलू था, यद्यपि साधन-प्रणाली की दृष्टि से वह तिलक, विपिन चन्द्रपाल और लाजपतराय के राजनीतिक उग्रवाद से सर्वथा भिन्न था। उग्रवादी उदार राष्ट्रवादियों की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति से असन्तुष्ट थे। उनका विचार था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद .
और राजनीतिक
उग्रवाद

प्राप्ति के लिए कुछ तीखे उपायों का अवलम्बन आवश्यक है। फलतः वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सक्रिय सहयोग का प्रतिपादन करते थे। लेकिन यह सघर्ष शान्तिमय रीति से होने को था और इसमें हिंसा को कोई स्थान नहीं था। इसके विपरीत क्रांतिकारियों का विश्वास था कि केवल शान्तिपूर्ण सघर्ष ही पर्याप्त नहीं है। वे हिंसा में और आतंकवाद में विश्वास रखते थे।

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उन्हीं कारणों का परिणाम था, जिन्होंने कि राजनीतिक उग्रवाद को उत्पन्न किया। इसने उन भ्रातृक युवकों को, जो उदार राष्ट्रवादियों के ठकुरमुहाती दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे और साथ ही साथ लाल-बाल-पाल द्वारा प्रतिपादित शान्तिपूर्ण आन्दोलन की साधन-प्रणाली में भी विश्वास नहीं रखते थे, अपनी ओर आकृष्ट किया। क्रांतिकारियों का विचार था कि पार्श्विक बल पर आधारित साम्राज्यवाद को हिंसा के बिना जड़ से उखाड़ फेंकना असंभव है। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया-वादी और दमनमूलक नीति ने उनके इस विचार को और पुष्ट कर दिया था। उन्होंने यूरप के क्रांतिकारी आन्दोलनों की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया और वे जारकालीन रूस के गुप्त क्रांतिकारी सगठनों की क्रियान्विति से विशेष रूप से प्रभावित हुए। उनका प्रमुख कार्यक्रम हिंसक कार्यवाहियाँ और राजनीतिक हत्याएँ करना था। ऐसा करने से, वे समझते थे कि ब्रिटिश अधिकारियों और उनके भारतीय पिछलग्गुओं के हृदय में आतंक उत्पन्न हो जायेगा और समस्त शासन यत्र अस्त व्यस्त हो जायेगा। अपने आन्दोलन को चलाने के लिए सरकारी खजाने लूट लेना और सशस्त्र डकैतियाँ डालना भी उनके कार्यक्रम में शामिल था।

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद
की साधन-प्रणाली

३० क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण

क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सबसे प्रारम्भिक केन्द्र महाराष्ट्र था, जहाँ उसने स्वयं को १८९६ में रेड और आयर्स्ट की दोहरी हत्याओं में व्यक्त किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा, वी डी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर व चापेकर बन्धुद्वय इस आन्दोलन के नेता थे। उनका कहना था 'प्राण देने से पूर्व प्राण ले लो'। यह प्रतीत होता है कि रैण्ड की हत्या में श्याम जी कृष्ण वर्मा का हाथ था। वे इस हत्या के तुरन्त बाद ही लन्दन चले गए।

महाराष्ट्र में
क्रांतिकारी
राष्ट्रवाद

सावरकर बन्धुओं ने क्रान्तिकारी अभिनव भारत समाज की स्थापना की। १९०६ में विनायक दामोदर सावरकर लन्दन पहुँचे और वहा श्याम जी कृष्ण वर्मा का हाथ बटाने लगे। उन्होंने लन्दन से अपने भाई गणेश को, जो महाराष्ट्र में आन्दोलन कार्य कर रहा था, हथियार भेजने की कोशिश की, हथियारों का पार्सल रवाना कर दिया गया। लेकिन इसके पूर्व कि वह गणेश के पास पहुँचा, गणेश को सम्राट् के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध में आजीवन देश निकाले का दंड दे दिया गया। प्रति-शोध की भावना से अभिनव समाज के एक सदस्य ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि० जैक्सन को अपनी गोली का निशाना बना डाला। अभिनव समाज कई वर्षों से अत्यन्त क्रियाशील था और पडोस के कई राज्यों व पश्चिमी भारत के बहुत से भागों में उसकी शाखाओं का एक जाल सा बिछा हुआ था।

बंगाल के विभाजन ने बंगाल में आतकवाद का विस्फोट कर दिया। प्रान्त में बेकारी पहले से ही फैली हुई थी, विभाजन ने आग में घी का काम किया और भावुक युवक बंगालियों को हिंसा-पथ का पथिक बना दिया। इस आन्दोलन के नेता बारीन्द्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त थे। उन्होंने हथियार उठाने और विदेशी शासन से युद्ध करने के लिए बंगाल के युवक वर्ग का आह्वान करते हुए जोरदार क्रान्तिकारी प्रचार किया। उनका कथन था, “इस देश में अंग्रेजों की सख्या १५ लाख से अधिक नहीं है। प्रत्येक जिले में अंग्रेज पदाधिकारियों की सख्या कितनी है? यदि आप अपने सकल्प में दृढ़ हैं, तो एक ही दिन में ब्रिटिश शासन का अन्त कर सकते हैं। अपने प्राण दे दीजिए लेकिन पहले प्राण ले लीजिए।” उन्होंने अनुशीलन समिति का संगठन किया जिसका मुख्य कार्यालय ढाका और कलकत्ते में था व जिसकी शाखाएँ सम्पूर्ण बंगाल में फैली हुई थी। बंगाल में आतकवादी आन्दोलन ने एक समय बहुत जोर पकड़ लिया था और इसके फल-स्वरूप कई राजनीतिक हत्याएँ हुई थीं। १९०७ में आतकवाद की अग्नि-शिक्षा पंजाब में भी चमक उठी। यहा सरदार अजितसिंह, भाई परमानन्द, उनके अनुज बाल मुकुन्द और लाला हरदयाल ने क्रान्तिकारियों का संगठन किया। १९१२ में लार्ड हार्डिंज के प्राण हरण का प्रयास इन्हीं क्रान्तिकारियों का कार्य था पंजाब में क्रान्तिकारी हलचलों को अमेरिका से वापिस आये हुए कुछ सिक्खों ने और भी मजबूत किया।

भारत के बाहर भी भारतीय क्रान्तिकारी सक्रिय थे। इंग्लैण्ड में श्याम जी

कृष्ण वर्मा ने 'इण्डिया होमरूल सोसाइटी' स्थापित की, और 'इण्डियन सोशियो-लोजिस्ट' नामक एक मासिक पत्र निकालना शुरू किया।

उन्होंने क्रान्तिकारियों का एक छोटा सा सुसंगठित दल बनाया जिसका केन्द्र 'इण्डिया हाउस' था। बाद में, वी. डी सावरकर भी उनका हाथ बँटाने के लिए इंग्लैण्ड पहुँच गए। इन नवयुवकों ने भारत में काम करने वाले

विदेशों में भारतीय
क्रान्तिकारी
(१) इंग्लैण्ड में

क्रान्तिकारियों को हथियार व क्रान्तिकारी साहित्य भेजने का प्रयास किया। पहली जुलाई १९०६ को इस दल के एक सदस्य मदनलाल ढींगडा ने 'इण्डिया हाउस' के सर विलियम विली की हत्या कर डाली। अधिकारियों के तुरन्त ही कान खड़े ही गये और उन्होंने इन युवक क्रान्तिकारियों का पीछा करना शुरू कर दिया व इस छोटे से दल को छिन्न भिन्न करने में सफलता प्राप्त की। श्याम जी कृष्ण वर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रान्तिकारी यूरोप के अन्य देशों में भी क्रियाशील थे। (२) यूरोप में

उन्हे यूरोप की कतिपय विभूतियों का भी समर्थन प्राप्त था। पेरिम वी मैडम कामा का नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मैडम कामा 'बन्दे मातरम्' का सम्पादन करती थी। ये क्रान्तिकारी भारत में कार्य करने वाले क्रान्तिकारियों को पुस्तकें और पत्र-पत्रिकायें आदि भेजा करते थे ताकि शिक्षित युवक-वर्ग में क्रान्तिकारी विचारधारा का संचार किया जा

सके। अमेरिका में लाला हरदयाल ने क्रान्तिकारियों का (३) अमेरिका में सगठन किया व १९१३ में सैन फ्रांसिस्को से 'गदर' नामक

एक पत्र निकालना शुरू किया। यद्यपि परिस्थितियों से विवश हो लाला हरदयाल को अमेरिका छोड़ कर स्विट्ज़रलैंड चला जाना पडा लेकिन गदर आन्दोलन में शिथिलता नहीं आने पायी और क्रान्तिकारी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच खूब प्रचार करते रहे। (गदर आन्दोलन पंजाब में भी सक्रिय था। यहाँ उसका नेतृत्व बाबा गुरुदत्त सिंह और अमेरिका से लौट कर आये हुए दूसरे क्रान्तिकारियों ने किया)। सर वैलेन्टाइन शिरोल ने 'इंडो-अमेरिकन एसोसियेशन' और 'यंग इंडिया एसोसियेशन' नामक दो संस्थाओं की भी चर्चा की है। इनमें पहली तो एक प्रचार संस्था थी और 'फ्री हिन्दुस्तान' नामक पत्र निकालती थी व दूसरी एक गुप्त संस्था थी जो आयरलैंड के क्रान्तिकारी दलों की पद्धति पर बनी हुई थी। सर वैलेन्टाइन शिरोल का कथन है कि इन दोनों ही संस्थाओं का भारत की समस्त राजद्रोही संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित था।

३१—क्रान्तिकारी आंदोलन का उत्तरकाल

भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी के अवतरण ने क्रान्तिकारी राष्ट्र-

वादकी क्रमशः अघोगति शुरू कर दी। गांधी जी की टेकनीक ने देशभक्त भारतीयों को अतुल प्रभावित किया और आतंकवाद को निष्प्रभ कर दिया - इसका यह अभिप्राय नहीं है कि अहिंसा के जादू ने हिंसक कार्यवाहियों का पूर्ण उत्सादन कर दिया। क्रांतिकारी भावना मूलतः समाप्त नहीं हुई और समय-समय पर न्यूनधिक रूप से संगठित पद्धति में राजनीतिक आतंकवादकी छितरायी हुई हलचलों में उसका विस्फोट होता रहा। इस दिशामें 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी' ने कुछ समय तक कार्य किया और शासकों के आतंकवाद से सामना करने की कोशिश की। सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद और जतीन्द्रनाथ दास जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के एकनिष्ठ साधकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अन्त करने की असफल चेष्टा में अपना सर्वस्व स्वाहा किया।

यह ठीक है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध महात्मा गांधी के शान्तिमय आंदोलन ने भारत की जनता को बहुत बड़े पैमाने पर अपनी ओर आकृष्ट किया लेकिन फिर भी हिंसा या उसकी धमकी राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि में सदैव विद्यमान रही और उसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिये विवश करने में निर्णयात्मक भाग लिया। १९४२ की क्रांति, सुभाष बोस की आजाद हिन्द फौज के स्वातंत्र्य-समर और भारतीय नौ-सेना के विद्रोह ने इस बात की स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि यदि अंग्रेज समय रहत स्वेच्छा से भारत छोड़ कर नहीं चले जाते, तो उन्हें क्रांति-विस्फोट द्वारा भारत से निकाल दिया जाता।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में एक नूतन उग्रवाद की उद्भावना हुई। इससे भारत के राष्ट्रीय रंगमंच पर नूतन नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ। जन-साधारण के अन्दर, जो असन्तोष व्याप्त हो रहा था, उसको उन्होंने व्यक्त किया। वे उदारवादियों द्वारा प्रतिपादित राजभक्ति-वाद और वैधानिक आंदोलन की नीति में विश्वास नहीं कर रहे थे। वे सहयोग, प्रार्थनाओं और आवेदनों के उपायों का विरोध करते थे और उन्हें "राजनीतिक-भिक्षावृत्ति" के नाम से पुकारते थे। वे विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ फेंक देने के लिये सक्रिय संघर्ष का समर्थन करते थे। कुछ स्थानों में उग्र राष्ट्रीयता ने आतंकवाद का भी स्वरूप धारण किया।

उग्र राष्ट्रीयता की उद्भावना कई कारणों का परिणाम थी। नौराजाही कुशासन, दुर्भिक्ष और प्लेग जैसी प्राकृतिक आपदाओं, बुद्धिजीवी वर्ग के आर्थिक असन्तोष, विकालोन्मुख मध्यमवर्ग के प्रभाव और धार्मिक पुनरुत्थान ने जनता के

अन्तराल में विदेशी शासन के प्रति घोर घृणा की भावना उत्पन्न कर दी। लाईकजन के दमन मूलक दुष्कृत्यों ने जनता के प्रचंड रोषानल पर घृत छिड़क देने का कार्य किया। उन्होंने १९०५ में जनता की भावनाओं की अणुमात्र भी परवाह न करते हुए बङ्गाल को दो हिस्सों में बाट दिया। इसके विरुद्ध सारे देश में आंदोलन का एक तूफान उठ खड़ा हुआ, और वह तब तक शान्त नहीं हुआ जब तक कि १९११ में बङ्ग-भंग को पुनः रद न कर दिया गया। ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था, उससे भी देशवासियों के राष्ट्रीय अभिमान पर चोट पहुँचती थी। १८९६ में अर्बीसिनिया के हाथों इटली और १९०४-५ में जापान के हाथों रूस पराजित हुआ। इससे यूरोपीयों की अजेयता की कल्पना नष्ट हो गई। इन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीयों को अपूर्व उत्साह प्रदान किया।

सर्व प्रथम उग्रवाद प्रमुखतः तिलक के कार्य के फलस्वरूप महाराष्ट्र में विकसित हुआ। तिलक महान् देशभक्त थे और उन्होंने स्वतन्त्रता देवी पर बड़े बड़े बलिदान किए। उन्होंने 'कैसरी' और 'मरहठा' पत्रोंको सम्पादित किया और इनके द्वारा राष्ट्रीयता की नूतन प्राण धारा को प्रसारित किया। उन्होंने गणपति उत्सव (१८९३) और शिवाजी-उत्सव (१८९५) प्रारम्भ किए। इन उत्सवों के द्वारा तिलक ने महाराष्ट्र के नवयुवकों को शिक्षित, संगठित और अनुशासित किया व उनमें देश हित के लिए बद्ध परिकर रहने की पुरुषार्थमयी भावना का संचरण किया। तिलक को कई बार कारावास का दंड मिला। तिलक एक गम्भीर विद्वान्, चतुर राजनीतिज्ञ और जनता के छत्ररहित सम्राट थे। उन्होंने अंग्रेजों से कृपाकोर की भिक्षा माँगने के बजाय आत्म निर्भरता और स्वतन्त्र कार्यवाही का पाठ पढाया। उनका उग्रवाद उन्हें गोखले के विरोध में रखता था।

बंगाल में उग्रवाद जनता द्वारा प्राणपण से विरोध किये जाने के बावजूद भी अक्टूबर १९०५ में प्रान्त के दो भागों में विभाजित कर देने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। बंगाल के दोनों भागों में एक तीव्र आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। बहिष्कार और स्वदेशी आन्दोलन बग-भग -विरोधी आन्दोलन के ही जात थे। विपिन चन्द्रपाल, अरविन्द घोष और अश्वनी कुमारदत्त बंगाली उग्रवाद के प्रमुख नेताओं में से थे। पञ्जाब केसरी लाला लाजपत राय एक दूसरे महत्वपूर्ण उग्रवादी नेता थे।

उग्रवाद उस उदारवादी नेतृत्व के प्रति जो ब्रिटिश जाति की न्याय-निष्ठा में विश्वास करता था और अपनी राजभक्ति की घोषणा करते न थकता था, एक सबल क्रांति थी। उदारवादियों का विश्वास था कि वे विशुद्ध वैधानिक उपायों के ही द्वारा भारत के राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उग्रवादी ब्रिटिश साम्राज्यवाद

के विरुद्ध सक्रिय विरोध का समर्थन करते थे और वे स्वतन्त्रता के मन्त्र के वाहक थे। उग्रवादियों द्वारा प्रारम्भ किए गए बहिष्कार और स्वदेशी के आन्दोलनो ने भारत के राष्ट्रीय इतिहास में एक नूतन अध्याय की सृष्टि की। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भारतीय दासता के बंधनो में बंधे रहने के लिए नैयार नहीं हैं और वे अपने राजनीतिक अधिकारो के लिए सग्राम करने को बद्ध-परिकर हैं। उग्र राष्ट्रीयता का हिन्दू पुनरुत्थान से घनिष्ठ सम्बन्ध था, इस कारण उसका स्वरूप कुछ कुछ प्रतिक्रियावादी सा हो गया था।

उदारवादियों और उग्रवादियों के बढ़ते हुए मतभेद के ही कारण १९०७ में सूरत विच्छेद हुआ।

उग्र राष्ट्रवाद का एक पहलू क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था। क्रांतिकारियों का शांतिपूर्ण आन्दोलन में विश्वास नहीं था। वे हिंसक कार्यक्रम के अनुयायी थे। यह आन्दोलन सबसे पहले महाराष्ट्र में प्रकट हुआ। स्वामी जी कृष्ण वर्मा और सावरकर वन्धुओ ने इसका सगठन किया। बँगाल में इसका विस्फोट बग-भग के दिनों में हुआ। वरीन्द्र घोष और भूपेन्द्रनाथ दत्त इसके शक्तिशाली नेता थे। इसी समय के आस पास पजाब में भी क्रांतिकारी समितिया स्थापित हुईं। भारतीय क्रांतिकारियों ने भारत के बाहर यूरोप और अमरीका में भी काम किया। भारत के राष्ट्रवादी आन्दोलन के क्षेत्र में महात्मा गांधीके अवतीर्ण होने पर क्रांतिकारी आन्दोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया।

अध्याय ५

भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का प्रवेश

३२. फूट डालो और राज्य करो, औपनिवेशिक शासन का आधार

यदि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की जात थी, तो भारत के अर्वाचीन राजनीतिक जीवन की विषयवृक्ष साम्प्रदायिकता भी ब्रिटिश राज की ही प्रसूति थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय महासभा (इण्डियन नेशनल कांग्रेस) की स्थापना में इस आशा से प्रोत्साहन दिया था कि भारतीय जनता में जो असन्तोष घुमड रहा है और जो कालांतर में एक भयंकर विस्फोटक क्रान्ति का स्वरूप धारण कर सकता है, हमें निरन्तर उसका ज्ञान हो सके, और जहाँ तक सम्भव हो ऐसी किसी घटना को घटित होने से रोका जाय। उनका विश्वास था कि वे कांग्रेस का प्रयोग एक ऐसे सुरक्षा-मार्ग (Safety valve) के रूप में कर लेंगे जिससे कि किसी आकस्मिक और हिंसक विस्फोट से ब्रिटिश शासन की रक्षा हो सके। परन्तु नौकरशाही की यह धारणा सत्य सिद्ध नहीं हुई। कांग्रेस ने शीघ्र ही सरकार की कड़ी आलोचना शुरू कर दी और कुछ ऐसी मार्गें प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया जो सरकार के लिए बड़ी असुविधाजनक थी। फलतः ब्रिटिश शासन को कांग्रेस कष्टकर प्रतीत होने लगी। फलस्वरूप अब उसे इस बात की आवश्यकता का अनुभव होने लगा कि कोई ऐसी तरकीब की जाय, जिससे कि राष्ट्रीयता के वेगवान् प्रवाह में विघ्न पड़े, और उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाय। इस विषयक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने "फूट डालो और राज्य करो" के उस परम्परागत सिद्धान्त का ही आश्रय लिया, जो कि सर्वत्र ही औपनिवेशिक राज्य का आधार रहा है। भारत वर्ष में अपने शासन की जड़ों को जमाए रखने के लिए अंग्रेजों ने इस कूट-विद्या का प्रारम्भ से ही प्रयोग किया था। हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक मतभेद का ब्रिटिश अधिकारियों ने यथेष्ट लाभ उठाया और राष्ट्रीयता के प्रभाव

को कम करने के लिए उसका उपयोग किया। कतिपय ब्रिटिश लेखकों ने एडी-चोटी का जोर लगाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतवर्ष में साम्प्रदायिकता के विषयवृक्ष के सर्वधनार्थ ब्रिटिश शासक अगुमात्र भी दोषी नहीं हैं। उदाहरणार्थ क्रूपलैंड का कथन है, “न तो ब्रिटेन ने यह आग सुलगाई और न वह उसे पुँजीभूत रखने का ही दानवीय कृत्य करता रहा है ?” *यह कहना तो ठीक नहीं है कि साम्प्रदायिकता के उदभव और विस्तार का सारा का सारा दोष ही अंग्रेजों के सर मढ़ा जा सकता है परन्तु इतना अवश्य कहना पड़ता है कि भारतीय राजनीति के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता के उद्भव और विकास का मुख्य उत्तरदायित्व अंग्रेजों के कन्धों पर ही आकर पड़ता है। द्वितीय गोलमेज परिषद् के अवसर पर महात्मा गांधी ने श्लोक ही कहा कि साम्प्रदायिकता की समस्या “ब्रिटिश आगमन की समकालिक” है*। शताब्दियों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर निवास करते रहने के कारण भारत वर्ष के हिन्दुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे के अनुकूल बनने और एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की स्वस्थ भावना को सुविकसित कर लिया था यद्यपि कभी कभी इन दोनों जातियों में मन मुटाव भी हो जाता था, फिर भी, दोनों ही जातियों ने “एक दूसरे के साथ सहयोग स्थापित करने का एक आकर्षक आदर्श” सुविकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अंग्रेजों ने स्वयं को इस आदर्श के खंडन-कार्य में संलग्न कर दिया। “अपने समस्त विख्यात वीरान के साथ, जिसने कि अभी हाल तक उनकी कूटनीति को ससार में सर्वाधिक शक्तिशाली बनाये रक्खा था, अंग्रेज शासकों ने अपने आप को हिन्दू और मुसलमानों के मध्य में खड़ा करके एक ऐसे साम्प्रदायिक त्रिभुवन की रचना का, जिसके आधार वे स्वयं रहे, निश्चय किया।”*

३३—ब्रिटिश शासन में भारतीय मुसलमानों की अधोगति

भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना इस देश में मुसलमानों की स्थिति पर एक महान् कुठाराघात था। अंग्रेजों की प्रभुता के पूर्व मुसलमान ही इस देश के भाग्य-विधाता थे, अपनी इस गौरवपूर्ण स्थिति से वे स्व-लित हो गये और निरन्तर निर्धनता और अधोगति के महाराणों में डूबते गये। अपने शासन के प्रारम्भ से ही ईस्ट इंडिया कम्पनी मुसलमानों से भय खाती थी और उसे आशँका थी कि मुसलमान अपनी अपहृत सत्ता को पुनः

*. क्रूपलैंड : दी इण्डियन प्रॉब्लेम (१८३३-१९३५) पृ. ३५
 *. ” ” ” ” ” पृ. ६५

*. मेहता और पटवर्धन: दि कम्युनल ट्रायंगल पृ. ५२

प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं। फलतः ब्रिटिश शासकों ने, जैसे भी हो सका हर सभव उपाय से मुसलमानों का दमन करने की चेष्टा की और वे “अपने प्रशासन के सचालनार्थ हिन्दुओं की सहायता और राजभक्ति पाने की ओर अधिकाधिक उन्मुख हुए। भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन का प्रथम युग एंग्लो-हिन्दू-सहयोग का युग था।”* १९ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण तक अंग्रेजों ने हिन्दुओं के ऊपर अपनी कृपाकोर का वर्षण किया और जानबूझ कर मुस्लिम-विरोधी नीति अपनाई। नोमन के अनुसार “ब्रिटिश अधिकारियों ने यह निश्चय कर लिया था कि अपनी नूतन शक्ति के विस्तार और अविच्छिन्नता के लिये एकमात्र उपाय यही है कि मुसलमानों का दमन कर दिया जाय और उन्होंने जानबूझ कर ऐसी नीतियों का आश्रय ग्रहण किया था जिनका उद्देश्य ही यह था कि मुसलमानों में बौद्धिक जड़ता आ जाय, उनका अधःपतन व आर्थिक विनाश हो जाय।”* भारतवर्ष में अपने शासनकाल के पहले दौर में ब्रिटिश अधिकारियों ने मुसलमानों का विरोध करने और हिन्दुओं के साथ पक्षपात करने की जो नीति अपनाई थी, उसकी सत्यता लार्ड एलेनबर्ग के इस कथन से भी प्रकट होती है, ‘मुसलमान जाति मौलिक रूप से हमारे विरुद्ध है और इसलिये हमारी सच्ची नीति हिन्दुओं को प्रसन्न रखने की है।’*

हिन्दुओं को अपने अनुकूल और मुसलमानों का दमन करने की ब्रिटिश-साम्राज्यवादी नीति ने अपना मनोवाञ्छित परिणाम प्राप्त किया। इससे मुसलमानों के आर्थिक और सांस्कृतिक अधःपतन का पथ प्रशस्त किया। १८७१ में सर विलियम हटर ने लिखा था, “आर्थिक दृष्टि से वे (भारतीय मुसलमान) ब्रिटिश शासन में एक विनष्ट जाति हैं।”* उनकी दयनीय दशा का उसने निम्न प्रकार से वर्णन किया है “१७५ वर्ष पूर्व अच्छे घराने में उत्पन्न मुसलमान का गरीब होना असम्भव था, अब उसका अमीर बने रहना असम्भव है।”* बंगाल में भूमि के स्थायी बन्दोबस्त ने मुसलमानों के आर्थिक जीवन पर घातक प्रभाव डाला।

भारतीय दस्तकारियों का अधःपतन हो गया। ब्रिटिश- भारतीय मुसलमानों का शासन ने मुसलमानों के लिये सरकारी नौकरियों का द्वार आर्थिक विनाश बन्द कर दिया। इससे उनकी गरीबी में और भी तीव्र- गति से वृद्धि होने लगी। भारतवर्ष में ब्रिटिश-शासन की स्थापनाके पूर्व शासन के सभी

* डी. सेन: रेवोल्यूशन बाई कंसेंट, पृष्ठ १६६।

* नोमन: मुस्लिम इंडिया, पृ० २३।

प. आर. देसाई द्वारा उद्धृत: सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पृ. ३५४।

* सर विलियम हटर: दि इंडियन मुसलमान्स पृ० १५५

* ‘बही’,

महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान ही आसीन थे और सेना में भी उनका ही जोर था । परन्तु भारतवर्ष में ब्रिटिश-शासन की स्थापना ने इस स्थिति को उलट डाला । ऊँचे-ऊँचे पदों पर तो यूरोपियनों की प्रतिष्ठा की गई और छोटे पदों पर हिन्दुओं की । सभी चुनावों में मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दुओं के ऊपर अधिक अनुग्रह प्रदर्शित किया जाता था । जब कभी कोई जगह खाली होती थी, बहुधा यह बात स्पष्ट कर दी जाती थी कि इन जगहों पर केवल हिन्दुओं को ही नियुक्त किया जायगा ।”* इस संबंधमें नोमनने स्पष्ट आँकड़े दिए हैं । १८७१में बंगालमें २१४१ गजटेड पद थे । इनमें से १२३८ पर यूरोपीय नियुक्त थे ७११ पर हिन्दू नियुक्त थे और मुसलमान केवल ९२ पर ।* यह स्मर्तव्य है कि अंग्रेज इस साम्राज्यवादी उद्यम में हिन्दुओं को केवल छोटे सामीदारों के रूप में ही प्रयुक्त कर रहे थे उन्होंने विद्वांस और महत्व के समस्त पदों से हिन्दुओं को कोसों दूर रक्खा था । बंगाल में आई० सी० एस० के समस्त २६२ पदों पर केवल यूरोपीय ही नियुक्त थे - न्याय-विभाग के ४७ उच्च पदों पर भी उनकी ही सुप्रबिष्ठा थी । परन्तु मुसलमान कठोर अन्याय के भाजन थे । उन्हें सेना में जो कि उनकी आदर्श जीवन वृत्ति रही थी, कोई भी अच्छी नौकरा नहीं मिलती थी । हटर ने लिखा है, “कोई भी मुसलमान फौज में प्रवेश नहीं कर सकता । कुछ मुसलमान गवर्नर जनरल के कमीशन द्वारा अवश्य चुने जाते हैं, परन्तु जहाँ तक मैं समझता हूँ, महारानी के कमीशन द्वारा एक भी नहीं ।”*

अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के सूत्रपात ने मुसलमानों के आर्थिक और सांस्कृतिक अग्र-पतन को और भी तीव्र कर दिया । मेहता और पटवर्धन के मत में “मुसलमानों के साथ सबसे अधिक अन्याय शिक्षा के मामले में किया गया ।”* १८३३ में अरबी और फारसी के स्थान पर अंग्रेजी अदालती भाषा हो गई । इस परिवर्तन से मुसलमानों को बहुत चोट पहुँची । नए स्कूलों और कालिजों में भी परम्परागत भारतीय शिक्षा-प्रणाली को “सब प्रकार की सहायता से बर्चित कर दिया गया ।” भारत वर्ष में प्राचीन काल से यह रिवाज चला आता था कि यहां के राजा शिक्षा और देश सेवा के लिए कुछ भूमि अनुदान अवश्य

* कलकत्ते के तत्कालीन पत्र (दुर्बीन फारसी) ने सुन्दरबन के कमिश्नर के कार्यालय में भेदभाव की इस नीति पर आचरण होने का उद्धरण दिया था ।

* नोमन द्वारा उद्धृत: मुस्लिम इंडिया पृष्ठ २१

* नोमन: मुस्लिम इंडिया, पृ, २२-२३

* हटर: वही, पृ, १५६

* मेहता और पटवर्धन: वही, पृ ८७

दे देते थे। मि० जेम्स ग्रांट, एक लगान-पदाधिकारी, के अनुसार जब अंग्रेजों ने बंगाल का शासन सूत्र सम्हाला, प्रान्त का चतुर्थांश शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए मन्दिरों और मस्जिदों के अधिकार में था। * यह भूमि जो मन्दिरों और मस्जिदों के अधिकार में रहती थी, उससे जो आय होती वह शिक्षा के कार्यों में लगती थी, अब मन्दिरों और मस्जिदों को मिली सम्पूर्ण भूमि को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। फलतः ये पुरानी शिक्षण सस्थाएँ आर्थिक दृष्टि से अपाहिज हो गईं। मकतबों और पाठशालाओं को भूखे रख रख कर मार डालने का इससे अधिक प्रभाव अन्य कोई उपाय नहीं हो सकता था। दानशील मुसलमान पहले जो दान परम्परागत इस्लामी शिक्षा के प्रचारार्थ दिया करते थे, अंग्रेजों ने उन्हें यह पाठ पढाया कि वे उसको नूतन निर्मित स्कूलों और कालिजों के सधारण के लिए दें। ब्रिटिश अधिकारियों के इस आचरण में भी भारतीय मुसलमानों को कुचल डालने का लक्ष्य क्रियाशील था। इस प्रकार के एक-त्रित दान द्वारा ही हुगली कालिज प्रारम्भ हुआ। * स्पष्ट है कि इस कालिज से जिसका कि सस्थापन और सधारण उस कोष से होता था जो कि मुसलमानों के हित की दृष्टि से दान में दिया गया था मुसलमान बहुत ही कम लाभ उठाते थे। यहा तक कि १८७२ में भी उस कालिज में मुसलमान विद्यार्थी केवल तीन ही थे जबकि उसमें पढने वाले कुल छात्रों की संख्या तीन सौ थी। * नूतन शिक्षा ने जिन सुयोगों की सृष्टि की थी, मुसलमान उनसे लाभ उठाने की बहुत कम उत्सुकता प्रदर्शित करते थे। इसका कारण कुछ तो उनकी पुराण प्रियता थी और कुछ ब्रिटिश शासकों के प्रति रोष की भावना इसके विपरीत हिन्दू नूतन शिक्षा के प्रति सुगमता पूर्वक आकृष्ट हो गए। यही कारण है कि जितने भी बौद्धिक-व्यवसाय थे, उनमें मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दू बहुत आगे बढ़ गए। बावेन के अनुसार १८५२ और १८६८ के बीच में २४० देशी वकीलों को

* मेहता और पटवर्धन दि कम्प्युनल ट्रायंगल प. ५२

* टिप्पणी—हुगली ट्रस्ट की स्थापना हाजी मोहम्मद मोशिन और उनकी बहिन की विशाल धनराशि से हुआ था। यह निर्धारित किया गया था कि ट्रस्ट की आय शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाय। १८१७ में ट्रस्ट का नियन्त्रण सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और इसकी आय से हुगली कालिज को सधारित किया। १,०५७,०० का संचित कोष भवन-निर्माण में व्यय किया गया। ५००० पौंड की वार्षिक आय को सस्था के सधारणार्थ व्यय किया जाने लगा। इतना खर्च हो जाने के पश्चात् मुस्लिम शिक्षा के एक छोटे से स्कूल के लिए केवल ३५० पौंड ही अवशिष्ट रहते थे। यह काण्ड मेहता और पटवर्धन के द्वारा उद्घृत किया गया है।

दि कम्प्युनल ट्रायंगल, पृ. ८७-८८

* पृ. ० सी० ब्राउन: मुहम्मद अनिस इन इंडिया, पृ. ८८

कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रवृष्ट किया गया। इनमें मुसलमान केवल एक ही था।* इन्हीं सब कारणों से हिन्दुओं में राजनीतिक चेतना का विकास मुसलमानों की अपेक्षा कहीं अधिक शीघ्रता से हो गया। मर्कपतः ब्रिटिश शासन ने मुसलमानों की अघोगति कर दी। नोमन के शब्दों ने "शिक्षा नीति ही बेकारी की वृद्धि और मुसलमानों के लिए अन्यान्य मार्ग बन्द कर देने को उत्तरदायी थी। सेना में उनकी भरती बहुत ही परिमित थी, कला कौशल के क्षेत्र में उन्हें पंगु और असहाय कर दिया गया था।"

इस प्रकार मुसलमानों का जो क्रमबद्ध दमन किया गया, उससे वे ब्रिटिश शासन के प्रति घोर असन्तोष की भावना से आप्लावित हो गए। १८५७ का विद्रोह तो इस असन्तोष का प्रकटीकरण था ही परन्तु उसके पूर्व वहाबी आन्दोलन के रूप में भी वह व्यक्त हुआ।

भारत वर्ष में वहाबी आन्दोलन मुख्यतः एक धार्मिक आन्दोलन था, यह अरब से प्रेरणा ग्रहण करता था और इसका उद्देश्य इस्लाम का शुद्धीकरण व उसके सत्य और मौलिक सिद्धान्तों की पुनर्प्रतिष्ठा करना था। परन्तु मुस्लिम असन्तोष वहाबी आन्दोलन भी था। वहाबी नेताओं ने 'मुस्लिम जनसंख्या को आचूड़ हिला डाला और उत्साह की एक तरंग सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गई।'* उन्होंने दलित और निर्धन मुस्लिम जनता के प्रतिरोध को संगठित किया और बगाल में वे कई कृषक विद्रोहों के लिए उत्तरदायी थे। यद्यपि सरकार ने अपने फौलादी पजे से इस आन्दोलन का तो दमन कर दिया, परन्तु जिस कटुता और असन्तोष का वहाबी आन्दोलन प्रतीक था उसे सरकार न दबा सकी। वहाबी आन्दोलन को पूरे तरीके से कुचला भी न जा सका था कि वह विद्रोह के विराट विप्लव में निमज्जित हो गया। विद्रोह के सम्बन्ध में यह ठीक ही कहा गया

हैं कि "वह भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सबसे पहली बिद्रोह और भारतीय और सबसे भयकर चुनौती थी।"* सन् सत्तावन के स्वा-मुसलमान तन्त्रय समर में मुसलमानों ने प्रमुख भाग लिया। परन्तु यह विद्रोह केवल एक मुस्लिम-विद्रोह ही नहीं था। इसके विपरीत वह "भारत वर्ष की जनता के बीच ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए

* वही, पृ ४५

* नोमन: मुस्लिम इंडिया, पृ. २६-२७

* जी० एन० सिंह- लैबमार्क्स इन इंडियन कांस्टीट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट पृ १६७

* मेहता और पटवर्धन- दि कन्वुनल ट्रायगल इन इंडिया, पृ. ६५

* वही, पृ. ६६

एक शानदार सन्धि थी। इसके अन्दर महान मुगल और पेशवा, हिन्दू और मुसलमान समान रूप से अपने आपसी झगडों को भूल गए और अपने सामान्य शत्रु के विरुद्ध कंधे से कंधा भिडा कर लडे।* परन्तु विद्रोह के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने मुसलमानों को ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने विद्रोह का निर्वाचन इस प्रकार से किया कि वह मुसलमानों की मुगल शासन के पुनरुत्थान के लिये एक चेष्टा है। विद्रोह विफल हुआ और दमन का फौदाली पजा भारतीय जनता के ऊपर आ पड़ा। मुसलमान ब्रिटिश-शासन के विशेष रूप से कोपभाजन बनाये गए। ब्रिटिश अधिकारी मुसलमानों को तीव्र सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। विद्रोह के पश्चात् भी वहाबी लोगों ने सीमान्त प्रदेश में ब्रिटिश विरोधी युद्ध भडे को लहराए रक्खा। १८५८ के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जितना भी सार्वजनिक पद हैं उनका द्वार बिना किसी जाति, वर्ण, और वंश के भेदभाव के लिए समान रूप से खुला रहेगा। परन्तु व्यवहार में घोषणा पत्र के इस बचन पर आचरण नहीं किया गया। सरकार मुसलमानों के साथ विरोध और हिन्दुओं के साथ पक्षपात करने की नीति पर बराबर चलती रही। फलतः "शासन, वाणिज्य और उद्योग में मुसलमानों का भाग या बहुत कम था, या बिल्कुल ही नहीं था।*

३४. १८७१ के पश्चात् ब्रिटिश-नीति का व्यतिक्रम

१८७१ के पश्चात् ब्रिटिश-दृष्टिकोण में निश्चित रूप से एक परिवर्तन हो गया। इस व्यतिक्रम के कारण की खोज करना कठिन नहीं। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि हिन्दुओं ने अंग्रेजी-शिक्षा-पद्धति से पूरा लाभ उठाया। इसने एक ओर तो उन्हें अंग्रेजों का अनुग्रह प्राप्त करने और "नौकरशाही के पदोन्नति के मामले में"* अपने मुस्लिम भाइयों से बाजी मार ले जाने में समर्थ किया। दूसरी ओर पारश्चात्य सस्कृति और साहित्य के प्रभाव ने उनके मध्य राष्ट्रीय भावनाओं की उद्भावना की और उनके हृदयों को राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के विचारों से आप्लावित कर दिया। इससे अंग्रेजों को थोड़ी परेशानी हुई। उन्होंने सोचा कि अगर कहीं मुस्लिम जाति पर भी राष्ट्रीयता का रग चढ गया, तब तो हमारे लिये बड़ी कठिनाई हो जायगी। नौकरशाही के लिये यह सर्वथा स्वाभाविक था कि

* मेहता और पटवर्धन. दि कम्प्युनल ट्रायंगल इन इंडिया प, ६६

* डी. सेन. रेवोल्यूशन बाई क्रासेंट, पृ० १६६।

* मेहता और पटवर्धन: वही, पृ० ५६-५७।

एंग्लो-मुस्लिम
सहयोग पर
बल

वह राष्ट्रीय विस्तार के लिये एक दूसरे संघर्ष के निमित्त हिन्दू-मुस्लिम गठ-बन्धन को सहन नहीं कर सकती थी। क्योंकि सन् ५७ में जब कि और मुसलमान अपने सामान्य शत्रु के विरुद्ध मिल कर लड़े थे, वह इसका मजा देख चुकी थी। इसलिये अब एक नवीन उपाय सोचा गया।

जिन मुसलमानों को अंग्रेज अब तक घृणा की दृष्टि से देखते थे, जिनका दमन करने में उन्होंने कुछ उठा न रक्खा था, जिनको वे अपना हिन्दूशत्रु की अपेक्षा कहीं अधिक कटु शत्रु समझते थे, उन्हीं मुसलमानों के साथ गठबन्धन स्थापित करना अब उन्हें नितान्त आवश्यक प्रतीत होने लगा। राष्ट्रवाद के नये खतरे को दृष्टि में रखते हुये अचानक ही ब्रिटिश नौकरशाहों को यह सूझ पडा कि उनके हित मुसलमानों के साथ

सयुक्त हैं। एंग्लो-मुस्लिम हितों की एक रूपकता और एंग्लो-मुस्लिम सहयोग की महती आवश्यकता पर यह जो बल दिया गया, वह कई प्रमुख उत्साही ब्रिटिश अधि-

कारियों का कार्य था। इन अधिकारियों में सर विलियम हटर का नाम शीर्ष-स्थानीय है। उनकी पुस्तक "भारतीय मुसलमान" का १८७१ में प्रकाशन भारतवर्ष में अंग्रेजों की नीति में एक नये मोड़ का पता बताती है।

वे नेता जिन्होंने मुसलमानों को नैराश्य और अधोगति के अधकूप से निकाल कर बाहर ला खडा किया, सर सय्यद अहमद खा थे। वे एक उच्च मुस्लिम घराने में

उत्पन्न हुये थे और प्राच्य ज्ञान के अगाध समुद्र थे। वे प्रिंसिपल बेक और ब्रिटिश-शासन के न्याय-विभाग में कई ऊचे ऊचे पदों पर सर सय्यद अहमद खा नियुक्त हुये थे। ब्रिटिश-शासन के प्रति उनके हृदय में का रूपान्तर प्रशंसा का भाव था। सर सय्यद अहमद खा राजभक्त

अवश्य थे, परन्तु अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारम्भिक भाग में वे कट्टर राष्ट्रवादी भी थे। विद्रोह के पश्चात् उन्होंने ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धार्मिक सामीप्य लाने के लिये अनथक परिश्रम किया। उन्होंने अपने सह-धर्मियों को ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति का दृष्टिकोण अपनाने और अंग्रेज शासकों का सरक्षण तथा अनुग्रह प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया। इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिये उन्होंने अलीगढ आंदोलन प्रारम्भ किया और मोहम्मद एंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की। परन्तु यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि सर सय्यद अहमद खा अपनी दृष्टि में "उस राजभक्ति को रखते थे, जो ब्रिटिश शासन की चोर आधीनता से नहीं, अपितु श्रेष्ठ शासन के लाभों की निष्कपट प्रशंसा से उत्पन्न

होती है।* वे नौकरशाही नीतियों की कठोर आलोचना करने से नहीं डरते थे और भारतीयों के प्रति ब्रिटिश अधिकारियों के दुर्व्यवहार की कठोर रूप से भर्त्सना करते थे। एक बार उन्होंने घोषणा की "इन अधिकारियों का मत यह है कि कोई भी भारतीय सज्जन नहीं हो सकता।"* वे विधान मण्डलों में भारतीयों के प्रवेश का प्रतिपादन करते थे और जनता से कहते थे कि वह भय को त्याग दे और पुरुषो-चित रूप से, स्पष्टता और सत्यतापूर्वक अग्रजो से कह दे कि उसकी क्या कठिनाइयाँ हैं।" सर सय्यद अहमद खा हिन्दू-मुस्लिम-एकता के भी समर्थक थे और इन दोनों जातियों को "भारत माता की दो आँखें बताते थे।"* इसी प्रकार के विचार उन्होंने केन्द्रीय व्यवस्थापिका समा में व्यक्त किये और अपने एक भाषण में यहाँ तक कहा कि हिन्दू शब्द में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही समाविष्ट हैं।* इसका कारण उन्होंने यह बताया कि दोनों ही "हिन्दुस्तान के निवासी" हैं। २७ जनवरी, १८८४ का, गुरुदासपुर में दिये गये एक सार्वजनिक भाषण में उन्होंने कहा था, "हमें (हिंदुओं और मुसलमानों को) एक मन-एक प्राण हो जाना चाहिये और मिल जुल कर कार्य करना चाहिये। यदि हम सयुक्त हैं तो एक दूसरे को सम्भाल सकते हैं। यदि नहीं, तो एक का दूसरे के विरुद्ध प्रभाव दोनों का ही अधपतन और विनाश कर देगा।"*

जब कांग्रेस की स्थापना हुई, और भारत की राष्ट्रीयता ने एक मूर्त रूप धारण किया, तब सर सय्यद अहमद खा के विचारों में अकस्मात् ही घोर परिवर्तन हो गया। वे कांग्रेस से पृथक ही नहीं रहे अपितु उन्होंने खुल्लम-खुल्ला उसका विरोध किया। उन्होंने इस बात की भी चेष्टा की कि मुसलमान इस राष्ट्रीय आंदोलन को सहायता देने से कतई हाथ खींच ले। निस्सन्देह यह एक महान् परिवर्तन था। यह कैसे हुआ? भारतीय राजनीति के समस्त विद्यार्थियों के सम्मुख यह एक जटिल समस्या रही है। परन्तु अब इस समस्या का समाधान हो गया है। सर सय्यद अहमद खा के इस रूपांतरके पीछे ब्रिटिश नौकरशाहोंका हाथ क्रियाशील था। जिस व्यक्तित्व ने सर

* जी. एन. सिंह द्वारा उद्धृत. वही, पृ० १६६।

* * मेहता और पटवर्धन वही, पृ० २३।

* "राष्ट्र शब्द में मैं हिंदुओं और मुसलमानों-दोनों को सम्मिलित करता हूँ, क्योंकि इसका केवल यही वह अभिप्राय है, जिसे मैं ग्रहण कर सकता हूँ। मैं इस बात को विचारने योग्य नहीं समझता कि उनका धार्मिक विश्वास क्या है क्योंकि हम इसमें की ऐसी कोई चीज नहीं देखते। हम देखते हैं वह यह है कि हम एक ही देश के निवासी हैं, हम एक ही शासन के भाजन हैं, लाभ के स्रोत सबके लिये एक से हैं और अकाल की पीड़ाओं को भी हम सब समान रूप से भोगते हैं। यही वे विभिन्न कारण

* जी. एन. सिंह द्वारा उद्धृत: वही, पृ० २००।

सय्यद अहमदखां को राष्ट्रीय आन्दोलनसे विमुक्त करके उन्हें एक पृथक्तावादी आन्दोलन का अग्रदूत बना दिया वे, एम. ए. ओ. कॉलेज के सर्वप्रथम प्रिंसिपल मि. बेक थे।

१८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई। यद्यपि कांग्रेस को वायसराय लार्ड डफ-रिन का अनुमोदन प्राप्त हो गया था और उसकी मांगें भी बहुत नरम थी, फिर भी "ब्रिटिश सरकार और उसके पिट्हुओ को उनमें विरोध की चेष्टाएं, घोर असन्तोष की कानाफूसियां और निश्चित रूप से नई चुनौतियां दिखाई पड़ती थी। जिस बात से उन्हें सबसे अधिक परेशानी हुई, वह मागों का अधिकार पत्र नहीं, अपितु वह सगठित, सामुदायिक स्थापना था, जिसकी प्रतीक कांग्रेस थी।"* ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कांग्रेस अपने लिए एक सम्भावित खतरा जान पड़ती थी। प्रति-तोलन (Counter-poise) के सिद्धान्त पर आचरण करते हुए, उत्साही पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति भार (Counter-weight)

भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति भार (Counter-weight) के रूप में मुस्लिम-साम्प्रदायिकता का संगठन

के रूप में मुस्लिम-साम्प्रदायिकता का संगठन करना प्रारम्भ कर दिया। "फूट डालो और राज्य करो" के इस खेल में सफलता प्राप्त करने के लिए, उन्हें सर सय्यद अहमद खा के से प्रभाव और प्रतिष्ठा वाले मनुष्य के सहयोग को प्राप्त करने में अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने सर सय्यद अहमद खा को यह विश्वास दिला

दिया कि "अंग्रेजों और मुसलमानों का गठबंधन मुसलमानों की दशा को उन्नत करने में सहायक होगा और उनका राष्ट्रवादियों से मिलना उन्हें पुनः खेद, श्रम और अशुभ में डुबा देगा। फलतः उनके (सर सय्यद अहमद खा के) अनुलनीय प्रभाव का उपयोग मुसलमानों को, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, कांग्रेस से विमुक्त रखने में किया गया।"* ब्रिटिश अधिकारियों ने सर सय्यद अहमद खा के, जो यह कह कर कान भरे कि कांग्रेस तो एक हिन्दू-संस्था है, वह बात बिल्कुल गलत थी। न तो अपने उद्देश्यों और अपील और न अपनी रचना के ही विचार से, कांग्रेस केवल हिन्दू संस्था के रूप में विकसित हुई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में दो ही मुसलमान प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। पुनः दूसरे अधिवेशन में कुल प्रतिनिधियों की संख्या ४४० थी जिनमें ३३ मुसलमान थे। १८९० में कुल प्रतिनिधियों की संख्या ७०२

जिनके आघार पर मैं इन दोनों ही जातियों को जो हिन्दुस्तान में निवास करती हैं, हिन्दू शब्द से अभिहित करता हूँ यह कहने का अभिप्राय यह है कि वे हिन्दुस्तान के निवासी हैं।" मेहता और पटवर्धन द्वारा उद्धृत वही, पृ० २३।

* डी. सेन; रेवोल्यूशन वार्ड कासेट ? पृ. १६६-७०।

* मेहता और पटवर्धन वही पृ० २३।

थी जिनमें १५६ मुसलमान थे। * कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन के सभापति एक मुसलमान, बद्दुदीन तय्यब जी थे। उसी वर्ष मीर श्री हुमायूँ जाह ने कांग्रेस को ५००० रु० का दान दिया। * इस पर भी सर सय्यद ने अपने मुसलमान साथियों को चेतावनी दी कि कांग्रेस ने भारत वर्ष में ब्रिटिश पद्धति के प्रतिनिध्यात्मक शासन की माग की है, उसमें मुसलमानों को बिल्कुल सहयोग नहीं देना चाहिए। भारत वर्ष में प्रतिनिध्यात्मक शासन का अभिप्राय है बहुमत का शासन और बहुमत के शासन का अभिप्राय है हिन्दुओं का शासन। सर सय्यद अहमद खा का तर्क था कि चूँकि हिन्दुओं का ही देश के अधिकतर भाग में बहुमत है, अतः वे ही सदैव सत्ता-रूढ रहेंगे और मुसलमानों को उनकी आधीनता सहनी पड़ेगी। मौलाना शिबली के अनुसार "प्रकृति उन्हें (सर सय्यद को) सम्पूर्ण भारतवर्ष का नेता बनाना चाहती थी परन्तु उनकी परिस्थितियों और वातावरण ने उन्हें मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन में अपना भाग लेने से पीछे खींच देने का साधन बना दिया।" * यह अब एक खुला रहस्य है कि इस प्रकार की परिस्थितियों और वातावरण के निर्माण में जिन्होंने कि एक राष्ट्रवादी को पृथक्तावादी बना दिया, मि० बेक का बहुत बड़ा हाथ था। यह भी अब सन्देहातीत है कि मि० बेक ने जो कुछ भी यह कार्य किया, उसमें ब्रिटिश अधिकारियों का उनके शीश पर बरद् हस्त रहा। इंग्लैंड के लोग भी जिन्हें कि भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में रुचि थी, उनके इस कार्य से अनभिज्ञ नहीं थे। १८६६ में जबकि मि० बेक की मृत्यु हुई, सर जान स्ट्रेची ने लन्दन-टाइम्स में उन्हें निम्नलिखित श्रद्धाजलि भेंट की थी : "एक ऐसे अंग्रेज का जो एक ऐसे सुदूर देश में, साम्राज्य-निर्माण के कार्य में व्यस्त था, देहावसान हो गया है। उसने कर्तव्य पर डटे रह कर एक सैनिक की मृत्यु पाई है। मुसलमान सशयालु लोग होते हैं। उन्होंने शुरू में मि० बेक को ब्रिटिश भेदिया समझकर उनका विरोध किया परन्तु उनकी (मि० बेक की) निष्कपटता और निस्वार्थता ने उन्हें मुसलमानों का विश्वास प्राप्त करने में सफलता प्रदान की।" * मि० बेक के निष्कपट और निस्वार्थ प्रयत्नों का फल १८८७ में स्पष्ट हुआ जबकि सर सय्यद अहमद खा ने खुल्लम-खुल्ला कांग्रेस को आलोचना की। १८८६ में जब भारतवर्ष में प्रतिनिध्यात्मक शासन की स्थापना के उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट चार्ल्स ब्रैडला का बिल उपस्थित हुआ, उसके विरोध में मि० बेक ने मुसलमानों

मुसलमान-रक्षा-
परिषद्

* इन आकड़ों को कपलैंड कृत दी इण्डियन प्रोग्रेस, (१८३३-३५) पृ. ३३ से उद्धृत किया गया है।

* मेहता और पटवर्धन - वही पृष्ठ, २४।

* मेहता और पटवर्धन द्वारा उद्धृत - वही; पृ. २४

* जी.यन. सिंह द्वारा उद्धृत - वही; पृ. २०१-२०२

का संगठन किया। “उन्होंने इस आधार पर कि भारतवर्ष में प्रजातन्त्रात्मक सिद्धांत का सूत्रपात अनुपयुक्त है, क्योंकि भारतवर्ष एक राष्ट्र नहीं, मुसलमानों की ओरसे बिल का विरोध करते हुए एक स्मृतिपत्र तय्यार किया।”* १८९३ में मुसलमान एंग्लो-ऑरियेन्टल रक्षा-परिषद की स्थापना में भी मि. बेक का बहुत बड़ा हाथ था। मि. बेक स्वयं इस सस्था के सेक्रेटरी बने। इस सस्था का उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। परन्तु यह तो केवल दिखावा मात्र था। वस्तुतः इस सस्था का वास्तविक उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोकना था। इस कथन की पुष्टि मि. बेक के एक निबन्ध से भी होती है, जो किसी अंग्रेजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने लिखा था, “कांग्रेस का उद्देश्य यह है कि देश का राजनीतिक प्रभुत्व अंग्रेजों के हाथों से हिन्दुओं के हाथों में आ जाय। मुसलमान इन मागों से कोई सहानुभूति नहीं रख सकते...। मुसलमानों और अंग्रेजों के लिये यह वाछनीय है कि वे इन आन्दोलन-कर्ताओं से लड़ने और देश की आवश्यकताओं व परम्पराओं के अनुपयुक्त लोकतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली की स्थापना को रोकने के उद्देश्य से परस्पर सयुक्त हो जायें। इसलिये हम शासन के प्रति राजभक्ति और एंग्लो-मुस्लिम-सहयोग का समर्थन करते हैं।”*

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासकों की नीति में आचूड़ परिवर्तन ही हो गया। कहा तो उनका वरदहस्त हिन्दुओं के शीर्ष पर था, और मुसलमान उनकी दृष्टि में राजद्रोही थे और कहा अब उन्होंने अपना बरदहस्त मुसलमानों के शीर्ष पर रक्खा और हिन्दु उनकी दृष्टि में राजद्रोही हो गये। बंगाल का विभाजन “देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के सम-बल” (Counter-Poise of natives against natives) के कार्यक्रम में एक दूसरा कदम था। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि कर्जन ने शासन-सम्बन्धी सुविधाओं के आधार पर बंगाल विभाजन का औचित्य सिद्ध करने की चेष्टा की, परन्तु सत्य तो यह है कि बंगाल-विभाजन के मूल में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन की खाई खोद कर राष्ट्रीयता की प्रवाहमान धारा को अवरुद्ध करने की नीति काम कर रही थी।

१९०६ के अन्त में उग्रवादियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अब वे इस बात का आन्दोलन करने लगे थे कि ब्रिटिश-शासन का शीघ्रातिशीघ्र अन्त हो जाना चाहिये।

* मेहता और पटवर्धन: वही, पृ. ५८-६।

* मेहता और पटवर्धन वही, पृ. ६०।

उनकी शक्ति को अवरुद्ध करने के लिये सरकार को यह आवश्यक प्रतीत होने लगा कि उदार राष्ट्रवादियों को वैधानिक सुधारों की एक और खुराक पिला दी जाय और इस प्रकार उन्हें सतुष्ट रक्खा जाय। अक्टूबर १९०६ (Separate Ectorate) में, आगा खा के नेतृत्व में, मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड मिंटो की सेवा में उपस्थित हुआ। शिष्टमण्डल ने, मुसलमानों को भारतीय शासन में, जनसंख्या के अनुपातानुसार नहीं वरन् उनकी वास्तविक महत्ता और साम्राज्य की रक्षा में उनकी सेवाओं के आघार पर स्थान देने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें स्वयं अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन का अधिकार होना चाहिये। शिष्टमण्डल ने इस बात का भी आग्रह किया कि देश की नौकरियों में मुसलमानों का अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिये, वायसराय की कौंसिल में हिन्दुस्तानी सदस्यों की नियुक्ति के समय उनके हितों की रक्षा तथा एक मुस्लिम विश्व-विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। शिष्टमण्डल ने यह विश्वास दिलाया कि सरकार मुसलमानों के हितों की वृद्धि करके, उनकी राजभक्ति को और भी अधिक दृढ़ बना सकेगी। इस शिष्टमण्डल का वायसराय की सेवा में उपस्थित होने का अभिप्राय था कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भेद की खाई निरन्तर चौड़ी होती जा रही है। परन्तु इसके लिये भी भारत ब्रिटिश नौकरशाहों और उन पृथक्तावादी तत्वों के निकट ही ऋणी है जो कि उनके हाथों में खिलौने बन कर खेले। १९२३ में मौलाना मोहम्मद अली ने ठीक ही कहा था कि यह शिष्ट-मण्डल सरकारी आदेशानुसार निर्मित हुआ था। इस सारी कार्यवाही का प्रबन्ध मि. आर्चिबोल्ड ने, जो कि मि. बेक के सुयोग्य उत्तराधिकारी थे और जिनके कर्षों पर मि. बेक के अधूरे कार्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व आ पड़ा था, किया था। मि. आर्चिबोल्ड और वायसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी कर्नल डनलप स्मिथ ने आपस में सारी लिखा पढी कर रखी थी। शिष्ट-मण्डल के सम्बन्ध में प्रारम्भिक प्रबन्ध की जो बाते थी, उन सबको इन व्यक्तियों ने आपस में अच्छी तरह से तय कर रक्खा था - उन दोनों ने यह भी निश्चित कर लिया था कि शिष्ट-मण्डल को वायसराय से क्या कहना है। यह मान लेना स्वाभाविक है कि वायसराय भी इन सारी कार्यवाहियों से अनभिज्ञ नहीं थे। १० अगस्त १९०६ के अपने पत्र में मि. आर्चिबोल्ड ने नवाब मोह-शिनुल्मुल्क को सारी हिदायतें दे दी थी।* इनके अनुसार ही शिष्ट-मण्डल वायसराय की सेवा में उपस्थित हुआ। वायसराय का प्रत्युत्तर "पूर्णांतः सहानुभूतिमय था।"† उन्होंने तुरन्त ही उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। अपने उत्तर में उन्होंने बल-

* टिप्पणी— अपने पत्र में मि. आर्चिबोल्ड ने लिखा: "हिज एक्सेलेंसी दि वाय-

† कूप्लैण्ड. दि इंडियन प्रोब्लेम, १८३३-१९३५, पृ. ३४।

पूर्वक इस बात का समावधान दिया कि मुसलमानों के राजनीतिक हितों की अवश्य-मेव रक्षा की जायगी। उन्होंने गुरुभार की मांग को पूर्णतः स्वीकार किया और कहा "आपका यह दावा न्याययुक्त है कि आपकी स्थिति का मूल्यांकन आपकी संख्या-शक्ति के आधार पर नहीं, अपितु आपकी जाति की राजनीतिक महत्ता और उस सेवा के आधार पर, जो उसने साम्राज्य के प्रति की है, होना चाहिए। मैं आरसे पूर्णतः सहमत हूँ।"* लार्ड मिंटो ने यह भी कहा कि "मुझे आपकी भाँति इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भारतवर्ष में चलाई गई कोई भी निर्वाचन-प्रणाली उपद्रवात्मक असफलता को प्राप्त होगी। यदि वह इस महाद्वीप की जन-संख्या के विभिन्न वर्गों के विश्वासों और परम्पराओं की अवहेलना करके जनता को व्यक्तिगत निर्वाचनाधिकार प्रदान करेगी।"*

सराय के प्राइवेट सेक्रेटरी कर्नल इनलप स्मिथ ने मुझे लिखा है कि हिज्र एकसेलैसी मुस्लिम शिष्ट-मण्डल से भेंट करने के लिये प्रस्तुत है। उनकी राय है कि श्रीमान को एक औपचारिक पत्र लिख देना चाहिये जिसमें कि उनसे उनकी सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा मानी जाय। इस विषय में मैं कतिपय सुझाव उपस्थित करना चाहूँगा। औपचारिक पत्र को मुसलमानों के कतिपय प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों-सहित भेजा जाना चाहिए। शिष्ट-मण्डल में सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तीसरी विचारणीय बात प्रतिवेदन का विषय है। मैं यहाँ यह सुझाव देना चाहूँगा कि प्रतिवेदन के प्रारम्भ में राजभक्ति का गम्भीर समाश्वसन होना वाछनीय है। स्वशासन की दिशा में एक कदम बढ़ाने के सरकारी निर्णय की प्रशंसा होनी चाहिये। परन्तु अपनी इस आज्ञाका को व्यक्त कर देना चाहिये कि यदि निर्वाचन के सिद्धांत का सूत्रपात्र कर दिया जाता है तो वह मुस्लिम अल्प-मत के हितों में बाधक सिद्ध होगा। अत्यन्त विनय-पूर्वक यह सुझाव होना चाहिए कि मुस्लिम-लोकमत को जानने के लिये धर्म के आधार पर मनोनयन (Nomination) या प्रतिनिधित्व का सूत्रपात्र होना वाछनीय है। हमें यह भी कह देना चाहिये कि भारत जैसे देश में जमींदारों के मतों को काफी वजन देना आवश्यक है। परन्तु इन सब दृष्टिकोणों में मैं पृष्ठभूमि में ही रहूँ, इस बात का आप सदैव ध्यान रखें। ये आपकी ओर से आने आवश्यक हैं। मैं आपके लिये प्रतिवेदन का प्रारूप तय्यार कर सकता हूँ या उसका सशोधन कर सकता हूँ। यदि यह बम्बई में तय्यार किया जाता है, तो उसे मैं पूरा देख सकता हूँ। यह तो आप जानते ही हैं कि इन चीजों को ठीक-ठीक भाषा में कलमबद्ध कर देने का मुझे ज्ञान है। हमारे पास समय थोड़ा है। यदि इस थोड़े से समय में हम एक शक्तिशाली आन्दोलन का संगठन करना चाहते हैं, तो हमें अबिलम्ब कार्य करना चाहिये।

* मेहता और पटवर्धन द्वारा उद्धृत: वही; पृ० ६२।

* * बी. पन-सिंह: वही पृ. २०८।

भारतीय मंत्री लार्डमार्ले के साथ किए गए अपने पत्र व्यवहार में वायसराय ने इस बात पर बारम्बार जोर दिया था कि मुसलमानों को सन्तुष्ट करने का एकमात्र उपाय पृथक् निर्वाचन ही है। मार्ले उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। साम्प्रदायिक निर्वाचनों के सम्बन्ध में लार्ड मिंटो की नीति से वे सन्तुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि इस नीति से हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच वैमनस्य की वृद्धि होगी। व्यक्तिगत रूप से वे ऐसे मिले-जुले निर्वाचनों के पक्ष में थे जिससे कि मुसलमानों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाय परन्तु इसके साथ ही साथ साम्प्रदायिक विद्वेष भी नहीं बढ़े। परन्तु यह भारत का दुर्भाग्य था कि उन्होंने लार्ड मिंटो की योजना को स्वीकार ही कर लिया, वे अपनी बात पर अड़े नहीं। ६ सितम्बर १९०९ के अपने पत्र में लार्ड मार्ले ने साम्प्रदायिक निर्वाचन और उसके कुपरिणामों के लिए लार्ड मिंटो को ही उत्तरदायी ठहराया था। उन्होंने लिखा था 'मुसलमानों के भ्रगडे में मैं पुनः आपका अनुसरण नहीं करूँगा। मैं आपको एक बार फिर सिर्फ इतना याद दिलाएँ देता हूँ कि उनके (मुसलमानों के) अतिरिक्त दावों के बारे में आपका ही एक प्रारम्भिक भाषण था, जिसने कि उन्हें इसके लिए लालायित कर दिया। मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि मेरा ही निर्णय सर्व श्रेष्ठ था।' अपनी इस आशातीत सफलता पर नौकरशाही ने जी खोलकर खुशियाँ मनाईं। साम्प्रदायिक निर्वाचन का बीजवपन ब्रिटिश अधि-अधिकारियों की दृष्टि में एक बहुत बड़ी विजय थी। * मिंटो को अपनी योजना की सार्थकता पर अपूर्व हर्ष हुआ था। जिस दिन मुस्लिम शिष्ट-मंडल उनसे मिला था, उसे उन्होंने भारतीय इतिहास का एक युग विधायक दिन कह कर सम्बोधित किया था। यद्यपि बाद में लार्ड मार्ले ने पृथक् निर्वाचनों की योजना को बहुत कुछ युक्ति-मूलक करने की चेष्टा की थी परन्तु अब यह बात अच्छी तरह से ज्ञात है कि इस योजना के जन्मदाता लार्ड मिंटो ही थे।

मिंटो साम्प्रदायिक
निर्वाचन के वास्तविक
जन्मदाता थे

* टिप्पणी—वायसराय के एक उच्च पदाधिकारी ने उनको इस सम्बन्ध में जो सन्देश भेजा था, उसमें समस्त रहस्य स्पष्ट करते हुए उसने लिखा था: 'मेरे लिए श्रीमान् की सेवा में एक पत्र लिखकर भेजना अतीव आवश्यक है कि आज एक बहुत बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है। राजनीतिज्ञता का एक ऐसा कार्य हो गया है जो कि भारत और भारतीय इतिहास को कई वर्षों तक प्रभावित करता रहेगा। ५ करोड़ २० लाख व्यक्तियों को राजद्रोही विरोध में सम्मिलित होने से पीछे खींच लिया गया है। लेडी मिंटो की डायरी पृ-४७-४८

एक सहानुभूति पूर्ण वायसराय से प्रोत्साहन पाने पर मुस्लिम शिष्ट-मण्डल के नेताओं ने ३० दिसम्बर १९०६ को अखिल भारताय मुस्लिम लीग की (भारतीय मुसलमानों के प्रथम साम्प्रदायिक राजनीतिक संगठन की) स्थापना की। इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार लिखित थे:—

- (१) भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति बढ़ाना।
- (२) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को नम्र भाषा में सरकार के आगे रखना, और
- (३) यथासंभव, (१) और (२) के अन्तर्गत उल्लिखित उद्देश्य से बिना सघर्ष के मुसलमानों तथा अन्य भारतीय जातियों में मैत्री स्थापित करना।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का अपने जन्मकाल से ही बहुत हठधर्मी का दृष्टिकोण रहा है। पृथक् निर्वाचनों और नौकरियों में ज्यादा हिस्से के लिए १९०८ में मांग की गई और १९०९ में उसको दुहराया गया। लार्ड मॉर्ले इन मांगों के विरुद्ध थे, उन्हें भी अपने अनुकूल करने के लिए शिष्ट-मंडल इंग्लैण्ड भेजे गए। लार्ड मिंटो की सक्रिय सहायता के द्वारा इस उद्देश्य में भी सफलता प्राप्त हो गई। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस नीति का घोर विरोध किया। रैमजे मैकडॉनल्ड के अनुसार कुछ दूरदर्शी मुसलमान भी इस बात का अनुभव कर रहे थे कि यह कदम गलत दिशा की ओर उठाया गया है। उनमें से बहुतों ने इस योजना की कटु आलोचना का निर्वाचन अंगीकृत और कहा कि उनके कुछ नेता ब्रिटिश-अधिकारियों के हाथों में कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। परन्तु यह सारा विरोध निरर्थक साबित हुआ। भारत की राष्ट्रीय एकता को भंग करने पर तुले हुये ब्रिटिश अधिकारी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने १९०९ के इन्डियन कॉन्सिल्स एक्ट (मॉर्ले-मिंटो-सुधार) में पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार कर भारतीय राजनीति के शरीर में साम्प्रदायिक विष का इन्जेक्शन लगा दिया।

३५. साम्प्रदायिकता के उद्भव का सामाजिक-आर्थिक पहलू

प्रारम्भ से ही ब्रिटिश शासकों ने भारतीय समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाया और इस प्रकार से अपने हित को सुरक्षित रखा। पहले-पहल उन्होंने मुसलमानों के सामन्ती और व्यावसायिक वर्गों की स्थिति को पतनोमुखी करने के लिए हिन्दू पूंजीपतियों और बुद्धिजीवियों को अपने कार्य-साधन में प्रयोग किया।

इसके बाद जब उन्होंने देखा कि औद्योगिक पूंजीपतियों की उन्नति हो रही है, तो उसे रोकने के लिए सामन्ती हितों को बीच में ला खड़ा किया। जब राष्ट्रवादी शक्तियों ने अधिकाधिक बल पकड़ना प्रारम्भ किया, तब ब्रिटिश शासकों ने मुस्लिम पृथक्ता की नीति को जन्म दिया। गदर के बाद सरकार की मुस्लिम-विरोधी और हिन्दू-परस्ती की नीति जिस पर वह १८७० तक चलती रही, 'वर्ग-आधार' पर सेना का पुनर्गठन, बंगाल का विभाजन और साम्प्रदायिक निर्वाचनों की स्वीकृति आदि कृत्य "फूट डालो और राज्य करो" की ही नीति के साधक थे। इन सारे कार्यों के करने में शासकों का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य पर किसी प्रकार की आघात न आने पाये, वह निरन्तर सुरक्षित बना रहे। अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन के शब्दों में "पृथक्तावादी प्रवृत्तियों को उद्योगपूर्वक उत्पन्न किया गया और ब्रिटिश राज की सुरक्षा को समावहस्त करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रयुक्त किया गया।" * भारतवर्ष में जहाँ भेदभाव था, ब्रिटिश शासकों ने वहाँ उन्हे तीव्र किया, और जहाँ भेदभाव नहीं था, वहाँ उन्हे उत्पन्न किया। जातीय और सांस्कृतिक सश्लेषण की प्रतिक्रिया भारत वर्ष में शताब्दियों से चल रही थी, अंग्रेजों ने उसमें बाधा पहुँचाई। अंग्रेजों ने भारत वर्ष के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ, एक विरादरी को दूसरी विरादरी के खिलाफ, और एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ किया, उन्हे आपस में लड़ाया और उससे लाभ उठा कर ब्रिटिश-शासन की जड़ों को मजबूत किया। उन्हीं साम्राज्य विरोधी एक सयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे के निर्माण को रोकने के लिये ब्राह्मणों अन्नाहाराणों, हिन्दुओं, मुसलमानों तथा स्पृश्यों-अस्पृश्यों के बीच भेद की प्राचीरे खड़ी कर दी।"*

इस प्रकार भारतीय राजनीति के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता के विष-बीज बोने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से अंग्रेजों के ही सिर पड़ता है। परन्तु इतना कह देने से

१, मेहता और पटवर्धन - वही पृष्ठ ६१

* टिप्पणी—प्रतिभार की ब्रिटिश नीति के ऊपर ए. आर. देसाई ने लिखा है, "गदर के बाद राजाओं और जमींदारों ने प्रतिभार के रूप में कार्य किया। लार्ड लिटन ब्रिटिश राज को भारतीय कुलीनवर्ग की सहायता के ऊपर आधारित करना चाहते थे। लार्ड डफरिन ने जन-विप्लव की बढ़ती हुई शक्तियों को रोकने के लिए उदार बुद्धि जीवी वर्ग का, जो भारत वर्ष में विकसित हो रहा था, प्रयोग करना चाहा और उसे कांग्रेस की स्थापना करने में सहायता दी। तथापि, उन्हें शीघ्र ही अनुभव हुआ कि कांग्रेस 'राजद्रोही' होती जा रही है। मिटो ने बढ़ते हुए मुस्लिम व्यावसायिक वर्गों में उग्रराष्ट्रवादीयों के विरुद्ध, जिनमें कि मुख्यतः हिन्दू व्यावसायिक वर्ग और कांग्रेस के मध्यवर्ग समाविष्ट थे, प्रति-भार प्राप्त किया। * सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पृ. ३६०

ही भारतीय राजनीति की इस जटिल समस्या का समाधान नहीं हो जाता। साम्प्रदायिकता केवल एक राजनीतिक संघटना ही नहीं है, यह एक सागाजिक संघटना भी है। अंग्रेजों को एक संयुक्त राष्ट्रीय चेतना के विकास को अवरुद्ध करने के अपने प्रयत्नों में, भारत के सामाजिक-आर्थिक-जीवन के कतिपय तत्वों से भी सहायता मिली।

यह एक तथ्य है कि ब्रिटिश शासनान्तर्गत प्रशासन, व्यवसाय, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में हिन्दू मुसलमानों से आगे बढ़ गये थे। यद्यपि यह हुआ दोनों जातियों की अपनी अपनी नीति के ही कारण—कोई किसी हिन्दुओं और मुसलमानों के निकट शोषी नहीं था—परन्तु अंग्रेजों ने इस चीज से लाभ उठा कर, मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होने से रोकने की चेष्टा की। सर सय्यद अहमद खा ने धूर्त नौकरशाहों के मोहक संगीत को सुना और यह विश्वास कर लिया कि मुस्लिम जाति का हित कांग्रेस के साथ मिल कर विदेशी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में नहीं, अपितु ब्रिटिश सरकार की कृपा को प्राप्त करने में है। आत्मरक्षा की भावना ने मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार द्वारा भीख में ढाँचे गये रोटी के टुकड़ों को लेने की ओर प्रेरित किया। सर सय्यद अहमद खा ने अपने अनुयायियों से कहा “सेना में हमें ऊँचे पद मिलें, सरकार हमारी इस मांग की ओर अवश्य ध्यान देगी। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे कि सरकार को हमारी राजभक्ति में किसी प्रकार का भी सन्देह हो।”

१९ वीं शताब्दी के अन्त में कांग्रेस के अन्तर्गत जिस उग्रवादी पक्ष ने बहुधा अधिक जोर पकड़ा, वह भी हिन्दू और मुसलमानों के बीच की भेदभाव को खाड़ी को चौड़ा करने में सहायक सिद्ध हुआ। तिलक, पाल, अरविन्द उग्र राष्ट्रीयता और घोर और लाजपतराय आदि उग्रवादी नेता केवल प्रखर हिन्दू विचारधारा देशभक्त ही न थे, वे कट्टर हिन्दू भी, थे। दयानन्द और पर बल विवेकानन्द की शिक्षाओं का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू-धर्म के गौरव का बखान करते उनकी वारणी न थकती थी। हिन्दू-संस्कृति और हिन्दू परम्पराओं के ऊपर इस प्रकार से बल देना मुसलमानों के लिये रुचिकर नहीं था। यही कारण है कि वे राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत कुछ शंका की दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश शासन को नष्ट कर देने का अभिप्राय हिन्दुओं के शासन की स्थापना करना है। यह सत्य है कि उग्रवादियों का कोई संकुचित साम्प्रदायिक लक्ष्य नहीं था, परन्तु ब्रिटिश नौकरशाहों को राष्ट्रीय आंदोलन का मिथ्यारीति से बर्णन करने में क्या कठिनाई हो सकती थी, जब कि

ऐसा करने से उनका अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो ? उन्होंने मुसलमानों के खूब कान भरे । उन्होंने कहा राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य हिंदुओं की सर्वोच्चता की प्रतिष्ठापना करना है । कुछ तो मुसलमानों को स्वतः ही शंका थी, अंग्रेजों के कान भरने ने रही सही कमी को भी पूरा कर दिया । इन्हीं कारणों से उपवादियों के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनो ने भी मुसलमानो के बीच बहुत ही कम उत्साह जागृत किया । हिंदू उद्योगपतियो ने ही उनसे अधिकतर आर्थिक लाभ उठाया । फलतः अंग्रेजों ने जिनके कि आर्थिक हितो को स्वदेशी से सीधा खतरा उत्पन्न हो गया था, मुसलमानों को अपनी ओर फोड़ने में कुछ उठा न रक्खा । उन्होंने मुसलमानो को बहकाया कि एंग्लो-मुस्लिम हित परस्पर एक रूप हैं और इसलिये वे राष्ट्रवादियों के विरुद्ध हैं ।

सारांश

महात्मा गांधी के शब्दों में, भारतवर्ष की साम्प्रदायिक समस्या "ब्रिटिश-आगमक की समकालिक है" । अंग्रेजों ने प्रारम्भ से ही "देशवासियों के विरुद्ध देशवासियों के सम-बल" की नीति पर आचरण किया । भारतवर्ष में अपने शासन के प्रथम चरण में उन्होने उच्चवर्गीय हिंदुओं का समर्थन प्राप्त किया और मुसलमानों का दमन किया । उस समय वे मुसलमानों को सदेह की दृष्टि से देखते थे, उन्हें आशंका थी कि मुसलमान अपने खोये हुये मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने का स्वप्न देखते हैं । फलतः प्रशासन और सेना से मुसलमानो को बिल्कुल बाहर रक्खा गया, सांस्कृतिक दृष्टि से नष्ट-प्राय कर दिया गया । विद्रोह के तुरत बाद ही अंग्रेजों की मुस्लिम विरोधी नीति और भी स्पष्ट दिखाई देने लगी थी ।

१८७० के पश्चात् अंग्रेजो के दृष्टिकोण में आचूड परिवर्तन दिखाई देने लगा । भारतीय राष्ट्रियता के उद्भव ने साम्राज्यवादियों को विवश कर दिया कि वे मुसलमानों का प्रतिभार के रूप में प्रयोग करें । एम. ए. ओ. कॉलिज के प्रथम प्रिंसिपल मि. बेक ने इस कार्य में प्रमुख भाग लिया । सर सय्यद अहमद खा को राष्ट्रियता के पथ से विमुख कर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का मुखोपजीवी बना देने में मि. बेक का महत्वपूर्ण हाथ था । उनके अनवरत प्रयत्नों के फलस्वरूप सर सय्यद अहमद खां ने कांग्रेस के विरोध करने का और अपने प्रभाव का प्रयोग कर मुस्लिम समाज को उससे दूर रखने का कार्य अपने जिम्मे ले लिया । १८९३ में उन्होने मुस्लिम-रक्षा-परिषद की स्थापना की । मि. बेक भी इसके एक मन्त्री थे ।

बंगाल का विभाजन मुस्लिम पृथक्तावाद को दृढ़ करनेकी दिशा में जानबूझ कर

उठाया गया एक कदम था। मुसलमान को पृथक् प्रतिनिधित्व देने की उन्हीं के द्वारा मांग कराने के लिये वायसराय के निजी मन्त्री कर्नल डनलप स्मिथ ने स्वयं अलीगढ़ कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल आर्चिबोल्ड को मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल वायसराय के पास भेजने को लिखा। तदनुसार आगा खा की अध्यक्षता में भारत के विभिन्न प्रान्तों से आये ३५ मुसलमानों का एक शिष्टमण्डल अक्टूबर १९०६ में वायसराय से मिला और उसने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की कड़ी मांग की जिसको कि वायसराय लार्ड मिटो ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तत्कालीन भारत मन्त्री लार्ड मॉर्ले इस नीति के विरुद्ध थे, वे संयुक्त निर्वाचनों और कुछ रक्षित स्थानों के पक्ष में थे, परन्तु लार्ड मिटो ने उन्हें अपनी बात पर राजी कर लिया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (स्थापित १९०६) ने पृथकतावादी मांग को चालू रखा और कांग्रेस व कई दूरदर्शी मुसलमानों के विरोध के बावजूद भी, १९०९ के मॉर्ले-मिटो सुधारों के अन्त-गंत, साम्प्रदायिक निर्वाचनों को भारत के ऊपर लागू कर दिया गया।

इस प्रकार साम्प्रदायिकता के उद्भव के लिये मुख्यतः अंग्रेजों की ही “फूट डालो और शासन करो” की नीति उत्तरदायी थी। तथापि यह भी स्मर्त्तव्य है कि अंग्रेजों को इस नीति में जो सफलता प्राप्त हुई, उसका बहुत कुछ कारण ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत दोनों जातियों, हिन्दुओं और मुसलमानों का विषम विकास भी है। इससे मुसलमानों के हृदय में आत्म-रक्षा की भावना जागृत हुई। ब्रिटिश शासकों ने मुसलमानों की इस भावना का लाभ उठा कर उन्हें राष्ट्रवाद के विरुद्ध खड़ा कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस में जिस उग्र राष्ट्रीयता का विकास हुआ और जिसके नेता तिलक, विपिन चन्द्रपाल और लाजपतराय थे, वह भी राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमानों को विमुख करने में सहायक हुआ। उक्त उग्रवादी नेता कट्टर हिन्दू थे और हिंदू धर्म तथा हिंदू सस्कृति के गौरव का बखान करते न थकते थे। मुसलमानों ने समझा कि राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य हिंदू राज्य की स्थापना करना है। अंग्रेजों ने उनके खूब कान भरे और उन्हें बहकाया कि एंग्लो—मुस्लिम हित परस्पर एक रूप हैं और इसलिये वे राष्ट्रवादियों के विरुद्ध हैं।

अध्याय ६

माले - मिटो - सुधार

३६. सुधारों का उद्देश्य

१८९२ के इंडियन कौंसिल्स एक्ट के पास होने के पश्चात् भारत वर्ष की राजनीतिक परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हो गए थे। १८६१ के एक्ट के अन्तर्गत जिन व्यवस्थापिका सभाओं का निर्माण हुआ था और १८९२ के एक्ट के अन्तर्गत जिन्हें बढ़ा दिया गया था, उनसे उदार भारत वर्ष की राजनीति-राष्ट्रवादी भी सन्तुष्ट नहीं थे। १८९२ के पश्चात् भारत- तिक्त परिस्थिति का वर्ष की राष्ट्रीय तरंगिणी ने भी प्रचंड रूप धारण कर लिया सामना करने की था। जन-साधारण के ऊपर उग्रवादियों का प्रभाव दिन ब्रिटिश-चेष्टा। दूना रात चौगुना बढ़ता जाता था। वे अब इस बात को खुल्लम-खुल्ला कहने लगे थे कि ब्रिटिश शासन भारतवर्ष के लिए एक घृणित अभिशाप है, जितनी शीघ्र इसका अन्त हो जाय, उतना ही भारतवर्ष की जनता के लिये हितकर है। आतंकवादी भाग भी फैल रही थी। ये सब चीजें भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्यशाही के लिए भयंकर खतरे की संकेत थी। इनकी अवहेलना न की जा सकती थी। लार्ड मिटो जो लार्ड कर्जन के पश्चात् भारतवर्ष के वायसराय नियुक्त हुए थे, भारतीय राजनीतिक मनोवृत्ति के इस परिवर्तन से अनभिज्ञ न थे। १९०९ के माले मिटो-सुधार भारतवर्ष की इस परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति का सामना करने के लिए ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों की एक प्रभावशाली चेष्टा थी। इन सुधारों के द्वारा लार्ड मिटो उग्र राष्ट्रवादियों को दबाना, नरम राष्ट्रवादियों को उनके विरुद्ध प्रतिभार के रूप में प्रयुक्त करना चाहते थे। इसके अलावा भारतवर्ष की राष्ट्रीय शक्तियों को दुर्बल करने के लिये बढ़ती हुई राष्ट्रीय एकता पर भी कुठाराघात करने का निश्चय किया गया। भारत-सरकार के तत्कालीन गृहमन्त्री सर हेराल्ड स्टुअर्ट के हस्ताक्षरों सहित प्रकाशित प्रथम-सुधार-योजना ब्रिटिश इरादों को स्पष्ट रूप से सूचित करती थी। "यह स्पष्ट

बढ़ती हुई राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात रूप से इस सिद्धान्त पर आधारित थी कि शिक्षित भारतीयों के प्रभाव के विरुद्ध एक प्रति-तोलन (Counter poise) को प्राप्त किया ही जाना चाहिये, और उसे तथाकथित "प्रसिद्ध पुरुषों की परिषद" में व अति तक ले जाये गए बगं और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व में खोजा गया।"* मद्रास सरकार ने जो योजना सामने रक्खी, वह इससे भी आगे बढ़ गई। उसने न केवल जातियों के ही लिये, अपितु बिरादरियों और व्यवसायों के लिए भी पृथक् प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव किया। लार्ड मिंटो स्वयं भी कांग्रेस के विरुद्ध एक उपयुक्त प्रतिभार (Counter weight) की तलाश में थे। अपने २८ मई १९०६ के पत्र में उन्होने लार्ड मार्ले को लिखा था, "कांग्रेस के उद्देश्यों के विरुद्ध एक प्रतिभार के विषय में मैं कुछ समय से काफी सोच में रहा हूँ। मेरा विचार है कि एक राज परिषद अथवा एक प्रिवी कौंसिल में जिसमें न केवल देशी नरेश ही, अपितु कुछ और बड़े लोग भी सम्मिलित हो व जिसकी बैठक साल भर में एक बार, एक सप्ताह या १५ दिन के लिए दिल्ली में हुआ करे, हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं।"* तथापि राज-परिषद के विचार ने उस समय मूर्तरूप धारण नहीं किया। परन्तु जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं लार्ड मिंटो कांग्रेस के उद्देश्यों के विरुद्ध इससे (राज-परिषद से) कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिभार का निर्माण करने में सफल हुए। यह थी मुस्लिम साम्प्रदायिकता। १९०९ के सुधारों ने इस बिष-बीज के सवर्धनार्थ पृथक निर्वाचनों और प्रतिनिधित्व में गुरुभार के रूप में अच्छी-खासी खुराक दी। संक्षेपतः इन सुधारों से ब्रिटिश सरकार के दो उद्देश्य सिद्ध हुए। एक ओर तो इन्होंने उदारवादियों से मेल करके उग्रवादियों को दबाने की चेष्टा की। दूसरी ओर इन्होंने मुस्लिम पृथक्तावाद को दृढ़ करके भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा कर समुचित प्रबन्ध कर दिया।

३७. १९०६ के एक्ट के मुख्य उपबन्ध

१९०९ का इंडियन कौंसिल एक्ट, जो कि कतिपय लेखकों की सम्मति में, भारतीय प्रशासन के इतिहास में एक सीमा-चिन्ह था, * १८९२ के एक्ट से अवश्य कुछ आगे बढ़ा हुआ था। इस एक्ट के आधीन कौंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, प्रश्नोत्तर के अधिकार को बढ़ाया गया और सदस्यों को बजटों के ऊपर प्रस्ताव उप-

* सी० वार्ड० चिन्तामणि - इंडियन पालिटिक्स सिन्स दि म्युटिनी, पृ. ६४

● लेडी मिन्टो- इंडिया, मिन्टो दंड मार्ले. पृ. २८-२९

● इम० आर० पालन्दे- इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पृ ३३

स्थित करने की अनुमति मिल गई। प्रान्तों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया।* नीचे इन बातों पर कुछ अधिक विस्तार से प्रकाश डाला जाता है।

नए एक्ट के अनुसार विधान मण्डलों में और अधिक विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका सभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या १६ से बढ़ा कर ६० कर दी गई। १ विधान-मंडल-विस्तार बम्बई, (पूर्वी) बंगाल और यू० पी० की व्यवस्थापिका (क) अतिरिक्त सदस्यों, सभाओं के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक ५० और की संख्या में वृद्धि बर्मा व पंजाब की व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक ३० रक्खी गई। प्रत्येक विधान मण्डल तीन प्रकार के सदस्यों से निर्मित होने को था— सरकारी सदस्य, मनोनीति गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य। १९०६ के सुधारों में एक विशेष बात यह थी कि उन्होंने प्रान्तीय विधान-मण्डलों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का सूत्रपात किया। गवर्नर जनरल की (केन्द्रीय) व्यवस्थापिका सभा में सरकारी सदस्यों का थोड़ा सा बहुमत रक्खा गया। (ख) प्रान्तों में गैर-परन्तु प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में मनोनीति गैर सरकारी और निर्वाचित सदस्यों की संख्या मिलाकर सरकारी सदस्यों की संख्या से अधिक रखी गयी। सब विधान-मण्डलों के सदस्यों की कुल संख्या १२४ से बढ़ाकर ३३१ और निर्वाचित सदस्यों की ३६ से बढ़ाकर २३५ कर दी गई। १९०६ के एक्ट ने १८६२ के एक्ट में निहित अप्रत्यक्ष चुनावों का अन्त कर दिया और प्रत्यक्ष चुनावों की परिपाटी को जन्म दिया। परन्तु प्रतिनिधिक शासन की इस खूराक में पृथक् निर्वाचनों की पद्धति का विषय मिला हुआ था। निर्वाचन-नियमों ने तीन कोटि के निर्वाचक समूहों (Electoralates) की सृष्टि की। (ग) साम्प्रदायिक और (१) साधारण निर्वाचक-गण—इस कोटि में प्रान्तीय वर्ग भेदों पर आधारित व्यवस्थापिका सभाओं के वे गैर सरकारी सदस्य जो कि चनाब भारतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए प्रतिनिधि चुनते थे, सम्मिलित थे या म्युनिसिपल कमेटियों और जिला बोर्डों के वे गैर सरकारी सदस्य सम्मिलित थे जो कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभाओं के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते थे। (२) मुसलमानों के लिए पृथक्-निर्वाचक गण—और (३) विशेष-वर्ग-निर्वाचक-गण—इन दोनों कोटियों में जमींदार, विश्वविद्यालय, व्यापार-मण्डल

* सी० वार्ड० चिन्तामणि-इ इंडियन पालिटिक्स सिन्स दि० म्युटिनी, पृ ५६

व मिल-मालिकों के समुदाय आदि सम्मिलित थे । इसके बाद, मुस्लिम प्रतिनिधि ऐसे चुनाव क्षेत्रों से चुने जाने को थे जिनमें केवल मुस्लिम मतदाता ही रहते हो । मुस्लिम मतदाता साधारण चुनाव क्षेत्रों में भी अपने एक अतिरिक्त मत का प्रयोग कर सकते थे ।

नए एक्ट ने व्यवस्थापिका सभाओं के कार्यों और अधिकारों में भी वृद्धि की । भविष्य में बजट भी वादविवाद का विषय हो सकता था परन्तु उस पर मत नहीं

लिए जा सकते थे । बजट पर वाद-विवाद के अधिकार को

२. व्यवस्थापिका सभाओं की कार्यो और अधिकारो की वृद्धि

कई प्रतिबन्धों के भीतर रक्खा गया । इसका परिणाम यह हुआ कि (केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में) सैनिक, राजनीतिक और प्रान्तीय विषयों को वाद-विवाद की परिधि से बाहर ही रक्खा गया । राजस्व के शीर्षकान्तर्गत टिकट, आगम शुल्क, निर्धारित कर और अदालतों, तथा व्यय के शीर्षकान्तर्गत प्रतिभाजना और क्षतिपूर्ति, कर्ज पर

(क) बजट

व्याज, धार्मिक व्यय और राज्य की रेलों आदि पर वाद-विवाद न किया जा सकता था । व्यवस्थापिका-सभाओं को सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रस्ताव उपस्थित

करने का अधिकार दिया गया । परन्तु इस प्रकार के प्रस्ताव

(ख) सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रस्ताव

को उपस्थित करने के अधिकार का होना न होना बराबर ही था । यदि ये प्रस्ताव व्यवस्थापिका सभा में पास हो जाते तब भी उनका लागू किया जाना अवश्यम्भावी न था ।

उन्हे केवल सिफारिश ही समझा जा सकता था । इसके अलावा, यदि अध्यक्ष समझता कि अमुक प्रस्ताव सार्वजनिक हित के अनुकूल नहीं पड़ता, तो वह उसे रोक सकता था । १८९२ के एक्ट में प्रश्न करने का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था । मार्ले-मिटो-सुधारों ने व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को पूरक प्रश्न करने का और अधिकार देकर उक्त अधिकार में वृद्धि कर दी ।

(ग) प्रश्न और पूरक प्रश्न

यदि किसी सदस्य को अपने मौलिक प्रश्न के उत्तर से सन्तोष न होता तो वह पूरक प्रश्न करके उत्तर के स्पष्टीकरण की माँग कर सकता था । तथापि सम्बद्ध कार्यकारिणी परिषद को इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था । अध्यक्ष को भी यह अधिकार था कि वह प्रश्नों को रोक दे ।

१९०६ के इण्डियन कॉन्सिल एक्ट के अनुसार भारतवासी सबसे पहली बार

इंडिया कौंसिल और गवर्नर जनरल की कौंसिल के सदस्य नियुक्त किये जाने लगे । भारतवर्ष में नौकरशाही ने, इस सुधार का घोर विरोध किया । परन्तु लार्ड मिटो ने इस सुधार को दो कारणों से स्वीकार कर लिया । एक कारण तो 'सुधार के अस्वी-कृत किए जाने पर भारत वर्ष में तीव्र आन्दोलन के सूत्र-पात हो जाने का भय था । दूसरा कारण यह था कि ब्रिटिश मन्त्रिमंडल ने सर्वसम्मति से पास किया था । उसके दबाव के कारण भी लार्ड मिटो ने इस सुधार को स्वीकार कर लेना ही उचित समझा । फलतः एस, पी. सिन्हा को (बाद में लार्ड सिन्हा) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी-परिषद का विधि सदस्य नियुक्त किया गया । दो वर्ष पूर्व अगस्त १९०७ में दो भारतीयों को* भारत मन्त्री की कौंसिल का सदस्य नियुक्त किया जा चुका था ।

कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति

३८ मार्ले-मिटो सुधारों के दोष

कुछ लोगो की धारणा थी कि १६०६ के सुधारो के द्वारा भारत वर्ष को महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं । कांग्रेस के नरम नेताओं का भी प्रारम्भ में यही विचार था । शुरू शुरू में तो उन्होंने इन सुधारो का स्वागत किया, परन्तु कुछ ही दिनों बाद उन्हें भी इन सुधारो के खोललेपन का ज्ञान हो गया । मार्ले - मिटो सुधारो को कार्यान्वित करने के लिए, भारत सरकार ने जिन नियमो-उपनियमो की स्रष्टि की, वे सुधारों के आधारभूत सिद्धांतों के इतने विरुद्ध थे कि उन्होंने सुधारो का सफल होना कठिन कर दिया । भारतीय नेताओं ने इन नियमो और उप-नियमो की तीव्र आलोचना की । सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने घोषणा की कि सुधारो को कार्यरूप में परिणत करने के लिये निर्मित नियमो और उपनियमो ने तो व्यावहारिक रूप में सुधार योजना को नष्ट-प्राय ही कर डाला है । उनका प्रश्न था "क्या नौकरशाही ने अपनी शक्तिभर उन अधिकारों का प्रतिकार करके अपना बदला लिया है जो हमें सुधारो से मिले हैं ।"* लेकिन केवल नियम और उपनियम ही दोषी न थे । सुधारो में स्वयं भी कई बड़े दोष थे । वैसे तो इस एक्ट ने, कतिपय अंशों में भारतवासियो को भी प्रसाशन कार्य में भाग दिया,

* इनमें से एक हिन्दू (के. जी. गुप्त) और दूसरे मुसलमान (सय्यद हुसैन विलग्रामी) थे ।

* पनी बीसेंट: हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम: पृ. ४६५ ।

परन्तु उससे देश के राष्ट्रवादी तत्वों को बिल्कुल संतोष नहीं हुआ। इस एक्ट ने व्यवस्थापिका सभाओं में विस्तार का कार्यरिणी पर नियंत्रण तो कर दिया, परन्तु उनकी असली प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया, वह वैसी की वैसी बनी रही।” उन्हें अभी ससद नहीं, अपितु दरबार ही समझा जाता था।* वे कार्यकारिणी को केवल सलाह ही सलाह दे सकती थी, यह आवश्यक नहीं था कि कार्यकारिणी उनकी सलाह को मान ही ले। कार्यकारिणी की नीतियों पर उनका किसी प्रकार का अकुश न था।” वे कार्यकारिणी-सत्ता के ह्राथों में खिलौना-मात्र थी, उसके कार्यों और शक्ति पर किसी प्रकार की निग्रह नहीं।* वृं कि उनके अधिकार बहुत ही सीमित थे, अतः वे अनुत्तरदायी कार्यकारिणी के किसी कार्य में रुकावट नहीं डाल सकती थी। वे प्रश्न पूछ सकती थी, परन्तु कार्यकारिणी को उत्तर देने के विषये बाध्य नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, अध्यक्ष इस अधिकार में कमी कर सकता था। यदि वह उचित समझता, तो प्रश्नों को रोक सकता था। व्यवस्थापिका-सभाएँ पस्ताव पास कर सकती थी, परन्तु उनका लागू किया जाना बिल्कुल आवश्यक नहीं। सरकार यदि चाहती तो उन्हें ताक पर रख सकती थी। व्यवस्थापिका सभाएँ बजट पर वाद-विवाद कर सकती थी, परन्तु “केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों की एक रुपये की भी आय या व्यय उनके नियंत्रण में नहीं थी।* सरकार को कानून पास करने के लिये व्यवस्थापिका सभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, परन्तु इस प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने में सरकार को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़ता था सरकारी और मनोनीत गर सरकारी सदस्यों मे किसी प्रकार की फूट नहीं हो सकती थी। वे हमेशा सरकार का साथ देते थे अतएव कार्यरूप में व्यवस्थापिका सभाओं मे गैर सरकारी सदस्यों का उतना ब्रभाव न हो सका, जितनी की नरम नेताओं को आशा थी। इस विषय में सन् १९१० में स्वर्जीय गोल्ले ने भारतीय व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट किया था “भाइ लार्ड, हम लोग इस बात से भलीभाँति परिचित हैं कि जब सरकार किसी विषय मे अपना रास्ता निश्चित कर लेती है, तो गैर सरकारी सदस्य चाहे कुछ हो क्यों न कहे, वह अपने रास्ते से जरा भी नहीं हटती।

* कूपलैण्ड: दि इंडियन प्रोब्लेम. १८३३-१९३५; पृ. २५।

* पालन्दे: इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. ३३-३४।

* पालन्दे: इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पृ. ३४।

मॉर्ले-मिटो सुधारों का सबसे बड़ा दोष यह था कि उन्होंने साम्प्रदायिक-निर्वाचन को जन्म दिया। कालान्तर में इस विष-बेल ने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में अत्यन्त विनाशकारी कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में "हिन्दुस्तान के भविष्य पर यह एक असर डालने साम्प्रदायिक और विशेष बाली चीज थी। भविष्य में मुसलमान सिर्फ पृथक मुसल-निर्वाचन मान-निर्वाचन क्षेत्रों से ही खड़े हो सकते थे और चुने जा सकते थे। उनके चारों तरफ एक राजनीतिक दीवार खड़ी कर दी गई और उनको बाकी हिन्दुस्तान से अलहदा कर दिया गया। इस तरह आपस में घुल-मिल कर एक हो जाने की वह प्रतिक्रिया जो सदियों से चल रही थी और जो वैधानिक प्रगति से लाजिमी तौर पर तैयार हो रही थी अब उलट दी गई। यह दीवार शुरू में छोटी सी थी क्योंकि निर्वाचन-क्षेत्र सकुचित था लेकिन जैसे-जैसे मताधिकार बढ़ता गया, यह दीवार बढ़ती गई और उससे सार्वजनिक और सामाजिक जीवन के सारे ढाँचे पर इस तरह असर पड़ा, मानो सारे ढाँचे में घुन लग गया हो। इससे म्युनिसिपल और स्थानीय स्व-शासन सस्थाओं में जहर फैला और आखिर में बेहद गलत ढंग का विभाजन हुआ। काफी बाद पृथक् मुस्लिम श्रमिक सघों-विद्यार्थी-संघों और व्यापार-मंडलों की स्थापना हुई, पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र मुसलमानों से शुरू हुए और बाद में ये दूसरे अल्प संख्यकों और दूसरे समुदायों में भी फैल गये। यहां तक कि भारतवर्ष इन अलग अलग हिस्सों का एक जमघट बन गया... उनसे हर ढंग की अलहदगी की प्रवृत्तियाँ पैदा हुई हैं, और आखिर में भारतवर्ष के ही बटवारे की माग की गई है।"* भारतवर्ष में ऐसे अक्षिप्त स्वार्थों की कमी नहीं थी, जिनको की ब्रिटिश सरकार ने जान बूझ कर यँदा किया और उनकी रक्षा की। ऐसा करने में उसका सदैव अपना स्वार्थ था। अब पृथक् निर्वाचन-क्षेत्रों का भी शक्तिशाली स्वार्थ पैदा किया गया जिसका उद्देश्य यह था कि अलहदगी की भावना को बढ़ावा मिले और राष्ट्रीय एकता की उन्नति में बाधा पड़े। इसी उद्देश्य को सामने रख कर यूरोपीयों, जमींदारों, उद्योग-पतियों और व्यापारियों आदि विशेष बर्गों के लिये भी पृथक् निर्वाचन स्वीकार किया गया। स्पष्ट है कि इस योजना का वास्तविक लक्ष्य यही था कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही के पिट्टुओं की शक्ति को बढ़ाया जाय और इस प्रकार राष्ट्रीय तरंगिणी की गति को अवरुद्ध कर दिया जाय।

१९०६ के सुधारों ने भारतवर्ष को ससदीय शासन (वह शासन जिसमें कि कार्यकारिणी पर जनता द्वारा व्यवस्थापिका सभा के चुने हुए प्रतिनिधियों का नियं-

* जवाहरलाल नेहरू: दि डिस्कवरी आफ इंडिया, पृ-२६५:६६।

संसद-शासन
की
अस्वीकृति

त्रण होता है, देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वैसे तो कांग्रेस ने भी स्पष्ट भाषा में ऐसे शासन की मांग नहीं की थी; परन्तु स्व-शासन के चरम लक्ष्य का तात्पर्य, जिसकी कि १९०५ और १९०६ में परिभाषा की गई थी, स्पष्ट रूप से यही था। किन्तु ब्रिटिश अधिकारियों ने इस दिशा में एक कदम तक उठाने से इनकार कर दिया। जब से १८३३ में मैकाले ने यह कह दिया था कि भारतवर्ष संसदीय शासन के योग्य नहीं है, ब्रिटिश अधिकारियों को नीति, इस प्रकार की मांग का प्रतिरोध करने की ही रही थी। लार्ड मिटो और लार्ड मॉर्ले जिन्हें कि इन सुधारों का निर्माता कहा जा सकता है, दोनों ही भारतवर्ष में संसदीय प्रजातन्त्र-प्रणाली की स्थापना के विरोधी थे। लार्ड मिटो ने घोषणा की—“मैंने ऐसी चीज से, जो कि उससे (संसदीय मताधिकार) समानता रखती हो, अपना मुख फेर लिया था। हम संसद कतई नहीं चाहते थे, हम कौंसिले चाहते थे परन्तु ऐसी कौंसिले नहीं, जो कि संसदीय प्रणाली पर निर्वाचित हों।”* लार्ड मॉर्ले भी इस दृष्टिकोण से पूर्णतः सहमत थे। उन्होंने लार्ड-सभा को बताया, “यदि यह सम्भव होता कि ये सुधार प्रत्यक्षतः या आवश्यकतः भारतवर्ष में संसदीय प्रणाली की स्थापना करेंगे, तो मैं उन्हें दूर से ही नमस्कार कर देता।”* लार्ड मॉर्ले की दृष्टि में यह तर्क कि चू कि कनाडा में भी स्वशासन की स्थापना लाभकर हुई है, अतः वह भारतवर्ष में भी लाभकर होगी, कोई अर्थ नहीं रखता था। वे ऐसे तर्कों को बिल्कुल बेहूदा और खतरनाक बताते थे। उनका मत था कि यह तर्क तो करीब-करीब ऐसा ही है जैसे कि यदि जाड़े में कनाडा में फरकोट की आवश्यकता हो, तो कोई कह दे कि दक्षिण भारत में भी उसकी आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि १८६१ में भारतवासियों को शासन-कार्य में सम्मिलित करने की जिस नीति का श्रीगणेश किया गया था, १९०९ का एक्ट उसमें किंचित विस्तार-भात्र ही था। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने अपनी ऐसी कोई चेष्टा प्रकट नहीं की, जिससे यह पता चलता हो कि वह भारतवासियों को अपना शासन आप करने का, स्वभाग्य-निर्णय का थोड़ा सा भी अधिकार प्रदान करना चाहती है। इसके विपरीत इस एक्ट ने तो ब्रिटिश-सरकार के इसी इरादे को सूचित किया कि वह समस्त प्रतिगामी और अधिष्ठित स्वार्थों को अपनी ओर करके, उनकी मदद से, राष्ट्रीयता की शक्तियों का हनन करना चाहती है।

* जी० एन० सिंह द्वारा उद्धृत, वही, पृ० २२३।

* कूपलैड द्वारा उद्धृत, दि इण्डियन प्रॉब्लेम; १८३३-१९३५ पृ० २६।

सारांश

१९०९ के इण्डियन कौंसिल्स एक्ट (मॉर्ले-मिटो-सुधार) का निर्माण लाल-बाल-पाल के उपवाद के विकास और आतंकवादी दौर से उत्पन्न भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थिति का सामना करने की दृष्टि से हुआ था। इन सुधारों को पास करने में सरकार का उद्देश्य यह था कि कांग्रेस के नरम नेताओं को खुश कर दिया जाय, और साम्प्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके उपवाद और आतंकवाद की राष्ट्रीय शक्तियों को कुचल दिया जाय। उदारवादी नेताओं की धारणा थी कि इन सुधारों के द्वारा कौंसिलों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जायगी। प्रारम्भ में तो इन सुधारों का नरम नेताओं ने सहर्ष स्वागत किया, परन्तु कुछ ही काल के उपरान्त यह हर्ष विषाद में बदल गया। इस एक्ट ने मुसलमानों, जमींदारों, उद्योग-पतियों और व्यापारियों के लिए पृथक निर्वाचनों की सृष्टि की। इस प्रकार सुधारों ने एक हाथ से जो चीज दी, दूसरे हाथ से बही ले ली।

नये एक्ट ने व्यवस्थापिका सभाओं के आकार और कार्यों-दोनों में वृद्धि कर दी। १९०६ के एक्ट ने १८९२ के एक्ट में निहित अप्रत्यक्ष चुनावों का अन्त कर दिया और प्रत्यक्ष चुनावों की परिपाटी को जन्म दिया। प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में गैर-सरकारी सदस्यों की बहुमत स्थापित किया गया। १९०९ के एक्ट के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं को बजट पर वाद-विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव उपस्थित करने और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया।

परन्तु ये सुधार प्रगतिशील होने के स्थान पर प्रतिगामी ही अधिक थे। १८६१ में भारतवासियों को शासन कार्य में सम्मिलित करने की जिस नीति का सूत्रपात्र किया गया था, १९०९ का एक्ट उस नीति का किंचित विस्तार मात्र ही था और वह ऐसा विस्तार जो कि सरकार को अनिच्छापूर्वक परिस्थितियों की बाध्यता के कारण करना पडा था। कांग्रेस के सम्मुख भारतवर्ष में संसद प्रणाली की स्थापना करने का उद्देश्य था, इस एक्ट में इस उद्देश्य की ओर कतई ध्यान नहीं रक्खा गया, उसे पैरों तले डाल दिया गया। इस एक्ट के अनुसार जो नई व्यवस्थापिका सभाएं बनीं, वे अभी दरबार ही थीं, ससद नहीं। अनुत्तरदायी कार्यकारिणी पर उनका कोई निंत्रण नहीं था। व्यवस्थापिका सभाओं का सरकारी दल सदैव सरकार का साथ देता था। उसमें फूट और मतभेद को कोई स्थान न था। गैर सरकारी सदस्यों में एका न था। अतः व्यवस्थापिका सभाओं में गैर-सरकारी सदस्यों का कोई विशेष प्रभाव नहीं था।

व्यवस्थापिका सभाओं को जो नए अधिकार मिले थे, उन पर प्रतिबन्ध हटाने का बिल लगा दिये गए थे, कि उन अधिकारों का मिलना न मिलना बराबर ही था, इन सुधारों का सबसे बड़ा दोष यह था कि उन्होंने पृथक् व साम्प्रदायिक निर्वाचनों की सृष्टि की जिन्होंने कि भारतवर्ष के सार्वजनिक जीवन को विषाक्त कर दिया, अलङ्करी की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया और अन्त में भारतवर्ष के बटवारे की मांग को जन्म दिया ।

अध्याय ७

प्रथम महायुद्ध के बीच भारतीय राजनीति

३६. भारतीय राजनीतिक जीवन का शान्त स्वर

मॉर्ले-मिन्टो-सुघारो के उद्घाटन और तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा प्रवर्तित होम रूल आंदोलन के बीच के वर्षों में भारतीय राजनीतिक जीवनका ज्वार उतार पड़ था। इसका कारण यह नहीं था कि 'सुघारो' ने भारतवर्ष में लोकतन्त्रात्मक शासन का सूत्रपात कर दिया हो और भारतीय राजनीति यहाँ के देशभक्तों को सन्तोष हो गया हो। असली बात यह है कि नौकरशाही तो इस समय भी पहले की तरह बलवान थी और इन सुघारों के आधीन जिन परिषदों का निर्माण हुआ था, वे भी वाद-विवाद क्लबों से अधिक महत्व नहीं रखती थी। जनता के वे निर्वाचित प्रतिनिधि, जो कि इन परिषदों में पहुँचते थे, अब भी अपनी असहायता की भावना का निवारण न कर पाते थे, वे सरकार की आलोचना कर सकते थे, परन्तु उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे उनका विरोध निष्फल और निर्बल था। कूपलैण्ड का कथन है कि बहुधा गैर सरकारी दबाव कार्यकारिणी के कार्यों को प्रभावित करता था, परन्तु इस बात को वह भी स्वीकार करता है कि 'बहुधा का अभिप्राय सदैव नहीं है' और 'प्रभाव को शासन नहीं कहा जा सकता'। *

इस युग की भारतीय राजनीति में जो निष्प्राणता सी आ गई थी, उसका मुख्य कारण यह है कि सूरत-विच्छेद (१९०७) के पश्चात् कांग्रेस की बागडोर पूरे तरीके से नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। तिलक माण्डले में निर्वासित कैदी का जीवन बिता रहे थे। बंगाल के बहुत से राजनीतिक क्षेत्र से उग्रवादियों को देशनिकाले की सजा दे दी गई थी। उग्रवादियों का अरविन्द घोष ने राजनीतिक जीवन से सन्यास ग्रहण कर तिरौहण लिया था और अब वे पांडीचेरी में योग-साधन कर रहे थे। उग्रवादी नेताओं की अनुपस्थिति में कांग्रेस अपने वैधानिकवाद के पुराने डरों पर चढ़

पड़ी थी। इस काल में कांग्रेस का नेतृत्व गोखले, मेहता, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, प० मदन-मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू जैसे उदार राष्ट्रवादियों के हाथों में था। यद्यपि वे मॉर्ले-मिन्टो-सुधारों की दुर्बलताओं से भ्रवगत थे, साम्प्रदायिक निर्वाचनों का उन्होंने खुलकर विरोध किया था, उन्हें लोकतंत्र और राष्ट्रीयता, दोनों का दुश्मन बताया था और उन्हें समाप्त कर देने के लिए भारतीय व्यवस्थापिका में एक प्रस्ताव भी उपस्थित किया था। फिर भी वे इन सुधारों को सहयोग की भावना के साथ कार्यान्वित कर रहे थे। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र की इस शान्ति का दूसरा कारण यह था कि लार्ड मिन्टो के उत्तराधिकारी लार्ड हार्डिञ्ज ने जिस नीति को लार्ड हार्डिञ्ज की अपनाया वह सोमनस्य स्थापित करने की नीति थी। सोमनस्य स्थापित करने की नीति हार्डिञ्ज ने कांग्रेस की मांगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और इस बात को जानते थे कि यूरोप युद्ध की ओर पग बढ़ा रहा है। लडाई में इंग्लैण्ड को कांग्रेस के समर्थन की बहुत आवश्यकता थी। दूरदर्शी हार्डिञ्ज ने कांग्रेस के समर्थन को प्राप्त करने का रास्ता साफ कर दिया। उनके शासन काल में सम्राट जार्ज पचम भारत पधारे और देहली दरबार (१९११) उन्होंने देहली दरबार में घोषित किया कि अब भारत की और बंग-भंग का राजधानी कलकत्ते से हटा कर दिल्ली स्थानान्तरित की रब होना जाती है और बंगाल-विभाजन को रद्द किया जाता है।* इस राष्ट्रीय अन्याय के निराकरण का आंग्ल-ब्रिटिश सम्बन्धों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इससे उदार राष्ट्रवादी बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने सम्राट की भूरि भूरि प्रशंसा की और अपनी राजभक्ति की भावना को व्यक्त किया। सम्राट जार्ज पचम का स्वागत बड़े जोरो से हुआ और उन्हें भारत का 'मुक्तिदाता' कहा गया।

इस युग के उदारवादियों का क्या दृष्टिकोण था, अम्बिकाचरन मजूमदार के निम्न शब्दों से उस पर समुचित प्रकाश पड़ता है "प्रत्येक हृदय ब्रिटिश राजनीतिज्ञता के प्रति पुनर्जागरित कृतज्ञता व विश्वास से परिपूर्ण होकर इस युग के बीच भक्ति और अर्द्धा के संयुक्त स्वर में ब्रिटिश सिंहासन के कांग्रेस का दृष्टिकोण गुणगान कर रहा है। हममें से कुछ लोगों ने ब्रिटिश न्याय और उसकी मांगों और सत्यता की अन्तिम विजय में अपनी आशा कदापि विसर्जित नहीं की। अपनी परीक्षाओं और क्लेशों के क्षमता से भरे हुए दिनों में भी यह निश्चय, यह आशा, यह विश्वासहमारे हृदयों में

* विभाजन की समाप्ति के साथ ही साथ, बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया।

निरन्तर बना रहा कि ब्रिटिश न्याय और सत्यता एक न एक दिन अवश्य ही विजयी होगी।”* मद्रास कांग्रेस में भी यही भावना दृष्टिगत हुई। गवर्नर ने जब पडाल में प्रवेश किया, तब सम्पूर्ण सभा ने खड़े होकर उनका जयकार किया। सभा की कार्यवाही रोक दी गई और सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति कांग्रेस की राजभक्ति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव उपस्थित किया।

तथापि कांग्रेस ने ब्रिटिश-सरकार की अपर्याप्त सुधार देने की नीति का विरोध बन्द नहीं किया। भारत की राजनीतिक प्रगति के प्रति ब्रिटिश सरकार जिस उपेक्षा वृत्ति से काम ले रही थी कांग्रेस ने उसकी निरन्तर कठोर आलोचना की। कांग्रेस ने स्वाभाविक रूप से १९११ के भारत सरकार-पत्रक का स्वागत किया। इस पत्रक में प्रान्तीय क्षेत्र में स्व-शासन के शनैः शनैः विस्तार करने की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस ने इस सिफारिश का निर्बचन इस प्रकार किया कि प्रान्तीय सरकारों के ऊपर न केवल केन्द्र का नियन्त्रण कम होना चाहिए, वरन् प्रान्तीय परिषदों का नियन्त्रण बढ़ना चाहिए। स्पष्ट है कि कांग्रेस ने अब उत्तरदायी शासन की भाषा में सोचना प्रारम्भ कर दिया था यद्यपि गोखले यह कहने के लिए तय्यार थे कि उत्तरदायी शासन को प्राप्त करने की मजिल बहुत लम्बी और भारवाही होगी।† परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में पग उठाने के लिए यह उचित समय है। १९१३ में कांग्रेस ने यह मांग की कि भारतीय व्यवस्थापिका परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का और प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। उसने इस बात पर बल दिया कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदों का “कार्यकारिणी शासन के ऊपर प्रभावशाली नियन्त्रण होना चाहिए।”‡

४०. होमरूल-आन्दोलन

१९१४ में भारतीय राजनीतिक जीवन ने पुनः करवट बदली। अब तक भारतीय राजनीतिक जीवन सरकार की “दमन और सुधार की जुड़वा नीति” * के कारण जो निस्पन्द और निष्प्राण पडा हुआ था, अब पुनः अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। १९१४ में तिलक अपने कारावास से छुट-
श्रीमती बीसेंट
कारा पाकर स्वदेश वापिस आ गये। इस समय उनकी

* पट्टाभि सीतारामय्या, दि हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, पृ. १०१।

† कूपलैण्ड; दि इंडियन प्रॉब्लेम पृ. ४५।

‡ श्रीनिवास शास्त्री-सेल्फ गवर्नमेंट फौर इन्डियन अंडर दि ब्रिटिश फ्लैग, उपर्युक्त पुस्तक में उद्धृत पृ. ४५।

* जी.एन सिन्हा : बहो, पृ. २६३।

सोफ़िस्टिकता का कुछ ठिकाना नहीं था, वे भारतीय जन जीवन के हिय-हार बने हुए थे। उन्होंने तुरन्त ही नेशनलिस्ट पार्टी का पुनर्गठन करके उग्रवादियों में नव प्राण फूंकना प्रारम्भ कर दिया।

इसी वर्ष श्रीमती एनीबीसेंट भी भारत के राजनीतिक अखाड़े में कूद पड़ी और उन्होंने भारतवर्ष के राष्ट्रवादी आन्दोलन में नूतन प्राणधारा का संचार किया। थियो-सोफिकल आन्दोलन के नेता के रूप में उनका नाम पहले से ही विश्व विश्रुत हो चुका था। भारतवर्ष के धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक पुनर्जागरण के लिए जो कार्य उन्होंने किया, उसके कारण उनका नाम देश के घर घर में रोझन हो गया। वे भारत वर्ष को अपनी मातृभूमि के रूप में मानती थी। भारतवर्ष के राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए सघर्ष करने के उद्देश्य को सम्मुख रख कर वे कांग्रेस में सम्मिलित हो गईं। इस प्रकार श्रीमती बीसेंट ने अपने सम्मुख चतुःसूत्रीय कार्यक्रम रक्खा। वे इसके लिए सर्वथा उपयुक्त भी थी। उनकी प्रतिभा बहु-मुखी थी। उनकी विद्वत्ता अथाह थी और बुद्धि अलौकिक। उनकी इच्छा शक्ति हिमालय की तरह अटल और अचल थी। खतरो से जूझना उनका स्वभाव था और साहस उनका सदा का साथी था। उनमें कार्य करने की अनथक शक्ति थी और वे उस समय तक विश्राम करना नहीं जानती थी, जब तक कि उद्देश्य सिद्ध न हो जाय। इन गुणों के साथ ही साथ उनकी अद्वितीय और अतुलनीय वक्तृत्व कला सोने में सुगन्धि का कार्य करती थी। उनका ब्यक्तित्व बड़ा आकर्षक, चुम्बकमय था। वस्तुतः वे शक्ति की साक्षात् प्रतिमा थी।

आयरलैण्ड में उस समय जो होमरूल आन्दोलन चल रहा था, एनी बीसेंट उससे बहुत अधिक प्रभावित हुई थीं। उन्होंने नौकरशाही के इस तर्क का कि भारतीय स्व-शासन के योग्य नहीं हैं, खुल कर विरोध किया। उनका कथन था कि भारतवर्ष अब वह शिशु नहीं रहा जो कि साम्राज्य की शिशु-शाला में पलता रहे। उनका विश्वास था कि देश को जितनी शीघ्र स्व-शासन प्राप्त हो जाय, उतना ही अच्छा है। 'कांग्रेस का कार्य जिस मन्दगति से चल रहा था, उससे वे सतुष्ट नहीं थी।'* और उन्होंने कांग्रेस से निवेदन किया कि वह होमरूल आन्दोलन को प्रारम्भ करे। परन्तु उन्होंने देखा कि नरम दल के नेता तो पराङ्मुख शंकालु स्वभाव के हैं, वे होमरूल आन्दोलन को चलाने में झिझकते हैं। इस लिए उन्होंने औपनिवेशिक स्व-शासन अथवा डोमीनियन होमरूल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये एक पृथक् सगठन का निर्माण करने का निश्चय किया। तिलक की तरह उनका भी यह विश्वास था कि युद्ध काल इस उद्देश्य

* एनीबी सीतारामब्या- दि हिस्ट्री आफ कांग्रेस, पृ २१२

की प्राप्ति के लिये वैधानिक आन्दोलन प्रारम्भ करने का अत्यन्त समुपयुक्त अवसर है । एनी बीसेंट ने गरम दल और नरम दल में मेल करने के लिये भी अनथक उद्योग किया । परन्तु जब तक गोखले जीवित थे, उनको अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई । १९१५ में गोखले का स्वर्गवास हुआ । उस वर्ष के कांग्रेस अधिवेशन में श्रीमती बीसेंट को कांग्रेस सविधान में ऐसा संशोधन पास करवाने में, जिससे कि तिलक और उनके अनुयायी पुनः सस्था में आ सकें, सफलता प्राप्त हुई । १९१६ में कांग्रेस के दोनो दलों में पुनरैक्य स्थापित हो गया ।

एनी बीसेंट ने पहली सितम्बर १९१६ को मद्रास में अखिल भारतीय होमरूल लीग की स्थापना की । इसके छः मास पूर्व तिलक महाराष्ट्र होमरूल लीग की स्थापना कर चुके थे । इसका केन्द्र पूना था । तिलक ने एनी बीसेंट को पूरा सहयोग दिया और दोनो नेताओं ने अपने सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंधे से कंधा मिला कर कार्य किया । दिसम्बर, १९१६ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सुधारो की एक सामान्य योजना को ग्रहण किया । उन्होने अपनी योजना को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिये होमरूल लीग के उपयोग करने का निश्चय किया ।* तिलक और एनी बीसेंट ने इस आदर्श के लिए अनथक गति से कार्य किया ।

तिलक और बीसेंट का सहयोग व कांग्रेस द्वारा आन्दोलन का अनुमोदन

होमरूल आन्दोलन के प्रवर्तको ने अपने आन्दोलन को, उसके उद्देश्यो और आदर्शो को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिये अपूर्व उत्साह और प्रेरणा से कार्य किया । एनी बीसेंट के दैनिक पत्र 'न्यू इंडिया' और साप्ताहिक पत्र 'कामन वील' ने इस दिशा में विशेष सेवा की । होमरूल लीग ने बड़े छद्माके के साथ काम किया । श्रीमती बीसेंट ने सारे देश का 'तूफानी' दौरा किया और अपने जोरदार भाषणो से जनता के अन्दर एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी । वे भारतवर्ष को उसकी युग युग व्यापी निद्रा से जगाना चाहती थी । "मे भारत में वैतालिक का कार्य कर रही हूँ" उन्होने घोषणा की, "और सब सोने वालों को जगा रही हूँ ताकि वे उठ बैठें और अपनी मातृभूमि के लिये कार्य कर सकें ।" तिलक के पत्रो, दैनिक 'केसरी' और साप्ताहिक 'मराठा' न भी महाराष्ट्र में उठ कर प्रचार कार्य किया ।

होमरूल आन्दोलन के उद्देश्य

* जी० एन० सिंह-बही, पृ. २६५

होमरूल आन्दोलन एक वैधानिक संघर्ष था। जिस समय यह चल रहा था, उस समय महायुद्ध जारी था, और भारत सुरक्षा अध्यादेश भी क्रियाशील थे। आंदोलन का यह उद्देश्य नहीं था कि सरकार को खामख्वाह परेशान किया जाय अथवा उसके युद्ध प्रयत्नों में बाधा डाली जाय। सच तो यह है कि एनी बीसेंट और तिलक दोनों ने ही भारतीयों को इस बात का परामर्श दिया था कि वे जर्मनी के खिलाफ सरकार की यथासंभव सहायता करें, परन्तु उन्होंने इस बात पर भी निरन्तर बल दिया कि स्वशासित भारत साम्राज्यवाद के लिए अधिक सहायक हो सकेगा। एनी बीसेंट ब्रिटिश-साम्राज्यकी शत्रु नहीं थी। उस समय उग्रदल क्रातिपथ की ओर झुक रहा था और वह क्रातिकारियों के साथ गठबन्धन स्थापित करने के लिए प्रवृत्त हो रहा था श्रीमती बीसेंट ने उसे क्राति-पथ से अलग किया। उनकी योजना यह थी कि उग्रवादी भारतवर्ष को साम्राज्य में ही बनाए रखने को राजी हो जायें! * उग्रदल और नरमदल में पुनः ऐक्य हो तथा वे संयुक्त कांग्रेस में मिलकर साथ साथ काम करें, यह भी उनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने प्राणपण से कार्य किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। श्रीमती बीसेंट की यह आकांक्षा थी कि इंग्लैंड और भारत एक दूसरे के समीप आएँ, एक दूसरे को समझें। परन्तु उन्होंने इस बात पर बल दिया कि 'साम्राज्य का भाग्य भारत के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है और भारत को होमरूल देकर उसे सन्तुष्ट कर देना ब्रिटिश शासकों के लिए बुद्धिमानी की बात है।"

श्रीमती बीसेंट का कथन था "होमरूल भारत वर्ष का अधिकार है और राज-भक्ति के पुरस्कार के रूप में उसे प्राप्त करने की बात कहना मूर्खतापूर्ण है।"† एनी-बीसेंट के होमरूल का लक्ष्य वही था जो कि दादा भाई नौरोजी के 'स्वराज्य' या 'स्वशासन' का था। उन्होंने 'कॉमनवील' के प्रथम अंक में ही अपने लक्ष्य की व्याख्या की। उन्होंने लिखा था: "राजनीतिक क्षेत्र में हमारा उद्देश्य ग्राम परिषदों से, डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्डों तथा प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा, एक राष्ट्रीय

* डा० जकरिया-रेनेसेंट इडिया, पृ. १६५

† टिप्पणी— "भारत वर्ष ने अपने पुत्रों और पुत्रियों के रक्त को इसलिए नहीं बहाया है कि उसके बदले में उसे स्वतन्त्रता मिले, अधिकार मिले। यह सौदेबाजी नहीं है। भारत एक राष्ट्र की हैसियत से साम्राज्य की जनता के बीच, न्याय पाने के अधिकार का दावा करता है। भारत वर्ष ने इसे युद्ध के पूर्व मांगा था, भारत इसे युद्ध के बीच मागता है, भारत इसे युद्ध के बाद मागेगा, परन्तु वह इसे एक पारितोषिक के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में मागता है।" हाउ इण्डिया रॉट फॉर फ्रीडम : पृ. ५७५-५७६।

संसद तक, जो कि शक्तियों में उपनिवेशों की स्वशासित विधान सभाओं के तुल्य हो, पूर्ण स्व-शासन का निर्माण करना है। हमारा यह भी लक्ष्य है कि जब इम्पीरियल पार्लियामेंट का अधिवेशन हो और उसमें साम्राज्य के स्व-शासित राज्यों के प्रतिनिधि भाग लें, तब भारत वर्ष को भी सीधा प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए।”[†] इस प्रकार होमरूल कोई नया आदर्श नहीं था, साम्राज्य के अन्तर्गत स्व-शासन के उदार लक्ष्य के लिए केवल एक नया नाम पा लिया गया था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस नए नाम की प्रेरणा आयलैंड के स्वतन्त्रता-संग्राम से प्राप्त हुई थी।

१९१७ में होमरूल आन्दोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। यद्यपि यह आन्दोलन विशुद्धतः वैधानिक था और उसके नेताओं ने इस आन्दोलन को व्यापक बनाने में शान्तिपूर्ण उपायों का ही अवलम्बन किया, परन्तु फिर भी इसके प्राणवान् प्रचार-सघर्षने जनता के बीच एक नौकरशाही का दमनचक्र नूतन हलचल पैदा करदी। सरकार इससे घबरा उठी और एनीबीसेंट की और उसने आन्दोलन को कुचल डालने का निश्चय किया।

तिलक और एनीबीसेंट के कार्य कलापो के ऊपर कई कठोर प्रतिबन्ध लगा दिए गए। १९१६ में तिलक से कहा गया कि वे साल भर तक बिल्कुल शान्त रहे। उनको कुछ भारी जमानतें जमा करने का भी आदेश दिया गया। परन्तु बाद में जब तिलक की ओर से हाईकोर्ट में अपील की गई, तब इस आदेश को वापिस ले लिया गया। होमरूल-प्रचार को रोकने के लिए दमनमूलक प्रेस एक्ट का खुलकर प्रयोग किया गया। श्रीमती बीसेंट से, जिनका ‘न्यू इंडिया’ नामक दैनिक और ‘कामनवील’ नामक साप्ताहिक पत्र, होमरूल आन्दोलन का खूब बड़ल्ले से प्रचार कर रहा था, प्रेस और पत्र के लिए २०,०००) की जमानत मागी गई और वह जन्त भी कर ली गई। परन्तु इन दमन कार्यों से आन्दोलन दबा नहीं, वह और प्रचण्ड हुआ। १९१७ के प्रारम्भ में लार्ड पेण्टलैण्ड की सरकार ने “सरकारी आज्ञा-पत्र नं० ५५६ के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने से रोक दिया।” होमरूल की सभाओं में उपस्थित होना उनके लिए बर्जित कर दिया गया। * सरकार का दमनचक्र उस समय अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया जबकि तिलक को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने की मनाही कर दी गई और श्रीमती बीसेंट को उनके दो घनिष्ठ सहयोगी जी० एस० एरेन्डेल और बी० पी० वाडिया सहित नजरबन्द कर दिया गया। सरकार ने तो समझा कि श्रीमती बीसेंट की गिर-पतारी से होमरूल आन्दोलन ठंडा पड जायगा, परन्तु नतीजा इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। इसने “देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक विरोध और रोष का तूफान

† एनी बीसेंट - इण्डिया वार्ड आर फ्री ? पृ. १६२-१६३।

* जी. एन. सिङ - वही पृ. २६६

खड़ा कर दिया। सारे देश में श्रीमती बीसेंट की नजरबन्दी के विरोध में सभाएं हुईं। वे राष्ट्रीय नेता जो कि अब तक होमरूल आन्दोलन से अलग रहे थे, होमरूल लीग के सदस्य हो गए और उन्होंने उसमें उत्तरदायी पदों को सम्हाला।^१ एनी बीसेंट के छुटकारे के लिए सारे देश में प्रचंड आन्दोलन हुआ। तिलक ने सत्याग्रह तक प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया। परन्तु घटनाचक्र बड़ी तेजी से घूमता गया और २० अगस्त १९१७ की घोषणा ने जिसमें कि “भारत में उत्तरदायी शासन के शानैः शानैः विकास का” वचन दिया गया था, भारतीय राजनीति की हवा के रस्स को एकदम से बदल दिया और धीरे-धीरे होमरूल आन्दोलन बिल्कुल मुरझा गया। एनी बीसेंट का यश इस समय अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गया था और उन्हें १९१७ के कांग्रेस अधिवेशन का सभापति निर्वाचित किया गया।

४१. हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों में एक सुखकर अध्याय

मार्लेमिंटो सुधार-काल में एक और महत्वपूर्ण बात हुई और वह यह कि भारतीय मुसलमानों की नई पीढ़ी राष्ट्रीयता की ओर झुकी। हम देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना १९०६ में हुई थी और इसकी स्थापना में ब्रिटिश नौकरशाही का बहुत बड़ा हाथ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य यही था कि मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक् रखा जाय। शुरू के कुछ सालों में मुस्लिम लीग के ऊपर अलीगढ़ के अर्द्ध सामन्ती और पृथक्तावादी राजनीतिज्ञों के ‘स्कूल’ का ही पूर्ण नियन्त्रण रहा था। परन्तु १९१२ के पश्चात् से शिक्षित नवयुवक मुसलमानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगा। उनका हृदय देशभक्ति की भावनाओं से आप्यायित हो उठा। फलतः वे राष्ट्रवाद की ओर आकृष्ट हुए। इसके कारण मुस्लिम लीग के रंग-रूप में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ। यद्यपि मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य तो मुसलमानों के हितों का संरक्षण करना ही रहा, परन्तु उत्तरदायी शासन के प्रश्न पर वह कांग्रेस के समीपतर आ गई। परिणाम स्वरूप दोनों सगठनों के बीच बन्धुत्वपूर्ण सहयोग का एक सक्षिप्त युग प्रारम्भ हुआ। १९१६ का कांग्रेस लीग-समझौता हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों के एक सुखकर अध्याय का चरम शिखर है। मुसलमानों में इस राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कारण भी अनेक थे। इन कारणों में सबसे प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति थी। इंग्लैण्ड और रूस टर्की के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति का

१. जी. एन.सिंह: वही पृ. २६६।

अनुकरण कर रहे थे। इससे भारतवर्ष के मुस्लिम बुद्धि-जीवी वर्ग को बहुत धक्का पहुँचा। टर्की के सुल्तान अब्दुल करण, टर्की की हैमिद के द्वारा प्रोत्साहित 'पान-इस्लामिक आन्दोलन' ने स्थिति भारत के मुसलमानों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। सुल्तान हैमिद इस्लाम के खलीफा भी थे। इन सब कारणों से टर्की इस्लाम की महानता का प्रतीक बन गया था। १९१२-१३ के बल्कान-युद्धों ने भारतवर्ष में टर्की के प्रति सहानुभूति की एक शक्तिशाली लहर पैदा कर दी। डाक्टर अंसारी भारतवर्ष से टर्की को एक मेडिकल मिशन ले गये।

टर्की के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण ने भारतीय मुसलमानों के बीच ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ उत्पन्न कीं। ये भावनाएँ युद्ध के बीच और भी प्रबल हो गईं जबकि टर्की ब्रिटेन और उसके मित्र-राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ा। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं 'अन्तिम वची हुई मुस्लिम शक्ति के कांग्रेस के प्रति समाप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया था, उनके सरकारी रुख में विश्वास का मुख्य आधार डबाडोल हो रहा था।'* परिवर्तन ब्रिटेन इस्लाम के शत्रु के रूप में प्रकट हुआ और उसने देशभक्त मुस्लिम-मस्तिष्कों को उत्तेजित करना प्रारम्भ कर दिया। एक और कारण जिसने कि साम्प्रदायिकता को रोका और भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस के नज़दीक ला दिया, यह था कि कांग्रेस के प्रति सरकारी रुख में परिवर्तन हो गया। यद्यपि मॉर्ले-मिटो-मुधारी में कतिपय दोष थे, फिर भी कांग्रेस उन्हें कार्यान्वित करने की यथा-शक्ति चेष्टा कर रही थी। नए गवर्नर जनरल लार्ड हॉर्डिञ्ज का कांग्रेस के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण था। लार्ड हॉर्डिञ्ज की मेल जोल की नीति का फल यह हुआ कि मुस्लिम पृथक्तावाद में पहले का सा जोर नहीं रहा और वह धीमा पड़ गया। इसके अलावा १९११ में बग-भग को रद्द कर दिया गया। इसने मुसलमानों के ऊपर बहुत असर डाला। सरकार ने बग-भग को रद्द करने का निर्णय करने से पूर्व मुसलमानों से परामर्श तक भी नहीं किया, फलतः वे अत्यन्त रूष्ट हुए, अग्रेजों की नेकनीयती में उनका जो विश्वास था, उसकी जड़ें हिल गईं। इस असन्तोष का फल यह हुआ कि मुसलमान भी राष्ट्रीय आन्दोलन में शरीक हो गये। मुस्लिम राष्ट्रवाद के उत्कर्ष का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण अबुल कलाम आज़ाद, अली-बन्धुओ, मोहम्मद अली जिन्ना, डा० अंसारी और हकीम नए नेताओं का अजमल खा जैसे नए नेताओं का प्रभाव था। अबुल कलाम प्रभावः अबुल आज़ाद उस समय नवयुवक ही थे। उनकी गम्भीर विद्वत्ता कलाम आज़ाद

* जवाहरलाल नेहरू: दि डिस्कवरी आफ इंडिया, पृ. २८६।

और भारत से बाहर की इस्लामी दुनिया के ज्ञान की सर्वत्र धाक जमी हुई थी। “उन लड़ाइयों ने जिनमें कि टर्की घिर गया था, उनकी गहरी रूचि और सहानुभूति को उत्तेजित किया। फिरभी उनका रास्ता पुराने मुस्लिम नेताओं के रास्ते से भिन्न था। उनका व्यापक और बुद्धिसंगत दृष्टिकोण उन्हें पुराने नेताओं के सामंती, सकुचित धार्मिक व पृथक्तावादी दृष्टिकोण से अलग रक्खा और उन्हें सिर से पर तक भारतीय राष्ट्रवादी बना दिया था।”‡ १८१२ में अबुल कलाम आजाद ने उर्दू साप्ताहिक ‘अल-हिलाल’ को प्रकाशित करना प्रारंभ किया। इस पत्र का जीवन सक्षिप्त परन्तु ‘ऐतिहासिक रहा। जबसे मुस्लिम लीग आरम्भ हुई, अबुल कलाम आजाद उसके सदस्य थे। मुस्लिम लीग पर अलीगढ़-कॉलेज-ग्रुप का नियंत्रण था। अबुल कलाम आजाद उसकी नीतियों से सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी सामर्थ्यवान् लेखनी के द्वारा “अनुदारिता और अ-राष्ट्रीयता के इस शक्तिशाली दुर्ग पर आक्रमण किया।”* अल-हिलाल ने “मनुष्यों के दिमागों को भय और निराशा से मुक्त करने में सहायता दी और उन्हें आशा व साहस के उच्चतर धरातल पर ला खडा किया।”† आजाद की रचनाओं ने अधिकारियों के रोष को जागृत कर दिया। अल हिलाल से जमानते मागी गई और १९१४ में उसके प्रेस को ज्वल कर लिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि अल-हिलाल समाप्त हो गया। दो वर्षों बाद आजाद को चार वर्षों के लिये अन्तर्वासित किया गया।

“अबुल कलाम आजाद की आवाज के साथ ही मौलाना मोहम्मद अली, जिनके कि अंग्रेजी पत्र ‘कामरेड’ और उर्दू पत्र ‘हमदर्द’ ने हमारी राष्ट्रीय पत्रकारिता के मन्दिर में अपने लिये एक आला अर्जित कर लिया था

मौलाना मोहम्मद अली की आवाज मिली हुई थी।”‡ मौलाना मोहम्मद अली इस्लामी परम्परा और ऑक्सफोर्ड शिक्षा का एक अजब समन्वय उपस्थित करते थे। बंगाल-विभाजन के रद हो जाने से उन्हें बडा धक्का पहुँचा और अंग्रेजों की नेकनीयती में उनका जो विश्वास था, उसकी नींव हिल गई। वे कट्टर राष्ट्रवादी हो गये। टर्की के लिये उन्होंने प्रचंड आंदोलन किया। १९१५ में युद्ध-पर्यन्त के लिये उन्हें अपने भाई मौलाना शौकतअली के साथ ही साथ अन्तर्वासित कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन में उन्होंने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रभाव से मुस्लिम राजनीति में भी राष्ट्रवादी भाव-

‡ जवाहर लाल नेहरू. दि डिस्कवरी आफ इंडिया, पृ० २८६।

* उपयुक्त पुस्तक, पृ० ६०।

† मेहता और पटवर्धन: कम्युनल ट्रायंगल इन इंडिया, पृ ३२।

‡ मेहता और पटवर्धन वही, पृ० ३२।

नाएं प्रचंड हो गईं। उस काल में मोहम्मद अली जिन्ना भी मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी तत्वों की विजय के लिये भरसक चेष्टा कर रहे थे।

यद्यपि बाद के घटना प्रवाह को देखते हुए यह बात अत्यन्त आश्चर्यजनक लगती है, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कार्य किया, वह अत्यन्त

**मोहम्मद अली
जिन्ना**

महत्वपूर्ण और प्रगतिशील था। उस समय मुस्लिम लीग प्रतिगामी और पृथकतावादी तत्वों की अधीनता में थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे काँग्रेस के निकट लाने का प्रयास किया और इसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। यह उनके गतिशील नेतृत्व का ही प्रभाव था कि मुस्लिम लीग ने भी अपने १९१३ के लखनऊ अधिवेशन में औपनिवेशिक स्वराज्य को अपना ध्येय घोषित कर दिया। इस समय आगा खा मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। वे लीग की राष्ट्रवादी विचारधारा को पसंद नहीं करते थे। १९१५ में उन्होंने लीग की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग की बागडोर मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में आई।

इस सम्बन्ध में मौलाना शिबली मोहानी का जिक्र करना भी अत्यन्त आवश्यक है। वे उच्चकोटि के राष्ट्रवादी थे और सर सय्यद अहमद खा के सहयोगी रह चुके थे। बाद

**मौलाना शिबली
मोहानी**

में सर सय्यद अहमद खा साम्प्रदायिकता की ओर झुक गये और उन्होंने मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक रखने की चेष्टा की। मौलाना शिबली मोहानी को सर सय्यद अहमद खा की यह नीति बिल्कुल पसन्द नहीं आई। उन्होंने इसकी कठोर आलोचना की। वे कहा करते थे कि मुसलमानों को राष्ट्रीयता की मुख्य धारा से पृथक रखने के लिए नौकरशाही ने सर सय्यद अहमद खा के नाम का अनुचित उपयोग किया है। भारतीय मुसलमानों के बीच राजनीतिक जाग्रति का विकास करने के लिए उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रीय महायज्ञ में जो आहुति दी, उसके कारण भारत की राष्ट्रीयता के इतिहास में उनका नाम सदैव अमर रहेगा।

उदार काँग्रेस नेताओं ने मुस्लिम लीग की इस नई प्रवृत्ति का हार्दिक स्वागत किया। १९१३ के अपने अधिवेशन में काँग्रेस ने लीग के स्वराज्य के नूतन ध्येय की मुक्तकंठ से सराहना की। इस्लामी विश्व के प्रति अपनी सद्भावना का परिचय देने के लिए काँग्रेस ने टर्की और फारस की स्थिति के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पास किया। अब यह प्रतीत होने लगा था कि भविष्य में काँग्रेस और लीग मिल-जुल कर कार्य करेंगी और सामान्य राजनीतिक लक्ष्य को हस्तगत करने के लिए डट कर संघर्ष

**लीग-काँग्रेस
सहयोग
की ओर**

करेगी। १९१४ के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव संलक्ष्य था। इस अधिवेशन में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव कायम रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। हिन्दू-मुस्लिम एकता के बढ़ते हुए चिन्हों को देखकर आंग्ल-भारतीय समाचार-पत्र घबरा उठे।[†] परन्तु यह श्रेष्ठ कार्य रुका नहीं, बराबर चलता रहा और राष्ट्रवादी नेता इस बात के लिए निरन्तर प्रारूपण से चेष्टा करते रहे कि हिन्दू-मुस्लिम एकता दिनदूनी रात चौगुनी बढ़े और हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिल कर सामान्य राजनीतिक लक्ष्य की ओर शक्तिशाली पग उठाए तथा एक ऐसे महान् भारत का निर्माण कर सकें, जो कि अशोक कालीन भारत से कहीं अधिक महत्तर और अकबर कालीन भारत से कहीं अधिक बृहत्तर हो।

१९१५ में राष्ट्रवादी मुसलमानों ने मि. जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिमलीग के ऊपर पूरा नियन्त्रण स्थापित कर लिया। उस वर्ष के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में

कांग्रेस-लीग

समझौता

१९१६

महात्मा गांधी, पण्डित मदनमोहन मालवीय और सरो-जिनी नायडू जैसे कांग्रेस के सुप्रतिष्ठित नेता भी सम्मिलित हुये। मि. जिन्ना ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसमें भारतवर्ष के लिए राजनीतिक सुधारों की एक योजना तय्यार करने के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति

करने को कहा गया था जो कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करे। यह प्रस्ताव पास हो गया। फलतः १९१६ में संयुक्त कांग्रेस-लीग-योजना तय्यार हुई - यह इतिहास में लखनऊ-समझौते के नाम से प्रख्यात है। पूर्व वर्ष की तरह १९१६ में भी कांग्रेस और लीग के वार्षिक अधिवेशन एक ही स्थान पर (लखनऊ) और एक ही समय में हुये। दोनों ही संस्थाओं ने कांग्रेस-लीग-योजना को स्वीकार किया और उसे मागों के अधिकार-पत्र के रूप में अधिकारी-वर्ग के सम्मुख उपस्थित किया। लखनऊ-पैक्ट *

†. एनी बीसेंट ने एक आंग्ल-भारतीय समाचार-पत्र के निम्न लेख को उद्धृत किया है: "ये लोग दोनों जातियों को क्यों एक करना चाहते हैं, यदि यह उन्हें एक करना शासन के विरुद्ध नहीं है?" हाउ इंडिया रॉट फार फ्रीडम, पृ० ५३१।

* यह पैक्ट मुख्यतः उन सुधारों पर आश्रित था जिनका कि "मेमोरेण्डम ऑफ नाइण्टीन" (१९ का आवेदनपत्र) में सुझाव दिया गया था। इस आवेदन-पत्र को इंपीरियल (केन्द्रीय) व्यवस्थापिका सभा के १९ भारतीय सदस्यों ने तय्यार किया था। लखनऊ-पैक्ट के मुख्य उपबन्ध ये थे "(१) प्रांतोंको जितना अधिक संभव हो सके, प्रशासन और वित्त क्षेत्र में, केन्द्रीय नियंत्रणसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। (२) केन्द्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के ४१५ सदस्य निर्वाचित और १५ मनोनीत होने चाहिये। (३) केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के कम से कम आधे सदस्य अपनी-अपनी

को या सबैधानिक सुधारों की कांग्रेस-लीग योजना को भारतीय राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ी विजय कहा गया है।[†] परन्तु यह बात सर्वथा सत्य नहीं है। यह ठीक है कि लखनऊ-पैकट हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक था। वह इस बात का द्योतक था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ-साथ मिल कर स्व-शासन के लक्ष्य की ओर एक ठोस कदम उठाएँगी। एक आवाज के साथ कांग्रेस और लीग ने यह माँग की कि "साम्राज्य के पुनर्संगठन में भारतवर्ष पराधीनता की वेदी से ऊपर उठाया जाकर आत्म-शासित उपनिवेशों की भाँति साम्राज्य के कामों में बराबर का हिस्सेदार बनाया जाय।"[‡] इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक ऊँची सफलता थी, परन्तु कांग्रेस ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँग को स्वीकार करके राष्ट्रीयता की बहुमूल्य आहुति दी। बंगाल और पंजाब में मुसलमान बहुमत में थे। वहाँ उनके लिए ४०% और ५०% स्थान स्वीकार किये गये। इसके विपरीत जिन प्रांतों में मुसलमानों का अल्पमत था, वहाँ भी उनके साथ विशेष रियायत की गई, उन्हें बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया। यू. पी. में मुसलमानों की जनसंख्या १४% ही थी, परन्तु उन्हें ३०% स्थान दिये गये। मद्रास में उनकी जनसंख्या केवल ६.१५% थी परन्तु उन्हें १५% स्थान दिये गये। जहाँ तक केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा का सम्बन्ध है, निर्वाचित स्थानों का एक तिहाई भाग पृथक् मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये नियत रखा गया। स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग ने काफी महंगे मूल्य पर सौदा किया था। यह ठीक है कि मुसलमानों को साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान देने का अधिकार छोड़ना पड़ा। मॉर्ले-मिन्टो सुधारों के अधीन उन्हें यह लाभ प्राप्त था। परन्तु इसका और भी बुरा परिणाम हुआ हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भेदकी दीवार बराबर ऊँची उठती गई। इस प्रकार पृथक् निर्वाचनों तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने व मुसलमानों के लिए

व्यवस्थापिका सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होने चाहिए। (४) जब तक कि कौंसिलों द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर गवर्नर जनरल अथवा सपरिषद गवर्नर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग न करें, प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों को उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिये। (५) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को भारत सरकार के सैनिक, वैदेशिक और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का, जिनमें कि युद्ध की घोषणा अथवा सधि करना भी सम्मिलित है, कोई अधिकार न होना चाहिये। (६) भारत-मन्त्री के भारत सरकार के साथ वे ही सम्बन्ध होने चाहिए जो कि औपनिवेशिक मन्त्री के डोमिनियनों की सरकारों के साथ होते हैं।" कूपलैण्ड: दि इंडियन प्रॉब्लेम, १८३३-१९३५, पृ० ४८।

† उपर्युक्त पुस्तक, पृ० ५०।

‡ पैकट की प्रस्तावना: कांग्रेस इन हवोल्यूशन पृ० १७-१८।

दूसरे मत के उत्सर्ग को प्राप्त करने में कांग्रेस ने “परिणामों का किञ्चिन्मात्र भी विचार न करते हुए कार्य किया।”* कांग्रेस ने मुसलमानों को जो रियायतें दीं, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मॉटफोर्ड मुघारों का आधार बना लिया। परन्तु लखनऊ पैक्ट में भारत के लिए स्वशासित डोमीनियनों की तरह की जिस प्रस्थिति की मांग की गई थी उसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा पैक्ट में जहां यह कहा गया था कि व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत होना चाहिए, वहा इस बात की कोई व्यवस्था नहीं थी कि कार्यकारणी को इन बहुमतों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये।

४२. यूरोपीय महासमर और वैधानिक सुधार

प्रथम यूरोपीय महासमर का विस्फोट भारत के वैधानिक विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था। जब यूरोप में महायुद्ध प्रारम्भ हुआ इंग्लैण्ड ने भारत से निवेदन किया कि वह उसे जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में हार्दिक सहायता दे। भारतवर्ष ने इंग्लैण्ड की इस प्रार्थना को सुना और उसकी भरसक सहायता की। भारतवर्ष की जनता इंग्लैण्ड के साथ अपने मतभेदों को भूल गई। होमरूल आन्दोलन और देश के बाहर की क्रान्तिकारी हलचलों के अलावा, भारतवर्ष में युद्ध के बीच अन्य किसी ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन का नामो निशान भी नहीं दीखता था। भारतवर्ष के वातावरण में इस सीमा तक शांति थी कि सरकार ने भारत में रहने वाले अधिकांश ब्रिटिश फौजी दस्तों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। यद्यपि कुछ उग्रवादी यह कहते थे कि हमें इस युद्ध से लाभ उठाना चाहिए और अग्रजों के विरुद्ध आन्दोलन करना चाहिए फिर भी उस समय आम भावना यही थी कि यह अग्रजों के लिए सकट का समय है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी जैसे भारतीय नेताओं ने अपने भाषणों में यही कहा कि “युद्ध के जो भार और उत्तरदायित्व हैं, हमें उनको वहन करना चाहिए” और “साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए।”† तिलक और गांधी ने भी राष्ट्र से इसी प्रकार की अपीलें की। साम्राज्य के अन्यान्य देशों के साथ ही साथ भारत ने भी न्याय और मनुष्यता की रक्षा के लिए अपने कीमती जान और मान को इस युद्ध में उत्सर्ग किया। भारतवर्ष ने अपने पन्द्रह लाख से अधिक सपूतों को रणागण में भेजा। युद्धक्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और महान् गौरव अर्जित किया। भारतीय सैनिकों के शौर्य ने जर्मनी

* गैरेट : एन इंडियन कमेंट्री, पृ० १७६।

† सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी : ए नेशन इन मेमोरी पृ० ३००।

के सारे मन्सूबे चकनाचूर कर दिये । राजाओं और धनी भारतीयों ने युद्ध कोष में बड़ी बड़ी रकमें जमा की । भारतवर्ष ने कुल मिला कर तीन अरब से अधिक रुपया लड़ाई के खर्चों के लिए इंग्लैण्ड को दिया । युद्ध काल में भारतवर्ष ने जिस राजभक्ति और हार्दिक सहयोग का परिचय दिया, वह सर्वथा अकारण न था । जैसे ही महायुद्ध प्रारम्भ हुआ, ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने ऐसी घोषणाएँ की जिन्होंने कि राष्ट्रवादी भारतीयों के मनो में बहुत ऊँची उम्मीदें उत्पन्न कर दी थी । ब्रिटिश प्रधान-मंत्री ने भारतीयों के लिए कहा कि वे “एक सामान्य भविष्य और हित के सयुक्त तथा समान संरक्षक हैं ।” यह कहा गया कि लड़ाई “राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के दोहरे उद्देश्य की रक्षार्थ लड़ी जा रही है ।” † आत्म-निर्णय के सिद्धांत को प्रख्यापित किया गया और लॉयड जार्ज ने घोषणा की कि उसे “ट्रॉपिकल देशों में भी लागू किया जायेगा ।” उनके पूर्ववर्ती लॉर्ड एस्किवथ ने घोषणा की थी कि भविष्य में भारतीय समस्या को “एक नए दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा ।” भारतीयों ने इन घोषणाओं को बिल्कुल निष्कपट भाव से ग्रहण किया, उनको यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि युद्ध का अन्त होने पर भारतवर्ष में वैधानिक उन्नति के एक नूतन युग की सृष्टि होगी । १९१६ में लॉर्ड चेम्स फोर्ड भारतवर्ष के गवर्नर-जनरल बन कर आए । उन्होंने पद ग्रहण करने के तुरन्त बाद ही यह घोषणा की कि ब्रिटिश-शासन का उद्देश्य लार्ड चेम्सफोर्ड भारतवर्ष में स्व-शासन की स्थापना करना है । दुर्भाग्यवश, वे अपने आई सी एस सलाहकारों के हाथों में थे और उनकी कार्यकारिणी-परिपद ने जिस सुधार-योजना को तय्यार किया, “उसकी प्रत्येक पक्ति के ऊपर ‘भीरता’ शब्द लिखा हुआ था ।” इस समय भारतीय राजनीतिज्ञ भी ऐसी योजनाएँ तय्यार करने में व्यस्त थे जिनके अनु-सुधार-योजनाएं सार कि भारतवर्ष को एक सारभूत मात्रा में स्व-शासन प्राप्त हो सके । इन योजनाओं में एक योजना ‘१६’ का आवेदन-पत्र था ।* इस योजना को साम्राज्यीय व्यवस्थापिका सभा के भारतीय सदस्यों ने तय्यार किया था ।

† कूपलैण्ड : दि इंडियन प्राब्लेम, १८३३-१८३५ पृ० ५२ ।

* टिप्पणी—१९१५ में एक सुधार-योजना मद्रास के गवर्नर लार्ड विलिंगडन के आदेशानुसार गोखले ने तय्यार की थी । यह प्रलेख जो कि गोखले के राजनीतिक ‘टेस्टामेंट’ के नाम से प्रख्यात हुआ, अगस्त १९१७ में प्रकाशित किया गया । इसका मुख्य ध्येय यह था कि प्रान्तीय सरकारों को स्वायत्तता प्राप्त हो और वे केन्द्रीय नियंत्रण से स्वतन्त्र हों । इस योजना में कार्यकारिणी के व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व के प्रश्न को नहीं लिया गया था ।

नाइष्टीन वेनोरेण्डम

‘१९’ के आवेदन पत्र के ऊपर जिन सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे, उनमें प मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू भी सम्मिलित थे। दूसरी बातों के साथ ही साथ आवेदन पत्र में इस बात का भी प्रस्ताव किया गया था कि प्रान्तीय और साम्राज्यीय सभी कार्य कारिणीपरिषदों में प्राची सख्या भारतीय सदस्यों की होनी चाहिये, भारत वर्ष की सभी व्यवस्थापिका सम्भागों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सारभूत बहुमत होना चाहिये, जनता के मत-ज्ञान के अधिकार को विस्तृत कर देना चाहिए, अल्पसंख्यक वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, भारत मन्त्री की परिषद को समाप्त कर देना चाहिए, प्रान्तीय क्षेत्र में स्वायत्तता की स्थापना होनी चाहिए, और भारतवर्ष को स्थानीय स्व-शासन पूरी मात्रा में प्राप्त होना चाहिए। ‘१९’ के आवेदन-पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि भारतीय नवयुवकों को भी सेना में वे ही सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो कि यूरोपीयों को प्राप्त होती हैं। कांग्रेस-लीग योजना, जिसका कि हम

कांग्रेस-लीग योजना

पहले ही जिक्र कर चुके हैं ‘१९’ के आवेदन-पत्र पर आधारित थी। तथापि कांग्रेस-लीग योजना ‘१९’ के आवेदन पत्र से अधिक व्यापक थी और इसमें साम्प्रदायिक निर्वाचनों के प्रश्न पर अधिक महत्व दिया गया था। परन्तु इन सुधार-योजनाओं में से किसी ने भी भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की स्पष्ट मांग नहीं की थी। उस पहली योजना को जिसने कि भारत-वर्ष में उत्तरदायी शासन की शर्तें शर्तें स्थापना को नूतन सुधारों का आधार बनाया, इंगलिश राउड टेबिल ग्रुप ने तय्यार किया था। इंगलिश राउड टेबिल ग्रुप उन अंग्रेज सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का एक समुदाय था जो कि भारतीय समस्याओं में प्रगाढ़ रुचि रखते थे। इस ग्रुप के नेता मि. कर्टिस ने समाचार पत्रों में कई लेख लिखे और उनमें उत्तरदायी शासन व प्रतिनिधिक शासन के भेद को स्पष्ट किया। उनका यह मत था कि भारतवर्ष में प्रतिनिधिक शासन की तो तुरन्त स्थापना की जा सकती है, परन्तु उत्तरदायी शासन की स्थापना शर्तें शर्तें ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष की अशिक्षित जनता धर्म, नसल और बिरादरी आदि की प्राचीनों से आपस में बटी हुई है, वह उत्तरदायी शासन के योग्य नहीं है, उसे इसके लिये शिक्षित करना पड़ेगा। ब्रिटिश अधिकारियों के ऊपर इस योजना की अच्छी प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस-लीग योजना में तो भारतीयों को तत्काल ही बहुत से अधिकार दे देने की मांग की गई जो कि ब्रिटिश अधिकारियों के लिये अरुचिकर थी, परन्तु इस योजना में ऐसी कोई मांग नहीं थी। उत्तरदायी शासन का विचार ही इयूक आवे-

दन-पत्र को १९१६ में इंडिया कौंसिल के एक सदस्य व मि. कर्टिस के एक सहयोगी सर विलियम ड्यूक ने तय्यार किया था। ड्यूक आवेदन-पत्र में कहा गया था कि अब भारतीयों को उत्तरदायी शासन की कला में सिद्धहस्त करने का समय आ गया है। यह इस प्रकार किया जा सकता है कि कुछ सुरक्षित विभागों को (शिक्षा, स्थानीय स्व-शासन, स्वच्छता आदि) प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया जाय तथा इस पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण स्थापित किया जाय। तथापि इस आवेदन पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि पुलिस जैसे अन्य महत्वपूर्ण विभागों को सुरक्षा व निपुणता की दृष्टि से जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में न दिया जाय। इस प्रकार ड्यूक-आवेदन-पत्र ने ट्रैड शासन प्रणाली की स्थापना का सुझाव दिया। ट्रैड-शासन प्रणाली का अभिप्राय यह था कि प्रान्तीय शासन को दो भागों में बांट दिया जाय, अर्थात् सुरक्षित विभाग तो कार्यकारिणी परिषदों के हाथों में रहें और वे केवल गवर्नर के प्रति ही उत्तरदायी हों। इसके विपरीत हस्तांतरित विभाग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में हों और वे व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हों। ड्यूक आवेदन-पत्र और राउंड टेबल ग्रुप की सिफारिशें ही मण्टे-ग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार योजना की मूलमन्त्र बनी और १९१९ का भारतीय-शासन सम्बन्धी एक्ट भी मुख्यतः इन्हीं के ऊपर आधारित था।

प्रथम महायुद्ध के जमाने में मैसेपोटामिया में युद्ध का प्रवन्ध अच्छा नहीं रहा था। इस सम्बन्ध में इंग्लैंड की लोकसभा में एक बहुत जोरदार बहस हुई। बहस में मि० माटेग्यू ने मि० आस्टिन चैम्बर लैन को, जो कि भारत मन्त्री थे, बुरी तरह आड़े हाथों इमलिए लिया कि मैसेपोटामिया में सामग्री तथा सिपाही न पहुँचने के फलस्वरूप ही यह गड़बड़ी हुई थी। भारत-मन्त्री के पद पर माटेग्यू की नियुक्ति इसी के परिणाम स्वरूप मि० चैम्बर लैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर मि० माटेग्यू भारत मन्त्री नियुक्त हुए। मि० माटेग्यू १९१२ में भारत आ चुके थे और यहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उन्हें भारत का सच्चा शुभाकांक्षी समझा जाता था। भारतवर्ष के प्रति मि० माटेग्यू के हृदय में अगाध सहानुभूति थी। "मि० माटेग्यू का भारत मन्त्री बना दिया जाना भारतवर्ष ने अपनी एक बहुत बड़ी विजय समझी।" मि० माटेग्यू का कथन था कि हमें भारतवर्ष पर वहाँ की जनता की सहमति से शासन करना चाहिये। स्वभावतः ऐसे राजनीतिज्ञ की भारत मन्त्री के पद पर नियुक्ति होने से भारतीयों के हृदयों में ऊँची ऊँची आशाएँ जागृत हो गईं। भारत मन्त्री के पद का कार्य-भार सम्हालने के कुछ ही समय बाद २०

२० अगस्त, १९१७ को मन्त्रि-मण्डल की ओर से, मि० मांटैग्यू की घोषणा अगस्त १९१७ को मन्त्रि-मण्डल की ओर से, मि० मांटैग्यू ने निम्नलिखित घोषणा की, "समाप्त सरकार की यह नीति है, और उससे भारत सरकार पूर्णतः सहमत है, कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन-प्रणाली का धीरे-धीरे विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्व-शासन प्रणाली भारत में स्थापित हो और वह ब्रिटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में रहे। उन्होंने यह तय कर लिया है कि इस दिशा में, जितना शीघ्र हो ठोस रूप से कुछ कदम आगे बढ़ाया जाय।" घोषणा में यह भी कहा गया था "इस नीति में प्रगति क्रमशः ही अर्थात् सीढ़ी दर सीढ़ी होगी। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार ही जिनके ऊपर कि भारतीयों के हित और उन्नति का भार है, इस बात की निर्यायिक होंगी कि कब और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिए।"

२० अगस्त १९१७ की घोषणा का भारत वर्ष में सर्वत्र स्वागत किया गया। उसे भारतीय 'मैगना कार्टा' के नाम से पुकारा गया। सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने लिखा "आग्ल भारतीय इतिहास के पृष्ठ टूटी हुई प्रतिज्ञाओं के खडो से भरे पडे हैं परन्तु अब शायद एक नूतन अध्याय प्रारम्भ होने को था।" † नवम्बर १९१७ में मि० मांटैग्यू देश के प्रमुख राजनीतिज्ञों के साथ विचार-विनिमय करने के लिए भारत पधारे। उन्हें अपने काम की महत्ता का पता था और उनके हृदय में भारतीयों के प्रति सच्ची सहानुभूति थी। "मेरी भारत यात्रा का तात्पर्य यह है कि हम कुछ करने जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। मैं इंग्लैंड को खाली हाथ या कोई साधारण वस्तु लेकर नहीं लौट सकता। जिस वस्तु को लेकर मैं लौटूंगा उससे नये युग का निर्माण होना चाहिये, अन्यथा मेरे प्रयत्न निष्फल होंगे। उस वस्तु को भारतवर्ष के भावी इतिहास की कुर्जी के समान होना चाहिये।"* मि० मांटैग्यू और उनके सहयोगियों ने ६ महीने तक सारे देश का दौरा किया, परन्तु जब अंतिम रूप से योजना तैयार होकर सामने आई, तब मि० मांटैग्यू में वह उत्साह नहीं रहा था, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारतवर्ष में आने के समय किया था। तथापि उनकी भारत यात्रा एक और दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण रही। उनके भारत आने से पूर्व श्रीमती एनी बीसेंट की नजरबन्दी के ऊपर सारे देश में काफी असन्तोष छाया हुआ था और कांग्रेस सत्याग्रह प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर सोच विचार कर रही थी। मांटैग्यू ने भारतवर्ष में पदार्पण करते ही देश की राजनीतिक हवा के रुख को पलट

† सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी-ए नेशन इन दि मेकिंग, पृ. ३०३

* जी.पन. सिंह द्वारा उद्धृत - वही; पृ. ३०८

दिया। उनकी पारदर्शी सहानुभूति ने भारतवर्ष के बहुत से महत्वपूर्ण नेताओं का समर्थन प्राप्त किया। एनी बोसैंट जो कि पहले बहुत उग्र थीं, अपनी सारी तेजी भूल बैठी और एक दम से नरम हो गईं। सत्याग्रह के विचार को ठुकरा दिया गया। मि. मांटिग्यू इस बात का ठीक ही दावा कर सकते थे कि उन्होंने महायुद्ध के एक बहुत ही संकटकालीन अवसर पर भारतवर्षको ६ महीने तक बिल्कुल शांत रखा।

“भारतीय वैधानिक सुधारों के ऊपर संयुक्त मांटिग्यू-वेम्सफोर्ड-प्रतिवेदन के प्रकाशित होते ही भारतीय राजनीतिज्ञों को बहुत गहरा घक्का पहुँचा। यह एक निराशाजनक प्रलेख था। इसमें इस बात पर बल दिया गया था कि भारतीय जनता का विशाल बहुमत अभी बहुत पिछड़ा मांटिग्यू-वेम्सफोर्ड हुआ है, भारतवर्ष की विभिन्न जातियों में काफी मतभेद है, प्रतिवेदन हिन्दुओं की बर्ण-व्यवस्था लोकतन्त्र के सर्वथा विरुद्ध है और भारत इस योग्य नहीं है कि केन्द्रीय सरकार में कोई महत्वपूर्ण अन्तर किया जाय। साम्प्रदायिक निर्वाचनों का इस प्रतिवेदन में घोर विरोध किया गया था।* परन्तु फिर भी उसने साम्प्रदायिक निर्वाचनों को न केवल मुसलमानों तक ही सीमित रखा, अपितु सिक्खों के ऊपर भी उन्हें लागू करने की सिफारिश की। उसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन के प्रयोग को करने की सिफारिश की गई, परन्तु जनता के प्रतिनिधियों को पूर्ण उत्तरदायित्व देने से इन्कार कर दिया। उसने द्वैध शासन प्रणाली की पुर स्थापना का प्रस्ताव किया। जहाँ तक केन्द्र का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन ने कार्यकारिणी को पूर्ववत् ही अनुत्तरदायी रखने की आवश्यकता पर बल दिया, परन्तु उसने इस बात की सिफारिश की कि व्यवस्थापक-मण्डल के दो सदन होने चाहिए और दोनों ही सदनो में निर्वाचन प्रतिनिधियों का बहुमत होना चाहिए। प्रतिगामिता की शक्तियों को और हट करने के उद्देश्य से एक नरेन्द्र-मण्डल की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। यद्यपि कांग्रेस-लीग-योजना की साम्प्रदायिक-सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और उन्हें बढ़ा भी दिया गया था परन्तु सारी योजना को बहुत अधिक क्रांतिकारी बताया गया।

* “पथो तथा वर्गों द्वारा विभाजन का अभिप्राय ऐसे राजनीतिक गुटों की सृष्टि करना है जो कि एक दूसरे के विरुद्ध हो। यह मनुष्यों को नागरिकों के रूप में नहीं, पक्षभागियों के रूप में विचार करना सिखाता है। बहुधा ब्रिटिश सरकार पर दोषारोप किया जाता है कि उसने आदमियों पर शासन करने के लिये उनमें फूट डाल दी है। परन्तु यदि वह अनावश्यक रूप से उनमें उस समय फूट डालती है, जब कि उसका इरादा उन्हें स्व-शासन के पथ का पथिक बनाना होता है, उसे दम्भी तथा अदूरदर्शी के दोषारोप का सामना करना कठिन मालूम पड़ेगा। मांटफोर्ड रिपोर्ट।

माटेयू-चेम्सफोर्ड-प्रतिवेदन के प्रकाशन ने भारतीय जनमत को गहरा धक्का पहुँचाया। मुद्रकाल में भारतीय नेताओं ने जिन बड़ी बड़ी आशाओं को पाल रखा था, वे सब उड़ गईं। थोड़े से उदारवादियों और आंग्ल-भारतीयों को छोड़ कर शेष सभी ने उसकी एक स्वर से निन्दा की। मुस्लिम-लीग तक ने उसका विरोध किया और कांग्रेस-लीग-योजना का पुनः अनुमोदन किया। एनी बीसेट ने अपने पत्र "न्यू इण्डिया" में लिखा कि यह योजना देना इंग्लैण्ड के लिये अशोभन और भारतवर्ष के लिये इसका स्वीकार करना अपमानजनक था।"

सारांश

मार्ले-मिटो सुधारों के तुरन्त बाद ही जो युग प्रारम्भ हुआ, वह भारतीय राजनीति के उतार का समय था। उग्रवादियों को राजनीतिक क्षेत्र में लगभग बहिष्कृत सा ही कर दिया गया था, फलतः वह शान्ति का समय था। नए गवर्नर जनरल सार्ड हॉर्डिन्ज ने कांग्रेस के प्रति, जो कि मार्ले-मिटो सुधारों को क्रियान्वित करने की भरसक चेष्टा कर रही थी, मेल-जोल की नीति बरती। १९११ में सम्राट् जार्ज पंचम भारत आए। उनका खूब जोर-शोर से स्वागत किया गया। उन्होंने बग-भग को रद्द किया, इससे भारत में हर्ष की और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रशंसा की एक लहर दौड़ गई। परन्तु कांग्रेस सरकार की निरन्तर आलोचना करती रही और इस बात पर बल देती रही कि भारत को स्व-शासन प्राप्त होना चाहिए। कांग्रेस ने इस बात की माग की कि प्रतिनिधिक शासन की दिशा में कुछ ठोस कदम आगे बढ़ने चाहिए और प्रान्तीय परिषदों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे कार्यकारिणी शासन के कृत्यों पर नियन्त्रण स्थापित कर सकें।

१९१४ में तिलक जेल से छूट कर आ गए और एनी बीसेट ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। इसके बाद भारतीय राजनीतिक जीवन पुनः अगड़ाई लेकर उठ बैठा। इन दोनों नेताओं ने होमरूल आन्दोलन को खड़ा किया। यह आन्दोलन दावानल की तरह चारों ओर फैल गया। सरकार ने इस आन्दोलन को कुचल डालने के लिए दमन के हथकण्डों का प्रयोग किया और २० अगस्त १९१७ की घोषणा के पश्चात् यह आन्दोलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया।

मार्ले-मिटो-सुधारों के युग में हिन्दू और मुसलमानों के बीच भी सहयोग और सौहार्द की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना और अली बन्धुओं जैसे नए नेताओं ने मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी भावनाओं का सन्निवेश किया और १९१६ के कांग्रेस-लीग-समझौते का पथप्रशस्त किया।

प्रथम महायुद्ध के बीच भारत ने जर्मनी के खिलाफ इंग्लैंड की जान और माल दोनों से भरसक सहायता की। भारतवर्ष का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने की बांछा से ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इस प्रकार की घोषणाएं कर दी कि अब भारत की समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखा जायगा, अब इंग्लैंड और भारत के सम्बन्धों में एक नूतन अध्याय की शुरुति होगी। भारतीय राजनीतिक नेताओं ने नए शासन सम्बन्धी सुधारों के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए। २० अगस्त, १९१७ को मि. माटेय्यू ने अपनी ऐतिहासिक घोषणा की और इस बात का वचन दिया कि ब्रिटिश नीति का अन्तिम ध्येय भारत में क्रमशः उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। घोषणा के कुछ ही समय पश्चात् मि. माटेय्यू ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के लिए उन्होंने कहा कि वे भारत में एक नए युग का निर्माण करने वाली कुछ चीज करेंगे। परन्तु भारत सरकार के असहानुभूतिमय दृष्टिकोण के कारण मि. माटेय्यू को अपनी आशाओं में सफलता नहीं मिली। जब सुधारों की अन्तिम योजना तय्यार हुई, मि. माटेय्यू का सारा उत्साह शिथिल पड़ गया। माटेय्यू-प्रतिवेदन ने भारत को बहुत हानि पहुँचाई। उसने साम्प्रदायिक निर्वाचनों को न केवल मुसलमानों तक ही सीमित रक्खा, वरन् उन्हें सिक्खों के ऊपर भी लागू कर दिया।

अध्याय ८

भारतीय शासन-सम्बन्धी एक्ट. १९१६

४३. माटेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना के मूलमंत्र

भारतीय संवैधानिक सुधारों के ऊपर माटेग्यू-चेम्सफोर्ड-प्रतिवेदन ८ जुलाई, १९१६ को प्रकाशित हुआ था। इस प्रतिवेदन की सिफारिशों १९१९ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट में संसक्त कर ली गई। इस एक्ट को ब्रिटिश-संसद ने १८ दिसम्बर १९१६ को पारित किया और पांच दिन पश्चात् सभा ने उस पर अपनी स्वीकृति

प्रस्तावना

दे दी। एक्ट की प्रस्तावना में १९१७ की घोषणा के सारांश को दुहराया गया था। माटेग्यू प्रतिवेदन ने, जो कि नूतन संविधान-एक्ट का आधार बना, घोषणा में कही हुई नीति को कार्यान्वित करने के लिए चार मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित किया।

मूलभूत सिद्धान्त

वे सिद्धांत निम्नलिखित थे (१) "जहां तक हो सके स्थानिक संस्थाओं में जनता का पूर्ण अधिकार हो। उनका नियंत्रण उसी के द्वारा हो और बाह्य नियंत्रण से उनको अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो" (२) प्रान्तीय सरकारों को सत्ता का विदान और प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायित्व का सूत्रपात, (३) भारत सरकार की ब्रिटिश-संसद के प्रति अनवरत उत्तरदायिता परन्तु केन्द्रीय विधान-मण्डल का, जिन्हें कि शासन पर प्रभाव डालने का अधिक अवसर दिया जाय, विस्तार, (४) गृह सरकार के नियंत्रण का शिथिलीकरण। भारतवर्ष के संवैधानिक ढांचे में, नूतन एक्ट द्वारा जो परिवर्तन किए गए, उनके आधार ये ही मूलभूत सिद्धान्त थे। सबसे पहली बात तो यह है कि

मुख्य विशेषताएं:

(१) गृह-सरकार के

नियंत्रण का

शिथिलीकरण

सुधार-एक्ट का उद्देश्य भारतीय मामलों में गृह-सरकार के नियंत्रण को शिथिल करना था, परन्तु उसने भारत-मन्त्री के अधिकारों में किसी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया। इस सम्बन्ध में केवल यह पवित्र आशा व्यक्त की गई थी कि उचित अभिसमयों की वृद्धि के साथ ही साथ यह शिथिलीकरण अपने आप सम्पन्न हो जायगा।

दूसरी यह है कि केन्द्रीय-शासन में उत्तरदायिता के तत्व का पुरःस्थापना नहीं किया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल की पूर्ववत् केन्द्रीय व्यवस्थापिका को नियन्त्रण से पूर्णतः मुक्त रक्खा गया। नूतन केन्द्रीय व्यवस्थापिका में दो सदन थे, प्रत्येक सदन में निर्वाचित बहुमत दिया गया। इसके अलावा केन्द्रीय व्यवस्थापिका के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई जिससे कि वह कार्यपालिका को यदि नियन्त्रित नहीं तो प्रभावित अवश्य कर सके। इस प्रकार यह एकट दो विरोधी वस्तुओं का संयोग था। केन्द्रीय क्षेत्र में इस एकट ने स्वेच्छाचारी कार्यपालिका और किञ्चित् लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थापिका के बीच समन्वय से जो कठिनाइया उत्पन्न हो सकती थी, उन्हें दूर करने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिये गए। यदि वह "भारतवर्ष या उसके किसी भाग की सुरक्षा, शान्ति अथवा उसके हितों के लिये" किन्हीं कानूनों को आवश्यक समझता, तो वह उन्हें व्यवस्थापिका की सहमति के बिना भी अपने इन विशेषाधिकारों के जोर से, अधिनियमित कर सकता था। तीसरी बात यह है कि इस एकट ने केन्द्रीकरण की उस नीति को, जो लाई कर्जन के शासन-काल में अपनी उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई थी, समाप्त कर दिया। प्रशासन और राजस्व के कतिपय विषयों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया, अर्थात् उन्हें केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से हटा कर प्रान्तीय सरकारों के नियन्त्रण में दे दिया गया। विकेन्द्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करके भी अभिपूरित किया गया। एकट (४) प्रान्तों में आंशिक ने प्रान्तों में एकदम से ही उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं कर दी। उसने प्रान्तीय प्रशासन को दो भागों में बाटा। एक भाग में 'सरक्षित विषय सम्मिलित थे। इन विषयों को अटल-अचल कार्यकारिणी परिषदों के आधीन रक्खा गया जो केवल गवर्नर के ही प्रति उत्तरदायी थे और व्यवस्थापिका द्वारा नियन्त्रित नहीं किये जा सकते थे। दूसरे भाग में 'हस्तातरित' विषय सम्मिलित थे। इन विषयों को मंत्रियों की आधीनता में रक्खा गया। ये मन्त्री व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही चुने जाते थे और अपने कार्यों व नीति के लिये पूर्णतः सदन के प्रति उत्तरदायी थे। इस एकट के आधीन विधान-सभाओं को लोकतन्त्रात्मक बनाया गया। उनमें पर्याप्त विस्तार किया गया, निर्वाचित सदस्यों का सारभूत बहुमत रक्खा गया और उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। पाचवे, इस एकट ने प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात किया और मताधिकार

२ केन्द्रीय कार्यपालिका को अनुत्तरदायी रक्खा गया परन्तु केन्द्रीय व्यवस्थापिका को उसे प्रभावित करने के लिए अधिक अधिकार दे दिए गए

(३) विकेन्द्रीकरण

(४) प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायित्वः द्वैध-शासन

(क) निर्वाचन और
मताधिकार

को बढ़ा दिया। नए निर्वाचन-नियमों के अनुसार भारत-वर्ष की वयस्क जन संख्या के १०% भाग को मतदान का अधिकार दिया गया। यह स्मरणीय है कि इस एक्ट ने न केवल मॉर्ले-मिटो-सुघारो के अन्तर्गत एक मात्र मुसलमानों के लिये पुर-स्थापित पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन को कायम ही रखा, अपितु इस पद्धति को पंजाब में सिक्खों के लिए, तीन प्रांतों को छोड़ कर बाकी सब प्रान्तों में यूरोपीयों के लिये, दो प्रान्तों में आंग्ल-भारतीयों के लिये और एक प्रान्त में भारतीयों के लिए और एक प्रान्त में भारतीय ईसाइयों के लिए भी लागू कर दिया। इस प्रकार मोटफोर्ड-प्रतिवेदन के रचयिताओं द्वारा निन्दित दोष को उस संविधान में और भी अधिक बढ़ा चढ़ा कर सम्मिलित किया गया, जिसका कि निर्माण उनकी सिफारिशों के अनुसार ही किया गया था। छठी बात यह है कि १९१६ का एक्ट स्पष्ट एक प्रयोगकालीन व सक्रान्तिकालीन उपाय था। २० अगस्त १९१७ की घोषणा में जो वायदे किये गये थे, उनको कार्यान्वित करने का यह प्रथम प्रयास था। उस समय भारतवर्ष में जो नौकरशाही प्रशासन विद्यमान था, इस एक्ट ने उसमें थोड़ा सा सुधार करने की चेष्टा की यद्यपि वह सुधार आंशिक ही था। द्वैध-शासन इसका फल था। लॉर्ड मेस्टन के शब्दों में "स्वेच्छातत्र और लोकतत्र उस समय तक हाथ में हाथ मिला कर साथ साथ चलने के लिए बाध्य थे, जब तक कि लोकतत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने के विश्वास-योग्य न हो जाय।" मोटफोर्ड-सुघारो ने १० वर्ष बाद नई योजना के आधीन की गई उन्नति का अध्ययन करने के लिये और यह निश्चित करने के लिए कि पूर्ण उत्तरदायी शासन के लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं, एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति का विधान करके स्वतः ही अपनी प्रयोगकालीन व सक्रान्तिकालीन प्रकृति का परिचय दिया था।

गृह-सरकार

४४. गृह-सरकार का आशय

१९१६ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट का विस्तृत विश्लेषण करने के पूर्व उस एक्ट के आधीन स्थापित शासन की एक प्रमुख विशेषता की ओर इंगित कर देना बहुत आवश्यक है। यह प्रमुख विशेषता भारतीय थी, शासन का

दो भागों में विभाजन, जिनमें से कि एक भाग तो इंग्लैंड सरकार के दो
 में कार्य करता था और दूसरा भारत में । यह द्वैधवाद भाग
 भारतवर्ष में ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के अनिलेपन का अनिवार्य परिणाम था । भारत के पूर्ववर्ती विजेता (उदाहरणार्थ मुसलमान) यहां स्थायी रूप से बस गए, उन्होंने इसी देश को अपनी मानभूमि और पितृभूमि बनाया । वे किसी विदेशी सत्ता के दबाव में नहीं रहे । फलतः यहां उन्होंने जिस शासन प्रबन्ध की नींव डाली, वह किसी भी विदेशी सत्ता के आदेश या नियन्त्रण की आधीनता में नहीं था । अंग्रेज विजेताओं ने भारत वर्ष को अपना स्थायी घर बनाना स्वीकार नहीं किया । यद्यपि ब्रिटिश-साम्राज्यवाद ने यहां अपनी जड़े जमा ली थी, परन्तु फिर भी जो अंग्रेज उसकी सेवार्थ आते थे, वे केवल कुछ ही समय यहाँ ठहरते थे, वे भारत-वर्ष को अपना देश कदापि नहीं मानते थे, उनकी आँखें सदैव इंग्लैंड की ओर ही लगी रहती थी, और वे यहां जैसे ही अपना कार्य पूरा कर लेते, इंग्लैंड की राह पकड़ते थे । फल यह होता था कि साम्राज्य की सम्पूर्ण सत्ता का स्नायु-केन्द्र इंग्लैंड ही बना रहता था । भारतीय प्रशासन की सम्पूर्ण प्रणाली वहीं से नियन्त्रित होती थी । इंग्लैंड में स्थापित संस्थाओं का सामूहिक नाम गृह-सरकार था । इसके पांच मुख्य पग थे—सत्राट्ट, मन्त्रिमण्डल, ससद, भारत मन्त्री और उनकी कौंसिल । परन्तु चूंकि गृह-सरकार प्रशासन के वास्तविक दृश्य में बहुत दूर थी, अतः उसका नियन्त्रण और निरीक्षण अत्यन्त साधारण प्रकृति का था । भारतवर्ष के दिन प्रतिदिन के प्रशासन का कार्य स्वाभाविक रूप से केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के पदाधिकारियों के हाथों में रक्खा गया था । ब्रिटिश दूसरी भारत में क्रिया-सरकार का यह भाग भारत वर्ष में ही गृह-सर, शील, केन्द्रीय और कार के अभिकर्ता के रूप में कार्य प्रांतीय सरकारों करता था ।

एक-इंग्लैंड में
 क्रियाशील
 गृह-सरकार

४५. भारत मन्त्री

भारतमन्त्री के पद की सृष्टि १८५८ में हुई थी, जबकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी को समाप्त कर दिया गया था और भारत का शासन प्रबंध सीधा ब्रिटिश 'क्राउन' के हाथों में चला गया था । कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहले शासन सम्बन्धी जिन जिन अधिकारों का उनभोग करते थे, भारतमन्त्री

पद की प्रकृति ने उनको उत्तराधिकार में प्राप्त किया। वह राज्य का एक प्रमुख मंत्री व ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का सदस्य होता था। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वह लोक-सदन में बहुमत वाले दल का सदस्य होता था। वह अपने पद को उस समय सम्हालता था, जबकि दल अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता था। भारत मन्त्री अपने पद को दो ही परिस्थितियों में त्यागता था—या तो उस समय जबकि मन्त्रिमण्डल लोक-सदन का विश्वास खो दे या उस समय जबकि पाँच वर्ष अथवा उससे पूर्व अपने यथाक्रम जीवन के अन्त पर वह (मन्त्रिमण्डल) भग हो जाता। भारत मन्त्री का पद सयूक्त उत्तर-यित्व के सिद्धान्त के अनुकूल था। भारत मन्त्री पूर्णतः ब्रिटिश ससद का एक अभिकर्ता या सेवक था, वह अपनी नीतियों और कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश-ससद भारत मन्त्री के द्वारा ही भारत प्रशासन का नियन्त्रण व निरीक्षण करती थी।

ब्रिटिश-संसद के एक अभिकर्ता अथवा सेवक के रूप में भारत मन्त्री के पद का ऊपर जो वर्णन किया गया है, उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत मन्त्री का वेतन अपने स्वामी अर्थात् ब्रिटिश ससद से ही मिलना चाहिए। परन्तु १९१९ के भारतीय शासन-सम्बन्धी एक्ट के पारित होने के पूर्व ऐसा नहीं था। उस समय तक भारत मन्त्री एवं उसके विभाग के वेतन का भार ब्रिटिश-संसद वहन नहीं करती थी, अपितु वह भारत के ही मत्थे पड़ता था। यह बात नीति विरुद्ध भी थी और न्याय विरुद्ध भी। इस पद्धति के समर्थन में यह लचर दलील उपस्थित की जाती थी कि चूँकि यह व्यय भारतीय प्रशासन के निरीक्षण में लगाया जाता है, अतः इसका भार भारत के ही कंधों पर पड़ना चाहिए। यह विशुद्ध उपनिवेशवाद था और उक्त तर्क में इस तथ्य की पूर्ण उपेक्षा कर दी गई थी कि भारत का और भागतीय जनता का उस मन्त्री पर, जिसके लिए उसे प्रतिवर्ष लाखों रुपये की राशि व्यय करनी पड़ती थी, तनिक भी नियन्त्रण नहीं था। यह बात नियम विरुद्ध थी क्योंकि अधिराज्यो (Dominions) और उपनिवेशों के लिए जो मन्त्री नियुक्त होते थे उन सबको ब्रिटिश राजकोष से वेतन मिलता था। इस कटु भेदभाव का भारतीय लोकमत ने सदैव विरोध किया था। १९१९ के एक्ट ने इस असंगति को दूर कर दिया और निर्धारित किया कि “भारत मन्त्री का वेतन, उसके उपमन्त्रियों का वेतन और उसके विभाग के अन्य व्यय भारत वर्ष की आय में से चुकाने के बजाय संसद द्वारा प्रदत्त राशि में से चुकाए जा सकते हैं और भारतमन्त्री का वेतन इसी प्रकार चुकाया जायगा।” इस सब

में 'आयगा' और 'सकते हैं' शब्दों का प्रयोग अर्धपूर्ण था। जो व्यक्त्हार में हुआ, वह यह है कि जैसे ही एक क्रियारूप में परिणत हुआ भारत मन्त्री का वेतन तो ब्रिटिश-आय में से चुकाया जाने लगा परन्तु विभाग के खर्चों के लिए ब्रिटिश राजकोष ने १५०,००० पाँड वार्षिक का ही अनुदान निश्चित किया। परन्तु इतनी अल्पराशि से भारत मन्त्री के विभाग का सारा खर्चा नहीं चल सकता था, फलतः बाकी सारा अर्थ भारत के मन्त्रे पडता था। परन्तु फिर भी, वैधानिक दृष्टि से इस परिवर्तन का बहुत अधिक महत्व था। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भारत मन्त्री के ऊपर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कम से कम सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद को भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने का और भारत मन्त्री व उसके विभाग की नीतियों की देखरेख करने तथा उन्हें निर्देश देने का सदैव ही अधिकार प्राप्त था। परन्तु यह नियंत्रण उस समय, जबकि संसद को भारतमन्त्री के वेतन और उसके विभाग के लिए कुछ व्यय प्रदान करने की नौबत आई, प्रत्यक्ष और नियमित हो गया। वार्षिक बजट में इस प्रयोजन के लिए जो राशि स्वीकृत की जाती थी, उसके मतदान के अवसर पर, भारतीय मामलों ने स्वभावतः संसद के ध्यान को अपनी ओर अधिकाधिक आकृष्ट करना प्रारम्भ कर दिया।

परिवर्तन का
वैधानिक
महत्व

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भारत मन्त्री ब्रिटिश संसद का अभिकर्ता था। उसका कर्तव्य यह था कि वह भारत के शासन और राजस्व से सम्बन्धित समस्त क्रिया कलापों का निरीक्षण व नियन्त्रण करे। १११९ के भारतीय शासन सम्बन्धी एकट ने उल्लिखित रूप से इसको उपबन्धित किया। इस एकट ने भारतवर्ष के गवर्नर जनरल के लिये और उसके माध्यम से प्रान्तीय गवर्नरों के लिये यह आवश्यक कर दिया कि वे सभी महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में भारत मन्त्री को निरन्तर सूचना देते रहें व उसके आदेशों का उचित रूप से पालन करें। भारत वर्ष में सम्राट जितनी भी नियुक्तियाँ करते थे, वे सब भारत-मन्त्री के परामर्श के अनुसार करते थे। भारत-मन्त्री को यह अधिकार प्राप्त था कि वह जिसको चाहे, अपने पद से च्युन कर दे। उसकी स्वीकृति के बिना विनिश्चित महत्तम से ऊँचे वेतन वाले किसी भी पद का न तो निर्माण ही और न उन्मूलन ही किया जा सकता था। अखिल भारतीय सेवाओं की भरती और उनके नियन्त्रण का दायित्व भी उसी के कंधों पर था। व्यवस्थापिका क्षेत्र में भी अन्तिम सत्ता का वही उपभोग करता था। भारतीय व्यवस्थापिका अथवा प्रान्तीय विधान सभाओं में कोई

भारत-मन्त्री
के
अधिकार

भी महत्वपूर्ण कानून उसकी अनुमति के बिना पुरः स्थापित नहीं किया जा सकता था। यही बात वित्तीय विषयों के ऊपर भी लागू होती थी। व्यय या कर के कोई भी नए मह् भारतीय बजट या प्रान्तीय बजटों में उसका सहमति के बिना पुरःस्थापित नहीं किये जा सकते थे। वस्तुतः भारत मन्त्री का वित्तीय नियंत्रण इतना अधिक व्यापक था कि बहुधा यह कहा जाता था कि उसकी स्वीकृति के बिना भारतवर्ष में एक आना तक भी खर्च नहीं किया जा सकता था।

कानूनी दृष्टि से १९१९ के एक्ट ने भारत-मन्त्री को भारत के शासन व राज-स्व विषयक मामलों में पूरा स्वामी बना दिया था। तथापि, प्रान्तों में उत्तरदायी शासन के आंशिक सूत्रपात व भारतीय (केन्द्रीय) व्यवस्थापिका के अधिकारों के विस्तार को दृष्टि में रखते हुये यह आवश्यक समझा गया कि भारत मन्त्री की मना को कुछ शिथिल कर दिया जाय। हस्तांतरित विषयों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया कि जहाँ तक सम्भव हो भारत मन्त्री किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। सरक्षित और केन्द्रीय विषयों के सम्बन्ध में भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि भारत-सरकार और भारतीय-व्यवस्थापक सभाएँ किसी विशुद्ध भारतीय विषय में एक मत हो तो भारत-मन्त्री उनको अपनी इच्छानुसार काम करने दे और कुछ आवश्यक अवसरों को छोड़ कर उनके कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त-प्रवर-समिति ने 'वित्तीय-स्वायत्तता-अभिसमय को अंगीकृत करने की सिफारिश उपस्थित की। यह सुझाव दिया गया कि आयात-निर्यात-करों के बारे में भारत की व्यवस्थापिका व सरकार, समझौते के द्वारा, उन करों को लागू करने के लिए, जिन्हें वे ब्रिटिश सौदागरों के हितों की अपेक्षा न रखते हुए, भारतीय सौदागरों व उपभोक्ताओं के हितों में आवश्यक समझती हो, स्वतन्त्र होनी चाहिए। इस अभिसमय की 'सिफारिश इस सन्देह को कि "भारतवर्ष की वित्तीय नीति, इंग्लैंड के वाणिज्य के हित में, व्हाइट हाल से बलात् प्रसारित की जानी है," दूर करने के दृष्टिकोण से उपस्थित की गई थी।*

* युंजर्न- वि इंडियन कंस्टीट्यूशन, भाग २, पृ ५२३

यह देखना बहुत सुगम है कि ब्रिटिश सदन के प्रति प्रत्यक्षतः उत्तरदायी भारतीय सरकार (अर्थात् गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद) और भारतीय लोकमत का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय व्यवस्थापिका सभा, उन विषयों के सम्बन्ध में जो

भारत-मन्त्री के अधिकारों के उक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि कानूनी दृष्टि से, वह भारतीय प्रशासन के प्रमुख, गवर्नर जनरल का अधिपति होता था। गवर्नर जनरल के लिए यह आवश्यक था कि वह भारत-मन्त्री के आदेशों का उचित रूप से पालन करे। परन्तु उन दोनों के सम्बन्ध बहुत कम कानून के अक्षरशः अनुरूप होते थे। गवर्नर जनरल भारत में ही उपस्थित रहता था, यहाँ कानून और व्यवस्था के सधारण का उत्तरदायित्व पूर्णतः उसके ही कंधों पर था, अतः यह संभव नहीं था कि वह भारतवर्ष से सात समुद्र की दूरी पर विराजमान भारत-मन्त्री के ही आदेशानुसार निरन्तर चलता। आवश्यकता से बाध्य होने पर बहुत से कार्य उसे स्वयं ही सोच विचार कर करने पड़ते थे। भारत मन्त्री ने भी उसे ऐसे कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दे रखी थी। भारत मन्त्री ऐसा करने के लिये साधारण था। वह भारत वर्ष से समुद्रपार सहस्रों मीलो के फासले पर अवस्थित रह कर यहाँ के शासन का पूर्णतः नियंत्रण करने में असमर्थ था। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ वैयक्तिक तन्व पर भी निर्भर रहता था। यदि भारत मन्त्री, कोई दृढ स्वभाव का पुरुष होता, उसके पास कोई निश्चित नीति होती जिसे कि वह कार्यान्वित करना चाहता, तो वह गवर्नर जनरल को अर्हते अभिकर्ता के रूप में प्रयुक्त कर सकता था। इसके विपरीत यदि भारत मन्त्री नरम स्वभाव का व गवर्नर जनरल प्रभविष्यु होता तो भारत मन्त्री गवर्नर जनरल के कार्यों में विशेष हस्तक्षेप न करता था, उसे मन चाही नीति बर्तन देता था और उसके दस निर्णयों में से नौ में हामी भर देता था। इस प्रकार यदि भारत-मन्त्री के प्रति गवर्नर जनरल की आधीनता के तथ्य का विरोध नहीं किया जा सकता, तो इतना तो अवश्य कहा ही जा सकता है कि, "वे एक ही ऊँचे प्लेटफार्म पर खड़े होने वाले साथी व सहयोगी थे, परन्तु उनके घरातलों में थोड़ा सा अन्तर था।"†

भारत मन्त्री का
गवर्नर जनरल
के साथ
सम्बन्ध

४६. इंडिया कौंसिल

इंडिया कौंसिल की सृष्टि १८५८ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मज्ज होने के पश्चात् की गई थी। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं भारत-मन्त्री उन सब शक्तियों

† पलन्दे: इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पृष्ठ ५६।

भारतीय वाणिज्य के अनुकूल और ब्रिटिश वाणिज्य के प्रतिकूल पड़ते थे, पूर्णतः एकमत नहीं हो पाती थी। अतः यह पवित्र सिफारिश, जितनी देखने में मालूम पड़ती थी, उससे न्यूनतर युग-विधायिनी थी।

**इसकी सृष्टि कब
और क्यों
की गई**

का उच्च अधिकारी बन गया जिनका कि पहले बोर्ड ऑफ फंड्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रयोग करते थे। ससद के सर्वोच्च व अंतिम नियन्त्रण के अधीन भारतीय प्रशासन के निरीक्षण व संचालन का कार्य उसके सुपुर्द किया गया। यह आवश्यक था क्योंकि भारतीय सरकार एक विदेशी नौकरशाही थी जिसके ऊपर भारतीय जनता का अणुमात्र भी नियन्त्रण नहीं था। इन परिस्थितियों के अन्दर भारत-मन्त्री का निरीक्षण व नियन्त्रण ही इस नौकरशाही को निरंकुश स्वेच्छाचारी बनने से रोक सकता था। परन्तु, यह स्पष्ट था कि भारत-मन्त्री के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति भी सर्वथा सम्भाव्य थी जिसे कि भारत के बारे में बहुत कम ज्ञान हो या बिल्कुल ही ज्ञान न हो। यदि उसे अपने महान् अधिकारों का ठीक-ठीक प्रयोग करना था तो यह आवश्यक था कि उसे कुछ ऐसे व्यक्तियों की सहायता मिला करे, जिन्हें कि भारत की दशा के बारे में उच्चकोटि का ज्ञान हो, जो भारतवर्ष में काफी समय तक रह चुके हो, काम कर चुके हो। ये 'विशेषज्ञ' भारत-मन्त्री का मार्ग-दर्शन कर सकते थे, उसे परामर्श दे सकते थे ताकि वह अपने कर्तव्यों का उचित रूप में पालन कर सके। इस प्रकार इंडिया कौंसिल का उद्भव हुआ।

१८५८ के एक्ट के उपबन्धों के अधीन इंडिया कौंसिल में १५ सदस्य होते थे जिनमें से कि कम से कम ९ ने भारतवर्ष में १० वर्ष तक काम या निवास किया हो और अपनी नियुक्ति की तिथि के १० वर्षों से अधिक के पूर्व भारत को न छोड़ा हो। वे श्रेष्ठ/आचरण पर्यन्त अपने पद पर नियुक्त रहते थे और १२०० पौण्ड प्रतिवर्ष वेतन पाते थे। कौंसिल का कार्य यह था कि वह भारतीय सरकार के साथ जो पत्र-व्यवहार हो, व इंग्लैण्ड में भारतीय सरकार से सम्बन्धित जो कुछ भी कार्य-व्यापार हो, उस सबका भारत-मन्त्री के आदेशों के अनुसार प्रबन्ध करे। कौंसिल की सप्ताह में एक बार बैठक होती थी और भारत-मन्त्री उसका अध्यक्ष होता था। कुछ उल्लिखित विषयों को छोड़ कर भारत-मन्त्री कौंसिल के बहुमत के निर्णय का उल्लेखन कर सकता था। हाँ, उसे उन कारणों की व्याख्या अवश्य करनी पड़ती थी, जिनके फलस्वरूप कि उसने ऐसा किया। इसके अलावा, भारत मन्त्री गोपनीय व आवश्यक प्रपत्रों को, जो कि भारत सरकार से संबंधित हो, बिना कौंसिल के समझ उपस्थित किये ही भेज या प्राप्त कर सकता था।

१८८९ में इंडिया कौंसिल के सदस्यों की संख्या को १५ से कम कर १० कर

देने का निश्चय किया गया। १९०७ में इसमें पुनः परिवर्तन किया गया। अब की बार यह निर्धारित किया गया कि कौंसिल के सदस्यों की संख्या १५ से अधिक नहीं और १० से कम नहीं होनी चाहिये। नये एक्ट ने प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल ७ वर्षे निश्चित किया व वार्षिक वेतन १२०० पौ से घटाकर १००० पौ कर दिया। उसी वर्ष, सर्वप्रथम बार, दो भारतीयों को इंडिया कौंसिल में नियुक्त किया गया।

१९१९ के एक्ट के अधीन इण्डिया कौंसिल के सविधान में और भी परिवर्तन किये गये। (१) अबसे उसके सदस्योंकी संख्या ८ से कम नहीं और १२ से अधिक नहीं रखी गई। इन सदस्यों में कम से कम आधे ऐसे होते थे,

जिन्होंने कम से कम १० वर्ष तक भारतवर्ष में कार्य या निवास किया हो और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के ५ वर्ष पूर्व न छोड़ा हो। (२) इस पद का कार्य-काल ७ वर्ष से घटा कर ५ वर्ष का कर दिया गया। (३) प्रत्येक सदस्य की वार्षिक आय पुन बढा कर १२०० पौ

मॉंटफोर्ड सुधारों के पश्चात् इण्डिया कौंसिल में परिवर्तन

कर दी गई। प्रत्येक भारतीय सदस्य को ६०० पौ का अपर भत्ता मिलता था। (४) भारतीय सदस्यों की संख्या बढा कर ३ कर दी गई। सन् १९१९ के एक्ट के अनुसार भारतीय हाई कमिश्नर का एक नया पद बनाया गया। हाई कमिश्नर, इंग्लैण्ड में भारत सरकार के एजेंट की हैसियत से कार्य करता था। भारतीय हाई कमिश्नर स-परिषद गवर्नर जनरल के अधीन था। (५) कौंसिल की बैठकें अब सप्ताह में एक बार नहीं, अपितु महीने में एक बार होने लगी। (६) बैठकों के लिये जो कानून-सम्मत कोरम था, उसे हटा दिया गया और उसके स्थान पर भारत-मन्त्री को इच्छा-नुसार कोरम विहित करने का अधिकार दे दिया गया। (७) उसे कार्य-व्यापार के संचालन के लिये भी नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया। (८) (क) भारतीय आमदनी के अनुदान या व्यय और (ख) अखिल भारतीय सेवाओं के लिये कानून बनाने से सम्बन्धित विषयों का निर्णय करने के लिये इण्डिया कौंसिल की बैठकमें मतदाताओं के बहुमत का समागम आवश्यक था। इन विषयों को छोड़ कर बाकी सब में कौंसिल के ऊपर भारत-मन्त्री का पूर्ण प्रभुत्व था। कौंसिल किसी भी आशय में एक विधायक निकाय न थी। वह भारत-मन्त्री के ऊपर अधिक नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती थी। वस्तुतः वह केवल एक परामर्शदात्री समिति मात्र ही थी। ऊपर उल्लिखित विषयों को छोड़ कर और किसी भी कार्य में कौंसिल की सलाह लेना न लेना भारतमन्त्री की इच्छा पर निर्भर था। अगर वह कौंसिल की सलाह लेता भी, तो उसे मानना न मानना भी उसके ही

कौंसिल केवल एक परामर्शदात्री समिति ही थी

इच्छा पर निर्भर था।

मानना भी उसके ही

अधिकार की बात थी ।

भारतीय लोकमत ने इण्डिया कौंसिल के अस्तित्व का सदैव ही विरोध किया था । कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही उसके उन्मूलन की माग उपस्थित की थी और उसे बारम्बार दुहराया था । भारतीय राष्ट्रवादी इण्डिया कौंसिल को एक बिल्कुल निकम्मी चीज मानते थे । उनकी दृष्टि में वह प्रतिक्रिया की सबसे बड़ी गठ और भारत की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा थी । भारतीय नौकर-शाही को एक ऐसी संस्था के अधीन कर देना, जिसमें कि सेवा-निवृत्त भारतीय नौकरशाही का प्रभुत्व हो, रोग का बर्द्धन था । यह शिकायत की जाती थी कि यदि सयोगवश भारतमन्त्री प्रगतिशील विचारों का होता, तो यह कौंसिल उसके मार्ग में कटक का कार्य करती थी । इसके अलावा भारतीय स्व-शासन के लिये आतुर थे, परन्तु इस कौंसिल का अस्तित्व उनकी स्व-शासन सम्बन्धी भावनाओं के प्रतिकूल पड़ता था । वह इस तथ्य की जीती जागती प्रतीक थी कि भारतवर्ष अभी स्वतंत्र नहीं, एक आश्रित, परतंत्र देश है । सर तेजबहादुर सप्रू ने इण्डिया कौंसिल के ऊपर यह जो दोषारोप किया था कि वह भारत के लिये एक कलक के तुल्य है, ठीक ही था । इण्डिया कौंसिल उनके इस कथन की यथार्थता प्रमाणित करती थी कि सभी महत्वपूर्ण विषयों में भारतवर्ष के लिये नीति का निर्माण शिमला या दिल्ली में नहीं, अपितु व्हाइट हॉल में होता था ।

४७. भारत का हार्ड कमिश्नर

भारत के हार्ड कमिश्नर के पद की सृष्टि १९१६ के एक्ट के अधीन एक बहुत बड़ी असंगति को दूर करने के दृष्टिकोण से की गई थी । इसके पूर्व हथियार, सशस्त्र फौजों के कपड़े, टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोटरकार यहां तक कि टाइपराइटर और मुद्रण-यंत्र व देश के सैनिक तथा नागरिक प्रशासन के लिए आवश्यक अन्यान्य हजारों चीजें भारत मंत्री भारत-सरकार के अभिकर्ता की हैसियत से खरीदता था । यदि सरकार प्रबुद्ध होती, तो वह इस व्यय का प्रयोग भारतवर्ष के उद्योगों को प्रोत्साहन देने में कर सकती थी । परन्तु ब्रिटिश साम्राज्यवादी भारतवर्ष के हितों की ओर क्यों ध्यान देने लगे ? उन्हें तो अपने काम से काम था, भारत को चाहे लाभ पहुँचे चाहे हानि, इसकी उन्हें कोई चिन्ता न थी । फलतः करोड़ों रूपयों का उक्त सामान वे इंग्लैण्ड तथा दूसरे देशों से खरीदते थे । यह कार्य राष्ट्र-विरोधी तो था ही था, इसमें एक बहुत बड़ी असंगति भी थी । वह भारतमंत्री को भारत सरकार

का राजनीतिक प्रभु और व्यावसायिक अभिकर्ता दोनों ही बना देता था। फल यह होता था कि भारत सरकार का भारत-मंत्री के अभिकरण कार्य के ऊपर बिल्कुल नियंत्रण नहीं था।

भारत के हाई कमिश्नर के नूतन पद की सृष्टि के पश्चात् अभिकरण कृत्य भारत-मंत्री के हाथों से लेकर हाई कमिश्नर के हाथों में दे दिये गये। गवर्नर जनरल सपरिषद हाई कमिश्नर की नियुक्ति करता था और उसका वेतन भारतीय कोष में से चुकाया जाता था। इस प्रकार वह भारत सरकार का सेवक था और भारत सरकार पूरे तरीके से उसके कार्य का निरीक्षण व नियंत्रण कर सकती थी। वह और उसका कार्यालय लंदन में रहता था। साधारणतः वह पाच वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता था। सैद्धान्तिक दृष्टि से तो इस परिवर्तन का बड़ा महत्व था, परन्तु व्यवहारतः स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। हाई कमिश्नर पूर्णरूप से भारत-सरकार के अधीन था। परन्तु सरकार की बेढगी रफ्तार जो पहले थी, वही कायम रही। भारत के हितों की अब भी निरन्तर उपेक्षा की जाती थी।

हाई कमिश्नर की
नियुक्ति और
स्थिति

ठेके देना, स्टोर-विभाग की देखभाल करना, भारतीय ट्रेड कमिश्नर के कामों का निरीक्षण करना, भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना आदि भारतीय हाई-कमिश्नर के मुख्य कर्तव्य थे। भारत सरकार को जिस जिस सामान की इच्छा होती, उसे वह भारत सरकार के अभिकर्ता के रूप में विदेशों से खरीदता था।

हाई कमिश्नर
के कर्तव्य

भारत-सरकार

४८. केन्द्र में कोई उत्तरदायित्व नहीं

यद्यपि १९१६ के भारतीय शासन-सम्बन्धी एक्ट ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका का तो नये सिरे से सगठन किया, परन्तु केन्द्रीय शासन की प्रकृति को लगभग पूर्ववत् ही रहने दिया। मोटफोर्ड प्रतिवेदन का तृतीय सूत्र, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार की रचना की गई, निम्नलिखित था, "भारत-सरकार पूर्णतया ब्रिटिश ससद के सम्मुख उत्तरदायी रहेगी और इस प्रकार के उत्तरदायित्व के प्रतिरिक्त मुख्य मुख्य बातों में इसका प्रभुत्व तथा अधिकार तब तक अलंघ्य रहेगा जब तक कि प्रान्तों में किये हुये परिवर्तनों का क्या प्रभाव होता है, यह न मालूम हो। इस

केन्द्रीय शासन भारतीय
जनता के प्रति नहीं
वरन् ब्रिटिश-
संसद के ही प्रति
उत्तरदायी
बना रहा

बीच भारतीय व्यवस्थापिका परिषद को परिबद्धित किया जायेगा और इसमें जनता के अधिक से अधिक प्रतिनिधि लाने का यत्न किया जायेगा, तथा शासन प्रबन्ध पर प्रभाव डालने का इसको अधिक अवसर दिया जायेगा।” इस प्रकार नूतन एक्ट ने जिस केन्द्रीय व्यवस्थापिका की सृष्टि की, वह मॉर्ले मिटो सुधारों के अधीन वर्तमान व्यवस्थापिका से अधिक लोकतात्मक थी। परन्तु इस “परिवर्द्धित और अधिक प्रतिनिधिक” व्यवस्थापिका को कार्यकारिणी अर्थात् स-परिषद गवर्नर जनरल पर नियन्त्रण स्थापित करने का अधिकार नहीं दिया गया। केन्द्रीय कार्यकारिणी अब भी ब्रिटिश ससद के ही प्रति उत्तरदायी बनी रही। वह किसी भी प्रकार भारतीय जनता, व्यवस्थापिका में उसके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थी।

४६. गवर्नर जनरल

१९१९ के एक्ट ने भारतवर्ष की कार्यकारिणी शक्ति स-परिषद् गवर्नर जनरल में न्यस्त कर दी। भारतवर्ष के गवर्नर जनरल के पद की सृष्टि १७७३ के रेगुलेंटिंग एक्ट के अधीन की गई थी। इसके पूर्व, बंगाल, बम्बई पद का और मद्रास की तीनों प्रेसीडेन्सिया एक दूसरे से पृथक् इतिहास थी, उनका एक एक गवर्नर होता था। भारत में अंग्रेजों के अधीन जो प्रदेश था, उनका नियन्त्रण व शासन-प्रबन्ध करने के लिए कोई एक केन्द्रीय सत्ता नहीं थी। परन्तु इस प्रकार कब तक काम चल सकता था? एक केन्द्रीय सत्ता की स्पष्ट और तुरन्त आवश्यकता थी। १७७३ के एक्ट ने इस आवश्यकता की पूर्ति की। इस एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे तीनों प्रेसीडेन्सियों के शासन प्रबन्ध का निरीक्षण व नियन्त्रण करने का अधिकार प्राप्त हो गया। एकीकरण की इस प्रक्रिया ने बहुत धीरे धीरे सफलता प्राप्त की क्योंकि जो प्रेसीडेन्सिया पहले स्वतंत्र थी, उन्हें केन्द्रीय सत्ता के नियन्त्रण का अभ्यस्त होने में कुछ समय लगा। १७८४ के एक्ट ने युद्ध, शान्ति और प्रशासन के मामलों में तीनों प्रेसीडेन्सियों के ऊपर बंगाल के गवर्नर जनरल की सर्वोच्च सत्ता व नियन्त्रण का और भी अधिक बलपूर्वक प्रतिपादन किया। १८३३ के एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के अनुसार स-परिषद् गवर्नर जनरल को कंपनी के ससस्त भारतीय प्रदेशों के लिए नियम बनाने का, आदेश देने का और उनका नियन्त्रण व संचालन करने का अधिकार मिल गया। परन्तु बंगाल के शासन-प्रबन्ध का सीधा उत्तरदायित्व अब भी उसके ही सिर रहा। १८५४ के एक्ट द्वारा उसे इस भार से छुटकारा मिला। इस एक्ट ने बंगाल के लिये एक उप गवर्नर-जनरल की नियुक्ति कर दी। गदर के पश्चात् ईस्ट इंडिया कम्पनी समाप्त कर दी

गई और भारत का शासन-प्रबन्ध ब्रिटिश 'क्राउन' के हाथों में चला गया। इसके कारण भारतीय गवर्नर जनरल की स्थिति में भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। अब वह वायसराय हो गया तथा भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से काम करने लगा।

१८५८ के एक्ट के पश्चात् अन्य जितने भी एक्ट अधिनियमित हुये, उनमें से किसी ने भी गवर्नर जनरल की सत्ता व स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया यहाँ तक कि मोटफोर्ड सुधारों ने भी प्रातो में आंशिक उत्तरदायित्व की पुर स्थापना के अलावा गवर्नर जनरल की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं किया। भारत के गवर्नर जनरल का पद महान् उत्तरदायित्व और गौरव से परिपूर्ण था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति सम्राट ब्रिटिश प्रधान मंत्री की सलाह पर किया करते थे, इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री भारतमंत्री से पारामर्श ले लिया करते थे। माधारणतः उसका कार्यकाल पाच वर्ष का होता था। गवर्नर जनरल को २५६,००० रु वार्षिक वेतन व रहने के लिये बिना किराये का शानदार भवन मिलता था। इसके अलावा उसे १७२,७०० रु वार्षिक से अधिक के विभिन्न भत्ते प्राप्त होते थे। कानून-निर्माण, वित्त व प्रशासन के क्षेत्र में उसके अधिकार बहुत बड़े चढ़े थे। भारत के शासन-प्रबन्ध की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। देश के सैनिक व नागरिक शासन का संचालन, निरीक्षण व नियंत्रण करने का उसे पूरा अधिकार प्राप्त था। बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को छोड़ कर बाकी सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ वही करता था। भारतमंत्री द्वारा नियुक्तियाँ की जाने की स्थितिमें भी गवर्नर जनरलका परामर्श लिया जाता था और साधारणतः उसकी सिफारिशें स्वीकार की जाती थीं।

मोटफोर्ड सुधारों के अन्तर्गत गवर्नर-जनरल

नियुक्ति, पदावधि और वेतन

गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी

गवर्नर जनरल की विधायिनी शक्तियाँ विपुल थी। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिवेशनों को आहूत करना, उनका भंग करना और उनका कार्यकाल बढ़ाना या घटाना उसके हाथों में था। व्यवस्थापिका सभाओं के निर्वाचन दिवस और स्थान को भी वही निश्चित कर सकता था, उसे व्यवस्थापक सभाओं में भाषण देने का अधिकार था। वह चाहता तो दोनों में अलग अलग भाषण दे सकता था और चाहता तो दोनों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण दे सकता था।

कोई रोक टोक न थी। अनेक ऐसे विषय (सार्वजनिक ऋण, भारत की आय, सेना-वैदेशिक मामले, प्रान्तीय विषयो आदि से सम्बन्धित) थे जिनके बारे में गवर्नर जनरल की पूर्ण अनुमति के बिना व्यवस्थापिका सभाओं में कोई प्रस्ताव पेश न किया जा सकता था। यदि वह किसी विधेयक या उसकी किसी धारा को देश की शान्ति व सुरक्षा के लिये बाधक समझता, तो उन पर विचार करना रोक सकता था। व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक के ऊपर उसकी स्वीकृति आवश्यक होती, उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी कानून संविधि-पुस्तक में दर्ज नहीं किया जा सकता था। यदि व्यवस्थापिका किसी विधेयक को अस्वीकार कर देती, परन्तु गवर्नर जनरल उसे ब्रिटिश भारत की शान्ति व सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समझता तो वह अपने हस्ताक्षर द्वारा ही उस विधेयक को कानून का रूप दे सकता था। वायसराय (या गवर्नर जनरल) की इस शक्ति को प्रमाणीकरण की शक्ति कहते थे। इस प्रकार गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका के निर्णयों के ऊपर निरकुश 'वीटो' (निषेधाधिकार) प्राप्त था। गवर्नर जनरल अध्यादेशों को जारी करके कानून-निर्माण के अपने प्रत्यक्ष-अधि-कारों का प्रयोग कर सकता था। अध्यादेश एक विशेष प्रकार का कानून होता था जिसे कि आपातों में ६ मास के लिए पारित किया जाता था। जब वह क्रियाशील

गवर्नर जनरल की वित्तीय शक्तियां

होता तो उसका वही जोर होता था जो कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी कानून का। गवर्नर जनरल की वित्तीय शक्तियां भी बहुत व्यापक व प्रभावशाली थीं। बजट राज्य-परिषद और व्यवस्थापिका सभा में एक ही समय गवर्नर जनरल की अनुमति से उपस्थित किया जाता था। दोनों सदनोंको बजट पर वाद-विवाद करने का अधिकार था परन्तु उसकी मदों पर विधान-सभा (निम्न सदन) में ही मत लिये जाते थे। बजट की मदें दो प्रकार की होती थीं। पहली वे जिन पर व्यवस्थापिका सभा का कोई अधिकार न था और दूसरी वे जिनका निर्णय वह मतो द्वारा करती थी। खर्चों की निम्नलिखित मदों पर सदन को वोट देने का अधिकार न था-भारतीय ऋण का सूद, ऐसा खर्च जिसकी रकम कानून से निर्धारित की गई हो, उन लोगों की पेंशनें या तनख्वाहे जो सम्राट द्वारा अथवा सम्राट् की अनुमति से भारत मन्त्री द्वारा नियुक्त किए गये हों; चीफ कमिश्नरो अथवा जुडीशियल कमिश्नरो का वेतन; वे खर्च जिसे स-परिषद गवर्नर जनरल ने धार्मिक, राजनीतिक अथवा सेना सम्बन्धी ठहराया हो। गवर्नर जनरल की पूर्ण अनुमति के बिना व्यवस्थापिका के सदस्य इन मदों पर वाद-विवाद तक भी न कर सकते थे। यह स्मर्तव्य है कि ८०% बजट पर मतदान न हो सकता था। इसका अभिप्राय यह हुआ कि गवर्नर जनरल बजट के इतने भाग को व्यवस्थापिका के अनुमोदन के बिना भी मन चाहे ढंग से खर्च कर सकता था। गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वह व्यवस्थापिका सभा द्वारा

अस्वीकृत मांगों को अपनी प्रत्यानयन की शक्ति द्वारा स्वयं मंजूर करके, व्यवस्थापिका सभा का निश्चय रद्द कर दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल करीब-करीब पूरे तरीके से भारत के राजकोष का स्वामी था।

ऊपर गवर्नर जनरल की जिन व्यापक शक्तियों का उल्लेख किया गया है, उनका प्रयोग करने में, उसकी कार्यकारिणी परिषद उसे सलाह व सहायता देती थी। तथापि परिषद केवल एक परामर्शदात्री समिति मात्र ही थी।

अधिकतर परिषद गवर्नर जनरल के इशारे पर नाचा गवर्नर जनरल की करती थी। यदि वह कभी गवर्नर जनरल के विरुद्ध कार्यकारिणी परिषद भी जाती, तो गवर्नर जनरल उसके निर्णय को ठुकरा सकता था।

भारतीय गवर्नर जनरल एक अनूठा नीकरशाह था। उसके साधारण और असाधारण-दोनों तरह के व्यापक अधिकारों ने उसे सामर्थ्यवान सत्ताधारी पुरुष बना दिया था। भारतवर्ष के शासन-प्रबन्धन में उसे जो अधिकार प्राप्त थे, वे उन अधिकारों से बहुत बड़े चड़े गवर्नर जनरल एक थे जिनका कि उपभोग अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैण्ड वैधानिक शासक के प्रधान मन्त्री अपने अपने देशों में करते थे। वह भारत नहीं, अपितु स्वेच्छाचारी शासक था। मैं एक वैधानिक शासक की तरह नहीं, अपितु स्वेच्छाचारी शासक की तरह शासन करता था। यह सही है कि ब्रिटिश ससद भारत मन्त्री के द्वारा उम पर अपना नियंत्रण रखती थी परन्तु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, इस नियंत्रण के बावजूद भी गवर्नर जनरल को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त थी। चू कि वह सम्राट का प्रतिनिधि था, इसलिये उसका राजकीय गौरव व दबदबा बहुत बड़ा चड़ा था; जैसे दूसरे राज्यों के प्रमुखों को क्षमा और प्रविलम्बन करने का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसे ही भारत के गवर्नर जनरल को भी यह अधिकार प्राप्त था। अपने कार्यों के सम्बन्ध में वह पूर्ण कानूनी विमुक्ति का उपभोग करता था। कार्यकारिणी जो कि उसे सलाह व सहायता देने के लिये थी, उसके हाथों में खिलौना मात्र थी। वह उसके निर्णयों को स्वतन्त्रता पूर्वक ठुकरा सकता था। व्यवस्थापिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत था, लेकिन गवर्नर जनरल उसकी इच्छा को भी रद्द कर सकता था। सच तो यह है कि किसी भी उत्तरदायी यहाँ तक कि अनुत्तरदायी कार्यकारिणी को भी इतने प्रचुर अधिकार प्राप्त नहीं थे जितने कि भारत के गवर्नर जनरल को प्राप्त थे। यह कहा जाया करता था: "इंग्लैण्ड का सम्राट् राज्य करता है, परन्तु शासन नहीं करता, अमेरिका का राष्ट्रपति शासन करता

है, परन्तु राज्य नहीं करता, फ्रांस का राष्ट्रपति न राज्य करता है न शासन करता है परन्तु भारत का गवर्नर जनरल राज्य और शासन दोनों करता है।”

५०. गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी-परिषद

बंगाल, बम्बई और मद्रास की तीन प्रेसीडेंसियों को एक केन्द्रीय सत्ता के अधीन करने के लिये जब गवर्नर जनरल के पद की सृष्टि की गई, उसी समय गवर्नर जनरल को सहायता व परामर्श देने के दृष्टिकोण से १७७३ के रेगुलेंटिंग एक्ट के अन्तर्गत एक कार्यकारिणी-परिषद का भी निर्माण किया गया। कार्यकारिणी-परिषद के सविधान व स्थिति में निरन्तर परिवर्तन होता रहा। १७८६ के पश्चात् से गवर्नर जनरल को परिषद के बहुमत का प्रत्यादेश करने का अधिकार प्राप्त

१९१९ के एक्ट
के अधीन किए
गए
परिवर्तन

हो गया था, यदि वह इस अधिकार का प्रयोग करना भारत वर्ष की शांति, सुव्यवस्था व सुशासन के लिये आवश्यक समझता। १९१९ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट ने कार्यकारिणी-परिषद की रचना में कतिपय परिवर्तन उपस्थित किए। उसके सदस्यों की संख्या के ऊपर जो अनुविहित मर्यादा थी, उसे हटा दिया गया। परन्तु यह निर्दिष्ट किया गया कि कौंसिल के कम से कम तीन सदस्य ऐसे होंगे चाहिए, जो दस वर्ष तक भारतवर्ष में सरकारी नौकरी कर चुके हों और कम से कम एक सदस्य ऐसा अवश्य होना चाहिए जो इंग्लैंड या स्कॉटलैंड का बैरिस्टर अथवा भारतवर्ष का वकील रहा हो और जो कम से कम दस वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत करता रहा हो। यदि परिषद की बैठकें प्रान्तीय गवर्नरों के अधीनस्थ प्रदेशों में होती, तो वे उसमें असाधारण सदस्यों के रूप में नहीं बैठ सकते थे।

कार्यकारिणी-परिषद के सदस्य भारत-मन्त्री की सलाह पर सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उनके पद की अवधि पाच वर्ष थी परन्तु उन्हें पुनर्नियुक्त किया जा सकता था। प्रत्येक कार्यकारिणी-परिषद केन्द्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में से किसी एक के लिए मनोनीत किया जाता था। परन्तु कार्यकारिणी परिषद सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे, यदि सदन उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित कर देता, तब भी उन्हें हटाया नहीं जा सकता था। कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में से एक की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता था। गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त सदस्य परिषद के

उप-सभापति के रूप में कार्य करता था। गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति (कमांडर-इन-चीफ) को छोड़ कर प्रत्येक कार्यकारिणी-परिषद ८०,००० रु० प्रति वर्ष वेतन प्राप्त करता था।

स-परिषद गवर्नर जनरल का कार्य भारतवर्ष में शांति, सुव्यवस्था व सुशासन का संचारण करना था। कार्यकारिणी परिषद पोर्टफोलियो-पद्धति के अनुसार कार्य करती थी, अर्थात् प्रत्येक परिषद के अधीन एक या एक से अधिक विभाग रहते थे। मोंट-फोर्ड सुधारों के दम्यन कार्य-कारिणी परिषद में गवर्नर जनरल व प्रधान-सेनापति को मिला कर कुल ८ सदस्य सम्मिलित थे। वैदेशिक व राजनीतिक विभाग गवर्नर जनरल के अधीन थे और सुरक्षा व सेना विभाग प्रधान मंत्री की अधीनता में थे। अवशिष्ट विभागों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते थे, अंग्रेज परिषदों के हाथों में रखे जाते थे और भारतीय सदस्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा श्रम के विभागों से ही सन्तोष ग्रहण करना पड़ता था। पोर्टफोलियो, परिषद के सदस्यों के बीच गवर्नर जनरल के द्वारा वितरित किये जाते थे। पोर्ट फोलियो पद्धति के अन्दर अपने अपने विभाग में सम्बद्ध सभी मामलों को प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्रता पूर्वक निबटाता था। उन विषयों को जो कि अधिक महत्व के थे और जो प्रांतीय सरकारों के दृष्टिबिन्दुओं का प्रत्यादेश करने थे, गवर्नर जनरल की सलाह से निश्चित किया जाता था। परन्तु वे सब विषय जो कि बहुत ही अधिक महत्व के होते थे और जिनका प्रभाव दो या दो से अधिक विभागों पर पड़ता था, पूरी कार्यकारिणी परिषद के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित किए जाते थे। साधारणतः कार्यकारिणी-परिषद कार्यकारिणी परिषद की बैठक एक सप्ताह में एक बार हुआ करती थी। बैठक गवर्नर जनरल के द्वारा अहूत होती थी। बैठकों की अध्यक्षता गवर्नर जनरल करता था, और उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा मनोनीत उप-सभापति। गवर्नर जनरल बैठकों के लिए कार्यक्रम भी निश्चित करता था। परिषद के निर्णय बहुमत के आधार पर होते थे, परन्तु गवर्नर जनरल को अधिकार था कि यदि वह देश की शांति व सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता तो परिषद के निर्णयों के प्रतिकूल भी जो चाहता सो कर सकता था। सच तो यह है कि गवर्नर जनरल परिषद का पूरे तरीके से स्वामी था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी व ब्रिटिश मंत्रिमण्डल में

कार्यकारिणी-परिषद की शक्तियाँ व कृत्य

पोर्टफोलियो पद्धति

कार्यकारिणी-परिषद की बैठकें

गवर्नर जनरल का प्रभुत्व

आकाश पाताल का अन्तर था। परिषद के सदस्य गवर्नर जनरल के सहयोगी नहीं, सेवक मात्र थे। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्य प्रधान मन्त्री के सेवक नहीं, सहयोगी होते हैं। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल और कार्यकारिणी परिषद में एक और बड़ा अन्तर था। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से कामन-सभा के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। इसके विपरीत भारतीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्यों में से नहीं चुने जाते थे। चूकि कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल की सलाह पर भारत-मन्त्री करता था, अतः उनमें किसी प्रकार की एकान्विति नहीं होनी थी। इसके सिवा परिषद के सदस्य सामुदायिक या व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। कोई भी सदस्य, चाहे उसके कार्य और नीतियां, कितने ही बदनाम क्यों न हों, व्यवस्थापिका के द्वारा अपने स्थान से न हटाया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, कार्यकारिणी परिषद, सिर से पैर तक, एक नौकरशाही निकाय थी। उसके सदस्य गवर्नर जनरल के मार्ग-दर्शन में, जो कि वस्तुतः एक आधिपत्यक होना था, कार्य करते थे।

५१. केन्द्रीय व्यवस्थापिका

१९१९ के एक्ट के अनुसार भारतीय व्यवस्थापक मण्डल में अनेक परिवर्तन किये गये। यद्यपि केन्द्रीय कार्यकारिणी केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी परन्तु केन्द्रीय व्यवस्थापिका में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करके उसके स्वरूप को और अधिक लोकतन्त्रात्मक बनाने की चेष्टा की गई। अभी तक भारतीय व्यवस्थापिका का केवल एक ही सदन था, अब उसके दो सदन कर दिये गये। एक का नाम कौंसिल ऑफ स्टेट अथवा राज्य परिषद था और दूसरे का नाम लेजिस्लेटिव असेम्बली या विधानसभा था। यह पद्धति विश्व के अधिकांश लोकतन्त्रात्मक देशों में प्रचलित पद्धति के अनुरूप थी। परन्तु भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार एक और विचार से प्रभावित हुई थी। चूकि अब लोक-सदन में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत था, अतः सरकार एक ऐसे कुलीनतन्त्रीय सदन की स्थापना के लिये उत्सुक हो गई थी जिसको कि निम्न सदन अथवा लोक सदन के प्रतिभार के रूप में प्रयुक्त किया जा सके।

राज्य परिषद नूतन व्यवस्थापक-मण्डल का उच्च सदन था। १९१६ के एक्ट

के अनुसार उसके सदस्यों की संख्या ६० थी। इन सदस्यों में से एक की नियुक्ति गवर्नर जनरल सभापति के रूप में करता था। अवशिष्ट सदस्यों में से ३४ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथानुसार, साम्प्र- बनों भवनों की दायिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने जाते थे (२० साधारण रचना) निर्वाचन क्षेत्रों से, १० मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से, एक (क) राज्य-परिषद सिक्खों द्वारा और ३ यूरोपीयों द्वारा)। परिषद के १९ मनोनीत सरकारी सदस्य होते थे और ६ मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य होते थे।* विधान-सभा के १४४ सदस्यों में से १०३ सदस्य निर्वाचित सदस्य थे और ४१ गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। मनोनीत सदस्यों में से अधिक से अधिक २५ ही सदस्य सरकारी पदाधिकारी हो सकते थे। (ख) भारतीय एक्ट ने यह भी निर्धारित कर दिया कि विधान-सभा का विधान-सभा प्रथम अध्यक्ष गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त एक ऐसा गैर-सरकारी सदस्य होगा, जिसका कि सांसद अनुभव बहुत बड़ा-चड़ा हो।†”

राज्य-परिषद के लिये बहुत संकुचित भताधिकार उपबन्धित किया गया था। भताधिकार मुख्यतः बहुत ऊंची सम्पत्ति अर्हताओं पर आश्रित था। राज्य-परिषद के लिये मतदान का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त था, जो १०,००० रु० से लेकर २०,००० रु० तक की वार्षिक दोनों सदनों के आय पर कर देते थे अथवा ७५० रु० से लेकर ५००० रु० लिए भताधिकार

* मोटफोर्ड रिपोर्ट ने एक ऐसे उच्च सदन का सुझाव दिया था, जिसके कि कुल सदस्यों की संख्या ५५ हो, इन सदस्यों में से २९ तो सरकार द्वारा मनोनीत हों और शेष सदस्य मुख्यतः प्रातीय व्यवस्थापिकाओं के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा निर्वाचित हों। उसका विचार एक ऐसे, सीनेट की प्रकृति के से, उच्च सदन का निर्माण करना था, जो सरकार को उन आवश्यक कानूनों के पारित कर देने में समर्थ कर दे जिनको कि प्रतिनिधिक निम्न सदन ने अस्वीकार कर दिया हो। परन्तु संयुक्त सांसद-समिति ने इस विचार को अस्वीकृत कर दिया और राज्य-परिषद को 'सच्चा-द्वितीय सदन' बनाने के पक्ष में फैसला किया। अतः राज्य परिषद को पुनरीक्षण करने वाला एक ऐसा सदन बनाने का फैसला किया गया, जिसके पास कि अ-वित्तीय व्यवस्थापन में विधानसभा के तुल्य ही अधिकार हों।

† सर फ्रेडरिक व्हाइट मनोनीत अध्यक्ष थे। असेम्बली के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष सुविख्यात वी. जी. पटेल थे।

तक का वार्षिक भूमि-लगान देते थे। मतदान का अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिया गया था जो कि:—

- (१) नगरपालिकाओं, जिला निकायों या केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष रह चुके हों।
- (२) भारत के किसी विधायक निकाय के सदस्य रहे हों।
- (३) सरकार द्वारा शम्सुल-उलेमा या महामहोपाध्याय जैसी प्राच्य-पाठ्य-सम्बन्धी उपाधियों से विभूषित किये गये हों।

१९२५ में राज्य परिषद के लिये ब्रिटिश भारत से कुल मतदाताओं की संख्या १५००० से कम थी। निर्वाचन क्षेत्र साम्प्रदायिक आधार पर निर्मित हुये थे, प्रत्येक प्रांत को एक इकाई माना जाता था। स्त्रियों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया था। अति तक पहुँची हुई ऊँची सम्पत्ति विषयक अर्हताओं ने राज्य परिषद को न्यस्त स्वार्थों का एक अन्तर्दुर्ग बना दिया तथा दूसरी निर्वाचन सम्बन्धी अर्हताओं ने यह निश्चित कर दिया कि उसमें बुद्धिजीवी व सार्वजनिक व्यक्तियों की उपस्थिति बहुत ही कम रह सकेगी।

असेम्बली के लिये मताधिकार तनिक कम प्रतिबन्धित था। मतदाताओं के पास निम्न लिखित अर्हताओं में से एक का होना आवश्यक था —

- (१) कम से कम २००० रु से लेकर ५००० रु तक की वार्षिक आय पर धार्यकर देना।
- (२) ५० रु से लेकर १५० रु तक का वार्षिक भूमि-कर देना।
- (३) कम से कम १५ रु से लेकर २० रु तक के प्रतिवर्ष म्युनिसिपल-कर देना।
- (४) १५० रु वार्षिक के किराये के मूल्य वाले मकान का अधिवास या स्वामित्व।

विभिन्न प्रांतों में आर्थिक या राजनीतिक परिस्थितियों के अन्तर के कारण मतदान की अर्हताओं में थोड़ा-बहुत उलट फेर करना आवश्यक हो जाता था। १९३४ में भारतीय व्यवस्थापिका सभा के कुल मतदाताओं की संख्या १,४१५,८९० थी जिनमें कि स्त्री मतदाताओं की कुल संख्या ८१,६०२ थी।

केन्द्रीय व्यवस्थापक-मण्डल को, केवल उन विषयों को छोड़कर, जिन्हें कि प्रांतीय समझा जाता था, अन्य सब प्रकार के विषयों पर कानून-पारण का अधिकार

प्राप्त था। तथापि, उसके अधिकार प्रयोग के ऊपर कई प्रतिबन्ध लगे हुए थे। भारतीय व्यवस्थापक मण्डल को किसी सांसद कानून को, जो भारतवर्ष के ऊपर लागू हो सकता था, संशोधित या रद्द करने का अधिकार नहीं था। भारतमन्त्री के समोदन के बिना वह ऐसे किसी भी कानून को पारित नहीं कर सकता था, जो कि किसी उच्च न्यायालय का उन्मूलन करता हो। कुछ विधेयक (धार्मिक विषय या रीतिया, जल-थल-नभ सेनाए, प्रातीय विषयो का नियन्त्रण, किसी प्रातीय नियम को रद करने वाले प्रस्ताव, गवर्नर जनरल के एकट और अध्यादेशों से सबध रखने वाले प्रस्ताव इत्यादि) ऐसे थे जिन्हें गवर्नर जनरल की पूर्ण अनुमति के बगैर व्यवस्थापिका सभामे पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावायदि गवर्नर जनरल किसी भी विधेयक को, या उसकी किसी धारा को भारत की शांति, सुरक्षा व व्यवस्था में बाधक समझता, तो उसके आकलन को तुरन्त रोक सकता था। व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक होती थी, तदनन्तर ही वह कानून बन सकता था। गवर्नर जनरल जिस किसी विधेयक को चाहता, व्यवस्थापिका के पाम पुनर्विचार के लिए वापिस कर सकता था अथवा उसे सम्राट् के सोचने, विचारने के लिए रक्षित रख सकता था। अपने 'प्रमाणीकरण' के अधिकार द्वारा गवर्नर जनरल को भारतीय व्यवस्थापिका के निर्णयो के उल्लघन करने के विध्यात्मक अधिकार भी प्राप्त थे। यदि व्यवस्थापिका किसी विधेयक को अस्वीकार कर देती और गवर्नर जनरल उसे "ब्रिटिश भारत व उसके किसी भी भाग को शांति, सुरक्षा एव कल्याण की दृष्टि से आवश्यक समझता तो उसे अपने हस्ताक्षर के आधीन ही पारित घोषित कर सकता था। इस रीति से पारित विधेयक सम्राट् की स्वीकृति के बिना लागू नहीं हो सकता था। इसके अलावा, देश की शांति व सुरक्षा के लिए गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। ये अध्यादेश ६ मास से अधिक काल के लिए लागू नहीं हो सकते थे।

भारतीय व्यवस्थापक मण्डल के अधिकार व कृत्य
(क) कानून-निर्माण संबंधी

भारतीय व्यवस्थापिका को कुछ नाममात्र की वित्तीय शक्तिया भी प्रदान की गई थी। सम्पूर्ण वर्ष की आय-व्यय का अनुमानित लेखा जोखा गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका के सम्मुख उपस्थित करते थे। साधारण रूप से बजट के ऊपर वाद-विवाद किया जा सकता था। परन्तु मतदान बजट के थोड़े ही भाग पर हो सकता था। बजट का अधिकांश भाग (८०% से अधिक ऐसा था जिस)

(ख) वित्तीय अधिकार

के ऊपर कि व्यवस्थापिका सभा को मतदान का अधिकार ही न था । * जिन विषयों पर बजट का ८०% से अधिक धन खर्च होता था, उन पर व्यवस्थापिका गवर्नर जनरल की पूर्ण अनुमति के बिना वाद-विवाद भी नहीं कर सकती थी । खर्च की निम्न लिखित मदों पर व्यवस्थापिका को मत देने का अधिकार न था—गवर्नर जनरल व उनके कार्यकारिणी परिषदों के वेतन, भारत मंत्री और सम्राट् द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पेंशनें और तनखाहे, चीफ कमिश्नरो अथवा जुडीशियल कमिश्नरो का वेतन, वह खर्च जिसे कि स-परिषद गवर्नर जनरल ने धार्मिक, राजनीतिक अथवा सेना सम्बन्धी ठहराया हो । जहां तक उन मदों का प्रश्न है, जिन पर व्यवस्थापिका को मतदान का अधिकार प्राप्त था, वह उनका अनुमोदन करने, उनको अस्वीकार करने अथवा उनमें कमी करने के लिए अधिकृत थी । परंतु यहां भी गवर्नर जनरल की सत्ता अबाध थी । उसे अधिकार था कि वह व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत मांगों को स्वयं मजूर करके व्यवस्थापिका का निश्चय रद्द कर दे । विशेष परिस्थितियों में वह ऐसे खर्चों को भी मजूर कर सकता था जो उसकी राय में देश की रक्षा और शांति के लिए आवश्यक था ।

यद्यपि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी ही रही, परंतु व्यवस्थापिका कार्यकारिणी की नीतियों और कार्यों की कई तरह से आलोचना कर सकती थी । व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यकारिणी से प्रश्न कर सकते थे । वे किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव पास कर सकते थे और प्रस्ताव पास करके सभाओं के अधिवेशनों को स्थगित करा सकते थे । उनको यह भी अधिकार प्राप्त था कि किसी विभाग की आर्थिक मांग को स्वीकार न करें या अपना विरोध प्रकट करने के लिए उनमें नाममात्र की कमी कर दें । तथापि व्यवस्थापिका की पूर्वोक्त बातों का मानना शासन - विभाग के लिए अनिवार्य न था ।

भारतीय व्यवस्थापक-मण्डल के दोनों सदन समान अधिकारों का उपयोग नहीं करते थे । अ-वित्तीय विधेयकों की स्थिति में राज्य परिषद और असेम्बली दोनों के

*“१३१ करोड़ के कुल जोड़ में से (रेलवेज को बाहर रखते हुए) केवल १६ करोड़ ही मतापेक्षी हैं । पुनश्च इस अ-मतापेक्षी राशि में से ६७ करोड़ सैनिक व्यय के लिए है ।” पट्टाभि सीतारमय्या कृत दी हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में प. मोतीलाल नेहरू और सी. आर. दास के वक्तव्य से उद्धृत पृ. ४५९ ।

अधिकार एक दूसरे के बराबर थे। ऐसे किसी विधेयक को किसी भी एक सदन में उपस्थित किया जा सकता था, परन्तु वह कानून तब तक नहीं बन सकता था, जब तक कि उसे दोनों सदन पारित न कर दें। हा, यह अवश्य है कि गवर्नर जनरल दोनों सदनों में से किसी के द्वारा अस्वीकृत विधेयक को प्रमाणीकृत कर सकता था। तथापि वित्तीय विधेयकों की स्थिति में राज्य परिषद के अधिकारो का दर्जा असेम्बली से अधिकारो के दर्जे से नीचा था। यह सर्वथा स्वाभाविक भी था। अधिकांश पाश्चात्य देशों में द्वितीय सदनों का दर्जा प्रथम सदनों की तुलना में निम्न ही माना जाता है। राज्य परिषद का जनसाधारण से कोई सम्बन्ध नहीं था। अतः राज्य परिषद को असेम्बली के समक्ष ही दर्जा दे देना सर्वथा अन्यायकर होता। बजट के ऊपर दोनों ही सदन वाद-विवाद कर सकते थे परन्तु मतापेक्षी मदो (votable Items) पर मतदान का अधिकार केवल निम्न सदन को ही प्राप्त था। यदि इन मतापेक्षी मदो पर निम्न सदन का मतदान हो चुकता, तो उसे फिर उच्च सदन के समक्ष उपस्थित नहीं किया जाता था, परन्तु चूंकि अ-वित्तीय कानूनों के निर्माण के क्षेत्र में दोनों सदनों को तुल्य अधिकार प्राप्त थे, अतः यदि वे किसी विधेयक के ऊपर सहमत न हो पाते, तो उस स्थिति में गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना रहती थी। इस प्रकार के गतिरोध मिटाने के लिए तीन विभिन्न उपायो की व्यवस्था की गई थी। पहला उपाय यह था कि किसी सभा में पारित होने के पूर्व विधेयक को, यदि वे सहमत हो जायें तो दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति के विचारधीन कर देना। इससे असन्तुष्ट सदन के आक्षेपो का पता चल सकता था और भविष्य में होने वाले सघर्ष व मतभेदो को दूर किया जा सकता था। दूसरा उपाय यह था कि यदि सघर्ष आरम्भक सदन (Originating house) द्वारा विधेयक के पारित किए जाने के पश्चात् उत्पन्न होता, तो उस स्थिति में, दोनों सदन अपने मतभेदो को एक संयुक्त सम्मेलन के लिए सहमत होकर दूर कर सकते थे। संयुक्त सम्मेलन में दोनों सदनों के बराबर बराबर प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। यदि संयुक्त सम्मेलन आपस में वाद-विवाद करके किसी एक समझौते पर पहुँच जाता, उस स्थिति में वह दोनों सदनों के पास कुछ सिफारिशें भेजता था, जिन्हें कि साधारणतः स्वीकार कर लिया जाता था। यदि संयुक्त सम्मेलन भी कोई समझौता कराने में असफल रहता, तो गवर्नर जनरल दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन करा

दोनों सदनों के

बीच

सम्बन्ध

गतिरोधों को

दूर करने

के उपाय

(क) संयुक्त

समिति

(ख) संयुक्त सम्मेलन

सकता था। संयुक्त अधिवेशन में राज्य परिषद का अध्यक्ष (ग) संयुक्त अधिवेशन सभापति का आसन ग्रहण करता था और प्रत्येक निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के द्वारा होता था। अधिवेशन के बहुमत द्वारा पारित विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता था। चूंकि संयुक्त अधिवेशन में असेम्बली के सदस्यों की संख्या राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या से अधिक होती थी, अतः असेम्बली की ही इच्छा के कार्यान्वित होने की अधिक सम्भावना रहती थी।

५२. मॉन्टफोर्ड के अधीन केन्द्रीय व्यवस्थापिका का मूल्यांकन

१९१९ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट ने निश्चित रूप से ही केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल को अधिक लोकतन्त्रात्मक स्वरूप प्रदान किया। १९१९ के सुधारों के पूर्व भारतीय व्यवस्थापक मंडल एक दरबार या बनावटी ससद प्रतिगामी राज्य-परिषद के ही तुल्य था। इन सुधारों ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका में के बावजूद भी केन्द्रीय व्यवस्थापिका अधिक लोकतन्त्रात्मक थी।

केन्द्रीय व्यवस्थापिका में निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रभावशाली बहुमत करके, व उसके वित्तीय व वाद-विवाद सम्बन्धी अधिकारों को बढ़ा कर उसे जनमत की प्रतिनिधिक संस्था बनाने का प्रयास किया। १९१९ के एक्ट के अन्तर्गत जिस प्रतिगामी राज्य-परिषद की सृष्टि की गई, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सं-परिषद गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां काफी बढ़ी चढ़ी थीं। वह लोक सदन की प्रत्येक ऐसी चेष्टा को, जिसे कि वह अनुचित समझता, अपनी इन विशेष शक्तियों के द्वारा निष्फल कर सकता था। यह सही है कि व्यवस्थापिका अटल और स्वेच्छाचारी कार्यकारिणी के समक्ष बिल्कुल निस्सहाय थी। तथापि यह भी सही है कि नई व्यवस्थापिका नौकरशाही कार्यकारिणी के बिल्कुल अधीन भी नहीं थी।

वह उन अनुदानों को अस्वीकार कर सकती थी जो कि “शासन यंत्र के कुछ पहियों के संचालनार्थ” आवश्यक थे। उसे कार्यकारिणी द्वारा वाञ्छित कानूनों को अस्वीकृत कर देने का भी अधिकार प्राप्त था। यह सही है कि गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत प्रत्येक अनुदान को अपनी विशेष शक्तियों के प्रयोग द्वारा मजूर कर सकता था और व्यवस्थापिका द्वारा प्रतिषिद्ध प्रत्येक विधेयक को भी सर्टीफाई कर सकता था। परन्तु इन ‘असाधारण’ शक्तियों के बारम्बार के प्रयोग से तो यही पता चलता था

व्यवस्थापिका
कार्यकारिणी को
प्रभावित कर
सकत थी

कि सरकार और जनता के बीच बहुत भारी अन्तर है। इसके अलावा केन्द्रीय व्यवस्थापिका प्रश्नों-तरो व स्थगन-प्रस्तावों आदि के द्वारा भी कार्यकारिणी के ऊपर अप्रत्यक्ष रीति से पर्याप्त प्रभाव डाल सकती थी। सरकार सदैव ही इस प्रभाव की अवहेलना नहीं कर सकती थी। यह सत्य है कि वह लोकमत के प्रति उत्तरदायी नहीं बनी, परन्तु वह लोकमत को सर्वदा ठुकराती भी नहीं रह सकती थी। १९१९ के एक्ट में एक बड़ी भारी त्रुटि और थी और वह यह कि कार्यकारिणी उसके नियंत्रण से सर्वथा स्वतंत्र थी। लोकतंत्र के अनुसार यह आवश्यक है कि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के द्वारा नियंत्रित हो। परन्तु १९१९ के सुधारों में इस बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इस एक्ट के अधीन कार्यकारिणी **कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के नियंत्रण से स्वतंत्र रही** जब चाहती तब व्यवस्थापिका की इच्छा को ठुकरा सकती थी, इसके ऊपर व्यवस्थापिका का कोई प्रभुत्व न था। स्पष्ट है कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका प्रभुत्व-शक्ति से पूर्णतः वंचित रखी गई थी। उसकी शक्तियाँ बहुत परिमित थी। उनके ऊपर बड़े बड़े प्रतिबन्ध लगे हुए थे। वह ब्रिटिश ससद की सर्वोच्च सत्ता के अधीन थी और वह ऐसे किसी सासद कानून को, जो कि भारतवर्ष के ऊपर लागू हो सकता हो, सशोधित या रद्द नहीं कर सकती थी। इसके अलावा देश **व्यवस्थापिका के पास** की आय का ४५ भाग ऐसा था, जिसके ऊपर **प्रभुत्व-शक्ति का प्रभाव था** व्यवस्थापिका वादविवाद भी न कर सकती थी और अवशिष्ट १५ भाग भी पूर्णतः उसके नियंत्रण में नहीं था। यह माना जा सकता है कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका एक प्रभावशाली निकाय थी, परन्तु 'विटो' और 'प्रमाणीकरण' की विशेष शक्तियों ने उसकी स्थिति विष-दन्त हीन सर्प के तुल्य कर दी थी।

प्रान्तीय सरकारें

५३. केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध

ईस्ट इंडिया कम्पनी की व्यावसायिक बस्तियाँ सबसे पहले बम्बई, मद्रास और कलकत्ते के तीन समुद्र तटीय नगरों में स्थापित हुई थी : १७६५ में बंगाल की दीवानी को हस्तगत करने के पश्चात् उसकी स्थिति में अन्तर हो गया। अब वह अपने अधीनस्थ प्रदेशों की राजनीतिक प्रभु **प्रान्तों का विकास** हो गई। जैसे जैसे कम्पनी ने और प्रदेशों को विजित किया वह उन्हें उन वस्तियों के साथ जोड़ती गई, जिसके कि वे सान्निध्य में पड़ते थे। इस प्रकार तीन बड़ी प्रेसीडेन्सियों का विकास हुआ। इनमें से प्रत्येक प्रेसीडेन्सी एक गवर्नर

तीन प्रेसीडेन्सियों की स्वतंत्रता केन्द्रीकरण की बृद्धि

की अधीनता में थी। गवर्नर स-परिषद अध्यक्ष के रूप में अपनी अपनी अधीनस्थ प्रेसीडेन्सियों का शासन करते थे। प्रारम्भमें ये प्रेसीडेन्सिया एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र थी, वे सीधे लंदन से शासित होती थीं। परन्तु इस प्रबन्ध में कई खतरे निहित थे। इस बात की महती आवश्यकता मालूम पड़ने लगी कि प्रेसीडेन्सियोंको भारत में ही केन्द्रीय सत्ताके निरीक्षण व नियंत्रण में रक्खा जाय। फलतः १७७३ के रेगुलेशन एक्टसे केन्द्रीकरणकी प्रक्रिया प्रारम्भहुई।

१७७३ के रेगुलेशन एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया और उसे तीनों प्रेसीडेन्सियों का निरीक्षण व नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। वह बंगाल के ऊपर १८५४ तक सीधे शासन करना रहा। इसके बाद बंगाल के शासन-प्रबन्ध के लिए एक उपगवर्नर की नियुक्ति की गई।

नूतन प्रांतों की सृष्टि

इसी बीच भारतवर्ष में ब्रिटिश अधीनस्थ प्रदेशों का निरन्तर विस्तार होता रहा था, जो प्रेसीडेन्सिया बहुत बड़ी हो गई थी, उनको कई प्रान्तों में बाट दिया गया और फिर बाद में इन प्रान्तों को भी उप-विभाजित कर दिया था। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी प्रान्त (जिसे कि बाद में आगरा और अजमेर का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया) को बंगाल से अलग किया गया। १८५६ में पंजाब की सृष्टि हुई। कुछ समय बीतने पर मध्य प्रान्त, बर्मा, आसाम और उत्तर पश्चिम-सीमा प्रान्त का निर्माण किया गया। यह प्रतिक्रिया १६३५ तक चलती रही। १९३५ में उड़ीसा को बिहार में और सिन्ध को बम्बई से अलग कर दिया गया।

तथापि, नए प्रान्तों की सृष्टि में किसी योजना के अनुसार कार्य नहीं किया गया। उसमें संस्कृति व भाषा विषयक समस्त प्रश्नों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया था। इस प्रकार के प्रत्येक विभाजन में केवल एक ही सिद्धान्त के अनुसार कार्य किया गया था और वह सिद्धान्त था शासन की सुविधा का प्रश्न। फलतः ब्रिटिश भारत बेमेल इकाइयों का एक जमघट सा बन गया। रेगुलेशन और नानरेगुलेशन प्रान्तों के बीच भेद किया गया। पुनश्च, प्रान्तों को गवर्नर के प्रान्तों, उप गवर्नर के प्रान्तों और चीफ कमिश्नर के प्रान्तों में भी बाटा गया। इन प्रान्तों में केवल एक ही प्रकार की समानता थी और वह यह थी कि वे सब एक ही केन्द्रीय सत्ता की पूर्ण अधीनता में थे। १७७३ के पश्चात् से जिस केन्द्रीय करण की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ था, वह लार्ड कर्जन के शासन-काल में अति तक पहुँच गई।

यह बात सर्वथा भ्रष्टांशनीय थी । प्रान्त केन्द्र के प्रशासनीय अभिकर्ता मात्र ही रह गये । प्रशासनीय, व्यवस्थात्मक और वित्तीय विषयों में केन्द्र का प्रान्तों के ऊपर पूर्ण आधिपत्य था ।

इस अतिशय केन्द्रीकरण के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार का कार्य काफी कठिन हो गया । १८७० के पश्चात्, जब कि भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन की जड़ें काफी मजबूत हो गईं, 'आदेश व नियन्त्रण विषयक एकरूपता' की आवश्यकता भी घट गई । फलतः अब विकेन्द्रीकरण के प्रति एक नूतन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई । केन्द्र के नियन्त्रण को धीरे धीरे शिथिल कर दिया गया और कुछ उल्लिखित क्षेत्रों में प्रान्तों को भी थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी गई । परन्तु सत्ता का यह विदान शासन प्रबन्ध का विषय था । फिर भी, सर्वधानिक दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ही सर्वशक्तिशाली रही । १९१९ के सुधारों के अधिनियमन तक प्रांतों के पास सच्ची स्वायत्तता नहीं थी । मॉटफोर्ड सुधारों के इस दिशा में मोट फोर्ड सुधारों ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया । चूँकि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन के बीच सम्बन्ध की स्थापना की गई, अतः केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के सम्बन्धों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए ।

विकेन्द्रीकरण के प्रति नूतन प्रवृत्ति

भी, सर्वधानिक दृष्टि से

मॉटफोर्ड सुधारों के

अधीन केन्द्र व प्रांतों

के बीच सम्बन्ध

१९१९ के एकट ने भारतवर्ष में सघीय राज्यतंत्र की स्थापना नहीं की । वस्तुतः इस विचार को थोड़े से आकलन के पश्चात् अस्वीकार कर दिया गया । तथापि यह बात निस्संदेह है कि प्रांतों को आंशिक स्वायत्तता प्रदान की गई । विदान-नियमों के अधीन व्यवस्थापन और राजस्व के शीर्षकों को दो सूचियों में बाटा गया । एक सूची केन्द्रीय थी और दूसरी प्रांतीय । केन्द्रीय सूची में सुरक्षा, विदेशी और राजनीतिक सम्बन्ध, आगमशुल्क, डाक और तार, मुद्रा, नमक कर, आयकर, अफीम, व्यवहार विधान और दण्ड विधान, तथा जनगणना आदि विषय सम्मिलित थे । प्रांतीय सूची में महत्वपूर्ण विषय निम्न-लिखित थे-पुलिस, न्याय, जेल, शिक्षा, स्थानीय स्व-शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, दवादारू का प्रबन्ध, भूमि-कर, सिंचाई और जंगल भादि । १९१९ के एकट के अधीन कोई समवर्ती सूची नहीं थी, और समस्त अवशिष्ट सत्ताएं, अर्थात् 'वे सब विषय जो कि प्रांतीय सूची में सम्मिलित नहीं किये गये थे,' केन्द्रीय सरकार के अधीन रखे गये थे । यदि केन्द्रीय और प्रांतीय सरकार के बीच किसी विषय को लेकर

केन्द्रीय और

प्रांतीय

सूचियां

विवाद उठ खड़ा होता, उस स्थिति में गवर्नर जनरल ही यह निश्चित करता था कि वह विषय प्रान्त की अधीनता में है या केन्द्र की। तथापि यह स्मर्तव्य है कि सत्ताओं का उक्त वितरण पूर्ण स्वैरी नहीं था और केन्द्रीय सरकार कई उपायों से प्रांतीय क्षेत्र को आक्रान्त कर सकती थी। तथापि यह निश्चित कर दिया गया था कि प्रान्तीय सरकारों को 'हस्तातरित' विषयों के सम्बन्ध में पूर्ण स्वाधीनता मिलनी चाहिए। इन हस्तातरित विषयों को उन निर्वाचित मंत्रियों की अधीनता में रक्खा गया था जो कि प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के प्रति उत्तरदायी थे।

केन्द्र और प्रांतों के वित्तीय स्रोतों को भी १९१९ के एक्ट में लोकतन्त्रात्मक कर दिया गया। भूमिकर, सिंचाई, अतः शुल्क, जंगल, खान, मुहर, तथा पजीयन और आयकर के एक भाग की रसीदें पाने के अलावा, जिन्हें वित्तीय विधान कि केन्द्रीय सरकार एकत्रित करती थी, प्रान्तीय सरकारें अपनी आय की पूर्ति करने के लिए, कुछ उल्लिखित करों को केन्द्रीय सरकार की विना पूर्व अनुमति के भी लागू करने के लिए अधिकृत थी। प्रान्तीय सरकारें इसी प्रकार के कुछ अन्य करों को केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेकर लागू कर सकती थी। पुनश्च वे गवर्नर जनरल व भारत-मंत्री का अनुमोदन पाकर क्रमशः भारत वर्ष में और विदेशों में सार्वजनिक ऋण भी एकत्रित कर सकती थी। राजस्व की मदों के विकेन्द्रीयकरण के फलस्वरूप यह भय उत्पन्न हो गया कि केन्द्रीय सरकार आर्थिक दृष्टि से स्वाश्रयी नहीं रह सकेगी। केन्द्रीय सरकार के १० करोड़ २० के वार्षिक घाटे को पूरा करने के लिये यह निर्धारित किया गया था कि प्रांतीय सरकारें उसे कुछ वार्षिक अनुदान दिया करेंगी।

प्रत्येक प्रांत का ठीक ठीक अनुदान मेस्टन पंचाट के अनुसार निश्चित किया गया। परन्तु प्रान्तीय सरकारों ने इस बन्दोबस्त की निरन्तर शिकायतें की, फलतः प्रान्तीय अनुदानों की पद्धति को १९२८ में समाप्त कर दिया गया। १९१९ के एक्ट के अन्तर्गत वित्तीय विषयों के वितरण में सबसे बड़ा दोष यह था कि आय के विस्तार शील व दमनशील स्रोतों को केन्द्रीय सरकार के अधीन रक्खा गया। इसके विपरीत प्रान्तीय सरकारों के कंधों पर राष्ट्र का निर्माण करने वाले कर्तव्य-कर्मों का भार रक्खा गया, परन्तु उसकी आय के स्रोत भूमिकर और अन्तः शुल्क आदि अत्यन्त अप्रिय व अनमनशील थे। परन्तु फिर भी यह बात निर्विवाद है कि १९१९ के एक्ट ने संघवाद की ओर एक निश्चित पग बढ़ाया। १९३५ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट में इसी को कतिपय सुधारों व संशोधनों के सहित क्रियान्वित किया गया।

५४-प्रान्तीय कार्यकारिणी-द्वैध शासन प्रणाली

कीथ के अनुसार मोंटफोर्ड-सुधारों की 'नवीनता' इस बात में सन्निविष्ट थी कि उन्होंने दोनों ही अर्थों-अर्थात् केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के शिथिलीकरण व प्रान्तीय कार्यकारिणी के व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व में प्रान्तीय स्वायत्तता की पुरःस्थापना की। २० अगस्त १९१७ की घोषणा में जिस उत्तरदायी शासन की स्थापना का बचन दिया गया था, १९१६ का एक्ट उस दिशा में प्रथम पग प्रथम पग था। इस अध्याय के एक प्रारम्भिक खंड में हम देख चुके हैं कि भारतीय सवैधानिक ढांचे की एकात्मक प्रकृति में कोई विशेष अन्तर किये बिना ही १९१९ के एक्ट ने प्रान्तीय क्षेत्र में सीमित-स्वायत्तता की स्थापना की यद्यपि भारतीय सरकार के नियंत्रण को भी पूर्णतः हटाया नहीं गया, फिर भी प्रान्त अपने कार्य स्वयं कर सकें, इसकी उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी गई।

प्रान्तीय कार्यकारिणी को प्रान्तीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाने के दृष्टि-कोण से मोंटफोर्ड सुधारों ने द्वैध-शासन-प्रणाली का सूत्रपात किया। यह उपाय पूर्णतः नौकरशाही और उत्तरदायी शासनके मध्य का मार्ग था। स्पष्ट है कि ब्रिटिश अधिकारी-वर्ग प्रान्तों तक में पूर्ण प्रजातंत्र की द्वैध शासन-एक स्थापना करने के लिये तय्यार नहीं था। सच्ची उत्तरदायी सरकार के लिए यह आवश्यक है कि कार्यकारिणी यथा-सम्भव विस्तृत मताधिकार के आधार पर निर्वाचित व्यवस्थापिका के अधीन हो। १९१६ के एक्ट के अधीन इसको उपबन्धित नहीं किया गया। उसने वस्तुतः जो किया वह यह था कि प्रान्तीय सरकार को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग, जिसमें कि गवर्नर और उसकी परिषद शामिल थी, पुलिस, न्याय, जेल, राजस्व, सिंचाई और सार्वजनिक सेवाओं आदि विषयों को नियंत्रित करता था। प्रान्तीय सरकार का यह भाग पूर्ववत् ही नौकरशाह बना रहा। यह भाग गवर्नर के प्रति ही उत्तरदायी था। सरकार के दूसरे प्रान्तीय कार्यकारिणी भाग में गवर्नर और मंत्री सम्मिलित थे। मंत्री हस्तांतरित के दो भाग (संरक्षित विषयों, अर्थात् शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अन्तःशुल्क और उद्योगों और हस्तांतरित विषय) आदि का प्रबन्ध करते थे। मंत्रियों को स्वयं गवर्नर प्रान्तीय व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त करता था। मंत्री लोग अपनी नीतियों और कार्यों के लिये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवस्थापिका अपने अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उन्हें अपने पदों से हटा सकती थी।

कानूनी दृष्टि से प्रान्तीय सरकार के दोनों भाग एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग थे, उनमें से प्रत्येक विभाग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र था। परन्तु यह विचार किया गया था कि वे एक दूसरे की सलाह लेकर कार्य करेंगे। यथाक्रम उनके नियंत्रण में जो विभाग थे, उनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता था। इस दृष्टिकोण से उक्त बात बहुत आवश्यक थी। 'सरक्षित' और 'हस्तांतरित' शीर्षको के अधीन विभागों का वितरण बहुत बेढंगा था। उदाहरणार्थ कृषि को तो 'हस्तांतरित' खंड में रखा गया और सिंचाई को 'सरक्षित' खंड में। इस प्रकार के दोषयुक्त प्रबन्ध में इस बात की पर्याप्त सभावना रहती थी कि कहीं क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ झगडा न हो जाय। इसलिये यह उपबन्धित किया गया कि मतभेद व सघर्ष की स्थिति में अन्तिम निर्णय गवर्नर का ही मान्य होगा। १९१९ के एक्ट ने सरकार के दोनों राजस्वों का वितरण भी विधान किया। यह सुभाव दिया गया था कि यह वितरण "सामान्य बुद्धि व तर्क सगत आदान प्रगन की सरल प्रक्रिया" द्वारा सम्पन्न होगा। तथापि यह निश्चित किया गया कि यदि कहीं मतभेद उठ खड़े होंगे तो गवर्नर को इस बात का अधिकार होगा कि वह राजस्वों को सरक्षित और हस्तांतरित विभागों के बीच बाट दे। सार्वजनिक ऋण एकत्रित करने के प्रस्तावों पर शासन के दोनों भाग सयुक्त रूप से विचार करते थे परन्तु निर्णय उनमें से हरेक अलग-अलग करता था।

५५. गवर्नर

द्वैध शासन-प्रणाली में गवर्नर का स्थान बड़े महत्व का था। वह कार्यकारिणी का प्रधान था और इसकी शक्तियां बहुत विस्तृत थीं। प्रेसिडेसियों के गवर्नरों की नियुक्ति भारत-मन्त्री की सलाह के अनुसार सम्राट करते थे। ग्रामतौर पर जिन व्यक्तियों को प्रेसिडेसियों का गवर्नर बनाया जाता था, वे उच्चकुलोत्पन्न अंग्रेज होते थे, उनको सार्वजनिक जीवन का काफी गहरा अध्ययन होता था। दूसरे प्रांतों* के लिये सम्राट गवर्नर जनरल की सलाह के अनुसार गवर्नर नियुक्त

* १९२१ में यू पी, पंजाब, बिहार और उड़ीसा, सी. पी. तथा आसाम पूरे तरीके से गवर्नर के प्रांत हो गये। १९२३ में बर्मा को और उसके एक वर्ष पश्चात् उत्तर-पश्चिमी-सीमा-प्रांत को यह प्रस्थिति प्राप्त हो गई।

करते थे। दूसरे प्रान्तों के लिये आमतौर पर जो गवर्नर नियुक्त किये जात थे, वे ऊंचे नागरिक सेवकों में से होते थे। साधारण एक गवर्नर का कार्यकाल पाच वर्षों का होता था।

गवर्नर 'सरक्षित' विषयों का शासन प्रबन्ध एक कार्यकारिणी परिषद की सहायता से करता था। इस कार्यकारिणी परिषद में अधिक से अधिक ४ और कम से कम २ सदस्य सम्मिलित होते थे। १९१९ के एक्ट के अनुसार कार्यकारिणी में कम से कम एक ऐसे सदस्य का होना गवर्नर और उसकी आवश्यक था जो कि भारतवर्ष में कम से कम १२ वर्षों से कार्यकारिणी सिविल सर्विस करता रहा हो। दूसरे सदस्य साधारणतः परिषद गैर-सरकारी भारतीयों में से लिये जाते थे। अभिसमय के द्वारा परिषद के अंग्रेज सदस्यों और भारतीय सदस्यों का दर्जा एक दूसरे के बराबर रखा जाता था। सदस्य सम्राट के द्वारा पाच वर्षों के लिये नियुक्त किये जाते थे। व्यवहार में उनके चुनाव में गवर्नर का बहुत हाथ रहता था। यद्यपि कार्यकारिणी परिषद के सदस्य प्रांतीय व्यवस्थापिका के भूतपूर्व सरकारी सदस्य होते थे, तथापि वे उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। कार्यकारिणी-परिषद की बैठकों में गवर्नर सभापति का आमन ग्रहण करता था। सभापति की स्थिति में उसे एक निर्णायक मत के प्रयोग करने का अधिकार होता था। परन्तु यदि वह अपने प्रांत या उसके किसी भाग की शांति व सुरक्षा के लिये आवश्यक समझता तो कार्यकारिणी परिषद के बहुमत के निर्णय का भी उल्लंघन कर सकता था। कार्यकारिणी-परिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होने थे। व्यवस्थापिका सभा न तो उन्हें अपने स्थान से ही च्युत कर सकती थी और न उनके वेतन में ही किसी प्रकार की कमी कर सकती थी। अपने कार्यों के लिये कार्यकारिणी परिषद गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। इस प्रकार गवर्नर ही स्थिति का स्वामी होता था।

'हस्तांतरित' विषयों का शासन-प्रबन्ध गवर्नर के हाथों में था जिसे कि वह मन्त्रियों की सहायता से सम्पन्न करता था। एक्ट ने प्रांतों में मन्त्रियों की कोई संख्या तो निश्चित नहीं की, परन्तु व्यवहार में बड़े प्रांतों में वह

‡ केवल तीन ही प्रेसीडेंसिया ऐसी थीं जिनमें कि गवर्नर की कार्यकारिणी-परिषद में ४ सदस्य होते थे। शेष सभी प्रांतों में परिषद में २ सदस्य होते थे। इन सदस्यों में से एक अंग्रेज सिविलियन होता था और दूसरा गैर-सरकारी भारतीय।

गवर्नर का मंत्रियों के साथ काम करना तीन होती थी और छोटो में दो। मन्त्रियों की नियुक्ति गवर्नर करता था। मन्त्री या तो वे लोग होते थे जो कि प्रांतीय व्यवस्थापिका के निर्वाचित सदस्य होते थे अथवा वे लोग होते थे जो कि अपनी नियुक्ति के ६ महीने के भीतर ही भीतर प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य निर्वाचित हो जाते थे। किसी व्यक्ति को मन्त्री पद पर नियुक्त करने से पहिले गवर्नर को यह देखना पडता था कि वह व्यवस्थापिका के विश्वास को प्राप्त करने और अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन करने में समर्थ हो सकेगा या नहीं। मन्त्रियों की स्थिति वही थी जो कि कार्यकारिणी परिषदों की। मन्त्रियों को भी वेतन वही मिलता था जो कि कार्यकारिणी परिषदों को, परन्तु उनकी स्थिति में व्यवस्थापिका को उपलब्धियों में कमी कर देने का अधिकार था। बम्बई में वस्तुतः ऐसा ही किया गया। वहा प्रत्येक मन्त्री का वेतन ६४,००० रु० प्रति वर्ष से घटा कर ४८,००० रु० प्रति वर्ष ही कर दिया गया। जब व्यवस्थापिका सभा भङ्ग होती, मन्त्रियों को अपना पद त्याग करना पडता था। परन्तु व्यवस्थापिका मन्त्रियों के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उन्हे इसके पूर्व भी पदच्युत कर सकती थी। दूसरे शब्दों में मन्त्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। इसके साथ ही साथ एक और ध्यान देने योग्य बात है, वह यह कि मन्त्री गवर्नर के प्रसादपर्यन्त ही अपने पदों पर नियुक्त रहते थे। यदि गवर्नर चाहता तो बिना किसी कारण का अध्यारोप किये भी उन्हे अपने पद से हटा सकता था।

साधारणतः गवर्नर से यह आशा की जाती थी कि वह मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करे, परन्तु उसे मन्त्रियों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार प्राप्त थे। वह यदि उचित समझता तो किसी भी मन्त्री के परामर्श को ठुकरा सकता था। वह मन्त्री, जिसके कि परामर्श को इस प्रकार अवहेलना की जाती, अपने पद का त्याग कर सकता था। आपात की स्थिति में मन्त्रियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति न करने के लिये गवर्नर स्वतंत्र था। उस स्थिति में वह हस्तातरित विभागों का प्रबन्ध सीधे अपने ही हाथों में ले सकता था।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि गवर्नर किसी प्रकार वैधानिक प्रमुख ही न था। उसको जितने व्यापक अधिकार प्राप्त थे, उनके कारण उसकी स्थिति एक स्वेच्छाचारी शासक के तुल्य हो गई थी। इस बात को इस तथ्य से ही समझा जा सकता है कि वह न केवल कार्यकारिणी परिषदों को ही अपनी अधीनता में रख सकता था, अपितु प्रांतीय व्यवस्थापिका की इच्छा को

गवर्नर के व्यवस्थात्मक अधिकार

भी बहुत श्रमों में कुचल सकता था। इसके आलावा व्यवस्थापिका द्वारा पारित सभी कानूनों पर वह अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता था। कुछ ऐसे विधेयक थे जिन्हें कि उसकी पूर्वे अनुमति के बिना व्यवस्थापिका में पुरस्थापित तक भी नहीं किया जा सकता था। यदि गवर्नर किसी विधेयक को आवश्यक समझता, और व्यवस्थापिका उसे पारित करना अस्वीकार कर देती तो उस स्थिति में गवर्नर अपनी 'प्रमाणीकरण' की शक्ति के प्रयोग द्वारा उस विधेयक को पारित घोषित कर सकता था। उसे गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करके, अध्यादेशों की निमित्त का भी अधिकार प्राप्त था। गवर्नर के वित्तीय अधिकार भी इसी प्रकार बहुत विशाल थे। सरक्षित विषयो की स्थिति में व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत या घटाई गई 'ब्याट' को भी वह जैसी की तैसी रख सकता था। हस्तातरित विषयो के सम्बन्ध में भी, व्यवस्थापिका के विरोध के बावजूद भी, गवर्नर यह कह कर किमी भी व्यय को प्रमाणीकृत कर सकता था कि वह प्रात की गानि और सुरक्षा अथवा अमुकविभाग के शासन-प्रबन्ध के लिए आवश्यक है।

गवर्नर के
वित्तीय
अधिकार

५६. प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल

१९१९ के एक्ट ने प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डलों की रचना व शक्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उनके आकार में पर्याप्त वृद्धि की गई और उन्हें अधिक लोक-तन्त्रात्मक बनाया गया। प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डलों में निर्वाचित सदस्यों का सारभूत बहुमत रक्खा गया और उन्हें जनता की अधिक प्रतिनिध्यात्मक संस्थाए बनाने के दृष्टिकोण से मनाधिकार को भी विस्तृत किया गया। प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डलों की नूतन स्थिति

१९१९ के एक्ट के अधीन जो व्यवस्थापिकाएँ निर्मित हुईं, उनकी स्थिति पूर्वकाल की व्यवस्थापिकाओं से बिल्कुल भिन्न थी। अब वे कानून निर्माण के प्रयोजन के लिए कार्यकारिणी के हाथों की खिलौना मात्र ही नहीं रह गई थीं। अपितु, इसके विपरीत अब वे स्वतन्त्र संस्थाएँ थी और कार्यकारिणी के ऊपर किञ्चित् नियन्त्रण भी स्थापित कर सकती थी। प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डलों का आकार अलग-अलग प्रांतों में अलग अलग था परन्तु यह उनका बड़ा हुआ आकार]

उपबन्धित किया गया कि सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक-से अधिक २०% और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम से कम ७०% होनी चाहिए। अवशिष्ट सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होते थे। विभिन्न प्रांतों में व्यवस्थापिका सभाओं

की वास्तविक रचना और निर्वाचित, सरकारी और गैर सरकारी मनोनीत सदस्यों की प्रतिशत संख्या निम्नतालिका में दी गई है।

प्रान्त	निर्वाचित सदस्य	सरकारी सदस्य (भूतपूर्व परिषदों को सम्मिलित करके)	मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य	कुल जोड़
मद्रास	६८	७ जमा ४	२३	१३२
बम्बई	८६	१५ जमा ४	६	११४
बंगाल	११४	१२ जमा ४	१०	१४०
सयुक्त प्रान्त	१००	१५ जमा २	६	१२३
पंजाब	७१	१३ जमा २	८	९४
बिहार और				
उड़ीसा	७६	१३ जमा २	१२	१०३
मध्यप्रान्त	५५	८ जमा २	८	७३
आसाम	३६	५ जमा २	७	५३
बर्मा	८०	१४ जमा २	७	१०३

१९१९ के मुधारों के अधीन मताधिकार के क्षेत्र को मार्ले-मिटो मुधारों की अपेक्षा और व्यापक कर दिया गया। परन्तु इतने पर भी वह रहा काफी मकुचित।

१९२० में, ब्रिटिश भारत में २४१८ प्रयुक्त (Million) मताधिकार और निर्वाचन की कुल जनसंख्या में केवल ५३ प्रयुक्त लोगों को अथवा वयस्क जनसंख्या के केवल ६ प्रतिशत भाग को ही मतदान देने का अधिकार प्राप्त था। मतदाताओं की अर्हताएं

अलग अलग प्रान्तों में अलग अलग थीं। साधारणतः नगर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के अधिकारी वे ही लोग हो सकते थे जो या तो कम से कम २००० रुपये वार्षिक आय पर आयकर देते हो अथवा ऐसे किनी मकान में रहते हो जिसका किराया कम से कम ३६ रुपये प्रतिवर्ष हो अथवा कम से कम ३ रुपया प्रतिवर्ष के म्युनिसिपल उपशुल्क देते हो। देहाती निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के अधिकारी वे ही लोग हो सकते थे जो कि कम से कम १० रु प्रतिवर्ष से लेकर ५० रु प्रतिवर्ष तक का भूमि कर देते हों। जमीदार निर्वाचन क्षेत्रों से विहित की गई अर्हता यह थी कि जो लोग ५०० रु प्रतिवर्ष (पंजाब में) से लेकर ५००० रु प्रतिवर्ष (यू० पी० में) तक का भूमि कर देते हों, वे ही मतदान के अधिकारी हो सकते हैं। विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्रों में

७ वर्षों की 'स्टैंडिंग' वाले रजिस्टर्ड प्रेज्युएट, ५ वर्षों की स्टैंडिंग वाले एम० ए० और विश्वविद्यालयों के पारिषद (Fellows) मतदान के अधिकारी थे। सैनिक सेवा भी एक अर्हता मानी जाती थी और पंजाब व सी० पी० मे लम्बरदार तथा गांव के मुखिया मतदाता हो सकते थे। मोंटफोर्ड सुधारों ने प्रत्यक्ष निर्वाचनों की प्रणाली विहित की। परन्तु सभी निर्वाचनों का आधार "जातियो और हिनों" के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त रक्खा गया। मोंटफोर्ड प्रतिवेदन ने निम्न आधारों पर पृथक निर्वाचक मण्डलों का खण्डन साम्प्रदायिक और किया था (१) वे विभिन्न संप्रदायों के बीच द्वेष भाव की विशेष निर्वाचक सृष्टि करते हैं। (२) वे अल्पसंख्यक वर्गों की अनुन्नत दशा मण्डल को यथापूर्व रखते हैं। (३) वे नागरिकता की श्रेष्ठ भावना के विकास में बाधा डालते हैं और (४) उत्तरदायी शासन के विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। इस अ-लोकतन्त्रात्मक पद्धति को समाप्त कर देने के लिए ये तर्क काफी वजनदार थे। परन्तु प्रतिवेदन ने इस पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए कायम ही रखने की, अपितु उसे सिक्खों के ऊपर और लागू कर देने की सिफारिश की। १९१६ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट के अधीन जो नियम बने, वे इससे भी आगे बढ़ गये और उन्होंने भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों तथा आंग्ल-भारतीयों को पृथक निर्वाचक मण्डल प्रदान किए। इसके अलावा उन्होंने बहुत-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में मद्रास में अ-ब्राह्मणों के लिए और बम्बई में मरहटों के लिए-स्थानों के संरक्षण को भी उपबन्धित किया। जमींदारों, व्यावसायिक और औद्योगिक हिनों तथा विश्वविद्यालयों के लिए भी विशेष प्रतिनिधित्व की गारण्टी दी गई। एक दूसरा भेद 'देहाती' और 'नागरिक' निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। देहाती निर्वाचन क्षेत्रों को नागरिक निर्वाचन क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वजन दिया गया। यद्यपि सरकार ने नागरिक और देहाती क्षेत्रों के बीच वही अन्तर बनाया था जो कि "प्रगति और जड़ता" के बीच होता है। संक्षेपतः सरकार की नीति यह थी कि नूतन कौमिलो में अनुदार तत्वों और न्यस्त स्वार्थों का ही आधिपत्य रहे। दूसरे दब्दों में व्यवस्थापक मंडल न तो वस्तुतः लोकतन्त्रात्मक ही थे और न वे यथार्थतः जनता का प्रतिनिधित्व ही करते थे। सरकारी और मनोनीत गुट का प्रभाव, जिसके माथ कि साम्प्रदायिक व विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी सम्मिलित हो जाते थे, प्रान्तों में लोकतन्त्र की स्थापना के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी।

गवर्नरों के प्रान्तों की व्यवस्थापिकाएँ तीन वर्षों के लिए निर्वाचित की जाती थी। परन्तु गवर्नर उनको अपने पूरे कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही भग कर सकते थे अथवा विशेष परिस्थितियों में वे उनके जीवन को अधिक से अधिक एक

**व्यवस्थापिका सभाओं
का कार्यकाल**

**व्यवस्थापिका सभा
का अध्यक्ष**

वर्ष के लिए बढ़ा सकते थे। व्यवस्थापिकाओं को गवर्नर
आहूत करता था, उसे उन्हें कुछ काल के लिए स्थगित
कर देने का भी अधिकार था। पहले चार सालों के लिए
गवर्नर को अपने प्रान्त की व्यवस्थापिका के अध्यक्ष को
नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त था, उपाध्यक्ष के निर्वा-
चन पर भी अपनी स्वीकृति देने का हक था। इसलिए
सभा को अपना अध्यक्ष अपने आप ही चुनना था।

१९१९ के एक्ट ने प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों की व्यवस्थात्मक, वित्तीय और
वाद-विवाद करने की शक्तियों में वृद्धि की। इसके साथ ही साथ एक्ट ने उन्हें प्रांतीय
कार्यकारिणी के एक भाग को भी नियंत्रित करने का
प्रांतीय व्यवस्थापक अधिकार दिया। परन्तु व्यवस्थापक मंडलों की शक्तियों
मंडलों की व्यवस्थात्मक के ऊपर कई बड़े बड़े प्रतिबन्ध लगे हुये थे। उदाहरणार्थ
और वित्तीय व्यवस्थात्मक क्षेत्र में गवर्नर की 'वीटो' और प्रमाणी-
शक्तियाँ करण की शक्तियों ने प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल की
शक्तियों को बहुत परिमित कर दिया था। वह किसी भी
विधेयक अथवा उसकी किसी धारा के आकलन को अथवा उसके सशोधन को रोक
सकता था। यदि वह ऐसा करना प्रान्त की शान्ति और सुरक्षा के लिए आवश्यक
समझता तो उसके इस कार्य में बाधा उपस्थित करने की व्यवस्थापकमंडल को शक्ति
नहीं थी। इसके अलावा कुछ विधेयक ऐसे थे जिन्हें कि गवर्नर की पूर्व स्वीकृति के
बिना व्यवस्थापक मंडल में पुरः स्थापित ही नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार
वित्तीय क्षेत्र में भी, प्रांतीय बजट का अधिकांश भाग अ-मतापेक्षी था। मतापेक्षी भाग
की स्थिति में भी, व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत अथवा घटाई हुई 'ग्राट' यदि किसी
संरक्षित विषय से सम्बद्ध होती थी, तो गवर्नर उसे यथापूर्व रख सकता था। आपात
काल में यदि किसी विषय की आवश्यकता होती, तो गवर्नर उसे व्यवस्थापिका के बिना
अनुमोदन के अधिकृत कर सकता था।

जहा तक प्रांतीय व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के सम्बन्धों का प्रश्न है,
मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। मंत्रियों के वेतन और उनके विभागों से
सम्बद्ध धन के अधिकांश अनुदानों पर व्यवस्थापिका को
प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं मतदान देने का अधिकार था। वह किसी भी मंत्री को
का कार्यकारिणी उसके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके त्यागपत्र
के सम्बन्ध देने के लिए विवश कर सकती थी। परन्तु वैधानिक कार्यका

रिणी का दूसरा भाग अर्थात् कार्यकारिणी परिषद प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं था व्यवस्थापक मंडल न तो उन्हें। (कार्यकारिणी-परिषदों को) पदच्युत ही कर सकता था। परन्तु यदि व्यवस्थापिका सभा इस अटल आधी कार्यकारिणी को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, तो कई परोक्ष रीतियों से प्रभावित प्रवृत्त कर सकती थी। प्रश्नों व स्थगन-प्रस्तावों के द्वारा और सरक्षित विभागों से सम्बद्ध उन अनुदानों को जिनके ऊपर कि उसे मतदान देने का हक था, अस्वीकृत करके या घटा कर, व्यवस्थापिका सभा कार्यकारिणी के ऊपर काफी जोर का दबाव डाल सकती थी और कभी कभी उससे अपनी बात मनवा लेती थी।

५७. द्वैधशासन प्रणाली की असफलता

द्वैधशासन प्रणाली के प्रयोग को सोलह वर्षों तक (१९२१-१९३७) चलाया गया परन्तु सक्षम निरीक्षकों ने उसे एक बहुत बड़ी असफलता बताया। यह ठीक है कि उसने कुछ सफलताएँ प्राप्त की। परन्तु वह अपने मुख्य उद्देश्य प्रांतीय प्रशासन के हस्तांतरित भाग में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने में सँबा असफल रही। ब्रिटिश लेखकों ने द्वैधशासन प्रणाली की असफलता का सारा दोष कांग्रेस के सिर मढ़ने का प्रयास किया है। उनका कथन है कि स्वराज्य दल ने अडंगा नीति का भाग्य लिया इसलिए द्वैधशासन प्रणाली असफल सिद्ध हुई। परन्तु असफलता के असली कारण तो मोटफोर्ड सुधारों के अधीन योजित उत्तरदायी शासन की अपरिपक्वता में ही समाविष्ट थे।

१९१९ के एक्ट का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसने गवर्नरों को हस्तांतरित विभागों के सम्बन्ध में भी इतने अधिक अधिकार दे दिये कि वे उत्तरदायी शासन की वृद्धि को अत्यन्त सफलतापूर्वक अवरोध कर सकते थे।

गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियों ने उत्तरदायी शासन की वृद्धि को अवरोध किया गवर्नर को मंत्रियों द्वारा प्रदत्त परामर्श की अवहेलना करने का अधिकार प्राप्त था। फलतः गवर्नर मंत्रियों के साथ केवल परामर्श-ज्ञाताओं अथवा गौरवान्वित सेक्रेटेरियों का सा ही व्यवहार करता था। शासन-प्रबन्ध की असली शक्ति मंत्रियों के हाथों में नहीं, अपितु गवर्नर के हाथों में थी। इसने एक असंगत स्थिति की सृष्टि की, मंत्रियों को दो स्वामियों की सेवा करनी पड़ती थी। वह अपने पद पर व्यवस्थापिका के विश्वास पर्यन्त ही स्थिर रह सकते थे। इसके साथ ही साथ जब तक कि वे पदत्याग देने के लिए प्रस्तुत नहीं हो जाय उन्हें स्वेच्छा-चारी गवर्नर के अधीन भी रहना पड़ता था। बहुत से मंत्री ऐसे थे जो कि स्वतंत्रता की

अपेक्षा पद पर आरूढ़ रहना अधिक अव्यक्त समझते थे। 'मद्रास के एक मंत्री ने, खुल्ला यह कह दिया था कि वह व्यवस्थापिका सभा के प्रति नहीं, अपितु गवर्नर के प्रति उत्तरदायी है।

मोंटफोर्ड सुधारों में दूसरा दोष यह था कि मंत्री, एक ठोस सरकारी गुट और मनोनीत सदस्यों की उपस्थिति में, व्यवस्थापिका के प्रति सच्चे अर्थों में, उत्तरदायी नहीं हो सकते थे। कुल मिला कर उनकी सख्या, व्यवस्थापिका सभा के कुल सदस्यों की सख्या की ३०% होती थी। मंत्री व्यवस्थापिका सभा के कुल सदस्यों की सख्या की ३०% होती थी। परन्तु उनकी वास्तविक शक्ति इससे भी अधिक होती थी क्योंकि उन्हें जमींदारों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों, यूरोपीयों व आंग्ल-भारतीयों के प्रतिनिधियों का तथा साम्प्रदायिक निर्वाचक मंडल के आधार पर निर्वाचित कुछ सदस्यों का समर्थन सदैव ही प्राप्त हो जाता था। यदि इतने पर भी व्यवस्थापिका के अवशिष्ट सदस्य बहुमत में रहते थे, तो वे मिल कर साथ साथ काम नहीं करने थे। फलतः मंत्रियों को निर्वाचित सदस्यों के समर्थन की अपेक्षा अपनी प्रयोजन-मिद्ध के लिए, सरकारी गुट का समर्थन प्राप्त करना अधिक आवश्यक प्रतीत होता था। यदि व्यवस्थापिका सभा में उनके समर्थकों की सख्या कम होती, तब भी वह प्रतिगामी तत्वों, जो कि सदैव गवर्नर के इशारों पर नाचते थे, की सहायता से ही अपने मंत्रिपद पर आसीन रह सकते थे। फलतः मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति बिल्कुल ही उत्तरदायी न रहे। वस्तु-स्थिति में वे अनुत्तरदायी और अटल-अचल कार्यकारिणी के प्रति उत्तरदायी रहते थे।

मोंटफोर्ड सुधारों में तीसरा दोष यह था कि उन्होंने संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा की। यह अत्यन्त अन्वित था क्योंकि संयुक्त उत्तरदायित्व के अभाव में किसी भी मन्त्रिमण्डल की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। व्यवहार में, गवर्नर मन्त्रियों को बिना किसी संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव राजनीतिक एकान्विति (Political homogeneity) की ओर ध्यान दिये ही चुन लेते थे। यदि सारे प्रांतीय मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते, तो संभवतः संयुक्त उत्तरदायित्व की प्रथा चल पड़ती। हुआ यह कि कभी कभी गवर्नर दो विरोधी दलों के निर्वाचित सदस्यों को मंत्री बना देते थे। फलतः मंत्री एक 'टीम' के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे। वे मंत्री थे, मन्त्रिमण्डल नहीं।* वस्तु मंत्री अपने-प्रपने विभाग के

* इस सम्बन्ध में सम्भवतः मद्रास ही एक अपवाद था। वहाँ अन्नाहयणों की

व्यक्तिगत प्रमुख होते थे। वे उस सुसंगठित टीम की तरह नहीं होते थे जो एक इकाई के रूप में व्यवस्थापिका का सामना करती है। कभी-कभी मंत्री लोग सभा-भवन में ही एक दूसरे का विरोध करने लगते थे।[†] यह ठीक है कि इस अवस्था के लिये कुछ हद तक राजनीतिक दल पद्धित का अभाव भी दोषी था। परन्तु इस अवस्था के मुख्य उत्तरदायी गवर्नर लोग ही थे। मुडीमैन कमेटी के सामने गवाही देते हुये कई भूतपूर्व मन्त्रियों ने इस दोष की जिम्मेदारी गवर्नरों के सिर मढ़ी थी। पंजाब के सम्बन्ध में गवाही देते हुये स्वर्गीय लाल हरिकिशन लाल ने अपने विचारों को इस प्रकार प्रकट किया था, "दो मंत्री किसी बात पर एक साथ विचार न करते थे, प्रातीय गवर्नर मुझे कहा करते थे कि नियमानुकूल प्रत्येक मन्त्री को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के आधार पर ही सारा हाय करना चाहिये।" जब कि व्यवस्थापिका में इतने अधिक वर्गीय व साम्प्रदायिक समूहों को प्रतिनिधित्व दे दिया गया, तो स्वस्थ दल-पद्धति का विकास कैसे हो सकता था? फलतः प्रातो में उस प्रकार का उत्तरदायी शासन स्थापित न हो सका, जिसकी आशा की गई थी। द्वैध शासन-प्रणाली की असफलता का चौथा कारण हस्तांतरित और सरक्षित विषयों का भेद था। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिये यह सर्वथा अनुपयुक्त था। इन विषयों की अलग अलग सूचिया अवश्य बनाई गईं परन्तु व्यवहार हस्तांतरित और मे इस प्रकार का विभाजन पूर्णतः दांषयुक्त सिद्ध हुआ। सरक्षित विषयों मद्रास के के वी रेड्डी ने एक बार कहा था "मैं जगलो का भेद के बिना विकास मन्त्री था। मैं कृषि मन्त्री था, परन्तु सिंचाई मेरे नियन्त्रण में न थी। मैं उद्योग मन्त्री था, परन्तु कारखानों, विजली, जल शक्ति, खानों और श्रम आदि किसी पर मेरा नियन्त्रण न था क्योंकि वे सरक्षित विषय थे।" स्पष्ट है कि हस्तांतरित विषयों से सम्बन्धित अपने किसी कार्य में, मन्त्रियों

[†] बङ्गाल में यही हुआ। वहाँ कलकत्ता-म्युनिसिपल विधेयक के ऊपर सुरेन्द्र-नाथ बेनर्जी और उनके एक मुस्लिम साथी ने एक दूसरे का विरोध किया। पंजाब में भी दो मन्त्रियों के बीच संघर्ष हो गया था।

जस्टिस पार्टी का बहुमत था। उसने कुछ कुछ संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया। संयुक्त प्रात में, श्री सी बाई चिन्तामणि और प० जगतनारायण ने इस प्रथा का चलाना प्रारम्भ किया। गवर्नर और श्री चिन्तामणि में शिक्षा-विभाग के एक कर्मचारी के कार्यों के विषय में मतभेद हुआ। प० जगतनारायण का उससे कोई सम्बन्ध न था, फिर भी दोनों मन्त्रियों ने एक ही साथ अपना त्यागपत्र गवर्नर के पास भेजा।

को तब तक कोई सफलता नहीं मिल सकती थी, जब तक कि उन्हें कार्यकारिणी-परिषदों का, जिनकी कि अधीनता में सरक्षित विभाग थे, सहयोग न मिल जाता। परन्तु मन्त्रियों को यह सहयोग सदैव ही प्राप्त नहीं हो पाता था। फलतः यद्यपि असफलता का उत्तरदायित्व तो सामान्य होता था, तथापि व्यवस्थापिका के द्वारा दण्डित केवल मन्त्री ही किये जा सकते थे।

पांचवें, वित्त के सम्बन्ध में मन्त्रियों की जो स्थिति थी, उस दृष्टि से भी उनका उत्तरदायित्व झूठा था। प्राचीन सरकारों के हस्तांतरित और सरक्षित विभागों का बजट एक ही होता था। विभिन्न विभागों के लिये राजस्व का प्रतिस्थापन मन्त्रियों और कार्यकारिणी परिषदों के पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा सम्पन्न हो सकता था। परन्तु यदि वे एक दूसरे के साथ सहमत न हो पाते, उस स्थिति में प्रतिस्थापन निश्चित करना गवर्नर के हाथ में था। स्वभावतः गवर्नर कार्यकारिणी परिषदों के दृष्टि विन्दुओं को मन्त्रियों के दृष्टि विन्दुओं की अपेक्षा अधिक सहानुभूति के साथ सुनता था। इस सम्बन्ध में मन्त्रियों को एक और कठिनाई का सामना करना पड़ता था। वित्त-विभाग के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, वह पूर्ण रूप से एक कार्यकारिणी परिषद के हाथों में था। वित्त विभाग व्यय के सभी नये प्रस्तावों का परीक्षण करता था। इसमें मन्त्रियों की ओर से उपस्थित किये जाने वाले प्रस्ताव भी सम्मिलित रहते थे। विभिन्न विभागों को कितना धन दिया जाय, इस बात का निर्णय भी उसी के हाथ में रहता था। इस सम्बन्ध में वह सरक्षित विभागों के प्रति पक्षपात का परिचय देता था। सरक्षित विभागों को परामर्श करने पर ही सब चीजें मिल जाती थी और हस्तांतरित विभागों को आवश्यकता होने पर भी बहुत सी चीजें नहीं मिलती थी। इस प्रकार मन्त्रियों को जिनके कि जिम्मे राष्ट्र-निर्माण का उत्तरदायित्व था, वित्तीय विभाग के अनुचित हस्तक्षेप के कारण, अपने कार्यों में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती थी। द्वैध शासन प्रणाली के अधीन वित्तीय प्रबन्ध की जो असंगतियाँ थीं, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया कि “जब मन्त्रियों को कोष के ऊपर ही नियंत्रण रखने का अधिकार नहीं है, तो उत्तरदायी शासन की बात करना कोई अर्थ नहीं रखता।”

बध शासन प्रणाली के अन्तर्गत उत्तरदायी शासन की ‘अ-द्वैत’ विधायिका मन्त्रियों और उनके अधीन सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धों में भी स्पष्ट होती। मन्त्रियों के

अधीनस्थ विभागों के स्थायी प्रमुख या सेक्रेटरी होत थे। इनमें से अधिकांश व्यक्ति भारतीय सिविल सर्विस के सिविल सर्विस और सदस्य होते थे। उत्तरदायी शासन की स्थापन के लिये यह मंत्रियों का आवश्यक है कि मंत्री जो भी प्रदेश दे, उसके अधीनस्थ सम्बन्ध पदाधिकारी उन प्रदेशों का अविलम्ब पालन करें। परन्तु द्वैध शासन प्रणाली के अदर यह स्थिति नहीं थी। साम्राज्यीय सेवाओं के ऊपर भारत-मंत्री का ही नियंत्रण बना रहा। १९१९ के एक्ट के अधीन सिविल सर्विसों के अधिकारों व प्राधिकारों की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य ठहराया गया। व्यवहार में इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और तरक्की पर गवर्नर का नियंत्रण होता था कि उस मंत्री का, जिसकी अधीनता में वे कार्य करते थे। उत्तरदायी शासन की भावना के प्रतिकूल इससे बढ़ कर और कौन सी वस्तु हो सकती थी। एक और तो अपने विभाग के सम्यक् शासन-प्रबन्ध के लिये मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था और दूसरी ओर उसे इस बात की भी पूरी शक्ति नहीं दी गई थी कि वह अपने उन अधीनस्थ कर्मचारियों को दण्डित कर सकता, जो कि उसकी नीतियों को कार्यान्वित करने में बाधक होते थे। यदि मंत्रियों और सिविल सर्विस के सदस्यों में किसी प्रकार का मनभेद होता, तो सिविल सर्विस के सदस्य मंत्रियों की अवहेलना करके, उच्चतर अधिकारियों की सहायतासे अपनी ही बात रखा सकते थे। यद्यपि अधिकांश अवसरों पर सिविल सर्विस के सदस्य मंत्रियों के साथ सहयोग करते रहे, फिर भी प्रत्येक प्रांत में कुछ ऐसे अवसर अवश्य आये, जब सिविल सर्विस के सदस्यों ने मंत्रियों की बात न मानी और यदि मानी भी तो बेमन से। सिविल सर्विस और मंत्रियों के पूर्वोक्त सबंध के कारण भी द्वैध शासन प्रणाली कार्यरूप में दोषयुक्त और असफल सिद्ध हुई।

सारांश

१९१९ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्ट ने भारत की केन्द्रीय सरकार में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं किया। उसे केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण को कुछ शिथिल कर दिया और केन्द्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या और उनकी शक्तियों में थोड़ी सी वृद्धि कर दी। केन्द्रीय कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति पूर्ववत् ही अनुत्तरदायी रही। व्यवस्थापिका को इतनी शक्तियां दे दी गईं, जिनसे कि वह कार्यकारिणी को नियंत्रित तो नहीं, परन्तु प्रभावित अवश्य कर सकती थी। प्रान्तों में द्वैधशासन प्रणाली के रूप में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। यद्यपि ब्रिटिश भारत की एकात्मक प्रवृत्ति तो पूर्ववत् ही रही, तथापि प्रान्तों को थोड़ी स्वायत्तता दे दी गई।

भारतवर्ष के सम्पूर्ण शासन संचालन का केन्द्र लन्दन ही रहा। भारत सरकार लन्दन में अवस्थित गृह-सरकार के अधीन थी। गृह सरकार में भारत-मन्त्री और उसकी परिषद सम्मिलित थे।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के भग होने के पश्चात् भारत-मन्त्री के पद की सृष्टि की गई। भारत मन्त्री ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के बोर्ड ऑफ कर्पोरल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सम्पूर्ण शक्तियों को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। भारत-मन्त्री ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता था। भारत के राजस्व और शासन से सम्बद्ध प्रत्येक क्रिया कलाप के संचालन, नियंत्रण व निरीक्षण का उसे अधिकार था। भारतीय परिषद जो कि एक परामर्शदात्री समिति थी, उसके कार्य में उसे सहायता देती थी। १९१९ के एक्ट के अनुसार भारत मन्त्री का वेतन ब्रिटिश राजकोष में दिया जाने लगा। इस प्रकार इस एक्ट ने एक असमति को दूर कर दिया।

१९१९ के एक्ट के अधीन भारतवर्ष के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। यह हाई कमिश्नर गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त और नियंत्रित होता था। हाई कमिश्नरका कार्यालय लन्दन में होता था। वह भारत सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता था। इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों के हितों की देख भाल करने का कार्य भी उसके ही जिम्मे था।

१९१९ के एक्ट ने केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की। गवर्नर जनरल भारत-मन्त्री के माध्यम से ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी बना रहा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद एक नौकरशाही निकाय थी जिसके ऊपर कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका का तनिक भी नियंत्रण नहीं था।

गवर्नर जनरल का पद अत्यन्त शक्तिपूर्ण और महत्वपूर्ण था। वह पूर्णतः स्वेच्छाचारी शासक था। भारतीय शासन प्रबन्ध में उसका स्थान सर्वोपरि था। उसकी व्यवस्थात्मक शक्तियां बहुत बड़ी चढ़ी थीं। वह केन्द्रीय व्यवस्थापिका के द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता था। केन्द्रीय व्यवस्थापिका के द्वारा अस्वीकृत विधेयकों को अपने प्रमाणीकरण के अधिकार के द्वारा, गवर्नर जनरल कानून का रूप देने में समर्थ था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश प्रख्यापित करने का भी अधिकार था। केन्द्रीय वित्त के ऊपर भी उसका ही पूर्ण आधिपत्य था। व्यवस्थापिका को बजट के केवल ३०% भाग पर ही मतदान का अधिकार था।

व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत या घटाई हुई सभी मागों को गवर्नर जनरल कायम रखने का अधिकारी था। कार्यकारिणी-परिषद के ऊपर भी गवर्नर जनरल का पूर्ण प्रभुत्व था। कार्यकारिणी-परिषद किसी भी दशा में मन्त्री परिषद के तुल्य नहीं थी।

मोंटफोर्ड सुधारों ने केन्द्रीय व्यवस्थापिका के दो सदन कर दिए। उच्च सदन को राज्य-परिषद कहते थे। उसके सदस्यों की संख्या ६० होती थी जिसमें कि ३४ सदस्य निर्वाचित होते थे। निम्न सदन को भारतीय व्यवस्थापिका सभा कहते थे। उसके कुल सदस्यों की संख्या १४५ होती थी जिसमें कि ४१, सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य, मनोनीत होते थे। इस प्रकार दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होता था। परन्तु निर्वाचित सीटों की पूर्ति पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचक गणों, और वर्ग निर्वाचक गणों के माध्यम से होती थी। केन्द्रीय व्यवस्थापिका के पास प्रभुत्व-शक्ति का अभाव था। वह कानून बनाने वाली संस्था थी परन्तु उसकी क्षमता के ऊपर गवर्नर जनरल की स्वेच्छाचारी शक्तियों के कारण बहुत प्रतिबन्ध लगे हुये थे।

१८१६ के एकट ने प्रान्तों में उत्तरदायी शासन के प्रयोग को प्रारम्भ किया। प्रांतीय शासन प्रबन्ध को दो भागों में बाटा गया एक भाग में गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद के सहित सम्मिलित था। यह भाग, गजस्व कानून और व्यवस्था, इत्यादि मरक्षित विभागों का प्रांतीय शासन प्रबन्ध करता था। शासन के इस भाग के ऊपर प्रांतीय व्यवस्थापिका का बिल्कुल नियंत्रण नहीं था। दूसरे भाग में गवर्नर और मन्त्री सम्मिलित थे। यह भाग कृषि, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन इत्यादि 'हस्तोत्तरित' विषयों का प्रबन्ध करता था। मन्त्री लोग व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। व्यवस्थापिका उनके वेतन में कमी कर सकती थी और उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उन्हें पदच्युत कर सकती थी।

गवर्नर ही सम्पूर्ण प्रांतीय प्रशासन का सूत्रधार था। द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना ने उसे हस्तोत्तरित विषयों के सबन्ध में भी वैधानिक शासन नहीं बनाया। मन्त्री के परामर्श को मानना न मानना उसके हाथ की बात थी, वह उसकी अवहेलना कर सकता था। इसके अलावा, गवर्नर जनरल की ही तरह, उसकी भी कार्यकारिणी, विधायिनी और वित्तीय शक्तियां बहुत बढ़ी चढ़ी थी।

१९१६ के एकट के अधीन प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं—व्यवस्थापिका परिषदों को काफी विस्तृत कर दिया गया। मन्त्रियों से उनके द्वारा किए गए कार्यों का कारण पूछने का उन्हें नया अधिकार दिया गया। परन्तु गवर्नरों की प्रत्यादेशक सत्ता के कारण उनकी व्यवस्थात्मक व वित्तीय शक्तियों के ऊपर प्रतिबन्ध लगे हुये थे।

१९१९ के एक्ट के अधीन जिस द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली अर्थात् वह प्रान्तीय प्रशासन के हस्तांतरित विभागों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना न कर सका। गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना में सबसे बड़ी, अलक्ष्य बाधाएँ थीं। मन्त्री मनोनीत सदस्यों के गुट की महायता से अपनी गद्दी पर जमे रह कर सकते थे। दूसरे शब्दों में व्यवस्थापिका के प्रति वे कम उत्तरदायी रहते थे। प्रान्तीय शासन में सयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था। 'सरक्षित' और 'हस्तांतरित' सूचियों के बीच विषयों का बांटना बहुत बेढगा था। वित्तीय विभाग, जो कि एक कार्यकारिणी परिषद के हाथों में था, मन्त्रियों के कार्यों में काफी हस्तक्षेप कर सकता था। अतः मन्त्रियों का अपने अधीनस्थ भारतीय सिविल सर्विस के सदस्यों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। यदि मन्त्रियों और सिविल सर्विस के सदस्यों के बीच किसी प्रकार का मतभेद होता, तो सिविल सर्विस के सदस्य मन्त्रियों की अवहेलना करके, उच्चतर अधिकारियों की सहायता से अपनी बात रख सकते थे।

अध्याय ६

असहयोग आन्दोलन

५८. प्रथम विश्वयुद्ध और भारतीय राष्ट्रीयता

कूपलैण्ड ने लिखा है कि "युद्ध राष्ट्रीयता को प्रकृष्ट कर देता है।"* प्रथम विश्वयुद्ध ने इसका एक दृष्टांत प्रदान किया। ब्रिटिश और अमेरिकन राजनीतिज्ञों द्वारा घोषित राष्ट्रीय 'आत्म-निर्णय' के सिद्धांत ने यूरोप में एक उत्तेजना उत्पन्न कर दी। इसी सिद्धांत के अनु- **युद्ध और**
सार कई नूतन राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की गई। पूर्व **राष्ट्रीयता**
भी इसमें अप्रभावित न रह सका। चीन और मध्यपूर्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आन्दोलन जोर शोर से प्रादुर्भूत हुए। युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को भी अपूर्व सामर्थ्य प्रदान की। युद्ध के पश्चात् भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की गति और दिशा दोनों में परिवर्तन हो गया।

कई ऐसे आन्तरिक कारणों ने भी जो कि सीधे युद्ध सम्बद्ध थे- राष्ट्रीय आदोलन की गति को तीव्र कर दिया। युद्धकाल में भारतवर्ष को भीषण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पडा था। अनिवार्य सामग्रियों की कमी और महगी के कारण जनता को बहुत कष्ट **आन्तरिक कारण**
उठाने पडे थे। मध्यवर्ग और निर्धन वर्ग की जनता की **(क) आर्थिक**
तो मानो कमर ही टूट गई थी। चीजों के दाम बहुत ऊंचे **कठिनाइयां**
चढ गये थे, दूकानदार भरपेट मुनाफा कमाते थे, अनुचित लाभ उठाने पर अकुश रखने अथवा बहुत जरूरी चीजों पर राशन लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। एक ओर तो भारत में भुखमरी फैल रही थी, दूसरी ओर सरकार ने महायुद्ध के लिये धन एकत्र करने में ज्यादाती से काम लिया। भारत सरकार

* कूपलैण्ड: इंडिया. ९ रि स्टेटमेंट, पृ० ११७।

ने देश की आर्थिक दुर्बलस्था का तनिक भी ध्यान न रखते हुये ब्रिटेन को बस करोड़ पौ. की भेंट दी। जनता की आर्थिक दशा इतनी शोचनीय हो गई थी कि कुछ स्थानों पर मजदूरों ने हड़तालें कीं, कहीं कहीं बलबे हो गये और बाजार लूट लिये गये। † चम्पारन (बिहार) और खेडा (गुजरात) में हालत विशेष रूप से खराब हो गई थी। यहाँ की परिस्थितियों ने महात्मा गांधी को अपने सत्याग्रह अस्त्र का सफल

(ख) प्लेग और

इन्फ्लुएंजा

प्रयोग करने का सुअवसर प्रदान किया। एक ओर तो आर्थिक कठिनाइया ही जनता के जीवन को भार बनाये दे रही थीं, उस पर रोग और अकाल ने भी हमला बोल दिया। १९१७ में वर्षा ठीक से नहीं हुई फलत अकाल की भी परिस्थितिया पैदा हो गई। अकाल के पीछे पीछे प्लेग, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और हैजा जनता के ऊपर चढ़ दौड़े। जनता इनका भना क्या सामना करती? भूख पेट रहने के कारण उसकी शक्तिया तो पहले से ही क्षीण हो चुकी थी। लगभग ८ लाख व्यक्ति तो प्लेग की भेंट चढ़ गये और ८० लाख जानों को एनफ्लुएंजा खा गया। जनता तड़प कर और खून के आमू पीकर रह गई।

उपयुक्त कारणों ने भारतवर्ष में जो अशान्ति उत्पन्न करदी थी, वह कुछ राजनीतिक कारणों से और भी बढ़ गई। लार्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में सरकार की

(ग) राजनीतिक

कारण :

सरकार का

दमनचक्र

ओर से जो दमनचक्र चला, उसने राष्ट्रीय आन्दोलन को, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हों, तरह-तरह से कुचलने की चेष्टा की। प्रेस-एक्ट और सेडीशन एक्ट का खुल कर प्रयोग किया गया। बंगाल में हालत विशेष रूप से खराब थी क्योंकि वहाँ पर नौकरशाही दमनचक्र जनता में तीव्र असन्तोष की भावना उत्पन्न कर रहा था। श्रीमनी बीसेंट की नजरबन्दी और अली बन्धुओं के विरुद्ध सरकार की कार्यवाही का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। पंजाब में सर माइकल ओ' डायर ने सारी राजनीतिक हल-बलो को अपने फौलादी पजे से कुचल डाला। उन्होंने तिलक और विपिन चन्द्रपाल जैसे नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

महायुद्ध के लिए धन

एकत्र करने और

सिपाही भरती करने

में उधावतियां

सरकार ने महायुद्ध के लिए धन एकत्र करने और सिपाही भरती करने में जिन तरीकों से काम लिया, वह भी सर्वथा दोषपूर्ण और असन्तोषजनक थे। इन तरीकों के कारण जिन्हे सरकार ने "दबाव और समझाने" के तरीके कहा था

परन्तु जो दरअसल ज्यादातियां थी, पंजाब और अन्य जगहों में प्रागे चलकर भयंकर स्थितियां पैदा हो गईं। मोटफोर्ड प्रतिवेदन में भारतवर्ष के लिए जिन वैधानिक सुधारों का प्रस्ताव किया गया था, उससे भारत के राष्ट्रीय तत्वों में तीव्र निराशा छा गई। जनता के अन्दर आम धारणा यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने युद्धकाल में की गई, अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया है और भारत को बहुत गया-बीता समझ रक्खा है। युद्धकाल में भारतवर्ष ने धन और जन दोनों से ही अपूर्व सहायता की थी, मोटफोर्ड प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के पश्चात् मालूम पड़ा कि वह सब सहायता बिल्कुल बेकार गई। खिलाफत प्रश्न के ऊपर भारतीय मुसलमान अत्यन्त रुष्ट हुए। जब लड़ाई चल रही थी, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें यह वचन देकर कि न तो टर्की-साम्राज्य का ही विघटन किया जायगा और न खिलाफत का ही अन्त किया जायगा, उनकी सहायता प्राप्त की थी। परन्तु युद्ध समाप्त होने के पश्चात् भारतीय मुसलमानों को पता चला कि अंग्रेजों के वे सब वचन केवल उन्हें भुलावे में डालने के लिए ही थे। इस बात की काफी अफवाहें थी कि मित्र राष्ट्र टर्की-साम्राज्य का विघटन करने और खिलाफत को समाप्त करने के लिए कसर कमे हुए हैं। मीवर्स की सन्धि ने अंग्रेजों की दोहरी चाल का पर्दाफाश कर दिया। इससे भारत के मुसलमानों को गहरा झटका पहुंचा और उन्होंने खिलाफत आन्दोलन को प्रारम्भ किया। राष्ट्रीयता की नई भावना के उत्पन्न होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि १९१५ में गोखले की मृत्यु होने के पश्चात् राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व में परिवर्तन हो गया था। १९१८ में उदारवादी कांग्रेस से अलग हो गये और उन्होंने अपने एक अलग संगठन— अखिल भारतीय उदारवादी सघ की—स्थापना की। चूंकि उनका वैधानिकवाद में ही विश्वास था अतः वे होमरूल आन्दोलन की प्रकृष्टता द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय सघर्ष की नूतन प्रवृत्तियों के सर्वथा अनुपयुक्त थे। परन्तु उनके कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद करने का असली कारण १९१८ में प्रकाशित मोटफोर्ड प्रतिवेदन में निहित वैधानिक सुधारों के प्रति उनका अपना दृष्टिकोण था। वे इन सुधारों को ब्रिटिश सद्भावना का प्रतीक मानते थे। इसके विपरीत उस समय कांग्रेस में उपवादिओं का जोर था। वे मोटफोर्ड प्रतिवेदन से सर्वथा असहमत थे। उदारवादियों के निकल जाने के बाद कांग्रेस महात्मा गांधी के गतिशील नेतृत्व में आ गई और उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नूतन दिशा और नवीन गति प्रदान की।

मोटफोर्ड सुधारों
से निराशा

खिलाफत-प्रश्न

उदारवादियों का
अलगाव और
राष्ट्रीय नेतृत्व
में परिवर्तन

५६. रौलट एक्ट

१९१८ में सरकार ने सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक कमेटी यह जांच करने के लिये नियुक्त की कि भारतवर्ष में किस प्रकार और किस हद तक क्रान्तिकारी

**रौलट एक्ट की
पृष्ठ भूमि**

आन्दोलन सम्बन्धी षडयन्त्र फैले हुए हैं और उनका मुकाबला करने के लिये कैसे कानूनों की आवश्यकता है। भारत-रक्षा कानून की अवधि अब शीघ्रही समाप्त होने वाली थी और सरकार 'विध्वंसात्मक' कार्यवाहियों को कुचल डाने के लिये अपने आप को सशस्त्र सज्जित कर लेना चाहती थी। यद्यपि महायुद्ध अब समाप्त होता जा रहा था, फिर भी सरकार शंकाकुल थी। उसे भय था कि कहीं रूस का या अफगानिस्तान का भारतवर्ष पर आक्रमण न हो। कुछ महीनों बाद अफगानिस्तान ने भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण किया, परन्तु उसे बहुत ही आसानी से पीछे ठकेल दिया गया। इसी बीच में जांच करके रौलट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी। इस रिपोर्ट में राजद्रोहात्मक हलचलो का दमन

**व्यापक विरोध
के बावजूद भी
रौलट एक्ट को
पास कर दिया
गया**

करने के लिये दो विधेयको के अधिनियमन की सिफारिश की गई थी। रौलट एक्ट के विरुद्ध सारे देश में क्रोध की लहर दौड़ गई। उदारवादियों ने भी इसका खुल कर विरोध किया। सी. वाई. चिन्तामणि ने लिखा है "इन दोनों विधेयको का विरोध परिषद के गैर सरकारी भारतीय सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों और नामजद सदस्यों, सबने समान रूप से किया, परन्तु सरकार अपनी बात पर अड़ी

रही और तनिक भी नहीं झुकी।" रौलट एक्ट कानून बन गया और इस बात से भारतीयों को कोई सात्वना नहीं मिली कि उसकी अवधि केवल तीन वर्ष ही रखी गई थी। यह एक्ट अतीव कठोर था। इससे सरकार को जनता की स्वतंत्रताओं का हनन करने, सन्देहास्पद व्यक्तियों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने और बिना मुकदमा चलाए ही उन्हें हवालात में बन्द कर रखने का अधिकार मिल गया। कांग्रेस ने अपने दिल्ली अधिवेशन (दिसम्बर १९१८) में सरकार से यह मांग की थी कि उन सारे कानूनों, अध्यादेशों और रेग्यूलेशनों को जिनके कारण स्वतंत्रतापूर्वक राजनीतिक समस्याओं पर खुल कर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता और जिनके द्वारा अधिकारियों को गिरफ्तार करने, नजरबन्द करने, रोकने, देश निकाला देने, सजा करने का, साधारण अदालतों में बिना मुकदमा चलाए ही अधिकार दे दिया है, तुरन्त ही उठा लियो जाय" और सरकार ने उसका उत्तर दमनमूलक रौलट एक्ट के रूप में दिया। रौलट एक्ट ने सरकार को दमन की जो अमानुषीय और असीमित

शक्तियाँ दी, यद्यपि उनका प्रयोग तीन वर्ष की अवधि में हुआ किसी भी अवसर पर नहीं परन्तु उन्होंने भारत में सर्व प्रथम सविनय अवज्ञा आन्दोलन को जन्म दे दिया।

६०. भारतीय राजनीति में महात्मा गान्धी का प्रवेश

रोलट एक्ट ने भारतीय राजनीति में एक नये युग का श्रीगणेश किया। इसने महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति के सबसे अगले मोर्चे पर ला खड़ा किया। महात्मा गांधी जनवरी १९१५ में दक्षिणी अफ्रीका से वापिस लौट आये थे। दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने जो बलिदान किए थे, अन्याय के विरुद्ध जो संघर्ष किया था और जो उसमें सफलता पाई थी, इसके कारण उनका नाम भारतवर्ष के घर घर में प्रसिद्ध हो गया था। महात्मा गांधी अपने साथ जीवन का एक विशिष्ट दर्शन और एक ऐसी राजनीतिक टेकनीक लाये थे, जिसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी।* उस समय महात्मा गांधी 'स्पष्ट घोषित राजभक्त' थे। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति अपनी राजभक्ति का वे सर्वपूर्वक उल्लेख किया करते थे। उनका कथन था कि "ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ ऐसे आदर्श हैं जिनसे मुझे प्रेम हो गया है।" सरकार ने भी उन्हें कैसरे-हिन्द-स्वर्ण-पदक प्रदान कर उनकी प्रतिष्ठा की थी। भारतवर्ष में आकर उन्होंने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और उनसे मार्ग दर्शन प्राप्त किया। गोखले ने उन्हें सलाह दी कि भारतीय राजनीति में कूद पड़ने के पूर्व कुछ समय तक वे उसका गम्भीर अध्ययन करें। महात्मा गांधी ने तदनुसार दो वर्ष के करीब सारे देश का भ्रमण करने में व्यय किये। जहाँ कहीं भी महात्मा गांधी गए, उनका यथा उनके आगे आगे गया और जनता ने एक सन्त एव एक वीर के रूप में उनका आदर किया। अपनी इस यात्रा के काल में महात्मा गांधी ने सक्रिय राजनीति में कोई भाग नहीं लिया। १९१७ में चम्पारन ने महात्मा गांधी का आह्वान किया। वहाँ नील की खेती होती थी और अंग्रेज उसके मालिक थे। वे लोग किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। महात्मा गांधी ने किसानों की कठिनाइयों के बारे में सूक्ष्म जाच पड़ताल की और वे उनके कष्टों को दूर करने में सफल हुए। इससे गांधी जी की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अगले वर्ष उन्होंने खेड़ा में 'कर नहीं' आंदोलन का सगठन किया। खेड़ा में उस वर्ष वर्षा नहीं हुई थी, इससे फसल पर बहुत बुरा असर पड़ा

महात्मा गांधी का
१९१५ में दक्षिणी
अफ्रीका से वापस
लौटना

स्पष्ट घोषित
राजभक्त

चम्पारन

खेड़ा

* एच. एम. पोलक : महात्मा गांधी, पृ. ६५

था। इस आंदोलन में ही महात्मा गांधी सरदार पटेल के निकट सम्पर्क में आये। खेड़ा में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वह समझौते के रूप में सफल हुआ, गांधी जी के अनुयाइयों ने इसको अपनी बहुत बड़ी विजय समझा। उसी वर्ष अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने भी महात्मा गांधी से सहायता की याचना की। वे लोग अपनी बेतन वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे थे। महात्मा गांधी ने मजदूरों की सहायता का वचन दिया और मिल-मालिकों से कहा कि वे उनकी मांगों को पूरा करें। जब मिल मालिक नहीं माने, तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उपवास के चौथे दिन मिल मालिकों ने गांधी जी की शर्तों को स्वीकार कर लिया और मजदूरों के वेतन में ३५ प्रतिशत वृद्धि हो गई।

इसके बाद रौलट एक्ट आया। इसने महात्मा गांधी को राजभक्ति की भावना को आघात पहुँचाया और उन्हें विदेशी शासन का घोर विरोधी बना दिया। उन्होंने रौलट एक्ट की मुक्त कंठ से निन्दा की और उमे इस बात का सबूत बताया कि “न्याय की ब्रिटिश परम्परा को स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रेम ने विजित कर लिया है।” युद्धकाल में उन्होंने भारतीय जनता से यह बारम्बार कहा था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता करे। अंग्रेजों ने जो वायदे किये थे, उन पर उन्होंने सरल भाव से विश्वास कर लिया था। परंतु रौलट एक्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासक भारतवर्ष पर शक्ति प्रयोग द्वारा शासन करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हैं। “भारत स्वशासन की आशा करता था, लेकिन पहले बल-प्रवर्तन प्राप्त हुआ।”† महात्मा गांधी जो अब तक राजभक्त थे, राजद्रोही हो गए। २१ मार्च १९१९ को रौलट एक्ट कानून बन गया। इसके तुरन्त बाद ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने इस आंदोलन को अपने उपवास के साथ प्रारम्भ किया। उनके कई मित्रों ने उन्हें इस बात की चेतावनी दी थी कि देशव्यापी पैमाने पर ऐसे आंदोलन को प्रारम्भ करना देश के लिए हितकर नहीं होगा, इससे अव्यवस्था और अराजकता फैल जाने का भय है। परंतु महात्मा गांधी ने किसी की नहीं सुनी और वे अपनी योजना पर डटे रहे। देशव्यापी हड़ताल के लिए, इस काले कानून के विरोध में जन्म निकालने और सार्वजनिक सभाएं करने के लिए, ३० मार्च की तिथिनिश्चित की गई। बाद में यह तारीख बदल कर ६ अप्रैल कर दी गई। परंतु दिल्ली और अन्य कई स्थानों पर उक्त प्रोग्राम का दोनों ही दिन पालन किया गया।

† एच. एस. पोलक : महात्मा गांधी, पृ. १२७

हड़ताल को अभूतपूर्व अफलता प्राप्त हुई। चारों ओर ही उत्साह और उत्तेजना का वातावरण छा गया। "इस उत्साह का एक दर्शनीय लक्षण यह था कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच अभूतपूर्व बन्धुत्व की भावना देखी गई। हिन्दुओं ने मुसलमानों के हाथों से और मुसलमानों ने हिन्दुओं के हाथों से सार्वजनिक रूप से जल ग्रहण किया। इस दिन जो सभाएँ हुईं, जो जलूस निकले, उन सब में हिन्दू मुस्लिम एकता की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कुछ हिन्दू नेताओं को मस्जिद की वेदी से भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया गया।"

हिन्दू-मुस्लिम
एकता :
सत्याग्रह-स्वयंसेवा

आंदोलन प्रारम्भ करते समय महात्मा गांधी ने जनता को इस बात की कड़ी हिदायत दे दी थी कि, प्रत्येक मृत्यु पर अहिंसा का पालन किया जाय। उन्होंने सत्याग्रह की टेकनीक और दर्शन में जनता को शिक्षित करने के लिए बहुत सी जगहों का दौरा भी किया था। तथापि, कई स्थानों पर भगड़े हो गए। दिल्ली में जनता और पुलिस के बीच संघर्ष हो गया। पुलिस ने गोली चला दी जिससे आठ आदमियों की मृत्यु हो गई। बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, लाहौर और अमृतसर में भी इसी तरह के खतरनाक भगड़े हो गए। इन हालतों को देखकर महात्मा गांधी जी की आत्मा को अपार क्लेश हुआ और उन्होंने १८ अप्रैल को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि जनता अहिंसा का पालन करने में असफल रही थी। महात्मा गांधी ने सारा दोष अपने सिर ले लिया। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि आंदोलन शुरू करना उनकी 'भयंकर भूल' थी। अपनी इस भूल के प्रायश्चित्त-स्वरूप उन्होंने तीन दिन का उपवास रक्खा और जनता से भी एक दिन का उपवास रखने का निवेदन किया।

६१. पंजाब की दुर्घटनाएं

अप्रैल १९१९ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में चिरस्मरणीय महीना है। रौलट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने जिस सत्याग्रह आंदोलन को खड़ा किया था, उसने देश में अत्यन्त भयावह वातावरण उत्पन्न कर दिया था। परन्तु पंजाब की हालत विशेष रूप से खराब हो गई थी। इस प्रान्त में रौलट एक्ट विरोधी आंदोलन के सिलसिले में लाहौर और अमृतसर आदि स्थानों पर कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी हो गई थी। "परन्तु वहां कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं था ... और जनता के नेता आंदोलन के शान्तिपूर्ण व वैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे।"* उस समय पंजाब के गवर्नर सर माइकेल

* जी. एन. सिंह : लैंडमार्क्स इन इण्डियन कंस्टिट्यूशनल एण्ड नेशनल डेवलपमेंट, पृ. ३८२।

घोड़ायर थे। वे पंजाब के लोह पुरुष के नाम से विख्यात सर माइकेल घोड़ायर थे। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि वे शासक बहुत अच्छे थे, परन्तु राजनीतिज्ञता का उनमें सर्वथा अभाव था।[†] उन्होंने लडाई के लिये सिपाही भरती करने और घन एकत्रित करने में जिन अमानुषीय साधनों का प्रयोग किया था, उनसे वे पहले ही जनता में काफी बदनाम हो चुके थे। उन्होंने अपने प्रान्त में सारी राजनीतिक हलचलों को कुचल डालने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने पंजाब के चारों ओर लोहे का एक आवरण डाल दिया और महात्मा गांधी तथा अन्य चोटी के राष्ट्रीय नेताओं को पंजाब में प्रवेश करने से रोक दिया। ७ अप्रैल १९१९ को पंजाब व्यवस्थापिका सभा में भाषण देते हुये उन्होंने जन-आंदोलन के समस्त सगठन-कर्त्ताओं को यह चेतावनी दी थी कि वे लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं, उसका उन्हें पूरा पूरा फल भुगतना पड़ेगा। १० अप्रैल १९१९ को प्रातः काल ही अमृतसर के जिला-मजिस्ट्रेट ने डाक्टर किचलू और सत्यपाल को, जो कि कांग्रेस का सगठन कर रहे थे, अपने निवास स्थान पर बुला भेजा और वहाँ से चुपचाप किसी अज्ञात स्थान को भेज दिया। इससे सारे शहर में सनसनी फैल गई। सब दुकानें बन्द हो गईं। लोगो का एक झुंड अपने नेताओं के छुटकारे की मांग करने जिला मजिस्ट्रेट के बगले की ओर चला परन्तु उस चौराहे पर जो सिविल लायन और शहर के बीच में है, फौजी सिपाहियो ने भीड़ को तितर बितर करने के लिये दो बार गोलिया चलाई। पुलिस की गोलियो से कम से कम १० व्यक्ति तो मारे गये और कई घायल हुये। इस पर भीड़ भी हिंसक हो गई। शवों को अपने साथ लेकर लोग शहर को वापिस हुये। पाच यूरोपीयो को मार डाला गया। एक बैंक, रेल गोदाम और टाउनहाल समेत कई सार्वजनिक इमारतो को जला दिया गया एक पादरी महिला मिस शेरवुड पर हमला किया गया और उन्हें अर्धमृत अवस्था में छोड दिया गया।

यह देख कर अधिकारी वर्ग कोप और प्रतिशोध की भावना से आगबबूला हो गया। सारा शहर जेनरल डायर की अधीनता में सैनिक अधिकारियो के सिपुर्द कर दिया गया। जेनरल डायर ने भारतीयों को एक सबक सिखाने का और पंजाब में आतंक पैदा करने का दृढ निश्चय कर लिया। १२ वी अप्रैल को उन्होंने यह आज्ञा जारी की कि सार्वजनिक सभाओ पर पाबंदी लगाई जाती है। परन्तु मजे की बात यह है कि इस आज्ञा

† सी. वार्. विज्ञानिक : इन्डियन पोलिटिक्स मैग्जिनेससदिनी, पृ. १२८।

को प्रकाशित करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसी बीच में १३ अप्रैल को जलियावालाबाग में एक सार्वजनिक सभा करने का आयोजन किया जा चुका था। जेनरल डायर ने पहले से इस सभा को रोकने की चेष्टा नहीं की परन्तु जब सभा में २० हजार व्यक्तियों से अधिक एकत्रित हो गये, १०० भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के एक दस्ते को लेकर वह सभा-स्थल पर जा पहुँचा और उसने शांतिपूर्ण जन-सकुल को चेतावनी का एक शब्द भी दिये बगैर "भीड़ पर उससे १०० गज के फासले से गोली चला दी।"* जहाँ पर भीड़ सबसे अधिक थी, गोलियों को उसी दिशा में चलाया गया। कुल १६५० फँस गए और सैनिकों ने गोली चलायी उसी समय बन्द किया जब सब कार्टूस निबट गये। सरकारी भाँकड़ों के अनुसार ३७९ व्यक्ति मरे और कम से कम १२०० व्यक्ति घायल हुये। "आतंकप्रस्त भीड़ तुरन्त ही तितर बितर होने लगी थी परन्तु डायर ने लगातार १० मि० तक गोलियों की बीछार को जारी रक्खा मनुष्यों के उस आतंकित झुँड पर, जिसे कि चूहों के तुल्य पिण्डों में पकड़ रक्खा गया था।"† डायर ने हन्टर-कमेटी के सामने यह कहा था, मैं तो एक फौजी गाडी (आर्मंड कार) ले गया था, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि वह बाग के भीतर घुस ही नहीं सकती थी। इसलिये उसे वही बाहर छोड़ दिया था।"

जलियावाला
हत्याकांड

पंजाब में अधिकारी वर्ग ने जो नृशंसाएँ की, जलियावाला बाग की घटना उन सबमें भयंकर थी। इस कल्लेघर के दो दिन बाद पंजाब के ५ जिलों में सैनिक विधान (Martial Law) घोषित कर दिया गया और उसे अमानवीय निर्दयता के साथ लागू किया गया। 'जेनरल मार्शल ला और आतंक डायर के राज्य में कुछ ऐसी सजाये देखने को मिली, जिनका स्वप्न में भी ख्याल नहीं हो सकता था'। अमृतसर के नलों में पानी बन्द कर दिया गया था और बिजली काट दी गई थी। जिस गली में भिस् शेरवुड पर आक्रमण हुआ था, उस गली में लोगों को पेट के बल रेंगकर जाने की आज्ञा थी। सबके सामने बैत लगाना आम तौर पर चालू था। रेलवे स्टेशनों पर तीसरे दर्जे का टिकट बेचने की मनाही कर दी गई थी। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए यह आज्ञा थी कि वे दिन में चार बार फौजी अफसरों के सामने विभिन्न स्थानों पर हाजिरी दिया करें। कई स्थानों पर किसानों की भीड़ पर गोलियाँ चलाई गईं और हवाई जहाजों से मशीनगन चलाई गईं। यह आदेश जारी कर दिया गया था कि जब कोई

* हन्टर कमेटी के समक्ष दिये गये सर वैंलेंटाइन शिरोल के वक्तव्य में
† वही

हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो वह उसको सलाम करे, अगर सवारी में जा रहा हो या घोड़े पर सवार हो तो उतर जाय, अगर छाता लगाये हुये हो, तो नीचे झुका दे। यह आदेश इसलिए दिया गया था ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि "उनके नये मालिक आये हैं।" यदि स्कूल और कालिज के लडके साहबों को सलाम नहीं करते, तो उनके कोमल बदन पर नृशसतापूर्वक बेतो की मार पडनी थी।

जब पंजाब की इन दुर्घटनाओं का समाचार देश के दूसरे भागों में पहुँचा तो जनता में चारों ओर सनसनी सी फैल गई। कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस नौकरशाही बर्बता के विरोध में अपनी 'सर' की उपाधि को त्याग दिया।

हंटर-कमेटी चारों ओर से इस बात की मांग आने लगी कि पंजाब की इन सारी दुर्घटनाओं की जाच-पडताल की जानी चाहिए। सरकार ने इस सम्बन्ध में बड़ी शिथिलता का परिचय दिया जलियावाला बाग की दुर्घटना के चार महीने बाद उमकी जांच-पडताल करने के लिये लार्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी के तीन भारतीय* और तीन अंग्रेज सदस्य थे। भारतीय सदस्यों ने एक अलग रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें जेनरल डायर के दुःकृत्य की कठोरतम शब्दों में निन्दा की। लेकिन हंटर कमेटी की सरकारी रिपोर्ट ने दण्डपादक साक्ष्य के होते हुये भी जेनरल डायर के अनराध पर लीपापोती करने की कोशिश की और उमे केवल "निर्गुण्य की, जो स्थिति की युक्तिमूलक भावश्यकताओं को ठीक से नहीं समझ सका था, एक भयंकर भूल बताया।" डायर का आचरण कर्तव्य की सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आश्रित था।"

भारत मन्त्री मि माटेग्यू ने कहा 'जेनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार बिल्कुल नेकनीयती के साथ काम किया। अलबत्ता, उससे परिस्थिति को ठीक ठीक समझने में गलती हो गई।' ब्रिटिश-संसद में एक वाद-विवाद के दौरान में कई सदस्यों ने जेनरल डायर के कार्य की सराहना की। कुछ समय के बाद जेनरल डायर के प्रशंसकों ने उन्हें एक तलवार और २०,००० पी० की एक धैली भेंट की। इस प्रकार हम देखने हैं कि ब्रिटेनमें उस व्यक्ति के प्रति यह आदरभाव था, जिसे भारतीय जनमत एक खूनी राक्षस के रूप में देखता था और जिसके बारे में कांग्रेस कमेटी ने यह कह दिया था कि "जेनरल डायर का १३ अप्रैल का कार्य निर्दोष, निरीह, निःशस्त्र मर्दों और बच्चों के जानबूझ कर किये हुये नृशंस हत्याकांड के सिवाय और कुछ नहीं है। यह ऐसी हृदयहीन और बुजदिल पशुता है जिसकी आधुनिक काल में

* सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहिबजादो सुल्तान अहमद और पं. जगत नारायण

‘और कोई मिसाल नहीं मिलती ।’

६२. खिलाफत का प्रश्न

यह बड़ा आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है कि उस समय जब कि जनता पंजाब में होने वाले अन्वयायो के ऊपर बौखला रही थी, महात्मा गांधी ने किसी जन-आंदोलन का सगठन नहीं किया । इसके विपरीत उन्होंने तो कांग्रेस से बाहर निकल जाने की धमकी देकर अमृतसर कांग्रेस में एक ऐसा प्रस्ताव पास करवाया जिसमें लोगो की तरफ से हिंसा का जो प्रदर्शन हुआ था, उसकी निन्दा की गई थी लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी स्वीकार किया गया था कि “बहुत अधिक उत्तेजित किये जाने पर ही लोग क्रोध से बावले हुये थे ।” हाल ही में माटेग्यू वेम्सफोर्ड-सुधार पत्र प्रकाशित हुआ था । सी आर. दास जैसे नेता उमका पूर्ण बहिष्कार करना चाहते थे, परन्तु महात्मा गांधी उन सुधारों की क्रियान्विति में सरकार के साथ सहयोग करने का समर्थन करते थे । सुधार-कानून के सम्बन्ध में पहले कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि सुधार-कानून “अपूर्ण, असन्तोषजनक और निराशा पूर्ण है ।” लेकिन बाद में महात्मा गांधी के प्रभाव से उक्त प्रस्ताव में यह टुकड़ा और जोड़ दिया गया कि “लोग सुधारो को इस प्रकार काम में लावेंगे जिससे भारतवर्ष में शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम हो सके ।” ब्रिक्सफोर्ड ने लिखा है “अब भी, १९१९ के अन्तिम दिनों में भी, वे (महात्मा गांधी) राजभक्त थे, अब भी वे अपने गुरु गोखले के शिष्य थे ।”

अमृतसर कांग्रेस:
दिसम्बर
१९१६

परन्तु १९२० की गरमी के दिनों में हालत बिल्कुल बदल गई । हन्टर कमेटी की रिपोर्ट और सीवर्स की सधि के प्रकाशन ने भारतीय जनता को और भी अधिक हिला कर रख दिया । सीवर्स की सधि के फलस्वरूप टर्की को अपने प्रदेशो से वंचित होना पडा । थूंस यूनान की नज़र कर दिया गया और टर्की-साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों को ब्रिटेन और फ्रांस ने लीग के आज्ञा-पत्रो के बहाने आपस में बांट लिया । मित्र-राष्ट्रों के द्वारा एक हाई कमीशन नियुक्त किया गया जो हर लिहाज से टर्की का असनी शासक बना दिया गया और सुल्तान एक कैदीमात्र रह गया । हम (इस बात को) पहले देख चुके हैं कि टर्की के प्रश्न के ऊपर भारतीय मुसलमान अत्यन्त रोषाश्रेष्ठ हो गये थे । लेकिन उन्होंने इंग्लैण्ड की सहायता उन वचनों पर विश्वास करके की थी, जो ब्रिटिश प्रधान मन्त्री लॉयडजार्ज ने दिये थे । लॉयड-जार्ज ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि “हम टर्की को उसके एशियामाईनर और

सीवर्स की
सधि

शूस के प्रसिद्ध और समृद्ध द्वीपों से वंचित करने के लिये, जिनकी आबादी मुख्यतः तुर्क है, लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।" लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, तो इंग्लैण्ड ने अपने वचन को बुरी तरह भङ्ग कर दिया। टर्की के सुल्तान के स्थान पर खलीफा पद के लिये मक्का के हाकिम और कर्नल लॉरेंस के कृपापात्र शेख हसन के दावो को स्वीकार किया गया और उनका प्रचार किया गया। इंग्लैण्ड के इस विश्वासघात से भारतीय मुसलमानो को तीव्र आघात पहुंचा और देश में एक शक्ति-शाली खिलाफत आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उनकी मांग थी, "टर्की साम्राज्य का संधारण किया जाय और एक ऐहिक व आध्यात्मिक सस्था के रूप में खिलाफत का अविच्छिन्न अस्तित्व बना रहे।" १६ जनवरी १९२० को डाक्टर अन्सारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमण्डल वायसराय से मिला और उसने उन्हें बताया कि टर्की साम्राज्य और खलीफा को बनाये रखना कितना आवश्यक है, इस शिष्टमण्डल का सगठन महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शन में किया गया था। १९२० के मार्च में एक मुस्लिम शिष्टमण्डल मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में इंग्लैण्ड गया, लेकिन वहा से निराश होकर वापिस आ गया। अली-बन्धु कांग्रेस में सम्मिलित हो गये और उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व सम्हाल लिया। मुस्लिम मौलवियो और उलेमाओ ने १९१६ में अपना एक सगठन 'जमीयतउल उलेमा, स्थापित कर लिया था। वे भी खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित हो गये। मुसलमानो में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ अत्यन्त उग्र हो गईं। महात्मा गांधी टर्की के प्रश्न पर मुसलमानो के साथ पहले ही सवेदना व्यक्त कर चुके थे। कई हिन्दू राष्ट्रवादियो ने भी अपने मुस्लिम सहयोगियो के सुर में सुर मिलाया। महात्मा गांधी की दृष्टि में खिलाफत का प्रश्न एक ऐसा सुअवसर प्रदान करता मालूम पड़ता था जिससे कि हिन्दू और मुसलमानों में एकता स्थापित की जा सकती थी और जो १००-वर्षों में भी हाथ नहीं आ सकता था।' सीवर्स सन्धि की शर्तों में सशोधन कराने, पंजाब के अग्न्यायो को दूर करने और भारत को स्वराज्य की ओर ले जाने के उद्देश्य से उन्होने असहयोग आंदोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया। इस प्रकार के आंदोलन के लिये इस समय भारतवर्ष में बिल्कुल उपयुक्त वातावरण तय्यार था।" खिलाफत और पंजाब के अत्याचारो तथा अपर्याप्त सुधारों की फल्यु ने उबलती हुई त्रिवेणी का रूप धारण कर लिया। इस त्रिधारा ने राष्ट्रीय असन्तोष के प्रवाह को और भी प्रबल कर दिया।*

* पद्मिनी सीता रामय्या- दि हिस्ट्री आफ दि कांग्रेस; पृ. ३३५

६३. असहयोग आन्दोलन पर कांग्रेस की स्वीकृति

अब महात्मा गांधी को इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि वे हिन्दुओं और मुसलमानों-दोनों को ही समान भाव से अपने असहयोग आन्दोलन की पताका के नीचे एकत्रित कर सकते हैं। सितम्बर १९२० में कलकत्ते में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग की नीति को अपनाने का प्रस्ताव उपस्थित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि कांग्रेस अहिंसक असहयोग की नीति पर उस समय तक चलेगी "जब तक कि कथित अन्याय दूर नहीं हो जायेंगे और स्वराज्य की स्थापना न हो जायेगी"† प्रस्ताव के पक्ष में १८८६ और विपक्ष में ८८४ मत पड़े थे। विपिन चन्द्रपाल, देशबन्धु चित्तरंजन दास, प० मदन मोहन मालवीय, मि० जिन्ना और श्रीमती एनी बीसेंट ने प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। तिलक की ३ जुलाई, १९२० को मृत्यु हो चुकी थी, उनके अनुयाइयों ने सारपट्टे के नेतृत्व में महात्मा गांधी की योजना का प्राणपण से विरोध किया। और तो और इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपतराय तक भी महात्मा गांधी के इस असहयोग के प्रस्ताव के विरुद्ध थे। कांग्रेस का नियमित अधिवेशन दिसम्बर १९२० में नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के प्रोग्राम को विधिवत् स्वीकार कर लिया गया। इस बार प्रस्ताव के पक्ष में बहुत अधिक मत पड़े। नागपुर अधिवेशन सी० आर० दास ने प्रस्ताव का जोर से विरोध किया दिसम्बर १९२० लेकिन उनकी एक भी नहीं चली। लेकिन जब प्रस्ताव पास हो गया, तब उन्होंने महात्मा गांधी को पूरा सहयोग देने का वचन दिया। नागपुर अधिवेशन का महत्व इस कारण भी है कि उसके बाद से कांग्रेस की नीति में परिवर्तन हो गया। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का ध्येय "इस तर्ज से बदल दिया गया कि उसमें ब्रिटिश सम्बन्ध व वैष- कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आंदोलन का, जिसमें कांग्रेस अभी तक विश्वास करती थी, कोई उल्लेख ही न रहा।" अब कांग्रेस का ध्येय "शांतिमय व उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना" * घोषित किया गया। कलकत्ते और नागपुर के अधिवेशनों ने इस बात को स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अब गांधी युग का निश्चित रूप से सूत्रपात

† वही, पृ. ३४१

* पट्टाभि सीता रामय्या- दि हिस्ट्री आफ दि कांग्रेस, पृ. ३५२

हो चुका था। कांग्रेस के समूचे दृष्टिकोण को, उसकी तर्ज को बदलने में गांधी जी को सफलता मिली। पहले जहाँ यूरोपीय वस्त्रों की प्रधानता रहती थी वहाँ अब खादी के वस्त्र सुशोभित होने लगे।

कांग्रेस में एक नूतन उत्साह का, नूतन प्राणधार का, नूतन प्रेरणा का संचार हुआ। अब तक कांग्रेस की गति में कुछ विशेष जान नहीं मालूम पड़ती थी, अब उसने वेगवान महानदी का रूप धारण कर लिया और वह द्रुतगति से अपने निश्चित लक्ष्य की ओर चल पड़ी। पट्टाभि सीता रामय्या के शब्दों में "नागपुर कांग्रेस से वास्तव में भारत के इतिहास में एक नया युग पैदा होता है। निर्बल क्रोध और आग्रह पूर्ण प्रार्थनाओं का स्थान उत्तरदायित्व के एक नए भाव और स्वावलम्बन की एक नई भावना ने ले लिया। जनता ने अनुभव कर लिया, कि यदि उसे स्वतंत्र होना है, तो उसे उसके लिये स्वयं प्रयास करना पड़ेगा।"

६४. असहयोग आंदोलन

महात्मा गांधी ने अगस्त १९२० में असहयोग आंदोलन को प्रारम्भ किया। असहयोग का कार्यक्रम निम्न लिखित था: (१) सरकारी उपाधियाँ और अवैतनिक पद छोड़ दिये जाय और स्थानीय मस्थानों के मनोनीत सदस्य अपना स्थान रिक्त कर दें। (२) न तो सरकारी उत्सवों या दरबारों में शामिल हुआ जाय और न सरकार द्वारा या सरकार के सम्मान में किये गये सरकारी या गैर सरकारी उत्सवों में। (३) सरकारी, या सरकारी महायता-प्राप्त या सरकार के अधीन स्कूलों और कालिजों का बहिष्कार किया जाय और इन स्कूलों और कालिजों के स्थान पर राष्ट्रीय स्कूल और कालिज स्थापित किये जायें। (४) धीरे धीरे सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाय और भूगडों के निवटारे के लिये पंचायती अदालतें स्थापित की जायें। (५) सैनिक, बलर्की और मजदूरी पेशेवाले लोग मेमोपोटामिया में काम करने के लिए भर्ती न हों। (६) मुधार योजना के अनुसार बनने वाली व्यवस्थापक सभाओं के उम्मीदवार उम्मीदवारी वापिस ले लें और कांग्रेस के निर्णय के प्रतिकूल खड़े होने वाले उम्मीदवारों को कोई वोट न दे। (७) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय। प्रत्येक घर में हाथ की कटाई व बुनाई पुनर्जागृत की जाय। कांग्रेस के और खिलाफत के नेताओं ने साथ साथ मिल कर काम किया। हिंदू मुस्लिम एकता का नारा हर जगह से सुनाई देता था। जवाहर लाल नेहरू ने लिखा

* पट्टाभि सीता रामय्या- दि हिस्ट्री आफ दि कांग्रेस, पृ. ३५३

है "सर्वत्र हिंदू-मुसलमान की जय का बोल बाला था ।' महात्मा गांधी ने यह जुले तौर पर कह दिया था कि इस आंदोलन में अहिंसा का कड़े रूप से पालन होना चाहिए । जब अली-बन्धुओं ने कुछ ऐसे भाषण दिये जिनसे कि इस बात का सन्देह हो सकता था कि वे हिंसा को उत्तेजित करते हैं तो महात्मा गांधी ने सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के प्रत्येक इरादे की निन्दा करवाई जो कि हिंसा के प्रचार करने का उद्देश्य अपने सामने रखता हो । महात्मा गांधी का तो केवल आत्म-बल और अहिंसा में ही विश्वास था । वे इसी शक्ति के द्वारा सरकार के पाशाविक बल का सामना करना चाहते थे ।

महात्मा गांधी ने कह तो यह क्लार था कि असहयोग आंदोलन के द्वारा एक ही वर्ष में स्वराज्य प्राप्त हो जायगा । यद्यपि उनका यह वचन तो पूरा नहीं हुआ, परन्तु फिर भी असहयोग आंदोलन का प्रभाव अत्यन्त सराहनीय पड़ा । नई कॉमिन्स का जो बहिष्कार किया गया, वह अत्यन्त प्रभावोत्पादक था । कांग्रेस के आदमियों ने अपनी उम्मीदवारी को वापिस ले लिया और २१३ में अधिक मनदाताओं ने अपने मत ही नहीं डाने । कुछ स्थानों पर तो मनदान पेटिया बिल्कुल खाली की खाली पड़ी रही । राज्य-नियंत्रित स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल आये । महात्मा गांधी ने स्कूलों और कॉलेजों के बारे में कहा था कि ये तो बलकं तय्यार करने के कारखाने हैं । कई स्थानों पर राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई । काशी विद्यापीठ, बंगाल और पंजाब के राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और दिल्ली की जामिया-मिलिया आदि की स्थापना उभी समय की गई थी । बकीलों में भी बहुत बड़ी तादाद में अशरतों का बहिष्कार किया । असहयोग आन्दोलन में भाग लेने वाले बकीलों के भरण-पोषण के लिये मेठ जमनालाल बजाज ने एक लाख रुपये का दान दिया । कांग्रेस और खिलाफत के स्वयं सेवकों ने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की । खिलाफत-परिषद ने किसी भी मुसलमान के लिये ब्रिटिश सरकार की नौकरी करना 'हराम' घोषित कर दिया और एक फरमान जारी करके सहृदय मुसलमानों में यह मांग की कि वे सेना और पुलिस की नौकरी को बिल्कुल त्याग दें । संक्षेप में असहयोग आन्दोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राज-नीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएँ हैं, उन सब का बहिष्कार कर दिया जाय और इस प्रकार सरकार की मशीनरी बिल्कुल ठप्प हो जाय ।*

असहयोग आन्दोलन ने जनता के उत्साह को बहुत ऊँचे शिखर पर पहुँचा दिया था । इस आन्दोलन ने जनता के हृदय में आशावाद, स्वावलंबन, उत्तेजना और

* रूपलैण्ड: इंडिया, ५ रिस्टेटमेंट, पृ. ११८-१९ ।

प्रिंस ऑफ वेल्स की
भारत-यात्रा

निर्भीकता का अपूर्व संचार किया था। सरकार की समझ में नहीं आता था कि इस परिस्थिति का कैसे सामना किया जाय। वह हैरान और परेशान थी। असहयोग आन्दोलन के प्रभाव को दूर करने के लिये सरकार ने 'अमन सभायें' स्थापित करने की चेष्टा की, परन्तु यह चेष्टा नितांत असफल सिद्ध हुई। १९२१-२२ के जाड़े में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आने वाले थे। सरकार इस बात के लिये उत्सुक थी, कि जब तक प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में ठहरे, यहाँ के वातावरणमें पूर्ण शान्ति बनी रहे। लेकिन कांग्रेस ने निश्चय किया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के सम्बन्ध में जो भी उत्सवादि हो, उन सबका बहिष्कार किया जाय। कांग्रेस ने अपने इस निश्चय को कार्यरूप में भी परिणत किया। प्रिंस ऑफ वेल्स २७ नवम्बर को भारत पधारे; देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जहाँ कहीं भी वे गये, हड़तालो और शोक-प्रदर्शनों से उनका स्वागत हुआ। यह परिस्थिति बहुत कुछ दुर्भाग्यपूर्ण थी क्योंकि बेचारे युवराज का तो कोई दोष था नहीं। प० मदन मोहन मालवीय और मि० जिन्ना ने समझौते के लिये कठिन परिश्रम किया। वायसराय भी समझौता करने के इच्छुक थे, वे 'शान्ति के लिये ऊँची कीमत देने को तय्यार थे,' लेकिन महात्मा गांधी ने समझौते की किसी वार्ता में भाग लेने में इन्कार कर दिया। उस समय अली बन्धु जेल में थे। गन्धी जी ने कहा कि जब तक सरकार अली बन्धुओं को जेल से मुक्त नहीं कर देती, सतझौते की वार्ता से कोई लाभ नहीं निकलेगा। फगत सरकारी अफसरों और कुछ राजभक्त भारतीयों के सिवा प्रिंस ऑफ वेल्स का किसी ने भी स्वागत नहीं किया। कुछ स्थानों पर तो थोड़ी सी हिसक घटनाएँ हो गईं जैसे आम-तौर पर प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार सब स्थानों पर शान्तिपूर्ण रीति से हुआ। बम्बई में बल्वा हो गया, जिस पर महात्मा गांधी ने घोर व्यथा व्यक्त की।

अब नौकरशाही ने अपना दमन-चक्र पूरे जोशो-खरोश के साथ चलाना शुरू किया। भारत-सरकार ने सभी स्थानीय सरकारों को इस बात का आदेश दिया कि वे असहयोग आन्दोलन को बिना किसी भिन्नक के पूरी तरह से कुचल कर रख दें। १९२२ के समाप्त होने के पूर्व ही पूर्व, जब कि महात्मा गांधी के वचनानुसार भारत को स्व-राज्य मिलने वाला था, अधिकांश नेताओं, अली बन्धुओं, मोतीलाल नेहरू, चितरजनदास, अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपतराय, जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस आदि को पकड़ कर जेल में ठूस दिया गया। असहयोग आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया और कैदियों की संख्या शीघ्र ही ५०,००० तक पहुँच गई। सभी सार्वजनिक सभाओं

सरकार का
दमन-चक्र

पर पाबन्दा लगा दी गई और राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को गैर-कानूनी निकाय घोषित किया गया ।

सरकार की इस दमन नीति की कांग्रेस के ऊपर यह प्रतिक्रिया हुई कि उसने अपने अहमदाबाद अधिवेशन (१९२१) में व्यक्तिगत और समष्टिगत दोनों रूपों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया । कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव द्वारा महात्मा गांधी को कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सर्वाधिकारी नियत किया । सच तो यह है कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन एक प्रकार से कुछ स्थानों पर पहले से ही प्रारम्भ हो गया था । १९२१ में मिदनापुर में एक 'कर-नही' आन्दोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था । महात्मा गांधी ने बयसराय को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया कि वे बारदोली और गन्नूर में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करना चाहते हैं । गांधी जी ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि अगर "सरकार उन सभी कैदियों को मुक्त कर दे जो अहिंसात्मक कार्यों के लिये जेल गये हैं" और "देश की सारी अहिंसात्मक हलचल के सम्बन्ध में तटस्थता की घोषणा कर दे" तो "मे निःस्सकोच भाव से सलाह दूंगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दबाव न डालत हुए देश अपनी निश्चित भागों की पूर्ति के लिए और भी ठोस लोकमत तैयार करे ।"* महात्मा गांधी ने अपनी माँगों को स्वीकार करने के लिए सरकार को सात दिनों का समय दिया । लेकिन यह समय अभी पूरा भी नहीं हो पाया था कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक ऐसी दुःखद घटना हो गई जिसने भारतीय इतिहास की धारा का विलकुल पलट दिया । ५ फरवरी को चौरी चौरा में एक कांग्रेसी जलूस निकल रहा था । इस अवसर पर क्रोधवैष्टित भीड़ ने २१ सिपाहियों और धावेदार को धाने में खदेड़ दिया और आग लगा दी । वे सब आग में जल मरे । जब यह भयावह समाचार महात्मा गांधी को मिला, तो उन्हें, मर्मस्पर्शी आघात पहुंचा । उन्होंने सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का विचार तुरन्त छोड़ दिया । रचनात्मक कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया "जिसमें कांग्रेस के लिए एक करोड़ सदस्य भरती करना, चरखे का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलना, मादक-द्रव्य-निषेध और पंचायतें संगठित करना आदि शामिल था ।"† सविनय अवज्ञा और अस-

*पट्टाभि सीता रामय्या : दि हिस्ट्री ऑफ दि कांग्रेस, पृ. ३६६

†वही पृ. ३६८

हयोग आन्दोलन ठंडे पड़ गए।

परन्तु महात्मा गांधी ने आंदोलन को इस आकस्मिक रूप से जो स्थिति किया था, उसका कांग्रेस के चोटी के नेताओं ने विरोध किया। “पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय ने जेल के भीतर से लम्बे-लम्बे पत्र लिखे। उन्होंने गांधी जी को किमी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने के लिए आड़े हाथों लिया।”^{*} सुभाष बोस के अनुसार “सी आर दास को इससे अपरा क्लेश पहुँचा।” बोस ने लिखा, “उस समय जबकि जनता का उत्साह ‘बुद्बुदाक’ पर पहुँच रहा था, मैदान छोड़ने का आदेश दे देना राष्ट्रीय दुर्विपाक से कुछ कम न था।”[†] जवाहर लाल नेहरू ने लिखा, “हमने बड़े आश्चर्य और उद्वेग के साथ जेल में सुना कि गांधी जी ने हमारे सघर्ष के उग्र पहलुओं को रोक दिया है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया है।”[‡] मुसलमानों पर इस सारी कार्यवाही का बहुत बुरा असर हुआ, वे कांग्रेस से खिचते से गये और “पुन उस विश्वास और बन्धुत्व की प्रतिष्ठा करना असम्भव था जिसने कि एकवार मित्रता के इस सक्षिप्त काल में दोनों जातियों को एकता के मूत्र में ग्रथित कर दिया था।”^{*}

६५. असहयोग आन्दोलन की सफलताएं और असफलताएं

असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के साथ ही साथ उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया होनी प्रारम्भ हो गई। ४ मार्च, १९२२ को महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिये गये। राजद्रोह के अपराध में उन्हें ६ वर्ष के कारावास का दंड मिला। परन्तु जेल में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें दो वर्ष बाद ही छोड़ दिया गया। कांग्रेस द्वारा नियत की गई सविनय अवज्ञा जाच समिति के मत में असहयोग आंदोलन ने बहुत कम सफलता प्राप्त की थी। वस्तुतः यह आंदोलन अपने ध्येयो पंजाब और खिलाफत के अन्यायों के निवारण और स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य-में नितान्त असफल सिद्ध हुआ। बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने असहयोग आंदोलन की असफलता का उत्तरदायित्व महात्मा गांधी के सिर मढ़ा। सुभाष बोस के अनुसार “एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का वचन न केवल अविश्वेकपूर्ण ही था अपितु बालक

* पट्टाभि सीतारामय्या : दि हिस्ट्री ऑफ दि कांग्रेस, पृ. ३६६-४००

† सुभाष बोस : दि इण्डियन स्ट्रगल, पृ. १००

‡ जवाहर लाल नेहरू : अउटोबाइोग्राफी, पृ. ८१

* पंच. पस पोलक : महात्मा गांधी, पृ. १५३

सहसा भी था।"* भारतीय राजनीति में खिलाफत के प्रश्न को सम्मिलित करना दुर्भाग्यपूर्ण था। "खिलाफत आंदोलन की बुनियाद गसत थी।.....इधर तो भारतीय मुसलमान इस्लामी थियोक्रेसी असहयोग आंदोलन की की पुरानी दुनिया की रूमानी परम्पराएं पुनर्जीवित कर दुर्बलताएं रहे थे, दूसरी ओर टर्क जिनके हित के सम्बन्ध में उनका विश्वास था कि वे यह काम कर रहे हैं, इसका भजाक बनाते थे और इसे मध्ययुगीन भौंडापन कहते थे।"† कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की धर्म-निरपेक्ष गणराज्य के रूप में अवतरित हुआ और १९२२ में खिलाफत का अंत कर दिया गया तथा खलीफा को निर्वासित कर दिया गया। फलतः भारत में खिलाफत आंदोलन की जड़ ही कट गई।

असहयोग आंदोलन के आकस्मिक रूप से ठप्प हो जाने से कांग्रेस-लीग की मिश्रता भी समाप्त हो गई। इसके बाद हिन्दू-मुसलिम एकता की भावना भी कुंठित होने लगी। १९२१ के अंत में मलाबार में 'खिलाफत राज्य' की स्थापना के उद्देश्य से मोपला विद्रोह हुआ। बर्बर मोपलो ने "न केवल कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को ही मारा, अपितु उससे कहीं अधिक अपने हिन्दू पड़ोसियों की हत्या कर डाली।"* जब महात्मा गान्धी जेठ में थे, सारे देश में साम्प्रदायिक उपद्रव होने प्रारम्भ हो गये। भारतीय राजनीति में धार्मिक तत्त्व की वृद्धि कोई अच्छी बात नहीं थी। इसकी वजह से देश में धर्मान्धता की ऐसी शक्तियाँ पैदा हो गईं, जिन्हे कि बश में नहीं किया जा सकता था।

लेकिन असहयोग आंदोलन की उक्त दुर्बलताओं से हमें यह न समझ लेना चाहिए कि उसकी महत्ता किसी प्रकार से कम है। इस आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीयता में नये जीवन का संचार किया। इसने स्वतंत्रता और निर्भीकता की नई भावना को पैदा किया। असहयोग असहयोग आंदोलन आंदोलन से भारतीयों के हृदय में आत्म-सम्मान, आत्म-विश्वास और आत्म-निर्भरता का भाव उत्पन्न हुआ। लोगों के हृदयों में पहले जो डर का और आतंक का भाव समाया रहता था, पुलिस का, सरकार का और कानून का, असहयोग आंदोलन ने मानो छू मतर उड़ा दिया और जनता की नस नस में साहस की बिजली भर दी। अपने मन की बात कहने में पहले लोग जिस क्रिभ्रक का अनुभव करते थे, अब वह दूर हो गई। इसके अलावा, असहयोग आंदोलन

* सुभाष बोस : दि इंडियन स्ट्रगल, पृ. १०४

† पोलक : महात्मा गांधी, पृ. १६०।

‡ सायमंड्स : दि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, पृ. ४७-४८।

सच्चे अर्थों में, भारत का पहला जन-आंदोलन था। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी जन-आंदोलन था, परन्तु असहयोग आंदोलन का प्रभाव उक्त आंदोलन से कहीं अधिक व्यापक हुआ। १९१७ तक का राष्ट्रीय आंदोलन उच्च मध्यम वर्गीय लोगों तक ही सीमित था, लेकिन अब यह आंदोलन देहातों में भी पहुँच गया, किसानों ने इसमें जो खोल कर हिस्सा लिया और अब राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें जनसाधारण के अन्तराल में जम गईं। असहयोग आंदोलन की क्या महत्ता थी, इस पर कूपलैण्ड ने निम्न शब्दों में बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है “उन्होंने, (गांधी जी ने) वह काम किया जिसे तिलक नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रान्तिकारी आंदोलन के रूप में बदल दिया। उन्होंने उसे स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया। सरकार के ऊपर वैधानिक दबाव डालकर नहीं, वादविवाद और समझौते के द्वारा नहीं, अपितु शक्ति के द्वारा और शक्ति भी अहिंसा की। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रान्तिकारी ही नहीं बनाया, अपितु उसे लोकप्रिय भी बना। दिया अभी तक वह नगर के बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, अब वह देहात की जनता तक भी पहुँच गया.....गांधी जी के व्यक्तित्व ने भारत के देहातों में जागृति पैदा कर दी थी।”*

६६. स्वराज्य-दल और कौंसिल-प्रवेश

१९२२ में कांग्रेस राजनीति में एक नई विचारधारा का विकास हुआ। हम देख चुके हैं कि १९१९ में महात्मा गांधी ने मोटफोर्ड सुधारों के प्रति सहयोग करने का विचार व्यक्त किया था लेकिन इसके विपरीत बङ्गाल के महान् नेता चितरजन दास ने उनका पूर्ण बहिष्कार करने का समर्थन किया था। १९२० में स्थिति उल्टी हो गई। महात्मा गांधी असहयोग के समर्थक हो गये। कांग्रेस ने असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार किया जिसमें कौंसिलों का बहिष्कार भी शामिल था। सी. आर. दास और मोतीलाल नेहरू इस प्रश्न के ऊपर व्यक्तित्व रूप से महात्मा गांधी से मतभेद रखते थे लेकिन जब प्रस्ताव पास हो गया, उन्होंने गांधी जी को सहयोग देने का आश्वासन दिया। १९२२ में कांग्रेस पुनः दो दलों में बँटती हुई मालूम पड़ती थी। सी. आर. दास ने अपनी कारावास-अवधि में स्वराज्य दल संगठित करने की योजना तय्यार की। १९२२ की गया कांग्रेस के वे सभापति हुये। कांग्रेस के इस अधिवेशन में परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच में जोर की खीच-तान हुई। अपरिवर्तनवादी महात्मा गांधी द्वारा

* कूपलैण्ड : इन्डिया, प रिस्टेडमेंट, पृ० ११६।

निर्धारित असहयोग और रचनात्मक कार्यक्रम पर ही डटे रहना चाहते थे। इस समय महात्मा गांधी जेल में थे। इसके विपरीत परिवर्तनवादी असहयोग आंदोलन को एक नई दिशा देना चाहते थे। चित्तरंजनदास, मोतीलाल नेहरू और वी. जी. पटेल इन लोगों के नेता थे। इन लोगों का भुकाव अडंगा नीति की तरफ था। वे चाहते थे कि कौंसिलो में प्रवेश करें और वहां पर असहयोग व अडंगे की नीति द्वारा मोटफोर्ड सुधारो को बिल्कुल नष्टभ्रष्ट कर दें। गया कांग्रेस में अपरिवर्तनवादियों की ही विजय रही।

गया कांग्रेस में अपरिवर्तनवादी जीत तो गये लेकिन वह अपनी जीत का उपभोग अल्पकाल तक ही कर सके। १९२३ की शुरु साल में ही चित्तरंजन दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग-पत्र दे दिया और स्वराज्य-दल का संगठन करने का अपना निश्चय घोषित किया। इस बात के **स्वराज्य-दल** चिन्ह दिखाई देते थे कि असहयोग अब क्षत-विक्षत हुआ जा रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलनको चालू रखना असम्भव प्रतीत होने लगा था। खिलाफत नेताओं का उत्साह भी ठंडा पड़ता जा रहा था। गया कांग्रेस के पूर्व ही जमीयत-उल उनेमा ने एक फनवा प्रकाशित किया जिसमें कौंसिल-प्रवेश को 'हराम' तो नहीं पर 'ममनून' घोषित किया। सितम्बर १९२३ में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौंसिल प्रवेश का समर्थन करने वाले दल ने बिना कठिनता के कांग्रेस से अनुमति-सूचक प्रस्ताव पास करा लिया कि 'जिन **कांग्रेस कौंसिल-प्रवेश** कांग्रेसियों को कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या और **की अनुमति देती** किसी प्रकार की आपत्ति न हो, उन्हें अगले निर्वाचनो में **है** खड़े होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपभोग करने की आजादी है।" स्वराजिस्टो ने अपनी विजय को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में सम्पन्न बेलगाव कांग्रेस में हट कर लिया। महात्मा गांधी को स्वयं स्वराज्य दल की इस योजना से बहुत कम सहानुभूति थी कि कौंसिलो के अन्तर्गत विरोध के द्वारा अपर्याप्त मोटफोर्ड सुधारो की कार्यान्विति में अडंगा लगाया जाय। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस में स्वराजिस्टो का बहुमत है तो उन्होंने कौंसिल प्रवेश पर अपनी 'मौन' अनुमति दे दी। यद्यपि महात्मा गांधी ने स्वयं को स्वराज्य-दल की सासद-हल-चलों से बिल्कुल पृथक् रखा, तथापि स्वराज्य-दल का संगठन कांग्रेस के राजनीतिक पक्ष के रूप में किया गया था। महात्मा गांधी ने कत्ताई, बिदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा रचनात्मक कार्यक्रम के अन्यान्य पहलुओं पर सर्वाधिक बल दिया। स्वराजिस्टों ने इस कार्यक्रम के प्रति अपनी निष्ठा घोषित की और इस प्रकार सूरत-विच्छेद की

पुनरवतारणा होनेसे बच गई।

जैसा कि स्वराज्य दल के नाम से ही स्पष्ट होता है, उसका लक्ष्य स्वराज्य को प्राप्त करना था। स्वराज्य से उनका अभिप्राय साम्राज्य के अन्तर्गत 'डोमीनियन स्टेट्स' को उपलब्ध करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये गांधीवादी जिन साधनों का समर्थन करते थे, उनसे स्वराजिस्टों का मतभेद था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्वराजिस्टों का बहुत कम विश्वास था। कौंसिलो के बहिष्कार के भी वे विरोधी थे। उन्होंने असहयोग का एक नया अर्थ लगाया। वे चाहते थे कि निर्वाचनों में पूरा हिस्सा लिया जाय और व्यवस्थापक मण्डलो की अधिक से अधिक सीटों पर वज्रा कर लिया जाय, सरकार के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से नहीं, अपितु उसकी नीति में "एकरूप, अविच्छिन्न और सतत रोडा" अटकाने के उद्देश्य से। स्वराजिस्टों का मूलमंत्र था सरकार के कार्यों में बाधा उपस्थित करना, रोडे अटकाना। वे कौंसिलो के अन्दर प्रवेश करके मोटफोर्ड सुधारो को बिल्कुल छिन्न-भिन्न कर डालना चाहते थे। प० मोतीलाल नेहरू और देशबन्धु चितरजन दास ने 'अडंगा' शब्द को स्पष्ट कर दिया था "हमने अपने कार्यक्रम में अडगा शब्द का जो व्यवहार किया है, सो ब्रिटेन की ससद के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं। मातहत और सीमित अधिकारो वाली कौंसिलों में उस अर्थ में अडगा डालना असम्भव है क्योंकि सुधार-कानून के अन्तर्गत असेम्बली और कौंसिल के अधिकार गिने चुने हैं। पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा विचार अडगा डालने की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही द्वारा डाली गई रुकावटों का मुकाबला करना अधिक है।"*

स्वराजिस्ट इस बात को दावे के साथ कहते थे कि "कौंसिल-प्रवेश का प्रोग्राम असहयोग के सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल" † था। उनका प्रोग्राम व्यवस्थापक मंडलों के अन्दर असहयोग करने का था। वे चाहते थे कि नौकरशाही की नाक के नीचे उसके गठ में प्रवेश करके असहयोग के झंडे को ऊंचा रक्खा जाय। कौंसिलो के अन्दर स्वराजिस्टो की योजना (१) बजटो को रद्द करने और (२) उन सब कानूनी प्रस्तावों को अस्वीकार करने की थी जिनके द्वारा नौकरशाही अपनी स्थिति को दृढ़ करने की चेष्टा करती थी। 'अडंगा' स्वराज्य-दल के कार्यक्रम का विध्वंसात्मक पक्ष था। रचनात्मक पक्ष में स्वराज्य दल का कार्यक्रम उन प्रस्तावो, योजनाओ, और विधेयकों को

* पृष्ठाभि सीता रामय्या दि हिस्ट्री ऑफ़ दि कांग्रेस पृ० ४५६

† वही पृ० ४२६।

पेश करना था जो राष्ट्रीय जीवन की वृद्धि करने के लिए और फलतः नौकरशाही की जड़ उखाड़ने के लिये आवश्यक हो। कौंसिलों के बाहर स्वराजिस्टो ने महात्मा गान्धी के रचनात्मक कार्यक्रम को हार्दिक सहयोग देने का और कांग्रेस संगठनों के द्वारा उसे कार्यरूप में परिणत करने का बचन दिया। उन्होंने इस बात की भी घोषणा कर दी थी "कि ज्यों ही हमें मालूम पड़ेगा कि सत्याग्रह के बिना नौकरशाही की स्वार्थपूर्ण हठधर्मी का सामना करना असम्भव है, हम तत्काल कौंसिलों को छोड़ कर देश को, सत्याग्रह के लिये तय्यार करने में, यदि वह स्वयं ही उस समय तक तय्यार न हो सका तो, उनकी (महात्मा गान्धी की) सहायता करेंगे। तब हम बिना हीले हवाले के उनके पीछे होंगे और कांग्रेस की सत्याग्रहों द्वारा उनके झंडे के नीचे काम करेंगे जिससे सब मिलकर सत्याग्रह का ठोस कार्यक्रम पूरा कर सकें।"

द्वेष शासन-प्रणाली को नष्ट-भ्रष्ट करने के कार्यक्रम को अपने सामने रख कर और कांग्रेस का पूरा समर्थन पाकर स्वराज्य-दल १९२३ के चुनावों के अखाड़े में कूद पड़ा। चुनावों में स्वराज्य दल को आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई। बंगाल और सी० पी० में तो स्वराज्य-दल की स्वराज्य-दल की सफलता को देखकर लोग दंग रह गए। केन्द्रीय व्यवस्था- सफलताएं पिका सभा में १८५ सीटों में से ४५ सीटें स्वराज्य-दल के (क) केन्द्र में कब्जे में आ गई। पंडित मोती लाल नेहरू के समर्थ नेतृत्व में राष्ट्रवादी और स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन व सहानुभूति प्राप्त कर स्वराज्य दल ने अपना काम चलाऊ बहुमत बना लिया। १८ फरवरी १९२४ को प० मोतीलाल नेहरू के उम प्रस्ताव को पाम करवाने में स्वराज्य-दल ने सफलता प्राप्त की जिसमें कि एक ऐसी गोलमेज परिषद की मांग की गई थी जो कि पूर्ण उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त पर आधारित भारत के लिये एक सविधान की सिफारिश करे। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप ही मोटफोर्ड मुशारो की क्रियान्विति की जाच पडताल करने के लिये मुडीमैन कमेटी की नियुक्ति हुई। प० मोतीलाल नेहरू को डम कमेटी में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रण दिया गया लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया।* स्वराजिस्टो ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार को पराजित कर दिया। इन प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव वह था जिसमें कि कुछ राजनीतिक कैदियों के छुटकारे और १८८ के रेगुलेशन(III)को रद्द करने की मांग की गई थी। १९२४-२५ के बजट के मतापेक्षी भाग को अस्वीकार कर दिया गया और सरकार को उसकी

* इस कमेटी में सर तेजबहादुर सप्रू, मि० जिन्ना और म० सी० पी० शिन्धवामी अख्यर सम्मिलित थे।

पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा था। स्वराजिस्टो ने गवर्नर जनरल के उत्सवों और भोजों में सम्मिलित न होने का नियम बना लिया था। यह ठीक है कि स्वराज्य-दल सरकार की गति में अड़ंगा लगाने में सफल हुआ, लेकिन वह उसे रोक नहीं सका। स्वराज्य-दल के सदस्यों का अपना विरोध प्रदर्शित करने का एक प्रिय तरीका व्यवस्थापिका सभा से 'वाक् आउट' कर जाना था। सर तेजबहादुर सप्रू उनके इन नाटकीय प्रदर्शनों को "देश भक्ति का गमनागमन" कहा करते थे।

जहाँ तक प्रांतों का सम्बन्ध है स्वराज्य दल ने बंगाल और मध्य प्रांत में विशेष सफलता प्राप्त की। इन दोनों प्रांतों में स्वराजिस्टो ने द्रष्टव्य शासन प्रणाली की मशीनरी को बिल्कुल ठप्प कर दिया। बंगाल में स्वराजिस्टों (ख) प्रांतों में का स्पष्ट बहुमत था। उनके नेता चितरंजनदास से कहा गया कि वे अपने मंत्रिमण्डल का निर्माण करें। उन्होंने न केवल स्वयं ही मंत्रिमण्डल बनाना अस्वीकार किया, अपितु और किसी को भी मन्त्रिमण्डल का निर्माण नहीं करने दिया। २३ मार्च १९२४ को लेजिस्लेटिव कांसिल ने दो मन्त्रियों के वेतन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। प्रस्ताव के पक्ष में ६३ और विपक्ष में ६९ मत पड़े। फलतः मन्त्रियों को अपना त्यागपत्र देने के लिये बाध्य होना पड़ा। १९२५ में सी आर दास ने [द्वैध-शासन-प्रणाली के कफन में अंतिम कील ठोकने और उसके ऊपर एक मरसिया लिखने के अपने निश्चय में सफलता प्राप्त कर लेने का दावा ठीक ही किया था। जून १९२५ में दास बाबू की मृत्यु हो गई। इससे बंगाल में स्वराज्य दल के प्रभाव को गहरा धक्का लगा। लेकिन तीसरी बार भी उसने मंत्रिमण्डल के निर्माण को असंभव कर दिया और गवर्नर को सदन भंग कर देने के लिए विवश होना पड़ा। स्वराज्य दल की सफलता के सम्बन्ध में एच. एन. ब्रेलसफोर्ड ने कहा "भेरे विचार से अड़ंगा लगाने की नीति बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसने ब्रिटिश अनुदार दलवालों को भी इस बात का कायल कर दिया कि द्वैध शासन प्रणाली अव्यवहार्य है।" * ब्रकॅनहेड ने स्वराज्य [दल के सम्बन्ध में कहा कि "१९१६ भारतवर्ष में सबसे अधिक सगठित राजनीतिक दल है।" †

१९२५ में देशबन्धु चितरंजन दास की मृत्यु के पश्चात् स्वराज्य दल की शक्ति का शनैः शनैः ह्रास होना प्रारम्भ हो गया। सरकार के कामों में अड़ंगा लगाने की

* पोलक: महात्मागांधी, पृ. १६५।

† पट्टाभि सीतारामय्या: दि हिस्ट्री ऑफ दि कांग्रेस पृ. ४८४।

जिस मूल नीति को लेकर स्वराज्य दल का जन्म हुआ, अब इस नीति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। वैसे तो स्वराज्य दल दास बाबू की मृत्यु के पूर्व ही "सतत और अविच्छिन्न आंदोलन लाने" के रास्ते से अलग हटता मालूम पड़ने लगा था। अक्टूबर १९२४ में स्वयं दास बाबू ने सरकार से सहयोग करने के लिये कुछ शर्तें रखी थी।

स्वराज्य दल का
सहयोग की शर्तें
भुकाव

उन्होंने कहा था "मेरे हृदय परिवर्तन के लक्षण हर जगह देख रहा हूँ। मेल जोल के चिन्ह मुझे हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। सत्ता संघर्ष से थक गया है और उसमें मुझे सर्जन और सगठन की इच्छा दिखाई पड़ रही है।" उनकी मृत्यु के पश्चात् स्वराज्य दल सरकार के साथ सहयोग करने की दिशा में अधिकाधिक झुकता गया। "व्यवस्थापक मंडलों को अन्दर से नष्ट-भ्रष्ट कर देने की नीति का स्थान क्रमशः व्यवस्थापक मंडलों में भाग लेने, उनका उपयोग करने और सरकार के साथ सहयोग तक करने की नीति लेने लगी।" १९२४ में स्वराज्य दल के प्रतिनिधि स्टील प्रोटेक्शन कमेटी में सम्मिलित हुए। दूसरे वर्ष पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्कीन कमेटी की सदस्यता स्वीकार कर ली। १९२६ के चुनावों से प्रकट हुआ कि स्वराज्य दल का प्रभाव अब घटने लगा है। बंगाल और मध्यप्रान्त में स्वराज्य दल का बहुमत बहुत कम हो गया, फलतः वहाँ सरकार को द्वैधशासन प्रणाली की पुनर्प्रतिष्ठा करने में सफलता प्राप्त हुई। केन्द्रीय असेम्बली में स्वराज्य दल की स्थिति इस कारण कमजोर पड़ गई क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में नेशनलिस्ट पार्टी ने इस बात का अनुभव किया कि हर बात में सरकार का विरोध करने की नीति हिन्दुओं के लिए अहितकर है। और तो और स्वयं स्वराजिस्टों के बीच ही दो दल हो गये। एक दल प्रतियोगी सहयोग करने की नीति का प्रतिपादक था और दूसरा असहयोग करने की नीति का। स्वराज्य-दल के बीच उक्त मतभेद उस समय परा-

प्रतियोगी सहयोगी
और असहयोगी

काष्ठा पर पहुँच गया जब कि मध्यप्रान्तीय विधान सभा के स्वराजिस्ट अध्यक्ष श्री. एन. बी. ताम्बे गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्य बन गये। बम्बई में स्वराजिस्टों ने प्रतियोगी सहयोग का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया। पंडित मोतीलाल नेहरू की इस धमकी ने कि वे स्वराज्य-दल के रोगी अंग को काट कर फेंक देंगे" मतभेदकी खाई को और भी चौड़ा कर दिया। प० मोतीलाल नेहरू के 'उद्धत स्वर' ने जयकर, केलकर और मुंजे को खुली बगावत करने के लिये खड़ा कर दिया। १९२६ का अन्त होते होते स्वराज्य दल की अधिकांश शक्ति नष्ट हो चुकी थी।

६७. साम्प्रदायिक तनाव की वृद्धि

खिलाफत आन्दोलन और असहयोग आन्दोलन के समाप्त हो जाने के बाद के

वर्ष भारतवर्ष के अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण थे क्योंकि इन वर्षों में साम्प्रदायिक विद्वेष की आग ने भयावह रूप धारण किया। इस बात का हम उपद्रवों की कहानी पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि जलाबाद में मोपलों ने अपने हिन्दू पड़ोसियों की कितनी निर्ममता से हत्याएं की। सन् १९२२ से लेकर १९२७ तक हिन्दू-मुस्लिम उपद्रवों की संख्या इतनी अधिक बढ़ी कि उनकी एकता का प्रायः अन्त हो गया। सन् १९२३ में मुल्तान, अमृतसर, मुरादाबाद, मेरठ, पानीपत, जबलपुर, आगरा, बरेली आदि में साम्प्रदायिक भगड़े हुए, सन् १९२४ में कोहाट में, सन् १९२५ में दिल्ली, कलकत्ता और इलाहाबाद में, सन् १९२६ में कलकत्ते में और सन् १९२७ में मुल्तान, लाहौर, बरेली और नागपुर में। "कलकत्ते के साम्प्रदायिक उपद्रव भयकरतम थे। वे पन्द्रह दिन तक चलते रहे, इनमें ६७ आदमी मारे गये और ४०० से अधिक जख्मी हुए।"

इन उपद्रवों के तात्कालिक कारण बहुत ही तुच्छ थे। कभी गोवध का सवाल मतभेद उत्पन्न कराके भगड़े करवाता था और कभी दशहरा के जलूस के अवसर पर मस्जिद के सामने बाजे का प्रश्न। लेकिन ये तो उपद्रवों के कारण उपरी कारण थे, असली कारण कुछ गहरे थे। जबाहर लाल नेहरू के शब्दों में "भारतवर्ष में साम्प्रदायिकता यथार्थ साम्प्रदायिकता नहीं थी, यह साम्प्रदायिकता नकाब के पीछे छिपी हुई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया थी।" असहयोग आन्दोलन की समाप्ति का अभिप्राय कांग्रेस-लीग मंत्री की समाप्ति था। शनैः शनैः मुस्लिम लीग प्रतिगामी नेतृत्व की अधीनता में चली गई और मुसलमानों के बीच, हिन्दू राज का हीवा दिखा दिखा कर, अपनी जड़े मजबूत करनी प्रारम्भ कर दी। "हिन्दुओं के बीच भी साम्प्रदायिक भावनाओं ने उग्ररूप धारण कर लिया।" तथाकथित मुस्लिम आधिपत्य के विरुद्ध हिन्दुओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हिन्दू महासभा का संगठन किया गया। सच तो यह है कि ये दोनों ही संस्थाएँ न्यस्त स्वार्थों के नियंत्रण में थीं। ये न्यत स्वार्थ अपने पारस्परिक विरोध को प्रचंड और विषमय साम्प्रदायिक प्रचार में छिपाये रखते थे। खिलाफत और असहयोग आन्दोलन के बीच इन प्रतिगामी तत्वों को निश्चिन्त पड़ा रहने के लिये बाध्य कर दिया गया था। "अब वे अपने सन्यास से समुदित हुए। बहुत से दूसरे गुप्त एजेंटों और लोगों ने जो कि साम्प्रदायिक मेइभाव की मृष्टि कर अधिकारियों को प्रसन्न करना चाहते थे, इसी परम्परा पर काम किया।"*

सितम्बर १९२४ में महात्मा गान्धी ने साम्प्रदायिक विद्वेष और हत्याकांड का

* जवाहर लाल नेहरू-आउटोग्राफी. पृ. ४५६

प्रायश्चित्त करने के उद्देश्य से, जिसके लिए कि उन्होंने स्वयं को ही उत्तरदायी ठहराया २१ दिनों का उपवास किया। दूसरो के पापो के लिए उन्होंने जिस तपस्या को अपने ऊपर लापू किया, उसका महात्मा गान्धी का जनता के ऊपर बहुत प्रभाव पडा और कलकत्ते मे एक उपवास और एकता सम्मेलन एकता सम्मेलन किया गया। काफी देर के विचार विमर्श के फलस्वरूप एक राष्ट्रीय पचायत नियुक्त की गई। महा-त्मा गान्धी इसके अध्यक्ष बने और हकीम अजमल खाँ, लाला लाजपत राय, जी० के० नरीमैन, डा० एस० के० दत्त और मास्टर मुन्दर सिंह इसके सदस्य बने। इस पचायत का उद्देश्य अन्तर्साम्प्रदायिक एकता की वृद्धि करना था। एक वर्ष के लिए उपद्रव रूक गए। परन्तु साम्प्रदायिक रोग का उक्त निदान अस्थायी था। इस प्रकार हिन्दू और मुसलमान-दोनों ही जातियों के प्रतिगामी तत्वों ने 'भेद डालो और राज्य करो' की नीति में साम्राज्यवादियों को पुन सक्रिय सहायता देनी प्रारंभ कर दी थी। नौकरशाही को अपनी इस सफलता के ऊपर मकारण गर्व था। कोई आश्चर्य नहीं कि सयुक्त प्रान्त में एक गवर्नर ने अपने विदा-भाषण में अभिमान पूर्वक इस बात को कहा था कि उसे, "अपने पांच वर्षों के शासनकाल में कम में कम ८३ साम्प्रदायिक उपद्रवों का सामना करना पडा था।"*

सारांश

प्रथम विश्व-युद्ध ने मसार के अन्यान्य भागों की तरह भारतवर्ष में भी राष्ट्रीयता की भावना को तीव्र कर दिया। इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे कारण थे, जिन्होंने कि भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवाह का अधिक वेगयुक्त करने में सहायता दी। जनता की आर्थिक कठिनाइयों, महंगी, बीमारियों, नौकरशाही दमन अत्यादेश-शासन और लडाई के लिए धन एकत्रित करने व सिपाही भरती करने में जिस कठोरता का बर्ताव किया गया था उन सब कारणों की वजह से जनता विदेशी आधिपत्य से अधिक असंतुष्ट होती गई। मुसलमान खिलाफत प्रश्न के ऊपर विशेष रूप से रुष्ट थे। मोटफोर्ड सुधारों के ऊपर भी जन साधारण के बीच आम निराशा की भावना व्याप्त थी।

१९१८ में भारतीय जनमत के लाख विरोध करने के बावजूद भी सरकार ने रोलट-एक्ट को पास कर दिया। रोलट एक्ट सरकार की निर्मुक्त स्वेच्छाचारिता का एक स्पष्ट प्रमाण था, इससे जनता की स्वतन्त्रताओं के ऊपर कुठाराघात होता था। इस दमनमूलक कानून के अविनियम ने महात्मा गान्धी को स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रिम

* जवाहर लाल नेहरू- आउटो ग्राफी पृ; ८६-८७

मोर्चे पर ला खडा किया। पहले महात्मा गान्धी स्पष्ट घोषित राजभक्त थे लेकिन सरकार की दमन-नीति ने उनको राजद्रोही बना दिया। रौलट एक्ट के विरोध में महात्मा गान्धी ने सत्याग्रह-आन्दोलन प्रारम्भ किया। कुछ स्थानों पर जनता ने हिंसात्मक घटनाएँ कर डालीं, इससे दुःखी होकर गान्धी जी ने सत्याग्रह आन्दोलन को स्थगित कर दिया।

इसी बीच में पंजाब की हालत बहुत खराब हो गई। वहाँ रौलट-एक्ट विरोधी आन्दोलन ने अत्यन्त उग्र रूप धारण कर लिया और कुछ स्थानों पर हिंसात्मक घटनाएँ भी हो गईं। जलियावाला बाग हत्याकाण्ड ने सारे देश में सनसनी फैला दी। जनता ने सरकार से इस बात की मजबूत मांग की कि वह पंजाब की दुर्घटनाओं की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करे। फलतः सरकार ने लार्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच-समिति नियुक्त की लेकिन इस समिति की रिपोर्ट ने जेनरल डायर के दुष्कृत्य पर पर्दा डालने की कोशिश की।

१९२० के शीष्मकाल में सीवर्स की सन्धि प्रकाशित हुई। इस सन्धि ने भारतीय मुसलमानों को गहरा धक्का पहुँचाया। युद्धकाल में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इस बात का बचन दिया था कि टर्की साम्राज्य का किसी प्रकार से अहित या विघटन नहीं किया जायगा। लेकिन युद्ध बीत जाने पर ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ अपने वचनों को भूल गये। सीवर्स की सन्धि के अनुसार टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया और सुल्तान की-जो कि इस्लाम का खलीफा था, मानहानि की गई। महात्मा गान्धी ने ब्रिटिश सरकार के इस विश्वासघात का जोरदार विरोध किया। उन्होंने मुसलमानों के साथ हार्दिक सहानुभूति व्यक्त की तथा खिलाफत और पंजाब के अन्यायों के निवारणार्थ व स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया।

असहयोग आन्दोलन काफी जोर शोर से चला। ५०,००० से अधिक देशभक्त जेल में चले गये। बहिष्कार के कार्यक्रम को आश्चर्यजनक सफलता मिली। असहयोग आन्दोलन के काल में हिन्दू-मुस्लिम एकता को देख कर दाँतो तले उगली दवानी पडती थी। फरवरी १९२१ में जनता की एक भीड़ ने क्रोध में आकर २१ सिपाहियों और थानेदार को मार डाला। इस दुर्घटना का समाचार पाकर महात्मा गान्धी को अपार क्लेश पहुँचा और उन्होंने आन्दोलन को तुरन्त ही स्थगित कर दिया। असहयोग आन्दोलन में कुछ कमियाँ अवश्य थी, लेकिन फिर भी उसने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। इस आन्दोलन ने जनता के हृदय में स्वतंत्रता व निर्भीकता की एक नूतन प्राणधारा उत्पन्न की। महात्मा गांधी के गतिशील नेतृत्व ने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक क्रान्तिकारी आन्दोलन और जन-आन्दोलन के रूप में परिवर्तित

कर दिया ।

असहयोग आन्दोलन के समाप्त हो जाने के पश्चात् देशबन्धु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य-दल का समुदय हुआ । स्वराज्य-दल कौंसिल-प्रवेश का समर्थन करता था । उसका सिद्धान्त था कि व्यवस्थापक-मण्डलो के अन्दर पहुँच कर सरकार के कार्यों में अड़गा लगाया जाय । स्वराजिस्टों का कहना था कि यह कार्यक्रम असहयोग के कार्यक्रम के सर्वथा अनुकूल है । वे विश्वास करते थे कि हम वैधानिक गत्यवरोध उत्पन्न करके मोटफोर्ड सुधारों को नितान्त असफल सिद्ध कर देंगे ।

दिल्ली के विशेष अधिवेशन (सितम्बर १९२०) में स्वराज्य-दल के प्रोग्राम पर कांग्रेस ने अपनी अनुमति दे दी । उसी वर्ष नवम्बर में चुनाव हुए । स्वराज्य-दल ने उन चुनावों में भाग लिया और कुछ स्थानों पर विस्मयजनक सफलता प्राप्त की । भारतीय व्यवस्थापक मण्डल में उन्होंने ४५ स्थानों पर अधिकार कर लिया और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार को पराजित किया । वगाल और मध्यप्रान्त में, जहाँ स्वराजिस्टों का बहुमत था, उन्होंने द्वैध-शासन प्रणाली की क्रियान्विति को बिल्कुल रोक दिया । १९२६ के बाद से स्वराज्य दल में फूट पैदा हो गई और उसके कुछ शिरोरत्न सदस्यों ने सरकार के साथ प्रतियोगी सहयोग करने का रास्ता पकड़ लिया ।

असहयोग आन्दोलन और खिलाफत आन्दोलन के समाप्त हो जाने के बाद के वर्ष हिन्दू-मुस्लिम एकता की दृष्टि में अत्यन्त शोचनीय है । इन वर्षों में देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक उपद्रव हुए । सितम्बर १९२४ में महात्मा गान्धी ने अन्त साम्प्रदायिक एकता स्थापित करने के उद्देश्य से २१ दिनों का उपवास किया । महात्मा गान्धी के बलिदान से कुछ समय के लिये साम्प्रदायिक विद्वेष की आग पर पानी पड़ गया, लेकिन वह हमेशा के लिए ठंडी नहीं हो सकी ।

अध्याय १०

साइमन कमीशन से गोलमेज परिषद तक

६८. महात्मा गांधी पुनः मैदान में

१९२७ का वर्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक विशेष महत्त्व रखता है। इस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के निर्विवाद नेता के रूप में भारत के राजनीतिक रंगमंच पर पुनः अवतरित हुये। १९२४ में कारागार से छूटने के पश्चात् उन्होंने सक्रिय राजनीति से हाथ खींच लिया था और अपना समय चर्खों को लोकप्रिय बनाने, सारे देश में भ्रमण कर हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करने और अस्पृश्यता के अन्निषाप में युद्ध करने में व्यतीत किया था। १९२५ के अन्त में उन्होंने एक वर्ष के लिये 'राजनीतिक मौन और निश्चलता' का व्रत ले लिया। इस अवधि में स्वराजवादी कांग्रेस के राजनीतिक नेता थे और गांधीवादी मुख्यतः रचनात्मक कार्यक्रम में सलग्न रहे। लेकिन १९२६ तक विधान मण्डलो के भीतर असहयोग करके नौकरशाही शासनयंत्र को छिन्न भिन्न करने का स्वराजवादी कार्यक्रम नष्टप्राय हो चुका था। घटनाचक्र ने महात्मा गांधी को शीघ्र ही राष्ट्रीय मोर्चे के अग्रभाग पर पुनः ला खड़ा किया।

जिस समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस के नेतृत्व की बागडोर सम्हाली, राष्ट्रवादी आंदोलन में वामपक्षी प्रवृत्ति दृष्टिगत होने लगी थी। समाजवादी और साम्यवादी विचारों ने देश के युवक राष्ट्रवादियों को प्रभावित करना प्रारम्भ किया था। "रूस में समाजवादी क्रांति की सफलता और समाजवादी राज्य की स्थापना ने भारत के क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों में समाजवादी और साम्यवादी सिद्धांतों के प्रति रुचि उत्पन्न कर दी।"* कमकरों और किसानों के संगठन प्रकट होने

* प. आर. देसाई: सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पृ० ३२४।

लगे। बम्बई के गिरनी कामगर संघ के सदस्यों की संख्या १९२८ तक ६५ हजार से अधिक पहुँच गई थी। श्रमिक सघवाद और बर्गचेतना का औद्योगिक मजदूरों के बीच शीघ्रतापूर्वक विकास हुआ और उसने १९२८-१९२९ में कई बड़ी-बड़ी हड़तालों के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। स्वयं कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वामपक्ष जोर पकड़ने लगा। इसी काल में युवकसंघों और विद्यार्थी संघों का भी जन्म हुआ। सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू उनके सामर्थ्यवान् नेता थे।

६६. साइमन कमीशन

५ नवम्बर १९२७ को महात्मा गांधी तथा दूसरे भारतीय नेताओं को वायसराय का यह आमन्त्रण मिला कि वे उनसे दिल्ली में भेंट करें। महात्मा गांधी उस समय बंगलौर में थे, वायसराय का आमन्त्रण पाकर शीघ्र ही वहाँ से चल पड़े और एक हजार मील की यात्रा तय कर लांड इविन से भेंट करने के लिये दिल्ली पहुँचे। लांड इविन ने उनके हाथों में कागज का एक टुकड़ा थमा दिया जिसमें अनुविहित साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी ने खिन्न होकर कहा कि वायसराय इस सूचना को उन्हें एक आने के लिफाफे में भेज सकते थे, लेकिन यह घटना भारत के इतिहास में युगान्तकारी सिद्ध होने को थी।

साइमन कमीशन
की
नियुक्ति

यह स्मर्तव्य है कि १९१९ के भारतीय शासन सम्बन्धी एक्टने मोटफोर्ड सुधारों की कार्यान्विति की जाच-पड़ताल करने और इस बात की कि भारत उत्तरदायी स्वशासन की दिशा में अग्रतर पदोन्नति के लिये कहा तक तय्यार है, रिपोर्ट करने के लिये १० वर्ष की समाप्ति पर एक अनुविहित कमीशन की नियुक्ति निर्धारित की थी। इस प्रकार भारत में कमीशन १९२९ में भेजा जाना चाहिये था। लेकिन इंग्लैण्ड की राजनीतिक परिस्थिति ने अनुदार दल के भारत-मन्त्री लांड बर्कनहेड को इस संबंध में जल्दी करने के लिये विवश कर दिया। १९२९ में साधारण निर्वाचन होने को थे और उनमें श्रमिक दल की विजय की स्पष्ट सम्भावना थी। निसर्गतः अनुदार दल भारत के राजनीतिक भविष्य को अपने विरोधी दल के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था। यही कारण है कि कमीशन को निश्चित काल से दो वर्ष पूर्व नियुक्त किया गया।

कमीशन को
निश्चित काल से
दो वर्ष पूर्व क्यों
नियुक्त किया
गया ?

साइमन कमीशन की नियुक्ति भारतवर्ष के लिये अपमानजनक थी। कमीशन

में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। "उसके सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे।" *
 कमीशन में भारतीयों को न लेने का कारण यह बताया
 भारत के लिए गया था कि चूँकि उसे ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देनी है,
 अपमानजनक इसलिये उसमें केवल ब्रिटिश संसद के ही सदस्य सम्मिलित
 हो सकते हैं। लेकिन यह तो खाली एक बहाना था क्योंकि
 उस समय ब्रिटिश संसद में भारत के भी दो प्रतिनिधि—प्रत्येक सदन में एक एक-उप-
 स्थित थे। कमीशन का उद्देश्य "शासन-प्रणाली की क्रिया-
 कमीशन का निरति, शिक्षा की वृद्धि तथा ब्रिटिश भारत में प्रतिनिधिक
 उद्देश्य सस्थाओं के विकास का अनुशीलन करना और इस बात
 की कि उत्तरदायी शासन के सिद्धांत की स्थापना वाछनीय
 है या नहीं, यदि है तो किस सीमा तक एवं ब्रिटिश भारतमें उस समय वर्तमान उत्तर-
 दायी शासन की मात्रा को बढ़ाया जाय, सशोधित किया जाय अथवा कम प्रतिबन्धित
 किया जाय, रिपोर्ट करना था।"

इस प्रकार, "भागवत अंग्रेज" यह निर्णय करनेको थे कि भारतीय अपना शासन
 आप करने के योग्य है या नहीं।"† इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कमीशन में एक भी
 भारतीय सदस्य के न रखे जाने की बात को भारतीय
 लोकमत के सभी वर्गों ने अपना 'घोर अपमान'‡ समझा
 कमीशन का और इसका प्रबल विरोध किया। कमीशन को राजनीतिक
 बहिष्कार धूर्तता के नाम से ठीक ही सम्बोधित किया गया। भार-
 तीयों के अपवर्जन के अतिरिक्त कांग्रेस ने कमीशन के विचारणीय विषयों के ऊपर भी
 आक्षेप किया। वह केवल जाच-पडताल और रिपोर्ट करने वाला निकाय ही होने को
 था, कांग्रेस की पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग की ओर से उसने अपनी आखें मूंद
 ली थी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि सरकार के लिए एकमात्र न्यायपूर्ण
 मार्ग यह था कि वह इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दे कि वह क्या करना चाहती है
 और इस योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लक्ष्य से एक योजना तय्यार करने
 के लिए कमीशन नियुक्त करे। कांग्रेस ने साइमन कमीशन के प्रति अपने दृष्टिकोण
 तथा नीति को दिसम्बर १९२७ के मद्रास-अधिवेशन में स्पष्ट व्यक्त किया।

* सी. बार्ड, चिन्तामणि : इंडियन पालिटिक्स सिन्स दि म्युटिनी पृ १७१

† पोलक : महात्मा गांधी, पृ. १६६

‡ राजेन्द्र प्रसाद : खंडित भारत, पृ. १६८

चूँकि सरकार ने भारत के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार के प्रति घोर उपेक्षा प्रदर्शित की, अतः कांग्रेस ने “प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक रूप में” कमीशन के बहिष्कार करने का निश्चय किया। मद्रास कांग्रेस ने पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को अपना लक्ष्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव भी पास किया था, यद्यपि महात्मागांधी ने इस प्रस्ताव के बारे में बाद में कहा था कि उसे “जल्दबाजी में सोचा गया था और बिना विचारे पास किया गया था।”

साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय केवल कांग्रेस तक ही सीमित नहीं था। मुस्लिम लीग (जिसमें इस प्रश्न के ऊपर फूट पड़ गई थी) के एक वर्ग को छोड़ कर सभी राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन के प्रति एक सा दृष्टिकोण ग्रहण किया। सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग के प्रतिगामी पक्ष ने कमीशन के स्वागत करने का निश्चय किया, लेकिन मि० जिन्ना और उनके वामपक्षी अनुयायी कांग्रेस के साथ हो गये।

साइमन कमीशन ३ फरवरी, १९२९ को बम्बई में उतरा। देशव्यापी हड़ताल द्वारा उसका अभिनन्दन किया गया। जहाँ कहीं कमीशन गया, काले झण्डे और “साइमन वापस जाओ” के नारों से उसका स्वागत किया गया। सरकार ने बहिष्कार को तोड़ने के लिए, जोर-ज्यादती के उपायों का प्रयोग किया लेकिन सब बेकार। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने एक विराट जलूस का नेतृत्व किया। वे हृदय रोग से पहले ही पीड़ित थे, जलूस में उनके ऊपर पुलिस की इतनी लाठियाँ पड़ी कि उक्त घटना के एक पक्ष उपरान्त उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु से सारे देश में उत्तेजना की एक लहर दौड़ गई। लखनऊ में जवाहर लाल नेहरू व गोविन्द बल्लभ पन्त के ऊपर पुलिस की लाठियाँ पड़ी। जब तक कमीशन लखनऊ में रहा, लखनऊ की स्थिति एक सैनिक शिविर के तुल्य रही और वे सामाजिक उत्सव तक, जिनमें कमीशन के सदस्यों को आमन्त्रित किया जाता था, पुलिस की कठोर निगरानी में सम्पन्न होते थे।

स्पष्टतः, साइमन कमीशन की जाच-पड़ताल ने भारतीयों के बीच बहुत कम रुचि उत्पन्न की। दक्षिण की जस्टिस पार्टी और थोड़े से मुस्लिम सगठनों को छोड़कर, सभी राजनीतिक दलों ने कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया। कमीशन ने दो बार भारत की यात्रा की और अपनी रिपोर्ट को, जो मई १९३० में प्रकाशित हुई, दो वर्षों से

साइमन कमीशन
की रिपोर्ट

अधिक समय बाद पूरा किया। कूपलैण्ड के मत के अनुसार रिपोर्ट ने "ब्रिटिश राज्य-विज्ञान के पुस्तकालय में एक और श्रेष्ठ कृति की वृद्धि की।" लेकिन भारतीय लोकमत ने रिपोर्ट को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया।† सर शिव-स्वामी अय्यर ने इन शब्दों में कि "साइमन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए"‡ साइमन रिपोर्ट के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का अच्छा परिचय दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भी रिपोर्ट के ऊपर, जिसकी सिफारिशें शीघ्र ही गोलमेज परिषद के दीर्घ वितर्कों से अभिभूत हो गई थी, कोई कार्यवाही नहीं की। साइमन रिपोर्ट ने भारतीय आकांक्षाओं के प्रति किमी प्रकार की सहानुभूति प्रकट नहीं की और डोमिनियन स्टेटस की चर्चा तक नहीं की। इसके विपरीत उसने जातिगत और सम्प्रदायगत मतभेदों का सविस्तार उल्लेख करते हुए भारतीय स्थिति का हतथी चित्र खींचा। उसने निष्कर्ष यह निकाला कि सासद अथवा उत्तरदायी शासन का प्रयोग सफल नहीं रहा था, लेकिन उसने इस बात की सिफारिश नहीं की कि इस पद्धति को त्याग दिया जाय। इसके विपरीत उसने सुझाव दिया कि प्रान्तों में द्वैध शासन प्रणाली के स्थान पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की प्रतिष्ठा प्रान्तों में रक्षाकवचों (Safeguards) के मण्डल के प्रति उत्तरदायी एकल-मन्त्रिमण्डल के हाथों में सौंपा जाय। तथापि, उसने रक्षाकवचों (Safeguards) की आवश्यकता पर बल दिया और यह सुझाव उपस्थित किया कि कतिपय महत्वपूर्ण मामलों में गवर्नरों को अपने मन्त्रियों के निर्णयों के उल्लंघन करने की विशेष शक्तियों में सज्जित कर देना चाहिए। रिपोर्ट में एक ऐसे भारतीय सभ की स्थापना का भी प्रस्ताव था जिसमें "प्रत्येक प्रान्त जहां तक हो सके, अपने क्षेत्र में अपना मालिक हो।" रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया था कि केन्द्रीय विधानमंडल को सघीय आदर्श पर पुनर्गठित करना चाहिए और निम्न सदन को, जिसका नाम सघीय सभा (Federal Assembly) हो, प्रान्तीय विधान-मंडलों द्वारा परोक्षतः निर्वाचित किया जाना चाहिये। यह उसकी सर्वाधिक विस्मयकर सिफारिशों में से एक थी। इसमें कहा गया था कि केन्द्र में किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं हो, कार्यपालिका बराबर अनुत्तरदायी बनी रहै। जहाँ तक साम्प्रदायिक प्रश्न का सम्बन्ध है, साइमन रिपोर्ट

* कूपलैण्ड : इण्डियन प्रॉब्लेम, १८२३-२६३५ पृ. १००

† कीथ : द कंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ. २०४

‡ चिन्तामणि : इण्डियन पोलिटिक्स सिन्स दि म्युटिनी पृ. १७२

ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की निम्न की लेकिन फिलहाल उसे अपरिहार्य ठहराया । उसने सुदूर भविष्य में, भारतीय सब में भारतीय राज्यों के योगदान की भी अस्पष्ट कल्पना की लेकिन एक तात्कालिक पग के रूप में उसने बृहत्तर भारत की केवल एक ऐसी परामर्श परिषद की **भारतीय राज्य** सिफारिश की जिसमें देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत दोनों का प्रतिनिधित्व हो ।

७० नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की चौदह शर्तें

साइमन कमीशन को, जिसके सब सदस्य अग्रज थे, नियुक्ति करते हुए अनुदार दल के भारतमन्त्री लार्ड बर्कनहेड ने भारतीय जनता को एक घृष्ट चुनौती दी थी । उन्होंने कहा था कि भारतीय साम्प्रदायिक कलहों के फलस्वरूप अपने लिए एक सविधान बनाने में असमर्थ हैं । भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कांग्रेस ने फरवरी १९२८ में, दिल्ली में सब दलों के सम्मेलनका सयोजन किया । सम्मेलन ने २५ बैठकों की तथा पूर्ण **सर्व-दल-सम्मेलन** उत्तरदायी शासन के ऊपर आधारित भारत के एक सविधान **१९२८** और साम्प्रदायिक सम्बन्धों व अनुपातों की समस्या पर विचार-विनिमय किया । १९ मई को सम्मेलन की बैठक में इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भारतीय सविधान के सिद्धान्तों का मसविदा तय्यार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ९ सदस्यों की, **नेहरू-समिति** जिनमें एक सिख और दो मुसलमान भी हों, एक समिति नियुक्त की जाय । सम्मेलन में भाग लेने वाले २९ सगठनों ने समितिके नियुक्त करनेके प्रस्ताव का समर्थन किया । जवाहर लाल नेहरू इस समिति के सेक्रेटरी बने ।

समिति ने तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट तय्यार कर ली । अपनी रिपोर्ट में समिति ने इम बान का कि भारतीय सविधान को स्वशासित डोमिनियनों के नमूने पर पूर्ण उत्तरदायी शासन के ऊपर आधारित होना चाहिए, समर्थन किया और यह स्पष्ट कर दिया कि डोमि- **नेहरू रिपोर्ट: (क) डोमि-** नियन स्टेटस की उपलब्धि "हमारे विकास की एक दूरस्थ **नियन स्टेटस और पूर्ण** अवस्था नहीं अपितु अगला तात्कालिक कदम है ।" रिपोर्ट **उत्तरदायी शासन** में यह भी कहा गया था कि केन्द्र और प्रान्तों, दोनों स्थानों पर, कार्यपालिका को पूर्णतः विधान-मंडल के नियन्त्रण में तथा उत्तरदायी

- रहना चाहिये । समिति सच को भी केवल एक सभायना समझती थी । तथापि, उसने प्रान्तों के लिये स्वायत्तता की आवश्यकता पर बल दिया । उसने केन्द्र और प्रान्तों के बीच शक्तियों के बितरण की एक योजना उपस्थिति की, लेकिन अवशिष्ट शक्तियों को केन्द्र के लिए सुरक्षित रक्खा । जहाँ तक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के जटिल प्रश्न का सम्बन्ध है, नेहरू रिपोर्ट "साम्प्रदायिकता की कठिनाइयों का ठीक ठीक सामना करने के लिए भारतीयों द्वारा अब तक की गई सुस्पष्टतम चेष्टा थी ।"
- (ब) **साम्प्रदायिक निर्वाचन और गुरुभार की अस्वीकृति** रिपोर्ट ने इस तथ्य को कि साम्प्रदायिक मतभेद समस्त राजनीतिक कार्य पर अपना प्रभाव डालते हैं, स्वीकार किया लेकिन यह विश्वास व्यक्त किया कि विदेशी सत्ता और हस्तक्षेप से विमुक्त स्वतंत्र भारत में इस समस्या को सुलझाना सुगम होगा । रिपोर्ट के रचयिताओं ने घोषणा की "एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के ऊपर निरंकुश शासन करे, इस बात को सहन नहीं किया जा सकता ।" उन्होंने "रक्षाकवचों, मारणियों और सांस्कृतिक स्वायत्तता" द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों को सुरक्षा का आश्वासन देने की आवश्यकता पर बल दिया । लेकिन साम्प्रदायिक निर्वाचन और गुरुभार के प्रश्न के ऊपर रिपोर्ट ने लखनऊ समझौते की शर्तों को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया । उसने पृथक् निर्वाचनों का इस आधार पर खंडन किया कि वे साम्प्रदायिक विरोधभाव की वृद्धि करते हैं और अल्पसंख्यक वर्गों को जैन्य सुरक्षा देने के अपने स्पष्ट घोषित प्रयोजन में ही असफल रहते हैं । फलतः "राष्ट्रीय हितों के लिए विचारित किसी भी प्रतिनिधित्व प्रणाली में उन्हें कोई स्थान नहीं दिया जा सकता ।" रिपोर्ट ने सयुक्त निर्वाचनों की सिफारिश की लेकिन साथ ही अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें सुरक्षित कर देने का प्रस्ताव किया । अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने लिये सुरक्षित सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन किसी भी प्रकार के गुरुभार को अस्वीकार कर दिया गया । रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त को दूसरे प्रान्तों के वैधानिक धरातल पर ले आना चाहिए और सिन्ध को बम्बई से पृथक् कर देना चाहिए ताकि चार मुस्लिम बहुल प्रान्तों का निर्माण हो सके । नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय राज्यों की समस्या पर भी विचार किया । रिपोर्ट ने इस बात की सिफारिश की कि शासकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा की जाय लेकिन इसके साथ ही साथ उसने इस बात को

भी स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें भारतीय अल्टर के रूप में परिवर्तित करने के किसी प्रयास को सहन नहीं (इ) भारतीय राज्य किया जायगा। रिपोर्ट ने राजाओं को इस बात की चेतावनी दी कि यदि भारत के लिए सघीय सविधान अंगीकृत किया गया तो उन्हें उसमें उसी समय सम्मिलित होने दिया जायगा जबकि राज्यों में स्वेच्छान्तारी शासन प्रणाली का अन्त हो जायगा। चाहे जो हो नई केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश सरकार से "सार्वभौमत्व" में विवक्षित राज्यों के प्रति वर्तमान समस्त अधिकारों व दायित्वों को ले लेगी।

अगस्त १९२८ में लखनऊ में सर्व दल-सम्मेलन ने नेहरू रिपोर्ट के ऊपर विचार विनिमय किया और उसे थोड़े से संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने रिपोर्ट को 'राजनीतिक विकास की दिशा में एक महान पग' मान कर इसका अनु- नेहरू रिपोर्ट मोदन किया। लेकिन इस विषय पर मुस्लिम लोकमत में की भेद पड़ गया। राष्ट्रवादी मुसलमानों ने तो नेहरू रिपोर्ट प्रतिक्रिया का समर्थन किया लेकिन पृथक्तावादी तत्वों ने सर्वदल मुस्लिम सम्मेलन में, जिसका अधिवेशन ३१ दिसम्बर १९२८ को दिल्ली में हुआ, एक स्वर से रिपोर्ट का विरोध किया। इस सम्मेलन के सभापति आगा खां थे और मौलाना मोहम्मद अली तक इसमें सम्मिलित हुए। मि० जिन्ना भी नेहरू समिति द्वारा तयार की गई वैधानिक योजना के जिन्ना की चौदह विरुद्ध थे। उन्होंने चौदह शर्तों* के आधार पर जिन्हें शर्तें उन्होंने मुसलमानों के हितों और अधिकारों की रक्षाके लिए

* डा० राजेन्द्र प्रसाद ने जिन्ना की चौदह शर्तों का निम्नलिखित सारांश उपस्थित किया है "(१) भावी सविधान का रूप सघ-प्रणाली का हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियां प्रान्तों में विहित हों। (२) सभी प्रान्तों में एक समान स्वायत्त शासनाधिकार रहें। (३) सभी प्रान्तों की विधान-सभाओं और लोकप्रतिनिधि सस्थाओं में अल्पसंख्यक सम्प्रदायों का निश्चित रूप से उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहे। जहां उनका बहुमत हो, वहां घटा कर समान या अल्पमत न कर दिया जाय। (४) केन्द्रीय विधानमण्डल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व एक तिहाई से कम न रहे। (५) साम्प्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक् निर्वाचन की पद्धति से हो परन्तु कोई भी सम्प्रदाय जब चाहे तब संयुक्त निर्वाचन की पद्धति स्वीकार कर सकता है। (६) किसी भी प्रादेशिक पुनर्विभाजन द्वारा पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में मुसलमानों के बहुमत पर कोई प्रभाव न पड़ना चाहिए। (७) सभी सम्प्रदायों को अपने धार्मिक

आवश्यक बताया, लीग के दोनो पक्षों में पुनर्रक्ष्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। मि० जिन्ना की चौदह शर्तों साम्प्रदायिक समस्या का वास्तविक समाधान नहीं दे सकती थी लेकिन "इनका इसलिये और भी अपना विशेष महत्व है कि श्री मेकडानेल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय में ये प्रायः मान ली गई थी।"† नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय राज्यों के शासकों को, जो यह विचार सहन नहीं कर सकते थे कि स्वतंत्र भारत की नई केन्द्रीय सरकार, ब्रिटिश सम्राट से सार्वभौमत्व ले ले, वस्तु कर दिया था।

७१. संघर्ष की ओर

यह हम पहले देख चुके हैं कि कांग्रेस ने अपने मद्रास-अधिवेशन के अवसर पर अपना लक्ष्य 'पूर्ण स्वतन्त्रता' अंगीकार किया। जब अगले अधिवेशन (कलकत्ता १९२८) में नेहरू रिपोर्ट उपस्थित की गई, उस समय कांग्रेस के दो पक्ष हो गये। एक पक्ष तो डोमिनियन स्टेटस से ही संतुष्ट था, और दूसरा पक्ष जिसके नेता सुभाष बोस व जवाहरलाल नेहरू थे, यह चाहता था कि कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य पर डटी रहे। इस पक्ष का कहना था "जब तक अंग्रेजों से ससर्ग नहीं टूटता, (भारत को) सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती।" तथापि महात्मा गांधी दोनों पक्षों में समझौता कराने में सफल हुये और कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को एक अल्टिमेटम देने का निश्चय किया। कांग्रेस ने

* राजेन्द्र प्रसाद. खंडित भारत पृ० २०३।

विश्वास, उपासना उत्सव, प्रचार, सम्मेलन और शिक्षा की पूर्ण स्वाधीनता रहनी चाहिए। (८) किसी भी विधान सभा अथवा लोकप्रतिनिधि संस्था में ऐसा कोई भी विधेयक या प्रस्ताव स्वीकृत न होना चाहिए जिसका कि किसी भी सम्प्रदाय के तीन चौथाई सदस्य अपने सम्प्रदाय के हितों का विरोध बताते हुए विरोध करें। (९) सिन्ध बम्बई प्रेसीडेन्सी से पृथक् कर दिया जाय। (१०) अन्य प्रान्तों में जिस प्रकार के सुधार किए जायें उसी प्रकार के सुधार सीमा प्रान्त और बिलोचिस्तान में किए जायें (११) विधान में सभी नौकरियों में योग्यता की आवश्यकता के अनुरूप मुसलमानों की उचित भाग्य मिले। (१२) मुस्लिम सस्कृति- शिक्षा, भाषा, धर्म, व्यक्तिगत कानून और धार्मिक संस्थाओं की रक्षा व उन्नति के लिये उचित संरक्षण तथा पर्याप्त सरकारी सहायता मिले। (१३) केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल में कम से कम तिहाई मंत्री मुसलमान रहें। (१४) केन्द्रीय विधान मण्डल को संविधान में कोई परिवर्तन करने का केवल तभी अधिकार रहे जब भारतीय सभ में आबद्ध सभी इकाइयों उसे स्वीकार कर लें।" खंडित भारत पृ. २०२-२०३।

ब्रिटिश सरकार को जो अन्तिम चेतावनी दी, उसमें मांग की गई कि सरकार नेहरू-संविधान को ज्यों का त्यों पूरा स्वीकार कर ले, यदि उसने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस "देश को यह सलाह देकर कि वह करों का देना बन्द कर दे, अहिंसात्मक असहयोग का आंदोलन सगठित करेगी।"

मई १९२९ में इंग्लैण्ड के साधारण निर्वाचन में अनुदार दल की पराजय हुई और रैमजे मैकडानेल्ड के नेतृत्व में श्रमिक दल शासनाखंड हुआ। भारतवासियों को बड़ी-बड़ी आशाएं बंध गईं, क्योंकि निर्वाचन के तुरन्त बाद ही राष्ट्रमण्डलीय देशों के श्रमिक दलों के सम्मेलन में मैकडानेल्ड ने निम्न घोषणा की थी "मुझे आशा है कि वर्षों की तो कौन चलाई कुछ महीनों की ही अवधि में राष्ट्रमण्डल में एक अन्य डोमिनियन, एक अन्य प्रजाति का डोमिनियन, वह डोमिनियन जो राष्ट्रमण्डल में एक समकक्ष के रूप में आदर पायगा, सम्मिलित हो जायगा। मेरा अभिप्राय भारत से है।" जून में दीर्घ विचार-विमर्श के लिये लार्ड इर्विन को इंग्लैण्ड बुलाया गया। भारत वापिस आने पर लार्ड इर्विन ने ३१ अक्टूबर १९२९ को एक घोषणा की, जिसमें कांग्रेस की मांग को पूरी तरह से टाल दिया गया। वायसराय ने २० अगस्त १९१७ की घोषणा का हवाला देते हुये कहा "ब्रिटिश सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने का अधिकार दिया है कि १९१७ की घोषणा में यह अभिप्राय असदिग्ध रूप से है कि भारत को अन्त में उपनिवेश का दर्जा मिले।" उन्होंने एक गोलमेज परिषद के आयोजन की भी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार से नये संविधान के सिद्धांतों पर विचार-विनिमय कर ले, पूर्व सूचना दी।

इंग्लैण्ड में
श्रमिक सरकार
(मई, १९२९)

लार्ड इर्विन की
घोषणा
(३१ अक्टूबर १९२९)

लार्ड इर्विन की घोषणा कूटनीतिक अस्पष्टता की एक श्रेष्ठ उदाहरण थी। इस घोषणा से सरकार की वास्तविक नीति समझना कठिन था। घोषणा में 'डोमिनियन स्टेट्स को लक्ष्य बताया गया, परन्तु वह कब प्राप्त होगा, इसका कोई जिक्र नहीं था। राष्ट्रमण्डल में, वर्षों की तो कौन कहे, कुछ महीनों के भीतर, भारत एक डोमिनियन के रूप में सम्मिलित होगा, इसके बारे में घोषणा में एक शब्द भी नहीं कहा गया था। इसके विपरीत, देशी राजाओं का सवाल उठा कर भारतीय स्वतन्त्रता की समस्या को और पेचीदा कर देने की कोशिश की गई। फिर भी

दिल्ली का
घोषणा पत्र

भारत के बड़े बड़े नेता और कांग्रेस कार्यसमिति के पुराने सदस्य एक ऐसी भाषा लगाये रहे, जो तन्त्रियों के प्रकाश में भ्रामक सिद्ध हुई। दिल्ली से प्रकाशित एक वक्तव्य में उन्होंने वायसराय को धन्यवाद दिया और कहा कि “हम समझते हैं कि प्रस्तावित परिषद औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना का समय निश्चित करने के लिये नहीं बुलाई जा रही है, बल्कि ऐसे स्वराज्य का सविधान तय्यार करने को आमन्त्रित की जायगी।” उन्होंने इस बात की अपील की कि “वर्तमान शासन में उदार भावनाओं का संचार होना चाहिये और “समझौते की नीति को अस्तित्वार करना चाहिये” जिससे जनता इस बात का अनुभव करने लगे कि “आज से ही नवीन युग आरम्भ हो गया है।” बहुत से युवक कांग्रेसी इस दृष्टिकोण से असहमत और असन्तुष्ट थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस दोनों ने कार्यसमिति से त्यागपत्र दे दिया। इसके विपरीत महात्मा गांधी ने एक अंग्रेज मित्र को लिखा था कि “मैं तो सहयोग देने को मर रहा हूँ।” उन्होंने कहा था “यदि मुझे व्यवहार में सच्चा औपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय, तो मैं उसके सविधान के लिये ठहरा भी रह सकता हूँ।” लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट कह दिया कि “औपनिवेशिक स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि यदि मैं चाहूँ तो आज ही ब्रिटिश सम्बन्ध विच्छेदकर सकूँ।”

लार्ड इविन की घोषणा पर इंग्लैण्ड में जो प्रतिक्रिया हुई, वह किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं थी। “वायसराय की घोषणा में भारतवासियों को बहुत छोटी सी चीज देने का वचन दिया गया था, फिर भी ब्रिटिश संसद में इसी पर तूफान खड़ा हो गया।” * टोरियों ने औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा तक का विरोध किया। श्रमिक दल की सरकार ने विरोधी दल की ठकुरसुहाती करने में कुछ उठा न रखा और वह “भारतीयों की आशाएं पूर्ण करने के बजाय अनुदार दल की शकाओं को दूर करने के लिए अधिक उत्सुक थी।” दूसरे शब्दों में श्रमिक सरकार दुमुहेपन से बात करती थी। भारत में तो वह यह धारणा उत्पन्न करने की चेष्टा करती थी कि अब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति एक नई नीति ग्रहण की जायगी। दूसरी ओर इंग्लैण्ड में वह यह दिलासा देती थी कि नीति में किसी प्रकार का कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया है।

इस भ्रान्तिमय वातावरण में महात्मा गान्धी ने वायसराय से भेंट करके हरेक चीज को साफ साफ कर लेना चाहा। २३ दिसम्बर १९२६ को यह भेंट हुई। उसी

* इतिहासि सीता रामम्बा- दि हिस्ट्री आफ दि कांग्रेस, पृ. ५६५

दिन वायसराय की गाड़ी के नीचे बम फटा था और वे बाल बाल बच गये थे। पण्डित मोतीलाल नेहरू, तेजबहादुर सप्रू, बल्लभभाई पटेल और जिन्ना भी बैठक में उपस्थित थे। तथापि इस बैठक से कोई विशेष फल नहीं निकला क्योंकि वायसराय यह आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थे कि पूर्ण उत्तरदायी शासन गोलमेज परिषद की कार्यवाही का आधार होगा।

गान्धी-इबिन
मेंट

इस समाचार ने कि "वायसराय भवन में भारत की आशाएं चूरुं हुईं"* लाहौर-कांग्रेस का, जिसका अधिवेशन रावी के तट पर हुआ, वातावरण गम्भीर कर दिया। इस वर्ष के अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू भारतीय राष्ट्रवाद की उग्र भावना के प्रतीक थे। कांग्रेस ने घोषणा की कि औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करने का समय गत हो चुका है और अब भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है। ३१ दिसम्बर १९२६ की मध्य रात्रि में स्वतन्त्र भारत के तिरंगे झंडे को फहराया गया। कांग्रेस ने गोलमेज परिषद में भाग न लेने का निश्चय किया और महासमिति को यह अधिकार दिया कि "वह जब चाहे और जहां चाहे, सविनय अवज्ञा और करबन्दी तक का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दे।

लाहौर में

कांग्रेस ने २६ जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस निश्चित किया और इस अवसर पर पढ़े जाने को स्वतन्त्रता का एक घोषणा पत्र अंगीकार किया। घोषणा पत्र ने ब्रिटिश सरकार को भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पतन के लिए दोषी ठहराया और "स्वतन्त्रता प्राप्त करने के भारतीय जनता के जन्मसिद्ध अधिकार" की घोषणा की।

२६ जनवरी
स्वतन्त्रता दिवस

७२. सविनय अवज्ञा आन्दोलन (१९३०-३१)

कांग्रेस और महात्मा गान्धी ने जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उस संघर्ष के लिए जो कि अपरिहार्य हो गया था, देश को तैयार किया जाय। एतदर्थ उन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की टेकनीक का व्यापक प्रचार किया। उस समय देश एक ऐसी विश्वव्यापी मन्दी के "पंजे" में था, जिसने अयनवृत्तीय गान्धी के जोर से भारत पर प्रहार किया।* खेती संकष्टी चीजों के भाव ५०% में अधिक गिर गये थे और किसानों

सविनय अवज्ञा
की
तय्यारी

* पट्टाभि सीया रामय्या- दि हिस्ट्री आफ दि कांग्रेस पृ. ६००

* पोलक- महात्मा गान्धी, पृ. १७३

की हालत इतनी तंग थी कि "वे एक गज कपडा या डेढ पाव लैम्प का तेल भी नहीं खरीद सकते थे। सीधा-सादा तथ्य यह था कि वे कर, लगान और ऋण को बढ़ा करने में असमर्थ थे।"‡ व्यावसायिक और औद्योगिक वर्गों में रुपये की नई विनिमय दर के कारण असन्तोष पैदा हो गया था। सरकार ने रुपये की कीमत १६ पैसे से बढ़ा कर १८ पैसे कर दी थी। इस परिवर्तन से इंग्लैंड को पूरा लाभ हुआ। "भारत के उद्योगपतियो और व्यापारियो ने कांग्रेस का समर्थन किया तथा उसके कोष में १९२० से भी अधिक मुक्तहस्त होकर दान दिया।"* औद्योगिक कमकर भी असन्तुष्ट और उत्तेजित थे। दमन के फलस्वरूप उन्हें प्रभूत कष्ट उठाने पड़े थे। "श्रमिक आन्दोलन विचारधारा और सगठन दोनों में वर्ग-चैतन्य, उग्र तथा भयावह होता जा रहा था।"† सरकार ने मार्च १९२९ में मजदूर सगठन के ३६ योग्यतम और उग्रतम नेताओं को गिरफ्तार करके और मेरठ षडयंत्र अभियोग का अभिनय करके जो लगातार विधिलता पूर्वक चार वर्ष तक चलता रहा, जिसमें १६ लाख रुपये खर्च हुए और अन्त में २७ श्रमिक नेताओं को सम्राट को भारत की प्रभुता से च्युत करने के अपराध में दीर्घ कारावास का दंड मिला था, श्रमिक समठन पर भीषण आघात किया। इसके अलावा लाहौर षडयंत्र अभियोग ने भी सारे भारत के राजनीतिक वायुमण्डल को विद्युन्मय कर दिया था।

इस प्रकार उस समय चारों ओर गर्मी छाई हुई थी और इस बात के चिन्ह वर्तमान थे कि यदि महात्मा गान्धी ने सविनय अवज्ञा का श्रीगणेश न किया होता, तो तत्कालीन आर्थिक दुरवस्था व नौकरशाही दमनचक्र भारत में एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात कर देते, जिसका स्वरूप निश्चितत अहिंसात्मक न होता। गान्धी इस बात से अवगत थे। २ मार्च १९३० को उन्होंने वायसराय को चेतावनी का एक पत्र लिखा और उसमें यह मत व्यक्त किया कि हिंसक दल का जोर बढ़ता जा रहा है और वह अहिंसक आन्दोलन जिसे प्रारम्भ करने का मैं निश्चय कर चुका हूँ, न केवल ब्रिटिश शासन के हिंसक बल का ही अपितु बढ़ते हुए हिंसक दल की संगठित हिंसा का भी सामना करेगा।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का श्रीगणेश मार्च के प्रारम्भ में किया गया। महात्मा गांधी ने अपनी ग्यारह शर्तों द्वारा वायसराय से कुछ सुधारों को कार्यान्वित करने की

‡ वही-पृ, १७३

* पोलक-महात्मा गांधी, पृ. १७५

† जवाहर लाल नेहरू-आउटोबायोग्राफी, पृ. १८८

भाग की थी। जब उसका कोई सतोषजनक परिणाम नहीं निकला, तब गांधी जी और कांग्रेस के सामने एकमात्र **दाण्डी कूच** मार्ग यही रह गया था कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करें। यह निश्चित किया गया कि सविनय अवज्ञा का श्रीगणेश महात्मा गांधी और उनके ७९ चुने हुये शिक्षित कार्यकर्ता करेंगे, और आन्दोलन दाण्डी-यात्रा तथा लाक्षणिक नमक-कानून-भंग के साथ प्रारम्भ हो। १२ मार्च १९३० को महात्मा गाँधी और उनके ७९ प्रशिक्षित कार्यकर्ता सावरमती आश्रम से समुद्रतट की ओर चल पड़े। दो सौ मील की लम्बी यात्रा पैदल चल कर २४ दिनों में तय की गई। बल्लभभाई-पटेल आगे आगे चले और उन्होंने जॉन दि वैपटिस्ट (John the Baptist) की तरह मसीहा के आगमन के लिये लोगों को तय्यार किया। इस महान् यात्रा के मार्ग में ग्राम वासियो ने सहस्रो की संख्या में महात्मा गांधी का अभिनन्दन किया, महात्मा गांधी ने उन्हें आत्मबलिदान और अहिंसा का उपदेश दिया। "लोगो ने ज्यो ज्यों दिन प्रति दिन कूच करती हुई तीर्थयात्रियों की इस प्रगति को देखा, त्यो त्यो देश का तापमान ऊंचा चढ़ता गया।"* देशभक्ति की ज्वाला पूरे प्रकाश के साथ प्रज्वलित हुई और उसने जनता को मातृभूमि की मुक्ति के एक महान् सपना के लिए प्रस्तुत कर दिया। ६ अप्रैल को प्रातःकाल की प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी ने समुद्रतट पर नमक बीन कर नमक कानून भंग किया।

यह भारत के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर सविनय अवज्ञा के शुरू हो जाने का संकेत-चिन्ह था। ६ अप्रैल को महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किया। "गाव गाव को नमक बीनने के लिए निकल पडना चाहिए। बहनों को शराब, अफीम और **सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम** विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देना चाहिए। विदेशी **कार्यक्रम** वस्त्र को जला देना चाहिये। हिन्दुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिये। विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दें और सरकारी नौकर अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दें।" ४ मई को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद करबन्दी को भी कार्यक्रम में जोड़ दिया गया।

शीघ्र ही आन्दोलन पूरे जोर में आ गया। इस महीने के भीतर ही भीतर २०० से अधिक पटेलो और पटवारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। बहुत से सदस्यों में-

आन्दोलन पूरे
जोरों से

विधान मंडलों से और कई सरकारी नौकरों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिए। हजारों लोगों ने नमक-कानून भंग किया। धारासना में २५०० स्वयंसेवकों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की और पानाबिक लाठी-अहार के शिकार हुए। "जमीन, पीड़ा से कराहते हुए आदमियोंसे पट गई थी। किसी का कंधा टूट गया था और किसी की खोपड़ी। लोगों के सफेद कपड़े खून से तर थे।" ३०० से अधिक व्यक्ति अस्पताल से जाये गये और दो मर गये। लेकिन एक व्यक्ति ने भी बार तक बचाने के लिये अपनी भुजा नहीं उठाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार सबसे आगे रहा और उसने महान् सफलता प्राप्त की। एच. एन. ब्रैक्सफोर्ड के अनुसार '१९३० की शरद तक कपास के कपड़ों का आयात पूर्व वर्ष के इन्हीं महीनों के आयात की तुलना में तिहाई या चौथाई के बीच रह गया था। बम्बई में अंग्रेज व्यवसायियों की सोलह मिलें बन्द हो गई थीं और बत्तिस हजार मजदूर बेरोजगार थे। इसके विपरीत भारतीय व्यवसायियों की मिलें दुगनी गति से काम कर रही थी।"† मदिरा बहिष्कार के कार्यक्रम को पिकेटिंग और प्रचार के द्वारा भी हट किया गया। इस आन्दोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि भारतीय स्त्रियों ने अपने सकोच को त्याग कर स्वातंत्र्य योद्धाओं के साथ मिल कर काम किया। दिल्ली में लगभग १६०० महिलाएँ शराब की दुकानों पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार की गईं। किसानों में भी हलचल मच गई थी। गुजरात, मद्रास, पंजाब और बाद में यू. पी. के भागों में जन-कानूनों के बहिष्कार और करबन्दी के आंदोलन का खूब प्रचार हुआ। जवाहर-लाल नेहरू ने इस बात का समर्थन किया कि करबन्दी आंदोलन का सम्पूर्ण देश में संगठन होना चाहिए। लेकिन "कांग्रेस का सम्पत्तिशाली तत्व इसके विरुद्ध था।"* भारत के अधिकांश मुसलमान इस आंदोलन से पृथक् रहे। महात्मा गांधी के उन कतिपय घनिष्ठतम मित्रों ने, जो खिलाफत आन्दोलन में उनके साथ रहे थे उनकी नीति का विरोध किया। मि. जिन्ना का कथन था "हम मि. गांधी के साथ शामिल होने से इनकार करते हैं क्योंकि उनका आन्दोलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिये नहीं, अपितु भारत के ७ करोड़ मुसलमानों को हिन्दू-महासभा के आश्रित बना देने के लिये है" लेकिन मुस्लिम लीग और नौकरशाही के गठबन्धन के बावजूद भी, जिन देशभक्त मुसलमानों ने कांग्रेस के ध्वज के नीचे खड़े

† एच. एन. ब्रैक्सफोर्ड. रेनेल इंडिया, पृ० २६।

* पोलक: महात्मा गांधी, पृ. १७६

‡ कूपलैयड: इंडिया, ५ रिस्टेमेंट, पृ. ११८-१६।

होकर, इस आन्दोलन में भाग लिया, उनकी सख्या कम महत्वपूर्ण नहीं थी। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में खुदाई ब्रिदमतगारों ने राष्ट्रवादी शक्तियों का साथ दिया और पुलिस की नृशंसताओं का हसते हंसते, आश्चर्यजनक सहनशीलता के साथ सामना किया।

जून १९३० में, भारत में क्रान्ति पूरे जोर के साथ हिलोरें ले रही थी और बहुत से स्थानों में ब्रिटिश शासन-यंत्र बिल्कुल ठप्प हो गया मालूम होता था। इस काल में बम्बई शहर का शासन-सूत्र ब्रिटिश नौकरशाही के हाथ में नहीं, अपितु कांग्रेस के हाथ में था। सरकार भी निष्क्रिय सरकार का
नहीं थी। उसके लिये यह लड़ाई और इस लड़ाई का रवैया दमन-चक्र
बिल्कुल अजब था, पहले तो वह एकदम हतप्रभ सी हो गई। लेकिन इसके शीघ्र बाद ही उसने दमन-चक्र को वेगपूर्वक घुमाना शुरू कर दिया। लाठी-प्रहार दिन प्रति दिन की घटना हो गई। १९२१ में ही "कोलोनल जॉनसन ने लाठी-प्रहार की टेकनीक को पूर्ण कर दिया था।" * "पुलिस को इस भयंकर शस्त्र का शरीर के प्राणभूत अंगों पर आघात करनेमें प्रशिक्षित किया गया था।" † अब प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं को निर्दयतापूर्वक तितर बितर किया जाने लगा। कभी कभी पुलिस छात्रों का पीछा करती हुई उनके कक्षाओं में घुस जाती थी और उन्हें व उनके अध्यापकों को अपनी लाठियों का शिकार बनाती थी। कांग्रेस को अवैध सगठन घोषित कर दिया गया था और दमनचक्र ने एक वर्ष से कुछ ही अधिक समय में ६०,००० से अधिक सत्याग्रहियों को जेल में ठूस दिया। महिलाओं के साथ भी किसी प्रकार की नरमी का बर्ताव नहीं किया जाता था और पुलिस द्वारा स्त्री-कार्य-कर्ताओं का पीडन भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास के अत्यन्त काले कारनामों में से एक है। देश को अध्यादेश शासन के आधीन कर दिया गया था और एक के तुरन्त बाद दूसरे दमनमूलक कानूनों का बोलबाला था। करबन्दी आन्दोलन को कुचलने के लिए सरकार ने सम्पत्ति के बलात् ग्रहण, हरण और नीलाम का आसरा लिया था। बोरसद में १८ राजनीतिक कैदियों को एक पिजड़े में बन्द कर दिया गया था। पुलिस के जुलुम का फल यह हुआ कि कई गांव बिल्कुल उजड़ गये।

जैसी कि आत्मा की जा सकती है, छ स्थानों पर जनता ने भी हिंसात्मक कार्य-वाहियों कीं। सरकार ने आतंक का दौरदौरा शुरू करने के लिए उनको बहाना बना लिया। धोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने छ. थाने जला दिये और कुछ चौकी-

* पृष्ठाभि सीतारामय्या; हिस्ट्री ऑफ दि नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, पृ. ५४।

पोलक: महात्मा गाँधी, पृ. १७६।

दारों को मार डाला। सगठित कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन पुलिस ने पच्चीस आदमियों को गोली से भून कर और सैकड़ों को घायल करके प्रतिशोध लिया। पेशावर में, अप्रैल १९३० में इससे भी भयकर घटनाएं हुईं। वहां कई प्रदर्शन किए गए, कुछ अवसरों पर पुलिस और लोगों के बीच संघर्ष हो गया। इसके बाद जो अव्यवस्था फैली, उसमें पुलिस ने नगर को छोड़ दिया और तीन दिनों तक शान्तिपूर्ण व अनुशासित खुदाई खिदमतगारों ने व्यवस्था को कायम रखा। चौथे दिन सैनिक दस्तों ने शहर पर पुनः कब्जा कर लिया और दर्जनों खुदाई खिदमतगारों को मशीनगनों से भूशायी कर दिया। इस दौर में एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि एक गढ़वाली प्लेटून ने अपने मुस्लिम देगवासियों के ऊपर गोली चलाने से इन्कार कर दिया।

७३. पहली गोलमेज परिषद (नवम्बर-दिसम्बर १९३०)

इधर सविनय अवज्ञा आन्दोलन जोर पकड़ रहा था, उधर सरकार ने भारत के नये संविधान के सिद्धान्तों पर विचार करने के लिए एक गोलमेज परिषद का आयोजन किया। परिषद १२ नवम्बर १९३० को सेंट जेम्स प्रासाद, लन्दन में आरम्भ हुई। सम्राट ने उसका उद्घाटन किया। प्रतिनिधि कुल प्रतिनिधि ८६ थे। इनमें से ५७ प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करते थे तथा १६ प्रतिनिधि भारतीय राज्यों से गये थे। बाकी १३ ब्रिटिश ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और वे इंग्लैंड के तीनों राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते थे। भारतीय प्रतिनिधि वायसरॉय ने चुने हुए थे और वे विभिन्न जातियों, वर्गों और हिंदों के लिए बोले। "सेंट जेम्स प्रासाद में राजा और अछूत, सिख, मुसलमान, हिन्दू और ईसाई, भूस्वामियों, श्रमिक सघों और वाणिज्य मण्डलों के प्रवक्ता एकत्रित हुए, लेकिन भारतमाना वहां नहीं थी।"* कांग्रेस, जिसके नेता जेल में पड़े हुए ब्रिटिश नौकरशाही के आतिथ्य का सुख भोग रहे थे वह इस परिषद में बिल्कुल अनुपस्थित थी।

प्रधान मंत्री मेकडोनेल्ड ने उन सिद्धान्तों का निरूपण किया, जिनके आधार पर विचार-विनिमय किया जाना था। नया संविधान संघीय होने को था। ब्रिटिश सरकार ऐसे अनुविहित रक्षा-कवचों के साथ, जिनकी परिषद का सक्रमणकाल की आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए गुंजायश रखती जाय, प्रान्तों में और केन्द्र में उत्तरदायी शासन की पुनः-स्थापना करने के लिए तय्यार थी। उन्होंने इस बात का

* एच. एन. मेसफोर्ड : सन्जेक्ट इंडिया, पृ. ४६

बिल्कुल उल्लेख नहीं किया कि यह संक्रमणकाल कब तक रहेगा और रक्षा कवचों की बात स्पष्टतः वास्तविक शक्ति को ब्रिटिश हाथों में रखने की एक चाल थी। मि० जयकर और सर तेजबहादुर सप्रू ने औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रश्न उठाया। मि० जयकर ने कहा था "यदि आप संघः भारत को आज औपनिवेशिक स्वराज्य दे दें, तो स्वतन्त्रता उत्तरदायी शासन की आवाज अपने आप खतम हो जायगी।"† लेकिन रक्षा कवच अंग्रेज इतना भ्रमे बढने के लिए तय्यार नहीं थे। सघीय सिद्धान्तो को साधारणतः स्वीकार कर लिया गया। राजाश्रो तक ने एक अखिल भारतीय संघ के विचार का समर्थन किया। सप्रू ने राजाश्रो की इस नीति का स्वागत किया और आशा प्रकट की कि वे 'हमारे सविधान मे सुस्थिरता रखने वाले तत्व' सिद्ध होंगे। मि० जिन्ना और सर मोहम्मद शफी ने, जो मुस्लिम लीग के दो पक्षो का प्रतिनिधित्व करते थे, इस विषय पर सहमति प्रकट की। दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों ने भी इसका विरोध नहीं किया।

लेकिन साम्प्रदायिकता की समस्या परिषद की असफलता का कारण सिद्ध हुई। अल्पसंख्यक उपसमिति में पुरानी लड़ाई पुन लड़ी गई युक्तिया भी वही थी और परिणाम भी वही रहा। लेकिन इस बार एक नई चीज देखने को मिली। दलित वर्गों की ओर मे डा० अम्बेदकर निर्वाचक-मण्डलों ने पृथक् निर्वाचक-मण्डलो की माग की। जहा हिन्दू की लड़ाई प्रतिनिधियो ने इस बात की वकालत की कि सब जातियो को भारत की साथ साथ सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक् निर्वाचन मण्डलो पर बल दिया। मौजाना मोहम्मद अली ने साम्प्रदायिकता के हाथो को मलबूत किया। उन्होने कहा "मे समान आकार के दो दायरो से सम्बन्ध रखना हू लेकिन उनका केन्द्र एक नहीं है। एक भारत है और दूसरा मुस्लिम-विश्व। हम राष्ट्रवादी नहीं, अपिनु अति राष्ट्रवादी हैं।"* निर्वाचक मण्डलों की लड़ाई अनिर्णीत समाप्त हुई। अपने अन्तिम भाषण मे प्रधान मन्त्री मैकडानेल्ड ने कहा कि ब्रिटिश सरकार सघीय योजना को—प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन और केन्द्र में उचित रक्षाकवचो सहित उसकी आशिक पुर.स्थापना को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं। जहा तक साम्प्रदायिक वाद-विवाद का सबन्ध हैं, इसे उन्होने "जातियो के ऊपर आपस में ही समझौता करने के लिए" छोड दिया।

† कूपलैण्ड द्वारा उद्धृत - इंडिया, परिस्टेटमेंट, पृ. १३६

* कूपलैण्ड - इंडियन प्रान्सेम १८३३-१९३५, पृ. १२१

ये ही वे चीजें हैं, जिन्हें कूपलैण्ड ने पहली गोलमेज परिषद की दृष्टि से सफलता का नाम दिया है। दूसरी ओर सुमाष बोस ने गोलमेज परिषद के कर्तृव्य के प्रति भारत के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को संक्षेपतः निम्न लिखित शब्दों में व्यक्त किया है, "परिषद ने भारत को दो कड़वी गोलिया-रक्षाकवच और सच प्रदान की। गोलियों को भक्षण्य बनाने के लिए उन्हें 'उत्तरदायित्व' की शक्कर में लपेट दिया गया।*"

७४. गांधी-इविन समझौता और दूसरी गोलमेज परिषद

पहली गोलमेज परिषद में कांग्रेस की अनुपस्थिति से ब्रिटिश सरकार स्पष्टतः परेशान थी। कांग्रेस के बिना सम्पूर्ण परिषद की स्थिति बिना दूल्हे वाली बारात के तुल्य रही थी। कांग्रेस के साथ समझौते का मार्ग प्रशस्त करने के लिये २५ जून १९३१ को महात्मा गांधी और कार्यसमिति के १९ सदस्यों को बिना शर्त कारागार से मुक्त कर दिया गया। 'शांति स्थापको सभू और जयकर के प्रयत्नों के फलस्वरूप महात्मा गांधी और लार्ड इविन के बीच एक सम्मेलन हुआ, जो १७ फरवरी से शुरू हुआ जिसकी चरम परिणति इतिहास में गांधी-इविन समझौते के नाम से प्रख्यात है।

गांधी-इविन समझौते पर ५ मार्च १९३१ को हस्ताक्षर हुये। यह समझौता कांग्रेस का महयोग प्राप्त करने के लिये ब्रिटिश सरकार की उत्सुकता को प्रकट करता था। समझौते की शर्तों के अनुसार वायसराय (१) हिंसात्मक अपराधों के सिद्धदोष कैदियों के सिवाय शेष सब राजनीतिक कैदियों को छोड़ने, (२) जेल की हुई सम्पत्ति को वापिस करने, (३) समुद्रतट के आसपास निवास करने वाले लोगों को नमक नि शुल्क तय्यार करने या एकत्रित करने की आज्ञा देने और (४) शराब, अफीम व विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्वक पिकेटींग करने की आज्ञा देने के लिये सहमत हो गये। कांग्रेस ने अपनी ओर से (१) सचिनय भ्रवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने (२) पुलिस की ज्यादतियों की निष्पक्ष जाच पड़ताल की अपनी मांग को त्याग देने और (३) भारत के हित में संरक्षणों या रक्षाकवचों सहित उत्तरदायित्व के आघार पर दूसरी गोलमेज परिषद में भाग लेने का वचन दिया।

समझौते के सम्बन्ध में के. एम. मुन्शी ने कहा था कि यह 'भारतीय इतिहास

की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है।" परन्तु यह दृष्टिकोण कांग्रेस के दक्षिण-पक्ष का था। कांग्रेस का वाम-पक्ष समझौते से घोर असंतुष्ट था। उसकी दृष्टि में यह समझौता साम्राज्यवाद के निकट अथवा आत्म-समर्पण था। जवाहर लाल नेहरू को 'रक्षा-कवचों' से सम्बद्ध धारा के कारण जिसका वे स्वतन्त्रता के साथ 'बैर केर सग' समझते थे, गम्भीर आघात पहुँचा। एच. मुकर्जी का यह कथन सर्वथा युक्तियुक्त है कि "साम्राज्यवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद के साथ सधि तो अवश्य की, लेकिन अपनी शर्तों के ऊपर।" समझौते के सम्बन्ध में उप्रवादियों की उक्त धारणा सर्वथा निराधार नहीं थी, यह बात 'टाइम्स' की इस टिप्पणी से भी पुष्ट होती है जिसमें कहा गया था कि "इस प्रकार की विजय किसी वायसराय को बहुत कम मिली है।" अतः यह स्पष्ट है कि जहाँ कांग्रेस के दक्षिण-पक्ष ने गांधी-इविन समझौते को अपनी विजय समझा, वहाँ वस्तुतः वह ब्रिटिश कूटनीति की विजय थी। भारतीय युवक सरदार भगतसिंह और उनके साथियों की फासी के ऊपर बहुत क्रुद्ध हुए। महात्मा गांधी उनके लिए सरकार से क्षमा प्राप्त करने में असफल रहे, इसलिए वे भी युवक वर्ग के रोप-भाजन बने। कुछ स्थानों पर उन्हें काले झण्डे दिखाये गये। कराची अधिवेशन में एक प्रतिनिधि ने तब यहाँ तक कह दिया कि यदि समझौते के लिए महात्मा गांधी को छोड़ कर अन्य कोई व्यक्तित्व उत्तर-दायी होता, तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। इस सारे विरोधके बावजूद भी महात्मा गांधी के प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा दक्षिण पथियों के बहुमत के कारण २५ मार्च १९३१ को कराची-कांग्रेस के अवसर पर इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया। फलतः दूसरी गोलमेज परिषद में, जो ७ सितम्बर १९३१ को शुरू हुई, कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया। प० मदनमोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू अपनी व्यक्तिगत क्षमता में परिषद में सम्मिलित हुये।

समझौते के ऊपर प्रतिक्रिया

कांग्रेस का दूसरी गोलमेज परिषद में योगदान

परिषद शुरू होने के कुछ ही समय पूर्व ब्रिटिश राजनीतिक रंगमंच में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। श्रमिक सरकार अपदस्थ हो गई। रैमजे मैकडानेल्ड अब भी प्रधान मन्त्री थे, लेकिन उनके दल ने उनको बदनाम कर दिया था। इस समय वे राष्ट्रीय सरकार के प्रधान थे और अनुदार दल व उदार दल का हाथ उनकी पीठ पर था। सर वेजवुड बेन के स्थान पर सर सैमुअल होर, जो पक्के दोरी थे, भारत-मन्त्री नियुक्त हुए थे।

दूसरी गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र सरकारी प्रति-

निधि के रूप में सम्मिलित हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति भी परिषद को सफल नहीं बना सकी। यह ठीक है कि नये सविधानके कुछ ब्योरे साम्प्रदायिक गतिरोध अनिर्णीत ही रहता है निश्चित कर लिये गये। संघीय न्यायपालिका का ढाँचा, संघीय विधानमण्डल का संगठन और भारतीय राज्यों के अखिल भारतीय संघ में प्रवेशन से सम्बद्ध आदि बातें निश्चित हो गईं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप का प्रतिपादन किया और 'सुरक्षा बलो व वैदेशिक मामलो के ऊपर पूर्ण नियंत्रण' सहित औपनिवेशिक स्वराज्य की माग की। लेकिन इस माग का कोई विशेष अभाव नहीं हुआ। इसके अलावा साम्प्रदायिक गतिरोध अनिर्णीत ही बना रहा। उन्होंने अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समझौते की बातचीत की, लेकिन साम्प्रदायिक प्रश्न का कोई हल नहीं निकल सका। १ दिसम्बर १९३१ को परिषद विसर्जित हो गई।

७५. पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन (१९३२-३४)

महात्मा गांधी इंग्लैण्ड में खाली हाथों वापिस आ गये, यद्यपि उन्होंने इस बात का दावा किया कि मे "बढ़ी हुई आशा को लेकर लौट रहा हूँ।" उनकी अनुपस्थिति में भारत में कांग्रेस और सरकार का सन्धिकाल समाप्त होने लगा था। सरकार ने कांग्रेस के ऊपर यह दोषारोप लगाया कि उसने यू पी में किसानों को कर न देने के लिए उत्साहित किया है और इस बात की शिकायत की कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खा के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार सविनय अवज्ञा को पुनः शुरू करने की तय्यारी कर रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस ने यह आक्षेप किया कि नौकरशाही ने गांधी-इविन समझौते की सब शर्तों का उल्लंघन किया है और पुलिस का दमन-चक्र पूर्ववत् जारी है।

लार्ड इविन के उत्तराधिकारी लार्ड वेलिंगटन कठोर नीति के विश्वासी थे। उन्होंने भारत-राष्ट्र की नवचेतना भंग करने के लिए कसर कस ली थी। इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय सरकार के दक्षिण पक्ष ने भी कांग्रेस को, जो लार्ड वेलिंगटन की कठोर नीति वेलिंगटन के अनुसार "वैकल्पिक सरकार" होने का अभिनय करती थी, कुचल डालने का निश्चय किया। रोम से आने वाली एक झूठी प्रेस रिपोर्ट से जिसमें कहा गया था कि महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा को पुनः प्रारम्भ करने का इरादा है, सरकार को बहाना मिल गया। २८ दिसम्बर १९३१ को जब महात्मागांधी बंबई में उतरे, जवाहर-खाल नेहरू, खान बन्धु और दूसरे छोटी के नेता पहले ही जेल में बंद कर दिए गए थे।

महात्मा गांधी ने "बिना किहीं शर्तों का समारोप किये" वैंलिंगटन से एक इंटरव्यू के लिए प्रार्थना की, लेकिन वैंलिंगटन ने इस प्रार्थना को अस्वीकार किया। कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा को पुराने तरीके से पुनः शुरू करने का निश्चय करके, इस चोख का जवाब दिया। ३ जनवरी १९३२ को महात्मा गान्धी ने राष्ट्र का एक 'अग्नि-परीक्षा' का सामना करने के लिये आवाहन किया।

सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की। ४ जनवरी को सरदार पटेल व महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिये गए और यरवदा जेल में नजर बन्द कर दिये गए। अध्यादेशों के समूह ने चौकरशाही को विशेष शक्तियों से सज्जित कर दिया। महात्मा गान्धी की गिरफ्तारी सघर्ष के पुनः प्रारम्भ आन्दोलन होने का संकेत-चिन्ह था। जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में और "इस बार ब्रिटिश सरकार का जो प्रतिरोध किया गया, वह दमन १९३० से महान था।" लेकिन जैसे समय बीतता गया, आन्दोलन की शक्ति घटती गई। तथापि आन्दोलन १६ मई १९३३ तक चलता रहा, जब तक कि वह महात्मा गान्धी द्वारा बारह सप्ताह के लिए स्थगित न कर दिया गया। सरकार ने महात्मा गान्धी को छोड़ तो ८ मई को ही दिया था, लेकिन इस समय उनके सम्मने सबसे बड़ी समस्या अछूतों की और समीपागत साम्प्रदायिक पचाट के द्वारा हिंदू जाति के सभाव्य विघटन की थी। १४ जुलाई १९३३ को जन आन्दोलन रोक दिया गया यद्यपि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा एक वर्ष तक और चलती रही। जनता का उत्साह निश्चित रूप से कम हो गया था और नैतिक पतन के चिन्ह स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहे थे। ७ अप्रैल १९३४ को महात्मा गान्धी ने सविनय अवज्ञा समाप्त कर दी। उनके सेनापतित्व के ऊपर पुनः आक्षेप हुए। सुभाष बोस और वी० जी० पटेल ने, जो उस समय यूरोप में थे, सविनय अवज्ञा के स्थगन को पराजय की स्वीकारोक्ति बताया और कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गान्धी असफल सिद्ध हुए हैं।* जवाहर लाल नेहरू भी छुट्टे हुए और उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की कटु आलोचना की।

यह स्मर्तव्य है कि इस बार आन्दोलन का दमन करने में सरकार ने अश्रुतपूर्वक निर्दयता से काम लिया। चर्चिल तक ने कहा था कि सरकार की दमन नीति गुदर के बाद से इस बार सबसे कठोर रही थी। कांग्रेस और उसके सब सहायक संगठनों पर

* आर० पी० दत्त-इंडिया टुडे, पृ. ३४२

प्रतिबन्ध लगा दिया गया था व उसकी समस्त सम्पत्ति, बैंक के हिसाब किताब तथा कार्यालयों पर अधिकार कर लिया गया। सरकार ने राष्ट्रवादी समाचार-पत्रों के मुंह पर ताला लगा दिया और कांग्रेस को डाकखाने के उपयोग से वंचित कर दिया। कांग्रेस को हरकारों द्वारा डाक भेजने और गुप्त समाचार पत्र निकालने के भूमिगत तरीकों को अपनाना पड़ा। 'विद्रोही' स्थानों में दण्ड पुलिस और टू.पो को तैनात कर दिया गया। सम्पत्ति की जब्ती और सामूहिक जुर्माने नित्य के कार्यक्रम हो गए।

७६. मैकडानेल्ड (साम्प्रदायिक) पंचाट और पूना-समझौता

यह स्मर्तव्य है कि गोलमेज परिषद के प्रथम दो अधिवेशन साम्प्रदायिक समस्या के गतिरोध को दूर करने में असमर्थ रहे थे। एडवर्ड थामसन के अनुसार यह मुख्यतः पंचाट की पृष्ठ भूमि समझौते का तीव्र विरोध करने वाले मुसलमानों तथा कुछ विशेष अलोकतत्रवादी ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्रों का अभिसन्धि का प्रमाण था।* तथापि द्वितीय गोलमेज परिषद के अन्त में मैकडानेल्ड ने प्रतिनिधियों से कह दिया था कि साम्प्रदायिक समस्या का समाधान मुख्यतः तो सम्बद्ध जातियों के ही ऊपर निर्भर है लेकिन "ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि यह बाधा भी उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं बनने दी जायगी।" उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि "यदि कोई सर्वसम्मत हल सामने नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार को अपनी काम चलाऊ योजना लागू करनी पड़ेगी।" साम्प्रदायिक अथवा मैकडानेल्ड पंचाट जो ८ अगस्त १९३२ को प्रकाशित हुआ, इसी का परिणाम था। इसके साथ ही साथ यह भी घोषणा कर दी गई थी कि "यदि सरकार को यह विश्वास हो जायगा कि विभिन्न साम्प्रदायों को एक वैकल्पिक योजना स्वीकार है तो वह ब्रिटिश ससद से सिफारिश करेगी कि साम्प्रदायिक पंचाट में रखी गई योजना के बदले में नई योजना स्वीकार कर ली जाय।"†

पंचाट ने विशेष हितों और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए और बंगाल व पंजाब में मुसलमानों के लिए, यद्यपि वे इन प्रान्तों में जनसंख्या की दृष्टि से बहुमत में थे, पृथक् निर्वाचन पद्धति को पूर्ववत् कायम रक्खा। पंचाट में दो अन्य विलक्षण-

* डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा खंडित भारत में उद्धृत, पृ. २०७

† राजेन्द्र प्रसाद वही पृ. २०८-२०९

शुताएं भी थी। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के विधान मण्डलके पंचाट की सिवाय प्रत्येक प्रान्तीय विधान मण्डल में ३ प्रतिशत स्थान, शर्तें जिन्हे विभिन्न साम्प्रदायो में बांट दिया गया था, स्त्रियो के लिए सुरक्षित रक्खे गये। पंचाट में 'गुरुभार' भी था, यद्यपि उसे अत्यन्त विषम रीति से वितरित किया गया था। लेकिन इस योजना की सबसे घातक विशेषता यह थी कि दलित वर्गों को एक विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्य किया गया और उन्हें पृथक् निर्वाचन पद्धति द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का व 'साधारण' निर्वाचन क्षेत्रों में एक अतिरिक्त मत का अधिकार दिया गया। साम्प्रदायिक पंचाट भारतीय राष्ट्रवाद के बल को निर्बल करने के लिए भारत के सम्प्रदायगत व वर्गगत मतभेदों को उत्तेजित करने की परम्परागत ब्रिटिश नीति के अनुरूप ही था। मेहता और पटवर्धन ने लिखा है, "भारत में साम्प्रदायिक क्रियाकलापों का सरक्षण राष्ट्रीय भावना की वृद्धि के साथ साथ हुआ है। १९०९ में निर्वाचक मण्डल को चार साम्प्रदायिक और वर्ग-निर्वाचक मण्डलों में विभाजित किया गया, १९१९ में उसे दस भागों में बांट दिया गया और १९३५ में यह संख्या १७ तक बढ़ा दी गई है।"* यह बात महत्वपूर्ण है कि, "१९१९ में साम्प्रदायिकता का सूत्रपात इसलिए किया गया क्योंकि दो दल इससे सहमत थे। १९३५ में साम्प्रदायिकता को इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि हिन्दू और मुसलमान एकमत नहीं हो सके।"†

स्पष्ट है कि फूट डालो और राज्य करो की पुरानी नीति, जिसकी एल्फिंस्टन मैल्काम और मेटकाफ के जमाने में जोर शोर से घोषणा की जाती थी, अब सूक्ष्मतर प्रादुर्भावों की तलाश करने के लिये विवश हो गई थी। ब्रिटिश कूटनीति ने निरपेक्षता का अभिनय करना सीख लिया था लेकिन इस अभिनय का भौंडापन भी साफ दिखाई देने लगा था।

'निरपेक्ष' ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यक वर्गों और विशेष रूप से मुसलमानों के ऊपर बहुत ही कृपाल थी। पंचाट में हिन्दुओं के साथ बहुत अन्याय किया गया था। पंजाब और बंगाल में हिन्दू अल्पमत में थे, वे इस अन्याय के सबसे ज्यादा शिकार हुए। ब्रिटिश-निष्पक्षता के कुछ उदाहरण यहां दिए जा सकते हैं। १९३१ की जनगणना के अनुसार बंगाल में मुसलमान कुल जनसंख्याके ५४.८% ब्रिटिश निष्पक्षता कः अद्भुत प्रदर्शन

* मेहता और पटवर्धन- दि कम्युनल ट्रायंगल; पृ. १०१

† वही, पृ. ७५

और हिन्दू ४४.८ प्रतिशत थे। लेकिन प्रान्तीय विधान मण्डल के २५० स्थानों में से ११९ स्थान मुसलमानों को और ८० स्थान हिन्दुओं को दिए गये। यूरोपीय कुल जनसंख्या के .०१% ही थे लेकिन फिर भी उन्हें २५ स्थान देने के लिये दोनों जातियों को अपना प्राप्य प्रतिनिधित्व उत्सर्ग करना पड़ा, परन्तु विलक्षण बात यह है कि हिन्दुओं से जिस उत्सर्ग की मांग की गई, वह अनुपात की दृष्टि से मुसलमानों से त्रिगुण था। पंजाब में अल्पसंख्यक वर्गों (हिन्दुओं और सिखों) को 'गुरुभार' उसी माप के अनुसार नहीं दिया गया जिस माप के अनुसार वह मुसलमानों को उन प्रान्तों में, जहाँ वे अल्पमत में थे, दिया गया था। 'गुरुभार' के मामले में ब्रिटिश निष्पक्षता ने अनोखी रीति से काम किया। पंजाब में हिन्दू और सिख तो ब्रिटिश सरकार की कृपाकोर से बंचित रहे, लेकिन भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीयों को ब्रिटिश सरकार का भूरिशः अनुग्रह प्राप्त हुआ। उन्हें क्रमात् ३००%, ३०००% और २५०००% गुरुभार मिला। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने ध्वंग के रूप में लिखा है 'ब्रिटिश सरकार अवश्य ही इस मामले में सर्वथा उबासीन' थी।'*

भारत के राष्ट्रवादी लोकमत ने जहाँ साम्प्रदायिक पंचाट का साधारतः खंडन किया, कांग्रेस ने उसके प्रति कुछ विचित्र सा दृष्टिकोण अपनाया। कार्य समिति ने निर्णय किया कि कांग्रेस को न तो इसे स्वीकार ही करना चाहिए और न अस्वीकार ही, यद्यपि अधिकांश सदस्यों के मत में "पंचाट सर्वथा तिरस्कार योग्य था।"† पंडित मालवीय और एम. एस. भण्डे इस डावाडोल दृष्टिकोण से अप्रसन्न हुए और उन्होंने पंचाट के विरुद्ध लड़ाई जारी रखने के लिये कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का निर्माण किया।

लेकिन पंचाट के दलित वर्गों से सम्बन्ध रखने वाला उपबन्ध महात्मा गांधी के लिए असह्य था। इससे उन्हें मर्यान्तिक पीड़ा पहुँची और उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा कर हिन्दू जाति का विघटन करने की इस अपवित्र चेष्टा को निष्फल करने का निश्चय किया। जिस समय पंचाट प्रकाशित हुआ, वे जेल में थे, उन्होंने धामरण्य अनशन करने का निश्चय किया। २० सितम्बर १९२३ को महात्मा गांधी का यह ऐतिहासिक उपवास प्रारम्भ

* राजेन्द्र प्रसाद, खंडित भारत पृ. २१२।

† इमाम बोस, दि इन्डियन स्ट्रगल, पृ. ३७२।

हुआ। डा० अम्बेदकर ने उसे 'राजनीतिक घूर्तता' बताया और बहुतों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह बल-प्रवर्तन का तरीका है। लेकिन इस उपवास का मनोवाञ्छित फल हुआ, इसने हिन्दू जाति का मनोमथन करके रख दिया। पंडित मालवीय, राजेन्द्र प्रसाद और एम. एस. राजा के प्रयत्नों के फलस्वरूप एक समझौता-सूत्र तय्यार किया गया जिसे महात्मा गान्धी ने ससन्नोष स्वीकार किया और जिस पर आघेमन से डा० अम्बेदकर ने भी हस्ताक्षर कर दिये। इस सूत्र के अनुसार 'हरिजनों' (यह शब्द महात्मा गान्धी ने दलित वर्गों के लिये गढ़ा था) को मेकडानेल्ड पंचाट द्वारा दिये गये स्थानों से भी अधिक स्थान दिये गये। लेकिन इन स्थानों के निर्वाचन दो स्तरों में होना निश्चित हुआ अर्थात् प्रारम्भिक निर्वाचन में अछूत पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिये चार प्रत्याग्नी चुने लेकिन अंतिम निर्वाचन में सबका हिन्दू और हरिजन सम्मिलित रूप से मतदान दें। इसके अलावा उन आधारण स्थानों के लिये, जो हरिजनों के लिये सुरक्षित नही रखे गये थे, हरिजनों को निर्वाचन में एक अतिरिक्त मत दिये गया। यह समझौता, जो पुना-समझौते के नाम से प्रख्यात है, २६ सितम्बर १९३२ को अंगीकृत किया गया और उसी दिन महात्मा गान्धी ने अपना उपवास तोड़ा।

७७. तीसरी गोलमेज परिषद

गोलमेज परिषद का तीसरा और अन्तिम अधिवेशन नवम्बर १९३२ में शुरू हुआ और वर्ष समाप्त होने के कुछ दिनों पूर्व समाप्त हुआ। अमिक दल ने परिषद से अपना सहयोग खींच लिया था। भारत का प्रतिनिधित्व कट्टर राजभक्तों ने किया था। फलतः यह अधिवेशन प्रति-परिषद का प्रतिगामी गामी तत्वों की पूर्ण अधीनता में सम्पन्न हुआ। भारत के स्वल्प नये सविधान के सम्बन्ध में मोटी-मोटी बातें तो पहले ही तय कर ली गई थी, परिषद का मुख्य कार्यक्रम उन्हें पुनः पुष्ट करने और कुछ बातों को सविस्तार निश्चित करने का था।

मार्च १९३३ में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इस श्वेत पत्र में में कहने को तो गोलमेज परिषद के निष्कर्षों को ही लेखबद्ध किया गया था, लेकिन इन निष्कर्षों में अनुबार दल की आलोचना को सामना करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये थे। श्वेत-पत्र श्वेत पत्र के प्रस्ताव "इतने प्रतिगामी थे, कि भारत के प्रत्येक प्रगतिशील लोकमत के लिए सर्वथा अस्वीकार्य थे।"† ब्रिटिश संसद के दोनों * सी. वार्ड, विन्तामथि: इंग्लियन पब्लिकेस सिन्स दि म्यटिनी ५, १९५१।

सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति ने श्वेत-पत्र की योजना का परोक्षण किया। अपनी रिपोर्ट में समिति ने श्वेत-पत्र के प्रस्तावों पर साधारण रूप से अपनी स्वीकृति दे दी। उसने जो थोड़े से संशोधन किए भी, उन्होंने योजना को और खराब कर दिया। उदाहरणार्थ मूलतः सघीय सभा के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन समिति ने उसके लिए परोक्ष निर्वाचनों की सिफारिश की। संयुक्त सांसद समिति ने संवैधानिक योजना को जो अन्तिम रूप दिया यह "सुधार के नाम में उन्मुक्त साम्प्रदायिकता और प्रतीपगमन (Retrogression) था।" इस योजना ने १९३५ के भारत सरकार के अधिनियम का स्वरूप धारण किया। ब्रिटिश संसद ने इसको अगस्त १९३५ में पास किया।

संयुक्त प्रवर
समिति की
रिपोर्ट

नया भारत सरकार
अधिनियम

सारांश

१९२४ में कारागार से छूटने के पश्चात् महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति से दूर रहे थे। १९२७ में कांग्रेस के निर्वाचन नेता के रूप में भारत के राजनीतिक रगमंच पर वे पुनः अवतरित हुये। उस वर्ष नवंबर में अनुविहित (साइमन कमीशन) की नियुक्ति की घोषणा की गई। कमीशन के जिम्मे मॉंटफोर्ड सुघारो की क्रियान्विति की जांच-पड़ताल करना और इस बात की कि भारत में उत्तरदायी शासन को बढ़ाया जाय या नहीं रिपोर्ट करना था। कमीशन ने १९२८ में भारत की यात्रा की।

कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। थोड़े से प्रतिगामियों को छोड़कर भारतीय लोकमत के सभी वर्गों ने उसका बहिष्कार किया। जिस समय कमीशन अपने अनुसंधान करने में व्यस्त था, भारत के समस्त राजनीतिक दलों के एक सम्मेलन ने पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के नये सविधान का मसविदा तय्यार करने के लिये एक समिति नियुक्त की। नेहरू रिपोर्ट (१९२८) ने पूर्ण उत्तरदायी शासन सहित औपनिवेशिक स्वराज्य की माग की और पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया।

१९२७ में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता को अपना लक्ष्य अंगीकृत कर दिया था। १९२८ के अधिवेशन में उसने सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया था। इस अल्टीमेटम में कांग्रेस ने सरकार से यह माग की थी कि वह नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित

वैधानिक योजना को पूर्णतः स्वीकार कर ले। यदि सरकार ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया, तो कांग्रेस औपनिवेशिक स्वराज्य से सहमत होने के अपने पूर्व प्रस्ताव को वापिस ले लेगी। चूंकि सरकार ने अक्टूबर १९२६ में लार्ड इरविन द्वारा की गई एक अस्पष्ट उद्घोषणा के सिवाय इस चेतावनी का और कोई उत्तर नहीं दिया, अतः कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन (दिसम्बर १९२६) में पूर्ण स्वराज्य के लिए सग्राम करने का निश्चय किया और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार दे दिया।

महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दाण्डी यात्रा के अन्त में नमक-कानून तोड़कर ६ अप्रैल १९३० को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का सूत्रपात किया। इस आन्दोलन ने जनता में अभूतपूर्व उत्साह उत्पन्न किया और नौकरशाही दमनचक्र ने जनता के प्रतिरोध को दृढ़ से दृढतर ही बनाया।

जिस समय आन्दोलन जोरो से चल रहा था, ब्रिटिश सरकार ने लन्दन में एक गोलमेज परिषद की। इसमें ब्रिटिश भारत, देशी रियासतों और ब्रिटिश ससद के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। परिषद ने भारत के नये सविधान के सिद्धान्तों पर विचार-विनिमय किया। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने की वाछा से सरकार ने महात्मा गांधी के साथ समझौते की बातचीत शुरू की। गांधी-इरविन समझौते के फलस्वरूप, जिस पर ५ मार्च १९३१ को हस्ताक्षर हुए, सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया और महात्मा गांधी गोलमेज परिषद के दूसरे अधिवेशन में सम्मिलित हुए। लेकिन उनकी उपस्थिति भी साम्प्रदायिक गत्यवरोध को दूर करने में असफल रही। यद्यपि परिषद ने नये सविधान के कतिपय मूलभूत पहलुओं को निश्चित कर लिया, लेकिन साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की जटिल समस्या अनिर्णीत बनी रही।

२८ दिसम्बर, १९३१ को महात्मा गांधी भारत वापिस आ गये और शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन को पुनः शुरू कर दिया गया। सरकार ने आन्दोलन को कुचल डालने के लिए पाशाविक उपायों का आश्रय लिया। अप्रैल १९३४ में आन्दोलन को अंतश. बन्द कर दिया गया।

इसी बीच में अगस्त १९३२ में साम्प्रदायिक पंचाट प्रकाशित कर दिया गया था। इसने पृथक् निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए ही कायम रखना अपितु उसे दलित वर्गों के ऊपर भी लागू कर दिया। पंचाट ने दलित वर्गों को एक विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की मान्यता प्रदान की। हिन्दू जाति को विघटित करने की इस चेष्टा को निष्फल करने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण उपवास प्रारम्भ कर

दिया। फलतः २६ सितम्बर को पूना-समझौता स्वीकार किया गया। इस समझौते में जिस निर्वाचन पद्धति को निर्धारित किया गया, वह पृथक् निर्वाचन-पद्धति और संयुक्त निर्वाचन-पद्धति के बीच का मार्ग थी। इस समझौते ने दलित वर्गों को हिन्दू जाति से अलग होने से रोक दिया।

गोलमेज परिषद के तीसरे अधिवेशन ने उसके प्रारम्भिक अधिवेशनों के कार्य को पूरा कर दिया। मार्च १९३३ में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया जिसमें नये सविधान के प्रस्ताव लेखबद्ध थे। इन प्रस्तावों का एक संयुक्त प्रवर समिति ने निरीक्षण किया और उन्हें ससद ने १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के रूप में पास किया।

अध्याय ११

१९३५ का भारत सरकार अधिनियम

७८. मुख्य विशेषताएं

प्रो० कूपलैण्ड ने १९३५ के अधिनियम को "रचनात्मक राजनीतिक विचार की एक महान् सफलता"* बतलाया है। उनके मत में, "उसने भारत के भाग्य का स्थानांतरण अग्रजों के हाथों से भारतीयों के हाथों में सम्भव कर दिया।"* तथापि कोई भारतीय इस दृष्टिकोण को कठिनाता से ही स्वीकार कर सकता है। निष्पक्ष ब्रिटिश टीकाकारों तक ने इस बात को नोट किया है कि अधिनियम में डोमीनियन स्टेटस के लक्ष्य की प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गई थी।* भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस आघार पर अधिनियम का तिरष्कार किया कि उसने सम्पूर्ण वास्तविक शक्ति अग्रजों के हाथों में रक्खी और वह एक प्रतिगामी कानून था। प० जवाहर लाल नेहरू ने उसे "दासता का एक चार्टर" बताया। उनके मत में अधिनियम ने ब्रिटिश सत्ता से संचालित हुकूमती ढांचे में हस्तक्षेप करने या सुधार करने के लिए भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। "इस एक्ट से ब्रिटिश सरकार की रजवाडों से, जमींदारों से और हिन्दुस्तान की दूसरी प्रतिक्रियावादी जमातों से दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो गई। पृथक् निर्वाचन पद्धति को इससे बढ़ावा दिया गया और इस तरह अलग होने वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। इस एक्ट ने ब्रिटिश व्यापार, उद्योग, बैंकिंग और जहाजी व्यापार को, जिनका पहले से ही आधिपत्य था, छत्र और ज्यादा सुदृढ़ कर दिया। इस एक्ट में ऐसी धाराएं साफ तौर पर रक्खी गईं कि उनकी इस हैसियत

* कूपलैण्ड : इंडिया, ए रिस्ट्रिक्ट, पृ. १५४

* कूपलैण्ड : दि इंडियन प्रॉब्लेम १८३३-१९३५ पृ. १४७

* मि० पटेली ने कामन-समा के एक वाद-विवाद में इस आघार पर अधिनियम का विरोध किया था। देखिये कीच : ए कंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री आफ इंडिया पृ. ४७०

पर रोक या पाबन्दियां बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती थी।... इस कानून के मुताबिक भारतीय राजस्व, फौज और विदेशी नीति के सारे मामलो में पूरा नियन्त्रण ब्रिटिश हाथों में ज्यो का ल्यो बना रहा। इस विधान ने वायसराय को पहले से कही ज्यादा ताकत सौंप दी।** गवर्नर जनरल और प्रान्तीय गवर्नरो की स्वेच्छाचारी शक्तिया पूर्णवत् अखण्ड बनी रही। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इन एजेंडो में निहित स्व-विवेकी शक्तियो और विशेष उत्तरदायित्वों ने उत्तरदायी शासन की कथित पुर स्थापना को निरर्थक कर दिया था। सधीय विधान मण्डलों की विधायी सक्षमता को गवर्नर जनरल की प्रत्यादेशक शक्तियो के द्वारा कठोरतापूर्वक निर्बन्धित कर दिया गया था। विधानमंडल राष्ट्र की आय-व्यय को भी नियन्त्रित नहीं कर सकता था, उस पर पूर्णत गवर्नर जनरल का अधिकार था, जो भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति नहीं, अपितु ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी था।

१९३५ के अधिनियम की विलक्षणता इस बात में थी कि उसने एक ऐसे अखिल भारतीय सघ की रचना का प्रस्ताव किया जो कि ब्रिटिश भारत के प्रान्तों और भारतीय राज्यों की एक पर्याप्त सख्या से मिलकर बने। यह उपबन्धित कर दिया गया था कि भारतीय राज्य प्रस्तावित सघ में स्वेच्छा से सम्मिलित होंगे। यह ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के वैधानिक ढांचे की एकात्मक परम्परा के बिल्कुल विपरीत था और भारतीय रजवाडो व शेष भारत को एक सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत लाने का प्रथम प्रयास था। लेकिन प्रस्तावित सघ की योजना सर्वथा अगुठी थी। भारतीय लोकमत के प्रत्येक वर्ग ने उसको अस्वीकार कर दिया और वह कभी कार्यरूप में परिणत नहीं हुई।

१९३५ के अधिनियम के अनुसार केन्द्र में द्वैधशासन-प्रणाली के अनुसार उत्तरदायी शासन स्थापित होने को था। अधिनियम ने संधीय (केन्द्रीय) शासन के प्रशासनिक क्षेत्र को संरक्षित और हस्तातरित दो भागो में बाटना निश्चित किया था। संरक्षित विषयो का शासन गवर्नर जनरल कार्यकारिणी-परिषदों की सहायता से अपने विवेक के अनुसार करने को था। संधीय कार्यपालिका का यह भाग संधीय विधानमंडल के नियन्त्रण से पूर्णतः बाहर था।

* जवाहरलाल नेहरू : हिन्दुस्तान की कहानी पृ. ४५५

हस्तांतरित विषयों के शासन प्रबन्ध के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल से यह आशा की जाती थी कि वह साधारणतः संघीय विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के अनुसार कार्य करेगा ।

इसके साथ ही साथ अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर प्रान्तीय स्वायत्तता की स्थापना की । सरक्षित और हस्ता-न्तरित विभागों के भेद को दूर कर दिया और न्यूनाधिक रूप से सम्पूर्ण प्रान्तीय प्रशासन उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों **प्रान्तीय** में सौंप दिया गया । तथापि प्रांतों में उत्तरदायी शासन न **स्वायत्तता** तो जेन्व ही था और न पूर्ण ही । गवर्नरों को ऐसी विशेष शक्तिया दे दी गई थी, जिनसे वे अपने मंत्रियों के परामर्श का प्रत्यादेश कर सकते थे । प्रान्तीय स्वायत्तता ने प्रांतों को प्रस्तावित सभ के स्वायत्त एकको का एक नया वैधानिक स्तर भी प्रदान किया । इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए शक्तियाँ तीन विशद सूचियों के आधार पर केन्द्र और प्रांतों के बीच वितरित कर दी गई । तथापि इसने प्रान्तीय क्षेत्र का अतिक्रमण करने को केन्द्रीय सरकार की शक्ति को पूर्णतः समाप्त नहीं कर दिया । नये सविधान के **संघीय** सघीय आधार को कायम रखने के लिये १९३५ के अधि- **न्यायालय** नियम ने सविधान के निर्वाचन और क्षेत्राधिकार सम्बन्धी मतभेदों का निराय करने के लिए एक सघीय न्यायालय की स्थापना का भी उपबन्ध किया । यद्यपि १९३५ के अधिनियम में चित्रित अखिल भारतीय सच ने तो मूर्त रूप धारण नहीं किया, परन्तु सघीय न्यायालय का १ अक्टूबर १९३७ को उद्घाटन कर दिया गया ।

७६. रक्षा-कवच और संरक्षण

१९३५ के भारत सरकार अधिनियम का सर्वाधिक विवादास्पद पहलू उन रक्षा-कवचों और संरक्षणों में विद्यमान था, जिसका उसने उपबन्ध किया था । भारत के राष्ट्रवादी लोकमत ने उनका विरोध किया क्योंकि वे लोक-तंत्र की भावना के विरुद्ध थे और उनका उद्देश्य गवर्नर **रक्षा-कवचों** जनरल व प्रान्तीय गवर्नरों के हाथों में ऐसी विशाल शक्तियाँ **की प्रकृति** देकर, जिनका वे इच्छानुसार प्रयोग कर सकते थे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्यशाही की जड़ों को मजबूत करना था । अधिनियम के अधीन प्रस्तावित सभ इतना प्रतिगामी था कि यदि कहीं वह मूर्तरूप धारण कर लेता तो उन अनुदार तत्वों व न्यस्त स्वार्थों का गढ़ बन जाता जिनको ब्रिटिश अधिकारी इच्छानुसार

अपनी स्वार्थपूर्ति का साधन बना सकते थे। लेकिन वे संयोग पर कोई चीज न छोड़ने के लिये कृतनिश्चय थे और इसलिए ब्रिटिश शक्ति को केन्द्र में संरक्षण अखण्ड-अजस्र रखने के उद्देश्य से पग पग पर रक्षा कवचों व सारक्षणों का विधान किया गया। सघीय क्षेत्र में प्रतिरक्षा विदेशी मामलों, जनजाति-क्षेत्रों के प्रशासन और धार्मिक विषयों को उत्तरदायी मन्त्रियों के पर्यवलोकन से बाहर रक्खा गया। ये 'सरक्षित विषय थे और गवर्नर जनरल को इनका प्रबन्ध मन्त्रियों से मन्त्रणा किये बिना अपने विवेक के अनुसार करना था। संक्षेप में, सेना और वैदेशिक नीति का नियन्त्रण पूर्णतः ब्रिटिश हाथों में रहा। वित्त के सम्बन्ध में भी यही बात थी। केन्द्र में भी और प्रान्तों में भी। यह ठीक है कि इस विषय को एक उत्तरदायी मन्त्री की अधीनता में रक्खा गया था लेकिन वास्तविकता यह है कि व्यय पर उसका अथवा वित्त विधानमण्डल का कोई नियन्त्रण नहीं था। इस प्रकार भारत की करेसी और मुद्रा सम्बन्धी नीति का प्रबन्ध रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा होने को था जो विधानमण्डल के प्रति नहीं, अपितु गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। गवर्नर जनरल वित्त-मन्त्री द्वारा प्रस्तावित किन्हीं भी विधेयकों के ऊपर अपने निपेधाधिकारों का प्रयोग कर सकता था। भारत की आर्थिक स्थिरता और साख को कायम रखना गवर्नर जनरल के "विशेष उत्तरदायित्वों" में से एक था।

रक्षा-कवचों का उद्देश्य गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को एक ऐसी शक्ति प्रदान करना था, जिससे वे उत्तरदायी मन्त्रियों की इच्छा का अतिक्रमण कर सकें। सरक्षित विषयों के सम्बन्ध में वे मन्त्रियों से मन्त्रणा किये विशेष उत्तरदायित्व बिना भी कार्य कर सकते थे। दूसरे विषयों के सम्बन्ध में और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे साधारण परिस्थितियों में मन्त्रियों की मन्त्रणा पर कार्य करेंगे। लेकिन यदि वे व्यक्तिगत निर्णय में मन्त्रों के समझते कि अग्रिम विषय में उनका कोई विशेष उत्तरदायित्व अन्तर्भूत है तो उस स्थिति में वे अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर सकते थे। ये विशेष उत्तरदायित्व मुख्य रूप से निम्नलिखित थे— (१) भारतवर्ष (अथवा गवर्नर की स्थिति में प्रांत) की शांति भंग करने वाले खतरों का निवारण, (२) अल्प-संख्यक वर्गों के उचित अधिकारों और हितों की रक्षा करना, (३) लोक-सेवाओं के सदस्यों के अधिकारों का रक्षण, (४) भारतीय राज्यों के अधिकारों और शासकों की मर्यादा की रक्षा करना और (५) ब्रिटिश व्यापारिक हितों के विरुद्ध विभेद का निवारण। इस प्रकार गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अल्पसंख्यक वर्गों, भारतीय राज्यों

के शासकों, लोक-सेवाओं के सदस्यों व ब्रिटिश व्यापारियों का अभिभावक बना दिया गया। जब कभी वे समझते कि उत्तरदायी मन्त्रियों द्वारा सुझाई गई नीति इनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, वे व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार काम कर सकते थे। इस स्थिति में उन्हें मन्त्रियों से मन्त्रणा तो करनी पड़ती थी, पर वे उनके परामर्श को मानने के लिये बाध्य नहीं थे।

यह स्पष्ट है कि गवर्नर जनरल और गवर्नरों में निहित विशेष शक्तियाँ और उत्तरदायित्व उत्तरदायी शासन के सर्वथा प्रतिकूल थे। जैन्य उत्तरदायी शासन-प्रणाली के अधीन वास्तविक शक्ति मन्त्रियों के पास रहती है और ये मन्त्री विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। १९३५ रक्षा-कवच उत्तरदायी के अधिनियम के अधीन इसका उपबन्ध नहीं किया गया। शासन के प्रतिकूल उसने गवर्नर जनरल प्रथवा प्रांतों के गवर्नरों को वैधानिक वे और उनका शासक नहीं बनाया। इसके विपरीत, रक्षा-कवचो ने उन्हें उद्देश्य विदेशी शासन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अजेय बनाना तथा उसके को कायम रखना पृष्ठपोषको, प्रतिगामी तत्वों व न्यस्त स्वार्थों को व न्यस्त स्वार्थों की रक्षा करना था। उन्होंने असली ताकत अंग्रेजों के हाथों में रहने दी और भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में बहुत कम शक्ति छोड़ी। दूसरे शब्दों में वे प्रगति और लोकतन्त्र के पैरों में बेडिया थे।

अखिल भारतीय संघ

६०. प्रस्तावित संघ

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं १९३५ के अधिनियम ने एक संघीय सविधान की योजना प्रदान की। उसने ब्रिटिश भारत के प्रांतों और भारतीय राज्यों की एक निश्चित संख्या के मिलने से बनने वाले एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया। भारतीय लोकमत इस प्रकार के संघवाद के विरुद्ध नहीं था। इसके विपरीत, साधारणतः यह अनुभव किया जाता था कि भारत जैसे एक विशाल उप-महाद्वीप में, जहाँ भाषा, संस्कृति तथा आर्थिक परिस्थितियों की पर्याप्त विभिन्नताएँ विद्यमान हों, संघीय शासन प्रणाली स्वाभाविक है। लेकिन १९३५ के अधिनियम के अधीन प्रस्तावित संघीय योजना भारतीय लोकमत के किसी वर्ग में रंचमात्र भी उत्साह पैदा करने में सफल नहीं हुई। चारों ओर से उसका तिरस्कार

भारतीय लोकमत के प्रत्येक वर्ग द्वारा तिरस्कृत हुआ और "इसके पूर्व कि कार्यरूप में उसकी परीक्षा की जाती, वह समाप्त हो गया।" कांग्रेस ने उसका सभूल रूप से विरोध किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि अधिनियम का सघीय भाग "मूलतः खराब और पूर्णतः अस्वीकार्य" था। और तो और देशी रजवाडो तक का, जिन्हें कि विशेषाधिकारों से युक्त स्थिति प्रदान की गई थी, वह उत्साह टंडा पड गया, जो उन्होंने एक समय अखिल भारतीय संघ के लिए प्रकट किया था।

तथापि, प्रस्तावित योजना में सघवाद की प्राथिक विशेषताएँ विद्यमान थी। संविधान एक लिखित प्रलेख था और उसने सघ और उसके एकको में शक्तियों का वितरण विशद रूप से कर दिया था। एक सघीय न्यायालय भी था जिसका कर्तव्य यह देखना था कि केन्द्र, स्थानीय सरकारें और विधानमण्डल अपनी अपनी मर्यादाओं का उचित रूप से पालन करें। प्रस्तावित भारतीय सघ में कई नियमवाह्य विशेषताएँ भी थी। उसकी एक विलक्षणता उसकी रचना की प्रक्रिया में ही थी। साधारणतः कोई सघ उन राज्यों के, जो पहले स्वतन्त्र और प्रभुत्व-सम्पन्न रहे हो, एकीकरण से उत्पन्न होता है। ये राज्य कतिपय सामान्य उद्देश्यों की सिद्धि के लिए आपस में सुगठित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म इसी प्रकार उन तरह उपनिवेशों के एकीकरण से हुआ था, जिन्होंने पहले पूर्ण प्रभुत्व-शक्ति को हस्तगत कर लिया था। कनाडा और आस्ट्रेलिया के सघों की रचना भी इसी प्रक्रिया के अनुसार हुई, इसके विपरीत भारत में सघ का जन्म उन प्रांतों को स्वायत्तता देने से होने को था, जो एक एकात्मक राज्य के अधीनस्थ विभाग थे। इन स्वायत्त प्रांतों के साथ वे भारतीय राज्य मिलने को थे, जो अपन भाग्य को सघ के साथ जोड़ना पसन्द करते।

प्रस्तावित भारतीय सघ का सबसे बुरा पहलू भारतीय राज्यों को दी गई स्थिति था। सघ के एककों में किसी प्रकार की एकरूपता नहीं थी। यदि प्रान्तों में अर्द्ध लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी, तो देशी एककों में कोई एकरूपता नहीं: राज्यों की स्थिति

राज्य, जहाँ स्वेच्छाचारी नरेश जनता को दासता में रखते थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मित्र थे। इस प्रकार अखिल भारतीय संघ अंततः लोकतन्त्रात्मक प्रान्तों व स्वेच्छाचारी ढग से शासित राज्यों का एक अस्वाभाविक गठबन्धन होने

को था। इस प्रकार की स्थिति और किसी संघ में नहीं पाई जाती। उदाहरणार्थ अमेरिका के समस्त राज्यों और स्विटजरलैंड के समस्त कैण्टनों में एक ही शासन प्रणाली प्रचलित है।

इसके अलावा, जहाँ ब्रिटिश भारत के प्रान्त प्रस्तावित संघ के स्वतः ही एकक बनने को थे, भारतीय राज्यों का प्रवेश उनके शासकों के निर्णय के ऊपर छोड़ दिया गया था जो इस बात का भी निश्चय करने को थे कि उनके राज्यक्षेत्रों के भीतर संघीय सरकार किन शक्तियों का उपभोग करेगी। समस्त प्रान्तों के सम्बन्ध में संघीय सरकार की शक्तियाँ एक ही रखी गई थी, लेकिन प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में वे उसके शासक द्वारा प्रयुक्त प्रवेश पत्र पर निर्भर रहने को थी। यह एक दूसरी अभूतपूर्व समान नहीं असंगति थी।

राज्यों को संघीय विधान मण्डल में अनुचित रूप से भारी प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। अधिकांश संधो में, संघीय विधान मण्डल के उच्च सदन में अवयवी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है और इस प्रकार उनकी कानूनी असमानता की रक्षा की जाती है। प्रस्तावित भारतीय मध्य में एकको को कानूनी समानता प्राप्त नहीं होने को थी। उन्हें मोटे तौर पर अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने को था, परन्तु राज्यों के सम्बन्ध में यह बात नहीं थी। उन्हें पर्याप्त गुरुभार दिया गया। राज्यों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की केवल २३% थी। लेकिन उन्हें संघीय विधान मंडल के निम्न सदन में ३३% और उच्च सदन में ४०% स्थान दिये गये। यही बात समाप्त नहीं हो जाती। राज्यों के प्रतिनिधि नरेशों द्वारा मनोनीत होने थे। निसर्गतः वे अपने उन स्वामियों के एजेंटों के रूप में कार्य करते, जो स्वयं, "वायसराय और ब्रिटिश सम्राट के अनुशासित दास थे।"* अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिगामी तत्वों के प्रतिनिधियों और जमींदारों व व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ मिल कर राज्यों का प्रतिनिधित्व-दल संघीय शासन में राष्ट्रवादी तत्वों के विरुद्ध लोकतंत्र के प्रवर्तन को पराजित कर सकता था। सर सैमुअल होर ने ब्रिटिश संसद में बड़े गर्व से इस बात का बखान किया था कि "उग्रवादियों" को थे

संघीय सरकार की शक्तियाँ समस्त एककों के सम्बन्ध में समान नहीं

एककों की कानूनी असमानता

राज्यों को भारावनत प्रतिनिधित्व

राज्यों के प्रतिनिधि शासकों द्वारा मनोनीत होने को थे

* पृ. १८१. ब्रिक्सफोर्ड: सम्बन्धित दृष्टिया, पृ. ५०।

को नये अधिनियम के अनुसार सत्तारूढ़ होने से रोकने के लिये प्रत्येक चौकसी से काम लिया गया था। सघ के भारतीय राज्यों की स्थिति की ओर विशेष रूप से दृष्टि-निक्षेप करते हुए प्रो० कीथ ने लिखा है, "भारत के इस आरोप के औचित्य को अस्वीकार करना कठिन है कि सघ ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के प्रश्न से बच कर निकल जाने की कामना से बनाया जा रहा था।"‡ उन्होने निष्कर्ष निकाला है कि, "राज्यों और ब्रिटिश भारत के प्रति-गामी तत्वों द्वारा समर्पित गवर्नर जेनरल की नियन्त्रक-शक्ति की आरूढ़ता"† के कारण प्रस्तावित संघ की असफलता निश्चित-प्राय थी।

केन्द्रमें क्रान्तिकारी और राष्ट्रवादी तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए यह भी उपबन्धित किया गया कि सघीय विधान मण्डल के निम्न सदन के लिये निर्वाचन परोक्ष रीति से और उच्च सदन के लिये प्रत्यक्ष रीति से संघीय सभा के लिए परोक्ष निर्वाचन होंगे। यह सघीय विधान मण्डल को कमजोर करने की एक और तरकीब थी। वह तो वैसे भी प्रभुत्व-शक्ति विरहित निकाय था, उसकी विवायी और वित्तीय सक्षमता वायसराय की विशेष शक्तियों और ब्रिटिश ससद की अतिम सत्ता के अधीन थी व उसका प्रतिनिधिक स्वरूप साम्प्रदायिक और वर्ग निर्वाचक-मंडलो से विषाक्त था।

१९३५ के अधिनियम ने प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान की और संघीय-प्रान्तीय व समवर्ती सूचियों में शक्तियों का विशद रूप से वितरण कर दिया। फिर भी उसने प्रान्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार के हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त रास्ते छोड़ दिये थे। गवर्नर जेनरल आपात की उद्घोषणा निकाल कर संघीय ढांचे को पूर्णतः विनष्ट कर सकता था। पुनश्च, जैसे ही कोई गवर्नर अपने प्रान्त में संविधान के विफल होने की उद्घोषणा कर देता, प्रांत का सम्पूर्ण प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में आ सकता था। जब कमी प्रांतीय गवर्नर अपने विवेक के अनुसार कार्य करत अथवा व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते, वे गवर्नर जेनरल की सत्ता के अधीन होते थे। इसके अलावा गवर्नर जेनरल १९३५ के अधिनियम धारा १२६ अ के अधीन प्रांतीय

‡ प. बी. कीथ: ए कंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ. ४७४।

† वही, पृ. ४७४-७५।

सरकारों के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकता था, जिन्हें वह भारत की शान्ति और सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता ।

१९३५ के अधिनियम के अधीन योजित भारतीय सघ की एक अन्य विशेषता अवशिष्ट शक्तियों के उपबन्ध से सम्बन्ध रखती थी । साधारणतः संघीय सविधान इन शक्तियों को या तो केन्द्र को अथवा अवयवी एककों को प्रदान करता है । कांग्रेस और मुस्लिम लीग के परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को देखते हुए १९३५ के अधिनियम ने अपने विवेक के अनुसार यह निश्चय करने की शक्ति कि अमुक अवशिष्ट शक्ति केन्द्र को दी जानी चाहिए अथवा प्रान्तों को, गवर्नर जनरल को दे दी ।

अवशिष्ट शक्तियों
का
बंटवारा

इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि १९३५ के अधिनियम में प्रस्तावित अखिल भारतीय सघ कोई जैन्य सघ नहीं था । वह कुछ ऐसी विलक्षणताओं की खिचड़ी था, जिनकी इतिहास में कोई सानी नहीं मिलती ।

एक ओर तो वह राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई शक्तियों को सतुष्ट करने का प्रयास था, दूसरी ओर वह साम्राज्यवाद के पृष्ठपोषक, देशी रजवाडों, साम्प्रदायवादियों और ब्रिटिश औद्योगिक व व्यापारिक हितों की ताकत बढ़ाने का छद्म प्रयत्न था । कहने का सार यह है कि प्रस्तावित सघ भारतीयों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का उत्तर नहीं, अपितु केन्द्र में उत्तरदायी शासन की अधमनी पुर स्थापना के प्रभाव को कम करने की एक सूक्ष्म चेष्टा थी । अतः हम प्रो० के० टी० शाह के शब्दों में कह सकते हैं कि, संघीय योजना के लिए किसी प्रकार का सतोष अनुभव करना कठिन है ।'

जैन्य संघ
नहीं

८१. संघीय कार्यपालिका

१९३५ के अधिनियम ने प्रस्तावित संघीय सरकार में उत्तरदायित्व के तत्व का समावेश करने के विचार से द्वैध कार्यपालिका की योजना की । संघीय विषयों को संरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया गया ।

प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले और कबायली इलाके संरक्षित विषय थे । इन विषयों का प्रबन्ध करने में गवर्नर जनरल मंत्रियों से परामर्श किए बिना अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सकता था । तथापि तीन कार्यकारी पारिषद, जो पदेन, मतदान के अधिकार के बिना संघीय विधान मण्डल के (क) गवर्नर जनरल और पारिषद

द्वैध शासन-प्रणाली

यता देने के लिये थे। संधीय कार्यपालिका का यह भाग अर्थात् परिषद संधीय विधानमण्डल के प्रति किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं था।

चार संरक्षित विषयों को छोड़ कर संधीय प्रशासन के शेष सब विषय मन्त्रीय उत्तरदायित्व के क्षेत्र में आते थे। इन विषयों का शासन प्रबन्ध गवर्नर जनरल एक मन्त्रिपरिषद की सहायता और मन्त्रणा से करने को था।

(क) गवर्नर जनरल मन्त्री अनुदेश-पत्र में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किये जाने को थे। उसे उस दल के नेता को जिसका संधीय विधानमण्डल में बहुमत होता

प्रधान मन्त्री चुनना था और प्रधानमन्त्री की मन्त्रणा पर दूसरे मन्त्रियों को नियुक्त करना था। मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से संधीय विधानमण्डल के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी थी यद्यपि इस उत्तरदायित्व को एक कानूनी दायित्व नहीं बना दिया गया। मन्त्रिपरिषद की कार्यपालिका-सत्ता में समस्त हस्तांतरित विषय आ जाते थे। इन विषयों का शासन प्रबन्ध करने में गवर्नर जनरल से साधारणतः यह आशा की जाती थी कि वह अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा के अनुसार कार्य करेगा लेकिन १९३५ के अधि-

गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व

नियम ने मन्त्रीय क्षेत्र तक में गवर्नर जनरल को वैधानिक प्रधान नहीं बनाया। इसके विपरीत उसने उसे निम्न विशेष उत्तरदायित्व सौंप दिए (१) भारतवर्ष या उसके किसी भाग में शांतिभंग करने वाले खतरो का निवारण, (२) संघ सरकार की आर्थिक स्थिरता और साख सुरक्षित रखना, (३) अल्पसंख्यक वर्गों के उचित हितों की रक्षा करना, (४) लोक-सेवाओं के सदस्यों के कानूनी अधिकारों और उचित हितों की रक्षा करना, (५) देशी राज्यों के अधिकारों और उनके नरेशों की मर्यादा की रक्षा करना, (६) ब्रिटिश व्यापारिक हितों के विरुद्ध विभेद का निवारण, और (७) इस बात का प्रबन्ध करना कि अपने विवेक और अतिगत निर्णय द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्पादन में किसी अन्य विषय सम्बन्धी कार्य से कुछ बाधा न पड़े। जब कभी गवर्नर जनरल यह समझता कि मन्त्रियों द्वारा दिये गये परामर्श से उनके इन उत्तरदायित्वों में से किसी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, उस समय वह मन्त्रियों के परामर्श की उपेक्षा करके अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता था। गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व खाली कागजी रक्षा कवच ही नहीं थे। उनका मन्तव्य उत्तरदायी शासन को भ्रष्ट करना था। प्रो० फीथ के मतानुसार यदि उनका निर्वाचन सकुचित रीति से किया जाता, तो वे मन्त्रीय उत्तरदायित्व की सम्भावना को नष्ट कर सकते थे।

गवर्नर जनरल और बहुत सी दूसरी स्वविवेकी तथा विशेष शक्तियों का प्रयोग

करता था। कार्यकारी क्षेत्र में वह लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को और अजमेर मारवाड़, कुर्ग तथा बिलोचिस्तान के चीफ कमिश्नरों को नियुक्त करने में अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सकता था। वित्तीय परामर्शदाता, आडीटर जनरल, एडवोकेट जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति करने में उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय के प्रयोग का अधिकार था। वह रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्स को नियुक्त करता था।

गवर्नर जनरल की
दूसरी विशेष
शक्तियाँ

अपने विवेक के अनुसार काम करते हुए वह संघीय विधानमण्डल का आवाहन, स्थगन या विघटन कर सकता था, उसके किसी एक या दोनों सदनों को सम्बोधित कर सकता था और उन्हें सन्देश भेज सकता था। संघीय विधान मण्डल द्वारा पास किये गए विधेयक गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकते थे। गवर्नर जनरल को अपने विवेक के अनुसार किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी अनुमति देने या न देने अथवा उसे सभ्राट की आज्ञा के लिये रिजर्व रखने का अधिकार था। कतिपय विशेष प्रकार के विधेयक उमकी पूर्व स्वीकृति के बिना विधान मण्डल में पुरःस्थापित नहीं किए जा सकते थे। गवर्नर जनरल किसी प्रस्ताव को विधानमण्डल में पुनर्विचार के लिए वापिस भेज सकता था और यदि उचित समझता तो विधानमण्डल के विचाराधीन किसी प्रस्ताव पर चल रही बहस को बन्द कर सकता था। अध्यादेश अथवा गवर्नर जनरल के अधिनियम * जारी करके गवर्नर जनरल प्रत्यक्ष व्यवस्थापन कर सकता था

व्यवस्थापन के
क्षेत्र में गवर्नर
जनरलकी विशेष
शक्तियाँ

* अध्यादेश आपात की स्थिति से निबटने के लिए एक स्थायी कानून था। उसकी अवधि साधारणतः ६ महीने थी, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता था। इसके विपरीत गवर्नर जनरल का अधिनियम उसकी अपनी विशेष शक्ति के द्वारा पास किया गया एक स्थाई कानून था। इसका प्रयोजन गवर्नर जनरल को अपने संरक्षित कृत्यों व विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में समर्थ बनाना था। जब कभी उसे प्रतीत होता कि इन प्रयोजन के लिए व्यवस्थापन की आवश्यकता है, वह विधानमण्डल के पास एक सन्देश और अपने मनोवाञ्छित विधेयक का मसविदा भेज सकता था। यदि विधानमण्डल एक महीने के भीतर ही उस विधेयक को अधिनियमित करने में असफल हो जाता, गवर्नर जनरल विधानमण्डल की स्वीकृति के बिना ही, अपने हस्ताक्षरों के द्वारा उसे कानून का रूप दे सकता था।

वित्तीय क्षेत्र में भी गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियाँ प्राप्त थी। करारोप और व्यय से सम्बद्ध समस्त प्रस्ताव उसकी सिफारिश पर ही हो सकते थे। कुल व्यय का ८०% भाग मत-निरपेक्ष था। उस पर गवर्नर जनरल को पूरा नियन्त्रण प्राप्त था। सघीय विधानमण्डल द्वारा अस्वीकृत या कम की गई किसी भी अनुदान माग को वह यथापूर्व स्थापित कर सकता था।

स्पष्ट है कि १९३५ के अधिनियम का उद्देश्य गवर्नर जनरल को प्रशासन का केन्द्र बनाना था; भारत की प्रतिरक्षा और वैदेशिक नीति के निर्द्वन्द्व नियन्त्रण के अलावा, उसकी विशाल स्वविवेकी शक्तियों और विशेष उत्तरदायित्वों ने उसे एक शक्तिशाली स्वेच्छाचारी शासक बना दिया था। विंस्टन चर्चिल के शब्दों में वह "हिटलर अथवा मुसोलिनी की समस्त शक्तियों से सज्जित था। अपनी कलम की एक लकीर के द्वारा वह संविधान को छिन्न भिन्न कर सकता था और किसी भी कानून के पास किए जाने की आज्ञा दे सकता था।"

८२. संघीय विधान मंडल

१९३५ के अधिनियम के अधीन सघीय विधानमण्डल द्विसदनात्मक होने को था। उच्च सदन अथवा राज्य-परिषद के सदस्यों की संख्या २६० निश्चित की गई थी। इनमें १५६ प्रतिनिधि (१५० निर्वाचित और ६ गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत) ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करने को थे। राज्यों से आने वाले सदस्य, जिनकी संख्या १०४ थी, शासकों द्वारा मनोनीत होने को थे। ब्रिटिश भारत के १५० निर्वाचित स्थानों का विभिन्न प्रांतों के बीच निम्न प्रकार से वितरण निश्चित हुआ था:—

बंगाल	...	२०	उड़ीसा	...	५
मद्रास	..	२०	पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत	...	५
यू. पी.	...	२०	सिंध	...	५
बम्बई	..	१६	बलूचिस्तान	...	१
बिहार	...	१६	दिल्ली	...	१
पंजाब	...	१६	अजमेर मारवाड़	...	१
सी.पी. और बरार	...	८	कुर्ग	...	१
आसाम	...	५	अ-प्रातीय	...	१०

साम्प्रदायिक आधार पर स्थानों का बटवारा निम्न प्रकार से निश्चित हुआ:—

साधारण	...	७५	सिक्ख	...	४
--------	-----	----	-------	-----	---

अनुसूचित जातियां ...	६ यूरोपीय	...	७
मुस्लिम ...	४६ आंग्ल-भारतीय	...	१
स्त्रियां ...	६ भारतीय ईसाई	...	२

ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचक मण्डलों के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होने को थे। मताधिकार संकुचित था और उच्च सम्पत्ति सम्बन्धी अर्हताओं पर आश्रित था। सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में मतदाताओं की कुल संख्या १,००,००० के आसपास थी। अधिकांश दूसरे सत्रों में सघीय विधानमण्डल के उच्च सदन परोक्ष रीति से निर्वाचित होते हैं, भारत में इस प्रणाली को नहीं अपनाया गया। यहाँ सघ के समस्त एककों को समान प्रतिनिधित्व देने के अभिसन्ध का भी पालन नहीं किया गया। कूपलैण्ड के मतानुसार यह हिन्दू एकात्मिकता के साथ की गई एक रियायत थी।

राज्य परिषद एक स्थायी निकाय थी, उसका विघटन नहीं हो सकता था। उसके तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष हट जाने को थे। तथापि, प्रत्येक सदस्य नौ वर्षों के लिए निर्वाचित होने को था।

सघीय विधानमण्डल के निम्न सदन का नाम सघीय सभा था। इसके सदस्यों की संख्या ३७५ निश्चित की गई थी। इन स्थानों में १२५ स्थान राज्यों के लिए निस्थापित कर दिये गये थे। ब्रिटिश भारत के २५० स्थानों में से ४ स्थान अ-प्रान्तीय थे और व्यापार, उद्योग तथा श्रम के लिये निश्चित कर दिये गये थे। शेष २४६ विभिन्न प्रान्तों में निम्न प्रकार से वितरित किये गये थे:—

बंगाल ...	३७	उड़ीसा ...	५
मद्रास ...	३७	पश्चिमोत्तर
यू. पी. ...	३७	सीमा प्रांत ...	५
बम्बई ...	३०	सिन्ध ...	५
पंजाब ...	३०	बलूचिस्तान ...	१
बिहार ...	३०	दिल्ली ...	२
सी. पी. और बरार... १५		अजमेर-मारवाड ...	१
आसाम ...	१०	कुर्ग ...	१

विभिन्न सम्प्रदायों, वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से होने को था:—

साधारण (जिनमें १९ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए शामिल हैं)			
	१०५	आंग्ल-भारतीय ...	४
मुस्लिम ...	८२	स्त्रियां ...	९
सिक्ख ...	६	व्यापार और उद्योग	११
यूरोपियन ...	८	श्रम ...	१०
आंग्ल ईसाई ...	८	भूस्वामी ...	७

संघीय सभा का कार्यकाल साधारणतः पांच वर्ष निश्चित हुआ था, लेकिन इसके पूर्व भी उसका विघटन किया जा सकता था।

संघीय सभा के गठन में एक अपूर्व विशेषता यह थी कि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि साम्प्रदायिक आधार पर प्रान्तीय विधान मंडलों द्वारा परोक्ष रीति से चुने जाने की थे। इस प्रकार हिन्दू और मुस्लिम प्रतिनिधि प्रान्तीय विधान सभाओं के क्रमशः हिन्दू और मुस्लिम सदस्यों द्वारा पृथक् पृथक् निर्वाचित किये जाने की थे।

प्रस्तावित संघीय विधानमंडल का स्वरूप अलोकतन्त्रात्मक था और उसकी शक्तियां अत्यन्त सीमित थी। संघीय सूची और समवर्ती सूची में प्रणयित विषयों के सम्बन्ध में उसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। यदि संघीय विधानमण्डल को शक्तियाँ: प्रभुत्व-शक्ति-विरहित निकाय गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा निकाल देता, तो विधान मंडल प्रान्तीय विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बना सकता था। लेकिन उसकी विधायिनी सक्षमता के कई प्रतिबन्ध लगे हुए थे। वह किसी भी प्रकार प्रभुत्व शक्ति सम्पन्न विधान मंडल नहीं था। उसे सविधायी शक्तियां प्राप्त नहीं थी। वह सविधान-अधिनियम में कोई सशोधन नहीं कर सकता। था और न भारत के ऊपर लागू होने वाले ब्रिटिश ससद के अधिनियमों को ही सशो-धित अथवा रद कर सकता था। कतिपय विशेष प्रकार के

(क) विधायी विधेयक गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति के बिना विधान मण्डल में पुरःस्थापित नहीं किये जा सकते थे। भारत की शांति और सुव्यवस्था सम्बन्धी अपने विशेष उत्तरदायित्व से सम्बन्ध रखने वाले विधानमंडल के विचाराधीन किसी विधेयक पर अथवा उसकी किसी धारा पर गवर्नर जनरल चलती हुई बहस बन्द कर सकता था। संघीय विधानमंडल द्वारा पास किये गये समस्त प्रस्ताव गवर्नर जनरल के निषेधाधिकार के अधीन थे। गवर्नर जनरल संघीय विधान मण्डल की सहमति के बिना आध्यादेश जारी करके और गवर्नर जनरल के अधिनियम पास करके उसकी इच्छा की

प्रबहेलना कर सकता था। संघीय विधानमण्डल की त्रितीय शक्तियाँ भी प्रत्यन्त परिमित थी। करारोप और व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव केवल गवर्नर जनरल की सिफारिश पर ही पुरःस्थापित किये जा सकते थे। विधानमण्डल बजट पर (गवर्नर जनरल के वेतन के सिवाय) वादविवाद कर सकता था, लेकिन व्यय का ८० प्रतिशत से अधिक भाग मत निरपेक्ष था। मत सापेक्ष भाग की स्थिति में भी, गवर्नर जनरल संघीय विधानमण्डल द्वारा अस्वीकृत या कम की गई किसी अनुदान माग को बहाल कर सकता था। संघीय विधानमण्डल का संघीय कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण केवल उन्हीं विषयों तक सीमित था, जो गवर्नर जनरल की स्वविवेकी शक्तियों और विशेष उत्तरदायित्वों की परिधि में नहीं आते थे। मन्त्रपरिषद उसके प्रति उत्तरदायी थी लेकिन गवर्नर जनरल और उसके परिषद उसके नियन्त्रण से पूर्णतः विमुक्त थे। तथापि, संघीय विधानमण्डल सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना कर सकता था तथा जनता की शिकायतों पर विचार-विनिमय कर सकता था। कहने का सार यह है कि मुख्यतः एक विचारात्मक १९३५ के अधिनियम के अधीन संघीय विधानमण्डल मुख्यतः एक विचारात्मक निकाय था।

८३ संघीय न्यायालय

१९३५ के भारत सरकार अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबन्ध किया था। १ अक्टूबर, १९३७ को इस न्यायालय का उद्घाटन कर दिया गया। न्यायालय एक प्रधान न्यायाधिपति और छह दूसरे न्यायाधीशों से मिल कर बना था। न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालय का सम्राट अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा गठन करता था। प्रधान न्यायाधिपति का वेतन ७,००० रुपया प्रति मास और दूसरे प्रत्येक न्यायाधीश का ५,५०० रुपया प्रतिमास था। न्यायाधीश सदाचार पर्यन्त पद धारण करते थे। सेवा-निवृत्ति की अवस्था ६५ वर्ष थी। वे कदाचार और शरीर अथवा मन की दुर्बलता के आधार पर सम्राट के द्वारा अपदस्थ किये जा सकते थे।

संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रारम्भिक और अपीलिय दोनों प्रकार का था। उसका प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (क) संविधान अधिनियम के निर्वाचन को अन्तर्ग्रस्त करने वाले सभी मामलों में और (ख) भारतीय राजा तथा एक

न्यायालय का क्षेत्राधिकारः प्रारम्भिक राज्य अथवा एक प्रांत के बीच के, या एक प्रांत और एक राज्य के बीच के, या दो अथवा अधिक प्रांतों या राज्यों के बीच के विवादों में होता था। अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार में सघीय न्यायालय प्रांतों तथा सघातिरेको राज्यों के उच्च न्यायालयों से अपीलें सुन सकता था, यदि वे यह प्रमाणित कर दें कि अपील के प्रवीन मामले में संविधान अधिनियम या इसके अधीन दिये गये आर्डर इन-कौंसिल या राज्य के प्रवेश-पत्र द्वारा सघ में निहित विधायी अथवा कार्यपालिका-सत्ता के विस्तार के निर्वचन से सम्बद्ध कोई सारवान विधि-प्रश्न अन्तर्गत है। १९४८ में सघीय न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया और उसे उच्च न्यायालयों से उन मामलों के सुनने का भी अधिकार दे दिया गया जो ५०,००० से अग्यून की राशि को अन्तर्गत करते हैं। सघीय न्यायालय (ख) अपीलीय को परामर्शीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त था। गवर्नर जनरल कानून सम्बन्धी कोई भी महत्वपूर्ण विषय विचारार्थ न्यायालय को सौंप सकता था और उस पर उसकी राय ले सकता था।

सघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। उसके निर्णय अतिम नहीं होते थे और उससे अपीलें निम्न प्रकार के मामलों में प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति के पास भेजी जा सकती थी : (क) वे मामले जो संविधान के अथवा उसके अधीन किए गये आर्डर-इन-कौंसिल के निर्वचन से सम्बन्ध रखते हैं; (ख) वे मामले जो राज्य के प्रवेश-पत्र द्वारा सघ में निहित विधायी और कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से सम्बन्ध रखते हैं और (ग) वे मामले जो राज्य-क्षेत्रों के अन्तर्गत सघीय कानून के प्रवर्तन के लिए किये गये सम-भौते के निर्चन से सम्बन्ध रखते हैं। इन सब मामलों में सघीय न्यायालय की अनुमति के बिना अपीलें प्रिवी कौंसिल में ले जायी जा सकती थी। इसके अलावा दूसरे मामलों में भी सघीय न्यायालय अथवा स-परिषद गवर्नर जनरल की अनुमति मिलने पर अपीलें प्रिवी कौंसिल में की जा सकती थी।

प्रान्तीय सरकार

८४. प्रान्तीय स्वायत्तता

भारत के लिये सघीय संविधान की रचना करने में १९३५ के अधिनियम ने प्रांतों को प्रान्तीय स्वायत्तता नामक एक बिल्कुल नया स्टेटस प्रदान किया। अब प्रांत

सर्व शक्ति सम्पन्न केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक एकक नहीं रहे। नये सविधान ने उन्हें एक पृथक् कानूनी ब्यक्तित्व से (क) प्रान्तों का प्राभूषित कर दिया। अपनी भौलिक शक्तिया सीधे सविधान से प्राप्त करने लगे और प्रस्तावित संघ के स्वायत्त एकक हो गए। 'अब केन्द्रीय सरकार के अधीनस्त कई प्रान्त नहीं रहे, अपितु ग्यारह स्वायत्त राज्य थे। उनकी स्वायत्तता कानून मान्य थी और वे अपने निश्चित क्षेत्र के भीतर अपने निजी अधिकार में कार्यपालिका और विधायिनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे। केन्द्रीय सरकार को सौंपी गई निरीक्षण और नियंत्रण की शक्तियों को बिल्कुल तो नहीं हटाया गया लेकिन उन्हें अत्यन्त सीमित और ठीक ठीक निश्चित अवश्यकर दिया गया।

१९३५ के अधिनियम में भारत सरकार और प्रान्तों के सम्बन्धों को सघीय आधार पर निश्चित किया गया था। अधिनियम में तीन सूचियां थीं। इन सूचियों में इस बात का साफ साफ उल्लेख कर दिया गया था कि क्रमशः केन्द्र और प्रान्तों की प्रशासनिक, विधायिनी और तीनों सूचियां वित्तीय शक्तिया कौन कौन सी हैं। सघीय सूची में वे ५९ विषय थे जिनका प्रबन्ध केवल सघीय सरकार ही कर सकती थी। इस सूची में प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, चलार्थ व टकरण, डाक और तार, ब्राडकास्टिंग, सघीय रेल, बीमा, नमक और आयकर आदि विषय सम्मिलित थे। प्रान्तीय सूची में ५४ विषय थे जिनका प्रबन्ध साधारण परिस्थितियों में केन्द्र के हस्तक्षेप के बिना प्रान्तीय सरकारें कर सकती थी। शांति और सुव्यवस्था, न्याय, पुलिस, जेल, शिक्षा, मार्गजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन और वन आदि विषय इस सूची में आते थे। समवर्ती सूची में वे ३६ विषय सम्मिलित थे जिनका प्रबन्ध केन्द्र और प्रांत दोनों कर सकते थे। लेकिन शर्त यह थी कि सघीय कानून और प्रान्तीय कानून में मतभेद होने की स्थिति होने में, जब तक कि प्रांतीय कानूनो को विचारार्थ सुरक्षित न रख लिया गया हो और गवर्नर जनरल अथवा सभ्राट ने उस पर अपनी स्वीकृति न दे दी हो, सघीय कानून अभिभावी होगा। समवर्ती विषयों में से कुछ निम्न थे-फौजदारी और दीवानी कानून व कार्यवाही, प्रेस, श्रमिक सँघ, श्रमिक कल्याण और औद्योगिक भग्ने।

यह स्मर्तव्य है कि प्रांतीय सरकारें अपने निश्चित क्षेत्र में भी केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थी। गवर्नर जनरल अधिनियम की धारा १०२ के अधीन आसन्न युद्ध अथवा भयकर आंतरिक अशांति के खतरे को देखते हुये आपात की उद्घोषणा निकाल देता, तो विधान मंडल प्रांतीय क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकता था। गवर्नर जनरल उन विधेयकों पर, जिन्हें गवर्नर उसके

प्रान्तों की स्वायत्तता पर प्रतिबन्ध

द्वारा विचारा के लिए संरक्षित रख लेते, अपनी अनुमति देना अस्वीकार कर सकता था। यदि विभाग ९३ के अधीन गवर्नर अपने प्रान्त के भीतर शासन यत्र के विफल हो जाने की उद्घोषण कर देता, तो प्रान्तीय स्वायत्तता के सम्पूर्ण ढांचे को धूलिसात किया जा सकता था। इस उद्घोषण के प्रभावस्वरूप सम्पूर्ण प्रान्तीय प्रशासन को केन्द्र की अधीनता में रखा जा सकता था। साधारण परिस्थितियों में भी जब कभी गवर्नर अपने विवेक के अनुसार कार्य करते थथवा अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते, गवर्नर जनरल के नियन्त्रण में होते थे। अन्तशः यदि गवर्नर जनरल भारत में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के दृष्टिकोण से प्रान्तीय सरकारों के लिये कतिपय निर्देश निकालना आवश्यक समझता, तो १९३५ के अधिनियम की धारा १२६ के अधीन निकाल सकता था।

१९३५ के अधिनियम के अधीन प्रांतीय स्वायत्तता का अभिप्राय प्रांतों के ऊपर केन्द्रीय नियन्त्रण के मर्यादित होने से अधिक था। इसका एक दूसरा अभिप्राय भी था, अर्थात् इसने प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। रैमजे मैकडॉनेल्ड ने प्रांतीय स्वायत्तता के इस दुहरे अर्थ को निम्न शब्दों में व्यक्त किया था, "गवर्नरों के प्रांत अपने निजी क्षेत्र में अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने में बाह्य नियन्त्रण और अनुवचन से अधिकतम सभव स्वतंत्रता का उपभोग करने वाले उत्तरदायी शासन के अनुसार शासित एकक होने को है। १९१९ के अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली के रूप में आशिक उत्तरदायित्वकी स्थापना की थी। नये अधिनियम ने दोहरे शासन का अन्त कर दिया। संरक्षित और हस्तांतरित विभागों का भेद समाप्त हो गया और प्रांतीय प्रशासन का पूरा क्षेत्र प्रांतीय विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी एक मन्त्रि-परिषद के जिम्मे आ गया। लेकिन इस उत्तरदायी शासन के ऊपर कई कठोर प्रतिबन्ध थे। जेन्य उत्तरदायी शासन प्रणाली में प्रांतीय गवर्नरों को वैधानिक प्रवान होना चाहिये। १९३५ के अधिनियम में ऐसा नहीं किया गया। गवर्नरों को विपुल स्वविवेकी शक्तियां और ऐसे विशेष उत्तरदायित्व दे दिये गये, जिनका निर्वहन करने में वे मन्त्रियों से परामर्श किये बिना और यदि परामर्श करते भी तो उसे स्वीकार किये बिना, कार्य कर सकते थे। ये 'रक्षा-क्वच' उत्तरदायी शासन के पैरो में बेड़ियों के तुल्य थे, यदि गवर्नर इनका बारम्बार और स्वेच्छाचारिता से प्रयोग करते, तो ये उत्तरदायी शासन की नींव तक को अस्मीभूत कर सकते थे। इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता एक भी अर्थ में पूर्ण थथवा प्रतिबन्ध-शून्य नहीं थी।

८५. गवर्नर

१९३५ के अधिनियम ने प्रात की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित की। गवर्नर सम्राट का प्रतिनिधि होता था। प्रातों में सघीय सिद्धांत और उत्तरदायी शासन की पुर स्थापना ने गवर्नर की वैधानिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया। जब गवर्नर मन्त्रियों की मन्त्रणा पर कार्य करता था, वह गवर्नर जेनरल के निधन्त्रण से मुक्त होता था, लेकिन जब वह अपने विवेक अथवा व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करता था, गवर्नर जेनरल के निरीक्षण और नियन्त्रण के अधीन होता था। बम्बई, मद्रास और बंगाल के गवर्नरों को सम्राट भारतमन्त्री की सिफारिश पर नियुक्त करते थे और अन्य प्रातों के गवर्नरों को वायसराय की सिफारिश पर। उनकी उपलब्धिया, * पदावधि और सेवा की गनें वे ही रही जो १९१९ के अधिनियम के अधीन थी। नये अधिनियम ने उनकी राजकीय शानशौकत में किसी प्रकार की कोई कमी न की।

गवर्नर की वैधानिक स्थिति में परिवर्तन

नियुक्तियां और उपलब्धियां आदि

१९३५ के अधिनियम ने प्रातों में द्वैधशासन प्रणाली का अन्त कर दिया। साधारण परिस्थितियों में गवर्नर से यह आशा की जाती थी कि वह अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा का पालन करेगा। लेकिन अधिनियम का उद्देश्य गवर्नर को वैधानिक शासक बनाना नहीं था। अधिनियम ने गवर्नर को इतनी विपुल शक्तिया दे दी थी कि यदि वह मन चाहे ढंग से उनका प्रयोग करने का हठ करता तो सर्वद की भांति ही स्वेच्छाचारी शासक बना रह सकता था। कतिपय मामलों का प्रबन्ध करने में, जिन्हे मन्त्रीय उत्तरदायित्व तथा देखभाल के क्षेत्र से बाहर रखा गया था गवर्नर मन्त्रियों का परामर्श प्राप्त किए बिना ही अपने

गवर्नर की शक्तियां

* गवर्नरों के वार्षिक वेतन (रुपयों में) प्रत्येक प्रात के नाम के प्रागे नीचे दिए जाते हैं। सजावट, पर्यटन, फर्नीचर, वैयक्तिक स्टाफ और मनोरंजन आदि के भत्ते कोठों में दिए गए हैं। मद्रास १,२०,००० (५,७५,५००), बम्बई १,२०,००० (५,३८,४००), बंगाल १,२०,००० (६,०७,३००), यू.पी. १,२०,००० (२,९७,०००) पंजाब १,००,००० (१,४१,२००), बिहार १,००,००० (१,०८,०००), सी.पी. ७२,००० (१,०७,३००), आसाम ६६,००० (१,४२,१००), पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ६६,००० (१,१२,८५०), सिन्ध ६६,००० (१,२९,८००), उड़ीसा ६६,००० (१,०३,०००)।

विशेष
(स्वविवेकी)
शक्तियाँ

विवेक के अनुसार कार्य कर सकता था। कार्यकारी क्षेत्र में गवर्नर की स्वविवेकी शक्तियाँ निम्न विषयों से सम्बन्ध रखती थी:—(१) अपवर्जित क्षेत्रों का प्रशासन, (२) मन्त्रियों की नियुक्ति और पदच्युति, * (३) मन्त्रियों के वेतनों को, जब तक कि वे विधानमण्डल द्वारा निश्चित न कर दिये जायें, निश्चित करना, (४) ऐसी हिंसक और विनाशकर कार्यवाहियों को रोकना, जिनका उद्देश्य शासनयन्त्र को नष्ट-भ्रष्ट करना हो, (५) जासूमी विभाग की सूचनाओं को ऐसे व्यक्तियों को (मन्त्रियों सहित) दिए जाने से रोकना, जिनके लिए उसने आदेश न दिया हो, (६) प्रांतीय लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, (७) प्रतिरक्षा आदि के सम्बन्ध में गवर्नर जेनरल के निर्देशों को कार्यान्वित करना और (८) अपने व्यक्तिगत कर्मचारी मण्डल को नियुक्त करना और उसका वेतन निश्चित करना।

विधायी क्षेत्र में गवर्नर की स्वविवेकी शक्तियाँ निम्न विषयों से सम्बन्ध रखती थी (१) प्रांतीय विधान मण्डल का आवाहन और स्थगन तथा विधान सभा का विघटन, (२) प्रांतीय विधान मण्डल में कतिपय विशेष प्रकार के विधेयकों की पुर-स्थापना के लिये पूर्ण अनुमति देना, (३) किसी विधेयक अथवा उसकी किसी धारा पर अग्रतर वाद-विवाद रोक देना, (४) प्रांतीय विधान मण्डलों द्वारा पास किये गए विधेयकों पर स्वीकृति देना, निषेधाधिकार का प्रयोग करना अथवा उन्हें गवर्नर जेनरल के विचारार्थ संरक्षित कर लेना तथा (५) अध्यादेश जारी करना और गवर्नर के अधिनियम अधिनियमित करना।

जहाँ तक वित्तीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, गवर्नर इस बात का निश्चय करने में कि कौन सा विषय मत सापेक्ष है और कौन सा नहीं व प्रांतीय विधान मण्डल द्वारा कम या अश्वीकृत की गई किसी अनुदान मांग को यथापूर्व स्थापित करने में अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सकता था।

गवर्नर की जिन स्वविवेकी शक्तियों का ऊपर वर्णन किया गया है, उनके अलावा १९३५ के अधिनियम की धारा ९३ ने गवर्नर को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्व-विवेकी शक्ति और प्रदान की थी। अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हुए गवर्नर इस बात की उद्घोषणा निकाल सकता था कि प्रान्त में सविधान के उपबन्धों के अनुसार

* सिन्ध के प्रधान मन्त्री खान बहादुर अल्लाबख्श की पदच्युति ने, जब कि उन्हें प्रांतीय विधानमण्डल का विश्वास प्राप्त था, गवर्नर की पदच्युत करने की शक्ति की वास्तविकता को सिद्ध कर दिया।

शासन संचालित नहीं किया जा सकता। उद्घोषणा निकाल देने पर वह मन्त्रपरिषद को प्रपदस्थ कर सकता था, विधान-सभा का विघटन कर सकता था और उच्च न्यायालय के सिवाय प्रान्तीय निकायों की समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता था। नवम्बर १९३० में जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिये थे, उनमें इसी उद्घोषणा के अधीन पूर्व नौकरशाही शासन की स्थापना कर दी गई थी।

गवर्नर की स्वविवेकी शक्तियों द्वारा आवृत्त विषयों को छोड़ कर बाकी विषय मन्त्रीय उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर आते थे। इन विषयों का प्रबन्ध गवर्नर उत्तरदायी मन्त्रियों की सहायता और मन्त्रणा से करता था।

साधारण परिस्थितियों में गवर्नर से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा का पालन करे। लेकिन यहाँ भी उसके कई ऐसे विशेष उत्तरदायित्व थे, जैसे कि सधीय क्षेत्र में गवर्नर जेनरल के थे। वे विशेष उत्तरदायित्व मुख्य रूप से निम्न लिखित थे: (१) प्रान्त या उसके किसी भाग में शांति भंग करने वाले खतरो का निवारण, (२) अल्पसंख्यक वर्गों के उचित हितों, सरकारी नौकरों के कानूनी अधिकारों और उचित हितों तथा देशी राज्यों के अधिकारों और उनके नरेशों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना, (३) व्यापारिक विभेद की रोक थाम, (४) आशिक रूप से प्रपञ्चित क्षेत्रों का प्रशासन और (५) गवर्नर जेनरल के आदेशों और अनुदेशों पर अमल करना जो वे उसके लिए जारी करे। जब कभी गवर्नर को यह अनुभव होता कि मन्त्रियों द्वारा दी गई मन्त्रणा उसके किसी विशेष उत्तरदायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालनी है, तो वह अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता था अर्थात् मन्त्रियों के परामर्श का उल्लंघन कर सकता था। इस बात का निर्णय वह अपने व्यक्तिगत विवेक के अनुसार करता था कि उसका कोई विशेष उत्तरदायित्व कब अन्तर्ग्रस्त होता है। इसके अलावा, प्रान्त के एडवोकेट जेनरल को नियुक्त करने में व प्रांतीय पुलिस के ऊपर असर डालने वाले नियमों का संशोधन करने में गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करता था।

प्रान्तीय गवर्नरों की स्वविवेकी शक्तियाँ व विशेष उत्तरदायित्व उन 'रक्षा कवचों' का निर्माण करते थे, जिनका भारत के राष्ट्रवादी लोकमत ने तीव्र विरोध किया। "शांति और सुरक्षा," "अल्पसंख्यक वर्गों के उचित अधिकार" जैसे वाक्यांश अस्पष्ट थे। इसके अलावा यह बतलाना कि इनका क्या अर्थ है, गवर्नर का काम था। ये वाक्यांश ऐसे रास्ते थे, जिनके द्वारा गवर्नर दिन प्रतिदिन के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता था और उत्तरदायी शासन को उपहास की बीज बना सकता था। अनुभव ने यह शिक्षा दिया कि इन विशेष शक्तियों के सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रवादी लोकमत की यह शंका कि गवर्नर इनका बारम्बार प्रयोग करेंगे, बिल्कुल निराधार नहीं थी।

८६. मंत्री परिषद

१९३५ के अधिनियम के अधीन प्रान्तीय स्वायत्तता की स्थापना उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना की दिशा में एक कदम था। इस प्रकार की शासन

**उत्तरदायी शासन
का आधार**

प्रणाली के अन्दर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वस्तुतः कुछ मन्त्री करते हैं जो विधान मण्डल के बहुमत वाले दल के सदस्य होते हैं। ये मन्त्री अपनी नीतियों और कार्यों के लिये पूर्णतः विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं

और उसी समय तक सत्तारूढ़ रहते हैं जब तक कि वे विधान मण्डल के विश्वास का उपभोग करने हैं। तब कि विधान मंडल में यदि वह सम्प्रदाय, वर्ग और हित के भेद-

**भारतीय प्रांतों में
उत्तरदायी शासन
अपूर्ण था**

भावों से शून्य सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुआ है जनता के प्रतिनिधि हैं, अतः मन्त्री अंत-तोगत्वा स्वयं जनता द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह वर्णन इंग्लैण्ड के सामद लोकतंत्र के ऊपर लागू होता है। लेकिन १९३५ के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रांतों में स्थापित

उत्तरदायी शासन दो दृष्टियों से अपूर्ण था। पहली बात तो यह है कि प्रान्तीय विधान मण्डल जो मन्त्रियों पर नियंत्रण रखते थे, सत्यतः जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे क्योंकि मनाधिकार सीमित था और निर्वाचक मंडल सम्प्रदायगत और वर्गगत आधार पर छोटे छोटे गुटों में बांट दिये गए थे। दूसरी बात यह है कि एक ओर मन्त्रियों को तो पूर्णतः विधान मण्डलों के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था, दूसरी ओर उनकी कार्यपालिका-शक्ति को अनुत्तरदायी मन्त्रियों की विशेष शक्तियों व उत्तरदायित्वों द्वारा परिमित कर दिया गया था।

१९३५ के अधिनियम के अधीन गवर्नर अपने अनुदेश-पत्र में दिए गये निर्देशों के अनुसार मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति करता था। विधानमंडल में जिस दल का बहु-

**मन्त्रिपरिषद की
नियुक्ति**

मत होता था, गवर्नर उसके नेता की आमन्त्रित करके मन्त्रिमंडल की र ना का कार्य उसके जिम्मे सौंप देता था। यह नेता मुख्यमन्त्री बन जाता था। शेष मन्त्री मुख्य मन्त्री की मन्त्रणा पर गवर्नर द्वारा नियुक्त किये

जाते थे। अनुदेश-पत्र के एक उपबन्ध के सम्बन्ध में जिसमें गवर्नर को निर्देश दिया गया था कि महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों को जहां तक व्यावहारिक हो, मन्त्रिमण्डल में स्थान दे, कुछ मतभेद था।

**मन्त्रिपरिषद में
अल्पसंख्यक
वर्गों का प्रतिनिधित्व**

इसके साथ ही साथ अनुदेश पत्र के अनुसार गवर्नर से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह संयुक्त उत्तरदायित्व की वृद्धि को प्रोत्साहित करें। स्पष्ट है कि यदि बहुमत वाले

दल में अल्पसंख्यक वर्गों का कोई निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल नहीं होता था। उस स्थिति में उक्त दोनों प्रतिबन्ध एक दूसरे के प्रतिकूल पड़ सकते थे। उन प्रांतों में, जिनमें कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, यह समस्या नग्न रूप में उठ खड़ी हुई। उदाहरणार्थ यू. पी. में कांग्रेस ने केवल उन्हीं मुसलमानों को मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित करने का निश्चय किया, जो उसकी शपथ पर हस्ताक्षर करने, बल में शामिल होने और उसके कार्यक्रम को स्वीकार करने के लिए तय्यार थे। मुस्लिम लीग ने विधान मण्डल के कई मुस्लिम स्थानों पर कब्जा कर लिया था। उसने इन शर्तों के ऊपर कांग्रेस के साथ सहयोग करना अस्वीकार कर दिया। फलतः केवल उन्हीं मुसलमानों को मन्त्रिमण्डल में स्थान दिया गया, जो कि कांग्रेस दल के सदस्य थे। मुस्लिम लीग ने इस कृत्य के विरुद्ध इस आधार पर कि कांग्रेस के मुसलमानों को विधानमण्डल के मुस्लिम सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है, और इसलिये वे जाति के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं, गवर्नर में अपील की। लेकिन चूंकि कांग्रेस दल को विधानमण्डल का समर्थन प्राप्त था, इसलिये गवर्नर ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

१९३५ के अधिनियम ने यह भी निर्धारित कर दिया कि मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे। उसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि गवर्नर चाहता तो मन्त्रियों को अपदस्थ कर सकता था। लेकिन जैन्य उत्तरदायी शासन में इस कानूनी अधिकार का केवल मंत्रियों की प्रधान मंत्री की मन्त्रणा पर ही प्रयोग किया जाता है, पदच्युति और जहां तक प्रधान मंत्री का सम्बन्ध है, जब तक वह विधानमण्डल का विश्वासपात्र है, उसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड में यही स्थिति है। वहां सम्राट इच्छानुसार मन्त्रियों को अपदस्थ करने की अपनी सैद्धान्तिक शक्ति का कदापि प्रयोग नहीं करता। भारतवर्ष के प्रांतीय गवर्नरों की साधारण प्रवृत्ति तो यही थी कि उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों का पालन किया जाय लेकिन कुछ गवर्नरों ने स्वेच्छाचारी शासकों की तरह काम किया। उदाहरणार्थ मिन्घ के प्रधान मंत्री अल्ला बख्सा के मामले में वहां के गवर्नर ने पदच्युति की अपनी शक्ति का सर्वथा अवधानिक रीति से प्रयोग किया था।

१९३५ के अधिनियम ने मन्त्रियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की। दलगत राजनीति की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रांतों में मन्त्रियों की संख्या भिन्न भिन्न थी। उदाहरणार्थ एक समय बंगाल में मन्त्रियों

मंत्रियों की संस्था का प्रश्न की संख्या सबसे अधिक (१२) और उड़ीसा में सबसे कम (३) थी। यद्यपि संविधान ने सदसद-सचिवों के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया था, लेकिन अधिकांश प्रांतों में कई सदसद-सचिव नियुक्त किये गये। संसद सचिव बहुमत वाले दल के सदस्य होने के नाते राजनीतिक कार्यपालिका के एक मुख्य भाग होते थे। वे मंत्रियों को उनके सासद और प्रशासनिक कार्य में सहायता देते थे और उनका भार काफी हलका कर देते थे। इस प्रणाली ने युवक राजनीतिज्ञों को उपयोगी शिक्षा प्रदान की, ये ही लोग आगे चल कर कुशल मन्त्री हो सकते थे। कांग्रेस प्रांतों में सदसद-सचिव २५० रु० प्रतिमास वेतन पाता था।

८७. प्रान्तीय विधानमण्डल

१९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अधीन प्रान्तीय विधानमण्डल सम्राट् के प्रतिनिधि गवर्नर और विधानमण्डल के एक या दो सदस्यों से मिलकर बनता था। ग्यारह प्रान्तों में से छ * में द्विसदनात्मक विधानमण्डल थे। द्विसदनात्मक विधानमण्डल वाले प्रान्त का उच्च सदन विधान-परिषद कहलाता था। ऐसे प्रांतों के निम्न सदन अथवा दूसरे प्रान्तों के विधानमण्डल विधान सभाओं के नाम से प्रख्यात थे। आकार की दृष्टि से विधान परिषदे विधान सभाओं की तुलना में बहुत छोटी होती थी। वे स्थायी निकाय थीं, उनका विघटन नहीं हो सकता था। सदस्यों का निर्वाचन ६ वर्ष के लिये होता था, तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष हट जाते थे। द्वितीय सदस्यों की शक्तियां निम्न सदस्यों के समकक्ष ही थीं, अन्तर केवल इतना था कि वन विधेयक केवल निम्न सदस्यों में ही पुर स्थापित किये जा सकते थे और अनुदान-मांगों के सम्बन्ध में उच्च सदन सर्वथा शक्तिहीन थे। प्रांतों में उनकी स्थापना को भारतीयों ने सन्देह की दृष्टि से देखा। सर तेज बहादुर सप्रू ने कहा था कि वे प्रतिक्रियावादी सिद्ध होंगे और प्रगतिशील व्यवस्थापन के मार्ग में रोड़े भरकायेंगे। यह भी अनुभव किया गया कि वे सर्वथा अनावश्यक थे क्योंकि विधानमण्डलों द्वारा जल्दी में और बिना ठीक से सोचे समझे पास किये गये कानूनों के ऊपर गवर्नर की शक्तियां पर्याप्त अंकुश रख लेती थीं। ये भय जन्य थे। लेकिन जहां तक वास्तविकता का प्रश्न है, लोकतन्त्र के उद्देश्य को प्रतिगामिता के इन गढ़ों ने कोई

* छ: प्रान्त आसाम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास और यू. पी. थे।

ज्ञानि नहीं पहुँचाई क्योंकि द्विसदनात्मक विधानमण्डलों वाले लगभग सभी प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया और उन संयुक्त बैठकों में जिसका संविधान ने दोनों सदनों का गतिरोध दूर करने के लिए उपबन्ध किया था, निम्न सदन के प्रगतिशील तत्व उच्च सदन के प्रतिगामी तत्वों को अधिक राय से हरा सकते थे।

विधान सभा का आकार अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग था। उदारहरणार्थ यू. पी. की विधान सभा में पृथक् साम्प्रदायिक और वर्ग निर्वाचक-मंडलों के आधार पर निर्वाचित २८८ सदस्य थे। विभिन्न वर्गों और जातियों के बीच स्थानों का वितरण निम्न प्रकार से किया गया विधान सभा :
था:—साधारण (जिसमें अनुसूचित जातियों के २० स्थान भी उसका गठन शामिल थे) १४०, मुस्लिम ६४, यूरोपियन २, आंग्ल ईसाई २, आंग्ल भारतीय १, वाणिज्य और उद्योग ३, भू स्वामी ६, विश्वविद्यालय १, धर्म ३, स्त्रिया ६, (चार हिन्दू और दो मुस्लिम)। विधान सभा की अवधि ५ वर्ष की थी लेकिन गवर्नर उसकी पूरी अवधि की समाप्ति के पूर्व भी उसका विघटन कर सकता था। द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच उसकी अवधि गवर्नरों को इस बात की विशेष रूप से शक्ति दे दी गई थी कि वे युद्ध की समाप्ति तक के लिये प्रान्तीय विधान सभाओं की अवधि बढ़ा दें। सभा अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती थी।

प्रातीय विधानमंडल चाहे वह एक सदनात्मक होता अथवा द्विसदनात्मक, प्रांतीय सूची में गिनाये गये समस्त विषयों पर कानून बनाने के लिये सक्षम था। वह समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता था, लेकिन इसमें एक शर्त थी और वह यह कि यदि प्रातीय कानून उसी कानून निर्माण करने विषय से सम्बद्ध केन्द्रीय कानून के प्रतिकूल पड़ता तो वह की शक्तियां विफल हो जाता था और उसके स्थान पर केन्द्रीय कानून प्रभावी होता था। गवर्नर की विशेष शक्तियों के कारण प्रातीय विधानमंडल की विधायी शक्तियों के ऊपर कई प्रतिबन्ध लगे हुए थे। कतिपय विधेयकों की पुर स्थापना के लिये उसकी पूर्ण अनुमति आवश्यक थी। वह निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता था और उसे वे स्वतन्त्र विधायिनी शक्तियां प्राप्त थी; जिनके द्वारा वह विधानमंडल की सहमति के बिना ही अध्यादेश और गवर्नर के अधिनियम जारी कर सकता था।

प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना के साथ ही साथ, प्रातीय विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हो गई। यदि विधानमंडल द्विसदनात्मक होता, तो

बिस्तीय शक्तियां

यह आवश्यक था कि वार्षिक बजट दोनों सदनों के सम्मुख रक्खा जाय लेकिन अनुदान मागो पर मतदान देने का अधिकार केवल विधान सभा को प्राप्त था। मत-सापेक्ष अनुदान मागो का अनुपात लगभग ७५ प्रतिशत था। प्रातीय विधानमंडल प्रातीय प्रशासन के ऊपर पर्याप्त नियन्त्रण रखता था। मन्त्रिमंडल के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पास करके वह उसे त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकता था। वह सरकार की भूलों को पकट कर सकता था, उसकी नीतियों का निरनुमोदन कर सकता था और पूरुतो, अनुपूरक प्रश्नो, कामरोको प्रस्तावो और बजट वाद-विवादो के द्वारा जनता की शिकायतो को सरकार के कानो तक पहुंचाया जा सकता था।

८८. मताधिकार और निर्वाचक-मण्डल

मोटफोर्ड सुधारो की तरह १९३५ के अधिनियम के अधीन भी भारत की निर्वाचन पद्धति "जातियो-वर्गो और हितो" के सिद्धान्त के ऊपर आधारित थी। अब तक जो पृथक् साम्प्रदायिक और वर्ग निरीक्षक-मंडल साम्प्रदायिक और वर्ग निर्वाचक-मण्डल वर्तमान थे, उनमें श्रम और स्त्रियो के लिए और निर्वाचक मंडल जोड दिये गये। प्रतिनिधित्व मे गुरुभार की पद्धति भी बनी रही। मुसलमानो की आवादी मद्रास मे ७१% और यू. पी. मे १४% प्रतिशत थी, परन्तु उन्होने मद्रास मे १३ प्रतिशत और यू. पी. में २७ प्रतिशत स्थान प्राप्त किये। यूरोपियनो के साथ विशेष रूप से पक्षपात किया गया। उनकी जनसंख्या १ प्रतिशत की १।३५ थी, परन्तु उन्हें प्रातीय विधानमंडलो मे ३ प्रतिशत और प्रस्तावित संघीय सभा मे साढे ५ प्रतिशत स्थान दिये गये। १९३५ के अधिनियम ने सम्पत्ति और शिक्षा विषयक अर्हताओ मे कमी करके १९१९ के अधिनियम के ऊपर कुछ सुधार किया था। फलत साढे ३ करोड व्यक्तियो ने, जिनमें ६० लाख स्त्रिया थी, मतदान का अधिकार प्राप्त किया। मोटफोर्ड सुधारों के अधीन भारत की कुल जनसंख्या के केवल साढे ३% भाग को ही मतदान का अधिकार प्राप्त था, लेकिन १९३५ के अधिनियम के अधीन भारत की कुल जनसंख्या के १४ प्रतिशत अथवा कुल वयस्क जनसंख्या के २७ प्रतिशत भाग को मतदान का अधिकार मिल गया।

८६. गृह सरकार

१९३५ के अधिनियम ने गृह सरकार में थोड़े से उपचारिक परिवर्तन किए। अधिनियम ने भारत के प्रशासन के ऊपर भारत मन्त्री की 'निरीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण' की शक्ति का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। यह शक्ति अब सम्राट में निहित कर दी गई। लेकिन यह एक उपचारिक परिवर्तन नाममात्र का था। यद्यपि सम्राट अग्रभूमि में आया, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्ति का प्रयोग भारत मन्त्री ही करता रहा। जब कभी गवर्नर जनरल और गवर्नर अपने विवेक के अनुसार आचरण करते थे अथवा अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते थे, उस समय भारत मन्त्री उनका निरीक्षण और नियन्त्रण करता था। अधिनियम ने भारतीय परिषद का उत्पादन कर दिया। अधिनियम ने भारत-मन्त्री की सहायता के लिए तीन से अन्यून और ६ से अधिक परामर्शदाताओं की व्यवस्था की। कम से कम आधे परामर्शदाताओं के लिए यह आवश्यक था कि वे नियुक्ति से पूर्व दस बरस तक भारत में नौकरी कर चुके हों और उन्हें भारतवर्ष छोड़े दो वर्ष से अधिक न हुआ हो। परामर्शदाता पांच वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे और १३५० पाँड वार्षिक वेतन प्राप्त करते थे। जिन परामर्शदाताओं का निवास स्थान भारत में था, उन्हें वेतन के अतिरिक्त ६०० पाँड वार्षिक भत्ता मिलता था। इस व्यवस्था का भार इंग्लैण्ड के कोष पर था, भारत के कोष पर नहीं। भारत-मन्त्री परामर्शदाताओं से व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से जैसे चाहता, परामर्श कर सकता था, परन्तु वह उनके परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था।

भारत मन्त्री के
परामर्शदाता

सारांश

१९३५ के भारत सरकार अधिनियम का भारत के राष्ट्रवादी लोकमत ने तीव्र विरोध किया और उसे एक प्रतिगामी कानून बताया। इस अधिनियम ने वास्तविक सत्ता भारतीय जनता को न सौंप कर ब्रिटिश अधिकारियों के ही हाथों में रहने दी। उसने केन्द्र में द्वैध कार्यपालिका की पुरस्थापना कर के आशिक उत्तरदायी शासन का सूत्रगत किया और एक अखिल भारतीय सच की स्थापना का प्रस्ताव किया। प्रान्तों में उसने द्वैध शासन प्रणाली का उत्पादन कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की, जिसके ऊपर कई कठोर प्रतिबन्ध लगे हुए थे। सघीय सिद्धान्त के अनुरूप ही अधिनियम ने तीन सूचियों में केन्द्र और प्रान्तों के बीच शक्तियों का विभक्त रूप से वितरण किया। इसके अलावा, उसने एक सघीय न्यायालय की स्थापना के लिए उपबन्ध किया।

१९३५ के अधिनियम के अधीन प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में संघवाद की समस्त प्राथिक विशेषताएं पायी जाती थीं, लेकिन कुछ दृष्टियों से वह बिल्कुल बेजोड़ था। भारतवर्ष में उसका चारों ओर से विरोध किया गया और उसे प्रतिक्रियावाद की शक्तियों को सुदृढ़ करने का एक प्रयास बताया गया। संघ के निर्माण की असाधारण प्रक्रिया के अलावा, एकको में किसी प्रकार की एकरूपता नहीं थी। प्रस्तावित संघ न्यूनाधिक रूप से लोकतन्त्रात्मक प्रांतों व स्वेच्छाचारी ढंग से शासित राज्यों का एक अस्वाभाविक गठबन्धन होने को था। प्रांतों और राज्यों के सम्बन्ध में संघीय सरकार को समान सत्ता प्राप्त होने को नहीं थी। प्रांत तो संघ में स्वतः ही सम्मिलित होने को थे, लेकिन राज्यों का पवेश उनके शासकों की इच्छा पर निर्भर था। संघीय विधान मण्डल के उच्च सदन में प्रस्तावित संघ के अवयवी एकको को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और उनके प्रतिनिधि शासकों द्वारा मनोनीत होने को थे। स्वयं संघीय विधान मण्डल के लिये ही, विलक्षण गठन का प्रस्ताव किया गया & उसका निम्न सदन परोक्ष रीति से निर्वाचित होने को था।

प्रस्तावित संघीय कार्यपालिका द्वैध होने को थी। प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामलों, धार्मिक मामलों और कबाइली इलाकों को 'संरक्षित' विषय माना गया था। इनका शासन-प्रबन्ध गवर्नर जनरल तीन कार्यकारी परिषदों की सहायता से करने को था। शेष विषयों का शासन प्रबन्ध गवर्नर जनरल उन मन्त्रियों की सहायता से करने को था, जो विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी थे। लेकिन मन्त्रीय क्षेत्र में भी गवर्नर जनरल के कई ऐसे विशेष उत्तरदायित्व थे, जिनका प्रबन्ध करने में वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता था। इस प्रकार गवर्नर जनरल किसी प्रकार एक वैधानिक शासक नहीं था। कार्यकारी, विधायी और वित्तीय क्षेत्रों में वह विशाल वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता था।

संघीय विधानमण्डल द्विसदनात्मक होने को था। उच्च सदन (राज्य परिषद) में २६० सदस्य होने को थे जिनमें १०४ सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करने को थे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों में से ६ तो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होने को थे और शेष १५० सदस्य साम्प्रदायिक और वर्ग निर्वाचक मण्डलों के द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होने को थे। निम्न सदन (संघीय सभा) के सदस्यों की संख्या ३७५ निर्दिष्ट हुई थी। ब्रिटिश भारत के २५० सदस्य परोक्ष रीति से निर्वाचित होने को थे। संघीय विधानमण्डल प्रभुत्व शक्ति विरहित कानून निर्माता निकाय था। उसकी विधायिनी और वित्तीय सक्षमता गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियों के अधीन थी।

संघीय न्यायालय में, जिसका उद्घाटन १ अक्टूबर १९३७ को हुआ, एक मुख्य

न्यायाधिपति और छः दूसरे न्यायाधीश सम्मिलित थे। उसे प्रारम्भिक, अपीलीय और परामर्शीय क्षेत्राधिकार प्राप्त था। लेकिन वह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि उसके पास से अपीलें प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समितिके समीप भेजी जा सकती थी।

१९३५ के अधिनियम ने प्रांतों को एक नया बौधानिक स्टेटस प्रदान किया। जिसे प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से अभिहित किया गया। इसके दो अर्थ थे— (क) प्रांतीय सरकारों को अपने उल्लिखित क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण से मुक्ति प्राप्त हो और (ख) प्रांतों में पूरे पैमाने पर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। लेकिन व्यवहारतः प्रांतीय स्वायत्तता इन दोनों में से एक भी अर्थ में पूर्ण या सच्ची नहीं थी। केन्द्रीय सरकार कई रीतियों से प्रांतीय सरकारों के क्षेत्र को अतिक्रान्त कर सकती थी। इसके अलावा प्रांतों का उत्तरदायी शासन गवर्नरों व गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियों के कारण अत्यन्त सीमित हो गया था।

गवर्नर जनरल की तरह प्रांतीय गवर्नर भी वास्तविक शासक था। उसे पर्याप्त स्वविवेकी शक्तियाँ और विशेष उत्तरदायित्व प्राप्त थे। कार्यकारी, विधायी और वित्तीय मामलों में वह, कई अवसरों पर अपने विवेक के अनुसार आचरण कर सकता था। अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर और अध्यादेश व गवर्नर के अधिनियम जारी करके वह विधानमण्डल की इच्छा को अवरोध कर सकता था।

गवर्नर प्रांत का प्रशासन मन्त्रि-परिषद की सहायता और मन्त्रणा से करता था, साधारणतः उससे यह आशा की जाती थी कि वह अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन यदि गवर्नर को यह भान होता कि मन्त्रियों द्वारा दी गई मन्त्रणा का उसके किमी विरोध उत्तरदायित्व के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उस दशा में वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता था। मन्त्री सामूहिक रूप से प्रांतीय विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी थे। लेकिन वे गवर्नर के द्वारा भी अपदस्थ किए जा सकते थे। उदाहरणार्थ सिंध के प्रधान मन्त्री के. बी. अल्लाबरखान को वहाँ के गवर्नर ने पदच्युत कर दिया था। यह उत्तरदायी शासन की प्रवचना थी।

प्रांतीय विधानमण्डल को प्रांतीय सूची में प्रगणित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। वह समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता था, लेकिन इसमें एक शर्त थी और वह यह कि प्रांतीय विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई कानून यदि केन्द्रीय विधानमण्डल द्वारा उसी विषय पर पास किये गये किसी कानून के प्रतिकूल पड़ता, तो उस स्थिति में केन्द्रीय विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कानून ही अभिभावी हो सकता था। प्रांतीय विधानमण्डल की सर्वशक्तिमत्ता गवर्नर की विशेष शक्तियों द्वारा मर्यादित थी। १९३५ के अधिनियम ने प्रांतीय मताधिकार को

विस्तृत कर दिया और मालदान का अधिकार ब्रिटिश भारत की १४ प्रतिशत जनसंख्या को प्रदान किया।

गृह-सरकार में अधिनियम ने कुछ ही उपचारिक परिवर्तन किये। भारतीय परिषद का उत्सादन कर दिया गया और भारत मन्त्री की सहायता के लिए छः से अनधिक व तीन से अन्यून परामर्शदाता नियुक्त किये गये।

यह स्मर्त्तव्य है कि प्रस्तावित सघ की स्थापना नहीं की गई और १९३५ के अधिनियम का केवल प्रातीय भाग ही १ अप्रैल १९३७ को कार्यरूप में परिणत किया गया।

अध्याय १२

प्रान्तीय स्वायत्तता पर आचरण

६०. निर्वाचन (फरवरी, १९३७)

पूर्व अध्याय में हम देख चुके हैं कि १९३५ के भारत सरकार अधिनियम का भारतीय लोकमत के सभी महत्वपूर्ण वर्गों ने तिरस्कार किया। अधिनियम द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय सघ ने व्यापक विरोध को जन्म दिया।

१९३० में ब्रिटिश सरकार के 'अनुशासित दासों', अर्थात् प्रान्तीय स्वायत्तता देशी नरेशों ने सघीय विचार का जोर शोर से अनुमोदन का उद्घाटन किया था, लेकिन अब उन्होंने भी उसकी ओर से पीठ मोड़ ली। फलतः अधिनियम के संघीय भाग को स्थगित कर दिया गया क्योंकि अखिल भारतीय सघ की रचना उस समय तक संभव नहीं थी, जब तक कि कम से कम इतने राज्य, जिनकी जनसंख्या सब राज्यों की कुल जनसंख्या की आधी हो और जो सघीय विधानमण्डल के उच्च सदन में समस्त राज्यों के लिये निस्थापित कुल स्थानों के कम से कम अर्द्धांश के अधिकारी हों, उसमें प्रविष्ट न हो जायें। अक्सर आने पर नरेशों ने अपने भाग्य को शेष भारत के साथ समुक्त करना अस्वीकार कर के सघीय योजना की हत्या कर डाली। फिर भी, अधिनियम के भाग ३ को (जो प्रान्तीय शासन में सम्बन्ध रखता था) कार्यरूप में परिणत किया गया और फरवरी १९३७ में प्रान्तीय विधानमण्डल के लिये सम्पन्न होने वाले माघारण निर्वाचनों के पश्चात् उनी वर्ष पहली अप्रैल को नवीन संविधान में निर्दिष्ट प्रांतीय स्वायत्तता का उद्घाटन किया गया। जुलाई १९३५ जब कि अधिनियम पास किया गया था और फरवरी १९३७ के बीच में निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण, मतदाता-सूचियों की तय्यारी तथा प्रान्तों और केन्द्र के वित्तीय सम्बन्धों की आवश्यक अदल बदल की प्रारम्भिक कार्यवाहियां पूरी कर ली गईं।

कांग्रेस १९३५ के सम्पूर्ण अधिनियम के विरुद्ध थी लेकिन उसने नये संविधान को नष्ट भ्रष्ट करने के उद्देश्य से निर्वाचनों में भाग लेने का निश्चय किया। मुस्लिम

लीग ने संघ को तो अस्वीकार कर दिया लेकिन निर्वाचनों में प्रांतीय विधानमण्डलों के लिये अपने प्रत्याशी खड़े करना तय किया। उदारवादियों ने अधिनियम के सीमित उपबन्धों का तीव्र विरोध किया लेकिन वे नये सविधान की एक बार अच्छी तरह से जाच कर लेने के पक्ष में थे। इस प्रकार, निर्वाचनों के दौरान में भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल मैदान में उपस्थित था।

निर्वाचन के परिणाम महत्वपूर्ण थे। छ प्रान्तों (मद्रास, बिहार, बम्बई, यू०पी०, सी० पी० और उड़ीसा) में, जिनमें ब्रिटिश भारत की दो तिहाई जनसंख्या आ जाती थी, कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। आसाम में उसने निर्वाचन-परिणाम १०८ स्थानों में से ३५ पर अधिकार कर लिया और वह सबसे शक्तिशाली दल के रूप में अवतरित हुई। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में कांग्रेस को ५० में से १६ स्थान मिले। मुस्लिम लीग समस्त प्रान्तों के ४०० मुस्लिम स्थानों में से केवल ५१ ही प्राप्त कर सकी।

६१. पद-ग्रहण

निर्वाचनों के पश्चात् कांग्रेस के सामने यह समस्या उठ खड़ी हुई कि पद ग्रहण किया जाय या नहीं। छ प्रान्तों में तो उसका पूर्ण बहुमत था और शेष प्रान्तों में से कुछ में वह मन्त्रिमण्डल बनाने की स्थिति में थी। कांग्रेस का वामपक्ष कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों की रचना का घोर विरोधी था। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तक कह दिया कि पदग्रहण "उस घ्येय के पूति विश्वासघात होगा, जिसे हमने स्वीकार किया है।" नुभाप बोस के मतानुसार पद-ग्रहण पराजय की स्वीकारोक्ति के तुल्य था। कांग्रेस के समाजवादी और साम्यवादी गुटों ने संघर्ष के कार्यक्रम का समर्थन किया। लेकिन बहुमत दक्षिणपक्षियों का था, जिनके नेता सरदार पटेल, राजगोपालाचारी और राजेन्द्रप्रसाद थे। दक्षिण-पक्षियों को महात्मा गान्धी का भी मीन समर्थन प्राप्त था। मार्च, १९३७ में दिल्ली में कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई। उसमें दक्षिणपक्षियों ने वामपक्षियों को बहुमत से हरा दिया और अन्तिम रूप से यह निश्चित किया गया कि उन प्रान्तों में जहाँ विधानमण्डलों में कांग्रेस का बहुमत है और जहाँ कांग्रेस दल के नेता को इस बात का सुस्पष्ट आश्वासन मिल जाये कि गवर्नर मन्त्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बनाया जा सकता है। कांग्रेस इस परम्परा का विकास करना चाहती थी कि गवर्नर की विशेष शक्तियों के सम्बन्ध में भी मन्त्रियों की मन्त्रणा पर आचरण होना चाहिये। कांग्रेस ने साफ साफ शब्दों में यह माग की कि गवर्नरों को उस समय भी जब कि सविधान के अधीन उनसे यह अपेक्षा की जाती हो कि वे व्यक्तिगत विवेक के

कांग्रेस द्वारा
गवर्नरों से आश्वासन
की मांग

अनुसार कार्य करें, मन्त्रियों के परामर्श पर ही कार्य करना चाहिये। चूंकि गवर्नर उक्त आश्वासन देने के लिये तय्यार नहीं हुये अतः जिन प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत था, वहां के विधानमण्डल के कांग्रेस दल के नेताओं ने मन्त्रिमंडल बनाने का आमन्त्रण अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने यह दृष्टि विन्दु ग्रहण किया कि इस प्रकार का आश्वासन संविधान में सन्शोधनकिये जना नहीं दिया जा सकता था। इसके विपरीत महात्मा गान्धी ने कहा कि संविधान में ऐसी कोई चीज नहीं है जो गवर्नरों को अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग मन्त्रियों के परामर्श पर करने से रोकती हो। उनका मत था कि १९३५ के अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक अभिसमय विकसित किये जा सकते हैं। चूंकि इस वाद-विवाद ने कानूनी रूप धारण कर लिया था अतः बहुत से प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं ने इसमें भाग लिया। प्रख्यात विधानशास्त्री प्रो० कीथ ने कांग्रेस के दृष्टिकोण का समर्थन किया।

जिस समय यह वाद-विवाद चालू था और छ प्रान्तों में कांग्रेस ने पद ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया, गवर्नरों ने अल्पसंख्यक दलों के नेताओं द्वारा निर्मित मन्त्रिमंडलों को प्रतिष्ठापित कर दिया। ये अलोकप्रिय मन्त्रिमंडल विधानमंडल का सामना नहीं कर सकते थे और नहीं अन्तरिम मन्त्रिमंडल अपने बजट पास करा सकते थे। गतिरोध तीन महीने तक चलता रहा। धीरे धीरे दोनों विरोधी पक्षों (सरकार और कांग्रेस) ने अपने दृष्टिकोण को नरम किया। जुलाई में गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की कि भारतीय जनता मुझ पर इस बात का भरोसा रख सकती है कि मैं, "भारत में सासद शासन के सिद्धान्तों की पूर्ण और चरम स्थापना के लिये अनथक गति में कार्य करूँगा।" यद्यपि समझौता कोई स्पष्ट वचन तो नहीं दिया गया, लेकिन लार्ड लिलिथगो ने यह कह दिया था कि दिन प्रति दिन के प्रशासन में गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। वायसराय के वक्तव्य ने "कोई वैधानिक आधार नहीं छोड़ा,"* लेकिन कांग्रेस ने उसके सान्त्वनामूलक स्वर का मित्रतायुक्त जवाब दिया। ७ जुलाई, १९३७ को कांग्रेस कार्यकारिणी ने "एक ओर नए अधिनियमसे भिड़ने और दूसरी ओर (सामाजिक सुधार के) रचनात्मक कार्यक्रम को चलाने के लिये"* कांग्रेसी मन्त्रिमंडल बनाने की आज्ञा दे दी। कांग्रेस के यह निर्णय करने पर 'अन्तरिम' मन्त्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिये और कांग्रेसी मन्त्रिमंडल सत्तारूढ हो गये। कुछ काल

* कूपलैंड : इंडिया, ए रिस्टटमेंट, पृ. १५६

* जवाहरलाल नेहरू : दि यूनिटी आफ इंडिया, पृ. ५६।

पश्चात् आसाम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में भी कांग्रेस के मन्त्रिमंडल बन गए ।

६२. कांग्रेसी प्रान्तों में प्रान्तीय स्वायत्तता पर आचरण

पद-ग्रहण के साथ साथ, "कांग्रेस ने युद्धों, भ्रष्टाचार और कारावास के पुराने युग के स्थान पर रचनात्मक राजनीतिज्ञता के एक नवीन युग में पदार्पण किया ।"† भ्रष्टाचार तक जो राजद्रोही रहे थे, वे शासकों के रूप में भ्रष्टरित शासकों के रूप में राजद्रोही हुए और इस क्षमता में उन्होंने अपने नौकरशाही विरोधियों, गवर्नरों और आई० सी० एस० पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम किया । आठ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमंडल उस समय तक सत्तारूढ रहे जब तक कि द्वितीय विश्वयुद्ध के सूत्रपात पर उन्होंने त्यागपत्र नहीं दे दिए ।

कांग्रेसी नेताओं का यह भय कि गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों का अत्यधिक प्रयोग करेंगे, कुछ अतिशयोक्त सा सिद्ध हुआ । यह भी नहीं है कि गवर्नर वैधानिक प्रधानमन्त्र हो गये हों । वे सक्रिय शासक बने रहे । यदि गवर्नरों का नियत कर्म उनमें और मन्त्रियों में मतभेद होने के बहुत कम अवसर आए, तो इसका श्रेय उन दोनों को ही समान रूप से जाता है । मन्त्रियों और गवर्नरों दोनों ने ही अत्यन्त सतर्कतापूर्वक कार्य किया । "रक्षा-कवच" रद्द नहीं किये गये, वे सदैव ही मन्त्रियों और गवर्नर के बाद-विवादों की पृष्ठभूमि में रहते थे । कई अवसरों पर उनका प्रयोग भी किया गया ।

१९३८ के प्रारम्भ में, यू० पी० और बिहार में राजनीतिक कैदियों को मुक्त करने के प्रश्न पर मन्त्रियों और गवर्नरों में मतभेद उत्पन्न हो गया । गवर्नर जेनरल ने सम्बिधान की धारा १२६ के अधीन सम्बद्ध गवर्नरों को यह अनुदेश दे दिया कि वे अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा को न मानें क्योंकि इससे अग्रम और चैन बनाए रखने के उनके विशेष उत्तरदायित्व पर असर पड़ता है । इस पर मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफे दे दिये लेकिन अन्तोपगत्वा यह गतिरोध समझौते की बातचीत के द्वारा तय हो गया । एक सन्तोषजनक हल खोज निकाला गया और मन्त्रिमण्डलों ने पुनः काम सम्हाल लिया । उड़ीसा में इसी प्रकार का सकट एक अधीनस्थ नौकरशाही पदाधिकारी की गवर्नर के पर पर नियुक्ति को लेकर उठ खड़ा हुआ लेकिन स्थिति को स्थायी गतिरोध का रूप धारण करने से रोक लिया गया । व्यवस्थापन के क्षेत्र में गवर्नरों ने केवल चार बार ही निषेधाधिकार का प्रयोग किया ।

† पट्टाभि सीतारामय्या : दि हिस्ट्री आफ दि नेशनलिस्ट मूवमेंट, पृ. ६० ।

यह स्मर्य्य है कि कांग्रेसी प्रान्तों में प्रान्तीय स्वायत्तता की तुलनात्मक रूप से सफलता का कारण विधान मण्डलों के कांग्रेस दलों की शक्ति और अनुशासन था । कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो को जिस विशाल बहुमत का समर्थन प्राप्त था, गवर्नर उसकी महत्ता को समझते थे और निपट दूरदर्शिता के कारण वे लोकतन्त्र की शक्तियों के साथ रोज रोज के संघर्षों से बचने के लिए बाध्य थे । कांग्रेस दलो की अनुशासित शक्ति का कारण केवल उनका स्थायी बहुमत ही नहीं था अपितु केन्द्रीय कांग्रेस संगठन और उसके सासद बोर्ड का एकात्मक नियन्त्रण भी था । कूपलैण्ड के मत में, "कांग्रेस की एकात्मक नीति प्रातीय स्वायत्तता और उत्तरदायी शासन का उत्लघन करती थी ।"* उसका बथन है कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल सम्बद्ध विधानमण्डलो के प्रति इतने उत्तरदायी नहीं थे, जितने कि कांग्रेस 'केन्द्र' के प्रति । इसके विपरीत कांग्रेस का विचार यह था कि सासद बोर्ड के प्रभाव ने स्वस्थ राष्ट्रीय दृष्टिकोण का सचार किया और सकुचित प्रान्तीयता की वृद्धि को रोका ।

कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों की शक्ति

केन्द्रीय कांग्रेस का नियन्त्रण

अपनी पदारूढि के अठ्ठाइस महीनों में कांग्रेस ने कतिपय ऐसी सफलताएं प्राप्त की जिन पर वह "गर्व कर सकती थी ।"† सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होने निर्वाचन-घोषणा पत्र में दिए गए वचनों को पूरा करने की चेष्टा की । खेतिहरो की जमींदारो के अत्याचारो में रक्षा हो सके और वे ऋणग्रस्तता से छुटकारा पा सके, इसके लिए कई प्रांतो में एक से सुधार हुए । शिक्षा के क्षेत्र में यू० पी० और बिहार में प्रयासनीय तरक्की हुई । इन प्रांतो में अशिक्षा के उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी की बुनियादी तालीम की योजना को अपनाया गया । कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलो ने ग्राम पुनर्गठन, कुटीर उद्योगों के विकास और ग्राम पचायतों के तुनरुथान की ओर भी ध्यान दिया । हरिजनो की दशा में सुधार करने के भी प्रयास किये गये । कांग्रेस कार्यक्रम में मद्य-निषेध को मुख्य स्थान प्राप्त था । इस सुधार के पूर्ण प्रवर्तन का अभिप्राय यह था कि १८ करोड रुपयो के राजस्व का बलिदान कर दिया जाय , स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भारत को 'नीरस' कर देने की नीति एक ही छल्लाग में कार्यान्वित नहीं की जा सकती थी । तथापि, लगभग सभी कांग्रेस

कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों की सफलताएं

*कूपलैण्ड- इंडिया, ए रिस्टेटमेंट, पृ. १६१

† उपर्युक्त पुस्तक, पृ. १६१

प्रान्तों में इस नीति का 'श्री गणेश' कर दिया गया। बम्बई और मद्रास ने इस दिशा में नेतृत्व ग्रहण किया। अतःशुल्क राजस्व की हानि को बिक्रीकर जैसे राजस्व के नये स्रोतों की उद्भावना करके और प्रशासन के व्यय में कमी करके पूरा किया गया।

६३. गैर-कांग्रेसी प्रान्तों में प्रान्तीय स्वायत्तता

गैर-कांग्रेसी प्रान्तों की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। पंजाब को छोड़कर, जहाँ 'यूनियनिस्ट' मन्त्रिमण्डल ने स्थायी शासन का निर्माण किया था, शेष प्रांतों के मन्त्रिमण्डल दुर्बल और अस्थायी थे। गवर्नरों के स्वेच्छानुसार उत्तरदायी शासन में वहार के उदाहरण रोज रोज देखने को मिलते थे। अकबर गवर्नरों के हस्तक्षेप के बर १९४२ में सिन्ध के गवर्नर ने मुख्यमन्त्री खान बहादुर अल्लाबरख को इस आधार पर पदच्युत कर दिया वे 'उसके' वृष्टान्त विश्वास-भाजन नहीं थे। यह उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध था। क्योंकि पदच्युति के समय मुख्यमन्त्री को विधान मंडल का समर्थन प्राप्त था। जुलाई १९४३ में बंगाल के गवर्नर ने मुख्यमन्त्री फजलुल हक को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया। मुख्यमन्त्री ने बाद में इस बात की शिकायत की थी कि, "गवर्नर सम्पूर्ण विचार विनिमय पर एकाधिकार कर लेता था और अपने मन्त्रियों पर अपने निर्णय लाद देता था।" बंगाल के एक मन्त्री डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिन प्रति दिन के प्रशासन में गवर्नर के हस्तक्षेप के कारण अपने पद से त्याग-पत्र देना आवश्यक समझा।

सारांश

१९३५ के अधिनियम का प्रांतीय भाग अप्रैल १, १९३७ को प्रवर्तन में आया। साधारण निर्वाचनों में जो उस वर्ष फरवरी में सम्पन्न हुए, छ प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और दो प्रांतों में वह सबसे शक्तिशाली दलों के रूप में अवतरित हुई।

पद-ग्रहण के प्रश्न पर कुछ मतभेद था। जिन प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत था, वहाँ उसने उस समय तक मन्त्रिमण्डल बनाना अस्वीकार कर दिया जब तक कि गवर्नर यह आश्वासन न दे दें कि वे अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग मन्त्रियों की मन्त्रणा पर करेंगे। गवर्नरों ने इस प्रकार का वचन देना अस्वीकार कर दिया, फलतः कांग्रेस दलों के नेताओं ने मन्त्रिमण्डल बनाने के आमंत्रण को ठुकरा दिया। इन प्रांतों में अन्तरिम मन्त्रिमण्डलों को प्रतिष्ठापित किया गया। जुलाई में कांग्रेस दलों और सम्बद्ध गवर्नरों के एक समझौते के परिणाम स्वरूप यह गतिरोध दूर हो गया।

फरत काँग्रेस ने छ प्रांतों में और बाद में आठ प्रांतों में शासन-सूत्र को सम्हाल लिया ।

काँग्रेसी प्रांतों में प्रातीय स्वायत्तता को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई । गवर्नर वैधानिक शासक तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग बहुत कम अवसरों पर किया । गैर-काँग्रेसी प्रांतों में, जिनमें पंजाब अपवाद था, स्थिति दूसरी रही । इन प्रांतों में गवर्नरों ने दिन प्रतिदिन के शासन में हस्तक्षेप किया ।

अध्याय १३

महायुद्ध और वैधानिक गतिरोध

६४. भारत और महायुद्ध

३ सितम्बर १९३९ को द्वितीय विश्वयुद्धका ज्वालामुखी फूट पडा। इस विस्फोट ने भारत में एक गम्भीर वैधानिक सकट उत्पन्न कर दिया। इ गलेंड ने नाजी जर्मनी के विरुद्ध लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लक्ष्य वायसराय द्वारा की घोषणा करके हथियार उठाये। वायसराय ने भारतीय भारतक युद्ध ग्रस्त जनता के उन प्रतिनिधियों को, जो केन्द्रीय अथवा प्रातीय होनेको धारणा विधानमण्डलो में थे, बिना किसी प्रकार की सूचना दिये अथवा उनसे बिना किसी प्रकार की मन्त्रणा किये ही यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल है। महात्मा गांधी को वायसराय ने एक 'इ टरव्यू' के लिए आमन्त्रित किया। महात्मा जी ने कहा कि, 'मेरी अपनी सहानुभूति तो इ गलेंड और फ्रांस के साथ है' लेकिन उन्होने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह बात उन्होने व्यक्तिगत रूप से कही थी, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। कुछ समय बाद उन्होने हरिजन मे लिखा कि 'अंग्रेजों को जो भी सहायता दी जाय, वह बिना किसी शर्त के दी जानी चाहिये।'* लेकिन कांग्रेस के ऊपर इसकी दूसरी प्रतिक्रिया हुई। जिस अ-लोकतन्त्रात्मक ढंग से भारत को युद्ध में भौक दिया गया था, उसका कांग्रेस ने तीव्र विरोध किया। "एक ऐसे उद्देश्य के लिये जो उसका अपना नहीं था, एक ऐसे झुंडे के नीचे जिसने उसका अपना झुंडा गिरा दिया था और ऐसे नेताओं की अधीनता में जो उसके अपने नेताओं से सलाह लेना नहीं चाहते थे—भारत को क्या नैतिक उत्साह होता, वह क्या सहायता प्रदान करता ?"† जिससमय अप्रैल १९३९मे भार-

* दि हरिजन, सितम्बर २३, १९३९।

† पद्मिनी सीता रामव्यास दि हिस्ट्री आफ दि कांग्रेस, भाग २, पृ. १२४-५।

तीय सैनिकों की एक टुकड़ी अरुन में भेजी गई थी, कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दे दी थी कि वह भारतीय जनता की सहमति के बिना भारत के ऊपर युद्ध घोषण और भारतीय साधनों के युद्ध में प्रयोग की समस्त चेष्टाओं का प्राणपण से विरोध करेगी। सरकार ने इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा अगस्त में और अधिक भारतीय सैनिकों को मित्र और सिंगापुर भेज दिया। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस ने अपने समस्त सदस्यों को केन्द्रीय विधानसभा से हटा लिया और प्रांतीय कांग्रेसी मन्त्रिमंडलों को आदेश दिया कि वे "ब्रिटिश सरकार की तय्यारियों में किसी प्रकार से कोई सहायता न दें।"*

लेकिन इस सबके बावजूद भी जब भारत को युद्धप्रस्त घोषित किया गया, भारतीय विधानमंडल से किसी प्रकार की मन्त्रणा नहीं की गई। "अपनी सहमतिके बिना और अपने प्रतिनिधियों के अनुमोदन के बिना भारत के लाखों स्त्री-पुरुषों ने स्वयं को युद्धप्रस्त पाया।‡" ब्रिटिश कांग्रेस का प्रस्ताव १४ सितम्बर १९३९

संसद को उस संशोधन अधिनियम के पास करने में, जिसने कि भारतीय जनता की स्वतन्त्रताओं को कुचलने के लिए उनके ब्रिटिश शासकों के हाथों में भयकर व्यापक-शक्तियाँ सौंप दी, के ११ मिनट का समय लगा। कांग्रेस ने अपने दृष्टिकोण को जवाहरलाल द्वारा तय्यार किए गए और १४ सितम्बर, १९३९ को पास किये गये कार्यसमिति के पुस्ताव में स्पष्ट किया। कांग्रेस ने उस मनमाने ढंग के ऊपर क्षोभ-व्यक्त किया, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार एक ऐसी लड़ाई में, जो कि भारत की अपनी नहीं थी, भारत को घसीटे ले जा रही थी। कांग्रेस ने यह साफ-साफ कह दिया कि वह फासिज्म के विरुद्ध है और उस उद्देश्य की जिसको लेकर इंग्लैंड और फ्रांस लड़ाई में प्रविष्ट हुए हैं, प्रशंसा करती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, "हम नाजियों की विजय नहीं चाहते थे, और हमारी सहानुभूति पूर्णतः उनकी तरफ थी, जिनके ऊपर आक्रमण किया गया था।"*

लेकिन इसके पूर्व कि भारत लोकतन्त्र की सहायता करता भारत में लोकतन्त्र की स्थापना होनी आवश्यक थी। "हमारे आदेश पर स्वयं पराधीन, वे (भारतीय) दूसरों को स्वतंत्र करने के लिये कैसे संग्राम करते ‡ कांग्रेस

* इंडियन एनुअल रजिस्टर १९३६; पृ. २१४।

‡ एच. एन. ब्रेल्सफोर्ड सभ्यता इंडिया पृ. ५३।

* जवाहर लाल नेहरू: दि यूनिटी ऑफ इंडिया, पृ. ३६१।

‡ एच. एन. ब्रेल्सफोर्ड: वही, पृ. ५४।

युद्ध के उद्देश्यों
को स्पष्ट करने
की मांग

प्रस्ताव ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की वह अपने युद्ध के उद्देश्यों को साफ साफ बतला दे और पूछा, क्या इन उद्देश्यों में साम्राज्यवाद का उन्मूलन शामिल है? क्या ब्रिटिश सरकार भारत के प्रति एक ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र का सा, जिसकी नीति अपनी जनता की इच्छाओं के अनुसार संचालित हो, व्यवहार करने के लिए तय्यार है?" कांग्रेस की मांग थी कि यदि इंग्लैण्ड स्वतन्त्रता और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो उसे भारत में भी स्वतंत्रता और लोकतन्त्र की स्थापना करनी चाहिए। 'हमारे लिए स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं हो सकता, यदि वह स्वयं हमें ही प्राप्त नहीं है।'* कट्टुग्रनुभवों ने उसे सिखा दिया था कि "ब्रिटिश सरकार या भारत सरकार के युद्धकालीन वचनों या वक्तव्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।‡ फलतः कांग्रेस ने मांग की कि इंग्लैण्ड को चाहिए कि वह भारत को स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर दे। इस मांग का आशय यह था कि भारत को युद्ध के पश्चात् अपना सविधान बनाने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए और ब्रिटिश नेकनीयती के प्रमाणस्वरूप तुरन्त ही लोक शासन की स्थापना होनी चाहिए। "किसी भी घोषणा की वास्तविक कसौटी उसका वर्तमानकालीन उपयोजन है।" कांग्रेस ने यह मांग किसी सौदेबाजी की भावना से अनुप्राणित होकर नहीं की थी और न वह इंग्लैण्ड की कठिनाई से अपना मतलब निकालने के लिए ही उत्सुक थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा इसलिए आवश्यक थी कि भारत की जनता को उस लड़ाई के बारे में, जो कि उसकी अपनी नहीं थी, उत्साह पैदा हो जाए। यदि सरकार ने ऐसी घोषणा नहीं की, तो यह स्पष्ट था कि लड़ाई का उद्देश्य साम्राज्यवादी विशेषाधिकार को ज्यों का त्यों कायम रखना था इस प्रकार की लड़ाई से भारत को क्या लेना देना था? भारतवर्ष सहयोग देने को इच्छुक था लेकिन वह यह सहयोग बराबर के साथी की हैसियत से देना चाहता था। यहाँ यह स्मर्त्तव्य है कि उदारवाशियों ने भी कांग्रेस की मांग का समर्थन किया और सरकार से प्रार्थना की कि वह वर्तमान केन्द्रीय सरकार के स्थान पर जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने में शीघ्रता करे। मुस्लिम लीग तक इंग्लैण्ड को बिना किसी शर्त के सहायता देनेके लिये तय्यार नहीं थी। वह युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा के विरुद्ध नहीं थी लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि मुसलमानों के साथ पूरा

* जवाहर लाल नेहरू: दि यूनिटी ऑफ इंडिया पृ. ३१४।

‡ पद्मिणी सीतारामय्या: दि हिस्ट्री ऑफ दि कॉंग्रेस, पृ. १२६।

म्भाव होना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वह उसकी रजामन्दी के बिना कांग्रेस को कोई आश्वासन न दे ।

६५. सरकार का उत्तर और कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का त्यागपत्र

कांग्रेस ने सरकार से जो आश्वासन मांगा था, वह उसे नहीं मिला । साम्राट्, भारत मन्त्री और गवर्नर जनरल सबने वक्तव्य दिये, लेकिन उनके वक्तव्यों में केवल पुरानी बातें दुहरायी गयी थीं और भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्न की कोई चर्चा नहीं थी । लार्ड लिन्लियगो ने मुलाकातो का एक ताना शुरू किया और ५२ व्यक्तियों से भेंट की । उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रक्खा कि वे समस्त जातियों, हिंदो और देशी नरेशो के दृष्टिकोणों को भलीभांति समझ लें । इन सब बातचीतो का जो नतीजा १७ अक्टूबर १९३९ के इत्तेपत्र में प्रकाशित हुआ उससे किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ । वायसराय को "दृष्टि- वायसराय की मुलाकातों कोणों का स्पष्ट भेद" दिखाई दिया । स्पष्ट है कि यदि कोई और इत्तेपत्र : व्यक्ति इन मतभेदो की लार्ड लिन्लियगो की मी मूकमूक १७ अक्टूबर १९३९ के साथ खोज करता, तो उनकी खोज करन में कोई कठिनाई नहीं होती । यह उसी चिरपरिचित "फूट डालो और राज्य करो" वाली नीति की पुनरावृत्ति थी । दृष्टिकोणो के इन स्पष्ट भेदो को देखते हुए वायसराय भारतीय देश-भक्तो को केवल उभी बात की याद दिला सकते थे जो कि उनके पूर्ववर्तियो ने बारम्बार कही थी अर्थात् "भारत की उन्नति का स्वाभाविक लक्ष्य औपनिवेशिक पद को प्राप्त करना है ।" उन्होंने इस बात की घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति पर १९३५ के अधिनियम के अधीन प्रस्तावित सघीय सविधान में विभिन्न सम्प्रदायो, दलो और स्वार्थों के प्रतिनिधियो तथा देशी नरेशो से मन्त्रणा करके उचित सशोधन कर दिया जायगा । स्पष्ट है कि वे एक सविधान सभा का नहीं अपितु दूसरी गोलमेज परिषद का वचन दे रहे थे । जहा तक भारत की इस माग का सम्बन्ध था कि केन्द्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, वायसराय केवल एक ऐसी 'मन्त्रणा-गोष्ठी' का ही आश्वासन दे सकते थे जिसके साथ वे समय-समय पर युद्ध संचालन के सम्बन्ध में विचार विनिमय कर सकें ।

वायसराय के वक्तव्य ने किसी को सन्तुष्ट नहीं किया और विरोध का एक तूफान खड़ा कर दिया । उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता और समानता के दावे को अस्वीकार करने के लिये प्रतिक्रियावादियों और अल्पसंख्यक वर्गों के विरोध का दक्षतापूर्वक प्रयोग किया था । भारत के राष्ट्र-वादियों ने इस दृष्टिकोण को अपने लिये अपमानजनक समझा । जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इसका अभिप्राय यह था कि "ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उन्मूलन के बारे में

प्रांतीय कांग्रेसी
मन्त्रिमण्डलों का
त्यागपत्र

अन्तिम निर्णय करना ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ही हाथ में है।" कांग्रेस 'कुछ कहने' के लिये लाचार हो गई। उसने रोटी मांगी थी, उसे मिला पत्थर। १ अक्टूबर को कार्य-समिति ने प्रान्तीय कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल से कहा कि वे अपना अपना त्यागपत्र दे दें। नवम्बर में वायसराय ने सविधान की धारा ६३ के अधीन एक उद्घोषणा जारी की और उन छठ प्रांतों में जहाँ कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिये थे, परामर्श-सलाहियों के शासन की स्थापना कर दी।

अपने वक्तव्य द्वारा उत्पन्न किये गये तीव्र विरोध से परेशान होकर वायसराय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के साथ पुनः वार्ता शुरू की। उन्होंने अपनी कार्यपालिका-परिषद के विस्तार करने का वचन दिया ताकि उसमें भारतीय बलों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकें। लेकिन इसमें एक शर्त थी और वह यह कि प्रान्तीय प्रश्न व प्रान्तों में समुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने के सम्बन्ध में समस्त सम्प्रदायों के बीच समझौता होना चाहिये। इससे और भी उलझन बढ़ गई। यह ऐसी घूर्तता थी जिसका उद्देश्य एक विशुद्ध राजनीतिक समस्या को साम्प्रदायिक रूप देना था। जैसी कि आशा की जानी चाहिये कांग्रेस ने इस आधार पर समझौते की बातचीत करना अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार गतिरोध पैदा हो गया और वह युद्ध के आद्योपात्त बना रहा।

६६. अगस्त की घोषणा (१९४०)

लगभग एक साल बीत गया और भारत की राजनीति में सिवाय इसके कि मार्च १९४० में मुस्लिम लीग ने अपने द्विराष्ट्र-सिद्धान्त की घोषणा की और पाकिस्तान की भाग उपस्थित की, कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ। लडाई की हालत इंग्लैंड के लिये बहुत खतरनाक हो गई। उनकर्मों ब्रिटिश बलों की पराजय और जर्मन हवाई बेड़े द्वारा परिचालित भयंकर हवाई हमलों के कारण इंग्लैंड अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा था। नवम्बर लैन के स्थान पर चर्चिल प्रधान मन्त्री हो गये थे। कांग्रेस ने पुनः ब्रिटेन के साथ सहयोग करने के लिये दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ७ जुलाई

१९४० के अपने प्रस्ताव में कार्यसमिति ने "देश की रक्षा के लिये प्रभावशाली सगठन में पूरा-पूरा सहयोग देने का" निश्चय किया। सहयोग के लिये कांग्रेस की शर्तें ये थीं (१) पूर्ण स्वाधीनता के लिये भारत के अधिकार की स्वीकृति व (२) तात्कालिक शासन के रूप में केन्द्र में अस्थायी

राष्ट्रीय सरकार की स्थापना।

लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस द्वारा बढ़ाये गये दोस्तीके हाथ को ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। उसने केन्द्रीय विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि ऐसा करना सारे संविधान को बदलना है, जो कि युद्धकाल में नहीं हो सकता। सरकार के अपने जो प्रस्ताव थे, वे = अग्रस्त के वायसराय के वक्तव्य में प्रकाशित हुए।

वक्तव्य में बचन दिया गया था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र भारत को औपनिवेशिक पद दे दिया जायगा और एक प्रतिनिधिक संविधान निर्माता निकाय की स्थापना की जायगी। यह स्वीकार कर लिया गया था कि नये संविधान को बनाने की जिम्मेदारी मुख्यतः भारतीयों के ऊपर ही होगी। यह स्पष्ट नहीं था कि प्रतिनिधिक संविधान-निर्माता निकाय का अभिप्राय पूर्ण विकसित संविधान सभा से था अथवा खाली एक और गोलमेज परिषद से। इसके अलावा इस प्रकार के निकाय की स्थापना करने के प्रस्ताव को प्राधिक सारक्षणों वाली बात ने उलझनपूर्ण कर दिया था। घोषणा में कहा गया था कि "ब्रिटिश सरकार ऐसे किसी दल को सत्ता नहीं दे सकती जिसे देश के बड़े बड़े और शक्तिशाली तत्व मानने के लिये तय्यार न हो।" स्पष्ट है कि ये शक्तिशाली तत्व मुस्लिम लीग, दूसरे प्रतिगामी अल्पसंख्यक वर्गों के सागठन और देशी नरेश थे।

जहाँ तक वर्तमान का सम्बन्ध था, वक्तव्य में (१) बड़ी हुई कार्यपालिका-परिषद में कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने और (२) एक ऐसी युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करने की जिसमें विभिन्न दलों के नेता व देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हों, बात कही गई थी।

वायसराय के वक्तव्य से कांग्रेस को सन्तोष नहीं हुआ और उसने इसकी ओर भ्रांख उटाकर देखने से भी इनकार कर दिया। महात्मा गांधी के अनुसार उसने भारत और इंग्लैंड के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया।

सरकार ने अल्पसंख्यक वर्गों के प्रश्न के सम्बन्ध में जो रुख परिणाम ग्रहण किया था, कांग्रेस ने उसका विशेष रूप से विरोध किया और सरकार के ऊपर आक्षेप लगाया कि वह इस प्रश्न को "भारत की उन्नति के मार्ग में एक दुस्तर बाधा"* बनाये दे रही है। कांग्रेस का दृष्टिकोण यह था कि अल्पसंख्यक वर्गों की समस्या भारतीयों के सुलभानेके लिए थी,। अंग्रेजी सरकार उसमें अयाचित अर्वाचित टांग अड़ाकर उसे व्यर्थ में ही और पेचीदा बनाये दे रही थी।

* इंडियन प्लुअल रजिस्टर, १९४० ॥, पृ. १६८

मुस्लिम लीग तक ने अग्रस्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यद्यपि भिन्न कारणों से। उसने वायसराय के वक्तव्य में विवक्षित सयुक्त भारत के विचार का विरोध किया और कहा कि "भारत का विभाजन ही समस्या का एकमात्र हल है।" उसने इस बात पर भी बल दिया कि "उसकी सम्मति के बिना कोई भी भावी सविधान, अन्तरिम या अन्तिम निर्मित नहीं होना चाहिये और कार्यपालिका-परिषद के किसी भी पुनर्निर्माण में उसके और कांग्रेस के बीच में ५०, ५० के सिद्धान्त को लागू किया जाना चाहिये।"* इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की नीति ने साम्प्रदायिक समस्या को और भी उलझा दिया तथा कांग्रेस कार्यसमिति की सम्मति में वह "गृह कलह और संघर्ष के लिये प्रत्यक्ष प्रोत्साहन व उत्तेजना थी।

६७. व्यक्तितगत सत्याग्रह

अग्रस्त प्रस्ताव जवाहर लाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी जैसे नेताओं के क्रिया कलापो के लिए, जो भारत की प्रति रक्षा में सक्रिय सहयोग चाहते थे और

जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने पहले महात्मा गांधी के युद्ध-प्रयत्न सम्बन्धी शान्तिवाद और असहयोग को अस्वीकार कर दिया था, एक प्रतिघात था। अब पुनः कांग्रेस ने महात्मा गांधी को मार्ग-दर्शन के लिये आमन्त्रित किया। गांधी जी ने वायसराय से प्रार्थना की कि वे उन्हें "देश की जनता को भारत के युद्ध-प्रयत्न में सहायता देने से रोकने की" स्वतन्त्रता दें। वायसराय ने इसे अस्वीकार कर दिया। फलतः महात्मा गांधी ने सीमित पैमाने पर व्यक्तितगत सत्याग्रह प्रान्दोलन प्रारम्भ किया। सत्याग्रह आन्दोलन केवल प्रतीकात्मक केवल नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति था। उसका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार को व्यग्र करना अथवा किसी भी प्रकार घुरी राष्ट्रों को सहायता देना नहीं था। इस सत्याग्रह में अहिंसा के पालन पर विशेष बल दिया गया और सामूहिक कार्यवाही को प्रत्येक रूप में निषिद्ध कर दिया गया। केवल कुछ छूटे हुए सत्याग्रहियों को ही यह दुहराते हुये कि "जन या घन से ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्न में सहायता देना गलत है" सत्याग्रह करने की अनुमति दी गई। पंजाब के मुख्य मन्त्री मर सिकन्दर हयात खां ने महात्मा गांधी के ऊपर आक्षेप किया कि जिस समय इंग्लैंड अपने जीवन मरण के संघर्ष में निरत है, वे उसकी पीठ में छुरा भोक रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि सत्याग्रह आन्दोलन का स्वरूप केवल प्रतीकात्मक ही था। जिस समय अंग्रेज जाति अपने जीवन-मरण का झूला झूला रही थी, कांग्रेस ने उसके ऊपर कठोर आघात करना

* रूपलैड : इंडिया ए रिस्टेयमेंट, पृ. २००

अनैतिक समझा और बहुत 'हलका' आघात किया।"* फिर भी मई १९४१ तक लगभग १४००० ? सत्याग्रही जेल पहुच गए।‡ "इनमें छः प्रान्तों के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, २९ मंत्री और २६० प्रान्तीय विधान मण्डलों के सदस्य थे।"†

६८. कार्यपालिका-परिषद का विस्तार और आंशिक भारतीय करण

राष्ट्रवादी भारत की मागों की ओर ध्यान न देते हुये वायसराय ने जुलाई १९४१ में अपनी कार्यपालिका-परिषद में पाच सदस्य और शामिल कर लिये। पहले उसमें वायसराय सहित आठ सदस्य थे, अब बढ़ कर तेरह हो गये। जिन नए पाच सदस्यों को नियुक्त किया गया था, महत्वशून्य उपाय वे भारतीय थे। इस प्रकार अब कार्यपालिका-परिषद में भारतीयों की कुल सदस्य-संख्या आठ हो गई। लेकिन कार्यपालिका-परिषद का यह आंशिक भारतीयकरण एक महत्वशून्य उपाय था क्योंकि सभी महत्वपूर्ण विभाग प्रति-रक्षा, गृह, वित्त अग्रेजों के ही हाथों में वने रहे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस बिस्तृत कार्यपालिका-परिषद का बहिष्कार किया। जिन नए सदस्यों को वायसराय ने अपने विवेक के अनुसार चुना था, वे सबके सब उसकी हा में हां मिलाने वाले थे। सम्भवतः एक डा० अम्बेदकर को छोड़ कर और किसी को किसी सगठित दल का समर्थन प्राप्त नहीं था। इसके अलावा, कार्यपालिका-परिषद एक अनुत्तरदायी निकाय बनी रही। उसके उपर वायसराय का प्रभुत्व ज्यों का त्यों कायम रहा।

६९. क्रिप्स मिशन (मार्च १९४२)

७ दिसम्बर १९४१ को जापान युद्ध स्थल में कूद पड़ा। अब विश्वयुद्ध ने एक नया रुख ग्रहण किया। यरोप में तो धुरी राष्ट्रों को आगे बढ़ने से रोके रखा गया, लेकिन एशिया में जापान की विजयवाहिनी अप्रतिहत गति से आगे बढ़ी। मलाया, इंडोचायना और इंडोनेशिया ने जापान जापान का युद्ध-की सेनाओं के सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया। फरवरी प्रवेश और भारत १९४२ के अन्त तक बर्मा का पराभव भी अपरिहार्य दिखने को खतरा लगा। इस तरह युद्ध का खतरा भारत के निकटतर आता जा रहा था। बहुत कम भारतीयों को यह विश्वास था कि इंग्लैंड में जापानी आक्रमण से भारत की रक्षा करने की शक्ति है। चर्चिल तकने इस बात को स्वीकार किया कि इंग्लैंड के पास भारत की रक्षा करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं। भारत के सिर

* एच. एन. ब्रोक्सफोर्ड: सप्लैण्ड इंडिया, पृ. ५६।

‡ कूपलैण्ड: इंडिया, ए रिस्टेटमेंट, पृ. २०५।

† एच. एन. ब्रोक्सफोर्ड वही पृ. ५६।

कांग्रेस की नीति
में
परिवर्तन

पर मंडराते हुए इस खतरे ने कांग्रेस की नीति में परिवर्तन कर दिया। प्रमुख कांग्रेसियों को नवम्बर १९४१ में जेल से मुक्त कर दिया गया था। जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में संचालित हलचलें फिर एक बार महात्मा गांधी की शांतिवाद की नीति से हट गईं। अपनी ही प्रार्थना पर गांधी जी नेतृत्व के भार से मुक्त कर दिये गये। अब सत्याग्रह कांग्रेस की नीति नहीं रहा। जवाहर लाल जी देश की प्रतिरक्षा के लिये संगठित करना चाहते थे। वे सरकार के साथ सहयोग करने के लिये तय्यार थे—लेकिन कुछ शर्तों पर। उस समय “एक अभिमानि साम्राज्य को, जो फासिस्ट सर्वाधिकारवाद से अभिन्न है” सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं था। सितम्बर १९४१ में चर्चिल से पूछा गया था कि क्या एटलांटिक चार्टर जो सब जातियों को अपनी मनोवाञ्छित शासन-प्रणाली को पसन्द करने का अधिकार देता है, भारत के ऊपर भी लागू होगा? चर्चिल ने इस प्रश्न के उत्तर में ‘नहीं’ ‘जनाब’ कहा था। भारत को यह ‘नहीं’ अच्छी तरह याद थी। लेकिन जापान की पूर्वीय विजय-यात्रा ने ब्रिटिश सरकार को विवश कर दिया कि वह भारत की ओर नया दृष्टिबिन्दु ग्रहण करे। फरवरी १९४२ में राष्ट्रवादी चीन के नेता मार्शल च्यांग-

विश्व-जनमत
का
दबाव

काई शेक भारत आये और उन्होंने इंग्लैंड से अपील की कि वह भारत की स्वतन्त्रता की मांग पर सहृदयतापूर्वक विचार करे। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के बारे में भी यह प्रख्यात है कि वे चर्चिल पर इस बात का दबाव डाल रहे थे कि वे भारत का ऐच्छिक सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ करे। इस प्रकार युद्ध के सकटों और विश्व-जनमत के दबाव ने क्रिप्स-मिशन के लिए रगमंच तय्यार कर दिया।

क्रिप्स-मिशन
की
घोषणा

रगुन-पतन के चार दिन बाद ११ मार्च १९४२ को चर्चिल ने ससद में घोषणा की कि “जापान की प्रगति के कारण भारत के लिए जो खतरा पैदा हो गया है उसे देखते हुए हम यह आवश्यक समझते हैं कि हमलावर से देश की रक्षा करने के लिये हमें भारत के सभी वर्गों का संगठन करना चाहिए और सर स्टैफर्ड क्रिप्स-ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय गतिरोध का अन्त करने के लिए भारत प्रस्थान करेंगे।” इस घोषणा का भारत में स्वागत किया गया क्योंकि क्रिप्स की यहा बहुत ख्याति थी। यही वह व्यक्ति था जो रूस को मित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध में खींच लाये थे। इसके अलावा वे एक समाजवादी थे और भारत के कई चोटी के राष्ट्रवादी नेताओं से उनके मित्रतायुक्त

सम्बन्ध थे। वे पहले भी दो बार भारत घा चुके थे। २२ मार्च १९४२ को क्रिप्स दिल्ली उतरे। तुरन्त ही उन्होंने वायसराय व उनकी कार्य-पालिका-परिषद से मन्त्रणा की। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय दलों के नेताओं से वार्ता शुरू की और यह प्रभाव उत्पन्न किया कि वे अन्तिम निर्णय करने के लिए कुछ निश्चित प्रस्ताव और सत्ता लाए हैं।

क्रिप्स
भारत में

क्रिप्स मिशन के उन प्रस्तावों को, जिनके आधार पर बातचीत आगे बढ़ी, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग युद्ध के पश्चात की परिस्थितियों से संबंध रखता था। उसमें निम्न योजनाएँ थीं—(१) एक नये भारतीय सच की स्थापना जिसे उपनिवेश का पूर्ण पद प्राप्त होगा और चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से विच्छेद कर सकेंगे। (२) युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद एक सविधान सभा की स्थापना जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राजवाड़े दोनोंके प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। (३) इस प्रयोजन के लिए प्रांतीय विधानमण्डलों के निम्न सदनों के सम्पूर्ण सदस्य एक निर्वाचक-मंडल की हैसियत से बैठेंगे और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान निर्मात्री सस्था का चुनाव करेंगे। निर्वाचक मंडल में जितने व्यक्ति होंगे, उसकी दशाश सख्या इम विधान निर्मात्री सस्था में होगी। जहा तक राज्यों का सम्बन्ध है, वं अपनी जन-सख्या के अनुपात से अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। (४) ब्रिटिश सरकार ने इस सस्था द्वारा तय्यार किये गए सविधान को स्वीकार करके कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व केवल उसी हालत में लेने का निश्चय किया, जब कि निम्न शर्तें भी पूरी होती हों—(क) “यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत नए सविधान को स्वीकार न करेगा चाहे तो उमे वर्तमान वैधानिक स्थिति को कायम करने का अधिकार रहे।” यदि किसी प्रांत की विधानसभा ६० प्रतिशत बहुमत से सच में रहने का निश्चय नहीं करती, तो उसकी सच में प्रविष्टि का अन्तिम निर्णय जन-निर्णय के द्वारा हो सकेगा। नए सविधान में सम्मिलित न होने वाले प्रांतोंको सम्राट की सरकार नया स विधान देने के लिए तय्यार होगी और (ख) सम्राट की सरकार व विधान निर्मात्री सस्था के बीच एक स धि होगी। जहा तक स क्रान्तिकाल का संबंध है ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा “अपने विश्वयुद्ध प्रयत्नों के एक अंग के रूप में अपने हाथ में रखेगी। परन्तु प्रमुख भारतीय दलों के नेताओं को अपने देश, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल तथा मित्र राष्ट्रों के सलाह महाविदे में तुरन्त और प्रभावोत्पादक ढंग से भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जायगा।

(ख) वर्तमान के
सम्बन्ध में

एक ओर तो क्रिप्स और दूसरी ओर भारतीय दलों के नेताओं के बीच जो जो विचार विमर्श हुआ, उसके फलस्वरूप क्रिप्स प्रस्ताव को भारतीय लोकमत के प्रत्येक वर्ग ने अस्वीकार कर दिया। हिन्दू महासभा ने पृष्ठ द्वारा से पाकिस्तान स्थापित करने की कुशल चेष्टा और भारत के समनुचिन्तित बलकानिस्तान का विरोध किया। सिक्ख पाकिस्तान की स्थापना के घोर विरोधी थे और उन्होंने कह दिया कि हम अखिल भारतीय सघ से पंजाब के पृथक्करण का समस्त सभव उपायों से प्रतिरोध करेंगे। उदारवादियों तक ने दीर्घ सूत्री प्रस्तावों को यह कह कर कि वे 'आत्म-निर्णय के उप-हास' हैं अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के विरुद्ध थी जिसका लक्ष्य भारत को खण्डित करना हो चाहे विवेक के आधार पर और चाहे भावना के आधार पर। क्रिप्स योजना का उद्देश्य "अनिश्चित सत्या के विभाजनों की सम्भावना के दर-वाजे खोल देना था।" * ५६२ देशी रजवाडों को भारत सघ में सम्मिलित न होने का जो अधिकार परोक्षतः दे दिया गया था कांग्रेसने उसका तीव्र विरोध किया। यह बात स्पष्ट थी कि राज्य नए सविधान के निर्माण में प्रतिगामी तत्वों का सा काम करते लेकिन इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि वे सविधान की रचना के पश्चात् भारतीय गवर्नर नहीं हो जायेंगे। स्पष्ट है कि जब तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद "इन गडों में अपना अड्डा जमाए रखता, भारत अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं कर सकता था।" †

यद्यपि कांग्रेस का आदर्श सम्पूर्ण भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करना था और उसने क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा पृथक्करण की भावना को प्रोत्साहन दिए जाने का विरोध किया लेकिन फिर भी वह 'किसी भी प्रादेशिक इकाई को, उसकी इच्छा के विरुद्ध भारतीय सघ में सम्मिलित होने के लिए विवश करने की भाषा में नहीं सोच सकती थी।' इस प्रकार सम्भव था कि कांग्रेस दीर्घसूत्री प्रस्तावों के ऊपर अपनी स्वीकृति दे देती। इनके ऊपर वार्ता भग नहीं हुई, लेकिन तात्कालिक वर्तमान के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव थे, उनके ऊपर समझौते की बातचीत टूट गई। ये प्रस्ताव ब्रिटिश नेकनीयती की कसौटी थे। यहाँ दो अनुलंघनीय कठिनाइयाँ उठ खड़ी हुईं। कांग्रेस प्रधान के साथ अपनी पहली मेंट के समय सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि

* जवाहर लाल नेहरू-दि डिस्कवरी आफ इण्डिया, पृ. ३८५

† एच० एन० ब्रेत्सफोर्ड-सब्जेक्ट इण्डिया, पृ. ६७

अस्थायी राष्ट्रीय सरकार के साथ वायसराय का सम्बन्ध
 वैसे ही होगा जैसा कि सम्राट का ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से
 होता है। लेकिन बाद में क्रिप्स अपनी इस बात से हट गए
 और उन्होंने कहा कि ऐसा सुदूरव्यापी वैधानिक परिवर्तन
 अमम्भव है और वायसराय की निरकुश शक्तियां ज्यों की
 त्यों कायम रहेगी। इसमें एक नई समस्या पैदा हो गई
 और समझौता असम्भव हो गया। दूसरी कठिनाई प्रतिरक्षा में सम्बन्ध रखती थी।
 कांग्रेस की मांग थी कि "उस आक्रमण को देखते हुए जो हमारे सिर पर लटक
 रहा है, प्रतिरक्षा के ऊपर भारत का प्रभावशाली नियन्त्रण होना चाहिए। यही वह
 कर्पौटी है, जिससे हम परभ्र कर रहे हैं।" लेकिन ब्रिटिश सरकार वायसराय की कार्य-
 पालिका परिषद में केवल एक भारतीय सदस्य को रखने के लिये तय्यार थी, जिसके
 अधीन जन-सर्क विभाग, सैन्य विघटन और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, पेट्रोल का नियन्त्रण,
 सैनिकों की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था और कॅण्टीन-संगठन आदि विषय होते। इन
 दोनों कठिनाइयों ने भारत की जनता का विश्वास करने और उसे सच्ची सत्ता हस्ता-
 ंतरित करने की ब्रिटिश सरकार की अनिच्छा को स्पष्ट कर दिया।

संक्रान्ति कालीन
 प्रस्तावों के
 ऊपर
 वार्ता भंग

मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने
 अपनी अस्वीकृति की घोषणा कांग्रेस के निर्णय की प्रतीक्षा करने के
 बाद की। कहा जाता है कि मि० जिन्ना ने मुस्लिम लीग
 की स्वीकृति के लिये एक प्रस्ताव का मसविदा तय्यार
 किया था। परन्तु जब कांग्रेस ने क्रिप्स योजना को अस्वी-
 कार कर दिया, तब उन्होंने उसे फाड़ डाला। अपने प्रस्ताव
 में मुस्लिम लीग ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि
 मुसलमानों के पृथक्करण के दावे को मान्यता दे दी गई है, लेकिन सम्पूर्ण क्रिप्स
 योजना को उसकी जकड़बन्दी के कारण अस्वीकार कर दिया। लीग ने इस बात पर
 बल दिया कि ऐसे किमी जन-निर्णय में जिसका उद्देश्य यह तय करना हो कि कोई
 प्रान्त भारतीय सभ में रहे या उससे चला जाय, केवल मुसलमानों को ही वोट देने का
 अधिकार होना चाहिये। इस तरह से क्रिप्स अभिनय समाप्त हो गया। राष्ट्रवादियों
 की दृष्टि में यह समस्त घटनाचक्र नाटकीय प्रदर्शन मात्र था जिसका अभिनय अमेरि-
 कन आलोचकों को सन्तुष्ट करने के लिए किया गया था। क्रिप्स जिन प्रस्तावों को
 लाये, वे बड़े कठोर थे और उन्हें या तो पूरा का पूरा स्वीकार किया जा सकता था
 अथवा पूरा का पूरा अस्वीकार। इस प्रकार समझौते की गुंजायश शुरू से ही नहीं-
 रही थी। पट्टाभि सीतारामैया के शब्दों में, 'उसमें प्रत्येक दल को खुश करने वाली

मुस्लिम लीग
 का
 दृष्टिकोण

बातें थीं। कांग्रेस को प्रसन्न करने के लिए इन प्रस्तावों की पूर्ण भूमिका में औरनि-
वेशिक स्वरज्य सँगोपरि बात संविधान-सभा का उल्लेख था जिसे प्रारम्भ में
ही ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से पृथक् हो जाने की घोषणा कर देने का अधिकार दिया गया
था। मुस्लिम लीग के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी भी प्रान्त को भारतीय
संघ से अलग हो जाने का हक था। नरेशों को न केवल इस बात की आजादी थी कि
वे चाहें तो इस संघ में शामिल हो या न हो बल्कि संविधान सभा में रियासतों के
प्रतिनिधि भेजने का एक मात्र अधिकार भी उन्हें ही दिया गया था। उनमें सत्ता
हस्तांतरित करने का इरादा बिल्कुल नहीं था।”

१००. 'भारत छोड़ो' आंदोलन

जिस ढंग से क्रिस्स वार्ता एक बारगी भग हुई और क्रिस्स को वापिस बुलाया
गया तथा इस विषय में जो वाद विवाद ब्रिटिश ससद में हुआ इन सब ने इस विचार
को मजबूत कर दिया कि यह सम्पूर्ण क्रिया कलाप एक
निपट निराशा
और व्यग्रता
का
बातावरण
राजनीतिक धूर्तता मात्र थी जिसका उद्देश्य विश्व-
लोकमत की भाषों में घूल भोकना और पूर्ण अनुमानित
असफलता का भार भारतीय जनता के ऊपर लाद देना
था। स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार का इरादा वास्तविक
सत्ता को हस्तांतरित करने का नहीं था। फलतः देश
निराशा, निःसम्बलता और व्यग्रता के गर्त में डूब गया। यह राष्ट्र के लिये बहुत ही
असन्तोषकर अवस्था थी क्योंकि पूर्ण की ओर से आसन्न आक्रमण का भय था। जवा-
हर लाल नेहरू ने लिखा है, “जनता की निपट निराशा को साहस और प्रतिरोध की
भावना में बदलना आवश्यक था। यद्यपि इस गतिरोध का श्रीगणेश ब्रिटिश अधिका-
रियों के स्वेच्छाचारी आदेशों के विरुद्ध होता लेकिन उसे आक्रमणकारी के विरोध
में भी परिवर्तित किया जा सकता था। निराशा और दासता दूसरे की ओर भी इसी
दृष्टिकोण को और इसी प्रकार की दीनता और तुच्छता को उत्पन्न करती।”* अप्रैल,
१९४२ के बीच में महात्मा गान्धी ने उग्रतापूर्वक सोचना शुरू कर दिया। ‘भारत छोड़ो’
विचार उनके मस्तिष्क में जमने लगा और उन्होंने उसे ‘हरिजन में एक लेखमाला
खिल कर विकसित किया।

वे इस निष्कर्ष पर आ गये थे कि “भारत में ब्रिटिश साम्राज्य तुरन्त समाप्त
होना आवश्यक है।” केवल स्वतंत्र भारत में ही आक्रमणकारी का विरोध करने की

* जवाहर लाल नेहरू: दि बिस्कर्नी ऑफ इ इंडिया, पृ. ३६६।

नैतिक शक्ति हो सकती थी। ६ जून १९४२ को लुई फ्रिश्चर से उन्होंने एक भेंट में कहा था “अंग्रेजों के यहाँ से चले जाने और न चले जाने के बीच का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन इसका यह आशय नहीं कि प्रत्येक अंग्रेज अपना बोरिंग-बिस्तर बाध कर हट जाय।” वे इस बात के लिए भी तय्यार थे कि ब्रिटिश सेनाएँ स्वतंत्र भारत की सरकार के साथ एक सन्धि कर के यहाँ ठहरी रहे। लेकिन उन्होंने जिस बात पर बल दिया, वह यह थी कि अंग्रेज भारतीय जनता के हाथ में सत्ता हस्तांतरित कर दें। चूँकि अंग्रेजों से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे भारत छोड़कर चले जायेंगे, इसलिए कुछ न कुछ कार्यवाही करनी आवश्यक थी। अब और निष्क्रियता असह्य थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति सक्रिय प्रतिरोध सरकार के युद्ध प्रयत्न के रास्ते में आना आवश्यक था। फिर भी यह निष्क्रियता की तुलना में श्रेयस्कर था।

भारत छोड़ो
नारा

८ अगस्त १९४२ को कांग्रेस महासमिति ने वम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में भारत की स्वतंत्रता की तत्काल स्वीकृति और ब्रिटिश शासन के अन्त की माग की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि ब्रिटिश शासन “का स्थायित्व भारत की प्रतिष्ठा को घटाता और उसे दुर्बल बनाता है और अपनी रक्षा करने तथा विश्व स्वातंत्र्य के आदर्श की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी शक्ति में क्रमिक ह्रास उत्पन्न करता है।”—स्वतंत्रता भारत को अपनी जनता की सम्मिलित इच्छा और शक्ति के बल पर आक्रमण का कारगर ढंग से विरोध करने में समर्थ बना देगी।” प्रस्ताव ने एक अस्थायी सरकार के निर्माण का मुद्दा दिया “जिसका प्रथम कर्तव्य अपनी समस्त सशस्त्र तथा अहिंसात्मक शक्तियों द्वारा मित्र-राष्ट्रों से मिल कर भारत की रक्षा करना” होगा। अस्थायी सरकार जनता के समस्त वर्गों के लिए स्वीकार्य सविधान की रचना करने के लिये एक विधान-निर्मात्री परिषद की योजना बनाएगी। यह सविधान संघीय होगा और जिसके अन्तर्गत सब में सम्मिलित होने वाले समस्त एककों को अधिकतम स्वायत्तता प्राप्त होगी। अवशिष्ट शक्तियाँ भी इन एककों में निहित होगी। अन्त में प्रस्ताव ने यह स्वीकृति दी कि यदि ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता की माग को अस्वीकार न करे तो अहिंसात्मक प्रणाली से अधिक से अधिक विस्तृत परिमाण पर एक ऐसा आन्दोलन प्रारम्भ किया जाय जो अन्त में “भारत की स्वतंत्रता और मुक्ति पर जाकर समाप्त हो।”

कांग्रेस महासमिति
द्वारा पास किया
गया भारत
छोड़ो प्रस्ताव
८ अगस्त
१९४२

कांग्रेस महासमिति में दिए गये अपने भाषण में महात्मा गांधी ने घोषणा की

कि यह संघर्ष 'करो या मरो' संघर्ष होगा। लेकिन यह लड़ाई खुली और अहिंसक लड़ाई होगी, उसमें गुप्त कुछ भी नहीं होगा। महात्मा गान्धी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व वायसराय से मिलेंगे और मुख्य मंत्र राष्ट्रों से अपील करेंगे। लेकिन सरकार ने उन्हें इसके लिए समय नहीं दिया। सरकार की दमन करने की सारी योजनाएँ तय्यार थी और उसने कांग्रेस के ऊपर 'विद्युत्' आक्रमण कर दिया। ९ अगस्त की रात महात्मा गान्धी और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को अवैध सगठन घोषित कर दिया गया और चोटी के नेताओं की चारों ओर घेर-पकड़ शुरू हो गई।

बस, यह जन-विद्रोह का सकेत चिन्ह था। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से कुछ जनता अपना समस्त सन्तुलन खो बैठी। पट्टाभि सीतारामैया ने लिखा है कि तीन वर्ष तक भारतवर्ष नरक बना रहा। चोटी के कांग्रेसी नेताओं की अनुपस्थिति में अहिंसक आन्दोलन असंभव था। सब प्रकार के तत्त्व आन्दोलन में कूद पड़े और जनता लूट-मार और तोड़ फोड़ के विध्वसात्मक कार्यों में सलग्न हो गई। पञ्जाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को छोड़कर १९४२ की जन-क्रान्ति सारे भारत में तेजी से फैल गई। ५०० डाकखानों, २५० रेल-वे स्टेशनों और १५० थानों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया। ३१ सिपाही मार डाले गए। बिहार में कई सप्ताह तक रेल यातायात बन्द रहा। श्रमिकों ने भी हड़तालें कीं। टाटा की लोहे की फैक्टरी के सब मजदूर १४ दिन तक हड़ताल पर डटे रहे। सतारा और मिदनापुर जैसे कतिपय स्थानों में समानान्तर राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना की गई। सरकार ने अपनी ओर से आन्दोलन का नृशसतापूर्वक दमन करने में कुछ उठा न रक्खा। जगह जगह लाठी-चार्ज हुए और ब्रैगनों से गोलियाँ चलाई गईं। पाच स्थानों पर हवाई जहाज से भीड़ पर गोली वर्षा की गई। सरकारी आकड़ों के अनुसार ६५८ व्यक्ति मारे गये लेकिन इस सख्या में वे मृतक सम्मिलित नहीं, जिन्हें भीड़ हटा कर ले गई थी। इस दमनचक्र ने खुले विद्रोह को तो दबा दिया लेकिन भूमिगत आन्दोलन कई महीनों तक चलता रहा और जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया तथा अरूणा आसफ़अली तुल्य समाजवादी नेताओं ने उसका मार्ग-दर्शन किया।

महात्मा गान्धी ने आगाला किले से, जहाँ उन्हें गिरफ्तार करके रक्खा गया था, जनता के पागलपन और सरकार की पाशबिकता को आहत हृदय से देखा। १९४३ की अंतिम तिथि को उन्होंने वायसराय को एक पत्र लिखा

और उसमें इस आरोप को अस्वीकार किया कि कांग्रेस हिंसा के विस्फोट के लिए उत्तरदायी है। पत्र में उन्होंने समझौते की बातचीत करने का भी प्रस्ताव उपस्थित किया। लेकिन वायसराय ने जो कुछ हो चुका था, उस सबके लिए उन्हें और कांग्रेस को उत्तरदायी ठहराया। पत्र-व्यवहार का कोई फल नहीं निकला। महात्मा गांधी इस स्थिति को सहन नहीं कर सके। उन्होंने १० फरवरी, १९४३ को २१ दिन का उपवास प्रारम्भ कर दिया। उनकी वृद्धावस्था और दुर्बल स्वास्थ्य को देखते हुए उनके उपवास ने जनता को अपार चिन्ता में डाल दिया। लेकिन उनका उपवास, सकुशल समाप्त हो गया जो कि डाक्टरों की राय में चमत्कार से कम नहीं था। आगे के बारह महीनों में उनके विश्वस्त मंत्री महादेव देसाई और पतिव्रता स्त्री कस्तूर बा का देहान्त हो गया। अप्रैल १९४४ में वे ज्यादा बीमार हो गये और सरकार ने उन्हें ६ मई १९४४ को कारावास से मुक्त कर दिया।

महात्मा गांधी का
उपवास(फरवरी-
१९४३) और
उनकी कारावास
से मुक्ति
(मई १९४४)

१०१. वैविल-योजना और शिमला-सम्मेलन(जून-जुलाई, १९४५)

अक्टूबर, १९४३ में लार्ड लिलिन्थगो का कार्यकाल समाप्त हो गया और लार्ड वैविल भारतवर्ष के वायसराय हुए। अपनी नियुक्ति के कुछ ही समय बाद उन्होंने घोषणा की कि "मैं अपने थैले में बहुत सी चीजें ला रहा हूँ।" लार्ड वैविल ने इस बात का भी अस्पष्ट संकेत दिया कि वे अपने साथ भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने थैले की १४ जून, १९४५ तक नहीं खोला। इसके पूर्व उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की और सम्राट की सरकार से सलाह मशविरा किया। अब वायसराय के थैले से एक नयी योजना निकली। इस योजना का, जिसे भारतीयों ने बाद में एक और घूर्तता कह कर तिरस्कृत कर दिया, परीक्षण करने के पूर्व उन परिस्थितियों की ओर ध्यान देना आवश्यक है, जो उसकी पृष्ठभूमि में थी। यूरोप में लड़ाई समाप्त हो गयी थी और मित्रराष्ट्रों को विजय प्राप्त हुई थी। इंग्लैंड में साधारण निर्वाचन निकट थे। इंग्लैंड का लोकमत श्रमिक दल की ओर झुकता जा रहा था। श्रमिक दल भारत के सम्बन्ध में एक नयी नीति का प्रतिपादन कर रहा था, उसका कथन था कि भारत को स्वतन्त्रता मिल जानी चाहिए। चर्चिल की अनुदार दलीय सरकार इस घटनाचक्र को बेचैनी से देख रही थी। ११ नवंबर, १९४२ को जिन चर्चिल ने कहा था "मैं सम्राट का प्रथम मन्त्री ब्रिटिश साम्राज्य का दिवाला निकालने के लिये नहीं बना।" वे बदल नहीं गये थे। हिंसक पशु कमी एकादशी का व्रत नहीं करता। लेकिन चर्चिल ठहरे राजनीति-प्रसाङ्गे

नई योजना की
पृष्ठभूमि

के कुशल मत्त । उन्होंने मतदाताओं की सहानुभूति श्रमिक दल की ओर से अपनी ओर करने के लिये एक निर्वाचन-जाल की आवश्यकता समझी । यही वेविल योजना और शिमला-सम्मेलन की पृष्ठभूमि है ।

१४ जून १९४५ को लार्ड वेविल ने भारतीय जनता के नाम एक भाषण ब्राड-कास्ट किया । उसमें उन्होंने अपनी जिस योजना की घोषणा की, उसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीः—(१) ब्रिटिश सरकार भारत के राज-नीतिक गतिरोध को दूर करना व उसे “स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना” चाहती है । (२) इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुये वायसराय की कार्यकारिणी-परिषद के सदस्यों की एक नई सूची तय्यार की जाय जिनके सब सदस्य-स्वाली वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर (जो युद्ध मन्त्री बना रहेगा) भारत के राजनीतिक नेता हों । (३) वैदेशिक मामलों का विभाग (सीमान्त और कबायली मामलों को छोड़कर) परिषद के भारतीय सदस्य के हाथ में होगा । (४) परिषद में सर्वर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों की समान सख्या होगी । * (५) कार्यकारिणी परिषद अन्तर्कालीन राष्ट्रीय सरकार के करीब होगी और गवर्नर जनरल “निषेधाधिकार का प्रयोग अकारण नहीं करेगा ।” (६) गवर्नर जनरल की दोहरी स्थिति से उनके भारत सरकार के प्रधान और साथ ही ब्रिटिश हितों के प्रतिनिधि होने के कारण, जो दुविधा उत्पन्न हो सकती है, उसे दूर करने के लिये अन्य उपनिवेशों के समान भारत में अंग्रेजी वाणिज्य तथा दूसरे हितों की रक्षा के करने के लिये हाई कमिश्नर नियुक्त किया जायगा । (७) इन प्रस्तावों से भारत के भावी स्थायी सविधान या सविधानों के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । उनकी रचना भारतीय अपने आप करेंगे ।

यह स्पष्ट है कि वेविल योजना ने लम्बे समय से चली आती हुई भारतीय स्वतन्त्रता की समस्या पर कोई हल पेश नहीं किया । उसका कार्यक्षेत्र वर्तमान तक ही सीमित था और उसके प्रस्ताव वही थे जो कि क्रिप्स योजना का योजना के अन्तर्कालीन प्रस्ताव थे । क्रिप्स के दिनों में प्रश्न काबं क्षेत्र था—भारतीयों को कितनी शक्ति दी जाय । इस बार यह

*यहां भोलाभाई-लियाकत अली पैकट की, जिस पर ११ जनवरी, १९४५ को हस्ताक्षर हुए, चर्चा करना आवश्यक है । इस पैकटमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समानता के आधार पर केन्द्र में एक अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था । यह सोचा गया था कि इस समझौते को महात्मा गांधी की स्वी-कृति प्राप्त है ।

प्रश्न न होकर भारतीयों के बीच शक्ति अन्तर्गत न भागों में को बांट देने का प्रश्न था। मुख्य समस्या नयी कार्यपालिका परिषद की सदस्य संख्या की थी। वायसराय ने शिमला में २२ प्रतिनिधि भारतीयों का एक सम्मेलन* बुलाया। सम्मेलन २९ जून को आशामय वातावरण में प्रारम्भ हुआ। लेकिन "शीघ्र ही वह मतभेद जो सदैव पृष्ठभूमि में रहा था, फिर शिमला-सम्मेलन सम्मुख आ गया।"* कांग्रेस ने हिन्दू-मुस्लिम समानता की शर्त स्वीकार कर ली लेकिन मि० जिन्ना इस बात पर अड गये कि कार्यपालिका-परिषद के लिये मुस्लिम सदस्य मनोनीति करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को मिलना चाहिये कांग्रेस ने इस दावे का विरोध किया क्योंकि उसकी स्वीकृति का यह आशय होता कि कांग्रेस भी एक विशुद्ध हिन्दू संस्था है और उसका कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं है। पंजाब के मुख्य मन्त्री मलिक खिज़्र हयात खा ने भी मि० जिन्ना के दावे का विरोध किया। उन्होने इस बात पर बल दिया कि कार्यपालिका परिषद में पंजाब को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। लेकिन मि० जिन्ना किसी तरह समझौता करने के लिये राजी नहीं हुए।

मि० जिन्ना की हठधर्मी की चट्टान से टकरा कर शिमला सम्मेलन चूर-चूर हो गया। लार्ड वैविल ने चौदह जुलाई को उसके भंग होने की घोषणा कर दी। इस प्रकार वैधानिक गतिरोध को दूर करने की एक और चेष्टा निष्फल हो गयी। सफलता अथवा असफलता की कुजी एक बार फिर मुस्लिम लीग के हाथों में दी गई थी। मि० जिन्ना ने बैबिल योजना का तिरस्कार किया और उसे एक 'जाल' बताया जिस को स्वीकार करने से पाकिस्तान की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

सारांश

सितम्बर, १९३६ में द्वितीय विश्वयुद्ध का ज्वालामुखी फूट पड़ा और वायसराय ने केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विधानमण्डलों से परामर्श किये बिना ही यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विशुद्ध युद्ध में शामिल है। कांग्रेस ने इस अलोकतन्त्रात्मक कार्यवाही का घोर विरोध किया। उसने ब्रिटिश सरकार से माग की कि वह अपने युद्ध-उद्देश्यों को स्पष्ट करे। चूंकि इंग्लैंड कहने को स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र

*शिमला-सम्मेलन में जो व्यक्ति आमन्त्रित किये गये थे, उनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्षों के अलावा समस्त प्रान्तों के मुख्य मन्त्री और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, भूलाभाई देसाई, लियाकत अली खान, बी० शिबराज, और मास्टर तारा सिंह भी शामिल थे।

* शोलक : महात्मा गांधी, पृ. २६०

की रक्षा के लिये लड़ रहा था, इसलिये कांग्रेस ने इंग्लैंड से माग की कि वह भारत को स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित करदे। कांग्रेस की दृष्टि से स्वतन्त्रता की घोषणा इसलिये आवश्यक थी ताकि भारत की जनता को उस लड़ाई के बारे में, जो उसकी अपनी थी, उत्साह उत्पन्न हो जाय।

सरकार ने इस माग का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। सम्राट्, भारत-मन्त्री और गवर्नर जनरल सब ने वक्तव्य दिये लेकिन उनके वक्तव्यों में सब पुरानी बातें थीं और भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्न की कोई चर्चा नहीं की गई थी। फलतः आठों प्रांतों के कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिये।

अपने वक्तव्य द्वारा उत्पन्न किये गये तीव्र विरोध से परेशान होकर वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव (१९४०) की घोषणा करदी। भारत को वचन दिया गया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उसे औपनिवेशिक पद दिया जायगा और नये सविधान के निर्माण करने का उत्तरदायित्व भारतीयों के कंध पर होगा। जहा तक वर्तमान का सम्बन्ध था, वायसराय की बढी हुई कार्यपालिका-परिषद ने कुछ प्रतिनिधि भारतीयों को सम्मिलित करने और एक युद्ध-सलाहकार-परिषद की स्थापना करने की बात कही गई थी।

अगस्त प्रस्ताव से कांग्रेस को बिल्कुल सन्तोष नहीं हुआ और महात्मा गांधी के अनुसार उसने इंग्लैंड और भारत के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। वास्तव में वह जवाहरलाल नेहरू और सी. राजगोपालाचारी जैसे नेताओं की हलचलों के ऊपर, जो भारत की प्रतिरक्षा में सक्रिय सहयोग चाहते थे, एक प्रतिघात था।

महात्मा गांधी ने सीमित व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया जो केवल नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति था। इसमें अहिंसा के पालन पर विशेष बल दिया गया था और केवल कुछ छूटे हुए सत्याग्रहियों को सत्याग्रह करने की अनुमति दी गई थी।

दिसम्बर १९४१ में जापान लड़ाई में कूद पडा। इससे स्थिति पेचीदा बन गई। मित्र-राष्ट्रों को भारत का ऐच्छिक सहयोग नितान्त आवश्यक होगया। अमेरिकाके लोकमत ने इंग्लैंड के ऊपर यह दबाव डाला कि वह भारत के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करे। अमेरिकन लोकमत के दबाव में पडकर ब्रिटिश सरकार ने भारत के वैधानिक गतिरोधको दूर करने के लिये सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निश्चय किया। क्रिप्स योजना ने युद्ध के पश्चात् भारत की स्वतन्त्रता का वचन दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ पृष्ठ द्वार से पाकिस्तान की स्थापना करने की भी चेष्टा की। वर्तमान के सम्बन्ध में उसने कार्यकारिणी परिषद के भारतीयकरण का प्रस्ताव किया। लेकिन नई परिषद के साथ उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल का सा व्यवहार नहीं किया जाने को था। इसके

अलावा प्रतिरक्षा विभाग अंग्रेजों के ही हाथों में रहने को था। भारत के सभी राजनीतिक दलों ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया।

भारतवर्ष में लोगों की आम धारणा यह थी कि क्रिप्स-काण्ड जनता की आँखों में धूल भोकने का एक प्रस्तावमात्र था। जिस ढंग से समझौते की बातचीत भग हुई, उसने सारे देश में असन्तोष की एक लहर पैदा कर दी। ८ अगस्त १९४२ को कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ग्रहिमात्मक प्रणाली से आन्दोलन चलाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह कांग्रेस महासमिति के सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये और सारे देश में प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की घर-पकड़ शुरू हो गई। इसमें जनता उत्तेजित हो गई और वह अपना सन्तुलन खो बैठी। उसने कुछ हिमात्मक कार्यवाहियाँ कीं। सरकार ने अपने दमन-चक्र को पूरे वेग से चलाया और खुले विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन भूमिगत आन्दोलन कई महानों तक चलता रहा।

जून १९४५ में जर्मनी को पराभव होने पर युद्ध समाप्त हो गया। इंग्लैंड में अब साधारण निर्वाचन होने वाले थे और लोकमत का पलड़ा श्रमिक दल की ओर झुकता मालूम पड़ता था। ऐसी स्थिति में सरकार वैधिल योजना लेकर सामने आयी। इस योजना के ऊपर भारतीय नेताओं के साथ शिमला-सम्मेलन में विचार-विनिमय किया गया। योजना में भारतीय स्वतन्त्रता की समस्या के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला गया था। इसमें मुख्यतः वर्तमान के ही सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव थे और वायस-राय की कार्यपालिका-परिषद की पुनर्रचना की बात कही गयी थी। योजना में कहा गया था कि वायसराय और प्रधान सेनापति को छोड़कर नई परिषद के शेष सब सदस्य भारतीय होंगे, सवर्ण हिन्दुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। शिमला सम्मेलन बड़े आशामय वातावरण में प्रारम्भ हुआ था। लेकिन मि० जिन्ना की हठधर्मी के कारण असफलता के साथ समाप्त हो गया। मि० जिन्ना का कथन था कि कार्यपालिका परिषद के मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को ही मिलना चाहिये। कांग्रेस इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकी।

अध्याय १४

स्वतंत्रता और विभाजन

१०२. पृथक्तावाद से पृथक्करण की ओर

१९३८ में मुस्लिम राजनीति के प्रवाह की दिशा में एक नया और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। हम देख चुके हैं कि मुस्लिम पृथक्तावाद किस प्रकार अशतः देश की

मुस्लिम राजनीति
में एक नया
मोड़

सामाजिक-आर्थिक दशाओं से लेकिन मुख्यतः आंग्ल-भारतीय नौकरशाही के प्रोत्साहन से प्रादुर्भूत होकर भारत के राष्ट्रवादी आन्दोलन की प्रगति में रोड़े घटका रहा था। १९३८ तक मुस्लिम साम्प्रदायिकता की मांगे पृथक् निर्वाचक मण्डलों विधान मण्डलों में भारावनत प्रतिनिधित्व और

लोक-सेवाओं में सरक्षणों तक ही सीमित थी। मि० जिन्ना की दोह शर्तें दस वर्ष तक राष्ट्रवादी दल से पृथक् रहने वाले मुसलमानों की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती रही। ये मांगे राष्ट्र विरोधिनी होते हुए भी मयुक्त भारत की मान्यता पर आश्रित थी। दूसरी गोलमेज परिषद के अक्षर पर मुस्लिम प्रतिनिधियों ने रहमत अली की पाकिस्तान सम्बन्धी योजना के बारे में कहा था कि यह तो खाली 'छानों की योजना' है और सर्वथा 'काल्पनिक तथा अभ्यवहार्य' है। जब १९३५ का अधिनियम पास हुआ, मि० जिन्ना ने प्रस्तावित संघ को "पूर्णतः अस्वीकार्य" बताया। लेकिन उनका आक्षेप यह नहीं था कि अधिनियम ने पृथक् मुस्लिम राज्य की मान्यता को स्वीकार नहीं किया, अपितु यह था कि उसने जैन्य उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की।

"१९३८ के जाड़े के पश्चात् मुसलमानों के मन में एक नया और विध्यात्मक सिद्धान्त आकार ग्रहण करने लगा।"* यह नया सिद्धान्त द्विराष्ट्र सिद्धान्त था।

विभाजन की
मांग

मुस्लिम लीग ने देश के विभाजन की मांग सामने रखी। अब भारतीय मुसलमान 'सम्प्रदाय' या अल्पसंख्यक वर्ग नहीं रहे, वे अनायास ही पूर्ण विकसित राष्ट्र बन गए

* रूपलैंड- इंडिया, प रिस्टेमेन्ट पृ. १८८

जिसे दो सख्तों वाले पाकिस्तान के रूप में अपने लिए एक राष्ट्रीय गृहदेश की मांग करने का अधिकार प्राप्त था। मि० जिन्ना 'कायदे आज़म' हो गये और संयुक्त भारत के आधार पर समझौते के सारे प्रयत्न उनके हठ-धर्म की चट्टान से टकरा कर चूर चूर हो गए।

१०३. पाकिस्तान की मांग को जन्म देने वाले कारण

विभाजन की मांग का अभिप्राय भूतकाल से स्पष्टतः सम्बन्ध-विच्छेद था। लेकिन यह ठीक ही कहा गया है कि पाकिस्तान पृथक्तावाद की नीति का स्वाभाविक निष्कर्ष था। "मुस्लिम लीग ने अपने भवन को रक्षा-कवचों की बढ़ती हुई खुराकों तथा अन्य बहुत सी तरकीबों द्वारा उत्ते- "मुस्लिम लीग की राजनीति की तर्कना में विद्यमान" जित की गई पृथक्तावादी भावना की नींव पर खड़ा किया था।" * रक्षा-कवचों द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता था, १९३७ तक वह सब प्राप्त कर लिया गया था। मुस्लिम लीग एक प्रतिक्रियावादी संस्था थी, उसके ऊपर मुस्लिम नरेशों, जमीन्दारों, उद्योगपतियों तथा अन्य दूसरे प्रतिगामी तत्वों का नियन्त्रण था। उसके पास सामाजिक और आर्थिक सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं था फिर वह मुस्लिम जनता को किस प्रकार अपनी और आकृष्ट करती? उसके ऊपर किस प्रकार अपना प्रभाव जमाती? स्पष्ट है कि एक नये नारे की आवश्यकता थी। "पृथक् मत, पृथक् निर्वाचक-मण्डल, पृथक् प्रान्त, स्टेट्यूटरी रक्षा-कवच सबकी मांग की जा चुकी थी और पूरी हो चुकी थी। अगला तर्क सम्मत कदम... पृथक राज्यों की मांग करना था। यह मुस्लिम लीग की राजनीति की तर्कना में विद्यमान था।" † पाकिस्तान की मांग चाहे ताकिक दृष्टि से मूर्खतापूर्ण, भौगोलिक दृष्टि में दुर्बल, आर्थिक दृष्टि में विनाशकर और अल्पमध्यक वर्गों की समस्या के समाधान के रूप में सर्वथा अस्वीकार्य ही क्यों न रही हो, परन्तु वह हिन्दू मुस्लिम तनाव को अवश्य ही प्रचण्ड रख सकती थी और मुस्लिम जनता को लीग के झण्डे के नीचे एकत्र करनेमें समर्थ थी।

यह सही है कि पृथक्तावाद का 'तर्क' मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के लक्ष्य की ओर खींच रहा था, लेकिन हमें यह भी न भूलना चाहिये कि कतिपय अन्यान्य कारणों ने इस प्रक्रिया की गति तीव्र कर दी। इन कारणों में से एक कारण १९३५ के अधिनियम के अधीन कांग्रेस कांग्रेस और संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने का प्रश्न था। ऐसा मालूम पड़ता है कि १९३७ के निर्वाचन के पूर्व कांग्रेस लीग सहयोग के बारे में

कांग्रेस और संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने का प्रश्न

* मेहता और पटवर्धन- दि कम्युनल ट्रायंगल, पृ. ११६

† मेहता और पटवर्धन- वही, पृ. ११६

कुछ अस्पष्ट सा समझौता था। मि० जिन्ना ने स्वतन्त्र दलों के बीच जैन्य सहयोग के आधार पर कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा था, “वस्तुतः इस समय कांग्रेस और लीग में किसी प्रकार का कोई सारभूत अन्तर नहीं है ..। हम कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में सदैव सहर्ष सहयोग देंगे।” * लीग “विश्वास पूर्वक यह आशा करती थी कि उससे कांग्रेस के साथ संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये कहा जायगा।” † कांग्रेस के पास स आशानुरूप आमंत्रण आया। लेकिन कांग्रेस ने संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाने के लिये लीग के सामने (य० पी०) में कुछ शर्तें रखीं। वे शर्तें निम्न लिखित थीं, “मुस्लिम लीग गुट..... एक पृथक् गुट की तरह काम करना बन्द कर देगा.....। संयुक्त प्रान्त की विधान सभा में मुस्लिम लीग के जो वर्तमान सदस्य हैं, वे कांग्रेस दल के भाग हो जायेंगे और ... उन्हें कांग्रेस दल का नियन्त्रण व अनुशासन मानना होगा। ... संयुक्त प्रान्त का मुस्लिम लीग सासद निकाय भंग कर दिया जायगा और भविष्य में इस निकाय द्वारा किसी भी उप-निर्वाचन में सदस्य रूडे नहीं किये जायेंगे।” ‡ “वैधानिक दृष्टि से और साधारण सासद मापदण्डों द्वारा कांग्रेस की कार्यवाही का औचित्य सिद्ध किया जा सकता था। * चूँकि कांग्रेस के पास बहुमत काफी था, अतः वह मुस्लिम लीगियों को अपनी शर्तों के अन्वय किन्हीं शर्तों पर लेने पर दाय्य नहीं थी। कांग्रेस का विश्वास था कि उसकी शर्तें मन्त्रिमण्डल के अनुशासन की दृष्टि से आवश्यक थीं। इनके द्वारा मन्त्रिमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर काम कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस के अलोचकों ने उसे ‘विजयोन्मत्त’ बनाया। मुस्लिम लीग ने इन शर्तों पर, जिनका अभिप्राय उसका विघटन और कांग्रेस में विलीनीकरण था, सहयोग देने से इनकार कर दिया।

यह सदिग्ध है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जैन्य सहयोग किसी प्रकार व्यावहारिक था। तथापि, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि मन्त्रिमण्डल में हिस्सा न मिलने में मुस्लिम लीग अत्यन्त अमनुष्य हुई। उपलब्ध के अनुसार यह मि० जिन्ना का “प्रत्यक्ष तिस्कार था।” † उन्होंने कहा- “मुझे समान कांग्रेस सरकार की अधीनता में न तो न्याय की ही और न उसके साथ समान व्यवहार की ही आशा कर सकते हैं।” किसी समय उन्हें हिन्दू-मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था, अब वे

* सय्यीद-जिन्ना, पृ. ५२२

† साइमण्डस- दि मेरिंग आरु पाकिस्तान, पृ. २३

‡ दि हिन्दुस्तान टाइम्स ३० जुलाई १९३०

* साइमण्डस- वही, पृ. ५४

‡ कूपलैंडः इंडिया, ए रिस्टेंटमेंट पृ. १२३।

कायदे-आजम, "साम्प्रदायिक अहंकार और कलह के प्रतीक" हो गये। उन्होंने कांग्रेस की कठोर से कठोर आलोचना शुरू कर दी, उसे फासिस्ट हिन्दू संस्था बताया और कहा कि वह 'देश के अन्य दलों, विशेषकर मुस्लिम लीग को कुचलने पर तुली हुई है।' भारतीय इतिहास के एक युग-विधायक अवसर पर समन्वयमूलक रख ग्रहण करने में कांग्रेस की असफलता का उल्लेख करते हुए साइमन्स ने लिखा है, 'पाकिस्तान के निर्माण में इससे अधिक और किसी एक घटना ने सहायता नहीं दी।' यह कथन स्पष्ट-प्रतिशयोक्ति है, फिर भी इसमें सत्य का थोड़ा सा अंश अवश्य है।

जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रारम्भ किए गये कांग्रेस के जन-सम्पर्क आंदोलन ने भी मुस्लिम लीग को विद्रोही बना दिया। कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया कि देश के सामने असली समस्या साम्प्रदायिक नहीं, अपितु आर्थिक है और मुस्लिम जनता को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। कुछ समय तक यह आंदोलन जोरो से चला और कांग्रेस में मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन शीघ्र ही इसकी प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिये एक चुनौती समझा। मि० जिन्ना के अनुसार इस आंदोलन का नक्ष्य मुसलमानों में फूट डालना, उन्हें दुर्बल करना और उन्हें अपने विश्वसनीय नेताओं से पृथक् करना था। लीग के पास कोई आर्थिक कार्यक्रम तो था नहीं, फलतः उसने 'इस्लाम खतरे में है' का नारा बुलन्द किया और 'तर्क-विहीन अपीलकी टेकनीक' का आश्रय लिया।[†] उसने कांग्रेस के विरुद्ध जी खोलकर प्रचार किया, उसे प्रत्यक्ष सिद्ध हिन्दू तानाशाही बताया जिमकी अधीनता में मुसलमानों की स्थिति गुलामी से भी बदतर हो गई थी। मुस्लिम लीग इम तथ्य को जानबूझ कर भूल गई कि कांग्रेसी प्रांतों के कुल ३५ मन्त्रियों में से ६ मन्त्री मुसलमान थे और ५ मन्त्री दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधि थे।

मुस्लिम जनता के बीच उद्वेग की एक लहर व्याप्त ही जाय, इस आशय से मुस्लिम लीग ने हिन्दुओं के 'अत्याचार' का अपनी पूरी शक्ति के साथ ढिंढोरा पीटा। कांग्रेस को पद ग्रहण किये दृष्टे मुश्किल से घाठ महीने बीते होंगे कि मार्च १९३८ में मुस्लिम लीग ने पीरपुर के राजा साहब की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका उद्देश्य मुसलमानों, विशेष कर लीग के कार्यकर्ताओं के साथ किये गये दमन और अत्याचार की शिकायतों की जांच

हिन्दुओं के 'अत्याचार'
का
ढिंढोरा

[†] मेहता और पटवर्धन: वही, पृ. १२०।

करना था। १५ नवम्बर १९३८ को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में समिति ने मुसलमानों के कष्टों की एक लम्बी सूची दी और निष्कर्ष निकाला, 'बहुमत के अत्याचार से बढ़ कर और कोई अत्याचार नहीं हो सकता।' कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि अभियोगों की निष्पक्ष जांच करायी जाय लेकिन लीगने वायसराय से अन्याय निवारण करवाना अधिक श्रेयस्कर समझा। यह नहीं मालूम कि वायसराय ने लीग द्वारा कांग्रेस पर लगाये गये अभियोगों के ऊपर कोई कार्यवाही की या नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार का जो दृष्टिकोण था, उसे संयुक्त प्रान्त के गवर्नर सर हेरी हेग ने अपने पद से अलग हो जाने के बाद प्रकट किया। उन्होंने "कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के विवेक और विचारपूर्ण नीति की प्रशंसा की।"* प्रो. कूपलैंड ने भी, जो कि कांग्रेस के किसी प्रकार हिमायती नहीं हैं, लिखा है कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने साम्प्रदायिक अन्याय अथवा उत्पीड़न की नीति का बिल्कुल आश्रय नहीं लिया था।† मुस्लिम लीग का अपने निरर्थक अभियोगों की सचाई अथवा निष्पक्ष जांच की आवश्यकता से कोई नाता नहीं था। उसने उत्पीड़न की गाथा को मुस्लिम जनतापर अपना प्रभाव बनाये रखने और कांग्रेस को पराजित करने के लिए अत्यन्त उपादेयी पाया। दुर्भाग्यवश १९३७ और १९४२ के बीच के वर्षों में लीग की यह टेकनीक सफल हो गई। इस बीच मुस्लिम स्थानों के लिए जो ६१ उप-निर्वाचन हुए, उनमें लीग ने ४७ और कांग्रेस ने केवल ४ स्थान प्राप्त किये।

पाकिस्तान की माग के रूप में मुस्लिम पृथकतावाद की पराकाष्ठा के लिए कुछ अशो में हिन्दू-महासभा जैसे कतिपय सगठन भी दोषी हैं। प्रारम्भिक चरणों में महासभा के नेता पं० मदनमोहन मालवीय और लाला लाजपत-राय जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी थे और उसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की शक्ति को बढ़ाना था। १९२४ में अपने अध्यक्षीय भाषण में पं० मालवीय ने कहा था "यदि किसी हिंदू ने कांग्रेस का विरोध किया, तो यह लज्जा की बात होगी।" लेकिन धीरे-धीरे कट्टरपथी और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने महासभा के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। १९३७ में बी. डी. सावरकर ने हिंदू राष्ट्र के अपने सिद्धांत का प्रचार करना शुरू कर दिया। १९३६ में उन्होंने कहा, "भविष्य में हमारी राजनीति विद्युद्धत हिंदू राजनीति होगी।" इसमें कोई सदेह नहीं कि हिंदू साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद मुस्लिम पृथकतावाद की प्रतिक्रिया था। उसने साम्प्र-

* राजेन्द्र प्रसाद, खंडित भारत, पृ. २२५।

† कूपलैंड: इंडिया, प रिस्टेटमेंट पृ. १८५।

दायिक कलह की भाग तो नहीं फूकी, लेकिन उसकी ज्वालाओं को अवश्य ऊंचा रखा और मुसलमानों को पाकिस्तान की ओर बढ़ने में प्रेरित किया।

भारत के ब्रिटिश महाप्रभुओं ने साम्प्रदायिक विद्वेष की वृद्धि में सबसे अधिक योगदान दिया। उन्होंने भारत की इन दोनों जातियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा किया और इस अविश्वास को बढ़ाया। मेहता और पटवर्धन के शब्दों में, "पाकिस्तान का विचार अंग्रेजों का अंगन भारतीय नौकरशाही के लिए नया नहीं था।"* हाथ १९३९ में एडवर्ड थामसन ने बड़े विस्मय के साथ इस बात को नोट किया था कि "कनिषप सरकारी पदाधिकारी पाकिस्तान के विचार के प्रति बड़े उत्साही थे।" ‡ १९४० के पश्चात्, जब कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था, उसने ब्रिटिश सरकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्राप्त किया। अनुदार दल के भारतमन्त्री मि० एमरी पाकिस्तान की भाग के प्रति सहानुभति रखते हैं, ऐसा प्रख्यात था। अपने सार्वजनिक भाषणों में वे हिंदू मुसलमानों के मतभेदों का खूब जोरशोर से उल्लेख किया करते थे। एक अवसर पर उन्होंने कहा था "भारतीय स्वतन्त्रता के भावी आगार में कई भवनोंके लिये स्थान है।' यह हम पहले देख ही चुके हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव ने विभाजन की सम्भावना को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था। ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ताओं ने बाद की समस्त उद्घोषणाओं में खंडित भारत का निरूपण किया यद्यपि वे दिखाने को एकता के आदर्श के गीत गाते रहे।

१०४. द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त

मुसलमानों की पाकिस्तान की भाग और तथाकथित द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त का १९३७ और १९४० के बीच में विकास किया गया। मि० जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में (१९४०) अध्यक्षपद से भाषण देते हुए द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। सिद्धान्त का उन्होंने कहा, ये (हिन्दू धर्म और इस्लाम) शाब्दिक अर्थ में विवरण धर्म नहीं हैं प्रत्युत्तर ये दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक ब्यवस्थाएँ हैं। हिन्दू और मुसलमान कभी एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। हिन्दुओं और मुसलमानों के धार्मिक सिद्धान्त, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन और साहित्य एक दूसरे से सर्वथा पृथक हैं। उनका परस्पर रोटी बेटी

* मेहता और पटवर्धन: वही पृ; ७८।

‡ थामसन बनलिस्ट इंडिया फार फ्रीडम पृ० ५६।

का सम्बन्ध नहीं है। वस्तुतः दोनों की परस्पर विरोधी भावनाओं पर आधृत सम्यताएँ पृथक् पृथक् हैं। जीवन पर दोनों भिन्न प्रकार से विचार करते हैं। दोनों के जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण में अन्तर है। यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं और मुसलमानों को पृथक्-पृथक् ऐतिहासिक आधारों में प्रेरणा मिलती है। उनकी पुरातन गाथाएँ, उनके वीर और उन वीरों की कहानियाँ पृथक् पृथक् हैं। प्रायः एक का वीर दूसरे का शत्रु माना गया है और एक की विजय दूसरे की पराजय। ऐंसे दो दो राष्ट्रों को एक राज्य में गूथने का प्रयत्न, जिन्में एक अल्पसंख्यक है दूसरा बहुसंख्यक, अवश्य असन्तोष उत्पन्न करेगा और उस आशान व्यवस्था का अन्त करके छोड़ेगा, जो ऐसा राज्य चलाने का प्रयत्न करेगा।”*

इस सिद्धान्त ने उन सबकी, जो भारत के दो पृथक्, एक हिन्दू और एक मुस्लिम राज्यो के रूप में विभाजन के समर्थक थे, एक नया आधार दिया। अलीगढ़ के मुहम्मद प्रफ़ज़ल हुसैन कादरी और प्रोफ़ेसर जफ़रूल हुसैन ने यह दावा किया कि “भारत के मुसलमान स्वतः एक राष्ट्र हैं। हिन्दुओं तथा अन्य गैर-मुसलमान दलों से उनका राष्ट्रीय अस्तित्व सर्वथा भिन्न है। वस्तुतः सुडेटान जर्मन और चेको में जिनना पाथक्य था, उसमें कही अधिक पार्थक्य हिन्दुओं और मुसलमानों में है।”† अल हमजा ने कहा कि भारत एक देश नहीं है, उसमें कई देश हैं और इस लिये उस कई राष्ट्रों में विभक्त समझना चाहिये।‡

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त इस बात को लेकर चला था कि धर्म की भिन्नता ने हिन्दुओं और मुसलमानों का एक राष्ट्र के रूप में सगठित होना असंभव कर दिया है। यह धारणा सर्वथा निराधार थी। सिद्धान्त का आधार धर्म राष्ट्रीयता वस्तुतः एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है, यह पारस्परिक एकानुभूति की भावना है। इस एकानुभूति की भावना को जन्म देने वाले कई तत्व हैं, धर्म तो उनमें से केवल एक है। भौगोलिक और प्रजातीय तत्व, सामान्य भाषा और संस्कृति, सामान्य इतिहास और परम्पराएँ आदि तत्व भी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि करते हैं। जहाँ तक भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों का सम्बन्ध है, इनमें से अधिकांश तत्व उपस्थित हैं। भौगोलिक दृष्टि ने भारत सदैव ही एक प्रादेशिक इकाई रहा है। डा० बेनी

* राजेन्द्र प्रसाद द्वारा उद्धृत खंडित भारत पृ १-२।

† ” ” पृ, २।

‡ अल हमजा पाकिस्तान, ए नेशन, पृ ७।

प्रसाद ने ठीक ही कहा है, "संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं जिसे समुद्र और पगडों के कारण भारत जैसा अखंड रूप प्राप्त हो।" भारतवर्ष में धार्मिक भेदों के कारण प्रजातीय और भाषा सम्बन्धी एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक मद्रासी मुसलमान का किसी पंजाबी मुसलमान की अपेक्षा मद्रासी हिन्दू से अधिक निकट सम्बन्ध होता है। बंगाल के हिन्दू और मुसलमान एक भाषा बोलते हैं और यह भाषा सिन्ध के हिन्दुओं और मुसलमानों की भाषा से पृथक् होती है। दोनों ही जातियों ने सामान्य भारतीय सस्कृति के विकास में सहयोग दिया है। यह मिली जुली सस्कृति दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ का फल है। कविता और संगीत में, चित्रकला और शिल्पकला में हिन्दू और मुस्लिम परम्पराओं का स्वतन्त्रतापूर्वक मिश्रण हुआ है। हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच यदि कोई वास्तविक अन्तर है, तो है धर्म का। लेकिन यह साधारणतः स्वीकार किया जाता है कि केवल धर्म ही राष्ट्रीयता का अनिवार्य आधार नहीं है। और फिर अधिकांश भारतीय मुसलमान उन हिन्दुओं के वंशज हैं जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। क्या इसका यह आशय है कि धर्म बदल जाने से राष्ट्रीयता भी बदल जाती है ?

इसमें कोई मन्देश नहीं कि द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त एक राजनीतिक मूर्खता थी। लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति के क्षेत्र में वे, राजनीतिज्ञ, जो प्रत्येक मूल्य पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये कृतनिश्चय होते हैं, मूर्खताओं का अत्यन्त बुद्धिमत्ता से उपयोग करते हैं। भारतवर्ष में यही सिद्धान्त की दुर्बलता हुआ। भारतवर्ष में सांस्कृतिक समन्वय की साधना शताब्दियों में चली आ रही थी, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने उसमें बाधा पहुँचाई और फिर उनके मित्रों सम्प्रदायवादियों ने उसके विकास का पथ अवन्द किया। द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त, जो इस समन्वय-साधना की सभावना का ही निषेध करता था, साम्राज्यवादियों और सम्प्रदायवादियों की अभिसन्धि का नैसर्गिक निष्कर्ष था। राष्ट्रीयता मुख्य रूप से भावना का एक मामला है, मानस की एक स्थिति है, शताब्दियों के सामान्य जीवन द्वारा निर्मित सहयोग की एक अनुभूति है, उसे तर्क-विहीन परन्तु अनवरत भावुक शीलों द्वारा विभ्रष्ट किया जा सकता है। भारतवर्ष जैसे देश के बारे में, जहाँ की अशिक्षित जनता को चतुर और कृतसकल्प प्रचार द्वारा सुगमतापूर्वक धोखे में डाला जा सकता है, यह विशेष रूप से मत्ब है। मुस्लिम लीग के नेताओं ने मुस्लिम जनता की अशिक्षा और धार्मिक भावनाओं का पूरा लाभ उठाया और दुर्भाग्यवश उसमें एक पृथक् राष्ट्रवाद की चेतना का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। कोई आश्चर्य नहीं कि पाकिस्तान के नारे ने अधिकांश मुस्लिम जनता का सोत्साह समर्थन प्राप्त किया।

पाकिस्तान के समर्थको ने द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त के विरुद्ध एक शक्तिशाली तर्क की उपेक्षा की। यदि भारत के हिन्दू और मुसलमान बड़े राष्ट्र हैं, तो फिर पाकिस्तान की स्थापना होने के पश्चात् उन मुसलमानों का क्या होगा, जो राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग भारत में बच रहेगे ? क्या वे भारत में विदेशियों की तरह रहेगे ? पाकिस्तान में अमुस्लिमों का क्या होगा ? स्पष्ट है कि दोनों ही राज्यों में शक्तिशाली राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग शोष रहेगे ? लेकिन डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में: "राष्ट्रीय राज्य और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग-दोनों में परस्पर विरोध है।"*

मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय गृह की अपनी मांग को राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सुप्रसिद्ध सिद्धान्त पर आधारित किया। जे. एस. मिल ने इस सिद्धान्त का निम्न शब्दों में निरूपण किया है, "जहाँ एक राष्ट्रीयता किसी भी मात्रा में विद्यमान हो, उस राष्ट्रीयता के सब सदस्यों को एक ही शासन की अधीनता में, जो स्वयं उनका ही एक भाग हो, संयुक्त करने के लिए प्राइमफेसी वेस है। प्रथम महायुद्ध के दौरान में यह सिद्धान्त बहुत प्रख्यात हो गया और राष्ट्रपति विल्सन की चौदह शर्तों की आधारशिला बना। युद्ध के पश्चात् यूरोप के मानचित्र की नए सिरे से रचना की गई और राष्ट्रीयताओं की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए कई नए राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हुआ।

लेकिन अब कुछ समय में राजनीतिक विचारधारा का झुकाव 'एक राष्ट्र, एक राज्य' सिद्धान्त के विरुद्ध हो गया है क्योंकि यह अव्यावहारिक भी है और अवांछनीय भी। राष्ट्रीयताएँ एक दूसरे के साथ इतनी अधिक घुलमिल गई हैं कि वे सटे हुए प्रदेशों में निवास करती हुई कम पाई जाती हैं। समस्त विभिन्न जातीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्गों को निकाल कर किमी एकजातीय राष्ट्रीय राज्य का सृजन करना असंभव है। चाहे कुछ भी हो, छोटे छोटे प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य ऐटोमिक युग में अप्रचलित हो गये हैं। फलतः "आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता एक ऐसे राजनीतिक सिद्धान्त का सृजन करना है जिसमें राज्य और राष्ट्र सहव्यापी न हो।" फ्रीडमान के अनुसार, "राष्ट्रीयता अब राज्य के लिए आधार प्रदान नहीं कर सकती।" वस्तुतः रूस और स्विट्जरलैण्ड जैसे बहुराष्ट्रीय राज्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि एक संघीय राज्य की छत्रछाया में विभिन्न राष्ट्रीयताएँ शान्तिपूर्वक निवास कर सकती हैं। और अपनी विशिष्ट सस्कृतियों का विकास तथा सधारण कर सकती हैं। लेकिन

* राजेन्द्र प्रसाद, खंडित भारत पृ० ४५।

भारतवर्ष में मुस्लिम पृथक्तावादियों ने न तर्क की परवाह की और न इतिहास की। वे सर सय्यद अहमद खान के आदर्शों से, जिन्होंने कहा था कि हिन्दू और मुसलमान भारतमाता की दो आँखें हैं, काफी आगे निकल गये थे। यह भी स्मर्तव्य है कि द्वि-राष्ट्र सिद्धांत ने हिन्दू साम्प्रदायिक नेताओं के क्रियाकलापों और उद्घोषणाओं से भी बहुत कुछ प्रोत्साहन प्राप्त किया। १९३७ में वी. डी. सावरकर ने घोषणा की, “भारतवर्ष को एकात्मक और सहजातीय राष्ट्र नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत भारतवर्ष में मुख्य रूप से दो राष्ट्र हैं हिन्दू और मुसलमान।”* यह स्मर्तव्य है कि इसके एक ही वर्ष पश्चात् १९३८ में मुस्लिमलीग ने द्वि-राष्ट्र-सिद्धान्त को गम्भीरता पूर्वक उपस्थित किया।

१०५. पाकिस्तान के लिए आन्दोलन

बहुधा कहा जाता है कि भारतीय मुसलमानों के लिये एक पृथक राज्य का विचार कविवर इकबाल के मस्तिष्क में उद्भूत हुआ। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन (१९३०) में उन्होंने कहा था “कम से कम पश्चिमोत्तर भारत के मुसलमानों का अन्तिम भाग्य मुझे एक टुकड़ा पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की रचना प्रतीत होता है।”* इस विचार का विरोध और उपहास तक हुआ, परन्तु उसने कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले कनिष्ठ युवक मुस्लिम छात्रों की कल्पना को उत्तेजित किया। उनका नेता रहमतअली था। उसने सबसे पहले १९३३ में भारतीय मुसलमानों को ‘एक राष्ट्र’ के नाम से सम्बोधित किया और प्रस्तावित नए राज्य ‘पाकिस्तान’ के लिये एक योजना तय्यार की। रहमत अली के ‘पाकिस्तान’ में पञ्जाब पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, काश्मीर और बलूचिस्तान सम्मिलित करने का सुझाव था।

* हिन्दू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष-पद से दिया गया व्याख्यान।

*यह स्मर्तव्य है कि इकबाल ने केवल एक ऐसे स्वायत्त राज्य के सृजन की कल्पना की थी, जो भाषा-प्रजाति, इतिहास, धर्म और आर्थिक हितों की एकता के ऊपर आधारित हो। उन्होंने मुसलमानों के लिए किसी एक प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतंत्र राज्य अथवा राज्यों की मांग नहीं की थी। कूपलैण्ड के अनुसार वे सम्पूर्ण भारत का एक ऐसा विशाल संघ चाहते थे जिसमें कि, “केन्द्रीय सघीय सरकार केवल उन शक्तियों का उपभोग करती हो, जो कि उसके सघीय राज्यों की स्वतंत्र सहमति द्वारा निहित की जायें।” थॉमस एडवर्ड के साथ एक भेंट में इकबाल ने अपना यह विचार व्यक्त किया था कि “पाकिस्तान की योजना, ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम जाति और हिन्दू जाति सब के लिए घातक होगी।”

उसकी योजना में बंगाल और आसाम को मिला कर 'बंग-इ-इस्लाम' और हैदराबाद के राज्यक्षेत्र का 'उस्मानिस्तान' बनाने की भी चर्चा की गई थी। रहमत अली ने अपने विचार को लोक प्रिय बनाने के लिए एक आन्दोलन प्रारम्भ किया और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले पैम्प्लेटों को ब्रिटिश संसद के सदस्यों तथा गोलमेज परिषद में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में बांटा। तथापि उनकी योजना का कोई आदर नहीं हुआ और जफरुल्ला खा ने सयुक्त सांसद समिति के सामने भाषण देते हुये उसे "काल्पनिक तथा अव्यावहारिक" बता कर अस्वीकार कर दिया।

सच तो यह है कि १९३७ के पूर्व मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के विचार में कोई विशेष रुचि नहीं ली। निर्वाचन के पश्चात् जब लीग के नेताओं की सयुक्त मन्त्र-

मुस्लिम लीग
पाकिस्तान के लक्ष्य
को अपनाती है

मंडल की आशाएँ फलवती नहीं हुईं, तब उन्होंने 'इस्लाम खतरे में है' का नारा बुलन्द किया और मुस्लिम जनता को पाकिस्तान का इन्द्रजाल दिखाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की चेष्टा की। यह स्मर्त्तव्य है कि १९३७ के निर्वाचन में मुस्लिम लीग को करारी हार खानी पड़ी थी, विशेषकर

मुस्लिम बहुल प्रान्तों में। उदाहरणार्थ, बंगाल में वह ११९ मुस्लिम स्थानों में से केवल ३६ पर ही अधिकार कर सकी थी। पंजाब में उनमें ८६ स्थानों में से केवल १ को ही प्राप्त किया। १९३७ के पश्चात् मुस्लिम लीग की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी। इसलिये इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि १९३८ में सिन्ध प्रान्तीय मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए मि० जिन्ना ने भारत के विभाजन की मांग उपस्थित की। लेकिन यह मांग अभी प्रयोगात्मक थी और जनवरी, १९४० में मि० जिन्ना ने एक अंग्रेजी पत्र में लिखा "भारत में दो राष्ट्र हैं और दोनों को अपनी सामान्य मातृभूमि के शासन में भाग मिलना चाहिए।"* कूपलैंड ने ठीक ही लिखा है, 'भाग लेना पृथक्करण नहीं है और मि० जिन्ना ने अभी उस रेखा को पार नहीं किया था।'† लेकिन तीन महीने बाद ही उन्होंने पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया। अपने लाहौर-अधिवेशन (मार्च १९४०) में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि "भारत के पश्चिमोत्तरी और पूर्वी क्षेत्र जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को आपस में मिला कर स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित किया जाना चाहिये।" अपने अध्यक्षीय भाषण में मि० जिन्ना ने घोषणा की, "राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र हैं, अतः उनकी अपनी वासभूमि, अपना प्रदेश और अपना राज्य होना चाहिए।" इस

* टाइम पंड टाइम, १६ जनवरी, १९४०: कूपलैंड द्वारा उद्धृत: इंडिया ए रिस्टेब्लिमेंट, पृ. १६१।

† कूपलैंड वही, पृ. १६१।

अधिवेशन के कुछ ही समय बाद मि० जिन्ना ने एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमेरिका को एक 'इटरव्यू' दिया और उसमें कहा कि पाकिस्तान एक लोकतन्त्रात्मक संघीय राज्य होगा जिसमें पश्चिम में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बालूचिस्तान, सिन्ध और पंजाब व पूर्व में बंगाल और आसाम सम्मिलित होंगे ।

१९४० के पश्चात् "पाकिस्तान" मुस्लिम लीग की विचारधारा का केन्द्रविन्दु हो गया । भारतीय मुसलमानों की वैध आकांक्षाओं को तृप्त करने के उद्देश्य से व्यक्तियों तथा गुटों ने मुस्लिम लीग के सामने कई योजनाएँ रखी, लेकिन वह पाकिस्तान की मांग पर अग्रद के पैर की तरह जमी रही । पाकिस्तानकी योजना का स्वयं मुसलमानों के बीच ही पर्याप्त विरोध हुआ । अखिल भारतीय स्वतंत्र मुस्लिम सम्मेलन ने जिसका अधिवेशन खान बहादुर ग़ल्लाबख़्श की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ (अप्रैल, १९४०), पाकिस्तान की योजना की तीव्र आलोचना की और कहा कि यह योजना "मुसलमानों को एक 'पृथक्त्व-निरोधायन' में पटक देगी ।"* जमैयतुल-उलेमा-ए हिन्द भी पाकिस्तान की मांग की कट्टर विरोधी थी । उसका कथन था, "राष्ट्रीय दृष्टि से प्रत्येक मुसलमान भारतीय है ।" मजलिस-ए-अहरार-ए-हिन्द, पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के खुदाई खिदमतगार बलूचिस्तान के राष्ट्रवादी मुस्लिम, अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन और अखिल भारतीय शिया राजनीतिक सम्मेलन आदि दूसरी कई मुस्लिम सस्थाएँ पाकिस्तान के विरुद्ध थीं । जहाँ तक अ-मुस्लिमों का संबंध है, उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया था कि वे अपनी मातृभूमि की एकता को खंडित करने वाले प्रत्येक प्रयास का प्राणपण से विरोध करेंगे । पंजाब के सिक्ख अपने छोटे लेकिन पौरुषमय सम्प्रदाय के भविष्य के ऊपर विभाजन के सभाष्य परिणामों के बारे में विशेष रूप से शक्ति थे और उसका डट कर विरोध करने के लिये बद्धपरिक्कर थे । कांग्रेस, निसर्गत अखंड भारत के आदर्श की अनुगामिनी थी । जहाँ कांग्रेस ने स्वयं को मुस्लिम लीग की पाकिस्तान योजना के एकदम विरुद्ध घोषित किया वह अनिच्छुक जनता के ऊपर बलपूर्वक कांग्रेस का लादने के लिये तय्यार नहीं थी और प्रादेशिक आत्मनिर्णय दृष्टिकोण के सिद्धांत को मानती थी । लेकिन उसका कथन था कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में निराम करने वाले सभी लोगों के ऊपर लागू होना चाहिए । इसके विपरीत मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आत्म निर्णय का अधिकार केवल मुसलमानों को ही मिलना चाहिए । तथापि, पाकि-

* राजपूत द्वारा उद्धृत: मुस्लिम लीग, पृ. ६५ ।

विरोध की असफलता

स्ताम का विरोध दो मुख्य कारणों से असफल सिद्ध हुआ । सम्प्रदायवादियों ने अशिक्षित और अश्रद्धालु मुस्लिम जनता को हिन्दू तानाशाही का भय दिखाया और घृणाभाव का खुलकर प्रचार किया । भोलाभाली जनता उनकी बातों में आ गई । मुस्लिम लीग ने धार्मिक मदाब्धता और भावुक उन्माद का जो तूफान खड़ा कर दिया । विवेक की आवाज उसमें निश्शब्द हो गई । इसके साथ ही साथ ब्रिटिश अधिकारियों ने, जिन्होंने कि भारतवर्ष में जानबूझ कर भेद नीति से काम लिया, एकता बनाये रखने के सारे प्रयत्नों को निष्फल कर दिया । आगल भारतीय नौकरशाही ने मि जिन्ना को चंग पर चढा दिया और उनके उस पृथक्तावादी सघर्ष को, जिसने कि भारतीय स्वतन्त्रता को समस्या को जटिल व साम्राज्यवादी प्रयुक्त को दीर्घ कर दिया, अद्भुत तटस्थता के साथ निहारा ।

क्रिप्स-योजना और पाकिस्तान

पृथक्तावादियों के प्रति ब्रिटिश सहानुभूति क्रिप्स-प्रस्तावों (अप्रैल १९४२) में, जिनका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, स्पष्ट रूप से व्यक्त होती थी । क्रिप्स-योजना में कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद, भारत का नया सविधान बनाने के लिए एक सविधान-सभा की रचना की जायगी । यह मान लिया गया था कि, "यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त नए सविधान को स्वीकार न करना चाहे, तो उसे वर्तमान वैधानिक स्थिति को कायम रखने का अधिकार रहे किन्तु साथ में यह व्यवस्था भी रहेगी कि यदि वह प्रान्त बाद में चाहे तो सविधान में सम्मिलित कर लिया जाय । नए सविधान में सम्मिलित न होने वाले प्रान्तों को, यदि वे चाहें सम्राट की सरकार नया सविधान देना स्वीकार करेगी और उनका पद भी पूर्ण रूप से भारतीय सघ के समान ही होगा ।" स्पष्ट है कि योजना में पाकिस्तान की बात प्रकारान्तर से स्वीकार कर ली गई थी । कांग्रेस ने इस योजना को "भारतीय एकता की मान्यता के ऊपर कठोर आघात ठीक ही बताया । इस प्रकार, ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग के आन्दोलन के लिए हरी झण्डी दिखा दी और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच संयुक्त भारत के आघार पर समझौते के सब प्रयास निष्फल कर दिये । इस गतिरोध ने शंकर जी के पिनाक का रूप धारण कर लिया और मुस्लिम लीग की हठधर्मों के कारण उसके निवारण के समस्त प्रयत्न असफल हो गये ।

१९४४ में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी न गतिरोध को दूर करने की एक असफल चेष्टा की । उन्होंने एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसे महात्मा गान्धी का समर्थन प्राप्त

या यद्यपि बाद में कांग्रेस ने उसका विरोध किया। इस प्रस्ताव ने पाकिस्तान के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया और इसमें निम्न बातें थी: (१) मुस्लिम लीग स्वतन्त्रता सम्बन्धी भारत की मांग को स्वीकार करेगी और सक्रमण-काल के लिये अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी। (२) युद्ध के पश्चात् एक कमीशन नियुक्त होगा, जो भारत के उत्तर-पश्चिम और उत्तर पूर्व की ऐसी सीमाएं निश्चित करेगा जिनमें मुसलमान स्पष्टतः बहु-संख्यक हों। इन क्षेत्रों के समस्त निवासियों का लोक-निर्णय यह निश्चित करेगा कि उन्हें भारत से अलग होना चाहिये या नहीं। (३) पृथक्करण की स्थिति में प्रतिरक्षा, यातायात, और दूसरे अनिवार्य प्रयोजनों के लिए समझौते किये जायेंगे। (४) ये शर्तें तभी लागू तथा स्वीकृत होगी जब कि ब्रिटिश सरकार भारत को सच्चा उत्तरदायित्व तथा सम्पूर्ण मत्ता हस्तांतरित कर दे।

राजगोपालाचारी
का
प्रस्ताव

मि० जिन्ना ने राजा जी की योजना को दृढतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इस योजना द्वारा प्राप्त होने वाले 'लगड़े और हीनाग' पाकिस्तान का तिरस्कार कर दिया और कहा कि मै सिन्ध, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, बलूचिस्तान, बंगाल और आसाम की अपनी मांग पर टस से मस नहीं होऊंगा। इसके अलावा वे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अ-मुस्लिम निवासियों को अपने भाग्य निर्णय में कोई आवाज देने के लिए तय्यार नहीं थे।

१०६. कैबिनेट मिशन और उसके बाद

१९४६ के बसन्त से भारत के वैधानिक और साम्प्रदायिक गतिरोध के निर्णयो का अन्तिम दौर प्रारम्भ हुआ। उस समय तक चर्चिल सरकार के स्थान पर एटली सरकार की स्थापना हो गई थी। भारतवर्ष में केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानमण्डलों के लिए साधारण निर्वाचन हो चुका था और उससे महत्वपूर्ण परिणाम प्रकट हुए थे। कांग्रेस ने केन्द्र और प्रान्तों में लगभग सभी हिन्दू स्थानों पर विजय प्राप्त करली थी। इसी तरह मुस्लिम लीग ने कुल ४६५ मुस्लिम स्थानों में से ४४६ स्थानों पर अधिकार कर लिया था। उसे यदि कहीं असफलता प्राप्त हुई तो केवल पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में। लीग को मन्त्रिमण्डल बनाने में केवल बंगाल और सिन्ध में असफलता मिली लेकिन उसकी निर्वाचन विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि मुस्लिम जाति समग्र रूपसे उसकी पाकिस्तान की मांग का समर्थन करती है।

जिस समय भारतवर्ष में निर्वाचन हो रहे थे, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने भारत के प्रति अपनी सरकार की नीति के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिये। एक वक्तव्य

में उन्होंने कहा कि "ब्रिटिश भारत के पूर्ण स्वतन्त्रता और यह निश्चय करने के कि वह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में रहे या न रहे, अधिकार को स्वीकार करती है।" अपने दूसरे वक्तव्य में उन्होंने घोषणा की कि "एक अल्पसंख्यक वर्ग को इस बात की छूट नहीं दी जा सकती कि वह बहुसंख्यक-वर्ग की राजनीतिक प्रगति के मार्ग में रोड़े भटकाये।" इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी सरकार के इस निश्चय की भी घोषणा की कि भारतीय समस्या का समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का एक शिष्टमण्डल भेजा जायगा।

कैबिनेट मिशन ने, जिसमें भारतमन्त्री लार्ड पैथिक लारेस, व्यापार मण्डल के प्रधान सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और फस्ट लार्ड ऑफ एडमिरेल्टी मि० ए. वी. एलेक्जेंडर शामिल थे, २३ मार्च, १९४६ को भारत में पदार्पण किया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने भारत आने के तुरन्त बाद ही यहाँ के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों से बातचीत आरम्भ कर दी। ५ मई को मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के चार-चार प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शुरू किया। लेकिन सम्मेलन किसी सर्वसम्मत सूत्र को निकालने में सफल न हुआ और अतः १३ मई को भंग हो गया। इस पर कैबिनेट मिशन ने १६ मई १९४६ के राज्य पत्र में अपने निजी प्रस्तावों की घोषणा कर दी।

राज्य-पत्र ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि एक प्रभुत्व-सम्पन्न मुस्लिम राज्य की स्थापना अब्ब्या-वहारिक है। कैबिनेट मिशन ने कहा कि पाकिस्तान "साम्प्रदायिक समस्या का ठीक समाधान" नहीं दे सकता।

कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव (क) पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हुए, उसने भारत के ऐसे एक सघ के निर्माण का प्रस्ताव किया जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रान्त और देशी राज्य दोनों सम्मिलित हों। भारत सघ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से अलग हो जाने के लिए स्वतन्त्र होगा। सविधान-सभा के बारे में मिशन ने बताया कि उसके सदस्यों के निर्वाचन का आधार साम्प्रदायिक होगा जिसके अनुसार प्रान्तीय विधान सभाओं के धार्मिक सम्प्रदायों को १० लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जायगा। यह सविधान सभा भारत के लिये एक सविधान बनायेगी जो कुछ शतों के अधीन होगा। इन शतों में एक यह थी कि भारत सघ

(ख) सविधान सभा

वैदेशिक मामलों, प्रतिरक्षा तथा यातायात का नियन्त्रण करेगा, दूसरे सब विषय तथा अविशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों में निहित होंगी। जब तक सविधान बनकर तय्यार हो, उस समय तक के लिये कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी अन्तरिम सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किया जिसे भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो और जिसमें सभी विभाग जनता के विश्वास पात्र नेताओं के हाथों में रहे।

(घ) भारत संघः
अन्तरिम
सरकार

कैबिनेट मिशन की योजना के सर्वाधिक विवादास्पद विषयों में से एक विषय वह था जो प्रान्तों के वर्गीकरण से सम्बन्ध रखता था। इस योजना के अनुसार प्रांतीय प्रतिनिधि, सविधान सभा के प्रारम्भिक अधिवेशन के पश्चात् तीन विभागों में बट जायेंगे। विभाग (क) में बम्बई, बिहार, मध्यप्रान्त, मद्रास, उड़ीसा और मयुक्तप्रान्त, विभाग (ख) में पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, पंजाब और सिन्ध तथा विभाग (ग) में आसाम और बंगाल सम्मिलित होंगे।

प्रांतों के वर्गीकरण
के ऊपर
बादानुवाद

यह स्पष्ट है कि अन्तिम दो विभागों में मुसलमानों का बहुमत था। इन विभागों को इस बात का निश्चय करना था कि प्रान्तों के लिये समूह-विधान की व्यवस्था की जाय अथवा नहीं और अगर ऐसा किया जाय तो समूह को किन विषयों का प्रबन्ध सौंपा जाय। लार्ड पैथिक लारेस के अनुसार कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में "तीन स्तरो, के सविधान की कल्पना की गई थी जिनमें सबसे ऊपर भारत संघ होगा। सबसे नीचे प्रान्त होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त हम यह भी सोचते हैं कि प्रान्त गुटों के रूप में इसलिये एक साथ सम्मिलित होना चाहेंगे कि सामूहिक रूप से वे एक प्रान्त की अपेक्षा और बड़े क्षेत्र की सवियों का संचालन कर सकें।"*

अपने प्रस्तावों के पैरा १५ (५) में कैबिनेट मिशन ने कहा था—“प्रान्तों को समूह बनाने की स्वतन्त्रता होगी और प्रत्येक प्रान्त-समूह यह तय करेगा कि कौन-कौन से विषय समान रूप से सामूहिक शासन में रहें।” पैरा १९ (५) में उसने कहा था, “ये विभाग अपने अपने समूह के प्रान्तों के सविधान को तय्यार करेंगे और यह भी तय करेंगे कि क्या उन प्रान्तों के लिये कोई सामूहिक सविधान तय्यार करना चाहिये, यदि ऐसा हो तो कौन से विषय सामूहिक सविधान के अन्तर्गत रहने चाहियें।” प्रस्तावों में यह भी कह दिया गया था कि प्रान्त को अपने समूह से निकल जाने का अधिकार होगा। नये संविधान के अन्तर्गत प्रथम निर्वाचन होने के पश्चात् नया प्रान्तीय विधान-मण्डल इस प्रकार का निर्णय कर सकेगा।

* मोहम्मद अशरफ द्वारा उद्धृत : कैबिनेट मिशन पब्लिशिंग, पृ. ५६

स्पष्ट है कि प्रान्तों के वर्गीकरण से सम्बन्ध रखने वाली धाराओं को बड़े गोल-गोल शब्दों में व्यक्त किया गया था। निसर्गत. कांग्रेस ने उनका कुछ और अर्थ लगाया तथा मुस्लिम लीग ने कुछ और। कांग्रेस के दृष्टिकोण से कांग्रेस और लीग के निवर्चनों में विरोध सपूहों का निर्माण ऐच्छिक था, समझौते की बातचीत के दौरान में कांग्रेस ने इस बात को बारम्बार कह दिया था कि वह उपसघो के निर्माण अथवा प्रान्तों के बाध्य वर्गीकरण के विरुद्ध है। मुस्लिम लीग इस निवर्चन से असहमत थी और उसने ब्रिटिश सरकार से स्पष्टीकरण की माग की। ब्रिटिश अधिकारियों के इस वचन के प्रतिकूल कि कैबिनेट मिशन की योजना का न निवर्चन किया जायगा और न उसमें कोई नयी चीज जोड़ी जायगी, ६ दिसम्बर ६ का बक्तव्य को ब्रिटिश सरकार ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जिसमें उसने मूल प्रस्तावों का सर्वथा नूतन अर्थ लगाया। अब उसने कहा कि प्रान्तों का वर्गीकरण योजना का एक अनिवार्य तत्व है और यदि कोई सर्वसम्मत समझौता न हो सके, तो विभाग का निर्माण उसके प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा हो जाना चाहिये। ब्रिटिश सरकार ने यह भी घोषणा की कि "यदि ऐसी सविधान-सभा-जिसमें भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग शामिल नहीं है, कोई सविधान बनावे तो सम्राट की सरकार भारत के अनिच्छुक हिस्सों पर बलपूर्वक लागू नहीं करेगी।" यह वक्तव्य ब्रिटिश सरकार के इस वचन का कि अल्पसंख्यक वर्ग को बहुसंख्यक वर्ग की राजनीतिक प्रगति के मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया जायगा, पूर्ण व्यतिक्रम था। यह कांग्रेस को वर्गीकरण से सम्बद्ध धारा के नये निवर्चन को मानने के लिये विवश करने की एक स्पष्ट चेष्टा थी।

इसी बीच में, जुलाई, १९४६ में सविधान-सभा के लिये निर्वाचन हुए। इन निर्वाचनों में कांग्रेस ने २०५ और मुस्लिम लीग ने ७३ स्थान प्राप्त किये। ९ दिसम्बर १९४६ को सविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। लीग द्वारा सविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग के सदस्यों ने उसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने लीग का सहयोग प्राप्त करने की यथासम्भव चेष्टा की। उसने ६ दिसम्बर वाले वक्तव्य को भी स्वीकार कर लिया और ७ जनवरी १९४७ को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने यह प्रस्ताव पास किया कि सविधान-सभा को "विभागों में अनुसरण की जाने वाली कार्यपद्धति के विषय में ब्रिटिश सरकार की व्याख्या स्वीकार कर लेनी चाहिये।" लेकिन इसके साथ ही साथ उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि "इसके कारण किसी प्रांत पर अनुचित दबाव न पड़ना चाहिए और पंजाब में सिक्खों के

अधिकार सुरक्षित रहने चाहिये।" परन्तु लीग ने इस आधार पर कि कांग्रेस ने १६ मई वाले वक्तव्य को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है, संविधान सभा का अपना बहिष्कार वापिस लेने से इनकार कर दिया।

१०६. अन्तरिम सरकार का निर्माण

१६ मई के वक्तव्य वाली अपनी सिफारिशों के प्रकाशन के तुरन्त बाद ही कैबिनेट मिशन और वायसराय ने योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एक अन्तरिम सरकार के निर्माण के लिये बातचीत शुरू कर दी। चू कि कांग्रेस और लीग दोनों ने ही १६ मई के वक्तव्य को स्वीकार कर **कठिनाइयाँ** लिया था, अतः आशा की जाती थी कि अन्तरिम सरकार की स्थापना में कोई विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। तथापि, अवसर पर कठिनाइयाँ उठ खड़ी हुईं। सरकार में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित हो इस प्रश्न के ऊपर दोनों दलों में कोई समझौता नहीं हो सका। १६ जून १९४६ को वायसराय ने एक वक्तव्य निकाला और उसमें **१६ जून का वक्तव्य** कांग्रेस के ६, मुस्लिम लीग के ५ तथा दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों के ३ (एक सिख, एक पारसी और एक भारतीय ईसाई) प्रतिनिधियों को अन्तरिम सरकार में शामिल होने के लिये आमन्त्रित किया। विभागों के वितरण का प्रबन्ध वायसराय को कांग्रेस और लीग के नेताओं की मन्त्रणा से करना था। वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि दोनों प्रमुख दलों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा अन्तरिम सरकार में निर्दिष्ट आधार पर सम्मिलित होने की अनिच्छा प्रकट करने पर वायसराय का इरादा है कि वे अन्तरिम संयुक्त दलीय सरकार निर्माण के कार्य में अग्रसर रहे। जो लीग १६ मई का वक्तव्य स्वीकार करते हैं, यह सरकार उनका यथासम्भव अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व करेगी।

मुस्लिम लीग ने १६ जून के वक्तव्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने मांग की कि उसे अपने प्रतिनिधियों में एक राष्ट्रवादी **वार्ता-भंग** मुसलमान को सम्मिलित करने का अधिकार मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग ने इस मांग का डट कर विरोध किया, फलतः कैबिनेट मिशन ने उसे अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। लीग ने मांग की कि कांग्रेस के बिना ही सरकार का निर्माण होना चाहिये, लेकिन वायसराय ने इस प्रश्न को कुछ समय के लिये टाल देने का निश्चय किया। चू कि १६ मई के वक्तव्य को दोनों ही प्रमुख दलों ने स्वीकार किया था, अतः वायसराय दोनों ही दलों का प्रतिनिधित्व

करने वाली सरकार का निर्माण करने के लिये बचनबद्ध थे। अस्थाई व्यवस्था के रूप में वायसराय ने राजकर्मचारियों की एक रक्षक सरकार की स्थापना की। इस पर मि० जिन्ना अत्यन्त क्रुद्ध हुये और उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर विस्वासघात का दोषारोपण किया। २९ जुलाई को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों की अपनी स्वीकृति को वापिस ले लिया और हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान के लिये क्रमशः दो पृथक सविधान सभाओं की अपनी पुरानी माग को फिर से दुहराया। उसने मुसलमानों से अनुरोध किया कि वे अपनी पदवियां त्याग दे तथा अपनी कार्यसमिति को अधिकार दिया कि वह "पाकिस्तान प्राप्त करने... तथा अंग्रेजों की वर्तमान दासता व सर्वार्थ हिन्दुओं के भावी प्रभुत्व से छूटकारा पाने के लिए" तत्काल प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का एक कार्यक्रम तय्यार करे।

चूं कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना के अधीन प्रस्तावित अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को अस्वीकार कर दिया, अतः ६ अगस्त १९४६ को वायसराय ने कांग्रेस को इस बात का आमन्त्रण दिया कि वह उन्हें केन्द्र में अन्तरिम सरकार के निर्माण-कार्य में सहायता दे। कांग्रेस ने यह आमन्त्रण स्वीकार कर लिया और सहयोग के लिये लीग से पुनः अनुरोध किया। लेकिन लीग टस से मस नहीं हुई। इस पर २ सितम्बर को अन्तरिम सरकार की स्थापना हो गई और जवाहरलाल नेहरू उसके उपाध्यक्ष नियुक्त हुए।

इसी बीच में घटना-चक्र प्रभजन की गति से आगे बढ़ चुका था। मुस्लिम लीग ने १६ अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही का दिन निश्चित किया था। बंगाल सरकार ने इस दिन सार्वजनिक छुट्टी कर दी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को कलकत्ता और मिलहट में गम्भीर उपद्रव हुए। कलकत्ते के नरमेघ में लगभग ७००० व्यक्ति मारे गए। इसी प्रकार सिलहट और ढाका में भी भयंकर रक्तपात हुआ। हिंसा की आग पूर्वी बंगाल में जा पहुंची। नोआखाली और टिपरा में जो अत्याचार और रक्तपात हुआ "उसने चारों ओर आतंक पैदा कर दिया...। नारी-निर्यातन, बलपूर्वक विवाह, बलात्कार, जबरन धर्म-परिवर्तन, घरों में आग लगा देने, उन पर सामूहिक हमले और प्रसिद्ध परिवारों के इन हमलों में शिकार होने से पूर्वी बंगाल में जो अविश्वास फैल गया था, वह तीन वर्ष पूर्व अकाल में हुई सामूहिक मृत्युओं से कहीं अधिक भीषण था।"* केन्द्रीय सभा में वक्तव्य देते

* पट्टाभि सीतारामय्याः दि हिस्ट्री ऑफ़ दि काँग्रेस, भाग २, पृ ८०६

हुए पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने साफ कह दिया कि दंगे मुस्लिम लीग की पहल और उत्तेजना दिलाने से हुए हैं।

कांग्रेस द्वारा नियन्त्रित अन्तरिम सरकार की स्थापना पर लीग बहुत बेचैन हो रही थी। वायसराय लॉर्ड वेवल भी लीग को अन्तरिम सरकार में लानेके लिये अत्यन्त उत्सुक थे। वार्ताओं के दौरान में उन्होंने सदेहास्पद नीति से काम किया था और अक्टूबर में वे मुस्लिम लीग के पांच मनोनीत सदस्यों को, बिना उससे इस बात का स्पष्ट वचन लिये कि वह सविधानसभा के कार्य में सहयोग देगी, अन्तरिम सरकार में शामिल करनेके लिए सहमत हो गये। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने सविधान सभा के कार्य में कोई सहयोग नहीं दिया।

मुस्लिम लीग का
अन्तरिम सरकार
में प्रवेश

१०८. अंग्रेजों का भारत छोड़ने का निश्चय

जैसा कि शका की जाती थी, अन्तरिम सरकार में कांग्रेस-लीग की संयुक्तता ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। साम्प्रदायिक हालत तेजी से बिगड़ गई। बंगाल में जो उपद्रव हुए थे, बिहार, गढ़मुक्तेश्वर (यू. पी.), लाहौर और रावलपिंडी (पश्चिमी पंजाब) में उनकी भीषण प्रतिक्रिया हुई। सम्पूर्ण प्रशासन छिन्न-भिन्न हुआ जा रहा था। गृह युद्ध के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे थे। मुस्लिम लीग ने हलाकू और चगेज़ खाँ के दिनों को पुनरुज्जीवित करने की जो धमकी दी थी, वह मूर्तरूप धारण करती हुई प्रतीत होती थी।

बिगड़ी हुई
परिस्थिति

ब्रिटिश सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की स्थिति अब उसके काबूसे बाहर निकल गई तथा निर्यात करने में जितना ही विलम्ब किये जायगा, उतनी ही यहाँ की हालत और खराब हो जायगी। उसने भारत के भाग्य को उसकी जनता के हाथों में छोड़कर यहाँ से चले जाने का निश्चय किया। प्रधानमंत्री एटली ने २० फरवरी १९४७ की महत्वपूर्ण घोषणा में इस निर्यात को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "सम्राट् की सरकार स्पष्ट रूप के अपने इस निश्चय को सूचित कर देना चाहती है कि वह जून १९४८ तक जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में शक्ति सौंपने के कार्य को सम्पन्न कर देगी।" यह घोषणा करते समय ब्रिटिश सरकार ने भाशा प्रकट की कि ब्रिटिश शक्ति के भारत से हट जानेकी बात भारतीय राजनीतिज्ञों के हृदय में आशुबुद्धि पैदा कर देगी और उन्हें वास्तविकताओं का सामना करने तथा उचित समझौता निकालने की सामर्थ्य प्रदान करेगी। लेकिन घोषणा ने यह स्पष्ट

२० फरवरी १९४७
की घोषणा

कर दिया कि यदि सब प्रकार से प्रतिनिधित्वपूर्ण सविधान सभा जून १९४८ से पूर्व कोई संविधान न बना सकी, तो उस स्थिति में "सम्राट् की सरकार को यह विचार करना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय सरकार का दायित्व पूरे का पूरा, ब्रिटिश भारत की किसी केन्द्रीय सरकार को या विभक्त करके वर्तमान प्रातीय सरकारों को, अथवा किसी ऐसे ढंग से जो सर्वोचित तथा भारतीयों के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण हो, सौंपा जाय ।" सत्ता-हस्तांतरण के कार्य को सुगम करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने जो कदम उठाये, उनमें एक वायसराय लॉर्ड वैवल को वापिस बुलाना और उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त करना था ।

जैसा कि स्पष्ट है, २० फरवरी के वक्तव्य ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को प्रच्छन्न रूप से स्वीकार कर लिया था । निसर्गतः लीग ने अखंड भारत के आधार पर समझौता करने की कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की । उसका सविधान सभा का बहिष्कार चलता रहा और देश की राजनीतिक स्थिति अधिकाधिक बिगड़ती गई । नये वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सम्पूर्ण स्थिति का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया और निष्कर्ष निकाला कि देश की हालत सुधारने के लिये एक क्रांतिकारी उपाय का अवलम्बन ग्रहण करने की आवश्यकता है तथा वह क्रांतिकारी उपाय देश का विभाजन है । अतः उन्होंने भारत के 'काल्पनिक' विभाजन पर आघातित एक योजना तय्यार की । कांग्रेस ने आजीवन अखंड भारत के आदर्श के लिये सघर्ष किया था । परिस्थितियों से विवश होकर उसने अनुभव किया कि देश के विभाजन को स्वीकार करना ही ब्रिटिश दासता के अन्त करने और देश को गृहयुद्ध की लपटों से बचाने का एकमात्र मार्ग है । वस्तुतः विभाजन को स्वीकार करने का निर्णय उसके २ अप्रैल १९४६ वाले प्रस्ताव के अनुकूल ही था । इस प्रस्ताव में कहा गया था कि "कांग्रेस किसी प्रादेशिक इकाई की जनता को उसकी घोषित और दृढ़ इच्छा के विरुद्ध भारत में बने रहने के लिए विवश करने की भाषा में नहीं सोच सकती ।"

माउण्टबेटन-पंचाट की घोषणा ३ जून १९४७ को की गई । इसमें भारत और पाकिस्तान दो पृथक डोमिनियनों की स्थापना व बंगाल और पंजाब के विभाजन का निर्णय किया गया था । उसने अंग्रेजों के भारत से हटाने की तारीख को घटाकर १५ अगस्त, १९४७ कर दिया । पंचाट में कहा गया था कि बंगाल और पंजाब की विधान सभाओं में मुस्लिम और अ-मुस्लिम बहुल जिलों के जो प्रतिनिधि हैं, वे भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने के प्रश्न पर पृथक् मतदान

माउण्टबेटन-पंचाट

३ जून १९४७

देंगे। पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त और सिलहट (आसाम का मुस्लिम बहुल क्षेत्र) वयस्क मताधिकार पर आश्रित लोक निर्णय द्वारा अपने भविष्य का निर्णय करने को थे। सिन्ध में विधान-सभा समयरूप से इस प्रश्न पर मतदान देने को थी। बलोचिस्तान अपनी प्रतिनिधिक सस्थाओं की एक सयुक्त बैठक के द्वारा अपने भविष्य का निर्णय करने को था। इन व्यवस्थाओं के परिणाम पूर्व निश्चित थे। पंजाब के पश्चिमी और बंगाल के पूर्वी जिलों ने पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त सिन्ध और बलोचिस्तान ने भी यही किया। फलतः १५ अगस्त १९४७ को भारत और पाकिस्तान का दो स्वतन्त्र राज्यों के रूप में अवतरण हुआ। स्वतन्त्र भारत और पाकिस्तान की स्थापना अभूतपूर्व हत्याकाण्डों, लूटपाट, अपहरणों और बलपूर्वक जन-संख्या के हस्तांतरण के बीच हुई। इन पाशविकताओं के फलस्वरूप ५ लाख से अधिक व्यक्ति कालकलवित और एक करोड़ २० लाख से अधिक व्यक्ति गृहविहीन हुए। भारतीय इतिहास का यह दूषित अध्याय अभी जनता के स्मृति-पटल पर ताजा ही है, अतः उसका यहा विशद विवरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

१०६-१९४७ का भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम

माउण्टबेटन पचाट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने जुलाई १९४७ में भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पास किया। (१) इस अधिनियम ने १५ अगस्त १९४७ को भारत और पाकिस्तान दो प्रभुत्व-शक्ति-सम्पन्न राज्यों की स्थापना की और दोनों को औपनिवेशिक पद प्रदान किया। अधिनियम के यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश सरकार दोनों डोमिनियनों की सविधान-सभाओं को सत्ता हस्तांतरित कर देगी और इन सविधान-सभाओं को अपने अपने देशों के लिए इच्छानुरूप सविधान बनाने की स्वतन्त्रता होगी। (२) यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक डोमिनियन का डोमिनियन मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त एक एक गवर्नर जनरल होगा। अधिनियम ने यह उपबन्धित कर दिया कि गवर्नर जनरल और प्रान्तीय गवर्नर भविष्य में स्वेच्छाचारी शासकों के रूप में कार्य नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में उन्हें समस्त मामलों में, अपनी विवेकी शक्तियों और उत्तरदायित्वों के प्रयोग के सम्बन्ध में भी अपने मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। (३) प्रत्येक डोमिनियन की सविधान-सभा उसके विधान मण्डल के रूप में कार्य करेगी तथा उसकी वैधानिक शक्तियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। (४) प्रत्येक डोमिनियन के विधान मण्डल को पूर्ण विधायिनी शक्ति प्राप्त होगी और १५ अगस्त १९४७ के पश्चात् ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया कोई अधिनियम किसी डोमिनियन पर उसके विधान मण्डल की स्वीकृति के बिना लागू नहीं होगा। (५) अधिनियम ने

भारत मन्त्री के पद को समाप्त कर दिया। (६) जब तक कि नया संविधान बन कर तय्यार नहीं हो जाता, १९३५ का भारत सरकार अधिनियम कुछ संशोधित होकर भारत का वैधानिक कानून बना रहेगा। (७) जहाँ तक भारतीय राज्यों का प्रश्न है, उनके ऊपर से ब्रिटिश सार्वभौमता समाप्त हो गई और उन्हें नए डोमिनियनों के साथ अपने भावी सम्बन्धों को तय करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय।

१८ जुलाई को अधिनियम पर सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हो गई और १५ अगस्त, १९४७ को वह प्रभावी हो गया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ। साठ वर्षों के सघर्ष के पश्चात् भारतवर्ष ने स्वतन्त्रता प्राप्त की, परन्तु इसके साथ ही साथ उसे कई दुरूह समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। राजनीतिक दृष्टि से भारत सदियों से अखण्ड रहा था, उसके विभाजन ने झुंड की झुंड कठिनाइयाँ खड़ी कर दी। सबसे जटिल समस्या थी, देशी राज्यों की। वे अपने को स्वतन्त्र घोषित कर सकते थे अथवा जिस डोमिनियन में चाहते शामिल हो सकते थे। यहा भारत के बलकानिस्तान बनने का गम्भीर खतरा विद्यमान था। यदि देशी नरेश स्वयं को स्वतन्त्र शासक घोषित करने के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर बैठते, तो भारत की स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं रहता। अंग्रेजों ने दीर्घकाल तक भारत का शोषण किया था और जाते जाते वे उसमें एक और पुन लगा चले। क्या यह एक जानीबूझी चेष्टा थी, उस स्वतन्त्रता को अन्तर्ध्वस्त करने के लिये जो उदारता के इतने अधिक प्रदर्शन के साथ दी गई थी? चञ्चल जैसे कई अनुदार राजनीतिज्ञों ने तो यहा तक कहा था कि भारत की स्वाधीनता मृग-मरीचिका में अधिक कुछ नहीं होगी, वह गृह युद्ध की लपटों से क्षत-विक्षत हो जाबगा और उसमें अराजकता फैल जायगी। फलतः इंग्लैंड उस पर पुन. अपनी प्रभुत्व शक्ति लादने में समर्थ होगा। यह भारतीय राजनीतिज्ञों के साहस और दूरदर्शिता के प्रति श्रद्धाजलि है कि वे अत्यल्प काल में ही देश की स्वतन्त्रता की जड़ जमाने और लोलुप साम्राज्यवादियों की आशाओं को निर्मूल करने में सफल हुए।

११०. अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा ?

बहुधा पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्यवादी शासन को क्यों समाप्त कर दिया? एक उत्तर यह है कि १९४६ में अमिक दल सत्तारूढ़ हुआ और वह भारतीय स्वतन्त्रता के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये प्रतिज्ञाबद्ध था। लेकिन यह व्याख्या विशेष सतोषजनक नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत छोड़ने का निर्णय कुशल राजनीतिज्ञता का अथवा महात्मा गान्धी के शब्दों में "ब्रिटिशराष्ट्र का सबसे भला" काम था। लेकिन इस बात में सन्देह है कि यह निर्णय सर्वथा ऐच्छिक

थ्य। यह एक तथ्य है कि इंग्लैण्ड की समाजवादी सरकार भी उपनिवेशवाद के प्रति-
कूल नहीं रही है। आज भी न्यूनाधिक रूप से ६० छोटे और बड़े उपनिवेशों में
ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक जीवित शक्ति है। तब फिर इंग्लैण्ड ने अपने भारतीय साम्रा-
ज्य से हाथ धोने का क्यों निश्चय किया ?

सबसे महत्वपूर्ण कारण डा. पट्टाभि सीतारामय्या के अनुसार "समय की गति
और परिस्थितियों की विवशता है।" वह श्रेष्ठ आदर्शवाद नहीं अपितु परिस्थितियों
का बल था जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य
कर दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध ने इंग्लैण्ड की शक्ति और परिस्थितियों की
प्रतिष्ठा को धूलधूसरित कर दिया था। आर्थिक दृष्टि विवशता
से उभका दिवाला निकल चुका था और वह अमेरिका का
मोह ताज होकर ही बने रह सकता था। निसर्गतः उसे अपने राष्ट्रीय और आर्थिक
पुनर्निर्माण के लिए अपनी सम्पूर्ण जन शक्ति की आवश्यकता थी। उसकी यह स्थिति
नहीं थी कि भारतवर्ष में अपने साम्राज्यवादी प्रभुत्व को कायम रखने के लिए पर्याप्त
सेना रख सकता।

भारतवर्ष की परिस्थिति ने भी इंग्लैण्ड के साम्राज्यवादी शासन को एक निपट
असम्भावना कर दिया था। एशिया अपनी युग युग व्यापी तन्द्रा को त्याग कर उठ
खड़ा हुआ था और उपनिवेशवाद की मौत की घटी बज
चुकी थी। भारतवर्ष में राष्ट्रीय भावना इतनी पराकाष्ठा
को पहुँच चुकी थी कि इंग्लैण्ड ने जनता को शक्ति के
द्वारा दबाए रखने की असारता देख ली। सन्, ४२ की
क्रान्ति अंग्रेजों के लिये एक स्पष्ट चेतावनी थी कि वे शीघ्रा-
तिशीघ्र भारत छोड़ दे अन्यथा भय कर परिणाम होंगे। आजाद हिन्द फौज का उद्-
भव और भारतीय नौसेना का विद्रोह भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। अंग्रेजों ने इस बात
को अच्छी तरह समझ लिया था कि जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का दमन करने
के लिये भारतीय सेनाओं का भ्रव और प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंग्रेज अपनी
राजनीतिक व्यवहारबुद्धि और अनिवार्यता उपस्थित होने पर समझौते की तत्परता के
लिये प्रख्यात हैं। स्पष्ट था कि यदि अंग्रेज राजी से नहीं जाते तो उन्हें कुराजी से जाना
पडता। फलतः उन्होंने भारत छोड़ने का और जनता की सद्भावनाओं को जीतने का
निश्चय किया।

ब्रिटिश शासनः
एक निपट
असम्भावना

१११. सुभाष बोस और आजाद हिन्द फौज

सुभाषचन्द्र बोस और उनकी आजाद हिन्द फौज ने भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति

के लिए, महत्वपूर्ण कार्य किया। यहाँ उनका कुछ विवाद प्रसंग-निर्देश करना उचित प्रतीत होता है। नेताजी भारतीय स्वतंत्रता के एकनिष्ठ पुजारी थे। मातृभूमि की परतंत्रता-बेडियों को काटने के लिये उन्होंने जो अथक बलिदान किये उनके कारण उनका नाम देश के इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

वे जन्मजात योद्धा थे। अपने विद्यार्थी-जीवन में उन्होंने एक अंग्रेज अध्यापक को भारत के सम्बन्ध में निन्दायुक्त बातें कहने पर पीट दिया। सोलह वर्ष की अवस्था में वे घर से भाग गये और साधु का बेश धारण का हिमालय की नीची पहाड़ियों में घूमते रहे। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज से आनर्स की डिग्री प्राप्त की और आई. सी. एस. की परीक्षा में चतुर्थ उत्तीर्ण हुये। लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करना अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। देशबन्धु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में उनके राजनीतिक जीवन का श्रीगणेश हुआ, और उन्होंने शीघ्रतापूर्वक अनवरत गति से उन्नति की। जब वे ३३ वर्ष के थे, कलकत्ता के मेयर निर्वाचित हुए। १९३८ में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगले वर्ष भी उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद जीत लिया। इस बार उन्होंने महात्मा गांधी के खुला विरोध करने पर भी सफलता प्राप्त की। लेकिन कुछ समय बाद ही कांग्रेस के दक्षिण-पक्ष के साथ उनका मतभेद इतना तीव्र हो गया कि उन्होंने सस्था छोड़ दी और अपने एक पृथक् दल फार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की।

सुभाष बोस कांग्रेस के वामपक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे। वे सरदार पटेल और राजेन्द्रप्रसाद की तरह कट्टर गान्धीवादी नहीं थे। अहिंसा का सिद्धान्त उन्हें केवल एक नीति के रूप में मान्य था। “यदि गांधी जी भारतीय राष्ट्रवाद के सूर्य थे, जिनके चारों ओर कांग्रेस के समस्त ग्रह परिभ्रमण करते थे, तो सुभाष बोस एक नक्षत्र थे, जिनका अपना एक पृथक् ग्रहपथ था।” देश के नवयुवक-वर्ग का संगठन करने में उन्होंने बहुत काम किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी वे अध्यक्ष रहे थे। उनका विचार था कि राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी जी असफल रहे हैं।

जुलाई १९४० में भारत सुरक्षा अधिनियम के अधीन सुभाष बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण सरकार ने उन्हें छोड़ दिया और उनके घर पर ही उन्हें नजरबन्द कर दिया। २६ जन-
 आशाद हिन्द फौज वरी १९४१ को वे रहस्यमय ढंग से अट्टहास हो गये और
 और सुभाष बोस कुली का बेश धारण कर उतारी भारत, अफगानिस्तान और

रूस होते हुए जर्मनी जा पहुँचे। जुलाई १९४३ में उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया में आजाद हिन्दफौज का नेतृत्व सम्हाल लिया। आजाद हिन्दफौज का सगठन सितम्बर १९४१ में भारत के एक क्रान्तिकारी रास बिहारी बोस ने किया था। इस फौज में वे साठ हजार भारतीय सैनिक सम्मिलित थे जिन्हें ब्रिटिश सेनापतियों ने जापानियों की सहायता के ऊपर छोड़ दिया था। वे देशभक्त सैनिक रासबिहारी बोस के आवाहन पर जापान की सहायता से भारत की स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करने को कृतसंकल्प हो गये। कैप्टिन मोहन सिंह ने आजाद हिन्दफौज में नई जान फूँकी और उसे देश की स्वतन्त्रता के लिये मर मिटनेका गुरुमंत्र दिया। वे उसके प्रथम सेनापति थे। जब सुभाष बोस स्थल पर पहुँचे आजाद हिन्दफौज को मुँह मारगा बरदान एक गतिशील नेता-प्राप्त हो गया। सुभाष बोस को सेना-मन्त्रालय का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने जाड़ नरे व्यक्तित्व, अपूर्व सगठन क्षमता और विलक्षण भाषण-कला द्वारा आजाद हिन्दफौज को, जिसके पास न अस्त्र-शस्त्र का समुचित प्रबन्ध था और न भोजनादि का, एक अद्वितीय लडाकू सेना बना दिया। उनके 'दिल्ली चलो' नारे ने सिपाहियों में अपूर्व उत्साह पैदा किया, सिपाही अतिशय कठिन परिस्थितियों में लडे और शतकोटि आपत्तियाँ आने पर भी अपने हठ निश्चय से रचमात्र भी विचलित नहीं हुए।

आजाद हिन्द फौज ने बर्मा में शानदार लडाई लड़ी और कुछ समय के लिए भारत की भूमि में पदापंगण किया। नेताजी की अस्थायी सरकार ने कुछ समय तक मनीपुर और ऐशेवपुर के छोटे से राज्य क्षेत्र में जिसका विस्तार लगभग १५,००० वर्ग मील था, काम किया। उनके मिशन की असफलता और शक्तिहीनता और पराजित जापानियों के सहायता शून्य दृष्टिकोण के कारण आजाद हिंद फौज को मित्र राष्ट्रों के सम्मुख घुटने टेकने पडे। सुभाष बोस अपने मिशन को प्राप्त करने में असफल हुए और १९ अगस्त १९४५ को जापान के आत्म-समर्पण के कुछ समय बाद ही, ४८ वर्ष की अत्यायु में, एक हवाई दुर्घटना में उनका देहान्त हो गया।

सुभाष बोस की मृत्यु ने उन्हें अमर बना दिया। भारत की जनता उन्हें अपने देश के एक ऐसे महान् सपूत के रूप में सदैव याद रखेगी जिसने उसकी स्वतन्त्रता के लिये अपना सर्वस्व बलिदान किया। सुभाष बोस के हृदय में विदेशी शासन के प्रति घोर घृणा का भाव था। कति-पय पश्चिमी लेखकों ने उन्हें विभीषण बताया। लेकिन यह दोषारोप सर्वथा मिथ्या था। उन्होंने आजाद हिन्द फौज के एक कठपुतली-सेना होने के आरोप का प्रतिवाद किया। अपने सम्बन्ध एकमें बार

उनके मिशन की
असफलता और
उनकी मृत्यु

देशद्रोही नहीं,
देशभक्त

उन्होंने कहा था "यदि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ मुझे फुसलाने प्रयत्न परवश करने में असफल हो चुके हैं, तो कोई और राजनीतिज्ञ ऐसा करने में सफल नहीं हो सकता।" सुभाष बोस का यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिये विदेशी सहायता की अनिवार्य आवश्यकता है। तिलक की भांति उनका भी यह विश्वास था कि अपने साध्य के सिद्धि के लिये मन चाहे साधनों का प्रयोग किया जा सकता है।

सुभाष बोस में जहां इतने गुण थे, वहां उनमें कुछ दुर्बलताएं भी थीं। उनमें एक बड़ा दोष यह था कि वे स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना पाते थे। उनके चरित्र में अहमन्यता की प्रधानता थी और अकेले सघर्ष-रत रहना उनके लिये सर्वाधिक सुखकर था। महात्मा गांधी के साथ उनके गम्भीर मतभेद थे और उन्होंने 'कांग्रेस हार्दिकमांड के सर्वस्वायत्तवाद' के विरुद्ध सतत युद्ध किया। वैसे उन पर स्वयं फासिस्ट प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति होने का सन्देह किया जाता था। लेकिन उनके वीरता-पूर्ण अन्त ने उनकी दुर्बलताओं की स्मृति को भुला दिया है और देशवासियों के हृदय मन्दिर में उनकी मूर्ति भारतीय स्वतन्त्रता के उस अमर साधक के रूप में विराजमान है जिसने मातृभूमि की भुक्ति के लिये अपना तन-मन-धन सभी कुछ निछावर कर दिया।

सारांश

१९३५ के अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् मुस्लिम राजनीति में एक नया मोड़ उपस्थित हुआ। अब तक मुस्लिम पृथक्तावाद ने अपनी मांगों को पृथक् निर्वाचक मण्डलों, गुरुभार और सरक्षणों तक ही सीमित रखा था। लेकिन १९३८ में द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त सामने आया और १९४० में मुस्लिम लीग ने पृथक् मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग अंगीकृत की।

पृथक्करण की इस प्रकार की मांग पृथक्तावाद का स्वाभाविक निष्कर्ष था। इससे हलकी प्रत्येक चीज पा चुकने पर मुस्लिम लीग ने मुस्लिम जनता पर अपने प्रभाव को जमाये रखने के लिए पाकिस्तान का नारा बुलन्द किया। पाकिस्तान की मांग के लिए कुछ और कारण भी उत्तरदायी थे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाना अस्वीकार कर दिया, लीग इससे बहुत क्रुद्ध हुई और कायदे आजम जिन्ना ने देश के विभाजन के लिये प्रचंड आंदोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने विशाल पैमाने पर जिस जन-सम्पर्क आंदोलन को शुरू किया था, मुस्लिम लीग ने उसे अपने अस्तित्व के लिए ही एक धमकी समझा और कांग्रेस शासित प्रांतों में हिन्दू अत्याचार की आवाज ऊंची की। हिन्दुओं के अत्याचार के ढिंढोरा ने लीग को अपनी लक्ष्य-पूर्ति में सहायता दी और मुस्लिम समाज पर उसका प्रभाव जम गया। हिन्दू महासभा के

नेतृत्व द्वारा प्रकटित हिन्दू साम्प्रदायिकता का भी यही प्रभाव हुआ। आंग्ल-भारतीय नौकरशाहों ने भी भारत की एकता को खण्डित करने में अपनी ओर से कुछ उठा न रखा। उनकी कुचेष्टाओं ने भी पृथक्तावाद की भावना को बल दिया।

द्वि-राष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग की विचारधारा का केन्द्रबिन्दु और उसकी पाकिस्तान की मांग का आधार बन गया। उसने दावा किया कि हिन्दू और मुसलमान कभी एक राष्ट्रीयता नहीं हो सकते क्योंकि 'उनके धर्म, दर्शन, सामाजिक आचार और साहित्य एक दूसरे से भिन्न हैं। यह एक विकट सिद्धान्त था। इसने धर्म को राष्ट्रीयता की एकमात्र कसौटी माना और इस तथ्य की उपेक्षा की कि भारतीय मुसलमान उन हिन्दुओं के बराबर हैं जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। यदि यह मान भी लिया जाय कि हिन्दू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उनके दो पृथक राज्य होने चाहिए। "एक राष्ट्र, एक राज्य" एक विगत सिद्धांत है और स्विट्जरलैण्ड तथा सोवियट रूस जैसे बहुराष्ट्रीय राज्य यह सिद्ध करते हैं कि एक सघीय राज्य की छत्रछाया में कई राष्ट्रीयताएँ शान्तिपूर्वक रह सकती हैं।

लेकिन लीग को तर्क से क्या मतलब था? उसका पाकिस्तान आंदोलन बराबर आगे बढ़ा गया। लीग ने उत्तर-पश्चिम में पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, पंजाब, सिन्ध और बलोचिस्तान व उत्तर पूर्व में आसाम और बंगाल की मांग की। मुस्लिम सम्प्रदाय के कई विभागों ने इस मांग का विरोध किया। कांग्रेस अखण्ड भारत के आदर्श की पुजारी थी यद्यपि वह मुस्लिम जनता के ऊपर उसकी इच्छा के विपरीत एकसा लाने के लिए भी प्रस्तुत नहीं थी। क्रिस्स-सूत्र (१९४२) ने पाकिस्तान की मांग को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया, पर उसको कांग्रेस और लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। राजा जी के सूत्र ने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान लिया। लेकिन कांग्रेस के अधिकारी वर्ग ने उसका तिरस्कार किया और मि० जिन्ना ने भी उसे ठुकरा दिया। इसी बीच में मुस्लिम लीग के साम्प्रदायिक घृणाभाव के प्रचार ने एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी और देश गृहयुद्ध की ओर बढ़ता हुआ मालूम पड़ने लगा।

१९४५ में इंग्लैंड में धर्मिक दल सत्तारूढ हुआ और उसने भारतीय समस्या को नए सिरे से मुलभाने का निश्चय किया। भारत में केन्द्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के जो निर्वाचन हुए, उनसे महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के प्रश्न को लेकर चुनाव लड़ा था। उसे ४६५ में से ४४६ स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। उसे असफलता का सामना केवल पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में ही करना पड़ा। स्पष्ट है कि उसकी मांग को मुस्लिम समाज के बहुमत का समर्थन प्राप्त था।

१९४६ के शुरू में प्रधान मन्त्री एटली ने दो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। इन वक्तव्यों में उन्होंने भारत के स्वतन्त्रताके अधिकार को स्वीकार किया और कहा कि 'अल्प-

संख्यक वर्ग को इस बात की छूट नहीं दी जा सकती कि वह बहुमत की राजनीतिक प्रगति के मार्ग को रोके रखे।" इसके कुछ ही समय बाद राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन ने भारत की यात्रा की। अपनी योजना में, मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और भारत संघ के लिए तीन स्तर वाले सविधान को बनाने के उद्देश्य से एक सविधान सभा की स्थापना का सुझाव दिया। जब तक नया सविधान बन कर तय्यार न हो जाय, उस समय तक के लिए उसने एक ऐसी अन्तरिम सरकार की स्थापना का जिसमें भारत के प्रमुख दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों, प्रस्ताव किया।

कैबिनेट मिशन पंचाट के प्रकाशन के उपरांत भारत में घटनाचक्र बड़ी तेजी से और भयकरता से बढ़ा। लीग के प्रतिनिधियों ने सविधान सभा का बहिष्कार किया। यद्यपि लीग अन्तरिम सरकार में सम्मिलित हुई, लेकिन पाकिस्तान को प्राप्त करने के प्रयोजन से। उनके प्रत्यक्ष कार्यवाही आंदोलन ने विशाल साम्प्रदायिक उपद्रवों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। इंग्लैंड ने जब देखा कि वह भारतवर्ष में अपना साम्राज्यवादी प्रभुत्व और अधिक कायम नहीं रख सकता, तो उसने २० फरवरी १९४७ को जून १९४८ तक भारत छोड़ देने के अपने ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा कर दी। मार्च १९४७ में लॉर्ड वैवल के स्थान पर लार्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बन कर आये। उन्होंने भारत के विभाजन और दो पृथक डोमिनियनो-भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए एक योजना तय्यार की। देश की संकटापन्न स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने एक आवश्यक बुराई के रूप में विभाजन को स्वीकार कर लिया। १५ अगस्त १९४७ को ३ जून के माउंटबेटन पंचाट की शर्तों के अनुसार देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान तथा भारत दो प्रभुत्व सम्पन्न राज्यों के रूप में अघतरित हुए।

अध्याय १५

भारत का नया संविधान

११२. संविधान सभा और नए संविधान का निर्माण

भारतीय गणराज्य का वह संविधान, जो २६ जनवरी १९५० को शुरू हुआ, भारत की उस संविधान सभा के परिश्रम का फल था, जिसका सबसे पहले ६ दिसम्बर १९४६ को आयोजन किया गया था और जिसने २६ नवम्बर १९४९ को अपना काम पूरा किया। कांग्रेस ने वयस्क मत धिकार पर आधारित ऐसी निर्वाचित संविधान सभा की माँग, जो भारत के लिए एक संविधान बना सके, सबसे पहले १९३४ में की थी। कांग्रेस ने १९३६ में और फिर बाद के वर्षों में इस माँग को बारम्बार दुहराया, लेकिन उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। यह महायुद्ध की विभीषिका का ही फल था, जिसने १९४२ में इंग्लैंड को क्रिप्स प्रस्तावों में निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के अपने संविधान बनाने के अधिकार को मानने के लिए विवश कर दिया। बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के प्रति अपनी नीति के सम्बन्ध में जो भी महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए, उन सब में उन्होंने अपनी इस स्वीकृति को बार बार दुहराया। भारत की संविधान सभा का जन्म कैबिनेट मिशन योजना के उपबन्धों के आधार पर हुआ था।

संविधान सभा
की
माँग

संविधान सभा भारत के प्रमुख सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों से मिल कर बनी थी। विभिन्न प्रान्तों और राज्यों के बीच स्थानों का वितरण मोटे तौर से १० लाख की जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया था। प्रान्तों से सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रांतीय सभा साम्प्रदायिक निर्वाचक-समूहों में विभाजित एक निर्वाचक-मंडल के रूप में कार्य करती थी। ये निर्वाचक समूह सानुपात प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल सङ्क्रमणीय मत-पद्धति के अनुसार अपने

गठन और
निर्वाचन-प्रक्रिया

प्रतिनिधि निर्वाचित करते थे। देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली वार्ता के द्वारा निश्चित होने के लिए छोड़ दी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन प्रस्तावित संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या ३८९ थी। इस संख्या में देशी राज्यों के ९३ प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे।

प्रांतों के लिए स्थानों का निर्धारण निम्न प्रकार से हुआ :—

प्रतिनिधित्व-तालिका

विभाग क

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	कुल जोड़
संयुक्त प्रांत	४७	८	५५
मद्रास	४५	४	४९
बिहार	३१	५	३६
बम्बई	१९	२	२१
सी पी.	१६	१	१७
उड़ीसा	९	०	९
योग:	१६७	२०	१८७

विभाग ख

प्रांत	साधारण	मुस्लिम	सिक्ख	योग
पंजाब	८	१६	४	२८
सिन्ध	१	३	०	४
पश्चिमोत्तर- सीमाप्रांत	०	३	०	३
योग:	९	२२	४	३५

विभाग ग

प्रांत	साधारण	मुस्लिम	योग
बंगाल	२७	३३	६०
आसाम	७	३	१०
योग:	३४	३६	७०

उक्त तालिका के अलावा दिल्ली, अजमेर-मारवाड़ और कुर्ग के चीफ कमिश्नरों के प्रांतों के तीन प्रतिनिधि विभाग क में और बलूचिस्तान का एक प्रतिनिधि विभाग ख में बैठने को थे।

कैबिनेट मिशन योजना के अधीन स्थापित संविधान सभा प्रभुत्व-सम्पन्न संस्था नहीं थी। उसकी शक्तियां सीमित थी। "उसकी सत्ता मूलभूत सत्ता और प्रक्रिया

दोनों में मर्यादित थी।”* वह कैबिनेट मिशन योजना में वर्णित नए संविधान की मुख्य रूपरेखा में कोई फेरफार न कर सकती थी। उदाहरणार्थ वह केन्द्र को प्रतिरक्षा, यातायात और वैदेशिक मामले छोड़ कर अन्य कोई विषय हस्तांतरित नहीं कर सकती थी। इसके अलावा, वह ब्रिटिश संसद की अन्तिम सत्ता के अधीन थी।

संविधान-सभा
की
सीमाएं

संविधान सभा का पहला अधिवेशन ६ दिसम्बर १९४६ को हुआ। प्रथम अधिवेशन के अवसर पर सबके सब प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित नहीं हुए। मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया। बाद में वह अन्तरिम सरकार में सम्मिलित हुई लेकिन वहां उसने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लिए पृथक् पृथक् संविधान सभा की अपनी मूल मांग को दूहराया। तथापि सभा ने मुस्लिम लीग के मद-स्यो की अनुपस्थिति के बावजूद भी अपने काम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। अपनी पहली बैठक और भारत के विभाजन के बीच के चार अधिवेशनों में, संविधान सभा ने डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया, जवाहर लाल द्वारा प्रस्तावित प्रख्यात ओब्जेक्टिक्स रेजोलूशन पास किया और नए संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए कई समितियां* नियुक्त की। स्वतन्त्रता की घोषणा और भारत व पाकिस्तान, दो पृथक् डोमिनियनों की स्थापना के पूर्व संविधान सभा के कार्य के बारे में निर्गमन अवास्तविकता का वातावरण व्याप्त था।

मुस्लिम लीग
द्वारा
बहिष्कार

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम ने संविधान-सभा के स्वरूप को बिल्कुल बदल दिया। अब वह पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न संस्था बन गई। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन उसके ऊपर जो प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे, वे सब हट गये। सभा ने विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया और ३१ अगस्त १९४७ को डाक्टर अम्बेदकर की अध्यक्षता में इन रिपोर्टों के आधार पर नए संविधान के प्रारूप को अन्तिम रूप देने के लिए एक प्रारूप समिति नियुक्त की। प्रारूप-समिति

स्वतंत्रता के
पश्चात्

* बी. एन. शुक्ला-दि कन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, पृ. १३-१४

*संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्य संविधान-समिति, मूलभूत अधिकारों और अल्पसंख्यक वर्गों पर परामर्शदात्री समिति, कबायली क्षेत्रों पर परामर्शदात्री समिति आदि।

नं प्रारूप २१ फरवरी १९४८ को अध्यक्ष के सम्मुख उपस्थित किया और २६ फरवरी को उसे जनता के लिये प्रकाशित कर दिया गया। ५ नवम्बर १९४८ को प्रारूप-संविधान संविधान-सभा के सम्मुख उपस्थित किया गया और २६ नवम्बर १९४९ को उसे कतिपय परिवर्तनों सहित अंतिम रूप से पास व अंगीकृत किया गया। इस प्रकार संविधान-सभा को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने में दो वर्ष-ग्यारह महीने व आठ दिन लगे। नया संविधान २६ जनवरी १९५० के दिन प्रवृत्त हो गया।

११३. नए संविधान की प्रमुख विशेषताएं

भारत का नया संविधान संसार का सबसे बृहद् संविधान है। इसमें ३९५ अनुच्छेद और ८ अनु सूचिया हैं। इस प्रकार यह एक लिखित संविधान है। यह एक अभिप्राय में कठोर भी है। देश का कोई भी विधानमंडल लिखित उसके सबसे महत्वपूर्ण उपबन्धों को अकेले सशोधित और कठोर संविधान नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम अपने संविधान की अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और आस्ट्रेलिया के संविधानों से तुलना करके देखें तो पता चलेगा कि हमारा संविधान इन देशों के संविधानों की अपेक्षा कम कठोर है। संविधान में बरिणित सशोधन की प्रक्रिया न बहुत कठिन है, न बहुत जटिल। संविधान ने राष्ट्रपति को यह शक्ति दे दी है कि वह आपात की उद्घोषणा निकाल कर उसके सघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदल सकता है। इससे भी संविधान में लचोलेपन के तत्व का समावेश हो गया है। यदि राज्य परिषद अपने दो तिहाई बहुमत से घोषणा कर दे कि राज्य-सूची में प्रगणित अमुक विषय का सघीय विधान मण्डल के क्षेत्राधिकार में आना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आवश्यक है, तो उस विषय पर साधारण परिस्थितियों तक में सघीय विधान मण्डल कानून बना सकता है।

संविधान भारत को एक प्रभुत्व-शक्ति सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। भारतीय संविधान का गणराज्यात्मक स्वरूप इस तथ्य से प्रकट है कि राज्य का कार्यकारी प्रधान कोई अानुवशिक नरेश नहीं, अपितु निर्वाचित राष्ट्रपति है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का तूत्रपात, पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचक गणों और अस्पृश्यता का अन्त, समर्थनीय मूल अधिकारों का अनुदान तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका का सघटन आदि तथ्य ऐसे हैं जो भारतीय संविधान के लोकतन्त्रात्मक आधार की पुष्टि करते हैं। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारत के समस्त

यह भारत को
प्रभुत्व-शक्ति सम्पन्न
लोकतन्त्रात्मक गणराज्य
घोषित करता
है

नागरिकों के लिये स्वतंत्रता, समता और बन्धुता प्राप्त कराना है और इस उद्देश्य को प्रस्तावना में घोषित कर दिया गया है। भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य है, लेकिन इससे उसकी प्रभुत्व-शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

संविधान भारतवर्ष में मधीय राजतंत्र की स्थापना करता है। उसने निर्धारित किया है कि भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का सघ होगा। दूसरे सघों की तरह भारत में भी दो कोटि की सरकारें हैं—सघीय सरकार और राज्यों की सरकारें। संविधान शक्तियों का केन्द्र और **एकात्मक आत्मा-सहित संघीय संविधान** अवयवी एकको के बीच तीन सूचियों-सघ-सूची, राज्य-सूची और समवर्ती सूची में बिल्कुल स्पष्ट रूप से वितरण करता है लेकिन यह स्मर्तव्य है कि यद्यपि भारतीय सघ में सघ-शासन की सामान्य विशेषतायें तो अवश्य विद्यमान हैं, वह एक आदर्श सघ नहीं है। उसमें निश्चितरूप से एकात्मक अभिनति है। भारत अमेरिकन सघ की अपेक्षा कनाडियन सघ के अधिक समीप है।

संविधान ने भारतवर्ष के लिये केन्द्र और राज्यों दोनों स्थानों पर सासद शासन प्रणाली को अंगीकृत किया है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों (अथवा राजप्रमुखों) से यह आशा की जाती है कि वे वैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करेंगे यद्यपि संविधान ने उनकी **सांसद शासन प्रणाली** स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है। तथापि, मन्त्री वैधानिक दृष्टि से विधानमंडल के निम्न सदन के प्रति उत्तर-दायी हैं। यह चीज भविष्य के गर्भ में छिपी हुई है कि भारत की सासद-प्रणाली इंग्लैंड के आदर्श का अनुगमन करेगी अथवा अपने एक नये आदर्श का निर्माण करेगी।

संविधान में एक अध्याय नागरिकों के मूल अधिकारों के ऊपर है। इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और इन्हें न्यायालयों द्वारा बाध्यता दी जा सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि वह कानून अथवा अध्यादेश जो इनमें किसी अधिकार का अपहरण **मूल अधिकार** करता है और उच्च न्यायालयों व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। नागरिक इन अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिये सर्वोच्च न्यायालय अथवा राज्यों के उच्च न्यायालयों की शरण तक जा सकते हैं। मूलभूत अधिकारों (अनुच्छेद १२ से ३५ तक) में भारत के नागरिकों को यह गारण्टी दी गई है कि वे कानून की दृष्टि में बिना किसी भेदभाव के बराबर समझे जायेंगे, उन्हें भाषण, उपासना और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता रहेगी, शान्तिपूर्वक सभाएं

करने और समुदाय बनाने का उन्हें अधिकार रहेगा, सभ के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने की, कहीं भी बसने की और किसी भी जीविका, वाणिज्य या व्यवसाय की स्वतन्त्रता का वे उपभोग करेंगे। सविधान ने मानव के पण्य और बलात् श्रम का प्रतिषेध कर दिया है और नागरिकों को अन्तःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता दी है। उसने प्रबन्ध किया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जायगा व उन्हें शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। सविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से बचित नहीं किया जायगा और राज्य प्रतिकर दिये बिना किसी भी वैयक्तिक सम्पत्ति को सार्वजनिक उपयोग के लिये कब्जा-कृत न करेगा।

भारतीय सविधान की एक अपूर्व विशेषता राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, १९३७ के आयरिश सविधान से उधार ली गई है। निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों

में अन्तर यह है कि निर्देशक तत्वों को न्यायालयों द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती, जबकि मूल अधिकारों को दी जा सकती है। तथ्यतः, इन सिद्धान्तों से केवल वह आशा की जा सकती है कि वे मंच व राज्य सरकारों की नीति

का मार्ग दर्शन करें। सक्षम टीकाकारों के मतानुसार ये अस्पष्ट और अनिश्चित हैं और उनका सविधान में समावेश कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रखता। इन सिद्धान्तों में कहा गया है कि राज्य का ध्येय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का प्राप्त करना होगा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आश्रित हो तथा जिसमें समस्त नागरिकों को काम व जीविका के उचित साधन पाने का अधिकार हो। राज्य स्व-शासन के एकको के रूप में ग्राम-पंचायतों का संगठन करेगा, श्रमिकों के लिये निर्वाह मजूरी आदि का प्रबन्ध करेगा, नागरिकों के लिये एक समान व्यवहार-संहिता बनाने के लिये प्रयत्नशील होगा और बालकों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उप-बन्ध करने की चेष्टा करेगा।

नये सविधान का लक्ष्य भारत में साम्प्रदायिक अथवा धर्म-सापेक्ष राज्य की वृद्धि को रोकना है। इसके स्थान पर उसका उद्देश्य भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना करना है। ऐसी व्यवस्था में राज्य न तो धार्मिक होता है, न अधार्मिक होता है, न धर्म-विरोधी होता है अपितु धार्मिक मामलों में सर्वथा तटस्थ रहता है। हमारे सविधान ने समस्त नागरिकों को धर्म, वंश और जाति के बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान किये हैं। धर्म के सम्बन्ध में सविधान ने प्रत्येक नागरिक

राज्य की नीति के
निर्देशक तत्व

संविधान का उद्देश्य
भारत में धर्म-निर-
पेक्ष राज्यकी स्थापना
करना है

को अपने मनोवाञ्छित धर्म का अबाध गति से पालन करने की स्वतन्त्रता दे दी है। यदि किसी व्यक्ति का धर्म में विश्वास नहीं है, तो वह अपने धर्म-विरोधा विचारों को भी धारण कर सकता है। राज्य स्वयं को किसी धर्म विशेष से सम्बद्ध नहीं करता और सब धर्मों पर सम-दृष्टि रखता है। राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति करना है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति का पथ व्यक्ति स्वयं प्रशस्त कर सकता है, वह उसका अपवर्जित या वैयक्तिक मामला है।

११४. नागरिकों के मूल अधिकार

भारत के संविधान ने नागरिकों को कई मूल अधिकार प्रदान किये हैं। अमेरिका, सोवियत रूस और बेनिन्नियम जैसे समार के अग्रगण्य देशों के संविधानों में भी एक अध्याय नागरिकों के मूल अधिकारों पर विद्यमान है।

इस प्रकार नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करना हमारे संविधान की कोई अपनी निजी विशिष्ट विशेषता नहीं है, लेकिन जैसा कि श्री अनन्त शयनम आयगर ने कहा है

“अधिक विशद
और
यथार्थ”

“नये भारतीय संविधान में जनता को गारण्टी किये गये

मूल अधिकार दूसरे बहुत से देशों के संविधानों में पाये जाने वाले मूल अधिकारों से अधिक विशद और यथार्थ हैं।”

चूँकि नये संविधान ने भारत की जनता को मूल अधिकार नाम की वस्तु सर्व प्रथम प्रदान की है इसमें पूर्व जनता मूल अधिकारों से सर्वथा वंचित थी, अतः इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। संविधान के भाग ३ को, जिसमें इन अधिकारों की एक लम्बी सूची दी गई है, भारत के ‘मैग्ना-कार्टा’, के नाम से पुकारा गया है। संविधान में वर्णित अधिकारों

की सात श्रेणियाँ हैं। (१) समता-अधिकार (२) स्वातन्त्र्य अधिकारों की सात

अधिकार (३) शोषण के विरुद्ध अधिकार (४) धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार (५) सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी

श्रेणियाँ

अधिकार (६) सम्पत्ति का अधिकार और (७) संविधानिक उपचारों के अधिकार।

समता-अधिकार में कानून के समक्ष समाना धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध और राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर-समता सम्मिलित है। संविधान अस्पृश्यता का अन्त करके और दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों तथा मनोरंजन के स्थानों में सब लोगों को समान रूप से प्रवेश का, व तालाब, कुआँ, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग का अधिकार देकर समता-अधिकार को व्यावहारिक बना देता है। समता अधिकार सेना

(१ समता-अधिकार

या विद्या सम्बन्धी उपाधियों को छोड़ कर शेष उपाधियों को समाप्त करता है। समता अधिकार पूर्ण है और वह सब नागरिकों को बिना किसी अपवाद के प्राप्त है। फिर भी सविधान में इस बात का उल्लेख है कि स्त्रियों-बच्चों और पिछड़े हुये वर्गों के समान धरातल पर लाने के लिये विशेष उपबन्ध किये जा सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत के सविधान का लक्ष्य भारत में सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है। अमेरिका ससार का सबसे प्रगतिशील लोकतन्त्रात्मक देश है लेकिन वहाँ भी रंग के आधार पर विभेद की भावना की दण्ड योग्य अपराध नहीं माना गया। अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय सविधान में, जिन समता अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वे अमेरिकन सविधान के समता अधिकारों की अपेक्षा अधिक वास्तविक और विध्यात्मक हैं।

स्वातंत्र्य-अधिकार (अनुच्छेद १९) इस बात की गारण्टी देता है कि सब नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, सस्था या सघ बनाने का, भारत राज्य (२) स्वातंत्र्य-अधिकार क्षेत्र में अबाध संचरण का, भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, सम्पत्तिके अर्जन, धारण और व्ययन का तथा कोई वृत्ति, उपजीविका व्यापार या कारबार करने का अधिकार होगा।

स्वातंत्र्य अधिकार किसी भी प्रकार पूर्ण नहीं हैं। इनके ऊपर कई बड़े बड़े प्रतिबन्ध लगे हुए हैं और इन प्रतिबन्धों को कई विधान विशारदों ने कड़ी आलोचना की है। उदाहरणार्थ उनका कथन है कि निवारक-निरोध अधिनियम के अधीन, जिसे सविधान का सम्मोदन प्राप्त है किसी भी नागरिक को तीन महीनों तक और मसद की स्वीकृति मिलने पर इमसे भी अधिक समय तक बिना परीक्षण के जेल में रखा जा सकता है। आलोचकों का मत है कि यह कानून स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की भावना के प्रतिकूल है, इसकी आड़ में शासन अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचल सकता है। इसके विपरीत राज्य की मान्यता यह है कि समाज विरोधी तत्वों का सामना करने के लिए ये प्रतिबन्ध आवश्यक हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर सविधान अधिनियम (प्रथम सशोधन) द्वारा जिसे मसद ने जून ५१ में पाम किया था और अधिक प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं। यह अधिनियम राज्य को ऐसे प्रत्येक कानून की निमित्त का अधिकार देता है, "जो राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री सम्बन्धों, सार्वजनिक व्यवस्था सुशी-

सत्ता व नैतिकता के हित में हो अथवा न्यायालय की मानहानि, अपकीर्ति या अपराध की उत्तेजना के सम्बन्ध में हो।" आलोचकों ने इस संशोधन की कठोर आलोचना की है और इसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर भयकर आघात बताता है। सत्तालोलुप शासक इस अधिनियम का प्रयोग कर जनता को उसकी आघारभूत स्वतन्त्रताओं से बंचित कर सकता है।

'शोषण के विरुद्ध अधिकार' मानव के पण्य और बेट-बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है व इस उपबन्ध के उल्लंघन को अपराध ठहराता है जो कानून के अनुसार दण्डनीय है। संविधान इस बात का भी उपबन्ध करता है कि चौदह वर्ष से कम आयु वाले (३) शोषण के विरुद्ध किमी बालक को किसी खान में नौकर न रखा जायगा अधिकार और न किसी दूसरी सकटमय नौकरी में लगाया जायगा। इन अधिकारों का उद्देश्य भारत में एक ऐसी समाज-व्यवस्था को कायम करना है जिसमें कि सबल व्यक्ति निर्बल का शोषण न कर सकें। ये अधिकार नव-जात भारत राज्य को 'लोक-समृद्धि राज्य' का रूप प्रदान करते हैं।

भारत वर्ष विभिन्न धर्मों की सम्मिलन भूमि है। संविधान ने समस्त नागरिकों को 'अन्त करण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का' समान अधिकार प्रदान किया है।

(अनुच्छेद २५)। इन अधिकारों के सम्बन्ध में यह आव- (४) धर्म स्वातंत्र्य का द्यक है कि इनका प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार अधिकार और स्वास्थ्य आदि के अर्थीन रहते हुए किया जाय।

संविधान ने यह भी निर्धारित किया है कि राज्य द्वारा घोषित शिक्षा संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायगी और राज्य से अभिज्ञात शिक्षा-संस्थाओं में जो राज्य की निधि से महायता पाती हैं किसी भी विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा धार्मिक उपासना में लग्न होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। तथापि संविधान ने इस बात का उपबन्ध कर दिया है कि राज्य धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनिमय अथवा निर्बन्धन कर सकता है और हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोल सकता है।

संविधान में संस्कृति और शिक्षा-सम्बन्धी अधिकारों का भी उल्लेख है। अनुच्छेद २९ में कहा गया है कि भारत के नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष

(५) संस्कृति और
शिक्षा सम्बन्धी
अधिकार

भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा और राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्यनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न रखा जायेगा। अनुच्छेद ३० धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है व इस बात का उपबन्ध करता है कि शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है। ये अधिकार भारत में अल्पसंख्यक वर्गों के लिये एक नए युग का उद्घाटन करते हैं और उन्हें सांस्कृतिक स्वाधीनता की गारण्टी देते हैं।

अनुच्छेद ३१ सम्पत्ति के अधिकार का निरूपण करता है। सविधान ने निश्चित किया है कि “कोई व्यक्ति कानून के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा” और कोई भी सम्पत्ति सार्वजनिक उपयोग के लिये मुप्रावजा दिये बिना कब्जाकृत या अर्जिन नहीं की जा सकती। इसके अलावा राज्य के विधान मंडल द्वारा पास किया गया कोई भी ऐसा कानून जो सम्पत्ति के अनि-वार्य अर्जन का उपबन्ध करता हो, तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की अनुमति न मिल गई हो। वैयक्तिक सम्पत्ति से सम्बद्ध सविधान के उप-बन्ध काफी विवादास्पद रहे हैं। समाजवादी और साम्यवादी इन उपबन्धों की कठोर अलोचना करते हैं। विधान-शास्त्रियों का भी यह मत है कि इन उपबन्धों के कारण भारतवर्ष में ‘समाजवाद के अनिवार्य तत्त्वों सहित लोकतंत्र’ की स्थापना करना कठिन हो जायेगा, जमीन्दार और सम्पत्तिशाली वर्ग कृषि-सुधारों के मार्ग में रोड़े अटका सकते हैं। उक्त अलोचना निराधार नहीं है, यह इस बात से स्पष्ट है कि कतिपय राज्यों द्वारा पास किए गए जमींदारी-उन्मूलन-कानूनों को वैध करने के लिये सविधान को संशोधित करना पडा है।

सविधान उन सविधानिक उपचारों के अधिकारों का भी उपबन्ध करता है जिनके द्वारा उपर्युक्त अधिकारों को प्रवर्तित कराया जा सकता है। सविधान का अनुच्छेद ३२ प्रत्येक नागरिक को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वह सविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये न्यायालयों की शरण ले सकता है। इन अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे आदेश या लेख, जिनके अन्तर्गत

(७) संविधानिक
उपचारों के
अधिकार

बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus), परमादेश (mandamus), प्रतिषेध (prohibition) अधिकार-पृच्छा (quo-wassanto) और उत्प्रेषण (cretiorari) के प्रकार के लेख भी हैं, निकालने की शक्ति प्राप्त है।

यह स्मर्त्तव्य है कि साधारण परिस्थितियों में संविधान द्वारा प्रदान किए गए नागरिकों के मूल अधिकारों को न्यायालयों द्वारा बाध्यता दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में यदि राज्य साधारण परिस्थितियों में नागरिकों के इन मूल अधिकारों के अतिक्रमण का प्रयास करे, तो न्यायालय उनकी रक्षा में प्रवृत्त हो सकता है। अन्यथा लोकतन्त्रात्मक देशों में भी मूल अधिकारों की यही स्थिति है। इसके अलावा अमेरिका की तरह भारत में भी न्यायपालिका को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा पास किया गया कोई कानून मूल अधिकारों के प्रतिकूल हो, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है।

अलौचनतात्मक
मूल्यांकन

लेकिन भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में कतिपय ऐसी बातें हैं, जिनके ऊपर उग्र वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ है। प्रत्येक अधिकार के ऊपर अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। ये प्रतिबन्ध ऐसे हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि यदि संविधान एक हाथ में अधिकार देता है, तो दूसरे हाथ में उसे छीन लेता है। भारत के संविधान के विपरीत अमेरिका का संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों का बिल्कुल निर्वन्त डग से निरूपण करता है। भारत में मूल अधिकारों के ऊपर जो प्रतिबन्ध लगाए गये हैं, उनकी वजह से कभी कभी न्यायपालिका के लिए यह कठिन हो जाता है कि वह कार्यपालिका अथवा विधानमंडल के अतिक्रमणों के विरुद्ध उनकी रक्षा कर सके।

संभवतः भारतीय संविधान द्वारा गारण्टी किए गए मूल अधिकारों का सबसे विवादास्पद पहलू यह तथ्य है कि इन अधिकारों में सबसे मूल्यवान् अधिकार अर्थात् वे अधिकार जो भाषण, अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्वक सम्मेलन और संचरण आदि की स्वतंत्रता से सम्बन्ध रखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस समय, जब कि वह आपात की उद्घोषणा निकालता है, स्थगित किए जा सकते हैं। इस प्रकार की उद्घोषणा की प्रवृत्ति कालावधि में राष्ट्रपति न्यायालयों से इन मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति भी ले सकता है। यह ठीक है कि मूल अधिकारों का स्थगन केवल थोड़े से काल के लिए ही हो सकता है, लेकिन इसके लिए किये गए उपबन्ध पर अलौचको ने कठोर आक्षेप किये हैं। उनका कहना है कि इन उपबन्धों की छाड़ में कार्यपालिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है और जनता के ऊपर तानाशाही लाद सकती है। शासन का इस

उपबन्ध के समर्थन में यह कथन है कि राष्ट्रीय आपात की घड़ियों में मूल अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और सार्वजनिक स्वतंत्रता को कायम रखना व्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि शासन अपनी आपात-शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करता है। यदि शासन राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि लक्ष्य में रखते हुये अपनी आपात शक्तियों का प्रयोग करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह सुरक्षा और व्यवस्था के नाम में जनता के स्वातंत्र्य अधिकारों को अतिक्रान्त करेगा।

सम्पत्ति का अधिकार भी आलोचकों के वाक्वाण्णों का आस्पद रहा है। कुछ ने तो यहाँ तक कह डाला है कि यह अधिकार मूल अधिकार नहीं, मूल अन्याय है। इसके विपरीत मविधान के निर्माताओं का यह कहना है कि आज जिस अन्तर्कालीन दौर से भारत गुजर रहा है, उसमें हमें एक एक कदम सम्हाल कर रखना है, किसी प्रकार के उग्र उपायों का अवलम्बन राष्ट्रीय हित को दृष्टि से वाछनीय न होगा।

११५. राज्य की नीति के निर्देशक तत्व

भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का समावेश एक ऐसी विशेषता है जो आयरलैंड के मविधान से ग्रहण की गई है। उन निर्देशक तत्वों का

निर्देशक तत्वों का
अभिप्राय

पालन करना राज्य के लिये सर्वथा आवश्यक नहीं है, ये निर्देशक तत्व तो केवल आदर्श हैं। संविधान की प्रस्तावना में एक ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना की बात कही गई है जिसमें जीवन के सभी आर्थिक, सामाजिक और राजनी-

तिक क्षेत्रों में समानता, स्वतन्त्रता और न्याय विद्यमान हो। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व उन माघनों का निरूपण करते हैं जिनके द्वारा ऐसी समाज व्यवस्था कायम की जा सकती है। अनुच्छेद ३७ ने यह राष्ट्र कर दिया है कि इन उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी, तो भी वे 'देश के शासन में मूल-भूत हैं और कानून बनाने में उनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।' अनुच्छेद ३८ में कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारीत समाज व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का संक्षेप में यही सार है। मुविधा की दृष्टि में उनका निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है:—(क) आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से सम्बद्ध निर्देशक तत्व, (ख) न्याय, शिक्षा और लोकतन्त्र से सम्बद्ध निर्देशक तत्व तथा (ग) प्रकीर्ण निर्देशक तत्व।

अनुच्छेद ३९, ४१, ४२, ४३, ४६, ४७ और ४८ मुख्यतः आर्थिक मामलों से सम्बद्ध हैं। अनुच्छेद ३९ में कहा गया है कि राज्य अपनी नीतिका इस प्रकार संचालन करेगा जिसके फलस्वरूप नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के समान साधन उपलब्ध हो सकें, समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और निशान्त्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूपसे साधन हो सके, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का अहितकारी केन्द्रण न हो सके, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिये समान वेतन मिल सके, श्रमिक स्त्रियों और पुरुषों के स्वास्थ्य तथा शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो सके एवं आर्थिक विवशताओं से लाचार होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो तथा शैशव और किशोर अवस्था का शोषण से और नैतिक व आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो सके। अनुच्छेद ४१ बेकारी, बुढ़ापा, अग्रहानि तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में नागरिकों के लोक-सहायता पाने के अधिकार को स्वीकार करता है। अनुच्छेद ४२ में कहा गया है कि राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करनेके लिये तथा प्रसूति सहायताके लिये उपबन्ध करेगा। अनुच्छेद ४३ में कहा गया है कि राज्य श्रमिकों के लिये निर्वाह मजूरी आदि का प्रबन्ध करेगा और कुटीर उद्योगों की उन्नतिके लिये चेष्टाशील होगा। अनुच्छेद ४६ में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों के शिक्षा तथा अर्थ-सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। अनुच्छेद ४७ में स्वीकार किया गया है कि आहार-पुष्टि-तल और जीवनस्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद ४८ में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशु पालन को वैज्ञानिक प्रणालियों से सगठन करेगा व गो-वध का प्रतिषेध करेगा।

(क) आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से सम्बद्ध निर्देशक तत्व

राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में कुछ ऐसे भी हैं जो न्याय की सुरक्षा, शिक्षा के विस्तार और लोकतन्त्र के प्रसार का उपबन्ध करते हैं। अनुच्छेद ४४ और ५० न्याय की सुरक्षा से सम्बन्ध रखते हैं। अनुच्छेद ४४ में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये समान व्यवहार-संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद ५० में कार्यपालिका से न्यायपालिकाके पृथक्करण की बात कही गयी है। शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में अनुच्छेद ४५ ने निर्धारित किया है कि "राज्य, इस सविधान के प्रारम्भ-

(ख) न्याय, शिक्षा और लोकतन्त्र से सम्बद्ध निर्देशक तत्व

से दस वर्ष की कालावधि भीतरके सब बालकोको चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।" भारत में लोकतन्त्रात्मक भावनाओं के प्रसार के लिये निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के सघटन की बान कही गई है। अनुच्छेद ४० ने निश्चित किया है कि "राज्य ग्राम पंचायतों का सघटन करने के लिये अग्रसर होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो।"

अनुच्छेद ४६ और ५१ की हम प्रकीर्ण निर्देशक तत्वों में गणना कर सकते हैं। अनुच्छेद ४९ में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और चीजों के संरक्षण की बात कही गई है। राज्य का यह आभार होगा कि वह विनाश, व्ययन और नियन्त्रण से इनकी रक्षा करे। अनुच्छेद ५१ निर्देशक तत्व अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति में सम्बन्ध रखता है। इसमें कहा गया है कि—

"राज्य—

- (क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का,
- (ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने का,
- (ग) सघटित लोगों के, एक दूसरे में व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का, तथा
- (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निबटारे के लिये प्रोत्साहन देने का, प्रयास करेगा।"

राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की इस आधार पर आलोचना की गई है कि इनमें केवल कुछ पवित्र इच्छाओं का ही उल्लेख मात्र है। प्रिंसिपल श्री राम शर्मा ने सविधान के अध्याय ४ की, जिसमें राज्य की निर्देशक तत्वों का नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, आलोचना संविधानिक महत्व करते हुए लिखा है कि "इसमें कुछ उदात्त, प्रलाप, बहुत सी पवित्र इच्छाएं और कुछ ऐसे अधिकार जिनकी सविधान द्वारा गारंटी दी जासकती थी, समाविष्ट है।"* स्त्रियों और पुरुषोंको समान कामके लिये समान वेतन मिले, इनकी न केवल सविधान द्वारा गारंटी ही दी जा सकती है, अपितु इसे कानून द्वारा परिवर्तित भी किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रारम्भिक निशुल्क अनि-

* प्रिंसिपल श्री राम शर्मा : 'इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल सायंस' 'सम आस्पेक्ट्स ऑफ दि इंडियन कंस्टीट्यूशन' भाग ३०, अंक ३, पृ. २४

चार्य शिक्षा का उपबन्ध निर्देशक तत्वों में न होकर यदि मूल अधिकारों में समाविष्ट होता, तो कहीं अधिक श्रेयस्कर था ।

राज्य की नीति के ये निर्देशक तत्व बहुत अस्पष्ट हैं । संविधान में इस बात का साफ-साफ उल्लेख कर दिया है कि “इन उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी,” परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी साफ साफ कह दिया गया है कि ये तत्व “देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा ।” इस प्रसंग में ‘मूलभूत’ का क्या अभिप्राय है ?

इसमें कोई सन्देह नहीं कि उक्त आलोचना में सत्य का एक बहुत बड़ा अंश है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि राज्य की नीति के इन निर्देशक-तत्वों में कुछ श्रेष्ठ आदर्श निहित हैं । इन आदर्शों का संविधान में समावेश राज्य की निरन्तर इस बात की स्मृति दिलाता रहेगा कि वह इन आदर्शों की सिद्धि के लिए चेष्टाशील हो, अपनी नीतियों को इस प्रकार निर्धारित करे ताकि ये आदर्श खाली आदर्श ही न रह जायें अपितु मूर्तरूप धारण कर सकें । ये आदर्श किसी भी सत्तारूढ़ दल की अच्छाई और बुराई की कसौटी हो सकते हैं । जो सत्तारूढ़ दल जितना ही इन आदर्शों को मूर्तरूप देने में सफल हो, उसकी उतनी ही प्रवीणता स्वतः स्पष्ट है । जनता किसी भी सत्तारूढ़ दल की नीतियों और कार्यों का सही सही मूल्यांकन इन आदर्शों के प्रकाश में कर सकती है । इसके अलावा लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली की यह अनिवार्य विशेषता है कि उसमें लोकमत समय समय पर बदलता रहता है । फलतः यदि आज एक दल शासन की बागडोर को सम्हाल रहा है, तो कल दूसरा दल शासन की बागडोर को सम्हाल सकता है, यदि आज अनुदार प्रवृत्तियों का दल सत्तारूढ़ है तो कुछ समय पश्चात् क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों का दल सत्तारूढ़ हो सकता है । ऐसी परिस्थिति में राज्य की नीति के ये निर्देशक तत्व इस बात को समाश्रय कर रहे हैं कि अनुदार दल अपनी नीति के निर्धारण में इन तत्वों का पूर्णतः उल्लेख न करे और इसके साथ ही साथ क्रान्तिकारी दल अपने अधिक व अन्य कार्यक्रमों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए यह न अनुभव करे कि इस संविधान में काट-छाट करने की आवश्यकता है । श्री एम. सी. सीतलवाड़ के शब्दों में राज्य की नीति के निर्देशक-तत्वों के सम्बन्ध में संविधान-निर्माताओं का अभिप्राय ही “यह उद्देश्य था कि ये तत्व प्रज्वलित ज्योति के रूप में राज्य के सभी प्राधिकारियों का राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों में मार्ग दर्शन करें और राष्ट्र शनैः शनैः समृद्धिशाली और शक्तिशाली बने जिससे वह विश्व के अन्य राष्ट्रों में अपना योग्य स्थान प्राप्त कर सके ।”*

*श्री एम. सी. सीतलवाड़- भारतीय संविधान (भाषण माला) के अन्तर्गत ‘राज्य की नीति के निर्देशक-तत्व’ पृ. १४

११६. भारत: एक धर्म-निरपेक्ष राज्य

भारत के नये सविधान की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि उसका उद्देश्य देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। धर्म-निरपेक्ष राज्य की मान्यता आज के राजनीतिक दर्शन में एक विशेष महत्व रखती है। पश्चिम के लगभग सभी राज्य धर्म-निरपेक्ष हैं। धर्म-निरपेक्षता के आधार पर भारत के नए संविधान की रचना करके सविधान निर्माताओं ने भारत को ससार के प्रगतिशील राष्ट्रों की पंक्ति में ला खड़ा किया है। कुछ लोगों की धारणा है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य धर्म-विरोधी होता है, परन्तु यह धारणा बिल्कुल मिथ्या है। वस्तुतः यह राज्य, "न धार्मिक होता है, न अधार्मिक होता है अपितु वह धार्मिक रूढ़ियों से सर्वथा विमुक्त रहता है और इस प्रकार धार्मिक मामलों में उसके क्रियाकलाप पूर्णतः तटस्थ होते हैं।"*

धर्म-निरपेक्ष राज्य में धर्म को एक वैयक्तिक मामला माना जाता है। किसी व्यक्ति का गीता पर विश्वास है या कुरान पर, मोहम्मद पर या ईसा पर, इससे राज्य को क्या लेना देना? चाहे तो कोई व्यक्ति मस्जिद में नमाज पढ़े, गिरजे में अपना पाप स्वीकार करे अथवा मन्दिर में ध्यान मग्न हो, राज्य का इससे कुछ नहीं बनता बिगड़ता। व्यक्ति की पुनर्जन्म, आत्मा के अमरत्व और स्वर्ग-नर्क के विषय में क्या धारणाएँ हैं, राज्य इसकी कोई चिन्ता नहीं करता। धर्म-निरपेक्ष राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता पूर्वक अपना धर्म पालने का अधिकार होता है, राज्य स्वयं को किसी धर्म विशेष से सम्बद्ध नहीं करता क्योंकि इसका अभिप्राय यह होगा कि अन्य धर्मों के विकास का पथ अवरुद्ध हो जायगा। राज्य का सब धर्मों के ऊपर समान अनुग्रह रहे, यह धर्म-निरपेक्ष राज्य का मूल सिद्धान्त है। इस राज्य में धर्म किसी व्यक्ति की योग्यता का मापदण्ड नहीं होता।

सच तो यह है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य ही लोकतन्त्रात्मक राज्य है। इस राज्य का उल्टा धर्म-सापेक्ष या थियोक्रेटिक राज्य होता है। इस राज्य में शासन को ईश्वर का अंश माना जाता है। नागरिकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे शासक के प्रति इसी प्रकार की निष्ठा रखें उसे ईश्वर के समान पूजनीय मानें। थियोक्रेटिक राज्य एक धर्म विशेष से सम्बद्ध होता है और उसके कायदे-कानून

* बैंकटरमन-ए ट्रीटिज ऑन सेकुलर स्टेट, पृ. १

धर्म पुस्तकों के अनुसार निर्मित होते हैं। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही देशोंमें इस प्रकार के राज्य रहे हैं।

भारतीय संविधान में धर्म-निरपेक्ष राजतन्त्र की पुरःस्थापना का मन्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान में जिस साम्प्रदायिक त्रिभुज का यहाँ विकास हुआ और जिसके कारण देश लडित हुआ व मानव रक्त की सरिता बही, उसकी सबसे बड़ी चेतना यही है कि धर्म और राजनीति का समन्वय धर्म और राजनीति दोनों के लिए ही विनाशकारी है। इसके अलावा भारत में कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसी दशा में राज्य स्वयं को किसी एक धर्म विशेष, चाहे वह धर्म हिन्दू धर्म ही क्यों न हो, के साथ कैसे सम्बद्ध कर सकता है? राज्य के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह सब धर्मों के प्रति सम-दृष्टि रखे अर्थात् धर्म-निरपेक्षता के आदर्श को अपनाए।

भारत में धर्म-निरपेक्ष
राज्य की
आवश्यकता

भारतीय संविधान में धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को कहा तक अपनाया गया है? संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर की कोई चर्चा नहीं है और न किसी धार्मिक भावना को ही कोई स्थान दिया गया है। भारतीय गण-राज्य का उद्देश्य देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनी-तिक न्याय की स्थापना करना निश्चित किया गया है। फ्रेंच राज्यक्रान्ति के मूलमन्त्रों स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता को भी प्रस्तावना में जोड़ दिया गया है। स्वतन्त्रता और समा-नता शब्दों की तो वैधानिक महत्ता है और बन्धुता एक नैतिक मूल्य है। 'धर्म' शब्द युग-अनुगत से हिन्दू विधान का उद्गम रहा है। प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

धर्म-निरपेक्षता
और
भारतीय संविधान

संविधान के भाग दो में नागरिकता के आधार और नियम का वर्णन किया गया है। नागरिकता धर्म, वंश और रंग के आधार पर नहीं अपितु प्रादेशिक आधार पर निर्भर है। संविधान ने भारत राज्य क्षेत्र में जन्म, अधिवास और निवास को ही नागरिकता की कसौटी माना है। संविधान के भाग तीन में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख है। इन अधिकारों को समता अधिकार, स्वा-तन्त्र्य-अधिकार, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार आदि विभिन्न भागों में बाट दिया गया है। इन अधिकारों में वे अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने धार्मिक परम्पराओं द्वारा आरोपित भेदभावों का अन्त कर

नागरिकता का
आधार धर्म
नहीं

में वे अधिकार अत्यन्त
भेदभावों का अन्त कर

धार्मिक भेदभावों
का अन्त

दिया है। अनुच्छेद १५ जाति, लिंग, मूलवश या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। सड़कों, कुर्घों, और स्नानघाटों जैसे सार्वजनिक स्थानों के उपयोग का जनता के सभी वर्गों को अधिकार दे दिया गया है। यही सिद्धान्त राज्याधीन नौकरी के विषय में भी लागू होता है। अनुच्छेद १७ में कहा गया है कि "अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।" वास्तव में अस्पृश्यता भारतीय समाज का और विशेष रूप से हिन्दू समाज का एक बहुत बड़ा कलक रहा है। इसका अन्त करके संविधान ने धर्म-निरपेक्षता के मार्ग की एक बहुत बड़ी बाधा को दूर कर दिया है।

संविधान के अनुच्छेद २५-२८ धर्म-स्वातंत्र्य के अधिकारों से सम्बन्ध रखते हैं और इसलिये वे नये धर्म-निरपेक्ष राज्य की आधार-शिला हैं। सभी व्यक्तियों को अतःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन राज्य को किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं के विनिमय और निर्बन्धन से, चाहे वे धार्मिक आचरण से ही सम्बद्ध क्यों न हों, वंचित रक्खा गया है। राज्य को ऐसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो "सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करते हो, अथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म सस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिये खोलते हो।" सिक्खों को कृपाण धारण करने का अधिकार दे दिया गया है। धार्मिक सम्प्रदायों और प्राइवेट धार्मिक सस्थाओं को सम्पत्ति के उपार्जन, स्वामित्व और प्रशासन करने का अधिकार दे दिया गया है। कोई भी नागरिक ऐसे करों को देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता जिनके आगम किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप से विनियुक्त कर दिये गये हो। राज्य-निधि से पूरी तरह से घोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य से अभिज्ञान अथवा राज्यनिधि से सहायता पाने वाली शिक्षा-संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिये अथवा ऐसी शिक्षा-संस्था में की जाने वाली धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिये शिक्षार्थियों को बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वे स्वेच्छासे चाहें तो भाग ले सकते हैं।

अनुच्छेद २९ और ३० में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिये उपबन्ध निर्धारित किये गये हैं। नागरिकों के किसी विभाग की जिसकी अपनी विशेष

भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्यनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायगा। धर्म या भाषा पर आधारित समस्त अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विवेद न करेगा कि वह विद्यालय धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है। इन समस्त उपबन्धों का लक्ष्य यही है कि धार्मिक मामलों में बिना किसी बाध्यता के ज्ञान-विज्ञान और शिक्षा का अधिकाधिक विस्तार हो सके।

अल्पसंख्यक वर्गों
के हितों का
संरक्षण

संविधान के भाग १६ में अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में कतिपय विशेष उपबन्धों का उल्लेख है। कहा जा सकता है कि ये उपबन्ध धर्म-निरपेक्ष राज्य की विशुद्ध विचारधारा के प्रतिकूल पड़ते हैं। परन्तु इन उपबन्धों का उतना सँद्धान्तिक महत्व नहीं, जितना व्यावहारिक महत्व है। ये उपबन्ध स्थायी नहीं रहेंगे। अनुसूचित जातियाँ बहुत पिछड़ी हुई हैं, वे नाना प्रकार की नियोग्यताओं की शिकार हैं। यदि उनके लिये विशेष उपबन्ध नहीं किये जाते तो फिर उनकी उन्नति कैसे होगी? जैसे ही वे उन्नति की दौड़ में भारत के शेष वर्गों को पकड़ लेगी, ये उपबन्ध समाप्त कर दिए जायेंगे।

अनुसूचित जातियों
के सम्बन्ध में
विशेष उपबन्ध

११७. भारत-संघ

यद्यपि ब्रिटिश शासन ने भारत में उच्चकोटि की केन्द्रित, एकात्मक शासन-प्रणाली स्थापित कर दी थी, फिर भी यह बराबर अनुभव किया जा रहा था कि भारत जैसे विशाल देश के लिये जहाँ जातियों, धर्मों और भाषाओं की विभिन्नता विद्यमान है, अतिशय केन्द्रीकरण किसी भी दशा में उपयुक्त नहीं है। माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में भविष्य में भारत को राज्यों के एक संघ के रूप में संगठित करने की धर्चा की गई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारत को एक संघ के रूप में संगठित करने की बात पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया था। १९३५ के भारत सरकार अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया, लेकिन इस संघ का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। स्वतन्त्र भारत के

भारत में संघीय
विचार की
वृद्धि

संविधान निर्माताओं ने संघवाद को देश के नये संविधान के ढांचे के आधार रूप में स्वीकार किया।

संविधानन संध (Federation) शब्दका प्रयोग नहीं किया है। वह भारतको 'राज्यों की एक यूनियन' कहता है।* फिर भी उसमें संधीय राजतंत्रकी मुख्य विशेषताएं विद्यमान हैं। संधिधान ने संध-सरकार और भ्रवयवी राज्यों

भारतीय संविधान
की
संधीय विशेषताएं

की सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण कर दिया है। संध-सूची, राज्य-सूची और समवर्ती सूची ने प्रत्येक सरकार के क्षेत्र को निश्चित कर दिया है। साधारण परिस्थितियों में राज्य संध सरकार के नियन्त्रण अथवा हस्तक्षेप से स्वतन्त्र है। दूसरे शब्दों में राज्य भारत संध के स्वायत्त एकक हैं। संध और राज्य दोनों ही अपनी शक्तियां सीधे संधिधान से प्राप्त करते हैं। दूसरे संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। उसके उपबन्ध सब सरकारों के ऊपर लागू हैं और संध सरकार या राज्य सरकारों में से कोई भी उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कोई सरकार केवल अपनी ही सत्ता पर शक्तियों के वितरण में फेरफार नहीं कर सकती। तीसरे संविधान लिखित और कठोर है। चौथे भारत को एक स्वतन्त्र न्यायपालिका प्राप्त है जो संविधान की निर्वचिका और अभिभाविका के रूप में कार्य करती है। यदि संधीय ससद अथवा राज्य विधानमण्डलों द्वारा पास किया गया कोई कानून संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल पड़ता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।

लेकिन हमारे संविधान ने संघवाद के नियत सिद्धांतों में इतना फेरफार कर दिया है कि उसे केवल अर्थ संधीय संधिधान ही कहा जा सकता है। भारत "सारभूत

संविधान की
सबल एकात्मक
अभिनति

एकात्मक विशेषताओं सहित संधीय राज्य होने की अपेक्षा सारभूत संधीय विशेषताओं सहित एकात्मक राज्य अधिक है।" यह स्मर्तव्य है कि प्रारूप समिति ने संधिधान को संधीय कहना पसन्द नहीं किया। इसके विपरीत उसने सोचा कि "भारत को यूनियन [कहने में लाभ है यद्यपि संधिधान देखने में संधीय हो सकता है।" इस प्रकार संविधान देखने में संधीय, पर वास्तव में एकात्मक है। न केवल संधिधान की भाषा में ही, अपितु उसकी भावना में भी मुख्य बल एकरूपता पर दिया गया है जो राज्यों के मूल्य पर यूनियन को शक्तिशाली बनाती है। संविधान की सबल एकात्मक अभिनति निम्न विशेषताओं से स्पष्ट है।

* हिन्दी में Federation और Union दोनों के लिये 'संध' शब्द का प्रयोग चालू है।

सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान एक शक्तिशाली केन्द्र का सृजन करता है। यह इसलिये किया गया, क्योंकि जिस समय संविधान बना, देश की स्थिति बड़ी खराब थी और संविधान निर्माताओं ने देश के इति-
हास की इस शिक्षा को याद रखा कि "केन्द्र कमजोर होने शक्तिशाली
पर हमारा नाश हो जाता है।" फलतः शक्तियों के तिहरे केन्द्र
वितरण में सबसे महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में रखे गये
हैं। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे लम्बी सूची है और उसमें ६७ विषय शामिल
हैं। इसके अलावा समवर्ती सूची में वे ४७ विषय शामिल हैं जिनके ऊपर संघ सरकार
आवश्यकता पड़ने पर विधायक और प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है
और ऐसा करने में राज्य सरकारों की शक्ति का अतिक्रमण कर सकती है। संविधान
अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र में निहित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे टिपीकल
संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ अवयवी एकको को दी जाती हैं तथा संघीय सरकार को
अत्यन्त मर्यादित और उल्लिखित शक्तियाँ सौंपी जाती हैं। भारतीय संघ अमेरिकन
संघ की अपेक्षा कनाडियन संघ के अधिक निकट है।

दूसरी बात यह है कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियट संघ की
तरह अवयवी एकको को अपने निजी संविधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया
है। भारत की संविधान सभा संघ और राज्यों दोनों के
लिए एकमात्र संविधान-संविधायी सत्ता थी। डा. अम्बे- संघ और राज्यों
दकर के शब्दों में "संघ और राज्यों दोनों का संविधान के लिए एक
एक ही है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता और संविधान
जिसके अदर रह कर काम करना उनके लिये आवश्यक है।"*

तीसरी बात यह है कि भारत का संविधान दुहरी नागरिकता को मान्यता नहीं
देता। इस दृष्टि से हमारा संविधान अमेरिका के संविधान से बिल्कुल भिन्न है। अमे-
रिका में प्रत्येक नागरिक न केवल समय देश का ही नाग-
रिक होता है अपितु वह अपने विशेष राज्य की नागरिकता दुहरी नागरिकता
का भी उपभोग करता है। अमेरिका में राज्य बहुधा अपने का
नागरिकों के साथ पक्षपात करते हैं, उन्हें कतिपय ऐसे अधि-
कार और विशेषाधिकार दे देते हैं, जिन्हें वे उन व्यक्तियों अभाव
को जो उनके नागरिक अथवा निवासी नहीं हैं, नहीं देते या कठिनता से देते हैं। भारत

* कंस्टीट्यूट अमेरिकली डिबेट्स, भाग ८, पृ. ३४।

में हमें एकल नागरिकता के साथ दुहरा राजतन्त्र प्राप्त है। “भारतवर्ष में केवल एक नागरिकता है। वह भारतीय नागरिकता है। यहां राज्य-नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को नागरिकता के एक से अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी भी राज्यमें क्यों न रहता हो।”

चौथी बात यह है कि आदर्शभूत संघ में दृढ़ता होती है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, उसे एकात्मक नहीं बनाया जा सकता। “इसके विपरीत भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और सघीय दोनों प्रकार का हो सकता है।” साधारण परिस्थितियों में वह सघीय प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। लेकिन युद्ध और दूसरे राष्ट्रीय संकट कालों में उसे बिना किसी औपचारिक संशोधन की आवश्यकता के एकात्मक प्रणाली के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। आपात की उद्घोषणा निकाल कर भारत संघ का राष्ट्रपति ऐसी असाधारण शक्तियां धारण कर सकता है जिनके फलस्वरूप राज्यों की स्वायत्तता स्थगित हो सकती है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन-काल में संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों तक विस्तृत हो जाती है और संसद राज्य-मूची में प्रणालित विषयों के ऊपर भी कानून बनाने में समर्थ हो जाती है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल अथवा राजप्रमुख राष्ट्रपति से इस बात की रिपोर्ट कर दे कि राज्य में संविधान के उपबन्धों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता, तब भी यही प्रभाव होगा। तब राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकता है और घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोज्य होंगी। राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से सम्बद्ध संविधान के उपबन्धों को भी संशोधित कर सकता है।

पाचवीं बात यह है कि संघ की विधायनी शक्ति साधारण परिस्थितियों में भी राज्यों के मूल्य पर बढ़ायी जा सकती है। साधारणतः राज्य-विधान मंडलों को राज्य मूची में प्रणालित विषयों के ऊपर अपवर्जी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। लेकिन यदि राज्य-परिषद दो तिहाई बहुमत से समर्थित प्रस्ताव के द्वारा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सघीय संसद का इन विषयों में से किसी के ऊपर कानून बनाना आवश्यक है, तो सघीय संसद इन विषयों में से किसी के ऊपर कानून बना सकती है।

साधारण परिस्थितियों में भी संघ की शक्तियां बढ़ायी जा सकती हैं

छठी बात यह है कि भारत सघ के एककों के प्रदेश अलगनीय नहीं हैं। संघीय संसद (क) किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को मिला कर नया राज्य बना सकती है, (ख) किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, और (ग) संसद राज्यों के किसी राज्य की सीमाओं या उसके नाम को बदल सकती प्रवेशों का पुनर्वितरण है। संविधान के अनुच्छेद ३ में कहा गया है कि ये परि- कर सकती है परिवर्तन उसी समय किए जा सकते हैं जब कि संसद राष्ट्रपति द्वारा सम्बद्ध राज्य अथवा राज्यों के विचारों को निश्चित रूप से जान लेने के पश्चात् उनकी सिफारिश पर इस प्रयोजन के लिए एक विधेयक पास कर दे।

सातवीं बात यह है कि संविधान ने राज्य-परिषद में राज्यों को समान प्रति-निधित्व नहीं दिया है। अमेरिका स्वित्जरलण्ड, सोवियत रूस और दूसरे टिपीकल सघों में अवयवी एकको को संघीय विधान मण्डल के उच्च सदन में विस्तार और जनसंख्या के भेदों पर बिना कोई राज्य परिषद में राज्यों ध्यान दिए समान संख्या के स्थान दे कर कानूनी समा- का प्रतिनिधित्व नता प्रदान की गई है।

आठवीं बात यह है कि संविधान ने निर्धारित किया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेंगे। संविधान में उपबन्ध न की हुई किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निवर्तन के लिए राष्ट्रपति राज्य परिषद द्वारा जैसा उचित समझे, वैसा उपबन्ध बना सकेगा। यह एक राज्यपालों की नियुक्ति और तथ्य है जो केन्द्र को राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति देते हैं, और इसलिए सच्चे संघवाद की भावना में प्रतिकूल है। इस दृष्टि से भी भारतीय संविधान अमेरिकन संविधान की तुलना में कनाडियन संविधान के अधिक निकट है।

नवीं बात यह है कि कतिपय सघों में दुहरा राजतंत्र 'कानूनों प्रशासन और न्यायिक संरक्षण में विविधता उत्पन्न कर देता है।' डाक्टर अम्बेदकर के अनुसार "एक विशेष भीमा तक तो यह विविधता बुरी नहीं है। इसका स्वागत किया जा सकता है, एक ऐसी चेष्टा के रूप में जो सरकार की शक्तियों को स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित करती है। लेकिन निश्चित सीमा से आगे बढ़ने पर यही विविधता संविधान मूलभूत मामलों में एकरूपता स्थिर करता है।"

अव्यवस्था उत्पन्न कर देती है और इसने बहुत से संघीय राज्यों में अव्यवस्था उत्पन्न की है।" अमेरिका में औद्योगिक व्यवस्थापन के क्षेत्र में यह अव्यवस्था स्पष्ट है। भारत में सविधान उन समस्त मूलभूत मामलों में जो देश की एकता को बनाये रखने के लिये अनिवार्य हैं, एकरूपता स्थिर करता है। यह तीन उपायों द्वारा किया गया है: (क) एक न्यायपालिका, (ख) मूलभूत, दीवानी और फौजदारी कानूनों की एकरूप प्रणाली तथा (ग) सामान्य अखिल भारतीय सेवाएं। हमारे सविधान के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय एक अखण्ड न्यायपालिका का निर्माण करते हैं। दीवानी और फौजदारी कानून प्रक्रिया की एकरूपता इन विषयों की समवर्ती सूची में रख कर निश्चित की गई है। इसी प्रकार प्रशासनिक एकरूपता अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को सभ्य राज्यों में मुख्य पदों पर रख कर और राष्ट्रीय महत्व के समस्त विषयों में संघीय सरकार व राष्ट्रपति को "पहल का पर्याप्त क्षेत्र देकर सुनिश्चित की गई है।"

दसवीं और अन्तिम बात यह है कि भारत की संघीय प्रणाली सप्ताह के अधिकांश दूसरे संघीय राज्यों की तरह कठोर नहीं है। न उने अनिश्चय कानूनवाद से दुर्बल ही बना दिया गया है। यह हम पहले देख ही चुके हैं कि हमारे सविधान के संघीय ढांचे को राष्ट्रीय आपात की दशाओं में बिना किसी औपचारिक संशोधन के किस प्रकार एकात्मक ढांचे में बदला जा सकता है। भारत के सविधान में संशोधन करना अमेरिका के सविधान में संशोधन करने की अपेक्षा कहीं अधिक सरल है। मक्षेप में, भारत की संघीय पद्धति के बारे में अन्तिमता का कोई भाव नहीं है। इसलिये हम डाक्टर डी० एन० बेनर्जी के स्वर में स्वर मिला कर कह सकते हैं कि "भारत का सविधान निश्चिन्त एकात्मक अभिनति सहित देखने में संघीय है।"

संघीय कार्यपालिका

११८. राष्ट्रपति

भारत-राज्य की कार्यपालिका-शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है और वह इसका प्रयोग सविधान के उपबन्धों के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा कर सकता है।

भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रीति से सानुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल सार्वभौमिक मत के द्वारा एक ऐसे निर्वाचक-मण्डल के सदस्य करते हैं

जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इस निर्वाचन में निर्वाचक-गण के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रयुक्त मतों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि

राष्ट्रपति का
निर्वाचन

संसद के दोनों सदनों की मत-संख्या समस्त राज्यों की विधान सभाओं की मत-संख्या के समान हो। किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होते हैं कि एक हजार के गुणित, उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आये। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वही होती है जो समस्त राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत सम्पूर्ण मत-संख्या को, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आये।

यह कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भ्रंशकृत प्रणाली वैधानिक पद्धति के लिए एक मौलिक देन है। इस प्रश्न पर संविधान सभा में काफी वाद विवाद हुआ। कतिपय सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के पक्ष में थे। उनका तर्क था कि इस प्रकार की प्रणाली अधिक लोकतन्त्रात्मक होगी और राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव करने में समर्थ हो सकेगा। लेकिन अन्त में परोक्ष-प्रणाली को ही अपनाया गया। इसके कई कारण थे। पहला कारण था कि प्रत्यक्षतः निर्वाचित राष्ट्रपति सासद लोकतन्त्र के अनुकूल नहीं होता क्योंकि स सद लोकतन्त्र में वास्तविक कार्यपालिका-शक्ति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के द्वारा प्रयुक्त होती है। "राष्ट्रपति का वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचन, जबकि उसे केवल वैधानिक प्रधान ही होना है, बिल्कुल व्यर्थ समझा गया।"* संविधान निर्माताओं को भय था कि हो सकता है कि प्रत्यक्षतः निर्वाचित राष्ट्रपति वैधानिक शासक मात्र की स्थिति से सन्तुष्ट न हो। यदि कहीं उसने वास्तविक शक्तियाँ अपने हाथों में लेने की कोशिश की तो मन्त्रिमण्डल के साथ उसका मतभेद हो जायगा और इसके फलस्वरूप वैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो जायगा। इसके अलावा यह भी भय था कि १८ करोड़ मतदाताओं वाले देश में राष्ट्रपति का राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष निर्वाचन विपुल व्यावहारिक कठिनाइयाँ खड़ी कर देगा। दूसरा विकल्प यह सोचा गया था कि राष्ट्रपति अकेले संसद के द्वारा ही निर्वाचित हो सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि यह राष्ट्रपति को बहुमत वाले दल के हाथों का खिलौना बना देता और उसे "स्वतन्त्रता व

* के. सन्धानम : दि कस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पृ. ४८

महिमा के समस्त प्रदर्शन से बचित कर देता ।"† अतः संविधान में निश्चित प्रणाली को इसलिए अपनाया गया क्योंकि इस प्रकार से निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रति-निधित्व करेगा और साथ ही साथ वैधानिक शासक भी बना रहेगा ।

संविधान ने निश्चित किया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह (क) भारत का नागरिक न हो, (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, (ग) लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की ग्रहंता न रखता हो और (घ) भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियन्त्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद न धारण किये हुए हो । इसका अभिप्राय यह है कि कोई सरकारी नौकर राष्ट्रपति पद के निर्वाचित होने का पात्र नहीं है । लेकिन यह नियम उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता, जो संघ के राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख का पद धारण किये हुए है । (इ) संविधान के अनुसार यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रपति न तो सदन के किसी सदन का और न किसी राज्य के विधानमण्डल के सदन का सदस्य होगा । यदि सदन के किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधानमण्डल के सदन का, सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाय तो यह समझा जायगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है ।

राष्ट्रपति पात्र वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है । परन्तु वह अपनी पूर्ण पदावधि की समाप्ति के पूर्व त्यागपत्र दे सकता है अथवा महाभियोग द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है । राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन उसकी पदावधि और उपलब्धियाँ का पात्र है । वह विभिन्न भत्तों के अलावा १०,००० रुपये प्रतिमास वेतन प्राप्त करता है । उसे बिना किराया दिये सरकारी पदावास के उपयोग का भी हक है ।

जब तक कि राष्ट्रपति अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व अपने पद से त्यागपत्र न दे दे, उसे "संविधान के अतिक्रमण के लिये" महाभियोग के अलावा अन्य किसी उपाय द्वारा अपदस्थ नहीं किया जा सकता । महाभियोग एक प्रकार का सासद मुकदमा है । दोष रोप दो तिहाई बहुमत से पास किए गए किसी प्रस्ताव में सदन के किसी भी सदन द्वारा उपस्थित किये जा सकते हैं । दूसरा सदन दोषा-

रोपों की छान बीन करेगा और यदि वह दो तिहाई बहुमत से पास किये गये प्रस्ताव में यह घोषित कर दे कि दोषारोप सिद्ध हो गए हैं, तो राष्ट्रपति अपने पद को रिक्त कर देगा।

संविधान सभ की कार्यपालिका-शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है। भारत सरकार के समस्त कार्यकारी कृत्य राष्ट्रपति की ओर से और राष्ट्रपति के नाम में सम्पादित होते हैं। राज्यों के राज्यपालों, भारत के राज-दूतों और दूसरे कूटनीतिक प्रतिनिधियों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति व दूसरे न्यायाधीशों, भारत के महा-न्यायवादी और नियंत्रक, महालेखापरीक्षक तथा सभ लोक सेवा-आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति ही करता है। प्रथम अनुसूची के भाग (ग) के राज्यों का शासन प्रबन्ध राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा नैफिटनेट गवर्नर करते हैं। राष्ट्रपति सरकार की कार्यवाही के सम्यक् संचालन के लिए नियम बना सकता है।

राष्ट्रपति की
शक्तियाँ

(क) कार्यकारी शक्तियाँ

संविधान राष्ट्रपति में विनाल विधायिनी शक्तियाँ भी निहित करता है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम दो बार ससद को आहूत करता है। वह ससद के किसी भी सदन का सत्रावसान और लोक सभा का विघटन कर सकता

। यदि ससद के दोनों सदन किसी विधेयक पर एकमत न विधायिनी शक्तियाँ हो सके, तो वह उनकी सयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य परिषद के १२ सदस्य भी मनोनीत कर सकता है। वह चाहे तो ससद के दोनों सदनों को पृथक् रूपमें और चाहे तो उन्हें सयुक्त रूप से सम्बोधित कर सकता है। वह ससद के जिस सदन को चाहे सदेश भेज सकता है। ससद के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने पर राष्ट्रपति एक भाषण देता है। यह भाषण ब्रिटिश सम्राट द्वारा ससद में दिये गए भाषण के तुल्य होता है।

ससद द्वारा पास किया गया कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जाय। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर, यदि वह धन विधेयक नहीं है, चाहे तो अपनी अनुमति दे सकता है और चाहे तो उसे रोक सकता है। जैकिन, यदि उस विधेयक को (जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति नहीं दी है और जिसे उसने पुनर्विचार के लिये ससद के पास लौटा दिया है) ससद के दोनों सदन राष्ट्रपति के

राष्ट्रपति का
स्थगन-निषेधाधिकार

सन्देश में सुझाए गए संशोधन के सहित या रहित पुनः पास कर दें, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है।

सविधान ने ससद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश-प्रख्यापन की भी शक्ति प्रदान की है। अध्यादेश एक विशेष प्रकार का सकट कालीन कानून होता है। अध्यादेश का बल और प्रभाव संसद के अधिनियम के तुल्य ही होता है किन्तु अध्यादेश के लिये यह आवश्यक है कि वह ससद के पुनः समवेत होने पर उसके दोनों सदनों के समक्ष रखा जाये। अध्यादेश ससद के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर अथवा इस कालावधि से पूर्व दोनों सदनों द्वारा उसके निरनुमोदन का प्रस्ताव पास कर देने पर प्रवर्तन में नहीं रहता।

राष्ट्रपति की
अध्यादेश निकालने
की शक्ति

राष्ट्रपति को कतिपय महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियाँ भी दी गई हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रपति ससद के समक्ष 'वार्षिक वित्तविवरण' अथवा वह बजट जो भारत सरकार को उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को प्रकट करता है, रखवाता है। (ग) वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक ससद में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति सघ और राज्यो के बीच करो के वितरण के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए समय समय पर एक वित्त आयोग भी नियुक्त कर सकता है।

राष्ट्रपति कतिपय कानूनी विमुक्तियों और न्यायिक परमाधिकारों का उपभोग करता है। वह अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं है। वह केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही सिद्धदोष ठहराया जा सकता है। (घ) कानूनी विमुक्तियों और न्यायिक परमाधिकारों का उपभोग उसको पदावधि में उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी प्रक्रियाएँ नहीं लाई जा सकती। राष्ट्रपति को उन अवस्थाओं समेत जिनमें कि दण्डादेश मृत्यु का हो, कतिपय स्थितियों में सिद्धदोष व्यक्ति के दण्ड को समाप्त, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश का निलम्बन, परिहार या लघूकरण की शक्ति प्राप्त है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति व न्यायाधीशों को नियुक्त करता है।

नए संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद पहलुओं में से एक सचीव कार्यपालिका में निहित विपुल आपात शक्तियों से सम्बन्ध रखता है। राष्ट्रपति तीन प्रकार की आपातों का सामना करने के लिए इन असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, (१) युद्ध अथवा बाह्य (२) राष्ट्रपति की आक्रमण अथवा आन्तरिक अशांति से उत्पन्न आपातें, आपात-शक्तियाँ (३) राज्यों में वैधानिक तंत्र विफल हो जाने से उत्पन्न आपातें और (३) वित्तीय आपातें। पहले प्रकार की आपात के सम्बन्ध में संविधान ने निर्धारित किया है कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आन्तरिक अशांति से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह आपात की उद्घोषणा निकाल सकता है। यह स्मर्तव्य है कि राष्ट्रपति इस प्रकार की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या आन्तरिक अशांति के घटित होने के पूर्व भी निकाल सकता है। आपात की उद्घोषणा निकालने के राष्ट्रपति के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और कोई आपात उपस्थित है या नहीं, इसका निर्णय एक मात्र राष्ट्रपति के हाथों में है। लेकिन राष्ट्रपति का प्राधिकार ससद के नियन्त्रण का विषय है। आपात की उद्घोषणा को ससद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और वह दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहती जब तक कि उसका उस कालावधि की समाप्ति से पहिले ससद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाय।

राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा का सुदूरव्यापी वैधानिक प्रभाव होगा। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है ससद को सम्पूर्ण देश के लिये अथवा उसके किसी भाग के लिये उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार होगा जो कि राज्य-सूची में प्रणालित हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस विषय में निर्देश देने तक होगा कि वह अपनी कार्यपालिका-शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। दूसरे शब्दों में सचीव विधानमण्डल और कार्यपालिका को राज्यों के विधानमण्डलों और कार्यपालिकाओं के कार्य का नियन्त्रण और निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त हो जायगी। अतएव, आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति को संघ और राज्यों के बीच राजस्व के साधारण वितरण का सशोधन करने की शक्ति दे देगी। इस प्रकार आपात की उद्घोषणा के प्रभावस्वरूप राज्यों की स्वायत्तता स्थगित हो जायगी तथा देश का सचीव

आपात की
उद्घोषणा का
प्रभाव

दावा एकात्मक ढांचे के रूप में परिवर्तित हो जायगा। इतना ही नहीं, आपात की उद्घोषणा सविधान द्वारा गारंटी किये गये भारत के नागरिकों के कतिपय महत्वपूर्ण अधिकारों अर्थात् भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतन्त्रता, भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतन्त्रता, संपत्ति के अर्जन, व्यय और धारण की स्वतन्त्रता तथा वृत्ति, उपजीविका, कारबार और व्यापार करने की स्वतन्त्रता को स्थगित कर देगी। साधारण परिस्थितियों में ये अधिकार समर्थनीय हैं और नागरिक उन्हें प्रवर्तित कराने के लिये सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयोंकी शरण तक ले सकते हैं। लेकिन जब आपातकी उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति नागरिकों के इस अधिकार को स्थगित कर सकता है।

स्पष्ट है कि सविधान आपातों का सामना करने के लिये सघीय कार्यपालिका को बहुत प्रबल शक्तिया प्रदान करता है। आलोचकों का कहना है कि ये शक्तियाँ लोकतन्त्र के प्रतिकूल हैं। जब आपात शक्तियों से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध पास किये जा रहे थे, विधानसभा के एक सदस्य ने कहा था—“यह लज्जा का दिन है। ईश्वर ही भारतीय जनता को बचाये।” एक अन्य सदस्य ने अनुच्छेद ३५९ के बारे में जो राष्ट्रपति को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन करने की शक्ति देता है, कहा कि यह अनुच्छेद “सविधान के सर्वाधिक प्रतिगामी अध्याय की शानदार पराकाष्ठा और सबसे बड़ी महिमा है।” आपात काल में नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करने की शक्ति के द्वारा देश के ऊपर तानाशाही शासन लादा जा सकता है। जर्मनी के तथाकथित लोकतन्त्रात्मक वीमर संविधान के अनुच्छेद ४८ ने जर्मन राष्ट्रपति को यह शक्ति दी थी कि वह घोर मकट की स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलम्बित कर सकता है। हिटलर ने इस शक्ति का मनचाहा प्रयोग कर जर्मनी में अपने निरंकुश शासन की जड़ जमायी। तथापि यह स्मर्तव्य है कि आपातों से सम्बन्ध रखने वाले इस प्रकार के उपबन्ध बहुतसे लोकतन्त्रात्मक राज्यों के संविधानों में पाये जाते हैं। इनकी इस आधार पर प्रतिरक्षा की जाती है कि व्यक्ति के अधिकार अमर्यादित नहीं हैं और राज्य की सुरक्षा की तुलना में उनका महत्व कम है। बी. एन. शुक्ला ने लिखा है “ये उपबन्ध कठोर मालूम हो सकते हैं, विशेष रूप से एक ऐसे संविधान में जो लोकतन्त्र व मूल अधिकारों की नींव के ऊपर निर्मित होने की घोषणा करता है। लेकिन इन उपबन्धों का भारत के अतीतकालीन इतिहास के प्रकाश में अध्ययन करना चाहिये। जब कभी भारत की केन्द्रीय शक्ति कमजोर हुई, उसे बुरे दिनों का सामना करना पडा। यह अच्छा ही है कि संविधान विघटन की शक्तियों की ओर से सचेत है। राज्य के अस्तित्व तक के लिये छतरा पैदा करने वाली घटनाएँ घटित हो सकती हैं और यदि इस प्रकार की आकस्मिक-

तामों के लिए संरक्षण न हों, तो राज्य उस सबके साथ, जिसे मूलभूत और अचल रखना है, समाप्त हो जायगा।”*

संविधान ने निर्धारित किया है कि बाह्य आक्रमण और आन्तरिक अशांतिसे रक्षा तथा राज्य की सरकार, संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलायी जाय, यह सुनिश्चित करना सभ का कर्तव्य है। भारत का राष्ट्रपति अपने इस कर्तव्य का अच्छी तरह से निर्वाह कर सके, इस उद्देश्य से उसे अनुच्छेद ३५६ के अधीन कतिपय विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राज्यप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस आशय की आपात की उद्घोषणा निकाल सकता है। आपात की उद्घोषणा निकालने पर राष्ट्रपति राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राजप्रमुख अथवा राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या तत्तद्द्वारा प्रयोक्तव्य सब या कोई शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकेगा और घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधानमण्डल की शक्तियाँ ससद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होगी। राज्य का उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में अपवाद रहेगा। इस प्रकार आपात की उद्घोषणा के समान ही राज्य में वैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की उद्घोषणा भी सम्बद्ध राज्य की स्वायत्तता को निलम्बित कर देगी और उसे समस्त विधायी और कार्यकारी मामलों में पूर्णतः सभ के प्राधिकार के अधीन कर देगी। यह उद्घोषणा दो महीने की समाप्ति पर यदि ससदके दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित नहीं हो जाती, प्रवर्तनमें नहीं रहेगी। यह उद्घोषणा एक बार में ६ महीने से अधिक के लिये नहीं निकाली जा सकती लेकिन इसे इस नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिवार ६ महीने के लिये बढ़ाया जा सकता है। जितनी बार इसकी अवधि बढ़ायी जाय, उतनी ही बार ससद के अनुमोदन की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी उद्घोषणा किसी भी अवस्था में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी।

(२)
राज्यों में वैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से उत्पन्न आपात

अनुच्छेद ३५६ ने विधान सभा में तीखा वाद-विवाद खड़ा कर दिया। आलोचकों ने कहा कि यह १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के विभाग ९३ का पुनरुचि-

* बी. एन. गुप्ता: दि कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, पृ: १३६।

नियमन है। इस अनुच्छेद के समर्थन में कहा गया है कि इसके अधीन आचरण करता हुआ राष्ट्रपति विभाग ९३ के अधीन आचरण करनेवाले राष्ट्रपति से सर्वथा भिन्न होगा। "राष्ट्रपति केवल सघ मंत्रिमण्डल की मन्त्रणा पर जो ससदके प्रति उत्तरदायी है, आचरण कर सकता है। स्वयं ससद में भी उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य उपस्थित होंगे, जिसका शासन इस अनुच्छेद के अधीन निलम्बित किया जा सकता है। अनुच्छेद ३५६ का सीधा-सादा फल यह हुआ है कि उद्घोषणा की स्थितिमें राज्य का शासन अस्थायी रूप से संघ शासन में विलीन हो सकता है यहाँ किन्हीं भी परिस्थितियों में स्वेच्छाचारिता का कोई प्रश्न नहीं उठता। केवल राज्य की स्वायत्तता पर ही कुछ काल के लिये चोट पड़ सकती है।"*

यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि ऐसे स्थिति पैदा हो गई हैं जिससे भारत का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय सकट में है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा निकाल सकता है। इस प्रकार की उद्घोषणा को

(३)
वित्तीय आपात

यदि दो मास की समाप्ति के पूर्व ससद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता, तो वह इस अवधि के गत होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यह उद्घोषणा एक बार में छः महीने से अधिक के लिए प्रवर्तन में नहीं रहेगी, लेकिन इसे ससद के अनुमोदन सहित प्रति बार छः महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि वह किसी भी अवस्था में तीन साल से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी।

उस कालावधि में जिसमें कि वित्तीय उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका-शक्ति का विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धांत का पालन करने के लिए निर्देश देने तक, जैसे कि निर्देशों में उल्लिखित हों और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सहित सरकारी नौकरों के वेतन में कमी के लिए आज्ञा देने तक, होगा। वह इस बात की माग कर सकेगा कि विधेयक स्वीकृति के लिए उसके सम्मुख उपस्थित किया जाय। इसके अलावा देश के वित्तीय स्थायित्व को पुनः जमाने के लिए वह अन्य आवश्यक उपाय भी कर सकता है।

११६. राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी है या ध्वजमात्र शासक ?

राष्ट्रपति ऊपर बर्णित शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करेगा ? क्या ये उसकी वास्तविक शक्तियाँ हैं जिनका वह इच्छानुसार प्रयोग कर सकता है ? अथवा ये

* के. सन्धानम : दि कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पृ. २८६

शक्तियाँ उसे केवल प्रौपचारिक रूप से ही प्राप्त हैं जिनका वह अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा के अनुसार प्रयोग करने के लिए बाध्य है। विशुद्ध न्यायविद की दृष्टि रखने वाले कुछ टीकाकारों ने कहा है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो स्वेच्छा-चारी शासक बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद ५३(१) में कहा गया है, "सघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा।" डा० बी. एम. शर्मा के अनुसार "इससे राष्ट्रपति को यदि वह चाहे तो सघ का केवल ध्वजमात्र शासक ही नहीं अपितु वास्तविक शासक बनने का पर्याप्त क्षेत्र मिल जाता है।"† यह ठीक है कि अनुच्छेद ७४ (१) ने निर्धारित किया है कि, "राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधान मन्त्री होगा।" लेकिन डा० डी. एन. बनर्जी के शब्दों में, "आवश्यक बात यह है कि क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद ७४ (१) के अधीन अपनी मन्त्रि-परिषद की मन्त्रणा को समस्त परिस्थितियों में स्वीकार करने के लिए कानूनतः बाध्य है? मेरा निवेदन यह है कि वह नहीं है।"‡ विधान सभा के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भी यही मत व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था "अनुच्छेद ७४ (१) यह नहीं कहता कि राष्ट्रपति उस मन्त्रणा को मानने के लिए बाध्य होगा।" उन्होंने एक ऐसे उल्लिखित उपबन्ध के करने का सुझाव भी दिया था जिसके अनुसार राष्ट्रपति के लिए मन्त्रिपरिषद की मन्त्रणा स्वीकार करना अनिवार्य हो जाय। लेकिन इस सुझाव को कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया।

लेकिन यह कहना कि राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है; संविधान का आवश्यकता से अधिक कानूनी दृष्टिकोण से निर्वाचन करना है। संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य स्पष्ट है। उन्होंने भारतवर्ष के लिए पर्याप्त सोच-विचार के पश्चात् सासद शासन-प्रणाली अंगीकृत संविधान के निर्माताओं की। यह निर्णय करते समय संविधान निर्माताओं ने मान का उद्देश्य लिया था कि सासद अथवा मन्त्रिमण्डल शासन प्रणाली की वे समस्त परम्पराएँ, जो इंग्लैंड में प्रचलित हैं, भारत में भी प्रचलित हो जायेंगी।

† बी. एम. शर्मा : इंडियन 'जनेल आफ पोलिटिकल सायंस' में "प्रेसीडेंट आफ इंडिया", भाग ११, अंक ४ पृ. १

‡ डी. एन. बनर्जी : 'माडर्न रिब्यू' में 'पोजीरान आफ दि प्रेसीडेण्ट आफ इंडिया' दिसम्बर-१९५० पृ. ४५८

सांसद शासन प्रणाली का यह सार है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रिपरिषद द्वारा प्रयोक्तव्य होनी चाहिए। मन्त्रिगण विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मन्त्री सदैव राज्य के ध्यजमात्र अधिकारी प्रधान के नाम में आचरण करते हैं, परन्तु यह ध्वजमात्र कार्यकारी प्रधान समस्त मामलों में अपने मन्त्रियों के परामर्श को स्वीकार करता है। भारत की विधान सभा के संयुक्त मन्त्री और आलेखक एस. एन. मुनर्जी के अनुसार "सविधान के निर्माताओं ने सविधान में इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि राष्ट्रपति सदैव अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर आचरण करेगा। उन्होंने इस चीज को इंग्लैंड की तरह अभिसमयों के ऊपर छोड़ दिया है।"* प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष डा० अम्बे-दकर के अनुसार, "राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो अश्वेजी सविधान में सभा की। वह कार्यपालिका का नहीं, राष्ट्र का प्रधान है। वह राष्ट्र का शासन नहीं, अपितु प्रतिनिधित्व करता है। वह सधारणत मन्त्रियों के परामर्श से बधा होगा। वह न तो उसकी मन्त्रणा के बिना और न उनकी मन्त्रणा के प्रतिकूल ही कुछ कर सकता है।"† भारत के राष्ट्रपति की स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति से भिन्न है। अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी है और वह सविधान द्वारा अपने में निहित शक्तियों का स्वविवेकानुसार प्रयोग करता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने मन्त्रियों की बात माने ही माने।

कहने का सार यह है कि सविधान का उद्देश्य भारत के राष्ट्रपति को प्रभूत गौरवमण्डित, परन्तु वास्तविक शक्ति से हीन बनाना है। सांसद शासन के अभिसमयों की बात छोड़ देने पर भी राष्ट्रपति निरकुश नहीं हो सकता।

राष्ट्रपति निरंकुश इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूले भटके ऐसे अवसर आ सकते हैं जबकि राष्ट्रपति के लिए अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा के प्रतिकूल आचरण करना सम्भव हो जाय, परन्तु यदि उद्दता-पूर्वक उनकी मन्त्रणा का उल्लंघन करता है, तो वे त्याग-पत्र देकर वैधानिक गतिरोध पैदा कर सकते हैं। यदि ससद में उनका बहुमत है और उन्हें समय रूप से जनता का समर्थन प्राप्त है तो राष्ट्रपति को एक अवान्तरिक मन्त्रिमण्डल की रचना कठिन हो जायगा। इसके अलावा अत्यधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति की बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए महाभियोग का शस्त्र विद्यमान है। यदि राष्ट्रपति

*दि हिन्दुस्तान टाइम्स, गणराज्य-दिवस परिशिष्टांक, २६ जनवरी, १९५०

†कॉन्स्टीट्यूटिंग एंड प्रसेम्बली डिबेट्स भाग ७, पृ. ३३

और मन्त्रिमण्डल दो विरोधी राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखते हैं, तो कठिनाइयां उठ सकती हैं, परन्तु साधारणतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को वैधानिक प्रधान की तरह आचरण करना पड़ेगा।

१२०. उपराष्ट्रपति

नए संविधान के अधीन भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा। वह एकल संक-
मणीय मत के द्वारा सानुपात प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों
सदनो द्वारा निर्वाचित होगा। उप-राष्ट्रपति पद के लिए
प्रत्याशी व्यक्ति के पास निम्न अर्हताओं का होना आव- उसका निर्वाचन
श्यक है। (१) उमे भारत का नागरिक होना चाहिए, (२) और
उसकी अवस्था पैंतीस वर्ष से अधिक की होनी चाहिए, अर्हताएं
(३) उसमे राज्य परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित होने
की अर्हता होनी चाहिए, (४) उमे भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार
के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या
अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए नही होना चाहिए।
उस व्यक्ति को जो सघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्य-
पाल या राजप्रमुख या उप राजप्रमुख अथवा सघ का या किसी राज्य का मन्त्री है,
इस नियम से छूट रहेगी।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरह भारत का उप-राष्ट्रपति पदेन संघीय
विधान मण्डल के उच्च सदन अर्थात् राज्य-परिषद का सभापति होगा। यदि राष्ट्रपति
की मृत्यु, पदत्याग, पदच्युति या बीमारी के कारण राष्ट्र- उसके हृत्य
पति का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो जाय, तो उप-राष्ट्र-
पति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप
में कार्य करेगा। इस दृष्टि से वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भिन्न है क्योंकि अमे-
रिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदच्युति या पद-त्याग के पश्चात् शेष राष्ट्र-
पति पदावधि के लिए स्वतः राष्ट्रपति हो जाता है। भारत का उप-राष्ट्रपति, यदि वह
स्वयं अपना पद त्याग न करे अथवा राज्य-परिषद के पूर्ण बहुमत से पास किए गए ऐसे
प्रस्ताव के द्वारा, जिस पर लोक-सभा ने भी अपनी स्वीकृति दे दी हो, अपदस्थ न कर
दिया जाये, तो पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है।

१२१ मंत्रि-परिषद

चूँकि राष्ट्रपति वैधानिक शासक है, इसलिए भारत संघ की वास्तविक कार्य-
पालिका मंत्रि-परिषद है जो विद्वान्ततः राष्ट्रपति में निहित शक्तियों का वास्तविक

मंत्रि-परिषद और मंत्रिमण्डल

रूप से प्रयोग करती है। यहाँ हम मंत्रिमण्डल और मंत्रि-परिषद के भेद को समझ सकते हैं। संविधान में केवल मन्त्रि-परिषद का ही उल्लेख है। मन्त्रिमण्डल एक अनुप-चारिक निकाय है और उसमें सबके सब मन्त्री शामिल नहीं हैं। दूसरे शब्दों में वह मन्त्रिपरिषद का एक भाग है अथवा जैसे कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के बारे में कहा जाता है, चक्र के अन्दर एक चक्र है। मन्त्रि-परिषद में वे कई छोटे मन्त्री (राज्य-मन्त्री और उप-मन्त्री) भी शामिल रहते हैं, जिन्हें कि मन्त्रिमण्डल का स्तर प्राप्त नहीं होता। मन्त्रिमण्डल मन्त्रि-परिषद की वास्तविक नीति-निर्मात्री समिति है और वह ऊँचे मन्त्रियों से मिल कर बनता है।

संविधान ने मन्त्रिपरिषद की रचना के लिए निम्न प्रक्रिया निश्चित की है। अनुच्छेद ७५ (१) कहता है, “प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री की मन्त्रणा पर करेगा।” राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक रुचि-अरुचि के प्रयोग करने का अत्यल्प अवसर है। लोक-सभा में जिस दल का बहुमत है, राष्ट्रपति उसके नेता को प्रधान मन्त्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। यदि लोक-सभा में कई दल हों, और उनमें से किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति अवश्य अपनी थोड़ी सी रुचि-स्वातन्त्र्य का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रपति को उसके द्वारा चुनी गई टीम स्वीकार करनी पड़ती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, मन्त्री नियुक्त किया जाता है तो उसे छ महीने की समाप्ति पर, यदि वह इसी बीच में दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाता, अपना पद रिक्त करना पड़ेगा।

संघ-शासन में मन्त्रिमण्डल की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी शक्तियाँ और उत्तरदायित्व अत्यन्त व्यापक हैं। उसे प्रशासनिक, व्यवस्थात्मक और वित्तीय मामलों का प्रबन्ध करना पड़ता है। वह मन्त्रिमण्डल ही है जो कि भारत-संघ की साधारण कार्यपालिका नीति निश्चित करता है। वह सम्पूर्ण शासन का संचालन करता है। उसका प्रत्येक सदस्य एक या एक से अधिक विभागों का प्रधान होता है। मन्त्रिमण्डल संघीय विधान मण्डल के व्यवस्थात्मक कार्यक्रम को भी तय्यार करता है। सरकारी विधेयकों को संसद में मन्त्री ही पुरःस्थापित करते हैं।

मंत्रिमण्डल के कृत्य

वे ही उन्हें पास करवाते हैं। लोक-सभा में बहुमत होने के कारण संसद में मंत्रिमण्डल की स्थिति अत्यन्त प्रभाव पूर्ण होती है। यदि कोई प्राइवेट सदस्य किसी विधेयक को उपस्थित करता है और इस विधेयक के पीछे मंत्रिमण्डल का समर्थन नहीं होता, तो इसके पास होने की बहुत कम सभावना समझनी चाहिए। धरं, मंत्रिमण्डल को कई वित्तीय कृत्य भी करने पड़ते हैं। वह बजट तय्यार करता है। वह इस बात का निश्चय करता है कि कौन कौन से कर लगाए जायेंगे और सध की आय किस प्रकार खर्च होगी। समस्त धन-विधेयको का मन्त्रियों द्वारा पुरःस्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः मन्त्रिमण्डल भारत सध की वैदेशिक नीति निर्धारित करता है और इस लिए यह निश्चित करता है कि भारत सध के ससार के अन्य देशों के साथ क्या सम्बन्ध होंगे।

१२२. मंत्रिमण्डल की कार्यप्रणाली

मन्त्रिमण्डल शासन की कार्यप्रणाली उन कतिपय सर्वमान्य सिद्धांतों पर आश्रित है, जो इंग्लैंड तथा स्वशासन डोमिनियनो में धीरे-धीरे विकसित हुए हैं। पहली बात तो यह है कि यद्यपि सिद्धांततः मन्त्रिमण्डल का कार्य राष्ट्रपति को मन्त्रणा और सहायता देना है, लेकिन वस्तुतः राष्ट्रपति उससे बाहर रहता है। यह राष्ट्रपति की तटस्थता निश्चित कर देता है और उसे दलगत राजनीति से ऊपर उठा देता है। मन्त्रिमण्डल द्वारा निश्चित किया गया प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के नाम में सम्पन्न होता है, लेकिन इस बात को हर कोई जानता है कि राष्ट्रपति का इस मामले में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। यदि शासन अच्छी तरह संचालित होता है, तो इसका श्रेय मन्त्रिमण्डल को मिलता है। इसके विपरीत यदि शासन में गड़बड़ी पैदा होती है, तो राष्ट्रपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ब्रिटिश सम्राट की तरह राष्ट्रपति कोई गल्ती नहीं कर सकता क्योंकि जो कार्य उसके द्वारा किया सम्भ्र जाता है, वह वास्तव में मन्त्रियों द्वारा किया जाता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति परोक्षरिति से मन्त्रियों के निर्णयों पर अपना प्रभाव डाल सके, लेकिन एक बार मन्त्रिमण्डल ने जहाँ किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया, राष्ट्रपति साधारणतः चिन्हित रेखा पर हस्ताक्षर कर ही देता है चाहे यह उसके मन के प्रतिकूल ही क्यों न हो।

दूसरी बात यह है कि मन्त्रिमण्डल विधानमण्डल के साथ सहयोगपूर्वक कार्य करता है। प्रत्येक मन्त्री संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होता है। मन्त्री संसद के दोनों सदन की बैठकों में उपस्थित होते हैं, विधेयकों को पुरःस्था-

मन्त्रिमण्डल और विधानमण्डल का सहयोग

पित करते हैं और पास करवाते हैं, वाद-विवादों में भाग लेते हैं और अपनी नीतियों की प्रतिरक्षा करते हैं। कार्य-पालिका और व्यवस्थापिका का यह सहयोग सांसद शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। अमेरिकन अथवा राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली में, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आश्रित है, यह विशेषता नहीं पायी जाती।

तीसरी बात यह है कि संसद शासन-प्रणाली के अधीन मन्त्रिमण्डल की एक प्रमुख विशेषता राजनीतिक सजातीयता होती है। साधारणतः सारे मन्त्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और इसलिए उनके एक से राजनीतिक दृष्टिकोण तथा सिद्धांत होते हैं। भारत का पिछला कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल इस सिद्धांत से विलग मालूम पड़ सकता था क्योंकि उसके कुछ सदस्य गैर-कांग्रेसी थे। लेकिन मन्त्रिमण्डल में लिए जाने के पूर्व गैर-कांग्रेसी सदस्यों ने कांग्रेस शपथ पर हस्ताक्षर किए थे और कांग्रेस दल के मूल सिद्धांतों का पालन करनेकी प्रतिज्ञाकी थी।

लोक-सभा के प्रति उत्तरदायित्व

चौथी बात यह है कि मन्त्रिमण्डल लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व का अभिप्राय यह है कि मन्त्रिमण्डल और इस दृष्टि से सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद उसी समय तक सत्तारूढ रहती है जब तक कि उसे लोक-सभा का विश्वास अर्थात् उसके सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। जैसे ही मन्त्रिमण्डल ने यह विश्वास खोया, सम्पूर्ण मन्त्रालय के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह या तो पद रिक्त कर दे अथवा राष्ट्रपति को लोक-सभा का विघटन करने और नये साधारण निर्वाचनों का आदेश देने की मन्त्रणा प्रदान करे। यह स्मर्त्तव्य है कि मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिमण्डल एक टीम है और उसके सदस्य साथ ही साथ डूबते अथवा साथ ही साथ तैरते हैं। यदि एक मन्त्री कोई कार्य करता है तो वह सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल का कार्य समझा जाता है और किसी एक मन्त्री की कोई गलती समग्र टीम का अघःपात कर सकती है। यदि लोकसभा किसी एक मन्त्री के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है, सारे मन्त्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें लोकसभा के प्रति मन्त्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से और उल्लि-

खित रूप से उपबन्धित कर दिया गया है। इंग्लैंड और डोमिनियनो में मन्त्रीय उत्तर-दायित्व सम्पूर्णतः अभिसमय पर आधारित है।

पांचवीं बात यह है कि मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में कार्य करता है। संविधान ने अनुच्छेद ७४ (१) में यह निर्धारित करके कि एक मन्त्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमन्त्री होगा, प्रधान मन्त्री की शीर्ष-स्थानीय स्थिति को औपचारिक मान्यता दी है। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री का प्रधानमंत्रीकी भांति, वह न केवल "Primus inter pares" नेतृत्व अर्थात् बराबर वालों के बीच में प्रथम ही है, अपितु "Inter stellas luna minores" अर्थात् नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा भी है। यह वह ही है जो दूसरे मन्त्रियों को चुनता है। यह वह ही है जो उनके बीच विभागों का वितरण करता है। यह वह ही है जो मन्त्रिमण्डल की बैठकों के कार्यक्रम को निश्चित करता है और उनकी अध्यक्षता करता है। वह किसी भी समय एक मन्त्री से त्यागपत्र की माग कर और उसके स्थान पर किसी अन्य मन्त्री को नियुक्त कर मन्त्रिमण्डल में फेरफार कर सकता है। यदि प्रधान मन्त्री त्यागपत्र देता है तो इसका अभिप्राय यह है कि सब मन्त्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि प्रधानमन्त्री और किसी अन्य मन्त्री के बीच मतभेद हो जाय, तो वह पश्चादुक्त ही है जिसे कि या तो त्यागपत्र देना पड़ता है या झुकना पड़ता है।

प्रधान मन्त्री की सर्वोच्चता मन्त्रिमण्डल के सामुदायिक उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक गारण्टी है। डा० अम्बेदकर के शब्दों में, "स्पष्ट है कि सामुदायिक उत्तर-दायित्व के लिए कोई कानूनी अनुज्ञप्ति नहीं हो सकती। वह एकमात्र अनुज्ञप्ति जिसके द्वारा सामुदायिक उत्तरदायित्व को प्रभावी किया जा सकता है, प्रधान मन्त्री के द्वारा है। मेरे मत में सामुदायिक उत्तरदायित्व दो सिद्धांतों द्वारा प्रभावी होता है। एक सिद्धांत तो यह है कि कोई भी व्यक्ति मन्त्रिमण्डल के लिये उस समय तक मनोनीत नहीं होगा, जब तक कि प्रधान मन्त्री की मन्त्रणा न हो। दूसरा सिद्धांत यह है कि यदि प्रधान मन्त्री कहे कि अमुक मन्त्री का अपने पद से हटना आवश्यक है, तो वह मन्त्रिमण्डल का सदस्य नहीं रहेगा।"*

प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपति के बीच मुख्य कड़ी भी है। वह मन्त्रिमण्डल के निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुँचाता है। यदि राष्ट्रपति सघीय मामलों के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाली सूचनाओं तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तावों की माग करे, तो इन चीजों को उसके पास पहुँचाना प्रधान मन्त्री का कर्तव्य है। ससद में प्रधान

* कंस्टीट्यूट एंड एसेम्बली डिबेट्स, भाग ७, पृ. १५६।

मन्त्री को साधारण नीति के मामलों पर शासन का मुख्य प्रवक्ता समझा जाता है। अपनी मूर्धन्य स्थिति के कारण प्रधान मन्त्री देश की घरेलू और वैदेशिक नीति के स्वरूप-निर्धारण में निर्णायक हाथ रखता है।

इस प्रकार प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल का केन्द्रबिन्दु है। लेकिन उसकी उच्चता का यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि वह स्वेच्छाचारी है और दूसरे मन्त्री खाली उसके अनुचर ही हैं। वह नेता है, अधिपति नहीं। साधारणतः मन्त्रिमण्डल के सदस्य दल के मुख्य नेता होते हैं और प्रधान मन्त्री उनके सहयोग तथा सद्भावना के बिना अपनी स्थिति कायम नहीं रख सकता। वह जानता है कि मन्त्री उसके दास नहीं, साथी हैं और उसे उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है

संघीय विधान मंडल

१२३. संसद

नए संविधान के अधीन संघीय (केन्द्रीय) विधान मण्डल संसद कहलाता है यह एक द्विसदनात्मक विधानमण्डल है जो राष्ट्रपति तथा संसद के दो सदनों से मिल कर बना है। ये सदन क्रमशः राज्य परिषद तथा लोकसभा के नाम से प्रख्यात हैं। संविधान ने निर्धारित किया है कि संसद के सदनों का वर्ष में कम से कम दो बार अहूत होना आवश्यक है और उनके एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए निश्चित तारीख के बीच ६ मास का अन्तर न होगा। इस उपबन्ध के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति (१) संसद के सदनों को अथवा किसी सदन को अहूत कर सकता है, (२) सदनों का मन्त्रावसान कर सकता है तथा (३) आवश्यकता पड़ने पर लोक-सभा का विघटन कर सकता है।

१२४. राज्य-परिषद्

संसद का उच्च सदन राज्य परिषद् के नाम से प्रख्यात होगा। जैसा कि इसके नाम से ध्वनित होता है, यह सदन राज्यों अर्थात् भारत-मध्य के अग्रभूत एककों के प्रतिनिधियों से मिल कर बनेगा। लेकिन जिस प्रकार रचना अधिकार टिपीकल संघों के उच्च सदनों में विभिन्न अवयवी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वैसे भारत में नहीं किया गया है। संविधान ने राज्यपरिषद् की अधिक से अधिक सदस्य संख्या २५० निश्चित की है। इनमें से १२ सदस्यों को राष्ट्रपति नामनिर्देशित करेगा। ये १२ सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। शेष सदस्य राज्यों के

प्रतिनिधि होंगे। चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्यों के बीच स्थानों का बंटवारा निम्न प्रकार होगा—

भाग (क) राज्य	भाग (ख) राज्य	भाग (ग) राज्य
आसाम ६	जम्मू और काश्मीर ४	अजमेर-कुर्ग १
उड़ीसा ९	त्रावनकोर कोचीन ६	कच्छ १
पंजाब ८	पटियाला और पूर्वी ३	कूच-बिहार १
पश्चिमी बंगाल १४	पंजाब राज्य ३	दिल्ली १
बिहार २१	मध्यभारत ६	विलासपुर १
मद्रास २७	मैसूर ६	हिमाचल प्रदेश १
मध्यप्रदेश १२	राजस्थान ९	भोपाल १
बम्बई १७	विन्ध्य प्रदेश ४	मनीपुर १
उत्तर प्रदेश ३१	सौराष्ट्र ४	त्रिपुरा १
	हैदराबाद ११	
कुल १५४	कुल ५३	कुल ७

राज्य परिषद के सदस्य चुने जाने के लिये व्यक्ति ये निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी अवस्था कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिए और इसमें ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो ससद-निर्मित कानून के द्वारा निश्चित की जाये। सदस्यों की अर्हताएं राज्य परिषद के लिये प्रतिनिधि परोक्ष रीति से चुने जायेंगे। प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि जनता के प्रत्यक्ष मत के द्वारा नहीं अपितु प्रत्येक राज्य की विधान सभा के द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। भाग (ग) राज्यों के प्रतिनिधि ऐसे ढंग से चुने जायेंगे, जैसा कि ससद निश्चित करे। राज्य परिषद एक स्थायी सदन होगी। दूसरे शब्दों में उसका विघटन नहीं होगा। परिषद के सदस्य ६ वर्ष के लिये निर्वाचित होंगे लेकिन उनमें से एक तिहाई प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जायेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद का सभापति होगा। परिषद अपने सदस्यों में से किसी एक को उप सभापति चुनेगी।

१२५. लोकसभा

संसद का निम्न सदन लोक सभा के नाम से प्रख्यात होगा। यह उन ५०० से

सदस्यों से मिलकर बनेगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होंगे शुरू शुरू में: लोकसभा में ४६७ सदस्य रचना और निर्वाचन होंगे। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम लोकसभा में स्थानों का वितरण निम्न प्रकार से करता है—

भाग (क) राज्य	भाग (ख) राज्य	भाग (ग) राज्य	भाग (घ) राज्य
आसाम १२	हैदराबाद २५	अजमेर २	अडमान
बिहार ५५	जम्मू	भोपाल २	निकोबार
बम्बई ४५	काश्मीर ६	विलासपुर १	द्वीप १
मध्यप्रदेश २९	मध्यभारत ११	कुर्ग १	
मद्रास ७५	मैसूर ११	दिल्ली ४	
उड़ीसा २०	पेप्सू ५	हिमाचल प्रदेश ३	
पंजाब १८	राजस्थान २०	कच्छ २	
उत्तर प्रदेश ८६	सौराष्ट्र ६	मनीपुर २	
पश्चिमी बंगाल ३४	त्रावनकोर १२	त्रिपुरा २	
		विध्य प्रदेश ६	
कुल... ३७४	कुल... ६६	कुल... २६...	कुल १

नये संविधान ने पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचक-गणों का उन्मूलन कर दिया है लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनो के हित का दस वर्ष की अवधि के लिए संरक्षण का प्रबन्ध किया है। उसने राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दे दिया है कि यदि उसकी राय हो कि लोकसभा में आगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकता है। लोकसभा के लिए होने वाले निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजन कर दिया जायगा जिससे यह सुनिश्चित रहे कि प्रति ७,५०,००० जनसंख्या के लिए से एक कम सदस्य तथा प्रति ५,००,०००

सदस्यों की
अर्हताएं

जनसंख्या के लिए एक से अधिक सदस्य न होगा। कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो। कम से कम २५ वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और ऐसी अन्य अर्हताएं न रखता हो जो मसद-निर्मित किसी कानून के द्वारा या अधीन निश्चित की जायें। साधारणतः लोकसभा की अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से ५ वर्ष की है और इस कालावधि समाप्ति होते

पर उसको विघटित क देना आवश्यक है। परन्तु लोक-सभा को उसकी पूर्ण अवधि के समाप्त होने के पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, लोकसभा की इस कालावधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के छः मास पश्चात् यह कालावधि समाप्त हो जायगी।

सदन की
अवधि

लोक-सभा अपने दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करेगा, उसमें व्यवस्था और अनुशासन कायम रखेगा और उनके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करेगा। साधारणतः अध्यक्ष की स्थिति वही होगी जो ब्रिटिश कॉमन सभा के स्पीकर की है। उसका सर्वथा निष्पक्ष तथा दल-गत भावनाओं से उच्च होना आवश्यक है। तथापि यह निर्दिष्ट नहीं है कि वे सब अभिसमय भारत में भी लागू होंगे और भारतीय लोक-सभा का अध्यक्ष ब्रिटिश स्पीकर की भाँति अपने दल का सदस्य नहीं रहेगा तथा राजनीति से पृथक् हो जायगा। आज जो स्थिति है, उसका श्री जी० वी० मावलकर ने निम्न शब्दों में सारांश दिया है :—

अध्यक्ष

(The speaker)

“आज भारत में लोक-सभा का अध्यक्ष ब्रिटिश कॉमन-सभा के स्पीकर की तरह राजनीतिक अखाड़े से पूर्णतः बाहर नहीं है। जहाँ तक वर्तमान का सम्बन्ध है अध्यक्ष के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिज्ञ बना रहे हालाँकि उसके क्रिया-कलाप काफी मर्यादित हो। वह अपने दल का सदस्य बना रह सकता है लेकिन उसे दल के मामलों में, विशेषकर ऐसे मामलों में जिनकी सदन के सम्मुख आने की सम्भावना हो, भाग न लेना चाहिए। कहनेका सार यह है कि उसे किसी प्रकारके प्रचारके साथ स्वयं को एक रूप न करना चाहिये और न ऐसे मत व्यक्त करने चाहिए जिनसे कि उसके अध्यक्ष-पद के दलदल में फंसने की सम्भावना हो अथवा जिनसे इस बात का कि अध्यक्ष पक्षा-बलम्बी है, भाव पैदा होने की गुंजायश रहे।”*

१२६. संसद के दो सदनों के पारस्परिक सम्बन्ध

संसद के दो सदनों की स्थिति समान नहीं है। वित्तीय व्यवस्थापन के सम्बन्ध में लोक सभा की स्थिति मूर्धन्य है और राज्य-परिषद की शक्तिर्था अत्यन्त मर्यादित

* जी. वी. मावलकर : “पार्लिमेंटरी अफेयर्स” में पार्लिमेंटरी लाइफ इन इंडिया” भाग ४ अंक १ पृ. ११४

धन-विधेयकों के
सम्बन्ध में

हैं। संविधान ने निश्चित किया है कि धन-विधेयक केवल लोक-सभा में ही पुरःस्थापित किया जा सकता है। जैसे ही लोक-सभा उसे पास कर देती है वह सिफारिशों के लिये राज्य-परिषद के पास भेजा जाता है। राज्य-परिषद के लिए यह आवश्यक है कि वह विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित चौदह दिन के भीतर ही भीतर लोक सभा के पास वापिस लौटा दे। इसके पश्चात् लोक-सभा चाहे तो इन सिफारिशों में से किसी को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार, विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ समझा जायेगा। यदि राज्य-परिषद चौदह दिन के भीतर ही भीतर विधेयक को लोक-सभा के पास वापिस नहीं भेज पाती, तब भी वह दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ समझा जाएगा। इस प्रकार राज्य-परिषद धन-विधेयक के अधिनियम में केवल दो सप्ताह की देरी कर सकती है। इस दृष्टि से परिषद ब्रिटिश लार्ड-सभा के तुल्य है। ब्रिटिश लार्ड-सभा भी धन-विधेयकों के बारे में सर्वथा शक्ति-हीन है।

लेकिन धन-विधेयको से अन्य विधेयको के बारे में दोनों सदनों की शक्तियाँ समान हैं। कोई भी अवित्तीय विधेयक उस समय तक अधिनियम का रूप धारण नहीं कर सकता, जब तक कि वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पास न कर दिया जाय। लोक-सभा को राज्य-परिषद के निर्णय का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं होगी। इस दृष्टि से राज्य-परिषद ब्रिटिश लार्ड-सभा से स्पष्टतः भिन्न है। ब्रिटिश लार्ड-सभा धन-विधेयकों से अन्य विधेयको के सम्बन्ध में भी, केवल विलम्ब करने वाले सदन के रूप में ही कार्य करता है।

कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी अवित्तीय विधेयक के ऊपर लोक-सभा और राज्य-परिषद में मतभेद हो जाय। ऐसी स्थिति में गतिरोध दूर करने के लिये दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक की जा सकती है। संयुक्त बैठक में यदि कोई निर्णय करना होता है, तो वह सीधे सादे बहुमत के द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक में लोक सभा का बोलबाला रहेगा क्योंकि उसकी सदस्य संख्या राज्य-परिषद की सदस्य-संख्या से दुगुनी होगी। दूसरे शब्दों में उच्च सदन उन मामलों में भी, जो कि धन से सम्बद्ध नहीं हैं, घाटे में रहेगा। भारतीय राज्य-परिषद ब्रिटिश लार्ड-सभा की तरह शीघ्र सदन नहीं होगी। फिर भी उसकी स्थिति लोक-सभा की तुलना में नीची रहेगी।

संघीय कार्यपालिका के ऊपर दोनों सदनों का जो नियंत्रण है, जिस सीमा तक नियंत्रण है, उस क्षेत्र में भी यही बात दिखाई देती है। संविधान मन्त्रिपरिषद को दोनों सदनों के प्रति नहीं, अपितु अकेले लोक-सभा के प्रति उत्तर-दायी बनाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य-परिषद कार्यपालिका के ऊपर सरकार की नीति पर विचार-विमर्श कर सकती है, प्रश्नों और 'कामरोंको' प्रस्तावों द्वारा उसके ऊपर कुछ प्रभाव भी डाल सकती है। लेकिन सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे अपद-स्थ करना केवल लोक-सभा के बूते की ही बात है।

१२७. संसद की शक्तियाँ और मर्यादाएँ

संविधान संघ सूची और समवर्ती सूची में प्रगणित समस्त विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित करता है। साधारणतः वह राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने के लिये सक्षम नहीं है। लेकिन यदि राज्य-परिषद घोषणा कर दे कि इन विषयों में से (क) विधायिनी कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद उसके शक्तियाँ सम्बन्ध में कानून बना सकती है। संसद आपात की उद्घो-षणा के प्रवर्तन-काल में अथवा राज्य में संविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की उद्घो-षणा के प्रवर्तन काल में भी राज्य-विषयों के ऊपर कानून बना सकती है। संसद की शक्तियों पर एक अन्य प्रतिबन्ध यह है साधारणतः राज्य-विषय किन्से पूर्ण और अपवर्जी संविधान सविधायी शक्तियाँ प्राप्त संसद की सक्षमता से नहीं है। वह राज्यों के विधान मंडलों की सहमति के बिना बाहर है संविधान के महत्वपूर्ण उपबन्धों को संशोधित नहीं कर सकती। इससे भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद के बीच के एक स्पष्ट अन्तर का पता चलता है। ब्रिटिश संसद प्रभुत्व-सम्पन्न विधानमंडल है, उसे पूर्ण संविधान सविधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं और वह संसद प्रभुत्वसम्पन्न कानून देश के संविधान को जिस ढंग से चाहे, संशोधित कर निर्मात्री निकाय नहीं है सकती है। इसके अलावा भारतीय संसद द्वारा पास किये गए कानून न्यायिक पुनरीक्षण के विषय हैं। उन कानूनों को जो संविधान के किसी उपबन्धों के प्रतिकूल पड़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ब्रिटिश संसद इस प्रकार के किसी प्रतिबन्ध के अधीन नहीं है।

यहाँ हम संसद की शक्तियों के ऊपर एक अन्य प्रतिबन्ध की चर्चा कर सकते हैं। प्रत्येक विधेयक के लिये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, राष्ट्रपति की

**राष्ट्रपति का
निषेधाधिकार**

अनुमति प्राप्त होने पर ही उसे संविधि-पुस्तक में दर्ज किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, राष्ट्रपति संसद द्वारा पास किये गये किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देना अस्वीकार कर सकता है और उसे पुन-विचार के लिये संसद के पास वापिस भेज सकता है। लेकिन कार्यपालिका का यह निषेधाधिकार केवल निलम्बमान (Suspensory) ही है, अन्तिम नहीं। राष्ट्रपति विधेयक के अधिनियमन में खाली देर कर सकता है, उसकी हत्या नहीं कर सकता। संसद के दोनो सदन विधेयक को दुबारा सीधे सादे बहुमत से पास करके राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का अतिक्रमण कर सकते हैं।

संसद को विपुल वित्तीय शक्तिया भी प्राप्त है। वह संसद की थैली को नियन्त्रित करती है। जब तक संसद का अनुमोदन न हो, जनता के ऊपर कोई कर नहीं लगाये जा सकते और न किसी प्रकार का कोई व्यय ही किया जा सकता है। तथापि, व्यय की कुछ ऐसी मदे अवश्य हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। हा। विचार-विमर्श अवश्य हो सकता है। इन मदो का व्यय-भार संसद के अनुमोदन सहित भारत सचिव-निधि के ऊपर पड़ता है।

चूकि भारतवर्ष में सासब शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अतः संघीय मन्त्रिपरिषद संसद के नियन्त्रण में रह कर कार्य करती है। इस नियन्त्रण का प्रयोग लोकसभा के द्वारा किया जाता है, जिसके प्रति मन्त्रिपरिषद (ग) संसद का सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यदि मन्त्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है तो लोकसभा उसे (१) सीधे अविश्वास का प्रस्ताव पास करके, (२) किसी सरकारी विधेयक को अस्वीकार करके अथवा (३) सरकारी विधेयक में ऐसा संशोधन पास करके जिससे सरकार सहमत न हो, अपदस्थ कर सकती है। संसद प्रश्नो और कामरोको प्रस्तावो आदि के माध्यम से प्रशासन के ऊपर सतर्क दृष्टि रख सकती है और जनता का ध्यान सरकार के क्रिया-कलापो की ओर आकृष्ट कर सकती है। संसद का कोई भी सदस्य सरकार के कार्यों और नीतियो के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछ सकता है। निसर्गतः यह सरकार की नीतियो को प्रकाश में लाने के लिये अथवा उसे सार्वजनिक महत्व के ऐसे मामलोंमें आवश्यक कदम उठाने के लिए विवश करने के लिए, जिनकी उसने उपेक्षा की है, शक्तिशाली उपाय है। 'कामरोको' प्रस्ताव सदन के साधारण कार्य व्यापार को स्थगित करने का, बाकि रेश

न्दुर्घटना, जलूस पर पुलिस की गोली-बर्षा अथवा भीषण उपद्रव आदि सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर विचार किया जा सके, प्रस्ताव है। कामरोको प्रस्ताव का वास्तविक उद्देश्य प्रशासन की भ्रष्टता और दुर्बलता तथा कार्यपालिका की नीतिकी गलतियों को प्रकाश में लाना है। संसद का नियन्त्रण कार्यपालिका को सतर्क रखता है और उसे स्वेच्छाचारी ढंग में काम करने से रोकता है।

संघीय न्यायपालिका

१२८. भारत का सर्वोच्च न्यायालय

लोकतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली में सबल, स्वतन्त्र और सुसंगठित न्यायपालिका का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। उसका कर्तव्य है कि वह सरकार को अपनी शक्ति के स्वेच्छाचारी ढंग में प्रयोग करने से रोके और नागरिकों के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की रक्षा करे। सघीय संघ में न्यायपालिका शासन-प्रणालीके अधीन न्यायपालिका का कार्य और भी महत्वपूर्ण होता है, वह संविधान के अभिभावक का कार्य करती है। सघवाद में सघीय सरकार और अवयवी एकको अथवा राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। ऐसी पद्धति में क्षेत्राधिकार के प्रश्नों पर मतभेद अथवा विवाद उठ खड़े होना सर्वथा सम्भाव्य है। इसके अलावा, सघीय संविधान शासन के विभिन्न अगो की शक्तियों और कृत्यों का स्पष्ट रूप से निरूपण कर देता है तथा उनकी मर्यादाएं बाध देता है। इसलिए, यदि शासन की कोई विशेष शाखा, अपने प्राधिकार की सीमाओं से आगे बढ़ती है, तो विवाद उठ खड़े हो सकते हैं। केवल एक शक्तिशाली न्यायपालिका ही ऐसे विवादों को सुलझा सकती है और शासन के विभिन्न अगो को अपने लिए विहित क्षेत्रों के भीतर रख सकती है। भारत का नया संविधान स्वरूप में संघीय है। इसी के अनुसार इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के लिए और संविधान के अभिरक्षक व अन्तिम निर्वाचक के रूप में कार्य करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है।

नए संविधान के अधीन संस्थापित सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे ऊंचा न्याय-मण्डल है। वह देश की न्यायपालिका के शिखर पर आसीन है। उसका गठन १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थापित संघीय न्यायालय के स्टेटस को ऊंचा उठा कर और उसे अपर क्षेत्राधिकार प्रदान कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय दीवानी और फौजदारी अपीलों की उन शक्तियों

सर्वोच्च न्यायालय का गठन

का प्रयोग करती है, जिनका पहले प्रिवी कौंसिल प्रयोग करती थी।* कुछ मामलों में इन शक्तियों को पर्याप्त बढ़ा दिया गया है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय भारत के

मुख्य न्यायाधिपति और सात दूसरे न्यायाधीशों से मिलकर
सर्वोच्च न्यायालय बनता है। संविधान ने यह स्पष्ट उपबन्ध कर दिया है कि
की रचना संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को घटा या बढ़ा

सकती है। सर्वोच्च न्यायालयों के तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिनसे इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति को नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्याया-

न्यायाधीशों की
नियुक्ति तथा
अर्हताएं

धिपति के परामर्श से करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह (१) भारत का नागरिक न हो, (२) राज्य के किसी उच्च न्यायालय में पांच वर्ष से अन्यून काम न कर चुका हो (३) किसी उच्च न्यायालय का दस वर्ष से अन्यून अधिवक्ता न रह चुका हो और (४) पारगत विधिवेत्ता न हो। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को बिना किराया दिए पदावास के उपयोग का हक है। मुख्य न्यायाधिपति को ५,००० रु. प्रतिमास और दूसरे प्रत्येक न्यायाधीश को ४,००० रु. प्रतिमास वेतन मिलता है।

न्यायाधीशों के
वेतन आदि

न्यायाधीश जहां एक बार नियुक्त हुए, फिर उनके भत्ते उपलब्धियों और विशेषाधिकारों में उनके लिए अलाभकारी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

न्यायाधीशों को नौकरी की गारंटी दी जाती है। उनके सेवा-निवृत्त होने की आयु ६५ वर्ष निश्चित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से केवल

न्यायाधीशों की
पदभूमिति

उसी समय हटाया जा सकता है जबकि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के लिए उसके हटाए जाने हेतु संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सम्मुख एक समावेदन रख दिया हो और राष्ट्रपति ने उसके हटाये जाने का आदेश दे दिया हो। समावेदन के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत के द्वारा पास किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवा

* सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के साथ भारत का प्रिवी कौंसिल से सम्बन्ध टूट गया है।

निवृत्त होने के पश्चात् किसी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष बकायत करने अथवा उपस्थित होने से बचिन कर दिए गए हैं।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक शक्तिशाली निकाय है। उसकी शक्तियाँ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के सहित किसी अन्य संघ की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता की शक्तियों से अधिक है। वह एक अभिलेख-न्यायालय है और उसे अपने अबमान के लिये दण्ड देने की शक्ति के सहित ऐसे न्यायालय की सब शक्तिया प्राप्त हैं। अभिलेख न्यायालय वह उच्च न्यायालय होता है जिसके निर्णायो और न्यायिक कार्यवाहियों को नित्य स्मृति के लिये लिख लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय से अभिलेखों का साक्षात्क मूल्य होता है और जब किसी न्यायालय के सम्मुख उन्हे उपस्थित किया जाता है तब उनकी साक्षी पर किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय प्रारम्भिक, अपीलीय और परामर्शिय (क) अभिलेख-न्यायालय क्षेत्राधिकारो का प्रयोग करता है। उसका अपवर्जो प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (१) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यो के बीच के; (२) एक और भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यो तथा दूसरी और एक या अधिक अन्य राज्यो के बीच के, अथवा (३) दो या अधिक राज्यो के बीच के, किसी विवाद मे, यदि और जहा तक ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है (चाहे कानून का हो, चाहे तथ्य का) जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, वहाँ तक होता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर नहीं है जो पूर्वकाजीन देशी राज्यो के साथ की गई सन्धियों के उपबन्धो से सम्बन्ध रखता है और जिसमें कोई राज्य एक पक्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में तीन तरह के मामले आते हैं, (क) वैधानिक, (ख) दीवानी और (ग) फौजदारी। वैधानिक मामलों में, किसी उच्च न्यायालय के चाहे तो फौजदारी विषयक और चाहे दीवानी कार्यवाही में दिये गये निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है यदि वह उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उस मामले में संविधान के निर्बचन का कोई सारवान् विधि-प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। दीवानी मामलों में, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, आज्ञापति या अंतिम आदेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि

सर्वोच्च न्यायालय
की
शक्तियाँ

(ख) सर्वोच्च न्यायालय
का प्रारम्भिक
क्षेत्राधिकार

(ग) सर्वोच्च न्यायालय
का अपीलीय
क्षेत्राधिकार

विवाद-विषय की राशि का मूल्य २०,००० रु० से कम नहीं है अथवा अपील में कोई सारवान् विधि-प्रश्न अन्तर्ग्त है। फौजदारी मामलो में किसी उच्च न्यायालय के दिये हुए निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी यदि उस उच्च न्यायालय ने (१) अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की विमुक्ति के आदेश को पलट दिया है तथा उसको मृत्युदण्डादेश दिया है (२) अपने अधीन न्यायालय से किसी मामले को परीक्षण करने के हेतु अपने पास मगा लिया है तथा ऐसे (ग) सर्वोच्च न्यायालय परीक्षण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराया है का परामर्श और मृत्यु-दण्डादेश दिया है, अथवा (३) प्रमाणित किया है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील किये जाने लायक है। ससद, कानून के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कतिपय पारामर्श कृत्य भी दिए हैं। यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस पर वह सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर सकता है। इस क्षेत्राधिकार के अधीन राष्ट्रपति उन विवादों को भी सर्वोच्च न्यायालय को राय देने के लिए सौंप सकता है जो पूर्व-कालीन देशी राज्यों के साथ की गई सन्धियों और समझौतों के निर्वचन को अन्तर्ग्त करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों की स्वतन्त्रताओं और मूल अधिकारों का रक्षक है। यदि किसी विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई कानून उन मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है जो संविधान ने जनता को प्रदान किये हैं, तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकता है। निवारक निरोध अधिनियम के खंड १४ के मामले में यह किया गया था, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश निकाल कर इस खंड को प्रपमाजित कर दिया। अभी हालही में राज्यों के उच्च न्यायालयों ने और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद १९ और ३१ के प्रतिकूल पड़ने वाले कतिपय कानूनों को निष्फल किया है। सर्वोच्च न्यायालय बन्दी प्रत्यक्षीकरण और मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिये लेख संविधान का अभिरक्षक और निर्वचक निकाल सकता है। इस प्रकार अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विधानमण्डलों द्वारा पास किए गए कानूनों का पुनरीक्षण करने और उन्हें, यदि वे संविधान के किसी उपबन्ध के विरुद्ध हों,

अवैध घोषित करने की शक्ति दे दी गई है। दूसरे शब्दोंमें सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अभिरक्षक और निवेचक है।

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता और स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने व उसे कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप अथवा प्रभाव से दूर रखने का उचित उपबन्ध कर दिया है। न्यायाधीश जहाँ एक बार नियुक्त हुए, फिर उन्हें एक अत्यन्त कठिन प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी रीतिसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, न्यायाधीशों के वेतन और सर्वोच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्ययों का भार भारत की सचिव निधि के ऊपर पड़ता है। ये व्यय सघीय विधानमण्डल के मतापेक्षी नहीं हैं।

सारांश

भारत के नये संविधान की रचना मन्त्रि-मिशन योजना के उपबन्धों के अधीन १९४६ में निर्मित संविधान सभा ने की थी। यह सप्ताह का सबसे बड़ा और विशाल वैधानिक प्रलेख है। इसमें आठ अनुसूचियों के अलावा ३९५ अनुच्छेद हैं। यह कठोर भी है यद्यपि अमेरिका के संविधान से कम कठोर है। यह देखने में सघीय है लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। इमने भारतवर्ष के लिए सासद शासन प्रणाली को अंगीकृत किया है। इसमें नागरिकों के मूल अधिकारों के ऊपर एक अध्याय है। ये अधिकार समर्थनीय हैं। लेकिन इसमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों को आपात-कालों में स्थगित किया जा सकता है। हमारे संविधान की एक अतुल्य विशेषता राज्य-नीति के निर्देशक तत्व हैं। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती। ये तत्व उन व्यवित्तियों के लिए जो राज्य की सत्ता का प्रयोग करते हैं, नैतिक शिक्षाओं के रूप में हैं। संविधान ने भारतवर्ष में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। ऐसे राज्य में सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है।

भारतीय संविधान में सघीय राजतन्त्र के विशिष्ट लक्षण विद्यमान हैं। राज्यों और सघ के बीच शक्तिबोध का स्पष्ट वितरण है, संविधान बेश का सर्वोच्च कानून है और संविधान के अभिभावक तथा निर्वचक के रूप में न्यायपालिका का अपना विशेष कार्य है। लेकिन संविधान में सबल एकात्मक अभिनति पाई जाती है और वह केवल अर्ध-संघीय ही है। केन्द्र को अवशिष्ट शक्तियों सहित व्यापक शक्तिया दी गई हैं।

साधारण परिस्थितियों तक में केन्द्र राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर सकता है। आपातों में संविधान को बिना किसी औपचारिक संशोधन के एकात्मक बनाया जा सकता है।

संघीय कार्यपालिका:—भारत-संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। वह राज्यों की विधानसभाओं तथा संसद के होनेो सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा परोक्षतः निर्वाचित होता है। संविधान ने राष्ट्रपति को विपुल कार्यपालिका, विधायिनी, वित्तीय और न्यायिक शक्तिया प्रदान की हैं। लेकिन साधारणतः राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मन्त्रियों की मन्त्रणा पर करता है। वह वैधानिक शासक है और उसकी स्थिति ब्रिटिश शासक के समान है। कुछ अधिकारी विद्वानों का कहना है कि चूंकि राष्ट्रपति सब मामलों में मन्त्रियों की मन्त्रणा को मानने के लिए कानूनतः बाध्य नहीं है, अतः वह कतिपय परिस्थितियों में वास्तविक शासक अथवा तानाशाह बन सकता है।

लेकिन सासद शासन प्रणाली में, जिसे कि भारत में अपनाया गया है वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद होती है। यह मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और दूसरे मन्त्री प्रधानमन्त्री की मन्त्रणा पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। मन्त्रिपरिषद प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में विधानमण्डल के साथ सहयोगपूर्वक कार्य करती है।

संघीय विधानमण्डल—अथवा संसद द्विसदनात्मक है। उच्च सदन (राज्य परिषद) राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा परोक्षतः निर्वाचित होता है। उसकी अधिकतम सदस्य-संख्या २५० है, १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित होते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य-संख्या ५०० है। इसके सदस्य वयस्क मताधिकार और सयुक्त निर्वाचक-गणों के आधार पर जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होने हैं। लोकसभाकी साधारण कालावधि ५ वर्ष है। राज्य-परिषद स्थायी सदन है। उसके सदस्य ६ वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, परन्तु तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते हैं। संसद के दोनों सदन शक्तियों और प्रभाव की दृष्टि से समान नहीं हैं। वित्तीय मामलों में लोकसभा परमेश्वर है लेकिन अ-वित्तीय मामलों में दोनों सदन बराबर हैं।

संघीय न्यायपालिका:—संविधान ने एक सर्वोच्च न्यायालय का उपबन्ध किया है। यह न्यायालय संघ का अन्तिम निर्वचक है। इसके साथ ही साथ वह देश का

सर्वोच्च न्यायमण्डल भी है। वह भारत के मुख्य न्यायाधिपति और ७ दूसरे न्यायाधीशों से मिल कर बनता है। वह प्रारम्भिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार में वैधानिक, दीवानी और फौजदारी के मामले आते हैं। तथ्य या कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर राष्ट्रपति उससे परामर्श भी ले सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सप्ताह के सबसे अधिक शक्तिशाली निकायों में से है।

— — —

अध्याय १६

भारत का नया संविधान—क्रमशः

(राज्य की सरकार)

१२६. भारत-संघ के राज्य

भारत-संघ के राज्य-क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र समाविष्ट हैं। भारत सघ में अण्डमान और निकोबर-द्वीपों के प्रलावा राज्यों की श्रेणिया हैं और वे नये संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित हैं। उन्हें निम्न तालिका में दिखाया गया है—

भाग (क)	भाग (ख)	भाग (ग)	भाग (घ)
राज्यों के नाम	राज्यों के नाम	राज्यों के नाम	राज्यों के नाम
१. आसाम	१ जम्मू और	१. अजमेर	अण्डमान
२. उड़ीसा	काश्मीर	२. कच्छ	और निकोबर
३. पंजाब	२ त्रावणकोर	३. कूच-बिहार	द्वीप
४. पश्चिमी बंगाल	कोचीन	४. कुर्ग	
५. बिहार	३ पटियाला तथा	५. त्रिपुरा	
६. मद्रास	पूर्वी पंजाब	६. दिल्ली	
७. मध्य प्रदेश	राज्य सघ	७. विलासपुर	
८. बम्बई		८. भोपाल	
९. उत्तर प्रदेश	४. मध्यभारत	९. मनीपुर	
	५. मैसूर	१०. हिमाचल	
	६. राजस्थान	प्रदेश	
	७. विन्ध्य प्रदेश		
	८. सौराष्ट्र		
	९. हैदराबाद		

भाग (क) राज्य पूर्व कालीन भारतीय प्रान्तों के तत्स्थानी हैं और भाग (ख)

तथा (ग) प्राचीन देशी राज्यों के या उनके सभों के और पूर्व कालीन मुख्य-प्रागुक्तों के प्रान्तों के तत्स्थानी हैं ।

नया संविधान भारत को एक सघ बनाता है । फलतः राज्य जो संघ के अन्वयवी एकक हैं, एक स्वायत्त स्टेट्स का उपभोग करते हैं । संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बितरण करता है । साधारण परिस्थितियों में कतिपय विषय राज्योंके अप्रवर्जी क्षेत्राधिकार में आते हैं लेकिन संविधान में ऐसे कुछ उपबन्ध विद्यमान हैं जो संघ सरकार को उन विषयों पर भी, जो कि राज्यसूची में प्रगणित हैं कानून बनाने और नियन्त्रण रखने की शक्ति प्रदान करते हैं । यह प्रबन्ध भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए किया गया है । इसलिए नया संविधान केन्द्रवाद और मधवाद के बीच समझौता है ।

नये संविधान के
प्राचीन राज्यों
का पद

१३०. संघ तथा राज्यों के सम्बन्ध

संविधान व्यवस्थापन के विभिन्न विषयों को तीन सूचियों, संघ-सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटता है । ये सूचियाँ सातवीं अनुसूची में दी हुई हैं । संघ-सूची में वे विषय हैं जिनके ऊपर राष्ट्रीय (केन्द्रीय) सरकार को अप्रवर्जी प्राधिकार प्राप्त है और जिनके ऊपर वह कानून बना सकती है । इस सूची में ९७ विषय हैं । प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, देशीकरण तथा अन्य देशीय, रेलवे, राष्ट्रीय राज्य पथ, चलार्थ, टकरा और विधिमन्त्र, विदेशी विनिमय, भारत का रिजर्व बैंक, डाकघर बचत बैंक, विदेशी वारिण्य, बीमा आदि विषय संघ सूची में सम्मिलित हैं । राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, वन, मीन-क्षेत्र, उद्योग और राज्य की लोक-सेवाएँ आदि के सहित ६६ विषय हैं । संविधान में उल्लिखित केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर, जबकि संघ सरकार इन विषयों को अपने हाथ में ले सकती है, राज्य सरकार को इनके ऊपर अप्रवर्जी व्यवस्थात्मक तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है । समवर्ती सूची फौजदारी कार्यवाही, विवाह और तलाक, सविदायें, दीवानी कार्यवाही, श्रमिक संघ, श्रमिक कल्याण, मूल्य नियन्त्रण, कारखाने, आर्थिक और सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सीमा, विद्युत, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय आदि को मिलाकर ४७ विषय प्रगणित करती है । समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के ऊपर कानून बनाने के लिए संघ सरकार और

शक्तियों का
बितरण

(१) संघ सूची

(२) राज्य सूची

(३) समवर्ती सूची

राज्यों की सरकारें—दोनों ही सक्षम हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है और वह यह कि यदि किसी समवर्ती विषय पर राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानून उसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून के प्रतिकूल पड़ता है, तो संसद द्वारा निर्मित कानून अग्नि-भावी होगा तथा राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानून विरोध की मात्रा तक शून्य होगा।

ये तीनों सूचियां बड़ी विशद हैं। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसे किसी विषय का पता चले जो कि इनमें से किसी भी सूची में सम्मिलित न किया गया हो। संविधान के उपबन्धों के अनुसार ऐसे सब विषय अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार के क्षेत्राधिकार में आकर पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित की गई हैं।

यह स्पष्ट है कि नये संविधान के अधीन किये गये शक्तियों के वितरण का उद्देश्य केन्द्र को अत्यन्त शक्तिशाली बनाना है। अवशिष्ट शक्तियों को केन्द्र के हाथों में सौंप देने का भी यही उद्देश्य है। अमेरिका और स्विटजरलैंड जैसे टिपीकल संधियों में अवशिष्ट शक्तियां अवयवी एंकों में निहित की गई हैं। भारत में उन सम्बन्धों में भी जो संघ-सरकार को राज्यों के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने और राज्य-सूची में प्रणालित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देते हैं, केन्द्र को अधिकाधिक सबल बनाने की आकांक्षा प्रकट होती है। संघ और राज्यों के विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय सम्बन्धों का पर्यवेक्षण इस कथन की सत्यता को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है।

जहां तक संघ और राज्यों के विधायी सम्बन्धों का प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के उक्त वितरण से यह प्रकट है कि संघ की सरकार और राज्य की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ स्वतन्त्र हैं। लेकिन यहा यह स्मर्तव्य है कि जहां राज्य का विधान मण्डल सघीय ससद के क्षेत्राधिकार का किसी भी दशा में अतिक्रमण नहीं कर सकता, सघीय ससद निम्न दशाओं में राज्य सूची प्रणालित विषयों पर कानून बना सकती है:—(१) यदि राज्य परिषद दो तिहाई बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पास करदे कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। (अनुच्छेद २४८)। (२) आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में संसद राज्य-सूची में प्रणालित समस्त विषयों पर कानून बना सकती है। (अनुच्छेद २५०)। (३) यदि दो या दो से अधिक राज्य संसद से इस बात की प्रार्थना करें कि वह किसी राज्य-विषय पर उनके लिए कानून बना दे, तो संसद उस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है। (अनु-

च्छेद २५२)। (४) संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथकी हुई सधि या करार के परिपालन के लिए राज्य विधानमण्डल के क्षत्राधिकार में आने वाले विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। (अनुच्छेद २५३)। (५) यदि संसद द्वारा निमित्त कानूनों और राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा निमित्त कानूनों में असंगति हो, तो संसद द्वारा निमित्त कानून, चाहे वह राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा निमित्त कानूनों के पहले या पीछे पास हुआ हो, अभिभावी होगा और राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा निमित्त कानून विरोध की मात्रा तक शून्य होंगे। (अनुच्छेद २५४)। (६) राज्यों में वैधानिक तन्त्र के विफल हो जाने की अवस्था में राष्ट्रपति राज्य के विधानमण्डल के अधिकार अपने हाथों में लेकर संसद को दे सकता है और उस दशा में उसके सब अधिकारों का प्रयोग संसद करेगी। (अनु० ३५६)। (७) राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किये गये कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकता है और जो राष्ट्रपति की स्वीकृति पाने पर ही कानून बन सकते हैं। (अनुच्छेद २०१)।

संविधान ने यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका-शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा जिससे संसद द्वारा निमित्त विधियों का, तथा किन्हीं वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, पालन सुनिश्चित रहे। सच को अधिकार है कि वह इन सम्बन्ध में राज्यों प्रशासनिक को आवश्यक निर्देश दे सकता है। (अनुच्छेद २५६)। इसके सम्बन्ध साथ ही साथ सच राष्ट्रीय महत्व के यातायात के साधनों के निर्माण तथा उनकी रक्षा करने के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकेगा। इन निर्देशों के पालन में राज्यों को जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा, उसे संघ सरकार वहन करेगी। (अनु० २५७)। राष्ट्रपति राज्य-सरकार की अनुमति से राज्य के कर्मचारियों को सघीय सरकार के किसी भी काम को करने का आदेश दे सकता है। (अनु० २५८)। संसद को अन्तर्राज्यिक नदियों तथा नदी की घाटियों के सम्बन्ध में उठने वाले झगड़ों के निबटारे के लिए कानून बनाने का अधिकार है। (अनु० २६२)। यदि विभिन्न राज्यों के मध्य अथवा राज्यों और सच के मध्य ऐसे विषयों के ऊपर कोई विवाद उठे, जिनमें सामान्य हित हो, तो राष्ट्रपति उसकी परीक्षा करने तथा उस पर सिफारिश करने के लिए एक अन्तर्राज्यिक परिषद का निर्माण कर सकता है। (अनु० २५३)। देशी राज्यों के पास संविधान प्रारम्भ होने से पूर्व जो सेनाएँ थी, वे उनके पास उस समय तक बनी रहेगी, जब तक संसद कानून द्वारा उनकी कोई अन्य व्यवस्था न कर दे। ऐसी सभी सेनाएँ भारतीय सेना का अंग समझी जाएगी व उन पर सच-सरकार का नियन्त्रण रहेगा। (अनु०-

च्छेद २५६)। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन कालमें राज्यों की स्वायत्तता स्थगित हो जायेगी और सघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस विषय में निर्देश देने तक होगा कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। (अनु० ३५३)। संघ और राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्धों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि स्वायत्त राज्यों को अपने क्षेत्र में पूर्ण अधिकार प्राप्त है, फिर भी सघ सरकार उनके प्रशासन में पर्याप्त हस्तक्षेप कर सकती है। इसके अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के राज्यों पर तो सघ-सरकार का संविधान प्रारम्भ होने के दस वर्ष बाद तक काफी नियन्त्रण रहेगा।

नए संविधान ने संघ और राज्यों के बीच आर्थिक स्रोतों का बटवारा बहुत कुछ १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही किया है। कुछ कर तो पूर्ण रूप से सघ के हाथों में हैं और कुछ राज्यों के। कुछ कर सघ लगाता है लेकिन राज्य एकत्रित करता है। कुछ कर ऐसे हैं जिन्हें सघ लगाता और सग्रहीत करता है परन्तु राज्यों को दे देता है। निम्न लिखित कर पूर्ण रूप से सघ के हाथ में हैं कृषि को छोड़कर अन्य आय पर कर, सीमा-शुल्क जिसके अन्तर्गत निर्यात शुल्क भी है, भारत में निर्मित या उत्पादित तमाकू तथा मानव-उपभोग के मद्य सारिक पानो, अफीम-भाग और अन्य पिनक लाने वाली औषधियों तथा स्वापको को छोड़ कर, किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधनीय मामूली को अन्तर्गत करके जिनमें मद्यसार का कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट हो, अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क, निगम-कर, व्यक्तियों या समवायों की आस्ति में से कृषि-भूमि को छोड़ कर उसके मूलधन-मूल्य पर कर, समवायों के मूलधन पर कर, कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क, रेल या समुद्र या वायुयान से ले जाये जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर, रेल के जन-भाड़े और वस्तु-भाड़े पर कर, मुद्राक शुल्क को छोड़ कर श्रेष्ठि-चत्वर और वादा-बाजार के सौदों पर कर, विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन-पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा-पत्रों, अंशों के हस्तांतरण, ऋण पत्रों, प्रति-पत्रियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने वाले मुद्राक-शुल्क की दर, समाचार-पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर। (संघ सूची ८२-९२)।

निम्नलिखित कर पूर्ण रूप से राज्यों की सरकारों के आय के स्रोत हैं :—कृषि आय पर कर, कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क, कृषि-भूमि के विषय में सम्पत्ति शुल्क, भूमि और भवनो पर कर, ससद से विधि द्वारा खनिज-विकास के

सम्बन्ध में लगाई गई परिमीमात्रों के अधीन रहते हुए खनिज-प्रधिकार पर कर, अफीम और भाग पर कर, विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर, समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर, समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़ कर अन्य विज्ञापनों पर कर आदि आदि । (राज्य-सूची ४६-६६) ।

निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और सङ्गृहीत किए जायेंगे किन्तु राज्यों को मौप दिए जायेंगे — कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विषयक-शुल्क, कृषि भूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति-शुल्क; रेल, समुद्र या वायु में वाहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा-कर, रेल-भाड़ों और वस्तु-भाड़ों पर कर, श्रेष्ठ-चत्तरो और वायदा बाजारों के सौदों पर मुद्राक-शुल्क से अन्य कर; समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर । (अनु० २६९) ।

संविधान ने निश्चित किया है कि कृषि-आय से अतिरिक्त अन्य आय पर करों को भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और सङ्गृहीत किया जायगा तथा सघ और राज्यों के बीच में वित्त कर दिया जायेगा । (अनु० २७०) ।

अनुच्छेद २६९ और २७० में किसी बात के होते हुए भी ससद उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में किसी की भी किसी समय सघ के प्रयोजनों के लिए अभिधार द्वारा वृद्धि कर सकेगी तथा ऐसे किसी अभिधार के समस्त आगम भारत की सचिव निधि के भाग होंगे । (अनु० २७१) ।

सघ-सूची में वर्णित औषधीय तथा प्रसाधन- सामग्री पर उत्पादन-शुल्क से अन्य सघ-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और सङ्गृहीत किए जायेंगे किन्तु यदि ससद विधि द्वारा यह उपबन्धित करे तो शुल्क लगाने वाली विधि जिन राज्यों को लागू होनी हो उन राज्यों को भारत की सचिव-निधि में से उस शुल्क के शुद्ध आगमों के पूर्ण अथवा किसी भाग के बराबर राशि दी जायगी और वे राशियाँ उन राज्यों के बीच विधि द्वारा मूल बद्ध वितरण-सिद्धांतों के अनुसार वितरित की जायेगी । (अनु० २७२) ।

आमाम, उड़ीसा, बिहार और पश्चिमी बंगाल पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क के स्थान में सहायक-अनुदान प्राप्त करेंगी । (अनु० २७३) ।

ऐसी राशियाँ जो ससद विधि द्वारा उपबन्धित करे, उन राज्यों के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारत की सचिव निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के सम्बन्ध में ससद यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है, तथा भिन्न भिन्न राज्यों के लिये भिन्न राशियाँ नियत की जा सकेंगी । इसके अतिरिक्त

किसी राज्य के राजस्वों के सहायक अनुदान के रूप में भारत की संचित-निधि में से बँसी मूल तथा भावर्तक राशियाँ दी जा सकेंगी जैसी कि उस राज्य को उन विकास योजनाओं के खर्चों के उठाने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हो, जो उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की उन्नति करने के प्रयोजन के लिए अथवा उस राज्य के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन-स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य ने भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली हों। (अनु० २७५)।

किसी राज्य के विधान-मण्डल की ऐसे करों सम्बन्धी कोई विधि जो उस राज्य या किसी नगरपालिका, जिला-मण्डली, स्थानीय मंडली अथवा उसमें अन्य स्थानीय प्राधिकारी के हित साधन के लिए वृत्तियों, व्यापारों-आजीविकाओं या नौकरियों के बारे में लागू होती है, इस आधार पर अमान्य न होगी कि वह आय कर है। राज्य को अथवा इसमें की किसी एक नगरपालिका, जिला-मण्डली, स्थानीय मण्डली या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों आजीविकाओं और नौकरियों पर करो द्वारा देय समस्त राशि दो सौ पचास रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न होगी। इस सम्बन्ध में विधियाँ बनाने की राज्य के विधान-मण्डल की शक्ति का यह अर्थ नहीं होगा कि वृत्तियों, व्यापारों आजीविकाओं और नौकरियों से प्रोद्भूत या उत्पन्न आय पर करो के विषय में विधियाँ बनाने की सासद की शक्ति किसी प्रकार सीमित की गई है। (अनु० २७६)।

राज्य की कार्यपालिका

१३१. राज्यपाल

नए सविधान के अधीन भाग (क) राज्य की कार्यपालिका-शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है * और

*यद्यपि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होता है, लेकिन यह नहीं समझना चाहिये कि वह राज्यमन्त्रालय के ऊपर लाद दिया जायगा। १९४७ और १९४९ के बीच परम्परा यह रही है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को अन्तिम रूप से चुनने के पूर्व सम्बद्ध राज्य के मुख्य मंत्री से परामर्श कर लेता है। नये सविधान के अधीन इस परम्परा का चालू रहना अनिवार्य है।”

के. संधानममः दि कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पृ. १६२।

उसके प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है। इस उपबन्ध के अधीन रहते हुए उसकी पदावधि पांच वर्ष होगी। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने के लिये उस समय तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और ३५ वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। अपनी पदावधि में उसे लाभ के किसी अन्य पद को धारण करने से वंचित कर दिया जाता है जब तक वह राज्यपाल का पद धारण करता है, उसके लिये यह आवश्यक है कि वह संसद के किसी सदन का अथवा राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य न हो। जब तक संसद इस सम्बन्ध में अन्यथा उपबन्ध न करे, राज्यपाल को बिना किराया दिये पदावास के उपयोग तथा अपने पद के कर्तव्यों का सुविधा और प्रतिष्ठा के साथ और निर्वहन करने के लिये यात्रा व व्यय सम्बन्धी दूसरे भत्तों † के अलावा ५, ५०० रु० प्रति मास वेतन का हक्क होगा।

राज्यपाल की नियुक्ति,
पदावधि, अर्हताएं
और उपलब्धियां

संविधान राज्यपाल को कई शक्तिया प्रदान करता है। इन शक्तियों को चार शीर्षको में बाटा जा सकता है। (क) कार्यपालिका, (ख) विधायिनी, (ग) वित्तीय और (घ) न्यायिक। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का भंडार है और वह इस शक्ति का या तो स्वयं और या अपने अधीनस्त कर्मचारियों के द्वारा संविधान के अनुसार प्रयोग करता है।

राज्यपाल की
शक्तियां

राज्यपाल की कार्यपालिका-शक्तिया उन सब विषयों के प्रशासन से सम्बन्ध रखती हैं जो राज्य-सूची में प्रगणित हैं और जिनके सम्बन्ध में कानून बनाने के लिये राज्य का विधान मंडल सक्षम है। समवर्ती सूची में प्रगणित मामलों के सम्बन्ध में राज्यपाल की कार्यपालिका-शक्तिया राष्ट्र-पति की कार्यपालिका शक्तियों के अधीन हैं।

(क) कार्यपालिका
शक्तियां

अपनी विधायिनी शक्तियों के बल पर राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को आहूत कर सकता है, सदन या सदनों का सत्रावसान कर सकता और विधान-सभा का विघटन कर सकता है। यदि राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, तो वह विधान-परिषद के लिये कुछ सदस्यों को नामनिर्देशित भी कर सकता है। वह राज्य

विधायिनी
शक्तियां

† वर्तमान काल में ५० पी० का राज्यपाल अपने वेतन के अलावा निम्न भत्ते प्राप्त करता है। व्यय सम्बन्धी भत्ते १९००० रु० (वार्षिक); सैनिक-मंत्री और व्यक्तिगत कर्मचारी मंडल १९,००० रु० (वार्षिक), पदावास की सामग्री और सजावट १५००० रु० (वार्षिक), सजावट का नया सामान ९३,००० रु० (पांच वर्षों में); सुसज्जा का भत्ता (नियुक्ति पर) १६०० रु०। भूचोरंजन- भत्ते ५००० रु० (वार्षिक)

के विधानमंडल के किसी सदन को अथवा राज्य परिषद के साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित कर सकता है। राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में राज्यपाल विधान-सभा को अथवा राज्य में विधान परिषद होने की अवस्था में साथ समवेत हुये दोनों सदनों को सम्बोधित कर सकता है। राज्यपाल का यह सम्बोधन ब्रिटिश ससद में सम्राट द्वारा बिये गये भाषण का तत्स्थानी है। राज्य के विधानमंडल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक उम समय तक कानून नहीं बनता, जब तक कि उस पर राज्यपाल की अनुमति प्राप्त न हो जाय। राज्यपाल यदि चाहे तो विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, चाहे तो उसे रोक सकता है और चाहे तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को, यदि वह धन-विधेयक नहीं है तो, पुनर्विचार के लिये राज्य के विधानमंडल के पास वापिस भेज सकता है। यदि विधेयक दुबारा पास कर दिया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकता। कोई भी धन-विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधान-सभा में पुर स्थापित नहीं किया जा सकता।

संविधान ने राज्य के विधानमंडल के विश्रान्तिकाल में राज्यपाल को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की है। राज्यपाल द्वारा निकाले गये अध्यादेश का वही बल होता है जो राज्य के विधानमंडल के अधिनियम का होता है लेकिन वह विधानमंडल के पुन. समवत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर अथवा उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व विधानमंडल द्वारा उसके निरनुमोदन का प्रस्ताव पास किये जाने पर प्रवर्तन में नहीं रहता। कुछ अवस्थाओं में राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना अध्यादेश नहीं निकाल सकता।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व राज्यपाल (मन्त्रियों के द्वारा) राज्य के विधानमंडल के समक्ष "वार्षिक वित्त विवरण" रखता है। इसमें उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। किसी भी अनुदान-भाग (अर्थात् राज्य के राजस्व के किसी भाग को खर्च करने की शक्ति की मांग) अथवा करारोप के प्रस्ताव को, सिवाय इसके कि राज्यपाल के नाम में करते हुए मंत्री उपस्थित करें, अन्य किसी प्रकार से उपस्थित नहीं किया जा सकता।

राज्यपाल को कतिपय न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। वह जिला-न्यायाधीशों और दूसरे न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्तियों, पद-स्थापनाओं और पदोन्नति का

निर्णय कर सकता है। उसे विधि-न्यायालयों द्वारा सिद्ध दोष व्याक्तियों को क्षमा देने और उनके दंडादेश को कम करने की भी शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल अपनी पदावधि में तमाम फौजदारी और दीवानी प्रक्रियाओं से वैयक्तिक उन्मुक्ति का उपभोग करता है। दूसरे शब्दों में देश के किसी भी न्यायालय में किसी भी अपराध के लिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

न्यायिक शक्तियाँ
और उन्मुक्तियाँ

१३२. राज्यपाल की शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग होता है ?

जिस प्रकार कि भारत के राष्ट्रपति के सम्बन्ध में सिद्धांत और व्यवहार के बीच व्यवधान है, वही स्थिति राज्य के राज्यपाल की है। सिद्धांततः राज्यपाल तमाम कार्यपालिका शक्तियों का पुंज है लेकिन व्यवहारतः वह एक वैधानिक शासक है और उसे सामान्यतः अपने मंत्रियों की मन्त्रणा पर आचरण करना पड़ता है। सविधान का कथन है, "जिन बातों में इस सविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उनमें से किसी को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता और मन्त्रणा देनेके लिए एक मन्त्रि-परिषद होगी।" [अनुच्छेद १६३ (१)]

साधारणतः उसे अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर आचरण करना पड़ता है

यह एक महत्वपूर्ण उपबन्ध है। भारत के राष्ट्रपति के सम्बन्ध में इसका तत्स्थानी कोई उपबन्ध नहीं है। लेकिन साधारण परिस्थितियों में सविधान यह छोड़ कर कि आसाम का राज्यपाल कतिपय जाति जन-क्षेत्रों और सीमांत भूखण्डों के प्रशासन के सम्बन्ध में स्व-विवेक से कार्य कर सकता है, राज्यपाल को थोड़ी ही शक्तिया देता है 'यह ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे भारत के राष्ट्रपति के अभिवर्ता के रूप में इन क्षेत्रों और भूखण्डों का प्रशासन करना पड़ता है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमन्त्री को नियुक्त करने में, विधानसभा का विघटन करने में और राज्य में वैधानिक तन्त्र की विफलता का राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने में, स्वविवेक से कार्य कर सकता है। लेकिन इनमें से किसी भी मामले में सविधान की वास्तविक क्रियान्विति में राज्यपाल की अपनी वैयक्तिक सचि-असचि का कोई स्थान न होगा।

साधारण परिस्थितियों के अधीन थोड़ी सी स्वविवेकी शक्तियाँ

इस प्रकार, साधारण परिस्थितियों में राज्यपाल से यह आशा की जाती है कि वह प्रायः समस्त मामलों में अपने मंत्रियों की मन्त्रणा पर कार्य करेगा अथवा दूसरे

साधारणतः राज्यपाल
को बंधानिक
शासक होना
चाहिए

शब्दों में राज्य-प्रशासन का वैधानिक या ध्वजमात्र शासक होगा। यह ठीक है कि सविधान ने इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि राज्यपाल के लिये अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा स्वीकार करना अनिवार्य है। लेकिन सासद शासन प्रणाली के अधीन, जिसे कि भारत में केन्द्र और राज्यों-दोनों स्थानों पर अंगीकृत किया गया है, यह अपरिहार्य है कि केवल कुछ उल्लिखित अपवादोंको छोड़ कर राज्यपाल अपने मन्त्रियोंकी जाँ विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मन्त्रणा के अनुसार कार्य करें। उसका वास्तविक कार्य 'मन्त्रणा देना चेतावनी देना और फिर भुक्त जाना है।' राज्यपाल के नाम से जो भी कार्य किया जाता है, उसका उत्तरदायित्व मन्त्रियों के सिर पड़ता है। इसलिये यह सर्वथा स्वाभाविक ही है कि जो उत्तरदायित्वको वहन करते हैं, वे शक्ति का भी प्रयोग करें। चूँकि राज्यपाल का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, इस लिये वह किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करता। हमारे सविधान निर्माताओं का उद्देश्य राज्यपाल को ध्वजमात्र शासक बनाना था, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उन्होंने जनता के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा उसके निर्वाचन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और इसके स्थान पर, यह निश्चित किया कि वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जायगा। यह सोचा गया कि "जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल और विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी मुख्य मन्त्री का एक साथ होना तनाव और उसके फलस्वरूप प्रशासन में दुर्बलता उत्पन्न कर सकता है।"*

लेकिन ऐसी कतिपय उल्लिखित परिस्थितियाँ हैं। जिनके अधीन राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देशन में आ जायगा और उस सीमा तक अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

वे परिस्थितियाँ
जिनके अधीन
राज्यपाल अपने
मन्त्रियों की मन्त्रणा
पर आचरण करने
के लिए विवश
न होगा

उदाहरणार्थ यदि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा निकाल देता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति का अभिकर्ता बन जाता है और अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर कार्य न करके उसके अनूदेशों के अधीन कार्य करता है। यही प्रभाव उस समय होगा जबकि अनुच्छेद ३५६ के अधीन उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति इस बात की उद्घोषणा कर देता है कि राज्य का शासन सविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और उच्च न्यायालय के कार्यों को छोड़ कर राज्य-सरकार के समस्त या कोई कार्य अपने हाथ में ले लेता है। इस प्रकार की

* डाफ्ट कंस्टीट्यूशन, पृ. ७५ पाद टिप्पणी।

उद्घोषणा के फलस्वरूप राज्य की मन्त्र परिषद का विघटन कर दिया जायगा और भारत के राष्ट्रपति की ओर से राज्य का शासन सीधे राज्यपाल करेगा। यह एक असाधारण शक्ति है और संविधान सभा में उसकी कटु आलोचना हुई थी। आलोचकों का कथन था कि यह तो १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के दुष्टतापूर्ण विभाग ९३ का पुनराधिनियमन है और इसलिये साम्राज्यवादी अतीत का एक अवशेष है। संविधान के आपात-उपबन्धों के फलस्वरूप राज्य की स्वायत्तता स्थगित हो सकती है और राज्य सरकार अस्थायी रूप से सच-सरकार में विलय हो सकती है। दूसरे शब्दों में संविधान राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करता।

१३२. मन्त्र-परिषद

संविधान ने उपबन्ध किया है कि जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अथवा उनमें से किसी को स्वविवेक से करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक नियुक्ति-प्रक्रिया मन्त्र-परिषद होगी। मन्त्र परिषद की नियुक्ति के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है। राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमन्त्री को नियुक्त करते समय राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इस व्यक्ति को राज्य की विधान सभा में स्थायी बहुमत तो प्राप्त है न ? दूसरे मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमन्त्री की मन्त्रणा से करता है। समस्त मन्त्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे राज्य विधानमण्डल के सदस्य हों। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य के विधानमण्डल का सदस्य न हो, मन्त्री नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु वह छ महीने की समाप्ति पर मन्त्री नहीं रहेगा यदि वह इसी कालावधि में राज्य के विधानमण्डल के लिए निर्वाचित नहीं हो जाता। मन्त्रियों के बीच विभागों का वितरण राज्यपाल मुख्यमन्त्री की मन्त्रणा से करता है।

राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मन्त्र-परिषद है। यद्यपि प्रशासन राज्यपाल के नाम में संचालित होता है, लेकिन वास्तविक निर्णय मन्त्रियों द्वारा किये जाते हैं। राज्य के मुख्यमन्त्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन से सम्बद्ध मन्त्र परिषद के निर्णयों को, मन्त्र-परिषद और व्यवस्थापन प्रस्तावों को तथा ऐसी सूचना को जो राज्यपाल के राज्यपाल के सामने लाये, राज्यपाल के पास पहुँचाये। यदि किसी मामले सम्बन्ध का निर्णय किसी व्यक्तिगत मन्त्री के द्वारा किया गया है तो राज्यपाल इस बात की मांग कर सकता है कि वह मामला समग्र परिषद के

सम्मुख उपस्थित किया जाय। इस तरह राज्यपाल का यह अधिकार है कि उसे सब प्रकार की सूचना मिलती रहे। मन्त्रियों द्वारा विचारित किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में उन्हें चेतावनी तथा मन्त्रणा देकर राज्यपाल उनके मार्ग-दर्शक और मित्र के रूप में भी कार्य कर सकता है। लेकिन जहाँ मन्त्रियों ने एकबार किसी बात का निश्चय कर लिया, राज्यपाल केवल उन थोड़े से अपवादों को छोड़कर, जिनका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं, उनके निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है। सविधान का कहना है कि मन्त्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे। इस प्रकार सिद्धान्ततः राज्यपाल यदि चाहे तो वह किसी मन्त्री को अपदस्थ कर सकता है लेकिन मन्त्र परिषद का राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व देखते हुए राज्यपाल सामान्यतः अपनी इस शक्ति का व्यवहार में प्रयोग नहीं करेगा।

सविधान ने इस बात का उपबन्धक करके मन्त्रपरिषद राज्यकी विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी [अनुच्छेद १६४ (२)] राज्य विधान मण्डल के साथ मन्त्रपरिषद के सम्बन्ध का निरूपण किया है।

मन्त्रपरिषद और राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध इसका अभिप्राय यह है कि मन्त्रपरिषद उसी समय तक पदावृत्त रह सकती है, जब तक कि उसे विधान-सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। मन्त्री राज्य-विधान मण्डल के सदस्य हैं। उन्हें उसकी बैठकों में उपस्थित होने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। वे सरकारी विधेयकों को पुरःस्थापित करते हैं और उन्हें पास करवाते हैं।

राज्य का विधान मण्डल मन्त्रियों के कार्य का कई तरह से नियंत्रण और निरीक्षण कर सकता है। विधान मण्डल के सदस्य सूचना को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। बजट वाद विवादों के दौरान में वे प्रशासन के विरुद्ध जनता की शिकायतों की आवाज को बुलन्द कर सकते हैं। वे अतिशय सार्वजनिक महत्व के मामलों पर काम रोकें प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्तावों द्वारा सरकार की नीतियों को प्रकाश में लाया जा सकता है और उसकी गतियों की आलोचना की जा सकती है। अंशतः सामुदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के कारण विधान-सभा किसी सरकारी विधेयक को पास करना अस्वीकार करके किसी ऐसे गैर सरकारी विधेयक को पास करके जिसका मन्त्रियों ने विरोध किया हो, मन्त्रियों द्वारा उपस्थित की गई बजट की मांगों में कमी करके अथवा मन्त्रपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का सिधा प्रस्ताव पास करके, मन्त्रपरिषद को पदच्युत कर सकती है। कहने का सार यह है कि विधान मण्डल मन्त्रियों को बना या बिगाड़ सकता है। दूसरी ओर

मन्त्री भी विधान मण्डल को अपने नियन्त्रण और प्रभाव में रख सकते हैं। वे बहुमत वाले दल के नेता होते हैं। इस बहुमत का समर्थन मिलने के कारण साधारणतः वे अपने विधायी प्रस्तावों को पास करवाने में सफल हो जाते हैं। यदि दल का अनुशासन कठोर है और उसका विधान मण्डल में पूर्ण बहुमत है तो मन्त्रिपरिषद् विधान मण्डल को अपने हाथ की कठपुतली बना सकता है। विधान मण्डल पदारूढ दल को उसी समय अपदस्थ कर सकता है जबकि दल का बहुमत संदिग्ध हो अथवा उसके सदस्यों में फूट हो।

राज्य का विधान मण्डल

१३३. एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक राज्य विधान मंडल

सविधान ने निश्चित किया है कि प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के प्रत्येक राज्यके लिए एक विधान मण्डल होगा जो राज्यपाल तथा विधान मण्डलके यथास्थिति एक या दो सदनों से मिल कर बनेगा। पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, बम्बई मद्रास और उत्तर प्रदेश के राज्यों में दो सदन होंगे। भाग (क) के शेष राज्यों में एक सदनात्मक विधान मण्डल होंगे। द्विसदनात्मक विधान मण्डल वाले राज्य में उच्च सदन विधान परिषद् और निम्न सदन विधान सभा के नाम से प्रख्यात होगा। यदि राज्य का विधान मंडल एक सदनात्मक है, तो वह विधान सभा कहलाएगा। राज्यों को द्विसदनात्मक विधान मंडल देने के प्रश्न पर सविधान सभा में खूब जोरदार बहस हुई थी। फलतः किसी राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल हो या न हो, इस बात का निश्चय उस राज्य के प्रतिनिधियों के मतानुसार किया गया। तीन राज्यों, आसाम, मध्य-प्रदेश और उड़ीसा ने द्वितीय सदन का समर्थन नहीं किया। इसके विपरीत भाग (क) के शेष छ राज्यों ने द्वितीय सदन का समर्थन किया। इसलिए अनु० १६८ इन राज्यों के लिए द्विसदनात्मक विधानमंडलों का उपबन्ध करता है। लेकिन अनु० १६९ ने निश्चित किया है कि द्विसदनात्मक विधान मण्डल वाले राज्य के उच्च सदन का उत्सादन किया जा सकता है यदि राज्य की विधान-सभा ने इस उद्देश्य का प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यान्य बहुमत से पास कर दिया हो।

द्वितीय सदन के
उत्सादन के लिए
उपबन्ध

१३४. विधान-सभा

सविधान ने निर्धारित किया है कि किसी राज्य की विधान-सभा ५०० से अन-

रचना और निर्वाचन

निर्वाचन होंगे ।

सविधान ने पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचक गणों का उत्सादन कर दिया है, लेकिन विधान सभा में कतिपय अल्पसंख्यक-वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबन्ध कर दिया है । अनु० ३३२ ने निश्चित किया है कि विधान सभा में कतिपय वर्गों के लिए स्थानों का संरक्षण (क) अनुसूचित जातियों के लिए तथा (ख) आसाम के आदिम जाति क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़ कर अन्य आदिमजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे । सविधान ने आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए भी विशेष उपबन्ध किया है । यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय हो कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और पर्याप्त नहीं है, तो उस विधान-सभा में उस समुदाय के जितने सदस्य वह समुचित समझे नाम-निर्देशित कर सकता है । लेकिन यह स्मर्तव्य है कि अनुसूचित जातियों आदिम-जातियों तथा आंग्ल-भारतीयों के लिए स्थानों के संरक्षण सम्बन्धी ये विशेष उपबन्ध सविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी न रहेंगे और उस समय तक नहीं बढ़ाये जायेंगे जब तक कि सविधान में संशोधन न हो ।

किसी राज्य की विधान सभा में के किसी स्थान के लिये चुने जाने के लिए सविधान ने निम्न अर्हताएँ निश्चित की हैं । प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक है कि (क) वह भारत का नागरिक हो, (ख) २५ वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो, और [ग] ऐसी अन्य अर्हताएँ रखता हो जो इस बारे में राज्य के विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी कानून के द्वारा या अधीन निश्चित की जायें । राज्य

* जनता के प्रतिनिधित्व-अधिनियम (१९५०) ने प्रत्येक राज्य की विधान-सभा की सदस्य-संख्या निम्न प्रकार से निश्चित की है —

भाग (क) राज्य: आसाम: १०८, बिहार: ३३०, बम्बई ३१५, मध्य प्रदेश २३२, मद्रास: ३७५, उड़ीसा: १४०, पंजाब १२६, उत्तर प्रदेश: ४३०, पश्चिमी बंगाल: २३८ ।

भाग (ख) राज्य: हैदराबाद: १७५, मध्य भारत: ६६ मैसूर: ६९, पेंसू: ६०, राजस्थान: १६०, सौराष्ट्र: ६० त्रावनकोर-कोचीन: १०८ ।

की विधान सभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। प्रत्येक राज्य की विधान सभा की अवधि, यदि उसका पहले ही विघटन न कर दिया जाय तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियुक्त तारीख से ५ वर्ष की होगी। परन्तु इस कालावधि की, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद कानून द्वारा किसी कालावधि के लिए बढ़ा सकती है, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।

विधान सभा
की
अवधि

१३५. विधान-परिषद

द्विमदनात्मक विधानमण्डल वाले राज्य की विधान-परिषद के सदस्यों की समस्त सख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की समस्त सख्या की एक चौथाई से अधिक न होगी। तथापि यह निर्धारित कर दिया गया है कि किसी अवस्था में भी किसी राज्य की विधान-परिषद के सदस्यों की समस्त सख्या चालीस से कम न होगी।**

रचना

जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, विधान-परिषद की रचना निम्न रीति से होगी (क) तृतीयांश स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा, (ख) द्वादशांश ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होगा जो किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक है, (ग) द्वादशांश ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं में अनिम्न स्तर की शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं, (घ) तृतीयांश राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो सभा के सदस्य नहीं हैं और (ङ) क्षेत्र मन्त्र राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से नाम-निर्देशित किए जायेंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। विधान परिषद के लिए तमाम निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय मत के द्वारा सानुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होंगे।

विधान परिषद के लिये निर्वाचन में खड़े होने वाले व्यक्ति में निम्न अर्हताओं

* जनता के प्रतिनिधित्व-अधिनियम (१९५०) के अधीन विभिन्न राज्यों की विधान-परिषदों की सदस्य-सख्या निम्न प्रकार से निश्चित हुई है.—भाग (क) के राज्य बिहार: ७२, बम्बई: ७२, मद्रास ७२, पंजाब ४०, उत्तरप्रदेश. ७२, पश्चिमी बंगाल: ५१। भाग (ख) के राज्य. मैसूर. ४०।

का होना आवश्यक है: (क) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, (ख) उसकी आयु कम से कम तीस वर्ष की होनी चाहिए, और (ग) उसमें ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिये जो संसद इस बारे में कानून के द्वारा या अधीन निश्चित करे। राज्य की विधान परिषद अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उप-सभापति निर्वाचित करेगी। विधान परिषद स्थायी निकाय होगी और उसका विघटन नहीं किया जायगा। विधान परिषद के सदस्य ६ वर्ष के लिए निर्वाचित होंगे और तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष हट जाया करेंगे।

राज्य के विधान मण्डल के सदन या सदनों को (यथास्थिति) राज्यपाल एक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन के लिये ग्राह्य करेगा और उनके एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी सत्र की बैठक के लिए नियुक्त राज्य के विधानमण्डल के सत्र तारीख के बीच ६ मास का अन्तर न होगा। इस उपबन्ध के अधीन रहते हुये राज्यपाल, समय समय पर सदन या सदनों को ग्राह्य कर सकेगा, उनका सत्रावसान अथवा सभा का विघटन कर सकेगा।

१३६. राज्य-विधानमण्डल की शक्तियां और उसके कृत्य

राज्य के विधानमण्डल को राज्य सूची में प्रगणित समस्त विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस क्षेत्र में राज्य विधानमण्डल साधारणतः अपवर्जी क्षेत्राधिकार का उपभोग करता है। राज्य विधानमण्डल सम-वर्ती सूची में प्रगणित विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बना सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में उसका क्षेत्राधिकार अपवर्जी नहीं है। इन विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है और यदि किसी समवर्ती विषय पर राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानून उसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून के विरुद्ध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून, चाहे वह उसके अधिनियमन के पहले या पीछे पास हुआ हो, अभिभावी होगा और राज्य के विधानमण्डल द्वारा निर्मित कानून विरोध की मात्रा तक शून्य होगा। लेकिन यदि किसी समवर्ती विषय से सम्बद्ध राज्य के कानून के ऊपर, उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है तो वह उसी विषय पर पास किये गए संघीय कानून के ऊपर अभिभावी होगा।

राज्य का विधानमण्डल राज्य के वित्त पर भी नियन्त्रण रखता है। इस क्षेत्र में यदि राज्य का विधानमण्डल दिसदनात्मक है, तो विधानसभा की स्थिति सर्वोच्च

होती है। राज्य के राजस्वों पर भारित व्यय के अलावा, जिस पर राज्य का विधान मंडल वाद-विवाद कर सकता है, पर मतदान नहीं दे सकता, समस्त व्यय-प्रस्तावों का अनुदान मांगों के रूप में विधानसभा के सम्मुख उपस्थित किया जाना अनिवार्य है। विधानसभा मांग को स्वीकार या अस्वीकार अथवा उसकी राशि को कम कर सकती है। इसी प्रकार विधानसभा के अनुमोदन के बिना कोई भी कर नहीं लगाए जा सकते।

नये संविधान ने केन्द्र और प्रांतों दोनों स्थानों पर सांसद शासन-प्रणाली की स्थापना की है। फलतः राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रि-परिषद को विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बना दिया गया है। इस प्रकार विधानमंडल मन्त्रिपरिषद के ऊपर नियंत्रण और निरीक्षण रख सकता है तथा उसके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे अपदस्थ कर सकता है। इसके अलावा जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं विधानमंडल के सदस्य प्रश्नों, बजट के वाद-विवादों तथा 'कामरोको' प्रस्तावों के द्वारा शासन की गलतियों को जनता के सामने ला सकते हैं।

१३७. राज्य विधानमण्डल के दो सदनों के सम्बन्ध

द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य में निम्न सदन अर्थात् विधान सभा को मूर्धन्य स्थान दिया गया है। उच्च सदन [अर्थात् विधान परिषद] न केवल द्वितीय सदन ही है अपितु गौण सदन भी है। वित्तीय मामलों में विधान सभा को ही पूरी और अन्तिम सत्ता प्राप्त है। घन विधेयक के लिए यह आवश्यक है कि वह विधान सभामें ही पुर-स्थापित किया जाय। जब इस प्रकार का विधेयक सभा द्वारा पास कर दिया जाता है, तब वह विधान परिषद के पास भेजा जाता है। परिषद के पास भेजे जाने के १४ दिन के पश्चात् वह विधेयक चाहे इस बीच में परिषद ने उसे पास किया हो या न किया हो, राज्यपाल की स्वी-कृति मिल जाने पर कानून बन जाता है। इसके अलावा अनुदान मांगों पर केवल विधान सभा ही मत दे सकती है।

घन विधेयको को छोड़कर, अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में भी विधान सभा विधान परिषद की अपेक्षा महत्तर शक्तियों का उपभोग करती है। यदि विधान परिषद वाले

अन्य विधेयकों के
सम्बन्ध में

राज्य की विधान सभा द्वारा घन विधेयक से किसी अन्य विधेयक के पास किये जाने तथा विधान परिषद के पास पहुँचाये जाने के पश्चात्;—[क] परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, [ख] परिषद के समक्ष विधेयक रखे जानेकी तारीख से उससे विधेयक के पास किये जाये बिना तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा [ग] परिषद द्वारा विधेयक ऐसे सशोधनो सहित पास किया जाता है जिससे सभा सहमत नहीं होती, तो विधान सभा विधेयक को उसी या किसी आगामी सत्र में विधान परिषद द्वारा प्रस्तावित सशोधनो सहित या बिना, यदि कोई हों, पुनः पास कर सकती है और इस प्रकार पास किये गये विधेयक को विधान परिषद तक पहुँचा सकती है। यदि विधान सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दोबारा पास किये जाने तथा विधान परिषद तक पहुँचाये जाने के पश्चात्—[क] परिषद द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है, अथवा [ख] परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उससे पाम हुए बिना एक मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है, अथवा [ग] परिषद द्वारा विधेयक ऐसे सशोधनो सहित पास किया जाता है, जिनमे सभा सहमत नहीं होती, तो विधेयक राज्य के विधानमंडल के दोनो सदनों द्वारा उस रूप में पास किया ममझा जायगा जिसमें कि वह विधान सभा द्वारा दूसरी बार पास किया गया था।

राज्य की कार्यपालिका का नियन्त्रण विधान सभा के हाथ में रक्खा गया है और यदि किसी राज्य में द्वितीय सदन है तो विधान परिषद सूचना आदि प्राप्त करने के अलावा इस शक्ति में कोई हिस्सा नहीं रखती। कार्यपालिका के ऊपर सविधान ने मन्त्रिपरिषद को सामूहिक रूप से अकेले विधान सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया है। दूसरे शब्दों में विधान परिषद नहीं, अपितु विधान सभा ही मन्त्रिपरिषद को अप-दस्थ कर सकती है।

१३८. राज्य के विधानमण्डल की शक्तियों पर प्रतिबन्ध

नया सावधान राज्य विधानमण्डलो को उन शक्तियों की अपेक्षा कही अधिक व्यापक शक्तिया देता है जिनका प्रान्तीय विधानमण्डल १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अधीन उपभोग करते थे। साधारण परिस्थितियों के अधीन अपने निश्चित क्षेत्र में वे करीब करीब प्रभुत्व सम्पन्न हैं लेकिन उनकी सक्षमता के ऊपर लगे गये कुछ प्रतिबन्ध हमारे सविधान की एकात्मक भावना को प्रकट करते हैं। पहली बात यह है कि कुछ विधेयक भारत के राष्ट्रपति की पूर्ण मजूरी के बिना राज्य के विधानमंडल

कतिपय विधेयकों की
पुनःस्थापना के लिए
राष्ट्रपति की पूर्ण
मजूरी

में प्रस्तावित नहीं किये जा सकते। उदाहरणार्थ यह शर्त उन विधेयकों के ऊपर लागू होती है जो राज्य के भीतर या दूसरे राज्यों के साथ बाणिज्य, व्यापार और समा-गम की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध आरोपित करते हैं। [अनु. ३०४]। दूसरी बात यह है कि राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किये गये कुछ विधेयक उस समय तक प्रभावी नहीं हो सकते, जब तक कि वे राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किये जाने के पश्चात् उसकी स्वीकृति प्राप्त न कर लें। इस कोटि में [१] राज्य द्वारा सम्पत्ति के अर्जन से सम्बद्ध विधेयक [अनु.] और [२] समवर्ती मामलों से सम्बद्ध वे विधेयक जो संसद द्वारा पास किये गये वर्तमान कानूनों के प्रतिकूल हो जाते हैं [अनु. २५४]। वे विधेयक भी जो संसद द्वारा समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर करारोपण करते हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने पर उसकी अनुमति बिना प्रभावी नहीं हो सकते [अनु. २८६]। तीसरी बात यह है कि संविधान ने संसद को राज्य सूची में के विषयों के बारे में कानून बनाने की शक्ति दी है। यदि राज्य परिषद उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अनूयन सख्या द्वारा समर्थित राज्य परिषद संसद को प्रस्ताव द्वारा यह घोषित करदे कि राष्ट्रीय हित में यह राज्य सूची में प्रणालित आवश्यक या इष्टकर है कि संसद को राज्य सूची में प्र-विषयों के ऊपर कानून गणित विषयों के ऊपर कानून बनाना चाहिए तो संसद उन बनाने की शक्ति दे विषयों के ऊपर कानून बना सकती है [अनु. २४९]। इस सकती है उपबन्ध की कठोर आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है कि यह उपबन्ध राज्यों की स्वायत्तता के ऊपर कठोर आघात है। तथापि यह स्मर्तव्य है कि राज्य सूची में के किसी विषय को संसद के विधायी क्षेत्राधिकार को सौंप देने की राज्य परिषद की शक्ति अर्थ आपात व्यवस्थापन तक मर्यादित है। इस उपबन्ध के अधीन संसद द्वारा पास किये गये कानून केवल एक परिमित अवधि के लिए ही प्रभावी होंगे। चौथी बात यह है कि जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है संसद भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में प्रणालित विषयों में से किसी के बारे में कानून बना सकती है [अनु. २५०]। इस उपबन्ध के आपात काल में संसद अधीन संसद द्वारा पास किया कानून उद्घोषणा प्रवर्तन राज्य सूची के विषयों की समाप्ति के पश्चात् छ मास की कालावधि की समाप्ति पर भी कानून बना पर प्रवर्तन में न रहेगा। पाचवीं बात है कि संसद राज्यों पर भी कानून बना सकती है। पाचवीं बात है कि संसद राज्यों में अधानिक तन्त्र के विफल हो जाने की घोषणा के प्रवर्तन काल में भी राज्य सूची में प्रणालित विषयों पर कानून बना सकती है। जब तक ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में है राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है

कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां ससद के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रयो-
क्तव्य होंगी [अनुच्छेद ३५६]।

१३६. भाग (ख) राज्य

संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों में से प्रत्येक के राज्यक्षेत्र में वह राज्य-क्षेत्र समाविष्ट है जो संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी देशी राज्य में समाविष्ट था। स्वतन्त्र भारत का सबसे बड़ी सफलताओं में से एक इन राज्य क्षेत्रों का भारत-सघ के एकको के रूप में आठ भाग (ख) राज्यों में और पांच भाग (ग) राज्यों में विनीनीकरण तथा भाग (क) राज्यों में अभिभावी परिस्थितियों के अनुकूल लोकनत्रीकरण है।

नये संविधान के अधीन भाग (ख) में के राज्यों के शासन-तन्त्र को भाग (क) राज्यों के शासन-तन्त्र के पद चिन्हों पर ले आया गया है। लेकिन इस सम्बन्ध में

राजप्रमुख

कुछ महत्वपूर्ण अन्तर है। उदाहरणार्थ इन राज्यों में से प्रत्येक का कार्यकारी प्रधान राज्यपाल नहीं राजप्रमुख कहलाता है। यद्यपि वह नरेश वर्ग का एक सदस्य है और

उसकी उपलब्धियां एक भिन्न आधार पर निश्चित होती हैं फिर भी उसकी वैधानिक स्थिति भाग (क) के राज्यपाल की वैधानिक स्थिति के सदृश है। निजी धौली के रूप में राजप्रमुख को दिये गये भत्ते सम्बद्ध राज्य के राजस्वों

विधान मण्डल

पर भारित न होकर जैसा कि भाग [क] राज्य के राज्यपाल के वेतन व भत्तों के बारे में है, सघ के राजस्वों पर भारित होते हैं। संविधान ने उपबन्ध किया है कि इन राज्यों में से प्रत्येक का एक विधान मण्डल होगा जो राजप्रमुख और [क] मेसूर राज्य में दो सदनों व [ख] दूसरे राज्यों में एक सदन से मिल कर बनेगा। इन राज्यों में

न्यायपालिका

न्यायपालिका का संगठन उसी रीति से किया गया है जैसा कि भाग (क) राज्यों में है। लेकिन भाग (क) के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन जहा संविधान द्वारा निश्चित किये गये हैं, वहाँ भाग (ख) राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और निवृत्ति-वेतन के नियम सम्बद्ध राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

केन्द्र से भाग (ख) राज्यों के सम्बन्ध व्यावहारिक भाग [क] राज्यों के सम्बन्धों की तरह ही है। जहा तक समवर्ती सूची में प्रणयित विषयों का प्रश्न है, उनके ऊपर उनका उन प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो

भाग (क) राज्यों के विधान मण्डलों पर लागू होते हैं, सामान्य क्षत्राधिकार होगा। लेकिन जम्मू और काश्मीर के राज्य के बारे में विशेष उपबन्ध कर दिए गए हैं। इस राज्य के बारे में सघीय संसद की कानून बनाने की शक्ति [क] सघ सूची और समवर्ती सूची में प्रणित केवल उन विषयों तक जो प्रवेश लिखत द्वारा केन्द्र को दिए गए हैं तथा [ख] उन विषयों तक जो राज्य की सरकार की सहमति से राष्ट्रपति उल्लिखित कर दे, सीमित होगी।

केन्द्र से सम्बन्ध
(क) विषयायी

भाग [क] राज्यों की वैधानिक स्थिति से भाग [ख] राज्यों की वैधानिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण अन्तर इन राज्यों के केन्द्र के साथ प्रशासनिक सम्बन्धों में निहित हैं। भाग [क] राज्यों के विपरीत भाग [ख] राज्य सघीय सरकार के साधारण निरीक्षण और नियन्त्रण में हैं। इन राज्यों की सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि ये उन विशेष निर्देशों का जो राष्ट्रपति समय समय पर प्रख्यापित कर सकता है, पालन करें। इस उपबन्ध को संविधान के प्रारम्भ होने से दसवर्षों की अवधि के लिए किया गया है लेकिन यदि संसद चाहे तो इसे घटा या बढ़ा सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह भाग [ख] में के किसी राज्य को केन्द्र के साधारण नियन्त्रण से सम्बन्ध उपबन्ध से छटकारा दे सकता है।

(ख) प्रशासनिक
सम्बन्ध

कतिपय टीकाकारों ने सघीय सरकार के इस नियन्त्रण की आलोचना की है और इसे 'नई परमेष्ठता' बताया है। स्पष्टतः इसके कारण भाग [ख] राज्यों की स्वायत्तता भाग [क] राज्यों को दी गई स्वायत्तता से कम हो जाती है। लेकिन भाग [ख] राज्यों के ऊपर सघीय सरकार के इस साधारण नियन्त्रण का इस आधार पर कि ये राज्य पिछड़े हुए हैं और अधिकांशतः इनमें सुसंगठित प्रशासनिक व न्यायिक प्रणाली का अभाव है एक अन्तर्कालीन उपबन्ध के रूप में औचित्य सिद्ध किया गया है। इन राज्यों के प्रशासन व सार्वजनिक जीवन-मानों को भाग [क] राज्यों के घरातल पर आने में कुछ समय लगेगा। जब तक ऐसा होता है, उनके ऊपर केन्द्रीय सरकार का थोड़ा नियन्त्रण होना आवश्यक है। भाग [क] राज्यों और केन्द्र के विन्धाय सम्बन्धों का नियमन करने वाले संविधान के साधारण उपबन्ध भाग [ख] राज्यों के ऊपर भी लागू होंगे। लेकिन संविधान ने

केन्द्रीय नियन्त्रण
का औचित्य

(ग) विस्तीय
सम्बन्ध

निश्चित किया है कि संघीय सरकार निम्न मामलों के सम्बन्ध में भाग [ख] राज्यों की सरकारों के साथ कोई भी समझौता कर सकती है

कतिपय मामलों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था [क] ऐसे राज्य में भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किसी कर या शुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रह करना और उसके आगम का वितरण करना; [ख] भारत सरकार द्वारा स विधान के अधीन उद्गृहीत किये जाने वाले किसी कर या शुल्क से अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों से जो राजस्व राज्य पाता था, उसकी हानि के लिए ऐसे राज्य को केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता अनुदान करना और [ग] भाग [ख] राज्य द्वारा शासकों की निजी धौली के रूप में किन्हीं राशियों की करमुक्त देनगी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को दिया जाने वाला अंशदान ।

१४०. भाग (ग) राज्य

प्रथम अनुसूची के भाग (ग) राज्यों में पूर्वकालीन मुख्य आयुक्तों के प्रान्त (जैसे दिल्ली) और कतिपय पूर्वकालीन देशी राज्यों (जैसे हिमाचल प्रदेश और भोपाल) के राज्यक्षेत्र समाविष्ट हैं । सविधान ने निश्चित किया है कि

केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र इन राज्यों में से प्रत्येक का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा और वह इस बारे में अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के अथवा पड़ोसी राज्य को सरकार के द्वारा कार्य करेगा । भाग (ग) राज्यों में लोकतन्त्रात्मक स्वशासन की स्थापना के बारे में पर्याप्त आंदोलन होता रहा है ।

भाग (ग) राज्यों में स्वशासन संसद सविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अधीन काम करती हुई एक ऐसे विधायक पर विचार कर रही है जिसके द्वारा इन राज्यों में विधान मंडलों, मंत्रिपरिषदों और परामर्शदाताओं का मूजन किया जा सके ।

१४१. भाग (घ) राज्य-क्षेत्र

प्रथम अनुसूची के भाग (घ) में अण्डमान और निकोबर-द्वीप समाविष्ट हैं । इनका और इस अनुसूची में अनुल्लिखित दूसरे राज्य-क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति करता है और वह इस बारे में अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले मुख्य आयुक्त या अन्य पदाधिकारी के द्वारा कार्य करता है । राष्ट्रपति ऐसे किसी राज्य-क्षेत्र में शान्ति और सुशासन के लिए तथा संसद-निर्मित किसी कानून का अथवा किसी वर्तमान कानून का जो उस पर लागू है, निरसन या सशोधन करने के लिए विनियम बना सकता है ।

सारांश

भारत राज्यों का संघ है। संविधान ने इन राज्यों का तीन विभिन्न कोटियों में बर्गीकरण किया है। सघीय पद्धति के अधीन ये राज्य प्रथम-स्वायत्त स्टेट्स का उप-भोग करते हैं लेकिन साधारण परिस्थितियों में इन्हें अपने उल्लिखित क्षेत्र के भीतर वास्तविक प्रभुत्व शक्ति प्राप्त है। आपातो में उनकी स्वायत्तता को स्थगित किया जा सकता है।

भाग (क) राज्य की कार्यपालिका-शक्ति औपचारिक रूप से राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और पाँच वर्ष तक पद धारण करता है। उसे व्यापक कार्यपालिका, विधायिनी, वित्तीय और न्यायिक शक्तिवा प्राप्ता है। लेकिन वह वैधानिक शासक है और साधारणतः अपने मंत्रियों की मंत्रणा पर कार्य करता है। यह केवल थोड़ी सी उल्लिखित अवस्थाओं की ही बात है, जब राज्यपाल केन्द्र का अभिकर्ता हो जाता है और अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है।

राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मन्त्री-परिषद है मन्त्रीपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानमण्डल के प्रति (अथवा यदि राज्य में द्विविध संसदन है तो केवल विधान-सभा के प्रति) उत्तरदायी है। राज्य की मन्त्रीपरिषद संघ की मन्त्रीपरिषद के पद बिन्दु का अनुसरण करती हुई ही कार्य करती है।

प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल है। भाग (क) के छह राज्यों और भाग (ख) के एक राज्य में द्विसदन तमक विधानमण्डल है। उच्च सदन (विधान परिषद) परोक्ष-निर्वाचित और नामनिर्देशित सदस्यों से मिल कर बनता है। विधान-सभा की तुलना में विधान-परिषद सर्वथा शक्तिहीन है। वह स्थायी सदन है। उसकी अवधि ६ वर्ष है लेकिन प्रति दूमेरे वर्ष उसके तिहाई सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। विधान सभा जनता का सदन है। वह वयस्क मनाधिकार और मयुक्त निर्वाचकगणों के आधार पर प्रत्यक्षतः निर्वाचित होती है। साधारणतः राज्य-सूची में प्रणयित विषयों के ऊपर राज्य के विधान मण्डल को अपवर्जी क्षेत्राधिकार प्राप्त है लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह क्षेत्राधिकार सदन को हस्तांतरित किया जा सकता है। राज्य का विधानमण्डल [द्विसदनात्मक विधानमण्डलो वाले राज्यों में विधान-सभा] राज्य के वित्तों को नियन्त्रित करती है और मन्त्री-परिषद के कार्य का निरीक्षण करती है।

भाग [ख] राज्य का प्रशासन साधारणतः भाग [क] राज्य के प्रशासन का तत्स्थानी है परन्तु कुछ महत्वपूर्ण अन्तर है। भाग [ख] राज्य में राज्यपाल के स्थान पर राजप्रमुख होता है। चूँकि इनमें से अधिकांश राज्य पिछड़े हुये हैं और इनमें सुसंगठित प्रशासनिक व न्यायिक तंत्र का अभाव है, अतः दस वर्ष की अन्तर्कीर्ण अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार को इन राज्यों के ऊपर साधारण निरीक्षण रखने

और नियंत्रण करने की शक्ति दे दी गई है। यह आशा की जाती है कि इस अवधि की समाप्ति पर इन राज्यों के प्रशासन व सार्वजनिक जीवन के मान भी भाग [क] राज्यों के घरातल पर आ जायेंगे।

भाग [ग] के राज्य केन्द्र द्वारा शासित होते हैं। राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त मुख्य प्रायुक्तों अथवा उप राज्यपालों के द्वारा इनका शासन करता है। ससद ऐसे उपायों पर विचार कर रही है जिनसे इन राज्यों में विधान मण्डलो, परामर्शदाताओं व मन्त्रिपरिषदों की स्थापना के द्वारा लोकतन्त्रात्मक स्व-शासन को कायम किया जा सके।

अध्याय १७

देशी राज्य : उनका विलीनीकरण और लोकतंत्रीकरण

१४२. देशी राज्यों की पृष्ठभूमि

आज भारतमें “राज्य” शब्द भारत-सभ के अवयवी एककों के लिये प्रयुक्त होता है। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में यह शब्द देशी नरेशों के अधीनस्थ प्रदेशों के लिए लागू होता था। देशी राज्यों की संख्या ५६२ थी। ये राज्य सम्पूर्ण देश में फले हुये थे। इनमें सारे देश का ४५ ब्रिटिश भारत और प्रतिशत क्षेत्र और उसकी कुल जन-संख्या का २६ प्रतिशत देशी राज्य भाग आ जाता था। विस्तार, जनसंख्या और शक्तियों की दृष्टि से उनमें पर्याप्त अन्तर था। “एक ओर तो हैदराबाद था, जिसकी आबादी एक करोड़ ६५ लाख व वार्षिक आय १० करोड़ रुपये थी। दूसरी ओर बाबरी था जिसकी आबादी २७ और वार्षिक आय ८० रु. थी। काठियावाड़ में २८३ राज्य थे। इनमें ९ राज्यों की तो आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी थी, बाकी २७४ राज्यों की कुल वार्षिक आय १३५ लाख रुपये थी। इस राशि को २७४ शासक-परिवारों का पालन करना पड़ता था और इससे आशा की जाती थी कि यह २७४ पृथक् अर्ध-स्वतन्त्र राज्यों के प्रशासनों का संचालन करे।”

देशी राज्यों की उत्पत्ति विभिन्न रीतियों से हुई। कुछ राज्य बहुत पुराने थे। उदाहरणार्थ, कूचबिहार, त्रावणकोर और कोचीन का इतिहास काफी पुराना था। मैसूर, जोधपुर और उदयपुर जैसे कुछ दूसरे राज्य भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के काफी पूर्व से वर्तमान थे। राज्य की बहुत से राज्य मुगल-शक्ति के पतन के पश्चात् उत्पन्न उत्पत्ति हुए। ब्रिटिश शासन की जड़ जमने के पूर्व भारत एक

अखंड देश नहीं था अपितु स्वतन्त्र राज्यों का एक समुदाय था। जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इन राज्यों के पारस्परिक संबंधों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, तब उसने उनमें से बहुतों को विजय अथवा दूसरे अधिक कारगर उपायों द्वारा अपने वश में कर लिया। लेकिन ऐसे भी बहुत से राज्य बाकी बच गये जिन्हें अंग्रेजों ने प्रत्यक्षतः अपने अधीन नहीं किया। अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्दी फ्रांसीसियों को भारत से बाहर करने के लिए अंग्रेजों को उनकी सद्भावना तथा सहायता की आवश्यकता थी। फलतः उन्होंने इन राज्यों से सन्धि की और उन्हें पर्याप्त स्वतन्त्रता देकर अपना 'स्वामिमक्त मित्र' बना लिया। बहुत से उन भारतीयों को जिन्होंने अंग्रेजों को भारतीय उप-महा-द्वीप के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने में सहायता दी, ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जागीरें प्रदान कीं। इस रीति से भी अनेक राज्यों की उत्पत्ति हुई। स्पष्टतः इस ढंग से प्रादु-भूत राज्य अपने अस्तित्व के लिए सीधे ईस्ट इंडिया कम्पनी के निकट ऋणी हैं।

देशी राज्य अधोगति के गर्त में डूबे हुए थे। राजनीतिक दृष्टि से वे सामन्तवाद और प्रतिक्रियावाद के गढ़ थे। अधिकांश राज्यों के नरेश स्वच्छाचारी की भांति शासन करते थे। राज्य के प्रशासन में जनता की कोई आवाज नहीं थी और वह राजनीतिक अधिकारों से सर्वथा वंचित थी। कुछ राज्यों में विधान मण्डल थे परन्तु उनका कार्यपालिका के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं था। त्रावनकोर कोचीन, बडौदा और ग्वालियर जैसे कुछ राज्यों का शासन प्रबन्ध न्यूनाधिक रूप से प्रगतिशील था, लेकिन उनकी सख्या बहुमत कम थी। आर्थिक दृष्टि से भी राज्य अनुन्नत थे। केवल थोड़े से राज्यों को छोड़ कर, शेष राज्यों में औद्योगिक विकास की पूर्ण अपेक्षा की गई थी और उनमें सिर से पैर तक सामन्ती अर्थ-व्यवस्था वर्तमान थी। किसानों की दशा बड़ी दयनीय थी। जमीन्दार व जागीरदार उनका निर्दयतापूर्वक शोषण और दमन करते थे। राज्यों के साधन-स्रोत अत्यन्त सीमित थे। शासक आकठ विलासिता में मग्न रहते थे। उनके विलास के उपकरण जुटाने में ही राज्यों का आर्थिक मेरुदण्ड टूट जाता था, फलतः राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सेवा के कार्यों के लिए कोष में अत्यल्प धनराशि बच पाती थी। अधिकांश राज्यों में जनता को शिक्षा अथवा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें विलकुल प्राप्त नहीं थीं। केवल तीन राज्यों में विश्वविद्यालय थे और डिग्री कालिज केवल तीस राज्यों में थे। राज्यों में कुल मिला कर केवल ३ प्रतिशत जनता साक्षर थी। यह ठीक है कि इस सम्बन्ध में कुछ राज्य अपवाद स्वरूप भी थे। उदाहरणार्थ त्रावनकोर और कोचीन में, भारत में सबसे अधिक ४० प्रतिशत साक्षरता थी।

१४३. सार्वभौम सत्ता

देशी राज्य किसी भी प्रकार प्रभुत्व सम्पन्न राज्य नहीं थे। इसके विपरीत वे ब्रिटिश सम्राट की सार्वभौम सत्ता के अधीन थे। 'सार्वभौम सत्ता' शब्द की सांगोपांग व्याख्या कभी नहीं की गई लेकिन साधारण रूप से इसका आशय यह था कि देशी राज्य ब्रिटिश सम्राट् के सार्वभौमत्व के अधीन हैं और इस सार्वभौमत्व का प्रयोग भारत में सम्राट् के प्रतिनिधि वायसराय करते हैं। देशी राज्यों के सम्बन्ध में ब्रिटिश सम्राट की सार्वभौम अथवा सर्वोच्च सत्ता का १९२६ में लार्ड रीडिंग ने हैदराबाद के निजाम को लिखे गये अपने पत्र में स्पष्ट रूप से निरूपण किया था। उन्होंने लिखा था, "भारत में ब्रिटिश सम्राट् की प्रभुत्व शक्ति सर्वोच्च है और इसलिए देशी राज्य का कोई भी शासक ब्रिटिश सरकार से समानता के आधार पर बातचीत करने का दावा उपस्थित नहीं कर सकता।"

सार्वभौम सत्ता
का
अभिप्राय

इसलिए सार्वभौम सत्ता का अभिप्राय था कि देशी राज्य वास्तविक आशय में राज्य नहीं थे। ब्रिटीश के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून में उनकी कोई स्थिति नहीं थी। वे अधीनस्थ अथवा रक्षित राज्य थे। वे न तो युद्ध की घोषणा कर सकते थे और न विदेशी राज्यों के साथ सीधे सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे क्योंकि उनके वैदेशिक सम्बन्ध पूर्णतः ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित होते थे। राज्यों को आन्तरिक क्षेत्र में भी असौमित्र स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती थी। साम्राज्य, न्याय अथवा सुशासन के हितों के अन्तर्गत होने पर सम्राट् उनके मामलों में हस्तक्षेप कर सकते थे। ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों के घरेलू मामलों में जब चाहे तब हस्तक्षेप कर बैठती थी। कभी कभी वह प्रशासक नरेशों को अधिकारच्युत तक कर देती थी। उदाहरणार्थ, १८९१ में मनीपुर के सेनापति को फासी दे दी गई। १९३८ में नाभा के महाराजा को पदच्युत और गिरफ्तार किया गया। १९३६ में अलवर के शासक को विवश किया गया कि वे २४ घण्टे के भीतर ही भीतर अपना राज्य छोड़कर चले जायें। किसी राज्य के उत्तराधिकार को निश्चित करने और दत्तक-ग्रहण के सम्बन्ध में यह आवश्यक था कि सम्राट् की अनुमति प्राप्त कर ली जाये। उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मतभेद पैदा होने पर अन्तिम निर्णय सम्राट् के हाथों में रहता था। ब्रिटिश सार्वभौमत्व की अधीनता में देशी राज्यों की स्थिति गुलामों के समान ही थी।

१४४. १९३५ के अधिनियम के अधीन प्रस्तावित संघ

भारत के आधुनिक इतिहास में १९३५ के अधिनियम ने प्रथमवार राज्यों और प्रान्तों को एक अखिल भारतीय संघ के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन के अधीन लाने का

प्रस्ताव किया। तथापि, यह निश्चित कर दिया गया था कि सभ का आविर्भाव उसी समय होगा जबकि ऐसे देशी राज्यों के शासक जिनकी जनसंख्या समस्त राज्यों की कुल जनसंख्या की आधी से अन्यून हो और जो प्रस्तावित संघीय विधानमण्डल के उच्च सदन में देशी राज्यों के लिए नियत स्थानों में से कम से कम आधे स्थानों के लिए हकदार हों। सभ में सम्मिलित होने के लिये प्रस्तुत हो जाये। राज्यों का सभ में प्रवेश ऐच्छिक था और अमुक राज्य सभ में सम्मिलित होगा या नहीं, इसका निर्णय वहाँ के शासक के ऊपर छोड़ दिया गया था।

यह योजना कार्यान्वित न हो सकी क्योंकि भारतीय लोकमत के प्रत्येक वर्ग ने जिसमें देशी नरेश भी सम्मिलित थे, इसका विरोध किया। भारतीय जनता को यह सन्देह था कि जब तक राज्यों के आन्तरिक प्रशासन का लोकतन्त्रीकरण नहीं हो जाता, वे सभ में प्रतिक्रियावादी योजना की रुख ग्रहण करेंगे और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की डगमगाती हुई नौका के लिए अवलम्ब तुल्य सिद्ध होंगे। कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को फरवरी १९३८ में पास किये गये प्रस्ताव में स्पष्ट किया, "एक सच्चे सभ के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वतन्त्र एकको से मिलकर बने, ये एकक लोकतन्त्रात्मक निर्वाचन पद्धति द्वारा न्यूनाधिक रूप में एकसी स्वतन्त्रता, नागरिक स्वाधीनता तथा प्रतिनिधित्व का उपभोग करते हों।" नरेशों ने इस योजना का इसलिये अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें भय था कि यह उन्हें सम्राट और संघीय सरकार दो स्वामियों की अधीनता में पटक देगी।

१४५. स्वतन्त्रता के बाद देशी राज्य

भारतीय स्वतन्त्रता अपने साथ कई नई समस्याएँ लाई। इन समस्याओं में सबसे जटिल समस्या देशी राज्यों की थी। भारत सभ के साथ उनका क्या सम्बन्ध होने को था? भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम ने एक बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर दी थी। अधिनियम ने घोषणा की थी कि राज्यों के ऊपर जो ब्रिटिश सम्राट् की सार्वभौम सत्ता थी, वह देश की नई केन्द्रीय सत्ता को हस्तान्तरित हुए बिना ही समाप्त हो गई। इससे भयकर उल्लङ्घन पैदा हो गई। औपचारिक रूप से राज्य स्वतन्त्र हो गये और उनकी वही स्थिति हो गई, जो अंग्रेजों की अधीनता में आने के पूर्व थी। कानूनी तौर से राज्य दोनों डोमिनियनों (भारत या पाकिस्तान) किसी में भी सम्मिलित होने अथवा अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करने के लिए स्वतन्त्र थे। स्पष्ट है कि

भारतीय स्वतन्त्रता-
अधिनियम द्वारा
उत्पन्न की गई
उल्लङ्घन

यह भारत की एकता को भंग करने और उसकी नव-प्राप्त स्वतन्त्रता को भंग करने की एक चेष्टा थी ।

यदि कहीं अधिकांश राज्य अपने उक्त अधिकार का प्रयोग कर लें, स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर दें, तो भारत की राष्ट्रीय एकता और शक्ति को तीव्र आघात पहुंचता । निसर्गत. भारत इस बात के लिए तय्यार नहीं था कि ५०० प्रभुत्व सम्पन्न सामन्ती राज्य उसकी सीमाओं के भीतर विद्यमान रहे । ये राज्य राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से किस प्रकार भारत में मिलाये जा सकते थे ताकि भारत एक प्रभुत्व सम्पन्न लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य का रूप धारण कर सकता ? बिना किसी रक्तपात के पारस्परिक सहयोग के द्वारा इस समस्या का समाधान किस प्रकार सम्भव था ? राज्यों से वंचित भारत बिलकुल लुजपुज हो जाता ।

राज्यों का
भारत संघ
में प्रवेश

लेकिन सरदार पटेल जैसे भारतीय नेताओं के प्रयासों और कई नरेशों की देश-भक्ति के फलस्वरूप अधिकांश राज्य भारत संघ में सम्मिलित हो गये । त्रावणकोर और हैदराबाद जैसे कुछ अपवाद भी थे । लेकिन बाद में इन राज्यों को भी भारत संघ में सम्मिलित कर लिया गया, पहले को तो शान्तिपूर्ण दबाव के द्वारा और दूसरे को शक्ति द्वारा । जूनागढ़ के नवाब ने अपने राज्य की भूगोलिक स्थिति और जनता की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए उसके पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी । लेकिन जनता के दृढ़ संकल्प ने शासक की कुचेष्टा को निष्फल कर दिया । काश्मीर के स्थायी प्रवेश का प्रश्न अभी अनिश्चित है । लेकिन भारत ने अपने अटल निश्चय की घोषणा कर दी है कि इस प्रश्न का निर्णय राज्य की जनता ही करेगी ।

भारत संघ में राज्यों का प्रवेशमात्र तो समस्या के समाधान में पहला कदम था । ६५२ राज्यों को उसी स्थिति में, जिसमें वे ब्रिटिश शासन की अधीनता में थे, छोड़ देना मूर्खतापूर्ण था । लगभग उन सबके पास ऐसे साधन स्रोतों का अभाव था जिनसे कि वे एक प्रगतिशील शासन पद्धति कायम रख सकते और भारत संघ के पूर्ण विकसित एकक बने रहते । इसलिए राज्यों को थोड़े से "विराटकाय और जीने योग्य" एकांको के रूप में समाहित कर देना आवश्यक था । इस लक्ष्य को विलीनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया गया । मुख्य रूप से इस कार्य को तीन तरह से किया गया है ।

बुढ़ीकरण

(राज्यों का विलीनीकरण)

विलीनीकरण की पहली प्रक्रिया छोटे छोटे राज्यों को पड़ोसी प्रान्तों में मिला देने की थी । यह प्रक्रिया पहली जनवरी १९४८ को शुरू हुई जब उड़ीसा और छत्ती-

राज्यों का प्रान्तों में विलीनीकरण

सगढ़ के ३९ राज्यों को (जिनका क्षेत्रफल ५६,००० वर्गमील और आबादी ७० लाख थी) उड़ीसा और सी. पी. के प्रान्तों में सम्मिलित कर दिया गया। १९ फरवरी, १९४८ को एक कोल्हापुर छोड़कर दक्षिण के समस्त राज्यों को बम्बई प्रेसीडेंसी में मिला दिया गया। १० जून १९४८ को गुजरात के राज्य, ताल्लुके और थाने, जिनकी संख्या १५७, क्षेत्रफल १९३०० वर्गमील और आबादी २७ लाख थी, बम्बई प्रेसीडेंसी के भाग बन गये।

राज्यों के विलीनीकरण की दूसरी प्रक्रिया यह थी कि कई बड़े बड़े राज्यों को संघों [यूनियनों] के रूप में संगठित कर दिया गया ताकि वे जीने योग्य प्रशासनिक एकक बन सकें। सबसे पहले काठियावाड़ अथवा सौराष्ट्र राज्यों का एक संघ बनाया गया। यह अनुष्ठान १५ फरवरी १९४८ को पूरा हुआ। इस संघ में ३० राज्य शामिल हैं। इसका क्षेत्रफल ३१८८५ वर्ग मील और जनसंख्या ३५ लाख से ऊपर है। न्यूनाधिक रूप से सौराष्ट्र के ही आदर्श पर देश के दूसरे भागों में राजस्थान, मध्यभारत और पेप्सू जैसे संघों का निर्माण हो गया है।

तृतीयतः कुछ राज्य अथवा राज्य समूहों को चीफ कमिश्नरों के प्रांतों [भाग-य राज्यों] में मिला दिया गया। इन प्रांतों का शासन-प्रबन्ध सीधे केन्द्रीय सरकारकी देख रेख में होता है। इस प्रकार शिमला पहाड़ी के २२ राज्यों को [जिनका क्षेत्रफल ११,२५४ वर्ग मील और जनसंख्या १०.४६ लाख थी] हिमाचल प्रदेश के रूप में संगठित किया गया। विन्ध्य प्रदेश, भोपाल, विलासपुर, कच्छ और मनीपुर-त्रिपुरा इसी कोटि के राज्य हैं। इनका शासन-प्रबन्ध सीधे केन्द्रीय सरकार करती है।

स्वतन्त्रता के स्वर्णोदय के पश्चात् अधिकांश राज्यों में स्वेच्छाचारिता का अन्त करने और उनकी सस्थाओं व प्रशासन का लोकतन्त्रीकरण करने के समानान्तर लक्ष्य को सिद्ध कर लिया है। नए संविधान की प्रथम लोकतन्त्रीकरण अनुसूची के भाग ख में सम्मिलित राज्य-संघों अथवा राज्यों के राजप्रमुख वैधानिक शासक हो गए हैं और उनकी स्थिति भाग के राज्यों के राज्यपालों के समान ही है। मूलभूत अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के सम्बन्ध में इन राज्यों की जनता और प्रान्तों की जनता में कोई

भेद नहीं है। भाग छ राज्यों को १० वर्ष के लिये केन्द्रीय शासन की देखरेख में रखा गया है ताकि अन्तर्काल के दौरान में इनके प्रशासन का नवीनीकरण हो सके। प्रथम अनुसूची के भाग ग में जो पूर्वकालीन देशी राज्य सम्मिलित हैं, उनमें लोकतंत्र की बहुत कम उन्नति हुई है लेकिन अब इस त्रुटि को दूर करने के यथासम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

१५ अगस्त १९४७ के पश्चात् देशी राज्यों में जो परिवर्तन हुआ है, उसे एक गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रान्ति कहा गया है। हैदराबाद, जूनागढ़ और काश्मीर को छोड़ कर शेष देशी राज्यों के विलीनीकरण और लोकतन्त्रीकरण की दोहरी प्रक्रिया बिल्कुल शान्तिपूर्वक, लगभग अक्षत रक्तहीन क्रान्ति भाव से घटित हो गई है। यह सही है कि नरेशों के सह-योग को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी है। इनको निजी खर्च के तौर पर कुल मिला कर लगभग आठ करोड़ रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। भारत जैसे गरीब देश के लिए यह व्यय भार असह्य है। नरेशों को अपनी उपाधियाँ बनाए रखने और विशेषाधिकारों का उपभोग करने की भी आज्ञा दे दी गई है। उनमें से कुछ को राजप्रमुख और उपराजप्रमुख बना दिया गया है। लेकिन अधिकांश लोगों की राय में राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति को देखते हुए, जिसका श्रेय सरदार पटेल की दृढ़ और दूरदर्शनी राजनीतिज्ञता को जाता है, यह उत्सर्ग अनुचित नहीं है।

सारांश

ब्रिटिश शासन काल में भारत दो भागों—देशी और ब्रिटिश भारत में विभाजित था। देशी भारत में ५६२ देशी राज्यों के प्रदेश सम्मिलित थे। राज्य राजनीतिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे और उनका शासन सामन्ती नरेश स्वेच्छाचारी ढंग से करते थे।

देशी राज्य किसी भी प्रकार प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य नहीं थे। वे ब्रिटिश सम्राट की सार्वभौम सत्ता के अधीन थे। इसका अभिप्राय यह था कि ब्रिटिश सरकार उनके वैदेशिक सम्बन्धों को पर्याप्तः नियन्त्रित करती थी और कभी कभी उनके घरेलू मामलों में भी टांग मूड़ा देती थी।

जब भारत स्वतन्त्र हुआ, राज्यों ने एक कठिन और जटिल समस्या उपस्थित की। कानूनी दृष्टि से राज्य भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने या स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर देने के लिए स्वतन्त्र थे। निसर्गतः यदि कहीं बहुत से प्रभुत्व सम्पन्न राज्य बनने के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर बैठते, तो सारे देश में अव्यवस्था फैल सकती थी। यह सरदार पटेल जैसे नेताओं की राजनीतिज्ञता और नरेशों की देश

भक्ति के प्रति श्रद्धाजलि है कि भारत की एकता के ऊपर मंडराने वाला यह खतरा राज्यों के भारत-संघ में प्रवेश करने से दूर हो गया। इस कार्य को तीन तरह से पूरा किया गया। कई छोटे-छोटे राज्यों को पड़ोस के प्रांतों में मिला दिया गया। कुछ बड़े राज्यों के संघ बना दिए गए ताकि वे जीने योग्य प्रशासनिक एकक हो सकें। कुछ राज्यों अथवा राज्य-समूहों को चीफ कमिश्नरो के प्रांतों के रूप में (भाग ग राज्य) केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में ले आया गया।

राज्यों के विलीनीकरण के साथ ही साथ उनका लोकतन्त्रीकरण भी होता गया है। देशी राज्यों के स्वरूप परिवर्तन और उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली भारतीय एकता को एक गौरवपूर्ण और रक्तहीन क्रांति कहा गया है।

— — — — —

अध्याय १८

महात्मा गांधी और उनका सन्देश

१४६. गांधी जी : राजनीतिक नेता के रूप में

आर्थर कोएस्टलर ने अपने ग्रंथ 'दि योगी एण्ड दि कमीसार' में लिखा है कि मानव-सम्यता का भविष्य मानव-मन के पुनर्गठन पर निर्भर है। 'राज की परिस्थिति में न तो सन्त ही हमारी रक्षा कर सकता है और न क्रांतिकारी ही। दोनों के समन्वय में विश्व का कल्याण है।' महात्मा गांधी इस समन्वय के श्रेष्ठ प्रतीक थे। वे सन्त भी थे और क्रांतिकारी भी। सन्त के रूप में उनकी तुलना कृष्ण, बुद्ध, और ईसा से की जाती है। क्रांतिकारी के रूप में वे वाशिंगटन, मेजिनी और लेनिन के सदृश ठहरते हैं। गांधीजी के सन्त और क्रांतिकारी रूपों के समन्वय का ही यह फल है कि उन्होंने आध्यात्मिक और ऐहिक का सुन्दर मेल मिलाया तथा दोनों का एक साथ निर्वाह किया। अरनेस्ट बारकर ने गांधीजी के समन्वयशील व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यह ठीक ही लिखा है कि "मैंने उनमें सन्त फ्रांसिस को पाया, जिसने समस्त विश्व के साथ सामंजस्य और विश्व की सब वस्तुओं के साथ प्रेम अनुभव करते हुए गरीबी की सादी जिन्दगी बिताने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैंने उनमें सन्त थॉमस एक्विन्स को भी पाया, जो ससार का एक महान् विचारक और दार्शनिक हो गया है और जो बड़ी बड़ी दलीलें देने में समर्थ था तथा विचारों के सब तोड़-मोड़ों में उन बारीकियों से भलीभांति परिचित था। इन दोनों के अलावा मैंने उनमें एक व्यावहारिक मनुष्य को भी पाया, जिसके पास अपनी व्यावहारिकता को मजबूत बनाने के लिए कानून की शिक्षा भी मौजूद थी और जो अपनी कुशल सलाह से लोगों का पथ-प्रदर्शन करने के लिए पहाड़ की चोटी से घाटी में भी उतर कर आ सकता था।"

महात्मा गांधी स्वभावतः धर्मप्राण व्यक्ति थे, उन्हें राजनीतज्ञ तो आवश्यकता के कारण बनना पड़ा। गांधीजी का राजनेतृत्व उस विशाल प्रासाद की भांति था

* अरनेस्ट बारकर: सर्वेपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सम्पादित 'गांधी अभिनन्दन-ग्रंथ' में पृ. ४७-४८

जिसका मूल आधार धर्म हो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में "राजनीतिज्ञ लोग आम तौर पर धर्म की गहराई में नहीं जाते क्योंकि एक जाति का दूसरी जाति पर राज-
 तिक आधिपत्य और निर्बल तथा निर्धन मनुष्यों का आर्थिक शोषण आदि जो लक्ष्य राजनीतिज्ञों के सामने रहते हैं, वे धार्मिक लक्ष्यों से स्पष्ट ही इतने भिन्न तथा असम्बद्ध हैं कि वे लोभ गम्भीरता से इन पर ठीक ठीक चिन्तन कर ही नहीं सकते।"† महात्मा गांधी इस कथन के अपवाद थे। उनके लिए तो सम्पूर्ण जीवन एक और अभेद्य वस्तु था। उन्होंने स्वयं लिखा है, "जिसे सत्य की सर्वव्यापक विश्व-भावना का साक्षात्कार करना हो, उसे जगत के निम्नतम प्राणी को आत्मवत् प्रेम करना चाहिए और जिसकी ऐसी महत्वाकांक्षा है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र से अपने को पृथक् नहीं रख सकता। यही कारण है कि सत्य का पुजारी होने के कारण मुझे राजनीति में आना पड़ा है और मैं बिना तनिक भी सकोच के तथा पूर्ण नम्रता से कह सकता हूँ कि जो लोग यह कहते हैं कि राजनीति का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं, वे नहीं जानते कि धर्म का अर्थ क्या है।"‡ और, "मुझे ससार के नश्वर वैभव की चाह नहीं है, मैं तो स्वर्ग के साम्राज्य अर्थात् आध्यात्मिक मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ.....। अतः मेरी देशभक्ति भी, अनन्त शांति और स्वतन्त्रता के देश की और मेरी यात्रा का एक पड़ावमात्र है। इससे प्रकट है कि मेरे लिए धर्म से रहित राजनीति की कोई सत्ता नहीं। राजनीति धर्म का साधन-मात्र है। धर्म रहित राजनीति मृत्यु का जाल है क्योंकि उससे आत्मा का हनन होता है।"*

राजनीति को साधारणतः गन्दा खेल माना जाता है। महात्मा गांधी को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में आध्यात्मिकता का समावेश किया। अपनी इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप महात्मा गांधी साध्य और साधन के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं मानते थे। उनका कथन था कि हमें श्रेष्ठ साधनों का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमारे साधन दूषित होंगे, तो अच्छे से अच्छे साध्य के ऊपर उनकी काली छाया का पड़ना आवश्यकभावी है। गांधी जी के अनुसार "...साधन बीज है और साध्य वृक्ष। इसलिए जो सम्बन्ध बीज और वृक्ष में है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य में है। मैं शैतान की उपासना कर के ईश्वर-भजन का फल नहीं पा सकता।"†

† सर्वपल्ली राधाकृष्ण गांधी अभिनन्दन ग्रन्थ पृ. १

‡ सी. एफ. एंड्रज: महात्मा गांधी—डिज ऑन स्टोरी पृ. ३१३-१४

● " " " " पृ. ३१७

‡ रामनाथ सुमन-गांधीवाणी पृ. १०४

महात्मा गांधी ने जहाँ राजनीति को आध्यात्मिक बनाया, वहाँ यह भी स्मर्तव्य है कि उन्होंने धर्म में लौकिकता का समावेश किया। महात्मा गांधी का धर्म साम्प्रदायिक, संकुचित और गतानुगतिक धर्म नहीं था। उनका धर्म विश्वजनीन धर्म था। उनके धर्म में धर्म व्यवस्था और राजनीति आदि प्रत्येक विषय समाविष्ट था। कहने को तो वे हिंदू धर्म में आस्था रखते थे। पर उनके हिंदू धर्म की दृष्टि अत्यन्त उदार थी। वे विश्व के विविध धर्मों को एक दूसरे का पूरक मानते थे। उन्होंने कहा था, "भैरा हिंदू धर्म सर्वव्यापक है। उसमें न तो किसी के प्रति द्वेष भाव है, न भ्रमगणना समस्त धर्म एक दूसरे के साथ झोत प्रोत है। प्रत्येक धर्म में कई विशेषताएँ हैं, किन्तु एक धर्म दूसरे धर्म से अष्ट नहीं। जो एक में है वह दूसरे में नहीं है। इसलिए एक धर्म दूसरे धर्म का पूरक है।"† महात्मा गांधी के अनुसार वास्तविक धर्म वही है जो हमें आत्म दर्शन कराता है, ईश्वर के समीप पहुँचाता है। उनके सम्मुख विश्व के समस्त धर्म एक ही लक्ष्य तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग थे। "यदि हम एक ही लक्ष्य तक पहुँचने के लिए विभिन्न मार्गों का आश्रय लेते हैं, तो क्या हुआ?" महात्मा गांधी धर्म शास्त्रों को उसी समय तक शिरोधार्य करने के लिए प्रस्तुत थे जब तक कि वे उनकी बुद्धि को सन्तुष्ट कर सकते थे।

महात्मा गांधी कवि शैली की उस चिड़िया [स्काईलार्क] की भांति नहीं थे जो पृथ्वी पर स्थित अपने नीच की सुध-बुध भूल कर अनन्त आकाश में पर फँलाए उड़ती रहती है, वे कवि वर्डस्वर्थ की उस चिड़िया के समकक्ष थे जिसे आकाश में उड़ते समय भी पृथ्वी पर स्थित अपने नीच का निरन्तर ध्यान बना रहता है। दूसरे शब्दों में वे व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उनका मत था कि आदर्शवाद को यथार्थ का रूप धारण करने के लिए व्यावहारिक होना आवश्यक है। वे भावात्मक सत्य को उस समय तक विलकुल व्यर्थ मानते थे, जब तक कि वह व्यक्तियों के जीवन में प्रकट नहीं होता। उनके संतत्व ने उन्हें आदर्शवादी बनाया और समन्वय-क्षमता ने यथार्थवादी। १९२० में उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था "मे स्वप्न नहीं देखा करता। मैं एक व्यावहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ। अहिंसा का धर्म केवल ऋषियों और महात्माओं के लिये नहीं है। वह जन साधारण के लिए भी है। जिस तरह से हिंसा पशुओं का जीवन सिद्धान्त है, उसी तरह अहिंसा हम मानवों का।"‡

† हरिजन सेवक- ३१-३ ३३ पृ. ३

‡ जवाहर लाल नेहरू- राष्ट्रपिता, पृ. ४३-४४

अहिंसा के देवदूत गाँधी जी के ये बचन कि "जब मेरे सामने केवल दो विकल्प रह जायेंगे-कायरता और हिंसा, तो मैं हिंसा के लिए सलाह दूँगा। इसके बजाय कि भारत कायरतापूर्वक अपने ही असम्मान का शिकार बने या बना रहे मैं यह पसन्द करूँगा कि वह अपने सम्मान की रक्षा के लिये हथियार उठाए।" अथवा "ससार निरे तर्क से ही शासित नहीं होता। स्वयं जीवन में ही थोड़ी बहुत हिंसा अन्तर्ग्रस्त है और हमें न्यूनतम हिंसा का मार्ग चुनना है" उनके व्यावहारिक आदर्शवाद के ही द्योतक हैं। आचार्य जे. बी. कृपलानी के शब्दों में महात्मा गान्धी -"इस बात को भली भाँति जानते थे कि कब दृढ़ रहा जाए और कब झुका जाए, कब और किन वस्तुओं में सहयोग किया जाए तथा किन में अ-सहयोग, कब प्रहार किया जाए और कब शान्त पड़ा रहा जाए, कभी कभी वर्षों तक।"* महात्मा गाँधी ने सत्य और अहिंसा की अपनी नीति देश के सम्मुख एक राजनीतिक शस्त्र, स्वराज्य प्राप्ति के एक प्रभावशाली और सत्वर उपाय के रूप में उपस्थित की थी। इस सम्बन्ध में उनकी स्वयं अपनी साक्षी मिलती है "मैं इस मत पर अटल हूँ कि मैंने अहिंसा को कांग्रेस के सम्मुख एक लाभ-प्रद उपकरण के रूप में उपस्थित कर अर्च्छा ही किया। यदि मुझे उसका राजनीति में समावेश करना था, तो मेरे लिए अन्य कोई चारा ही नहीं था - दक्षिण अफ्रीका में भी मैंने उसे लाभप्रद उपकरण के ही रूप में उपस्थित किया था...यदि मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने कार्य को प्रारम्भ करता, जो अहिंसा को धर्म के रूप में स्वीकार करते, तो उसको मानने वाला अकेला मैं ही रह जाता। चूँकि मैं स्वयं अपूर्ण हूँ अतः मैंने अपूर्ण स्त्री पुरुषों के साथ अपना कार्य प्रारम्भ किया और एक अपरचित समुद्र की यात्रा की।"†

महात्मा गान्धी ने अपने ५० वर्षों से अधिक के राजनीतिक जीवन में इस बात को भली भाँति सिद्ध कर दिया कि वे राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-समर के प्रवीण सेनापति थे।

प्रवीण सेनापति से यह आशा की जाती है कि वह युद्ध की प्रत्येक स्थिति को अर्च्छी तरह समझे और तदनुसार ही आचरण करे। क्योंकि उसका एक भी गलत कदम सारे राष्ट्र को विनाश के गर्त में ढकेल सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के सेनापति होने के नाते महात्मा गान्धी इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। प्रथम विद्रोह-युद्ध के पश्चात् जब उन्होंने भारत के राजनीतिक जीवन में विधिवत् प्रवेश किया देश की स्थिति उस ज्वालामुखी के तुल्य थी, जो बस फूट पडने वाला ही हो। रील्ट एक्ट, पंजाब हत्याकाण्ड और खिलाफत-प्रश्न को लेकर देश में प्रचंड असन्तोष के बादल घुमड़

* आचार्य जे. बी. कृपलानी- गान्धी, द स्टेटसमैन पृ. ६०

† हरिजन १२-४-१९४२

रहे थे ; यदि उस समय महात्मा गांधी असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ न करते, तो यह निश्चितप्राय था कि विप्लववादी मैदान में आ जाते और सारा देश शोणित के नद में डूब जाता। इसी प्रकार जब १९२२-२३ में स्वराजवादियों व अपरिवर्तनवादियों के बीच कौंसिल प्रवेश की समस्या पर मतभेद उठ खड़ा हुआ था, महात्मा गांधी ने स्वराजवादियों को निर्वाचनों में भाग लेने और अपरिवर्तनवादियों को रचनात्मक कार्यक्रम में जुटे रहने का परामर्श देकर राष्ट्रीय शक्तियों के सम्भाव्य विघटन को रोक दिया। पुनश्च, १९२८ में कांग्रेस के अन्दर ही जवाहर लाल और सुभाष बोस के नेतृत्व में 'इंडिपेंडेंस' लीग की स्थापना के अनन्तर देश के राजनीतिक धर्माभेद का तापक्रम एक बार फिर ऊंचा चढ़ा। साइमन-कमीशन की असफलता के कारण देश की जनता रोषानल से प्रदीप्त होरही थी। परिणामस्वरूप विप्लववाद जोर पकड़ रहा था। ऐसी अवस्था में गांधी जी ने सत्याग्रह-आन्दोलन प्रारम्भ कर के देश के समस्त वर्गों-तत्त्वों और वृद्धों, वामपक्षियों और दक्षिणपक्षियों, उदारवादियों और उग्रवादियों को कंधे से कंधा मिला कर राष्ट्र-मुक्ति सघर्ष में समान रूप से सक्रिय भाग लेने वाला सिपाही बना दिया। आचार्य जे० बी० कृपलानी के अनुसार "इतनी विभिन्न विचारधाराओं और भावनाओं वाली विभिन्न शक्तियों को एक स्थान पर ला एकत्रित करना एक प्रवीण राजनीतिक कलाकार का कार्य था।"* वस्तुतः महात्मा गांधी एक प्रवीण राजनीतिक कलाकार थे। सत्याग्रह-आन्दोलन साल भर तक चला। इसके उपरांत उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। महात्मा गांधी ने इस बात को तुरन्त भाप लिया। फलतः जैसे ही सरकार ने कांग्रेस के साथ समझौता करने की इच्छा व्यक्त की, गांधी जी ने उसे चट से मान लिया। गांधी इतिहास समझौता इसी का फल था। इसी प्रकार, जब द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान के कूद पडने पर लड़ाई भारत के समीप आती प्रतीत हुई और क्रिप्स-मिशन का कोई फल न निकला, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सामने "भारत छोड़ो" प्रस्ताव रक्खा। विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ भारतीय जनता की असहायता को देख कर गांधी जी विचलित हो गये थे। परिणामस्वरूप उन्होंने देश को "करो या मरो" का संदेश दिया। "यदि गांधी जी उस समय इस प्रकार का पग न उठाते, तो भारत के राष्ट्रीय सघर्ष की अन्तिम सफलता इतनी शीघ्र और अहिंसक न होती। उचित समय पर कार्यवाही कर के उन्होंने इंग्लैंड को यह विश्वास दिला दिया कि अपनी स्वायत्तता के लिए भारत सब कुछ उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है तथा भविष्य में क्रांतीकारी एवं विद्रोही भारत को केवल दमन और शस्त्रास्त्रों के बल से दासता में नहीं रक्खा जा सकता।"†

* जे० बी० कृपलानी : गांधी दि स्टेटसमैन पृ० ३८ ।

† जे० बी० कृपलानी : गांधी, दि स्टेटसमैन, पृ० ५६ ।

महात्मा गान्धी अपनी नैतिक और अध्यात्मिक विराटता के अतिरिक्त विश्व-इतिहास के सबसे महान् क्रान्तिकारी राजनीतिक नेताओं में से एक थे। “क्रान्तिकारी नेता का प्रथम चिन्ह इस तथ्य को पहचानना है कि वह महान् क्रान्तिकारी परिस्थिति जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है, क्रान्तिकारी है, उसका विकासवाद की धीमी प्रक्रिया और शान्ति-शनैःवाद से परिहार नहीं किया जा सकता, पश्चादुक्त समझाने समझाने को सुलभाए बिना स्थिति को और बिगाड़ देगा तथा क्रान्ति को जब वह अपरिहार्यतः आती है, अधिक नृशंस, कठोर और निर्दय व अपने रोषानल की भोंक में बहुत सी ऐसी श्रेष्ठ वस्तुओंका विध्वंसक बना देगा जिसके पुनर्निर्माण के लिए एक नूतन, अथवा एक प्रति-क्रान्ति अथवा एक दीर्घ एवं पीडापूर्ण विकास-प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।”* क्रान्तिकारी नेता के रूप में महात्मा गांधी की यह सफलता थी कि उन्होंने १९१६ में भारतीय राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते समय देश की क्रान्तिकारी परिस्थिति को ठीक ठीक पहचान लिया और उसका एक सच्चे क्रान्तिकारी के समान प्रत्यक्ष कार्यवाही से सामना किया यद्यपि उनकी यह प्रत्यक्ष कार्यवाही थी अहिंसात्मक थी। वस्तुतः एक ऐसी निहत्थी जनता के लिए जो आधुनिक शस्त्रास्त्रों से पूर्णतः सज्जित शक्तिशाली विदेशी साम्राज्यशाही के विरोध में खड़ी हो, अहिंसक असहयोग सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली थी। दूसरे, क्रान्ति को एक-दो समुदाय अथवा व्यक्ति नहीं लाते, क्रान्ति तो जनसाधारण का आंदोलन है। हो सकता है कि आदि में जनसाधारण आंदोलन से विलग रहे, लेकिन किसी न किसी स्थिति पर उसका आंदोलन में सक्रिय योगदान अपरिहार्य है। क्रान्तिकारी नेता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आंदोलन को जनसाधारण का आंदोलन बना दे। महात्मा गांधी ने भारत में यही किया था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता-आंदोलन को जो उनके पूर्व मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन था, देश के कोटि कोटि नगरे और भूखे लोक-समूह का आंदोलन बना दिया। क्रान्तिकारी नेताओं के सम्बन्ध में तीसरी बात यह है कि वे सदैव ‘अभी या कभी नहीं’ की भावना में काम करते हैं। उनका विचार होता है कि “यदि हम वर्तमान समाज-व्यवस्था को तुरन्त नहीं बदल देते, तो समाज विनाश के गर्त में जा गिरेगा।”† महात्मा गांधी ने अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवनमें इसी ‘अभी या कभी नहीं’ की भावना में काम किया। १९२० में उन्होंने कहा था-मुझे एकवर्ष के अन्दर स्वराज चाहिए। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बातको अस्वीकार नहीं कर सकता था कि एक वर्ष के अन्दर स्वराज को प्राप्त करने की बात पागलपन के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक वर्ष के अन्दर स्वराज्य प्राप्त करने का वचन देकर महात्मा गांधी ने जनता में वह प्रहार

* आचार्य जे. बी. कृपलानी : गान्धी दि स्टेटसमैन पृ० ६४।

† आचार्य जे० बी० कृपलानी : गान्धी दि स्टेटसमैन पृ० ८५।

प्राणज्वाला फूंक दी कि जनता सब कुछ भूल गई और उसने आंदोलन में इस ढंग से भाग लिया मानो उसका सम्पूर्ण जीवन ही इस स्वप्न की पूर्ति पर निर्भर हो। १९३० में उन्होंने पुनः 'अमी या कमी नहीं' का जयघोष उच्चारित किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने आश्रम को तभी वापिस लौटूंगा जब भारत स्वतंत्र हो जायेगा। इस बार वे पुनः असफल हुये। १९४२ में उन्होंने देश को फिर एक बार 'अमी या कमी नहीं' 'करो या मरो' का सन्देश दिया। अन्ततः क्रान्तिकारी नेता अपने सम्मुख अपने ध्येय को सर्वोच्च रखता है। वह जिस काम में भी हाथ डालता है, उसका एक मात्र उद्देश्य अपने लक्ष्य की पूर्ति होता है। गांधी जी के जीवन में इस तथ्य की स्पष्ट साक्षी मिलती है। उनका प्रत्येक कार्य उनके क्रान्तिकारी जीवन लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता से सम्बन्ध रखता था। चाहे तो हम उनका चर्खा ले लें चाहे अश्रुतोद्धार, चाहे स्वदेशी ले लें, चाहे ग्रामोत्थान। अपने इन समस्त कार्यक्रमों में उनका एकमात्र लक्ष्य-विन्दु स्वराज की एकनिष्ठ साधना करना था। चर्खे को वे आर्थिक उत्पादन का एक आधार नहीं समझते थे, उसमें उन्हें स्वराज के दर्शन होते थे। अस्पृश्यता उनके लिये एक सामाजिक अभिशाप ही नहीं था, उसे वह भारत के राजनीतिक विकास के मार्ग में प्रचंड बाधा मानते थे। जब तक उसका नाश नहीं हो जाता, स्वराज का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं था। उनके लिए स्वदेशी देश की अर्थ व्यवस्था को सम्हालने का उपायमात्र नहीं उसे वे स्वराज के सारतत्त्व के रूप में ग्रहण करते थे। ग्रामोत्थान को ग्रामों की शोचनीय स्थिति सुधारने के साधनमात्र के रूप में ही नहीं देखते थे, वह उनके मत से आदर्श स्वराज-व्यवस्था तक पहुँचने का एक अनिवार्य सोपान था। और तो और महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभाओं तक का जनता को अनुशासित करने और राजनीतिक शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया। उन्होंने अपनी कतिपय सर्वाधिक महत्वपूर्ण घोषणाएँ प्रार्थना सभाओं में की थी।

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता होने के साथ साथ महात्मा गांधी नव मानवता के शिल्पी थे। उनकी "अमुचैव कुटुम्बकम्" के पुनीत सिद्धांत में अचल निष्ठा थी। वे कट्टर राष्ट्रवादी थे, पर यह भी अनुभव करते थे कि मुझे सम्पूर्ण संसार को एक संदेश देना है। उनका विश्वास था नव-मानवता के कि सच्चा राष्ट्रवाद अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोध नहीं, प्रत्युत शिल्पी पूरक होता है। उनके मत से राष्ट्रवाद स्वयं एक बुराई नहीं है, बुराई तो संकुचितता, स्वार्थभावना और वर्जनशीलता है। वे विश्व-मानवता की बेदी पर देश का बलिदान करने के लिये सदैव प्रस्तुत रहते थे। उन्होंने कहा था, "राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि मेरा देश स्वतंत्र हो जाये, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े, तो मानव-जाति को जीवित रखने के लिये वह सारा का सारा नष्ट हो

जाये। इसमें जातीय घृणा को कोई स्थान नहीं। हमारी राष्ट्रीयता ऐसी होनी चाहिए।[†] महात्मा गांधी ऐसे भारत का स्वप्न देखते थे जो कि सम्पूर्ण संसार के लिये लाभकारी हो। वे यह सहन करने के लिये प्रस्तुत नहीं थे कि भारत दूसरे राष्ट्रों के घबसावबोधों पर उन्नति करे। उन्हें अपने मिशन का पूरा भान था। उनका कहना था “मेरा मिशन केवल भारतीय मानवता का भ्रातृत्व नहीं है। मेरा मिशन केवल भारत की स्वतंत्रता नहीं है यद्यपि आज वह निस्सन्देह मेरे सम्पूर्ण जीवन और सम्पूर्ण समय को ले लेता है।...में भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के माध्यम से मानव-भ्रातृत्व के मिशन को साक्षात्कृत और हस्तगत करना चाहता हूँ।”^{*} महात्मा गांधी का यह ठढ़ विश्वास था कि मे भारत की सेवा करने के साथ साथ सम्पूर्ण मानवता की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने भारत के समग्र राजनीतिक आंदोलन को सत्य और अहिंसा की आत्मिक शक्ति के ऊपर आधारित किया था। उनका मत था कि जहाँ इस आंदोलन ने भारत में अपनी उपयोगिता सिद्ध की, सम्पूर्ण संसार पर उनका प्रभाव पडना अवश्यम्भावी है। मैं लिखित और उच्चारित शब्द की अपेक्षा विचार शक्ति में अधिक आस्था रखता हूँ। यदि इस आंदोलन में जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ कुछ शक्ति है और उसे दैवी आशीर्वाद प्राप्त है, तो वह मेरी भौतिक उपस्थिति के बिना ही संसार के विभिन्न भागों में व्याप्त हो जायेगा।[‡] महात्मा गांधी को विश्व-शांति की उत्कट कामना थी और उनकी दूरदर्शी दृष्टि ने इस बात को भलीभाँति देख लिया था कि मानव-कुल की सहस्रों वर्ष व्यापी ऐतिहासिक जययात्रा का एकमात्र सच्चा और काम्य-लक्ष्य अन्योन्याश्रित राज्यों का विश्व सघ ही है “विशाल राज्यों का लक्ष्य पृथक स्वतंत्रता नहीं अपितु स्वेच्छित अन्तर्निर्भरता है। संसार के उन्नतमाना व्यक्ति आज एक दूसरे से लडने वाले पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्रों की इच्छा नहीं करते, प्रत्युत मित्रतपूर्ण एक दूसरे पर निर्भर राज्यों का सघ चाहते हैं।”[†] महात्मा गांधी ने विग्रह और भ्रगति से जर्जरित मानवता को सत्याग्रह की अपूर्व शक्ति से दुर्घर अत्याचार और अन्याय का प्रतिकार करने की विलक्षण युक्ति प्रदान कर भविष्य के लिए एक नूतन आलोक-मय का निर्देश किया है।

१४७. महात्मा गांधी का राजनीति-दर्शन

जब हम महात्मा गांधी के राजनीति-दर्शन के सम्बन्ध में विचार करते हैं, हमें यह

† निमल कुमार बोस : सेलेक्शन्स फ्रॉम गान्धी पृ०, ४३।

* आर०के० प्रभु और यू० आर० रावः दि माइंड आफ महात्मा गान्धी, पृ० १६०।

‡ " " " " पृ० १५६।

† " " " " पृ० १६१।

प्रारम्भ से ही समझ लेना चाहिये कि वे शास्त्रीय अर्थों में राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। उन्होंने किसी राजनीति-दर्शन का सागोपाग और तर्क-

सम्मत निरूपण नहीं किया है। महात्मा गांधी प्रारम्भ से महात्मा गांधी ही अमली सुधारक और कर्मयोगी पुरुष रहे थे। उनकी राजनीति-दर्शन का स्थिति प्राचीन काल के उन पैगम्बरों और समाज-सुधारकों की भांति थी जिन्हें रोजमर्रा की व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और जिन्होंने इसके लिये अपने आपको किन्हीं अपरिवर्तनीय प्रणालियों में न फसा कर अपने अनुयायियों के लिये कतिपय नैतिक और मनो-वैज्ञानिक सिद्धांत स्थिर कर दिए थे। महात्मा गांधी अपने जीवन-काल में यह बार-बार कहा करते थे कि "गांधीवाद जैसी कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं है। मैं कोई सम्प्रदाय-प्रवर्तक नहीं हूँ। तत्वज्ञानी होने का मैंने कभी दावा भी नहीं किया है। मेरा यह प्रयत्न भी नहीं है।"* वे यह मानते थे कि 'मैंने किसी नये सत्य का आविष्कार नहीं किया है, बल्कि सत्य को जैसा मैं जानता हूँ उसी के अनुसार चलने का और लोगों को बताने का प्रयत्न करता हूँ'। हाँ! कतिपय प्राचीन सत्य सिद्धांतों पर नया प्रकाश डालने का मैं दावा अवश्य करता हूँ।†

महात्मा गांधी सम्पूर्ण जीवन को एक इकाई मानते थे। उनके अनुसार जीवन को आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक आदि विविध क्षेत्रों में नहीं बाटा जा सकता। उनके लिए जीवन के सभी पहलू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए महात्मा गांधी का राजनीति-दर्शन उनके जीवन-दर्शन का एक भाग था। निसर्गत गांधी जी के राजनीति-दर्शन को समझने के लिए उनके जीवन-दर्शन को समझना अत्यन्त आवश्यक है

महात्मा गांधी ने एक बार श्री पोलक से कहा था, "जिन धार्मिक व्यक्तियों से मैं मिला हूँ, उनमें से अधिकांश छद्मवेष में राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन मैं जिसने राजनीतिज्ञ का छद्मवेष धारण कर रखा है, हृदय से धार्मिक व्यक्ति हूँ।"‡ वस्तुतः महात्मा गांधी की सम्पूर्ण राजनीतिक विचारधारा उनके धार्मिक और नैतिक विश्वासों पर आधारित है।

* रामनाथ सुमनः गांधीवाणी, पृ. २४३।

† जंग इन्डिया, २५-८-२१, पृ. २६७।

‡ स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स आफ महात्मा गांधी (जी. ए. नेट् सन, मद्रास, १९२२)

महात्मा गांधी का ईश्वर और आत्मा में अडिग विश्वास था। वह कहा करते थे कि जिस व्यक्ति का ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं है, उसका पूर्णतम विकास असम्भव है। वे इस बात को कहते हुए कभी नहीं थकते (१) ईश्वर और आत्मा ये कि "ईश्वर में आस्था रखे बिना कोई व्यक्ति सच्चा सम्बन्धी मान्यता सत्याग्रही नहीं हो सकता।"* महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित सम्पूर्ण सत्यग्रह-दर्शन इसी सिद्धांत पर आश्रित है कि आत्मा सदैव अपराजेय है और सृष्टि के अधम से अधम प्राणी में कुछ न कुछ देवी अंश वर्तमान है जो सदैव और प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा अपने उत्कृष्टतम रूप में प्रकट हो सकता है।

महात्मा गांधी की दृष्टि में सत्य और ईश्वर पर्याय शब्द थे। उनके शब्दों में "ससार सत्य की सुदृढ नींव पर ठहरा हुआ है। असत्यका अर्थ असत् अर्थात् (अभाव) 'न रहना' है और सत्य का अर्थ है सत् भाव, 'जो है। जब असत्यका भाव अर्थान् अस्तित्व ही नहीं, तब उसकी विजय का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। और सत्य का तो अर्थ ही है वह 'जो है' (जिसका अस्तित्व है) इसलिए उसका नाश नहीं हो सकता।"† गांधी जी सत्य का अत्यन्त विशद अर्थ करते थे। उनकी दृष्टि में सत्य का अभिप्राय था, मनसा, वाचा, कर्मणा सत्य का आचरण। वे सत्य को राजनीति समवेत जीवन के समस्त क्षेत्रों में समाविष्ट मानते थे।

गांधी जी के अनुसार सत्य के आदर्श को प्राप्त करने के लिए अहिंसा साधन थी। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है 'न मारना', परन्तु गांधी जी सत्य की भांति इसे भी अत्यन्त व्यापक रूप में ग्रहण करते थे। उनके अनुसार (३) अहिंसा "जब कोई आदमी अहिंसक होने का दावा करता है, तो उससे आशा की जाती है कि वह उस आदमी पर भी क्रोध नहीं करेगा जिसने उसे चोट पहुँचाई हो। वह उसकी कोई बुराई नहीं चाहेगा, वह उसकी कल्याण कामना करेगा...। वह गलती करने वाले द्वारा दी जाने वाली सब प्रकार की यन्त्रणा सहन करेगा...। पूर्ण अहिंसा समस्त जीवधारियों के प्रति दुर्भावना का पूर्ण अभाव है। इसलिए वह मानवेतर प्राणियों, यहां तक कि विषधर क्रीड़ों और हिसक जानवरों तक का आलिंगन करती है।"†

* हरिजन: जून ३, ३६, पृ. १४६।

† सी. एफ. थंडूब : महात्मा गांधी - हिज-क्रोन स्टोरी पृ. २१५

† रामनाथ सुमन : गांधीवाणी, पृ. ३७

ऊपर महात्मा गांधी के राजनीति-दर्शन के स्वरूप, जीवन-दर्शन, नैतिक और धार्मिक विश्वासों का जो संक्षिप्त विवेचन किया गया है, उससे उनके राजनीति-दर्शनके मूल-तत्त्वों का सुगमतापूर्वक विश्लेषण किया जा सकता है।

महात्मा गांधी के राजनीति-दर्शन की सबसे प्रमुख विशेषता उनके धार्मिक आधार में दिखाई देती है। जेफरसन की भांति महात्मा गांधी भी राजनीति को धार्मिक भित्-भूमि पर आधारित करना चाहते थे। उनके लिए धर्म और नैतिकता से शून्य राजनीति का कोई महत्व नहीं था। उनके अनुसार 'धर्महीन राजनीति में कोई चीज नहीं। राजनीति धर्म की अनुचरी है। धर्महीन राजनीति को एक फांसी ही समझिये। वह आत्मा का नाश कर देती है।'[‡]

महात्मा गांधी के
राजनीति-दर्शन
के मूलतत्त्व

महात्मा जी यदि राजनीति में भाग लेते थे तो इसलिए (१) धार्मिक तथा नैतिक आधार कि उसने हमारे जीवन को चारों ओर से ऐसा परावृत्त कर रक्खा है कि हम उससे बचकर नहीं निकल सकते। गांधी जी धर्म को किसी साम्प्रदाय विशेष से एकान्वित नहीं करते थे। उनका धर्म तो वह धर्म था जो सब धर्मों के मूल में विद्यमान है, जो व्यक्ति को ऊंचा उठाता है, उसे पवित्रता की शिक्षा देता है। गांधीजीका धर्म तिलक लगाने और माला फेरने वाला धर्म न होकर ससार के शोषितों, दलितों और क्षुधितों की सेवा करने वाला धर्म था।

चूंकि महात्मा गांधी का राजनीति-दर्शन धार्मिक आधार-भूमि पर स्थित था, इसलिए उनकी राजनीति पद्धति में ईश्वरता को कोई स्थान नहीं था। उनका विश्वास था कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों का प्रयोग आवश्यक है। वे कौटिल्य और मैकियावेली के (२) साध्य और साधन समान अर्द्धे साध्यों की प्राप्ति के लिए बुरे साधनों का उपयोग ठीक नहीं समझते थे।

का अभेद

महात्मा गांधी व्यक्ति और समाज में कोई विरोध न मानते थे। उनका कहना था कि मनुष्य मानव-समाज का मूल है, स्वतन्त्रता और प्रगति का मापदण्ड है। वे इस सिद्धान्त में विश्वास रखते थे कि समाज के बिना मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। महात्मा (३) व्यक्ति और समाज जी के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ऊपर समाज के ऋण को स्वीकार करे और अपने भाइयों की सेवा द्वारा उसे चुकाने में प्रवृत्त हो।

का सम्बन्ध

महात्मा गांधी का राजनीति-दर्शन केवल कल्पना लोक की वस्तु नहीं है, यद्यपि वे प्लेटो के तुल्य पक्के आदर्शवादी थे और सदैव स्वराज्य का स्वन देखा करते थे, फिर भी उनके राजनीति-दर्शन के व्यावहारिक होने में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और भारत में अपने राजनीति दर्शन का सफलतापूर्वक उपयोग कर उसकी क्रियात्मकता भली प्रकार सिद्ध कर दी। उनके लिए प्रत्येक सिद्धान्त उस समय तक निष्प्रयोजन था जब तक कि उस पर आचरण नहीं किया जा सकता। महात्मा जी का यह दावा था कि मेरा राजनीति-दर्शन केवल कुछ लोगों के लिए न होकर सम्पूर्ण ससार के लिए है।

महात्मा गांधी स्वतन्त्रता के एकनिष्ठ साधक थे। उनके अनुसार स्वतन्त्रता का वास्तविक प्रयोजन जीवन का सर्वांगीण अभ्युत्थान करना है। उनकी दृष्टि में सच्ची स्वतन्त्रता में राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक तीनों प्रकार

(४) आदर्श की
व्यावहारिकता

की स्वतन्त्रताएँ समाविष्ट हैं। स्वतन्त्रता के इन तीनों पहलुओं का विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा था, 'राजनीतिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि देश पर ब्रिटिश

सेनाओं का किसी भी रूप में कोई शासन न रहे। आर्थिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय ब्रिटिश पूँजीपतियों और ब्रिटिश पूँजी के साथ ही उनके प्रतिरूप भारतीय पूँजीपतियों और भारतीय पूँजी से पूर्ण छुटकारा पाना है। दूसरे शब्दों में छोटे से छोटे आदमी को भी यह अनुभव करना है कि वह बड़े से बड़े आदमी के बराबर है।.....नैतिक स्वतन्त्रता का अर्थ देश की सुरक्षा के लिए रक्खी गई सशस्त्र सेनाओं से छुटकारा पाना है। रामराज्य की मेरी कल्पना में ब्रिटिश फौजी हुकूमत की जगह राष्ट्रीय फौजी हुकूमत को बिठा देने की कोई गुंजायश नहीं।'* महात्मा गांधी की स्वराज्य-कल्पना अत्यन्त उदात्त थी। अपने सपनों के भारत का चित्र खींचते हुए उन्होंने लिखा था, "स्वराज्य में राजा से लेकर रक तक का एक भी अंग अतिक्रमण न रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें कोई किसी का शत्रु न हो, सब अपना अपना काम करें, कोई निरक्षर न रहे, उत्तरोत्तर सबके ज्ञान की वृद्धि होती जाये, सारी प्रजा को कम से कम बीमारियाँ हों, कोई भी दरिद्र न हो, परिश्रम करने वाले को बराबर काम मिलता रहे, उसमें जुआचोरी, पद्यपान और धूम्र-पान न हो, वर्ग-विग्रह न हो, धनिक अपने धन का विवेक पूर्वक उपयोग करें'.....। यह नहीं होना चाहिए कि मुट्ठी भर धनिक मीनाकारी के महलों में रहे और हजारों अथवा लाखों लोग हवा और प्रकाश रहित कोठरियों में।"†

* रामनाथ सुमन-गांधीवाणी पृ. १-५-१८६

† इरिजन सेवक १८-१२-३६, पृ. ३६

महात्मा गांधी स्वभाव से ही लोकतंत्रवादी थे। उनकी लोकतंत्र सम्बन्धी धारणा में तीन बातें विशेषरूप से दृष्टव्य हैं। प्रथमतः महात्मा गांधी केन्द्रीयकरण और लोकतंत्र को एक दूसरे का विरोधी मानते थे। उनका विश्वास था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज-कीय सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। दूसरे, गांधी जी के अनुसार लोकतंत्र और हिंसा का साथ साथ निर्वाह नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा था, “लोकतंत्र बलप्रवर्ती उपायों द्वारा विकसित नहीं हो सकता। लोकतंत्र की भावना बाहर से नहीं लादी जा सकती। वह तो भीतर से आती है।”* चूकि इंग्लैंड घरेलू क्षेत्र में अहिंसक पर वैदेशिक क्षेत्र में हिंसक है, अतः वह सच्चा लोकतन्त्रात्मक देश नहीं है। गांधी जी का विचार था कि पश्चिमी देशों के जनतन्त्र केवल तथाकथित ही हैं क्योंकि, “इसमें ठीक जनतन्त्र के नमूने के कुछ कीटाणु व तत्व अवश्य हैं। मगर वह सच्चे अर्थों में जनतन्त्र तभी हो सकता है जब हिंसारहित हो जायेगा और इसमें से बदअमली व खुराफात अदृश्य हो जायेंगे।”† तीसरे गांधी जी के मतानुसार आलोचना-प्रत्यालोचना लोकतन्त्र का प्राणतत्व है। उनकी लोकतन्त्र सम्बन्धी धारणा में समाज के प्रत्येक सदस्य को शासन की आलोचना करने का अधिकार है। महात्मा गांधी ने अपनी रचनाओं में अहिंसक राज्य की रूपरेखा पर विस्तृत प्रकाश नहीं डाला है। इस सम्बन्ध में वे कार्डिनल न्यूमेन की ‘One step enough for me’ उक्ति के उपासक थे। फिर भी हम उनके विभिन्न भाषणों, वक्तव्यों और लेखों के अनुशीलन द्वारा उनकी राज्य-सम्बन्धी धारणा का थोड़ा सा परिचय पा सकते हैं।

लोकतंत्र सम्बन्धी
धारणा

राज्य-सम्बन्धी
धारणा

अहिंसा के देवदूत महात्मा गांधी के लिए हिंसा के प्रतीक राज्य को विरवित की दृष्टि से देखना सर्वथा स्वाभाविक था। उनका विश्वास था कि राज्य की दबाव डालने की प्रवृत्ति नैतिकता की दृष्टि से घातक है क्योंकि कोई भी ऐसा कृत्य जो ऐच्छिक नहीं है, नैतिक नहीं कहा जा सकता। महात्मा जी के विचार से आदर्श समाज-व्यवस्था राज्य-विहीन लोकतन्त्र है। “ऐसे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक है। वह अपना शासन इस तरह करता है कि अपने पड़ोसी के लिए कभी विघ्न नहीं बनता।”* गांधी जी की आदर्श समाज-व्यवस्था में ग्राम सभ तथा ग्राम-समाज दोनों ही ऐच्छिक आधार पर संगठित होंगे। ऐसी समाज-व्यवस्था में राजकीय शक्ति विकेंद्रित रहेगी।

* निर्मल कुमार बोस-सेलेक्शन्स फ्रॉम गांधी पृ. ४२

† इरिजन सेवक ३-६-३८ पृ. २२८

‡ प्रो० जी० एन० थावन द्वारा पोलिटिकल फिलासफी आफ महात्मा गांधी में उद्धृत पृ. २६६-२६७

गान्धी जी राज्य को स्वयं ही एक साध्य न मान कर जनता की अधिकतम कल्याण-साधना का एक उपाय मानते थे। वे हीगेल की इस मान्यता के विरुद्ध थे कि राज्य मानवीय संगठन का अन्तिम लक्ष्य है, अपने में ही एक नैतिकता अर्नैतिकता की भावना से ऊपर है। उनकी दृष्टि में तो राज्य जनता की कल्याण साधना के लिए बहुत से साधनों में से एक साधन था। गान्धी जी बहुवादियों और भ्राजकतावादियों की भांति राज्य के निरंकुश प्रभुत्व-सिद्धान्त का प्रतिवाद करते थे। उनका विद्युद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित जनता के प्रभुत्व में विश्वास था। गान्धी जी का मत था कि व्यक्ति को राज्य के आदेश उसी समय तक मानने चाहिए जब तक कि वे उचित और न्यायपूर्ण हों।

महात्मा गान्धी राज्य के कार्य क्षेत्र को न्यूनतम रखने के पक्षपाती थे। उनके अनुसार स्वराज्य का अर्थ "शासन के नियन्त्रण से स्वतन्त्र होने का अनावरत प्रयत्न"* है। उनके मत से राज्य के अधिकांश कृत्य ऐच्छिक समुदायो द्वारा सम्पादित होने चाहिए। गान्धी जी का कहना था कि अहिंसक राज्य के लिए विदेशी आक्रमणों का सामना भी, जहाँ तक हो सके, अहिंसक रीति से ही करना वाञ्छनीय है।

आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या शान्ति की समस्या है। अब यह विश्वास दिन प्रति दिन बल पकड़ता जा रहा है कि यदि मनुष्य ने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को युद्ध के द्वारा सुलभाना नहीं त्यागा, तो सम्पूर्ण मानव-संस्कृति महात्मा गान्धी और और मानव जाति का विनाश हो जायेगा। विश्व शांति के विश्वशांति सम्बन्ध में गान्धी जी का विचार था कि अब तक मनुष्य ने अपनी सामूहिक समस्याओं को गलत आधार पर, हिंसा, घृणा, द्वेष और विग्रह आदि के द्वारा सुलभाने का प्रयास किया है। उनका मत था कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, बुराई का परिहार बुराई से नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह से जैसे कि शैतान शैतान को नहीं हटा सकता। गान्धी जी कहा करते थे कि भ्राज की अव्यवस्था का मूल कारण मनुष्य के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सामंजस्य का न होना है। उनके अनुसार विश्वशांति की समस्या का स्थायी हल तभी निकल सकता है जबकि मनुष्य के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवनमें सन्तुलन स्थापित हो जाये। वे नैतिक मापदण्ड जो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का नियमन करते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रयुक्त किये जाने चाहिए। यदि व्यक्तिगत जीवन में कोई मनुष्य छल, कपट और हिंसा आदि भ्रासुरी वृत्तियों का आश्रय लेता है, तो वह निदा

का पात्र माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ऐसा ही क्यों न हो ? गान्धी जी के मत से अहिंसा और सत्य के सिद्धान्त व्यक्तिगत आचरण के ही सिद्धान्त न बन कर समुदायों और राष्ट्रों के आचरण के सिद्धान्त बनने चाहिए।

मनु य ने अपनी युग-युग व्यापी जययात्रा में अत्याचार और अन्याय का सामना करने के लिये अब तक हिंसा और घृणा और युद्ध का ही सहारा ढूँढना सीखा है। महात्मा गांधी ने सत्कार को अन्याय और अत्याचार का सामना करने के लिये सत्याग्रह के रूप में एक अभिनव पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग कर इसकी व्यावहारिक उपयोगिता को भली भाँति सिद्ध कर दिया।

महात्मा गांधी का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम भी विश्व शांति का शाश्वत है। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी विकेन्द्रित उद्योगों के पक्षपाती हैं यदि उद्योगो का पूँजीवादी आधार पर केन्द्रीकरण होता है, तो इससे शोषण और साम्राज्यवाद बढ़ना है। यदि उद्योगों का साम्यवादी आधार पर केन्द्रीकरण किया जाता है, तो इससे नौकरशाही बढ़ती है। ऐसी स्थिति में गान्धी जी का विकेन्द्रीकरण-सिद्धांत शांति की दृष्टि से सर्वथा युक्तिकर है। सामाजिक क्षेत्र में गान्धी जी ने ऊँच और नीच के समस्त भेदभाव हटा कर शान्ति की सराहनीय साधना की है। राजनीतिक क्षेत्र में गान्धी जी लोकतंत्र के समर्थक थे। लेकिन उनके लोकतंत्र में स्थानीय स्वायत्तता का बड़ा महत्व है। सक्षेपतः 'साधनों के अत्यधिक मान, अहिंसा और सत्य के आधार पर सामूहिक और राजनीतिक जीवन में नतिकता का पुट देकर, विवादों का हल करने के लिये सत्याग्रह को अपना कर, शोषण से उन्मुक्त प्रादेशिक अर्थतंत्र तथा विकेन्द्रित उद्योगो के ऊपर अवलम्बित रचनात्मक कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्वस्थ और शक्तिशाली स्थानाय स्वशासन तथा सबसे बढ कर उपयोगी कार्य में निरत व्यक्ति व समाज के योगयुक्त जीवन के द्वारा महात्मा गांधी नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सामंजस्य तथा संश्लेषणलाना, प्रभावशाली लोकतंत्र की स्थापना करना और विश्वशांति की साधना करना चाहते हैं।'*

महात्मा गान्धी के राजनीति-दर्शन पर समाजवादी और साम्यवादी तुल्य वाम-पक्षीय आलोचकों ने यह बार बार आक्षेप किया है कि वह सुधारवादी है, प्रति-

* आचार्य जे. बी. कृपलानी: गान्धियन प्रिंसिपल फॉर वर्ल्डपीस, (दि हिन्दुस्तान टाइम्स, जनवरी ८-१९५३)

क्या गान्धी जी का
राजनीति-दर्शन
क्रान्तिकारी
है ?

क्रियावादी है और क्रान्ति का विरोधी है। गान्धी जी के राजनीति दर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन इस आक्षेप को निराधार सिद्ध करता है। उनके राजनीति, दर्शन के क्रान्तिकारी स्वरूप का निर्णय करने से पूर्व 'क्रान्ति' शब्द पर विचार कर लेना वांछनीय है। 'क्रान्ति' का सर्व-सम्मत अर्थ पूर्ण अथवा सत्वर परिवर्तन है। क्रान्ति के लिये यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि परिवर्तन हिंसक और रक्तमयी हो। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में क्रान्ति का अभिप्राय यह होता है कि प्राचीन जीर्णोद्धार मान्यताएं ध्वस्त हो जायें और उनका स्थान नूतन उच्चतर नैतिक मान्यताएं ग्रहण करें। गान्धी जी का राजनीति-दर्शन इस वसूती पर परखे जाने पर असदिग्ध रूप से क्रान्तिकारी ठहरता है। 'यदि हम क्रान्तिकारी से किसी ऐसी वस्तु का अभिप्राय ग्रहण करें, जो जनता के दृष्टिबोध में दुगुन्तर लाती है, जनता की परिवर्तित मनःस्थिति और मान्यताओं का नूतन मूल्यांकन लाती है तो गान्धी जी द्वारा प्रतिपादित विचार व्यापकतम अर्थों में क्रान्तिकारी हैं।'[†] कहा जा सकता है कि गान्धी के विचार मौलिक तो हैं नहीं, पुराने ही हैं, फिर वे क्रान्तिकारी कैसे हुये ? इस सम्बन्ध में यह स्मरण्य है कि विचारों के क्रान्तिकारी होने के लिये उनका मौलिक होना अनिवार्य नहीं है। क्रान्ति की सच्ची कसौटी विचारों द्वारा लाए गए परिवर्तन की विशेषता है। इस दृष्टि से महात्मा गान्धी ने विचार-क्षेत्र में जो क्रान्ति उत्पन्न की है, वह सर्वथा अभूतपूर्व है। इसका प्रभाव भारत तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, वह दूसरे देशों को भी अपनी ओर निश्चिततः आकृष्ट करेगा। महात्मा गान्धी की ससार के राजनीति-दर्शन को देन यह नहीं है कि उन्होंने किन्हीं नये सत्यो का आविष्कार किया, प्रत्युत यह है कि उन्होंने प्राचीन सत्यों का अपने युग की समस्याओं के समाधान में प्रयोग किया। गान्धी जी के सर्वोदय तत्व-दर्शन का एक व्यावहारिक प्रयोग आचार्य विनोबा भावे के भूदान-यज्ञ आन्दोलन में दिखाई देता है। भूदान-यज्ञ-आन्दोलन ने अब तक जो सफलता प्राप्त की है, इससे उसकी भावी सम्भावनाये अत्यन्त आशापूर्ण प्रतीत होती हैं। वह देश में एक अहिंसक क्रान्ति का पथ प्रकाश कर रहा है। यदि उसे अपने लक्ष्य में पूर्ण सफलता मिल जाती है, तो गान्धी-दर्शन मानवता के लिये अनुपम क्रान्तिकारी सिद्ध होगा।

१४८. गांधीवाद और मार्क्सवाद : एक तुलनात्मक विवेचन

कभी-कभी यह समझा जाता है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद में कोई आधार-

† १० पृ.के. बोबान: गान्धीयन पोजिटिक्ल रिजलसफो-इज इट रिबोलुशनरी? नोल्डस १०
नं० १ तथा २ पृ. ३०

भूत भेद नहीं है, दोनों 'जुड़वाभाई' हैं, दोनों के चरम उद्देश्य एक हैं। यदि दोनों में थोड़ा सा अंतर है भी, तो वह केवल साधन-प्रणाली का है। लेकिन उसे किसी भी प्रकार आधारभूत नहीं कहा जा सकता। इस मत के प्रतिपादकों का कहना है कि हिंसा और अहिंसा के बीच भेद की रेखा अत्यन्त सूक्ष्म है क्योंकि महात्मा गांधी ने स्वयं यह लिखा था कि "जहाँ सिर्फ कायरता और हिंसा के बीच किसी एक के चुनाव की बात हो, वहाँ मैं हिंसा के पक्ष में राय दूंगा।"* गांधीवाद और मार्क्सवाद के सम्बन्ध में इस प्रकार का मत विभ्रम दुर्भाग्यपूर्ण है। यह ठीक है कि दोनों के आदर्श में थोड़ी सी समानता दिखाई पड़ती है और वह यह है कि दोनों ही समाज के दलितों और शोषितों के प्रति अत्यधिक सदय है, दोनों ही एक ऐसी समाज-व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं जिसमें मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण न हो सके और सबको बिना किसी भेदभाव के अपने विकास की समान सुविधायें उपलब्ध हो सकें। इस सामान्य आदर्श को छोड़ कर दोनों में अन्य कोई समानता नहीं है। आवश्यक है कि दोनों के दृष्टिभेद का सही सही मूल्यांकन किया जाये। गांधी-दर्शन के प्रकांड पंडित श्री किशोरीलाल मशरूवाला ने अपनी कृति 'गांधी एण्ड मार्क्स' में गांधीवाद और साम्यवाद के दृष्टिभेद का तुलनात्मक विवेचन करते हुए लिखा है कि "गांधीवाद और साम्यवाद एक दूसरे से इतने ही भिन्न हैं जैसे कि लाल से हरा भिन्न होता है यद्यपि हम जानते हैं कि भ्रांख के उस रोगी को जिसे रंगभेद की पहचान नहीं होती, दोनों समान प्रतीत हो सकते हैं।"† उक्त पुस्तक की भूमिका गांधी जी के प्रमुख शिष्य आचार्य विनोबा भावे ने लिखी है। उन्होने भी गांधीवाद और साम्यवाद के दृष्टिभेद पर ऐसा ही मत व्यक्त किया है। उनके शब्दों में "दोनों विचार-धाराएँ बेमेल हैं, उनका अन्तर मूलभूत है" और "दोनों एक दूसरे की कट्टर विरोधी हैं।"‡

मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार द्वैतात्मक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) है। वह 'थीसिस, एन्टी थीसिस और सिन्थीसिस' की पद्धति पर आश्रित है। द्वैतात्मक भौतिकवाद के अनुसार जगत का जो कुछ कार्य-व्यापार हमें इन्द्रियगोचर होता है वह आत्मा-परमात्मा दार्शनिक आधार जैसी किसी चेतन सत्ता की लीला नहीं है। उसका विश्वास है कि भौतिक पदार्थ ही वह आदिम बीज सत्ता है जिसका रूपान्तर यह दृश्यमान जगत है। आचार्य नरेन्द्रदेव की शब्दावली में 'मार्क्सवादी दर्शन जड़ और चेतन की पृथक् पृथक् स्वतन्त्र सत्ता-द्वैतवाद नहीं मानता, वह बतलाता है कि आदिम अवस्था से अज

* यंग इंडिया ११ अगस्त, '२० पृ. ३ :

† किशोरीलाल मशरूवाला: गांधी एण्ड मार्क्स पृ० ३८ ।

‡ " " " पृ० १६-१७ ।

तक पदार्थ का जो रूपान्तर हुआ है उसके क्रम से ही प्रवस्था विशेष में चेतन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात् चेतना बिकासमान पदार्थ का एक गुण है।"*

गांधीवाद इससे बिल्कुल उल्टा है। वह सृष्टि के नियन्ता परमेश्वर में और आत्मा की परमेष्ठता में आस्था रखता है। गांधी जी का कहना था कि "जो लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना नहीं चाहते, वे अपने शरीर के सिवा और किसी वस्तु के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते।"† अथवा "मेरा अपना अनुभव तो मुझे इसी ज्ञान पर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार सारे विश्व का संचालन होता है, उस शाश्वत नियम में अटल विश्वास रखे बिना पूर्णतम जीवन सम्भव नहीं है। इस विश्वास से विहीन व्यक्ति तो समुद्र से अलग घा पडने वाली उस बूद के समान है जो नष्ट होकर ही रहती है।"‡ मार्क्सवाद जहा चेतना को पदार्थ की छाया मानता है, वही गांधीवाद पदार्थ को चेतना की छाया मानता है। गांधी जी के अनुसार 'मूल-भूत सिद्धान्त पदार्थ ही, चेतना है। जिसे हम प्राणहीन पदार्थ कहते हैं, वह भी चेतना में और चेतना के द्वारा ही जीनी सत्ता रखता है। उसकी चेतना से स्वतन्त्र किंचिदपि कोई सत्ता नहीं है। सृष्टि चेतना में उदित होती है, चेतना में विद्यमान रहती है और चेतना में अदृश्य होती है।"*

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जहा मार्क्सवाद प्रधानतः भौतिकवादी है, वह गांधीवादी प्रधानतः अध्यात्मवादी है।

मार्क्सवादी दर्शन की एक महत्वपूर्ण मान्यता वर्ग-संघर्ष का सिद्धांत है। मार्क्सवाद वर्गों का उल्लेख समाज में प्रचलित उन उत्पादन सम्बन्धों को ध्यान में रख कर करता है जिनपर समाज की आर्थिक प्रणाली आश्रित होती है। बुखारिन के शब्दों में "सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो समाजिक उत्पादन में एक प्रकार का कार्य करते हैं और उत्पादन के क्रम में लगे हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ उनका सम्बन्ध भी एक सा ही होता है। यह एक सा सम्बन्ध श्रम के साधनों के सम्बन्ध में भी लागू होता है।"† मार्क्सवाद के अनुसार आधार रूप से

* आचार्य नरेन्द्रदेव: राष्ट्रीयता और समाजवाद पृ० ४४३।

‡ हरिजन सेवक १३ जून '३६ पृ० १३२।

† " २५ अप्रैल, '३६ पृ० ७६।

* किशोरीलाल मशरूवाला: गांधी एण्ड मार्क्स पृ. ४३:४४

† बुखारिन: हिस्टोरिकल मैटिरियलिज्म, आचार्य नरेन्द्र द्वारा राष्ट्रीयता और समाजवाद में उद्धृत, पृ. ४१६।

द्वार समाज में दो ही वर्ग रहते हैं, एक तो वे लोग जिनका स्थान समाज में मालिकों का होता है और जो उत्पादन साधनों पर एकच्छत्र आधिपत्य का उपभोग करते हैं दूसरे वे लोग जिनका कार्य आदेश-पालन करना ही होता और जो प्रथमोक्त वर्ग द्वारा नाना प्रकार से शोषित होते हैं। इन दोनों वर्गों के हित एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और उनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनवरत संघर्ष जारी रहता है। मार्क्सवाद मानव विकास के सम्पूर्ण इतिहास को इसी वर्ग-संघर्ष की गाथा मानता है। प्राचीनकाल में ये विरोधी वर्ग स्वतंत्र मालिक और दास के रूप में थे, मध्यकाल में सामन्तगण और कृषक दास के रूप में थे और आज कल पू जीपति व श्रमिकों के रूपमें दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो समाज में इन आधारभूत वर्गों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के वर्ग भी पाये जाते हैं परन्तु इन वर्गों के हित अन्ततोगत्वा इन्हीं आधारभूत वर्गों में से किसी एक के साथ सम्बद्ध होते हैं। मार्क्सवाद उन समस्त साधनों के उपयोग का कहर समर्थक है जिनके द्वारा वर्ग संघर्ष को उत्तेजना मिलती है। जो कृत्य वर्ग-संघर्ष की भाग पर पानी डालते हैं, मार्क्सवाद उन्हें प्रतिक्रियावादी ठहराता है।

गान्धीवाद वर्ग-संघर्ष का नहीं, प्रत्युत वर्ग-सामजस्य का पुजारी है। वह समाज को स्थायी रूप से दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित नहीं मानता। गान्धी जी के सर्वोदय-आदर्श में पू जीपतियों और श्रमिकों दोनों के हितों के संरक्षण और विकास की समान व्यवस्था है। गान्धी जी जिस रामराज्य का स्वप्न देखते थे उसमें वे राजाओं और भिखारियों दोनों के अधिकारों की रक्षा की बात कहते थे। वे ऊंचे और नीचे वर्गों की समस्या का वर्णाश्रम-धर्मके द्वारा सुलझाना चाहते थे। पूजीपतियों और श्रमिकों में समवय स्थापित करने की दृष्टि से गान्धी जी कहा करते थे, 'पू जीपतियों और श्रमिकों को एक दूसरे का पूरक बन जाना चाहिए। उन्हें एक ऐसे विशाल परिवार के समान होना चाहिए जिसमें वे एकता और सामजस्य के साथ निवास कर सकें।'* उनका मत था कि "मैं किसी ऐसे समय की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अधिक धनी नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसे समय की कल्पना अवश्य करता हूँ जब अमीर आदमी गरीबों का शोषण कर अमीर बनने से घृणा कर देंगे और गरीब आदमी अमीरों से घृणा करने बन्द कर देंगे।"† महात्मा जी पू जीपतियों का नहीं, पूजी-वाद का ही विध्वंस चाहते थे। पू जीपतियों के लिए परामर्श था कि आपकी श्रमिकों का ट्रस्टी बन जाना चाहिए अथवा आचार्य विनोबा भावे की शब्दावली में "विश्वस्त वृत्ति से काम लेना चाहिए।"

* यग इंडिया २० अगस्त '२५ पृ. २८५

† " २१ जुलाई '२१ पृ. २२८

गान्धीवाद और मार्क्सवाद में एक प्रधान अन्तर साधन-प्रणाली के भेद को लेकर है। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार यदि हमारे साध्य श्रेष्ठ हैं तो हम उनको प्राप्त करने के लिये कैसे भी साधनों का प्रयोग क्यों न साधन प्रणाली का भेद करें, सब क्षम्य हैं। यही कारण है कि मार्क्सवाद के अनुयायी अपने आदर्शों की सिद्धि के लिए छल, असत्य और हिंसा आदि बुरे समझे जाने वाले उपायों का आश्रय लेना भी अवाञ्छनीय नहीं समझते। वैसे तो मार्क्सवादी अपने उद्देश्य लाभ के लिए शांतिपूर्ण और वैधानिक कार्यवाहियों का भी सर्वथा तिरस्कार नहीं करते, परन्तु उनका विश्वास है कि सत्ता-च्युत पूंजीपति वर्ग की क्रांति विरोधी प्रतिक्रियावादी हलचलों को नष्ट करने के लिये किसी न किसी स्तर पर रक्तपात और हिंसा का उपयोग अवश्यम्भावी है।

गान्धीवाद श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों का पक्षपाती है। वह अहिंसा तथा सत्य का एक निष्ठ पुजारी है और अपने कट्टर से कट्टर शत्रु के प्रति भी सदैव व्यवहार का समर्थन करते हैं। चूँकि गान्धीवाद की धारणा है कि सृष्टि के प्रत्येक जीव में ईश्वर का भ्रम है, इसलिये वह मनुष्य के हृदय-परिवर्तन में आस्था रखता है। गान्धी जी का मत था कि उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों का सर्वत्र सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। वे कहा करते थे कि 'हिंसा के ऊपर किसी भी स्थायी वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता।' *

मार्क्सवादी विद्वान लोकतन्त्र के सिद्धान्त की कटु आलोचना करते हैं। उनके मत से यह एक विशुद्ध पूंजीवादी धारणा है जिसका सर्वहारा वर्ग के लिए कोई उपयोग नहीं है। ट्राट्स्की ने लिखा था—“लोकतन्त्र एक निकम्मा और निरर्थक स्वांग है। हम सर्वहारा वर्ग के नाम में इसका प्रतिकार करते हैं। लोकतन्त्र के द्वारा शक्ति प्राप्त करने का इरादा बिल्कुल बेकार है।”† मार्क्सवाद के अनुयायी 'लोकतन्त्रात्मक केन्द्रवाद' (Democratic Centralism) के सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं। वे अपने विरोधियों को भाषण अथवा प्रेस आदि की लोकतन्त्रात्मक स्वतन्त्रताएं प्रदान करने के लिए तनिक भी प्रस्तुत नहीं हैं। मार्क्सवादी अपने लक्ष्यबोध की सुविधा के विचार से चुनावों में भाग भले ही ले लें पर उनकी सामान्य

* यंग इण्डिया १५ नवम्बर १९२० पृ. ३८१

† एस. एन. अग्रवाल द्वारा 'गांधीज्म एण्ड कम्युनिज्म' लेख में उद्धृत, माडर्न रिव्यू नवम्बर १९२० पृ. ३५८

नीति तो भूमिगत कार्यवाहियों और सशस्त्र क्रान्ति का समर्थन करने की है। स्टालिन के शब्दों में “कौन और कहाँ यह कहता है कि संसदीय संघर्ष ही मजदूरों का मुख्य संघर्ष है? क्या इतिहास यह सिद्ध नहीं करता कि संसद केवल एक सहायक के रूप में हमारी क्रान्ति की साधक है और मजदूरों की समस्याएँ हड़ताल व सशस्त्र क्रान्ति के द्वारा ही हल हो सकती हैं?”† मार्क्सवादी वैयक्तिक स्वतन्त्रता को उस समय तक कोई महत्व नहीं देते जब तक कि उसके साथ आर्थिक सुरक्षा सयुक्त न हो।

महात्मा गांधी जन्मजात लोकतन्त्रवादी थे। उनका मत था कि “असली लोकतन्त्र तो अहिंसा का ही जात होसकता है।”‡ वे लोकतन्त्रात्मक धारणाओंको व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यावश्यक मानते थे। उनका कहना था कि लोकतन्त्र और वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अभाव में ‘रामराज्य’ की स्थापना असम्भव है। गांधी जी की आदर्श समाज व्यवस्था में शुद्ध से क्षुद्र व्यक्ति को महतो महीयान व्यक्ति की उन्मुक्त आलोचना करने का अधिकार प्राप्त था। गांधी जी प्रत्येक मनुष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा को बहुत आवश्यक स्वीकार करते थे, परन्तु उसकी वेदी पर वैयक्तिक स्वतन्त्रता का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत नहीं है।

मार्क्सवाद सर्वाधिकारवादी राज्य की मान्यता पर आधारित है। वह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का प्रतिपादन करता है। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में प्रशासनिक और औद्योगिक शक्तियों का अधिकाधिक केन्द्रोन्मुखी होना सर्वथा नैसर्गिक है। मार्क्सवाद का अन्तिम **केन्द्रीकरण :** आदर्श राज्य विहीन समाज की स्थापना करता है, पर **विकेन्द्रीकरण** इतना उच्चतः केन्द्रोन्मुखी राज्य जैसा आज रूस में देखा जा रहा है, कंसे तिराहित हो जायगा, यह आसानी से समझ में नहीं आता।

गांधीवाद विकेन्द्रीकरण का प्रतिपादन करता है। गांधी जी केन्द्रीकरण और लोकतन्त्र को एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल मानते थे। उनका कहना था कि केन्द्रीकरण से हिंसा और सर्वाधिकारवाद को प्रोत्साहन मिलता है। यही कारण था कि महात्मा गांधी बड़े बड़े उद्योगों, मशीनों और केन्द्रोन्मुखी राजसत्ता के विरोधी थे। रूस में जिस विशाल पैमाने पर औद्योगीकरण और केन्द्रीकरण हुआ, वह गांधी जी को इष्ट नहीं था। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा था, “जब मैं रूस की ओर देखता हूँ जहाँ औद्योगीकरण अपने सवोच्च शिखर पर पहुँच गया है, तब मुझे वहाँ का जीवन

† स्टालिन: प्रोब्लेम्स आफ लेनिनिज्म, पृ. २३

‡ निर्मल कुमार बसु: सेलेक्शन्स फ्रॉम महात्मा गांधी पृ. ४३

प्रभावित नहीं करता। बाइबिल की भाषा में यदि मनुष्य अपनी आत्मा को खोकर सैसार भी प्राप्त करले, तो उसे क्या लाभ होगा।”* गांधी जी अधिक से अधिक आत्म निर्भरता और विकेंद्रित राजसत्ता सहित ग्राम पंचायतों की स्थापना का समर्थन करते थे। उनका विश्वास था कि सर्वश्रेष्ठ शासन तो वही है जो न्यूनतम शासन करता है।

१४६. भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को महात्मा गांधी की देन

१९१९ के पश्चात् से भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन का इतिहास महात्मा गांधी की जीवन-गाथा है। प्रायः तीस वर्षों तक भारत के राष्ट्रवादी रगमच पर महात्मा गांधी ने अपना एकच्छत्र आधिपत्य जमाये रक्खा। इस भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक सम्पूर्ण अवधि में वे भारतीय राष्ट्रवाद के एकमात्र सच्चे प्रतीक, प्रणेता और प्रेरक थे। उनके एक एक कृत्य और वक्तव्य में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्यग्रभाव से संघर्षशील भारत की आत्मा बोलती थी। उनके विद्युन्मय नेतृत्व और चुम्बकमय व्यक्तित्व ने भारत के स्वातंत्र्य-संग्राम को एक नूतन दिशा दी और उसे बीसवीं शताब्दी का एक महाकाव्य बना दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सदियों की दासता-निद्रा को त्याग भंगड़ाई लेकर उठते हुये भारतीय राष्ट्र ने महात्मा गांधी के रूप में अपनी समस्त राष्ट्रीय आकांक्षाओं की साकार प्रतिमूर्ति प्राप्त की।

भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को महात्मा गांधी की जो महान देन है, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन करने के लिये उनके पूर्व की भारतीय राजनीति का सक्षिप्त विहंगम-गावलोकन अत्यन्त आवश्यक है। जिस समय महात्मा गांधी महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह-समर में विजय प्राप्त कर पूर्व भारत की भारत लौटे, उस समय यहाँ दो राजनीतिक दलों-उदारवादी राजनीति दल और उग्रवादी दल की तूती बोल रही थी। उदारवादी दल अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैधानिक और शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास रखता था। उसका राजनीतिक लक्ष्य उस प्रकार की शासन-प्रणाली को प्राप्त करना था जिसका उपभोग ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासित डोमिनियन करते हैं। उग्रवादी दल ब्रिटिश शासन का कटु आलोचक था। वह अपने राजनीतिक लक्ष्य के सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित नहीं था। उसका 'स्वराज्य' का लक्ष्य उदारवादियों के 'स्वशासन' से बहुत भिन्न नहीं था। उग्रवादियों की साधन-प्रणाली में भी अस्पष्टता की झलक मिलती है। आचार्य कृपलानी

* हरिजन सेवक २८ जून ३६ पृ ४३८

के शब्दों में, "वे यह अनुभव करते थे कि परिस्थिति को देखते हुये कुछ क्रांतिकारी कार्यवाही करने की आवश्यकता है, परन्तु वह क्रांतिकारी कार्यवाही क्या होनी चाहिये, इसे वे न तो जानते ही थे, न निर्धारित ही कर सकते थे।"* संक्षेपतः महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर अवतरण के पूर्व देश के पास न कोई स्पष्ट कार्यक्रम था और न कोई निश्चित राजनीतिक ध्येय। राष्ट्रीय आंदोलन केवल कुछ मध्यवर्गीय शिक्षित जनों तक ही सीमित था और "हमारी जनता उत्तेजना, पीडा और संशय से भरे हुए कुछ इने गिने वर्षों से नहीं, बल्कि पीढियों से अपना खून और पसीना बहाती आई थी और यह क्रिया भारत की रगरग में घुसती हुई इतनी गहरी पहुँच चुकी थी कि उससे हमारे सामाजिक जीवन का एक एक पहलू विषाक्त हो गया था, ठीक उसी भयंकर रोग की तरह जो फेंफड़ों के तन्तुओं को खा जाता है और मनुष्य का धीरे धीरे किन्तु निश्चित रूप से मृत कर देता है।"†

किसी भी संग्राम के सिपाही के लिये निर्भयता अत्यन्त आवश्यक है। भारत के महान् राजनीतिक विचारक चाणक्य और याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि लोकनायको का सब से बड़ा कर्तव्य जनता को अभयदान देना है। उन देशों में जहाँ राष्ट्रीय सरकारें विद्यमान हैं, जनसाधारण की निर्भयता भाषण-स्वातंत्र्य में अभिव्यक्त होती है। यदि निर्भयता जनता सरकार की नीति को बुरा समझती है तो, उसकी निर्भय कठ से आलोचना करती है, उसे किसी प्रकार के दड की शंका नहीं होती। लेकिन उन देशों में जो पराधीनता के पाश में जकड़े होते हैं, जनता को भाषण की अथवा सरकार की मनचाही आलोचना करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती। भारत में भी यही बात थी। यहाँ "सबसे प्रमुख भावन भय की थी—एक सर्वव्यापी, दुःखदायी और गला घोटने वाला भय—फौज का भय, पुलिस का भय, अफसरों का भय, दमनकारी कानूनो का भय, जमींदार के गुमास्ते का भय, महाजन का भय और उस बेकारी तथा भ्रष्ट का भय जो हर समय मुंहबाये खड़ी रहती थी।"‡

महात्मा गांधी ने भय के इन बादलों को तीव्र मास्त के वेग से छिन्न-भिन्न कर दिया। उन्होंने भारतीय जनता को निर्भयता का सन्देश देते हुये घोषणा की, "वह राष्ट्र महान है जो सदा मौत को तकिया बना कर सोता है।"* बाइकाउण्ट सेम्युअल

* के० बी० कृपलानी : गांधी दि स्टेटसमैन पृ० ८

† जवाहर लाल नेहरू : राष्ट्रपिता पृ० १४।

‡ जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रपिता पृ० १५-१६

* महात्मा गांधी: हिन्द स्वराज्य पृ. ७३।

के अनुसार गांधी जी ने भारत को, "अपनी कमर सीधी करना सिखाया, अपनी आँखें ऊपर उठाना सिखाया और सिखाया अविचल दृष्टि से परिस्थितियों का सामना करना।"* गांधीजी ने अपने निर्भय नेतृत्व से 'पूर्वीय दम्बूपन के शिकार भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के सैनिकों को जिस कठिन असिधारा-व्रत पर साहसपूर्वक चलने की प्रेरणा दी, उसमें केवल आक्रमण का ही नहीं, प्रत्युत आत्म-रक्षा का भी अधिकार वजित है।

संसार के इतिहास में इस बात का एक भी उदाहरण नहीं मिलता जब कि किसी राष्ट्र ने विदेशी शासन से हिंसा और रक्तपात के बिना स्वतन्त्रता हस्तगत की हो। इटली के एकीकरण, अमेरिका के स्वातन्त्र्य-युद्ध और आयरलैंड के राष्ट्रीय आंदोलन-सबसे एक ही सत्य मुखर होता है कि यदि किसी देश को विदेशी साम्राज्यशाही से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हिंसा और रक्तपात अपरिहार्य है। स्वयं हमारे देश में तिलक जैसे उग्रवादी नेता इस बात का समर्थन करते थे कि साध्य के सम्मुख साधन नगण्य है। उनका कहना था कि यदि हम श्रेष्ठ आदर्शों की प्राप्ति के लिये हीन उपायों का आश्रय लेते हैं, तो बिल्कुल अनुचित नहीं है।

आंदोलन का
नैतिक
आधार

महात्मा गांधी इस विचार के अनुयायी नहीं थे। वे साध्य और साधन में अन्योन्याश्रित-सम्बन्ध मानते थे। उनका विश्वास था कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिये साधन भी श्रेष्ठ होने चाहिए। वे भारत की स्वतन्त्रता के लिए अतीव उत्सुक थे, लेकिन इसके लिए हिंसा, छल, कपट और असत्य आदि जघन्य उपायों का आश्रय लेना उन्हें कदापि इष्ट नहीं था। उन्होंने एक बार कहा था, "मेरे जीवन-दर्शन में साध्य और साधन का अंतर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि साधन तो आखिर साधन ही है। मैं कहूँगा कि साधन ही तो आखिर सब कुछ है। जैसे साधन होंगे, वैसा ही साध्य होगा। हिंसक साधन हिंसक स्वराज्य देगे। वह संसार के लिये और स्वयं भारत के लिए एक खतरा होगा।"† गांधी जी ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान की। उन्होंने देशभक्ति को 'पूर्ण आत्मोत्सर्ग और गहन धार्मिक उत्साह की ऊंचाई पर उठा दिया।"‡ गांधी जी के नैतिक दृष्टिकोण का ही, जिसका उन्होंने राजनीति में अडिग भाव से पालन किया, यह फल था कि जहाँ उनसे कोई

* सर्वपल्ली राधाकृष्णन: गान्धी-अभिनन्दन-ग्रंथ पृ. २२८-२९।

‡ यंग इण्डिया: २६ दिसम्बर १९२४, पृ. ४३५।

† नगेन्द्रनाथ गुप्त: गान्धी एण्ड गान्धीज्म पृ. ८।

बड़ी भूल हुई, उन्होंने उसे निस्संकोच भाव से सार्वजनिकतः अपनी 'हिमालय-तुल्य भूल' कह कर स्वीकार किया, दूसरों के दोषों को भी अपने शीश पर ले लेने में कभी प्राणा पीछा नहीं सोचा, बार करने से पूर्व शत्रु को सदैव चेतावनी दी और कठोर से कठोर संकट की घड़ी में भी अपने विरोधी का अपकार नहीं चाहा। उन्हें अपनी दुर्बलताओं और बुराइयों को भी शत्रु के सामने खोल कर रख देने में हिचक नहीं होती थी। वे ईसा और बुद्ध की भांति पाप से घृणा करते थे, पापी से नहीं, अन्याय से घृणा करते थे, अन्यायी से नहीं। उन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सिपाहियों को सदैव यही उपदेश दिया कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोधी बनें, ब्रिटिश जाति के नहीं। उनका कहना था, "मे अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं हूँ, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं हूँ, सरकार के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन असत्य के विरुद्ध हूँ, पाखंड के विरुद्ध हूँ, अन्याय के विरुद्ध हूँ।"†

भारतीय राजनीति में गांधी जी के सुभागमन के पूर्व हमारा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम केवल कुछ मध्यवर्गीय पढ़े-लिखे लोगों तक ही सीमित था। जन-साधारण से उसका कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। भारतीय राष्ट्रवाद की वाहन कांग्रेस अंग्रेजी पढ़े-लिखे व्यक्तियों की सस्था जनता का थी। उनकी सम्पूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में संचालित होती आन्दोलन थी। उसके समस्त उद्देश्य शिक्षित वर्गों के अधिकारों से सम्बन्ध रखते थे। वह शासन के ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की माग करती थी, पर भारतीयों से उसका आशय अंग्रेजीदा शिक्षित भारतीय वर्ग ही होता था। राष्ट्रवादी नेता भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान की बात अवश्य करते थे, लेकिन इस औद्योगिक पुनरुत्थान का आर्थिक आधार क्या हो, इस सम्बन्ध में उनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। उन्हें भारतीयों की निर्धनता का ज्ञान अवश्य था, लेकिन यह ज्ञान उन्होंने पुस्तकों से प्राप्त किया था। वे "उन्नीस सौ मील लम्बे और पंद्रह सौ मील चौड़े भूतल पर छाये सात लाख गावों में जगह जगह बिखरे पड़े करोड़ों अध-भूखों" की ज्वलत समस्याओं और कठिनाइयों से व्यवहारतः बिल्कुल ही अपरिचित थे। संक्षेपतः "उन दिनों की सम्पूर्ण कांग्रेस राजनीति भावनामय और अयथार्थ थी।"*

महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते ही उक्त सारी स्थिति को बदल डाला। वे सच्चे अर्थों में जनता के नेता थे। उनकी घुटनों तक की धोती भारत की निर्धनता की साक्षात् प्रतीक थी। उन्हें भारत की ग्राम-समस्याओं का ठीक परि-

† भार. के, प्रभु और यू. भार. राव: दि माईड ऑफ महात्मा गांधी, पृ. १७५।

* जे. बी. कूपरानी: गांधी दि स्टेट्समैन पृ. ७७।

चय था। उनके गतिशील नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन जनता का आन्दोलन बन गया। गांधी जी ने कांग्रेस के संविधान में इस प्रकार संशोधन किया जिससे वह जनता की संस्था बन सके। उनकी प्रेरणा से कांग्रेस की सारी कार्यवाही अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दुस्तानी में होने लगी। गांधी जी ने कहा कि असली भारत तो गांवों में बसा हुआ है। उन्होंने कांग्रेस के स्वयंसेवकों को गाँव-गाँव जाकर काम करनेका परामर्श दिया। इस तरह भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम की भावाञ्ज एक एक गाँव में, एक एक घर में पहुँच गई। गांधी जी ने जनता को आन्दोलन से लक्ष्य का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा "मेरा स्वराज्य तो गरीबों का स्वराज्य है। जीवन की आवश्यकताएँ नरेशों तथा धनिकों के साथ साथ आपको भी मिलनी चाहिए।... मैं इस सम्बन्ध में गतसन्देह हूँ कि स्वराज्य उस समय तक पूर्ण स्वराज्य नहीं है जब तक आपकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती।"* गांधी जी ने अपने प्राणवान् नेतृत्व से उस 'पतित, कायर और निराश जनता को जिसे अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए सभी प्रमुख दल पीड़ित और पद दलित करते आये थे और जिसमें विरोध की शक्ति ही नहीं रह गई थी, ऐसा बना दिया जिसमें आत्म-सम्मान की भावना जाग उठी, जिसे अपने पर भरोसा होने लगा, जो अत्याचार का विरोध करने लगी और जिसमें मिल कर काम करने तथा एक बड़े हित के लिए त्याग करने की सामर्थ्य आ गई।"†

महात्मा गांधी को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को लोक-आन्दोलन ही नहीं बनाया, प्रदत्त उसे "क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप में भी बदल दिया।‡" उनसे पूर्व राष्ट्रीय आन्दोलन क्रांतिकारी विगुद्ध वैधानिकवाद तक ही सीमित था। राष्ट्रवादी नेता आन्दोलन प्रस्ताव पास करते थे, लेख लिखते थे, धुआँधार भाषण देते थे, कभी कभी सरकार की हलकी-फुलकी निरर्थक आलोचना भी कर बैठते थे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही करने का उन्हें कोई विचार नहीं आता था। गांधी जी दूसरी धातु के बने हुए थे। उनकी "भावाञ्ज शान्त और धीमी भावाञ्ज थी, लेकिन वह जनता की चीख से ऊपर सुनाई देती थी। वह भावाञ्ज कोमल और मधुर थी, लेकिन उसमें कहीं न कहीं फौलादी स्वर छिपा हुआ था।"* गांधी जी ने जनता को सन्देश दिया कि, "यदि हम स्वतन्त्र

* यंग इण्डिया २६ मार्च, १९३१ पृ. ४६।

‡ जवाहर लाल नेहरू: राष्ट्रपिता पृ. २८।

† कूपलैण्ड: इण्डिया, ए रिस्टेटमेंट पृ. १२६

* जवाहर लाल नेहरू: राष्ट्रपिता, पृ. ५

स्वी-पुरुषों की भांति रह नहीं सकते, तो हमें मरने में सन्तोष लाभ करना चाहिए।”* उनका कहना था, “स्वराज्य एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के लिए दान कदापि नहीं है। यह वह निधि है जिसे राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ रक्त से खरीदा जाता है।”† उन्होंने जनता से यह दो टूक बात कह दी थी कि “स्वराज्य की जययात्रा में हमें जलियांवाला बाग के हत्याकांड जैसे अन्यायों की बारम्बार आवृत्तियों के लिए तय्यार रहना चाहिए।”‡ गांधी जी की राजनीति ने अपने पूर्ववर्ती नेताओं की राजनीति से प्रयाण चिन्हित किया। उनको राजनीति आराम की नहीं कष्ट की, पलायन की नहीं जूझने की, बात की नहीं, कर्म की राजनीति थी।

१५०. महात्मा गांधी और समाज-सुधार

प्रायः पिछले एक सहस्र वर्षों से भारतीय समाज ऐसी अनेक भीषण सामाजिक कुरीतियों से पीडित रहा है जिन्होंने उसकी उन्नति के मार्ग में अनुल्लंघनीय रोड़े धरे-काये हैं। इस बीच में समय समय पर भारत-भूमि में ऐसे बहुत से समाज सुधारकों का प्रादुर्भाव होता रहा है जिन्होंने पृष्ठ भूमि इन सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की प्राणपण से चेष्टा की। इनमें कोई सन्देह नहीं कि उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली, पर समग्रतः सामाजिक कुरीतियों ने भारतीय जनता का पिण्ड नहीं छोड़ा। जिस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, यहाँ कन्या-बध बाल-विवाह, शिशु-हत्या, दास-प्रथा, सती प्रथा और असह्यता जैसी घातक सामाजिक कुरीतियाँ अपने निकृष्टतम रूप में विद्यमान थी। ब्रिटिश शासकों ने हमें दो सौ वर्षों तक अपने पराधीनता पाश में जकड़े रखा। इसके लिए हम उन्हें चाहे कितना ही पानी पी-पी कर कोसें, हमें इस बाल के लिए उनका हृदय से आभार मानना ही चाहिए कि उन्होंने हमारे सामाजिक जीवन का सुधार करने में महत्वपूर्ण भाग लिया। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों में नूतन जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने सत्वर सामाजिक सुधारों की आवश्यकता का अनुभव किया। लार्ड विलियम बेंटिक ने सती-प्रथा, बाल-बध और ठगी का, लॉर्ड एलेनबरो ने दास-प्रथा का और लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक पूजा के स्थानों पर नरबलि का अन्त किया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज और रामकृष्ण मिशन प्रभृति जो विविध धार्मिक आन्दोलन उठे, उनका भी भारतीय समाज सुधार के क्षेत्र में असूत्य योगदान है। गांधी जी ने अपने शतधार

*यंग इण्डिया : ५ जनवरी १९२२ पृ. ५

†यंग इण्डिया : ५ जनवरी १९२२ पृ. ४

‡यंग इण्डिया : १८ फरवरी, १९२० पृ. १००

व्यक्तित्व से जहाँ राजनीति क्षेत्र को आलोकित किया, वहाँ समाज सुधार का क्षेत्र भी उनकी प्रतिभा के प्रकाश से जगमगा उठा। उनके हाथों भारतीय समाज सुधार की दीपशिला अपने उज्वलतम रूप में प्रकट हुई।

महात्मा गांधी ने समाज सुधार के प्रश्न को साधारण मिशनरी की भाँति नहीं, प्रत्युत उग्र सुधारक की भाँति हल किया। उन्होंने जनता के मन में यह बात बैठा दी कि जिन्हें हम सामाजिक कुरीतियाँ कहते हैं, वे केवल सामाजिक विघ्न नहीं हैं, प्रत्युत राजनीतिक विघ्न हैं, जब तक हम उनका निवारण नहीं करते, हमारे राष्ट्रीय जीवन का कोई उत्थान नहीं हो सकता। उन्होंने ६ अगस्त १९२१ को यंग इण्डिया में लिखा था “मेरा समाज सुधार का कार्य मेरे राजनीतिक कार्य से किसी भी प्रकार कम या हीन नहीं था। तथ्य यह है कि जब मैंने देखा कि मेरा समाज सुधार का कार्य राजनीतिक कार्य की सहायता बिना नहीं चल सकता, मैंने राजनीतिक कार्य को अपने हाथ में लिया और उसी सीमा तक जहाँ तक उसने समाज सुधारके कार्यमें सहायता दी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे समाज या इस प्रकार की अतःशुद्धि राजनीतिक कार्य की अपेक्षा सीधुनी अधिक प्रिय है।”* गांधी जी का विश्वास था कि जितनी शीघ्र हम यह समझ लेंगे कि हमारी बहुतांसी सामाजिक कुरीतियाँ हमारी स्वराज्य यात्रा को अवरोध करती हैं, उतनी ही शीघ्रता से हम अपने प्रिय लक्ष्य की ओर पग बढ़ाने में समर्थ होंगे। वे कहा करते थे कि समाज सुधार को स्वराज्य-प्राप्ति के काल तक स्थगित करना स्वराज्य का अर्थ न जानना है।

अपने सामाजिक कार्यक्रम में गांधी जी अन्तर्साम्प्रदायिक एकता की स्थापना को सबसे उपयोगी मार्ग समझते थे। देश में शांति और सुव्यवस्था के लिए साम्प्रदायिक एकता की महत्ता को जितना उन्होंने समझा था, शायद ही और किसी ने समझा हो। वे साम्प्रदायिक एकता को राजनीतिक दृष्टि से ही आवश्यक नहीं मानते थे। वे भारत की साम्प्रदायिक एकता को मानवता के लिए एक मिसाल बना देने के आकांक्षी थे। गांधी जी ने इस तथ्य को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया था कि भारतवर्ष नाना धर्मों, जातियों और साधनाओं का देश है, जब तक उनमें परस्पर सहानुभूति और सहिष्णुता का भाव नहीं रहेगा, देश उन्नति नहीं कर सकता। गांधी जी विभिन्न धर्मों के दीर्घ मंथन और अनुभव के पश्चात् इस निष्कर्ष

* आचार्य कृपलानी द्वारा गांधी दि स्टेट्समैन में उद्धृत, पृ. २७

पर पहुँचे थे कि, “(१) सभी धर्म सच्चे हैं, (२) सभी धर्मों में कुछ न कुछ गलती है, (३) सभी धर्म मुझे हिन्दू धर्म की भाँति प्रिय हैं।”*

महात्मा गांधी की अहिंसा यही कामना रहती थी कि उनके सपनों का भारत एक ऐसे मनोहर उपवन के तुल्य बने जिसमें विभिन्न धर्म और सम्प्रदाय सुवासित पुरुषों की भाँति सुरभित हों। इस आदर्श की सिद्धि के लिए उन्होंने जीवन भर कोशिश की। वे साम्प्रदायिक एकता का अर्थ हृदय की वह सच्ची एकता मानते थे जो तोड़ने से भी न टूट सके। उनके मत से इस एकता को स्थापित करने की सर्वप्रथम शर्त यह थी कि “हर एक कांग्रेसजन, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो, अपने आप में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जरथुश्ती, यहूदी आदि का, याने एक शब्द में हर एक हिन्दू और गैर हिन्दू का प्रतिनिधि बने।... इसके लिये हर एक कांग्रेसजन को दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत मित्रता कायम करनी और बढ़ानी चाहिए। उसे दूसरे धर्मों के प्रति उतना ही आदर रखना चाहिए जितना कि अपने धर्म के प्रति।”† भारतीय राजनीति में जिस बिषाक्त साम्प्रदायिक त्रिभुज का विकास हुआ, उसके लिए गांधी जी मुख्य रूप से ब्रिटिश शासकों को ही दोषी ठहराते थे।

महात्मा गांधी भारत वर्ष को एक पक्षी तथा हिन्दुओं और मुसलमानों को उसके दो पक्ष बताया करते थे। '२४ में उन्होंने कहा था, “आज ये दोनों पक्ष अपंग हो गये हैं और पक्षी आकाश में उड़ कर स्वतन्त्रता का आरोग्यप्रद व शुद्ध हवा लेने में असमर्थ है”‡ स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय जब सम्पूर्ण भारत साम्प्रदायिक उपद्रवों की ज्वाला से भस्मीभूत होने लगा था, गांधी जी को मर्मांतक वेदना पहुँची थी और उन्होंने अपनी ढलती आयु और स्वास्थ्य की ओर बिलकुल ध्यान न देते हुए उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों (बिहार और नोआखाली) की पैदल यात्रा की तथा साम्प्रदायिक आग पर पानी डालने का प्रयास किया। गांधी जी ने अपने जीवन का अन्तिम उपवास (१३ जनवरी '४८ से १८ जनवरी '४८ तक) साम्प्रदायिक एकता की स्थापना के ही लिए किया था। यह उनके सार्वभौम व्यक्तित्वका ही फल था कि कांग्रेस देशमें धर्म निरपेक्ष प्रजातन्त्र की नींव डालने में समर्थ हुई।

महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता-निवारण के लिये जो प्रचण्ड संघर्ष किया, वह उनके राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी सबसे प्रभावशाली कृत्यों में से एक है। गांधी जी अस्पृश्यता

*निर्मल कुमार वसु : सेलेक्शन्स फ्रॉम गांधी पृ. २२६-२२७

† रामनाथ सुमन : गांधी-वाणी पृ. २२८

‡ हिन्दी नवजीवन २-११-१९२४, पृ. ६५

को हिन्दू धर्म का कोढ़ मानते थे। उनकी कहरवादियों को चेतावनी थी कि यदि अछूतों के साथ होने वाले अन्यायों का प्रतिकार न किया गया, तो हिन्दुओं का नाश हो जायगा।

भारत के अछूतों को जिस सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था, उन्हें निम्न से निम्न कार्य करने के लिये विवश होना पड़ता था, उन्हें मन्दिर-प्रवेश, कुएं से पानी भरने और सार्वजनिक स्थानों के स्वच्छंद प्रयोग जैसे मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, यह सब गांधी जी सहन नहीं कर सकते थे।

ऐतिहासिक दृष्टि से अस्पृश्यता आर्यों की भारत-विजय का सामाजिक फल था। आर्यों ने इस देश पर विजय प्राप्त करने के बाद बहुत से विजितो को अपने गुट में मिला लिया। विजितो मेंसे जो सबसे पिछड़े हुए लोग थे, वे अछूत रह गये।* कालान्तर में अस्पृश्यता प्रथा को धार्मिक सम्मोदन प्राप्त हो गया। बुद्ध रामानुज, रामानन्द, कबीर, नानक, चैतन्य तुकाराम और दयानन्द, प्रभृति लोकनायकों ने समय समय पर इस प्रथा को पानी कर देने की चेष्टा की, पर वे अपने लक्ष्य में पूर्ण सफल न हो सके।

महात्मा गांधी अस्पृश्यता-निवारण के लिये कितने आतुर थे, वह इस तथ्य से जाता जा सकता है कि यद्यपि धर्म उनके लिये सब कुछ था, फिर भी वे यह कहते हुए नहीं थकते थे कि यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का एक अनिवार्य अंग है, तो मैं हिन्दू धर्म को त्याग दूंगा। वे कहा करते थे कि यदि भारत दूसरे देशों के द्वारा पद दलित किया जा रहा है, तो इसका मूल कारण यही है कि भारत ने अछूतों के रूप में अपनी पचमाश जनसंख्या को पद-दलित कर रखा है। जब तक हम उन्हें उनकी हीनावस्था से मुक्त नहीं करते, स्वतन्त्रता असम्भव है। उन्हें यह कहते हुए सकोच नहीं होता था कि "यदि हिन्दू धर्म ने अस्पृश्यता को नहीं त्यागा, तो उसका मर जाना ही श्रेयस्कर है।"† दलित जनों के प्रति उनके हृदय में जो प्रगाढ प्रेम था निम्न उद्धरण उसका एक परिचय देता है, "मैं फिर से जन्म लेना नहीं चाहता, लेकिन यदि मुझे फिर से जन्म लेना ही पड़े, तो मैं एक अछूत के रूप में जन्म ग्रहण करना चाहूँगा ताकि मैं उनके क्लेशों, कष्टों तथा अपमानों में भाग ले सकूँ और इस दयनीय परिस्थितियों से स्वयं अपने को तथा उन्हें उबार सकूँ। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि मुझे फिर से जन्म ग्रहण करना पड़े तो मुझे ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य अथवा शूद्र के रूप में नहीं, प्रत्युत अति शूद्र के रूप में जन्म मिलना चाहिये।"‡

* ए. आर. देसाई: सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पृ. २४१।

† वंग इंडिया, २५ मई, '२१-पृ. १६५।

‡ वंग इंडिया, ४ मई, '२१, पृ. १४४।

महात्मा गांधी ने अछूतों के लिये हरिजन अर्थात् ईश्वर के जन शब्द गढ़ा था। १९३२ में जब भारत का नया संविधान बनाते समय ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने निर्वाचन के लिये अछूतों को हिन्दुओं से अलग करने का कुचक्र रचा, गांधी जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा कर पूना पैक्ट द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के इस दुष्प्रयत्न को विफल कर दिया। गांधी जी द्वारा संस्थापित हरिजन सेवक सघ ने अछूत-द्वार की दिशा में स्तुत्य प्रयास किया है। हर्ष की बात है कि भारत के नये संविधान ने अस्पृश्यता का अन्त कर दिया है।

अर्वाचीन भारतीय इतिहास की एक दृष्टव्य विशेषता नारियों की अभूतपूर्व जागृति है। ब्रिटिश पूर्व भारत में सुल्तान रजिया, चाद बीबी, नूर जहा और ग्रहि-याबाई होल्कर आदि कुछ इनी-गिनी राजमहिलाओंको छोड़ कर स्त्रियाँ सामान्यतः घर की चहारदीवारी में ही बन्द नारी-जागृति रहती थी। आज भारतीय नारियों में जिस अभूतपूर्व जागरण के दर्शन हो रहे हैं, वे महसूस की संख्या में राजनीति में भाग लेती उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करती और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने पुरुष भाइयों के साथ कंधे में कंधा मिला कर आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं, उसका बहुत कुछ श्रेय महात्मा गांधी को प्राप्त है।

महात्मा गांधी ने भारतीय नारियों की उन्नति के लिये अकथनीय चेष्टा की। नारी जाति के प्रति उनके हृदय में अपार सम्मान की भावना थी। वे नारी को पुरुष की दासी नहीं, साथिन मानते थे। उनका विश्वास था कि मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से नारी नर से किसी प्रकार घट कर नहीं है। वे इस बात का दृढ़ समर्थन करते थे कि नारी को नर के समान ही आत्मविकास के समस्त अवसर सुलभ होने चाहिए। उनके अनुसार, "स्त्री अहिंसा की मूर्ति है। अहिंसा का अर्थ है अनन्त प्रेम और उसका अर्थ है कष्ट सहने की अनन्त शक्ति। पुरुष की माता, स्त्री से बढ कर इस शक्ति का परिचय अधिक से अधिक मात्रा में और कहा मिल सकता है?... युद्ध में फसी हुई दुनिया आज शांति का अमृतपान करने के लिए तडप रही है। यह शांति-कला सिखाने का काम भगवान् ने स्त्री को ही दिया है।"*

महात्मा गांधी चाहते थे कि स्त्रियाँ स्वयं को अबला कहना छोड़ दें और अपने सम्मुख सीता, मेनेथी, अनुसुइया तथा दमयन्ती जैसी उदात्त सतियों के महनीय प्रादर्श रखें। उनका कहना था कि "वह स्त्री जो दृढतापूर्वक यह मानती है कि उसकी पवित्रता ही उसके सतीत्व की सर्वोच्च ढाल है, उसका शील सर्वथा सुरक्षित है। ऐसी स्त्री के तेजमात्र से पर पुरुष चौधिया जाएगा और लाज से गड जाएगा।"† गांधी

* हरिजन सेवक, २४-२-४० पृ. १६।

† " " १३-३-४२ पृ. ६७।

जी नारी जाति को जिस अपार श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, निम्न अवतरण उस पर समुचित प्रकाश डालता है, "स्त्री को अबला कहना उसका अमान करना है। उसे अबला कह कर पुरुष उसके साथ अन्याय करता है। यदि शक्ति का अभिप्राय पाषाण-विक शक्ति है, तो निस्सन्देह पुरुष की अपेक्षा स्त्री में कम पशुता है। परन्तु यदि इसका अभिप्राय नैतिक शक्ति है, तो निश्चिततः पुरुष की अपेक्षा स्त्री अधिक शक्तिशालिनी है। यदि अहिंसा हमारे जीवन का मूलमन्त्र है, तो कहना होगा कि इस देश का भविष्य स्त्रियों के हाथ में है।"*

महात्मा गांधी को हिन्दू-विधवाओं की दयनीय दशा देख कर अपार वेदना होती थी। यद्यपि वे आत्मसयत और मनोनिग्रह के घोर पक्षपाती थे, परन्तु उन्हें विधवा विवाह अथवा विवाह-विच्छेद पर कोई आपत्ति नहीं होती थी। वे बाल विधवाओं को कुमारिया ही मानते थे क्योंकि उनकी दृष्टि में बाल विवाह कोई विवाह ही नहीं था। उन्होंने दहेज-प्रथा के विरुद्ध भी अपनी आवाज उठाई थी और लिखा था, "जब वर कन्या के पिता से, विवाह करने की दया के लिए दण्ड लेता है, तब नीचता की हद हो जाती है। पैसे के लालच से किया गया विवाह विवाह नहीं है, एक नीच सौदा है।"† गांधी जी परदे की भी भर्त्सना करते थे। उनका मत था कि पवित्रता परदे की आड में रखने से नहीं पनप सकती, वह तो मन को शुद्ध रखने से पनपती है। गांधी जी अपनी पतिव्रत बहिनो को भी नहीं भूल सके। उन्होंने उन्हें पवित्र जीवन यापन की प्रेरणा दी। वे मानते थे कि वेश्यावृत्ति उतनी ही पुरातन है जितकी यह दुनिया, पर वह आज कल की तरह नगर-जीवन का नियमित अंग शायद ही कभी रही हो। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, 'हर हालत में वह समय आये बिना नहीं रह सकता जब कि मानव जाति इस पाप के विरुद्ध आवाज उठाएगी और वेश्यावृत्ति को भूतकाल की वस्तु बना देगी।'†

महात्मा गांधी आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के कटु आलोचक थे। भारतीय विश्व-विद्यालयों के सम्बन्ध में उनका विचार था कि इनमें 'विश्वविद्यालयों जैसी कोई विशेषता नहीं। वे तो पश्चिमी विश्वविद्यालयों की एक निस्तेज शिक्षा-पुनर्गठन और निष्प्राण नकल भर हैं। यदि हम उन्हें पश्चिमी सम्यता का स्याहीसोख मात्र कहे, तो शायद बेजा न

* हिन्दी नवजीवन, १०-४-३० पृ. ३७७

† " " " ६-६-२८ पृ. २४

† हिन्दी नवजीवन २८-५-२५ पृ. ३३८

होगा।"† गांधी जी भारत की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली को तीन कारणों से सदोष मानते थे— '(१) यह देशी संस्कृति की पूर्ण उपेक्षा कर विदेशी संस्कृति पर आधा-रित है, (२) यह हृदय और हाथ की शिक्षा पर ध्यान नहीं देती तथा अपने को केवल अस्तित्त्व की शिक्षा तक ही सीमित रखती है।'*

महात्मा गांधी की दृष्टि में शिक्षा का सच्चा अर्थ मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। वे शिक्षा का चरम लक्ष्य व्यक्ति का चरित्र गठन मानते थे। उनका विश्वास था कि "साहित्यिक शिक्षा व्यक्ति की नैतिक ऊंचाई में एक इंच की भी वृद्धि नहीं करती और चरित्र निर्माण साहित्यिक शिक्षा से स्वतन्त्र होता है।"† गांधी जी ने जन साधारण के सांस्कृतिक जागरण के लिए बुनियादी सालीम अथवा वर्षा शिक्षा योजना की नींव डाली। उनका मत था कि असली शिक्षा तो तभी आ सकती है जबकि शरीर के अवयवों हाथ, कान, नाक आदि से ढट कर काम लिया जाये। वर्षा शिक्षा योजना में इस सिद्धान्त का अछ्छी तरह से समावेश है। इस शिक्षा-योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह छात्रों को आर्थिक आत्म निर्भरता प्रदान करती है।

वर्तमान शिक्षा-पद्धति देशी भाषाओं के विकास के प्रति उदासीन है। गांधी जी को यह इष्ट नहीं था। उनका कहना था कि हमें अपनी देशी भाषाओं के उत्थान की ओर ध्यान देने की प्रचुर आवश्यकता है। उन्होंने लिखा था, "यह स्पष्ट है कि जब तक हम इस काम को प्रागे नहीं बढ़ाते, हम अपने स्त्री-पुरुषों के बीच और अपने वर्गों तथा जनता के बीच बढ़ती हुई बौद्धिक और सांस्कृतिक खाई को दूर नहीं कर सकेंगे। यह भी निश्चित है कि देशी भाषाओं का माध्यम ही अधिक से अधिक लोगों में मौलिक विचारधारा उत्पन्न कर सकता है।"† लेकिन इसका यह आशय कदापि नहीं था कि गांधी जी दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों के अनुशील को वर्जित करना चाहते थे। वे तो इस सिद्धान्त के उपासक थे कि, "मे यह नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी हो और मेरी खिडकियां बन्द हो। मैं चाहता हू कि सब देशों की संस्कृतियां मेरे घर के आसपास यथासभव स्वतन्त्रता पूर्वक बहे, परन्तु उनमें से कोई भी मेरे पंरों को उखाड़ दे, यह मैं अस्वीकार करता हूँ।"* गांधी जी कहा करते थे कि उच्च कोटि के विद्वान पुरुषों को अंग्रेजी भाषा का ही क्या, अन्यान्य समृद्ध विदेशी

† हरिजनसेवक २१-१-४२ पृ. ९१

* यंग इंडिया १-९-२१, पृ २७६

† " " १-६-२१ पृ. १७२

† यंग इण्डिया, २५-४ २० पृ. ४६५

* " " १-६-२१ पृ. १७०

भाषाओं का भी अध्ययन कर उनकी चुनी हुई पुस्तकों का देशी भाषाओं में अनुवाद प्रस्तुत करना चाहिए।

हमारे वर्तमान शिक्षा-संगठन में एक भारी त्रुटि यह है कि इसमें छात्रों को नैतिक शिक्षा देने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज के युग में राजनीतिक और सामाजिक जीवन के प्रासाद को नैतिक आधार पर सजा करना अतीव आवश्यक है। गांधी जी इस त्रुटि को दूर करने के लिए विद्यालयों में धार्मिक शिक्षाके पक्षपाती ये धार्मिक शिक्षासे उनका यह अभिप्राय कदापि नहीं था कि बच्चों को धर्म विशेष की रूढ़ियों का ज्ञान कराया जाये। धार्मिक शिक्षा से उनका मन्तव्य यही था कि छात्रोंको सत्य, अहिंसा अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य आदि उन सर्वभौम नैतिक सिद्धान्तों का ज्ञान कराया जाये जो सब धर्मों के मूल में समान रूप से विद्यमान हैं।

महात्मा गांधी शराब, अफीम, गाजा आदि मादक द्रव्यों के घोर विरोधी थे। उनकी इच्छा थी कि लोग शराब पीना छोड़ दे क्योंकि मद्यपान विषपान से भी अधिक घातक है। विष तो शरीर की हत्या करता है पर मद्य

मद्य-निषेध

आत्मा को मार डालता है और मनुष्य को पशु बना देता है। गांधी जी मद्यपान को दुर्गुण की अपेक्षा बीमारी अधिक मानते थे। उनका कहना था, 'मे ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जानता हूँ जो यदि शराब को छोड़ सकते, तो सहर्ष छोड़ सकते। मे कुछ ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जिन्होंने कहा है कि यदि हमसे मद्यपान का लालच दूर कर दिया जाये, तो हम मद्यपान को अवश्य छोड़ देंगे। मद्यपान का लालच उनमें दूर किया गया फिर भी वे लुक्छिप कर मद्यपान करते हैं।...रोगी व्यक्तियों को स्वयं अपने ही विरुद्ध उपचार की आवश्यकता है।'* गांधी जी का सरकार के लिए परामर्श था कि वह ऐसे विश्रान्ति-गृह खोले, जहाँ थके-मादे मजदूरों को विश्राम मिले और उनके लायक खेल खेलने का अर्च्छा प्रबन्ध हो। इस योजना का आचरण लोगों को स्वतः मद्यनिषेध की ओर प्रवृत्त करेगा। गांधी जी का विश्वास था कि मद्यनिषेध से जनता का शारीरिक, मानसिक और नैतिक सब प्रकार का कल्याण होगा। गांधी जी द्वारा प्रवर्तित असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में शराब की दुकानों पर धरना देना एक जरूरी कार्यक्रम रहता था। १९३७ में जब भारत के ग्यारह प्रांतों में काफ़ेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई, उन्होंने गांधी जी की इगत पर आधिक हानि को सहते हुए भी कई स्थानों पर मद्यनिषेध की योजना को कार्यान्वित किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्यों की कांग्रेस सरकारों मद्यनिषेध के कार्यक्रम को यथासम्भव पूरा करने का प्रयास कर रही हैं।

* बंग इण्डिया ६-७-२१, पृ. २१०

१५१. गांधी जी की आर्थिक विचारधारा

जिस अर्थ में हम ऐडम स्मिथ और मार्शल को अर्थशास्त्री कहते हैं, महात्मा गांधी उस अर्थ में अर्थशास्त्री नहीं थे, फिर भी उनके समीप अपने निर्धन देशवासियों की सहायता करने के लिए एक व्यावहारिक आर्थिक कार्यक्रम था। यद्यपि महात्मा गांधी ने अर्थशास्त्र पर कोई स्वतंत्र पोथी नहीं लिखी है, पर जब हम उनकी प्रकीर्ण रचनाओं का अनुशीलन करते हैं, हमारे सम्मुख उनकी आर्थिक विचारधारा का एक सजीव चित्र उपस्थित हो जाता है। महात्मा गांधी ने शास्त्रीय दृष्टि से अर्थशास्त्री न होते हुये भी भारतीय अर्थशास्त्र पर व्यापक प्रभाव डाला है और "धीरे धीरे हम देखते हैं कि सेवाग्राम की विनीत वेदी से अर्थशास्त्र का ऐसा विशिष्ट 'स्कूल' बन पता जा रहा है जो गांधी जी के आर्थिक विचारों को क्रमबद्ध करने और एक वैज्ञानिक आधार देने में प्रयत्नरत है।"* यह ठीक है कि गांधीवादी अर्थशास्त्र अभी शंशवावस्था में ही है और समय समय पर उसकी 'शव-परीक्षा' भी होती रही है। इतने पर भी भारत के आर्थिक जीवन में उसका जो महत्वपूर्ण स्थान बन गया है, उसे प्रचलित नपे-तुले आर्थिक सिद्धान्तों की शब्दावली द्वारा नहीं नापा जा सकता क्योंकि वह इन प्रचलित नपे-तुले आर्थिक सिद्धान्तों की मूलस्य धारणाओं को ही खुली चुनौती देता है।

एक विशिष्ट
'स्कूल'

महात्मा गांधी की अर्थशास्त्र सम्बन्धी मान्यता पश्चिम के 'क्लासिकल' कहे जाने वाले अर्थशास्त्रियों से बिल्कुल अलग थी। वे अर्थशास्त्र को न तो मार्शल की भांति "जीवन के सामान्य व्यवहार में मानव जाति का अध्ययन" मानते थे और न प्रो० केनन की तरह "उन साधारण अर्थशास्त्र और कारणों की जिन पर मानव प्राणियों का भौतिक कल्याण नैतिकता निर्भर है, व्याख्या" ही स्वीकार करते थे। महात्मा गांधी की दृष्टि में तो अर्थशास्त्र जीवन के अन्यान्य सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि पहलुओं से सयुक्त था। उनकी आर्थिक विचारधारा का मूलधार उनकी नैतिकता सम्बन्धी भावना है। वे अर्थशास्त्र और नैतिकता के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं खींचते थे। नका विचार था कि वह अर्थशास्त्र जिससे किसी व्यक्ति या राष्ट्र की नैतिकता को घक्का पहुँचता है, शत बार त्याज्य है। अर्थशास्त्र और नैतिकता के प्रगाढ़ सम्बन्धों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने लिखा था, 'वह अर्थशास्त्र जो नैतिक मूल्य की उपेक्षा और ध्वंस करना करता है, झूठा है।'† उनके मत से "सच्चा अर्थशास्त्र नैतिक

* डा० एच. जी. पी. श्रीवास्तव : थोटस ज्ञोन गान्धियन कासेट आफ इकनॉमिक्स (अमृत बाजार, ११-५-५३)

मापदंडों के कमी विरुद्ध नहीं होता ठीक उसी प्रकार जैसे कि समस्त सच्चे नीतिशास्त्र का श्रेष्ठ अर्थशास्त्र होना भी आवश्यक है। वह अर्थशास्त्र जो कुबेर की उपसना सिखाता है और दुर्बल के मूल्य पर सबल को धन बटोरने में समर्थ करता है, एक झूठा और हीन विज्ञान है। सच्चा अर्थशास्त्र तो सामाजिक न्याय का प्रतिपादन करता है, दुर्बलतम व्यक्ति के सहित सबका समान रूप से भला चाहता है और ऊंचे जीवन के लिए अपरिहार्य है।”*

यद्यपि महात्मा गांधी अपने लिए निर्धनता को ही श्रेयस्कर मानते थे, पर उनकी यह अहिंसा इच्छा रहती थी कि जन साधारण का दारिद्र्य मिटे। वे इसके लिए कठिन श्रम भी करते थे। आज समाज में धन का जो आर्थिक आदर्श विषम विभाजन है, महात्मा गांधी उसे एक गहरी सामाजिक बुराई के रूप में देखते थे। उनके अनुसार “किसी स्वस्थ समाज के अन्दर चन्द आदमियों में धन का केन्द्रित हो जाना और लाखों का बेकार होना एक महान् सामाजिक अपराध या रोग है जिसका इलाज अवश्य होना चाहिए।”† महात्मा गांधी आर्थिक समानता को अहिंसक स्वतंत्रता की गुरुकुंजी मानते थे। उन्होंने लिखा था, “आर्थिक समानता के प्रयत्न के माने पूंजी और श्रम के शाश्वत विरोध का परिहार करना है। उसके माने ये हैं कि एक तरफ से जिन मुठ्ठी भर घनाड़्यों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति का अधिकांश एकत्रित हो गया है, वे नीचे को उतरें, और जो करोड़ों नंगे और भूखे हैं, उनकी भूमिका ऊंची उठे। जब तक मालदार और भूखी जनता के बीच यह चौड़ी खाई मौजूद है, तब तक अहिंसक राज्य पद्धति सर्वथा असंभव है।.....अगर सम्पत्ति का और सम्पत्ति से होने वाली सत्ता का खुशी से त्याग नहीं किया जायेगा और सार्वजनिक हित के लिए उनका संविभाग नहीं किया जायेगा, तो अहिंसक क्रांति और रक्तपात अवश्यम्भावी है।”‡ महात्मा गांधी ने भारत के आदर्श आर्थिक संगठन का चित्र खींचते हुए कहा था कि “उसमें भोजन और कपड़े की किसी को कमी नहीं रहेगी।”* उनका विचार था कि यदि उत्पादन के साधनों और जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं पर जनता का नियंत्रण हो जाये, तो ये आदर्श सर्वत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। वे कहा करते थे, “ये वस्तुएं सबको ठीक उसी प्रकार प्राप्त होनी चाहिये जिस प्रकार कि ईश्वर की वायु और पानी सबको प्राप्य हैं अथवा होने चाहिए। उन्हें दूसरों के शोषण का साधन बना लेना उचित नहीं है।”‡ महात्मा गांधी के मत

* हरिजन' ६ अक्टूबर' ३७ पृ. २६२।

† हरिजन सेवक : ८ जून'४०, पृ० १३८

‡ गांधी जी :कॉन्सट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग फुल श्रेस पृ० १८

* यंग इंडिया, १५ नवम्बर, २८ पृ. ३८१

‡ " " " "

से उत्पादन के साधनों और जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं पर किसी देश, जाति या जनसमूह का एकाधिकार सर्वथा अन्याययुक्त है ।

भारत जैसे महादेश के लिए जिसकी ९०% जनसंख्या गांवों में बसती है, गांवों को उपेक्षा की दृष्टि से देखना आत्मघात के समान ही है । प्राचीन काल में भारतीय गांव जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं में स्वाश्रयी होते थे, पचायती-प्रथा के द्वारा अपना शासन आप करते थे और देश के आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन के मेरुदण्ड बने हुए थे । महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन पर एक गम्भीर आक्षेप यह था कि उसने भारत के सात लाख गावों को मरणासन्न स्थिति में पहुँचा दिया है । उन्होंने देशवासियों को 'है अपना हिन्दुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गावों में' पाठ बार बार पढ़ाया । उनका सन्देश था कि देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर घरबार से वियुक्त एक जगह पड़े रहने वाले मजदूर वर्ग का नहीं, अर्थ-पिशाच महाजन या व्यापारी समाज का नहीं, प्रत्युत सरल स्वभाव आशीर्ण जनता का प्रभुत्व होना चाहिए । इसी उद्देश्य को सामने रख कर उन्होंने "गावों की ओर चलो" नारा उठाया था । भारत के गांव शिक्षा-तम-अंध-परम्परा और सकीर्ण दृष्टिकोण जैसी असह्य व्याधियों से पीड़ित हैं । गांधी जी ने लोगों को बताया कि वे सम्बेदनामय हृदय लेकर गावों में जायें, वहाँ के निवासियों के सुख-दुख में एक रस होकर घुले-मिलें, उनकी समस्याओं को सहानुभूति से समझें और उनके समाधान में प्रवृत्त हों । गांधी जी का यह विश्वास था कि यदि गांव नष्ट हो गये, तो भारत नष्ट हो जायेगा, भारत के अस्तित्व के लिये ग्रामों का उत्थान अतीव आवश्यक है । वे कहा करते थे, 'अब तक हमें जीवित रखने के लिये सहस्रो गांव मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं । अब हमें उनको जीवित रखने के लिये मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए ।'* उनकी ग्राम-स्वराज की मान्यता ऐसे पराग गणराज्य की मान्यता थी जो अपनी बड़ी-बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने पड़ोसियों से स्वतन्त्र हो, लेकिन ऐसी बहुत सी वस्तुओं में जिनमें अन्योन्याश्रित होना आवश्यक है, अन्योन्याश्रित भी हो ।

मशीनों जो आधानक सम्यता की केन्द्रविन्दु हैं, गांधी जी की दृष्टि में महापाप हैं, क्योंकि वे "साप के बिल हैं जिनके भीतर एक नहीं सैकड़ों साप होते हैं । एक के पीछे दूसरा निकलता ही जाता है । जहाँ कल-कारखाने होंगे, वहाँ बड़े शहर होंगे । जहाँ शहर हों वहाँ रेल और ट्राम होनी ही चाहिये ।

मशीनों का
विरोध

* यंग इंडिया: १७ अप्रैल, २४, पृ. १३० ।

बिजाली की रोशनी की जरूरत भी वही होती है। आप सच्चे बैद्य-डाक्टर से पूछें तो वे आपको बतायेंगे कि जहां रेल, टूमें आदि बढ़ी हैं, लोगों की तन्दुस्ती बिगड़ गई है।”†

भारत की आर्थिक प्रयोगति में कल-कारखानों की मार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैचेस्टर की मार ने भारत को जो हानि पहुँचाई है, उसकी कोई हद नहीं। भारत के हस्त-कला कौशल जो प्रायः समाप्त हो गए, यह मैचेस्टर की ही कृपा है। गांधी जी के अनुसार भारत में मिले खड़ी करने से यह आर्थिक प्रच्छा होगा कि हम मैचेस्टर को पैसा दे और उसका रद्दी सही माल इस्तेमाल करें क्योंकि “उसका कपड़ा काम में लाने से तो हमारा केवल पैसा ही जायेगा” जबकि “हिन्दुस्तान में मैचेस्टर बनाने से हमारा पैसा तो हिन्दुस्तान में रहेगा पर वह हमारा खून लेगा क्योंकि वह हमारे चरित्र का नाश करेगा।... यह मानना ना समझी ही होगा कि अमरीका के राकफेलर से हिन्दुस्तान का राकफेलर अच्छा होगा।”*

मशीनों के ऊपर गांधी जी का मुख्य आक्षेप यह है कि “वे श्रम की इतनी बचत कर डालती हैं कि हजारों को भूखी मरना पड़ता है और उन्हें तन ढकने तक को कुछ नहीं मिलता।”‡ समय और परिश्रम का बचाव गांधी जी भी चाहते थे लेकिन “वह मुट्ठी भर आदमियों के लिए नहीं बल्कि सारी मानव-जाति के लिए।... आज यंत्रों के कारण लाखों की पीठ पर मुट्ठी भर आदमी सवार हो बैठे हैं और उन्हें सता रहे हैं क्योंकि इन यंत्रों के चलाने के मूल में लोभ है, घनतृष्णा है, जन कल्याण की भावना नहीं।”†

लेकिन गांधी जी यत्रमात्र के विरोधी नहीं थे क्योंकि “मेँ जनता हूँ मेरा शरीर ही एक बड़ा नाजुक यत्र है। मेरा विरोध यत्रों के सम्बन्ध में फँले दीवानेपन के साथ है, यंत्रों के साथ नहीं।”* गांधी जी सिंगर की मशीन जैसी उपयोगी मशीनों का कोई विरोध नहीं करते थे। उनका कहना था कि हमें उन घरेलू मशीनों में जिनका प्रयोग लाखों स्त्री पुरुष कर सकें, हर प्रकार के सुधार का स्वागत करना चाहिए।

गांधी जी की आर्थिक विचारधारा में कुटीर उद्योगों के जीर्णोद्धार को बहुत

† गांधी जी: हिन्द स्वराज्य (हिन्दी, सस्ता साहित्य मंडल '४७) पृ. १०९-११०।

* गांधी जी- हिन्द स्वराज्य पृ. १०७

‡ हिन्दी नवजीवन २ नवम्बर २४ पृ. ६०

† हिन्दी नवजीवन २ नवम्बर: २४ पृ. ६०

” ” ” ”

आवश्यक स्थान प्राप्त ह । उनके अनुसार अहिंसा और केन्द्रित उद्योगों का एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता । कुटीर उद्योगों का विशाल पैदावार प्रकृति और मनुष्य दोनों का शोषण करता **जीर्णोद्धार** है । फलतः गांधी जो भारत के उद्योगीकरण के विरोधी थे । इस सम्बन्ध में उन्होंने यह स्पष्ट लिखा था, “जब भारत का उद्योगीकरण हो जाता है और वह दूसरे राष्ट्रों का शोषण प्रारम्भ कर देता है, जैसा कि उसके उद्योगीकरण पर अवश्यम्भावी ही है, तब वह दूसरे राष्ट्रों के लिए एक अभिशाप संसार के लिए एक खतरा बन जाएगा । क्या आप स्थिति की यह दुर्घटना नहीं देखते हैं कि हम अपने तीस लाख बेकार लोगों के लिए काम पा सकते हैं लेकिन इंग्लैंड अपने तीन लाख बेकार लोगों के लिए काम नहीं पा सकता और एक ऐसी समस्या से घिरा हुआ है कि जिसके समाधान में बड़ा के बड़े बड़े बौद्धिक दिग्गजों की बुद्धि हेरान है ।... यदि उद्योगीकरण का भविष्य पश्चिम के लिए अंधकारमय है, तो क्या वह भारत के लिए और अधिक अंधकारमय नहीं होगा ।”*

गांधी जी भारत में खादी और चरखे के प्रचार को अत्यधिक महत्व देते थे । वे खादी को मुक्तिदाता और चरखे को स्वराज्य का सबसे बड़ा हथियार कहा करते थे । चरखा उनके अहिंसक समाज की बुनियादी ईंट था । गांधी जी की दृष्टि में चरखा उनके रचनात्मक कार्यक्रम के ग्रहमण्डल में सूर्य के सदृश था । उन्होंने बताया कि जिस प्रकार भारत के किसान अपने पेट के लिए अनाज पैदा करके स्वाश्रयी बने हुए हैं, उसी तरह वे अपने खेतों में पैदा की हुई कपास को अवकाश में कातकर कपड़ा तय्यार कर सकते हैं और विदेशों में जाने वाले करोड़ों रुपये को बचा सकते हैं । मनुष्य की दो ही बड़ी आवश्यकताएँ हैं—रोटी और कपड़ा । जब वे उसे स्वतः प्राप्त हो जायेंगी उसे दूसरों के मुँह की ओर न ताकना पड़ेगा, वह स्वावलम्बी और स्वाश्रयी बन जाएगा । खादी के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी, “स्वराज्य के समान खादी भी राष्ट्रीय जीवन के लिए श्वास जितनी ही आवश्यक है । जिस तरह हम स्वराज को नहीं छोड़ सकते, उसी तरह खादी को भी नहीं छोड़ सकते । खादी छोड़ देने के माने होंगे—भारत की जनता को बेच देना, भारत की आत्मा को बेच देना ।”† महात्मा गांधी ने खादी और चरखे के प्रचार के लिए चरखा सघ की स्थापना की थी । चरखा संघ की शाखाओं—ग्रशाखाओं ने सारे भारत में फैल कर लाखों लोगों को खादी-चरखे का भक्त बनाया ।

महात्मा गांधी साम्यवादी विचारकों द्वारा प्रतिपादित वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त में

* यंग इंडिया: १२ नवम्बर '२४ पृ. ३८६ ।

† हिन्दी नवजीवन: १९ जनवरी '२८ पृ. १७३ ।

विश्वास न रख कर वर्ग-सहयोग और वर्ग-सामंजस्य के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे ।

उन्हें श्रमिकों द्वारा पूंजीपतियों का उन्मूलन दृष्ट नहीं था ।

श्रम और पूंजी क्योंकि उनकी धारणा थी कि पूंजीपतियों का भी, चाहे

वे कितनी ही शोषक-वृत्ति के बर्यो न हों, हृदय परिवर्तन

हो सकता है । गांधी जीके मतसे यदि पूंजीपति श्रमिकों के प्रति पितृात्मक भाव अपना लें और उन्हें अपने धनोपभोग में सहभागी बना लें, तो वे भी समाज के प्रति अपूर्व उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था, “श्रमिकों को पैदावार के साधनों का सेवक होने के स्थान पर, जैसा कि वह आजकल है, स्वामी होना चाहिए । पूंजी को श्रम का दास होना चाहिए स्वाम नहीं ।”* गांधी जी की श्रमिकों और पूंजीपतियों दोनों के लिए यह सलाह उचित ही थी कि उन्हें एक ओर तो एक दूसरे का तथा दूसरी ओर उपभोक्ताओं का ट्रस्टी बन जाना चाहिए । यदि वे ऐसा कर सकें, तो उनके आपसी विवाद नाममात्र को रह जायेंगे ।

महात्मा गांधी का विचार था कि श्रमिकों को उद्योगों के प्रबन्ध और नियमन में भाग लेने का, उचित भवकाश, अच्छे वेतन पाने का अधिकार मिलाना चाहिए । वर्तमान काल में श्रमिकों की जो दयनीय स्थिति है, उससे उन्हें अपार क्षोभ होता था, और उनका यह बार-बार कहना था कि श्रमिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए भगीरथ कोशिश करने की प्रचंड आवश्यकता है । यदि पूंजीपति श्रमिकों की न्याययुक्त मागों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार नय्यार न हों, तो गांधी जी के अनुसार श्रमिकों को अहिंसक हड़ताल करने का पूरा अधिकार है ।

* डा० धावन द्वारा उद्धृत - पोलिटिकल फिलासफी आफ महात्मा गांधी पृ. २३६

अनुक्रमणिका

- अधिकार, नागरिकों के मूल, १५६-६४
 अधिनियम, १८५८ का भारत-सरकार,
 ११-४
 के प्रमुख उपबन्ध, ११-३
 की समीक्षा, १३-४
 अधिनियम, १८६१ का भारत परिषद
 १५-८
 की पृष्ठ भूमि, १५-६
 के प्रमुख उपबन्ध, १६-७
 की समीक्षा, १७-८
 अधिनियम, (१६४७) भारत स्वतन्त्रता,
 ३४५
 अन्तर्गत सरकार, ३४१-४३
 अरविन्द घोष, ६६-७
 अली, मौलाना मुहम्मद, १५२-५३
 असहयोग आन्दोलन, २०६-२८
 पर कांग्रेस की स्वीकृति २२१-२२
 का कार्यक्रम २२२-२६
 का मूल्यांकन २२६-२८
 आज़ाद हिन्द फौज ३४७-५०
 आन्दोलन, बहिष्कार और स्वदेशी, ६७-८
 भारत छोड़ो, (१६४२) ३१६-१६
 इंडिया कोसिल, १७१-७४
 इंडियन एसोसिएशन, २१-२
 इंडियन कोसिलज एकट (१८६२ का) ७४-६
 इस्बर्ट बिल, २३-४
 उग्र राष्ट्रीयता, ७८-१०६
 बैंगाल में, ६४-८
 महाराष्ट्र में, ८७-६४
 के सिद्धांत और साधन, ६६-१०३
 और कांग्रेस, १०३-५
- और माले मिन्टो सुधार, १०६
 और शासन, १०५-६
 और हिंदु विचारधारा पर बल, १२६-६
 और हिन्दु पुनरुत्थान, १०२-३
 उग्रवाद के प्रादुर्भाव के कारण, ७६-८७
 उदार राष्ट्रीयता, ५६-६५
 का मूल्यांकन, ६१-५
 की मनोवृत्ति और कार्यपद्धति, ५६-६१
 उपराष्ट्रपति, ३८७-८६
 ओडायर, सर माइकेल, २१६
 कपास आयात-कर, १२१
 कर्जुन का प्रतिगामी शासन, ८२-५
 कलकत्ता कारपोरेशन एकट, ८३
 आतिकारी राष्ट्रवाद, १०६-१०
 का प्रथम चरण, १०७-८
 का उत्तरकाल, १०६-१०
 की प्रकृति और साधनप्रणाली, १०६-७
 पंजाब में, १०८
 बंगाल में, १०८
 विदेशों में, १०६
 क्रिप्स मिशन, ३११-६
 कांग्रेस, देश में एक शक्ति, ५०-१
 का प्रारम्भिक रूप और कार्यक्षेत्र, ५१-३
 के कार्य का सिंहावलोकन, ५३-६
 कांग्रेस-लीग समझौता (१६१६),
 १५४-५६, १५८
 कार्यकारिणी परिषद्,
 गवर्नर जनरल की, १८०-८१
 कार्यकारिणी, प्रान्तीय, १६३-४
 कार्यपालिका, सघीय (१६३५), १७५-७८
 किचलू, डाक्टर, २१७

केन्द्रीय व्यवस्थापिका, १८२-८६
 कैबिनेट मिशन, ३३७-४१
 खिलाफत प्रश्न, २१६
 गणपति-उत्सव, ८८
 गवर्नर, १६४-६६, २८५-८७
 की विशेष शक्तियाँ, १८६
 के विशेष उत्तरदायित्व, २८७
 और उसकी कार्यकारिणी परिषद्,
 १६५-६
 गवर्नर जनरल, १७६-८०
 की कार्यकारिणी परिषद्, १८०-२
 गृह-सरकार (१९१६), १६६-७४
 गृह-सरकार (१९३५), ३६३
 गांधी-इर्वन पेक्ट, १४६, २५६-७
 गोखले, गोपालकृष्ण, ६६-७२
 गोल-मेज परिषद्, २५४-६१
 घोष, अरविन्द, ६६-७
 घोषणा-पत्र, दिल्ली का, २४७
 घोषणा, २० अगस्त १९१७ की, १६०
 ८ अगस्त १९४० की, ३०८-६
 महारानी विक्टोरिया की, १४-५
 लार्ड डर्वन की, १४७
 चेम्सफोर्ड, लार्ड, १५७
 जिल्हा, मोहम्मद अली, १५३
 की चौदह गर्नें, २४५-६
 जलियांवाला का हत्याकांड, २१७
 ड्यूक-प्रावेदन पत्र, १५८-६
 डाण्डी यात्रा, २५१
 डायर, जेनरल, २१६-१८
 तिलक, बालगंगाधर, ८७-९४
 और गांधी, ६२-४
 और गोखले, ६२
 और सूरत की फूट, ८६-९०

और होम रूल आन्दोलन, ६०
 का चरित्र और दृष्टिकोण, ६१-६२
 तैयबजी, बदरुद्दीन, ७०
 दादाभाई, नौरोजी, ६७-६
 दिनशा, एदलजी वाचा, ७२-३
 देशी राज्य, ४३१-३७
 का लोकतन्त्रीकरण, ४३६-३७
 का विलीनीकरण, ४३५-३६
 की पृष्ठभूमि, ४३१-३२
 और सार्वभौम सत्ता, ४३३-३४
 स्वतन्त्रता के बाद, ३३६-३५
 धर्म-निरपेक्ष राज्य, भारत एक, ३६८-७२
 धार्मिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीयता, ३३-४२
 न्यायालय, सघीय (१९३५), २८१-८२
 न्यायालय, सर्वोच्च, भारत का, ३६६-४०३
 नाइण्टीन मेमोरेण्डम, १५८
 निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के, १६४-६६
 नेहरू रिपोर्ट, २५४-५६
 पंजाब की दुर्घटनाएँ, २१५
 पद-ग्रहण, २६८-३००
 प्रधान मन्त्री, ३६१-६२
 पाकिस्तान का विरोध, ३३५-३६
 की भाग के कारण, ३२५-२६
 के लिए आन्दोलन ३३३-३४
 क्रिक्स योजना और, ३१४
 पाल, विपिनचन्द्र, ६६
 प्रान्तीय कार्यकारिणी
 (द्वैध शासन प्रणाली), १६४-६६
 प्रान्तीय सरकार (१९३५), २८२-८६
 प्रान्तीय व्यवस्थापिका १६७
 प्रान्तीय विधानमण्डल(१९३५), २६०-६२
 प्रान्तीय स्वायत्तता, २८२-८५
 पर आचरण, २६७-३०२

पृथक्तावाद से पृथक्करण की ओर, ३२४-५
 परिषद्, मुसलमान रक्षा, १२३-२४
 अगाल विभाजन (१९०५), ८५-७, १२४
 बेक, प्रिंसिपल, १२०-२२
 बेनर्जी, उमेशचन्द्र, ७२
 बेनर्जी, सुरेन्द्रनाथ, ६५-७
 बीसेन्ट, श्रीमती, १४५-४६
 बोस, सुभाष, ३४७-५०
 बहिष्कार और स्वदेशीआंदोलन, ६७, १०१-२
 भारत छोड़ो आंदोलन, ३१६-१६
 भारत मन्त्री, १६७-७१, २६३
 भारत शासन मन्वन्धी एक्ट (१९१६),
 १६४-२०८
 भारत सघ, ३७१-७६
 भारत परिषद् अधिनियम (१८६१ का),
 १५-१८
 भारतीय राष्ट्रीयता का जन्मकाल, १८-२४
 ब्रिटिश शासन की देन, ४२-४३
 भारत-विजय, अंग्रेजों की, १-२
 भारतीय विद्रोह, ५-१०
 भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट (१९०४) ८३-४
 मन्त्री परिषद्, २८८-९०, ३८७-८६
 की कार्य-प्रणाली, ३९-६२
 महात्मा गांधी, ३१३-१५, ४३६-७८
 का भारतीय राजनीति में
 प्रवेश, २१३-५
 का डाण्डी कूच, २५१
 का राजनीति दर्शन, ४४६-५४
 के आर्थिक विचार, ४७३-७८
 के सामाजिक विचार, ४६५-७३
 और अहिंसा, ४४८
 और मार्क्सवाद, ४५४-६०
 और विश्व-शान्ति, ४५२-५३

पुनः मैदान में, २३६
 भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन
 को देन, ४६०-६५
 राजभक्त से राजद्रोही, ११४
 राजनीतिक नेता के रूपमें, ४३८-४६
 महायुद्ध, प्रथम, और वैधानिक
 सुधार, १५६-६२
 और भारतीय राष्ट्रीयता, २०६-११
 के बीच भारतीय राजनीति, १४३-६३
 महायुद्ध, द्वितीय और भारत, ३०४-६
 माटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन, १६१-६२
 माटेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना, १६४-२०५
 माले-मिटो-सुधार, १३३-४०
 मुसलमान रक्षा परिषद् १२३-४
 मुस्लिम शिष्ट-मंडल, १२५ २८
 मूल अधिकार, नागरिकों के, ३५६-६५
 मेहता, फीरोजशाह, १३०
 राजगोपालाचारी का प्रस्ताव, ३३७
 रानाडे, महादेव गोविन्द, ७३-४
 राज्य, भारत सघ के ४०६-७
 का मन्त्रीमण्डल, ४१७-१६
 का विधान मण्डल, ४१६-२१
 की कार्यपालिका, ४२१-२६
 भाग (क) के, ४२६-२८
 भाग (ख) के, ४२८
 भाग (ग) के, ४२८
 राज्यपाल, ४१२-१७
 राज्य परिषद्, ३६२-६६
 राष्ट्रीयता, धार्मिक पुनर्जागरण
 और, ३३-४२
 राष्ट्रीय आंदोलन के कारण, २७-४३
 राष्ट्रीय महासभा का जन्म, ४३-५
 राष्ट्रीय सम्मेलन, २४

- राष्ट्रपति, ३७३-८७
 का निर्वाचन, ३७६-७८
 की ग्रहंताए, ३७८
 की पदच्युति, ३७८-६
 की शक्तिया, ३७६-८१
 की आपातकाल शक्तिया, ३८१-८४
 स्वेच्छाचारी य ध्वजमात्र
 शासक ?, ३८४-८७
- रौलट एक्ट, ३१२-३
 लखनऊ पैक्ट, ५४-६
 लाजपतराय, लाला ६८-६
 व्यक्तिगत सत्याग्रह, ३१०-११
 वाचा, दिनशा एदलजी, ७२-३
 विद्रोह, १८५७ का भारतीय, ५-६
 विदेशी शासन के दोष, २-५
 विधेयक, भारतीय शस्त्र, १६-२०
 वर्नाक्युलर प्रेस, २०-२१
- विपिन चन्द्रपाल, ६६
 विभाजन, बंगाल का (१६०५), ६५-७
 विरोधी आंदोलन, ६७-८
 का अंत, ६८
- विश्वविद्यालय एक्ट भारतीय (१६०४),
 ८३-४
- वैदिल योजना ३१६-२१
 शिवली, मौलाना, १५३
 शिमला सम्मेलन, ३१६-२१
 शिवाजी उत्सव, ८८-६
- संघीय कार्यपालिका, (१६३५), १७५-७८
 संघीय कार्यपालिका, ३७६-६२
 संघीय न्यायालय, १८१-२, ३६६-४०३
 संघीय विधान मंडल (१६३५), १७८-८१
 सघ तथा राज्यों के सम्बन्ध, ४०७-१२
- सत्यपाल, डाक्टर, २१६
 सत्याग्रह व्यक्तिगत, ३१०-११
 सय्यद अहमद खा, १२०-२३
 सरकार, राज्य की, ४०६-३०
 सर्वोच्च न्यायालय, ३६६-४०३
 मविधान की विशेषताए, नए, ३५६-५६
 संविधान सभा ३५३-६
 ससद, ३६२-६६
 की शक्तिया और मर्यादाए,
 ३६७-४०३
 के दो सदनों के पारस्परिक
 सम्बन्ध, ३६५-६७
- स्वराज्य दल, २२८-३३
 और कोसिल प्रवेश, २२८-३०
 की सफलताए, २३१-३३
 के सिद्धांत और कार्यक्रम, २३०-३१
- साइमन कमिशन, २३६-४३
 का उद्देश्य, २४०
 का वहिष्कार, २४०-४१
 की नियुक्ति, २३६
 की रिपोर्ट, २४१-४३
- साम्प्रदायिक और विशेष निर्वाचन, १३६
 साम्प्रदायिकता, भारत में, ११३-३०
 सविनय अवज्ञा आंदोलन, १४६-५३
 का कार्यक्रम, २५१-५२
 की तैयारी, २४६-५१
 और भारतीय मुसलमान, २५२ ५३
- हटर कमेटी, २१८-१६
 ह्यूम, ऐलन आक्टिवियन, ४३-५
 हार्ई कमिश्नर, भारत का, १७४-७५
 होम रूल आन्दोलन, १४५-५०

सहायक ग्रन्थों की सूची

BIBLIOGRAPHY

- | | |
|-------------------------|---|
| Adhikari, G | <i>Pakistan and National Unity</i> |
| Ahmad, J | <i>The Indian Constitutional Tangle</i> |
| Aiyer, Sir P S S | <i>Indian Constitutional Problems</i> |
| Ali, C Rahmat | <i>The Mulla and the Mission</i> |
| " | <i>Pakistan</i> |
| Anbedkar, B.R | <i>Thoughts on Pakistan</i> |
| " | <i>Pakistan</i> |
| Anantanarayan, P K. : | <i>India, Bound and Free</i> |
| Ashraf, K M (Ed.) | <i>Pakistan</i> |
| Ashraf, Mohammad | <i>Cabinet Mission and After</i> |
| Bannerjee, A C | <i>Indian Constitutional Documents</i> |
| " | <i>3 vols</i> |
| " | <i>The Constitution of the Indian Republic</i> |
| Bannerjee, A K. . | <i>A Study of the New Constitution of India</i> |
| Bannerjee, D N | <i>Some Aspects of the New Constitution</i> |
| Bannerjee, H N | <i>India's New Constitution</i> |
| Bannerjee, Surendranath | <i>A Nation in Making</i> |
| Basu, B D. | <i>India Under the British Crown</i> |
| " | <i>Rise of Christian Power in India</i> |
| Besant, Annie | <i>How India Wrought for Freedom</i> |
| Beverley, Nicholas | <i>Verdict on India</i> |
| Bose, Subhas C. | <i>The Indian Struggle</i> |
| Bose, N.K. : | <i>Selections from Gandhi</i> |
| Bowen, H C. . | <i>Mohammadism in India</i> |
| Brailsford, H N. | <i>Rebel India</i> |
| " | <i>Subject India</i> |
| Brockway, A. Fenner : | <i>A Week in India</i> |
| Buch, M.A | <i>Rise of Indian Nationalism</i> |
| Casey, R G | <i>An Australian in India</i> |
| Chakravarti, A | <i>Call it Politics ?</i> |
| " | <i>Hindus and Mussalmans in India</i> |
| Chatterjee, A C | <i>India's Struggle for Freedom</i> |
| Chintamani, C.Y | <i>Indian Politics Since the Mutiny</i> |
| Chintamani and Masani : | <i>Indian Constitution at Work</i> |
| Chirol V. | <i>Indian Unrest</i> |
| Coatman, J. | <i>The Indian Riddle</i> |
| " | <i>The Years of Destiny</i> |
| Cobban, A. : | <i>National State and Self-determination</i> |

Cotton, H. .	<i>New India</i>
Coupland, R. :	<i>The Indian Problem 1833-1935</i>
"	<i>Indian Politics 1936-42</i>
"	<i>The Future of India</i>
"	<i>India, A Restatement</i>
Dalal, Sir A.	<i>An Alternative to Pakistan</i>
Datta, K K	<i>India's March to Freedom</i>
Desai, A.R.	<i>Social Background to Indian Nationalism</i>
Dhawan, G.N. .	<i>The Political Philosophy of Mahatma Gandhi</i>
Durrani, F.M. :	<i>The Meaning of Pakistan</i>
Dutt, R P	<i>India Today</i>
Edib, Hilde	<i>Inside India</i>
Fischer, Louis	<i>Imperialism</i>
"	<i>A Week with Gandhi</i>
"	<i>The Life of Mahatma Gandhi</i>
Friedmann, W.	<i>The Crisis of National State</i>
Fox, Ralph	<i>Colonial Policy of British Imperialism</i>
Gadgil, D. R.	<i>The Industrial Development of India in Recent Times</i>
Gandhi, M.K. :	<i>My Experiments with Truth</i>
"	<i>Hind Swaraj</i>
"	<i>Satyagraha</i>
"	<i>To the Prologomists of Pakistan</i>
"	<i>Delhi Diary</i>
Garrat, G T	<i>An Indian Commentary</i>
Hamza, El	<i>Pakistan a Nation</i>
Hoyland, J S.	<i>Indian Dawn</i>
"	<i>Gopal Krishna Gokhale, His Life & Speeches</i>
"	<i>The Indian Mussalmans</i>
Hunter, Sir W.	<i>Letters to Jinnah</i>
Iqbal, Sir Mohd	<i>Some Aspects of the Indian Problem</i>
Irwan, Lord	<i>Speeches and Writings</i>
Jinnah, M A.	<i>Tumult in India</i>
Jones, G E	<i>The Constitution of India</i>
Joshi, G N.	<i>Muslim Politics 1905-42</i>
Kabir, Hamayun	<i>India in Transition</i>
Khan, The Aga	<i>Outlines of a Scheme of Indian Federation</i>
Khan, Sir Sikandar Hayat :	<i>A Constitutional History of India</i>
Keith, A B	<i>The Problem of Minorities</i>
Krishna, K B	<i>Young India</i>
Lajpat Rai	<i>The Muslim Problem in India</i>
Latif, S A	<i>Constituent Assembly</i>
Lele, R P.	<i>History of the Indian Nationalist Movement</i>
Lovett, V.	

- Macartney, C A. *National States and National Minorities*
- Macdonald J Ramsay *The Awakening of India*
- Macnicol, N *The Making of Modern India*
- Majumdar, B *Indian Political Thought from Ram Mohan to Dayanand*
- Manshardt, C *The Hindu Muslim Problem*
- Mazumdar, A C *Indian National Evolution*
- Mehta and Patwardhan *The Communal Triangle in India*
- Mitchell, Kate *India, an American View*
- Moon, P *Strangers in India*
- Mukherjee, Radha Kamal *An Economist Looks at Pakistan*
- Mukherjee, Radha Kumud *A New Approach to the Communal Problem*
- Munshi, K M *I Follow the Mahatma*
- " *The Changing Shape of Indian Politics*
- Narain, Jai Prakash *Towards Struggle*
- Naik, V N *Indian Liberalism*
- Nehru, Jawaharlal *Autobiography*
- " *Unity of India*
- " *Discovery of India*
- " *Independence and After (Speeches)*
- Noanian, M. *Muslim India*
- Pal, B C *The New Spirit*
- " *Memories of My Life and Times*
- Palande, M R *Indian Administration*
- Paranjpye R P *The Crux of the Indian Problem*
- Payne, Robert *The Revolt of Asia*
- Phillip, H C *India*
- Pithwala, M A *An Introduction to Pakistan*
- Polak, Brailsford and Pethuck-Lawrence *Mahatma Gandhi*
- Prabhu, R K Lobo *The Mind of Mahatma Gandhi*
- Pradhan, R G *India's Struggle for Swaraj*
- Prasad, Beni *India's Hindu-Muslim Problem*
- Prasad, Rajendra *India Divided*
- " **कण्वित भारत**
- " *Pakistan*
- "Punjabi, A" *The Confederacy of India*
- Punriah, K M *India's Constitutional History*
- Rai, Ganpat (Ed) *Pakistan X-rayed*
- Rajput, A.B *The Muslim League*
- Run, K S *The Crisis in India*
- Rezul Karim *Pakistan Examined*
- Raghuvanshi, V.P S *Indian National Movement and Thought*
- Ramaswami, M. : *The Constitution of Indian Republic*
- Santhanam, K. . *The Constitution of India*

Sayyid, H.M.	<i>Mohammad Ali Jinnah</i>
Sen, D.K.	<i>Revolution by Consent ?</i>
Shah, K.T.	<i>Why Pakistan, Why Not ?</i>
Sharma, Sri Ram	<i>The Constitutional History of India</i>
Shevlankar	<i>The Problem of India</i>
Shukla, V N	<i>The Constitution of India</i>
Singh, Gurmukh Nihal	<i>Landmarks in Indian Constitutional and National Development</i>
”	भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास
Sitaramayya, P	<i>The History of the Indian National Congress—2 vols</i>
”	काँग्रेस का इतिहास
”	<i>The History of the Nationalist Movement in India</i>
Smith, Robert A.	<i>Divided India</i>
Smith, W.C.	<i>Modern Islam in India</i>
Smith, W R	<i>Nationalism and Reform in India</i>
Spear, Percival :	<i>India, Pakistan and the World</i>
Spratt, Phillip :	<i>Gandhism</i>
Symonds, R	<i>The Making of Pakistan</i>
Thompson, E	<i>The Other Side of the Medal</i>
Thompson, E	<i>The Reconstruction of India</i>
Thompson, E	<i>Enlist India for Freedom</i>
Topa, I N	<i>The Growth and Development of Nationalist Thought in India</i>
Venkataraman, T S.	<i>A Treatise on Secular State</i>
Williams, Rushbrooke .	<i>What about India ?</i>
Zacharias, H.C.E	<i>Renascent India</i>
Zummaern, A E	<i>Nationality and Government</i>

